5 May, 1986

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

पांचवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 17 पांचवा सत्र, 1986/1908 (शक)

अंक 45, सोमवार, 5 मई, 1986/15 वैशाख 1908 (शक)

निधन सम्बन्धी उल्लेख 1

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या : 907, 908 और 910 से 916 2-30

प्रश्नों के लिखित उत्तर :

तारांकित प्रश्न संख्या : 909 और 917 से 927 30-42

अतारांकित प्रश्न संख्या : 8715 से 8762, 8764 से 8791, 8793 से 8848, 8850 से 8902 और 8902 क 42-225

सभा-पटल पर रखे गये पत्र 230-236

शिक्षु (संशोधन) विधेयक-पुरः स्थापित 236-237

स्वदेशी काटन मिल्स कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक-पुरःस्थापित 237

स्वदेशी काटन मिल्स कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अध्यादेश के बारे में विवरण 238

नियम 377 के अधीन मामले 238-243

(एक) उन सभी व्यक्तियों को जिन्हें आग्नेयस्त्रों की वास्तव में आवश्यकता है, आग्नेयस्त्र लाइसेंस देने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश देने की आवश्यकता 238

श्री राज कुमार राय

*किसी नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

	विषय	पृष्ठ
(दो)	उत्तरी केरल में आकाशवाणी केन्द्रों के ट्रांसमीटर की क्षमता बढ़ाने की मांग	
	श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	238-239
(तीन)	ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर आधारित उद्योग स्थापित करने की अनुमति देने से पहले आवश्यक प्रदूषण निवारक उपाय करने की आवश्यकता	
	श्री प्रताप कुमार मिश्र	239-240
(चार)	उत्तर प्रदेश में कानपुर और उसके आसपास के नगरों के बीच "द्रुतगामी परिवहन प्रणाली" चालू करने की मांग	
	श्री जगदीश अवस्थी	240
(पाँच)	आधुनिक उपकरणों की आपूर्ति के लिये नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा पश्चिम जर्मनी की फर्म एम० ए० एन० को ठेका दिये जाने के पूर्व उसकी तकनीकी क्षमता की जांच की जाने की आवश्यकता	
	श्री एच० एन० नन्जे गौड़ा	241
(छह)	बंकिंघम नहर की मरम्मत और विकास करने की आवश्यकता	
	श्री पी० पेंचालैया	241-242
(सात)	उत्तर प्रदेश के एटा, फरुखाबाद और मैनपुरी जिलों में तम्बाकू की गर्द से उत्पन्न प्रदूषण को रोकने के लिये प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता	
	श्री मोहम्मद महफूज अली खां	242
(आठ)	उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के कारण होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये उपचारात्मक उपाय करने की आवश्यकता	
	श्री रामप्यारे पनिका	243
	मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) विधेयक, 1986	243
विचार करने के लिये प्रस्ताव		
	श्री ए० के० सेन	253-271
निर्यात संवर्धन के लिये प्रोत्साहनों के बारे में वक्तव्य		
	श्री जनार्दन पुजारी	278-279

विषय	पृष्ठ
मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण विधेयक 1986 जारी	
श्री एच० ए० डोरा	279-285
श्री एड्आर्डो फैलीरो	286-293
प्रो० के० के० तिवारी	293-301
श्री सैफुद्दीन चौधरी	301-307
प्रो० एन० जी० रंगा	307-311
श्री सी० के० जाफर शरीफ	311-313
प्रो० मधु दंडवते	313-322
श्री के० सी० पन्त	322-326
श्री फ्रेंकएन्थनी	326-329
श्री दिनेश सिंह	329-331
श्री पी० कुलनदईवेलू	331-334
श्री अर्जुन सिंह	334-336
श्री जगन्नाथ कौशल	336-339
श्री सैफुद्दीन अहमद	339-341
श्री अरुण नेहरू	341-342
श्री नवल किशोर शर्मा	342-344
श्रीमती आबिदा अहमद	345-348
श्रीमती गीता मुखर्जी	348-353
डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी	353-356
श्री श्याम लाल यादव	356-358
श्री के० पी० उन्नीकृष्णम्	358-363
श्रीमती कृष्णा साही	363-366
श्री राम निवास मिर्धा	366-370
प्रो० सैफुद्दीन सोज	370-377

विषय	पृष्ठ
श्री नरेश चन्द चतुर्वेदी	377-380
श्री जैनुल बशर	380-383
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत	383-385
श्री पीयूष तिरकी	385-386
श्री तारिक अनवर	386-388
श्रीमती विद्याबती चतुर्वेदी	388-391
श्री एच० आर० भारद्वाज	391-396
श्री मोहम्मद महफूज अली खां	396-399
श्री संतोष मोहन देव	399-400
श्री राजकुमार राय	400-401
श्री पी० एम० सईद	401-403
श्री सी० जंगा रेड्डी	404-405
श्रीमती शीला दीक्षित	405-407
श्री इब्राहिम सुलेमान सेट	407-410
श्री अजीज कुरेशी	410-412
श्री अमरराय प्रधान	412-413
श्री सैयद शाहबुद्दी	413-417
श्री प्रिय रंजनदास मुंशी	417-421
श्री के० एन० प्रधान	421-422
डा० दत्ता सामन्त	422-423
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी	423-425
श्री ए० के० सेन	425-431
खंड 2 से 6 तथा 1	431-498

विषय		पृष्ठ
पारित करने के लिए प्रस्ताव		
	श्री ए० के० सेन	498-499
	श्री सोमनाथ चटर्जी	499-500
	डा० एस० जगतरक्षवन	500-
	श्री दिनेश गोस्वामी	500-503
	श्री इन्द्रजीत गुप्त	503-505
	श्री सुरेश कुरुप	505-506
	श्री जी० एम० बनातवाला	506-507
	श्री ए० के० सेन	508-509

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

सोमवार, 5 मई, 1986 । 15 वैशाख, 1908 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

विषय सूची, पृष्ठ (iii), पंक्ति 10, 'श्री के0सी0पन्त' के स्थान पर 'श्री कृष्ण चन्द्र पन्त' पढ़िये ।

विषय सूची, पृष्ठ (v), पंक्ति 17, 'श्री सैयद शाहबुद्दी' के स्थान पर 'श्री सैयद शाहबुद्दीन' पढ़िये ।

विषय सूची, पृष्ठ (v), पंक्ति 4, 'डा0 एस0 जातरदावन' के स्थान पर 'डा0 एस0 जातरदाकन' पढ़िये ।

पृष्ठ 28, पंक्ति 2, 'श्री के0वी0 शंकर डिा' के स्थान पर 'श्री वी0 शंकर गौडा' पढ़िये ।

पृष्ठ 92, पंक्ति 6, अप्रश्नसंख्या '9766' के स्थान पर '8766' पढ़िये ।

पृष्ठ 98, पंक्ति 8, अप्रश्नसंख्या '8796' के स्थान पर '8769' पढ़िये ।

पृष्ठ 115, पंक्ति 13, 'डा0 डा0एन0 रेड्डी' के स्थान पर 'डा0 डी0एन0 रेड्डी' पढ़िये ।

पृष्ठ 160, नीचे से पंक्ति 7, '(घ)' के स्थान पर '(ग)' पढ़िये ।

पृष्ठ 162, पंक्ति 4, '(ग)' के स्थान पर '(घ)' पढ़िये ।

पृष्ठ 204, पंक्ति 10, 'दैनिक सार' से पूर्व '(क)' अंत:स्थापित करिये ।

पृष्ठ 215, पंक्ति 3, अप्रश्नसंख्या '3385' के स्थान पर '3387' पढ़िये ।

पृष्ठ 215, नीचे से पंक्ति 4, '(ग)' के स्थान पर '(घ)' पढ़िये ।

पृष्ठ 216, पंक्ति 15, '(ग)' के स्थान पर '(घ)' पढ़िये ।

पृष्ठ 217, पंक्ति 10, 'रामूवायिया' के स्थान पर 'रामूवालिया' पढ़िये ।

पृष्ठ 219, पंक्ति 6, 'एजैसिता' के स्थान पर 'एजैसिया' पढ़िये ।

पृष्ठ 229, पंक्ति 15, 'वपलब्य' के स्थान पर 'वक्तव्य' पढ़िये ।

पृष्ठ 234, पंक्ति 5, 'कापरिटिव' के स्थान पर 'कोआपरेटिव' पढ़िये ।

पृष्ठ 249, पंक्ति 7, '(कटरा)' के स्थान पर '(कटवा)' पढ़िये ।

पृष्ठ 260, पंक्ति 6, 'प्रो० के०के०तिवीरी' के स्थान पर 'प्रो० के० के० तिवारी' पढ़िये ।

पृष्ठ 268, नीचे से पंक्ति 12, 'श्री वासुदेव आचार्य' के स्थान पर 'श्री बसुदेव आचार्य' पढ़िये ।

पृष्ठ 278, नीचे से पंक्ति 7, 'सनस्य' के स्थान पर 'सदस्य' पढ़िये ।

पृष्ठ 279, नीचे से पंक्ति 2, 'श्री एच०ए०डोरा' के ऊपर बाईं ओर '(अनुवाद)' पढ़िये ।

पृष्ठ 312, नीचे से पंक्ति 10 '(अनुवाद)' का लोप करिये ।

पृष्ठ 368, पंक्ति 1, 'श्री श्रीनिवास मिर्धा' के स्थान पर 'श्री रामनिवास मिर्धा' और पंक्ति 18 में 'श्री रामनिवस मिर्धा' के स्थान पर 'श्री रामनिवास मिर्धा' पढ़िये

पृष्ठ 376, नीचे से पंक्ति 5, 'दिल्ली' के स्थान पर 'किसकी' पढ़िये ।

पृष्ठ 376, नीचे से पंक्ति 8, 'ालता' के स्थान पर 'पालता' पढ़िये ।

पृष्ठ 376, नीचे से पंक्ति 9, 'अरदी' के स्थान पर 'अरज़ी' पढ़िये ।

पृष्ठ 411, पंक्ति 14, 'माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब से' से पहले 'श्री अजीज़ कुरैशी' पढ़िये ।

पृष्ठ 424, प्रथम पंक्ति 'श्री सुल्तान तलाउद्दीन ओवेसी' के स्थान पर 'श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी' पढ़िये ।

पृष्ठ 424, नीचे से पंक्ति 10, 'आवेसी' के स्थान पर 'ओवेसी' पढ़िये ।

पृष्ठ 442, पंक्ति 2 के नीचे 'संशोधन अस्वीकृत हुए ।' अन्तःस्थापित करिये ।

पृष्ठ 442, पंक्ति 18, 'निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपना मतदान दर्ज कराया' से पंक्ति 26 'श्री पी० एम० सईद' तक पृष्ठ के सबसे नीचे ले जाकर पाद-टिप्पण के रूप में पढ़िये ।

पृष्ठ 433, प्रथम पंक्ति, '290, म.प.' के स्थान पर '0. 29 म०प्र०' पढ़िये ।

पृष्ठ 435, प्रथम पंक्ति, '0. 29 म0प0' के स्थान पर '0. 29 म0पू0' पढ़िये ।

पृष्ठ 452 पंक्ति 8 के सामने संशोधन संख्या '(123)' पढ़िये ।

पृष्ठ 459, नीचे से पंक्ति 2 'विधि न्याय मंत्री' के स्थान पर 'विधि और न्याय मंत्री' पढ़िये ।

पृष्ठ 470, पंक्ति 21 के नीचे 'संशोधन अस्वीकृत हुआ' अन्त:स्थापित करिये ।

पृष्ठ 470, नीचे की सात पंक्तियों के ऊपर पूरा 'रूल' लाइये और इन पंक्तियों को 'पाद टिप्पण' के रूप में पढ़िये ।

पृष्ठ 472, पंक्ति 12, 'मण्ल' के स्थान पर 'मण्डल' पढ़िये ।

पृष्ठ 479, पंक्ति 16, 'निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपना मत दर्ज कराया' से पंक्ति 23 'और श्री डालचन्द्र जैन' तक पृष्ठ के सबसे नीचे ले जाकर पाद टिप्पण के रूप में पढ़िये ।

पृष्ठ 480, नीचे से पंक्ति 5, '147' के बाद '171' अन्त:स्थापित करिये ।

पृष्ठ 491, पंक्ति 12 के सामने संशोधन संख्या '(216)' पढ़िये ।

पृष्ठ 492, प्रथम पंक्ति, 'अस्वीकार' के स्थान पर 'अस्वीकृत' पढ़िये ।

पृष्ठ 492, पंक्ति 4, 'अस्वीकृति' के स्थान पर 'अस्वीकृत' पढ़िये ।

पृष्ठ 492, पंक्ति 10, 'अस्वीकृत हुआ' के स्थान पर 'अस्वीकृत हुए' पढ़िये ।

पृष्ठ 496, नीचे से पंक्ति 5, 'प्रस्ताव स्वीकृति हुआ' के स्थान पर 'प्रस्ताव स्वीकृत हुआ' पढ़िये ।

पृष्ठ 497, पंक्ति 4, 'जोड़ा गया' के स्थान पर 'जोड़ दिया गया' पढ़िये ।

पृष्ठ 497, पंक्ति 10 के आगे संशोधन संख्या '(14)' पढ़िये ।

पृष्ठ 497, नीचे से पंक्ति 3, 'प्रस्ताव किया गया' के स्थान पर 'प्रस्ताव स्वीकृत हुआ' पढ़िये ।

पृष्ठ 497, अंतिम पंक्ति, 'अधिनियम सूत्र' के स्थान पर 'अधिनियमन सूत्र' पढ़िये ।

पृष्ठ 498, प्रथम पंक्ति के नीचे 'कि अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।' अन्त:स्थापित करिये ।

पृष्ठ 498, पंक्ति 10 के सामने संशोधन संख्या '(13)' के स्थान पर '(12)' पढ़िये ।

पृष्ठ 499, पंक्ति 16, 'श्री सोमनाथ चटर्जी' के स्थान पर 'श्री सोमनाथ चटर्जी' पढ़िये ।

पृष्ठ 509, नीचे से पंक्ति 2, 'संशोधित रूप' के स्थान पर 'संशोधित रूप में' पढ़िये ।

लोक सभा

सोमवार, 5 मई, 1986/15 वैशाख, 1908 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मैं सभा को अपने मित्र, श्री बी० वी० देसाई के, जो वर्तमान सभा के सदस्य थे और कर्नाटक के रायचूर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, दुःखद निधन की सूचना देता हूं। वे 1980-84 के दौरान सातवीं लोक सभा के भी सदस्य थे।

इससे पूर्व वे 1957-62 में कर्नाटक विधान सभा के भी सदस्य रहे थे।

कुशल सांसद श्री देसाई ने सभा की कार्यवाहियों में गहरी रुचि ली। वे सार्वजनिक उपक्रमों सम्बंधी समिति 1985 के सदस्य भी रहे।

पेशे से वकील, श्री देसाई एक कृषक भी थे और उन्होंने भूमि सुधारों में गहरी रुचि दिखाई। श्री देसाई 1970 से 1972 तक कर्नाटक राज्य वित्त निगम के उपाध्यक्ष भी रहे।

श्री देसाई का 4 मई, 1986 को 64 वर्ष की आयु में बम्बई में निधन हो गया।

हम अपने मित्र के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हैं और मैं इस सभा के साथ शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं।

सदस्य अपना दुःख व्यक्त करने के लिए कुछ क्षण के लिए मौन खड़े हों।

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

राष्ट्रीय मत्स्य निगम

*907. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एक राष्ट्रीय मत्स्य निगम स्थापित करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) कब तक इस निगम को स्थापित करने की संभावना है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं। तथापि, सरकार एक राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड स्थापित करने के बारे में विचार कर कर रही है।

(ख) तथा (ग) प्रस्तावित राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के सम्बन्ध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद द्वारा तैयार की जा रही है। यह रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

श्री चिन्तामणि जेना : यह बड़े हर्ष की बात है कि सरकार देश में मछुआरों, जो समाज के निर्धनतम लोग हैं, की आर्थिक दशा सुधारने के लिए मत्स्य पालन के विकास में गहरी रुचि ले रही है। इस संस्थान से अपना प्रतिवेदन कब देने के लिए कहा गया था, इस मत्स्य विकास बोर्ड के क्या कार्य होंगे और इसके कब से कार्य शुरू करने की संभावना है ? इस मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार एफ०एफ०डी०ए० की 50 योजनाए सातवीं योजना में कार्यान्वित की जानी हैं। इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है तथा एफ०एफ०डी०ए० की योजनाओं का क्या हुआ जिनकी बढ़ी हुई अवधि 31 मार्च, 1986 को समाप्त हो गई ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : माननीय सदस्य ने एक पूरक प्रश्न में कई प्रश्न एक साथ जोड़ दिए हैं जो एक विषय पर न हो कर अनेकों विषयों पर हैं। भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद से जल्दी-से-जल्दी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है और हमें आशा है कि यह शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के कार्यों में मछली की आवश्यक मात्रा में पूर्ति की प्रणाली अपनाना, संसाधन सर्वेक्षण मूल्यांकन और निगरानी उप-प्रणाली लागू करना, मत्स्य पालन को कार्यरूप देना और प्रबन्ध, संवर्ग प्रशिक्षण और विस्तार उप-प्रणाली योजना चलाना, मत्स्य ऋण उप-प्रणाली लागू करना मत्स्य उत्पाद विकास और संवर्धन, मत्स्य वितरण और विपणान, मत्स्य नियंत्रण प्रणाली का कार्य शामिल है। बोर्ड को ये सभी कार्य करने होंगे।

भारतीय प्रबन्ध संस्थान से कहा गया था कि वह फरवरी, 1986 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करा दें। परन्तु उसने अपना प्रविवेदन नहीं दिया। आशा है कि वह फरवरी, 1986 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगा।

श्री चिंतामणि जेना : मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया है। वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार एफ०एफ०डी०ए० की 50 योजनाएं सातवीं योजना में कार्यान्वित की जाने वालीं थीं। इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ? एफ०एफ०डी०ए० ने छठी योजना में अपना कार्य करना आरम्भ किया था और इसकी बढ़ी हुई अवधि 31 मार्च, 1986 को समाप्त हो गई है। इन योजनाओं की अब क्या स्थिति है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : एफ०एफ०डी०ए० का सम्बन्ध इस प्रश्न से नहीं है। परन्तु फिर भी मैं माननीय सदस्यों को यह सूचित करता हूं कि हम इस पर विचार कर रहे हैं।

श्री चिंतामणि जेना : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि यद्यपि, भारत सरकार अपना मछली विकास निगम स्थापित नहीं कर रही है, भारत सरकार विभिन्न राज्यों में कार्य कर रहे राज्यों के सरकारी निगमों को विदेशों से पोत और मछली पकड़ने वाले जहाजों का आयात करने के लिए चार्टर लाइसेंस जारी कर प्रोत्साहन नहीं दे रही है ? दूसरी ओर गैर-सरकारी कम्पनियों को अधिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न कर रहे हैं अथवा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं ?

श्री चिंतामणि जेना : ठीक है, श्रीमन् मैं इस बारे में नहीं पूछता। भारत सरकार द्वारा उन गैर-सरकारी कम्पनियों को अधिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है जिनका मत्स्य पालन में कोई अनुभव नहीं है। राज्यों के सरकारी निगमों को प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उड़ीसा सरकार के निगम, ओ०एम०सी०ए०डी० ने पोत और मछली पकड़ने वाले जहाजों के आयात के लिए चार्टर लाइसेंस की अवधि बढ़ाने के लिए कहा है ? यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : इसका मुख्य प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि माननीय सदस्य की इसमें रुचि है तो वे मुझे पत्र लिख सकते हैं अथवा पृथक प्रश्न कर सकते हैं।

श्री पी० वेंचालैय्या : क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि प्रायः विदेशी मछुआरे हमारी जल सीमा में प्रवेश कर जाते हैं, हमारी जल सम्पदा का दोहन करते हैं और हमारे मछुआरों को धमकी देते है ···।

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। माननीय सदस्य कृपया पहले प्रश्न को पढ़ें और उसके बाद पूरक प्रश्न करें। प्रसंग से बाहर मत जाइए।

[हिन्दी]

पर्वतीय क्षेत्रों में धान का कम उत्पादन

*908. **श्री हरीश रावत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के पर्वतीय क्षेत्रों में उत्पादन लागत अधिक होने तथा कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी धान का प्रति एकड़ उत्पादन अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम होता है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों को स्थानीय जलवायु तथा भूमि की स्थिति के लिए उपयुक्त अच्छी किस्म के धान के बीज नहीं दिए जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्वतीय क्षेत्रों में धान की खेती को प्रोत्साहन देने तथा प्रति एकड़ इसके उत्पादन में वृद्धि कराने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

[अनुवाद]

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) देश के कुछ पहाड़ी जिलों में धान का प्रति हैक्टर उत्पादन अखिल भारतीय औसत की तुलना में कम है, परन्तु यह कुछ अन्य पहाड़ी जिलों के मुकाबले अधिक है। अत: अन्तिम रूप से यह मान लेना सम्भव नहीं है कि देश के पहाड़ी क्षेत्रों में धान की उत्पादकता कम है।

(ख) कृषि जलवायु की विभिन्न परिस्थितियों के लिए, जिनमें पहाड़ी क्षेत्र भी शामिल हैं, उपयुक्त धान के बीज हर साल केन्द्रीय और राज्य बीज उत्पादक संगठनों द्वारा किसानों को सप्लाई किए जाते हैं। बहरहाल, भू-भाग की कठिन स्थितियों, संचार सुविधाओं की कमी और गोदाम आदि जैसी मूल सुविधायें काफी न होने की वजह से यह कार्य कठिन है।

(ग) पहाड़ी क्षेत्रों में धान का प्रति हैक्टर उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार निम्न कदम उठा रही है :—

(1) अधिक उपज देने वाली उपयुक्त किस्में विकसित करना।

(2) ऐसे बीजों का वर्धन और वितरण और उर्वरक, वनस्पति रक्षण रसायन तथा ऋण जैसे अन्य आवश्यक आदान किसानों को मुहैया करना।

(3) विस्तार प्रणाली के जरिए किसानों में नई प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय करना।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री महोदय को यह ज्ञात है कि देश के पर्वतीय क्षेत्रों में हर डिस्ट्रिक्ट की जलवायु और उस जलवायु के अनुरूप जो वहां उत्पादित होने वाली चीजें हैं, उनमें अलग-अलग तरीके से कुछ अन्तर रहता है, उसको देखते हुए यह जरूरी है कि वहां जो भी बीज कृषकों को दिए जाएं वे ऐसे हों जो वहां की जलवायु के अनुकूल हों। अभी मैदानी क्षेत्रों में उत्पादित बीज वहां के कृषकों को दिए जाते हैं, उसकी वजह से वहां प्रति एकड़ उत्पादन चाहे धान का हो या गेहूं का हो या दूसरी फसलों का हो, वह बढ़ नहीं पाता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में देश के पर्वतीय क्षेत्रों की प्रत्येक जनपद में आप ऐसे बीज संवर्धन केन्द्रों की स्थापना करेंगे जिनमें उत्पादि बीजों को वहां के स्थानीय कृषकों को उपलब्ध करवाया जा सके, ताकि वहां प्रति एकड़ धान की उपज को बढ़ाया जा सके ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : हिल एरियाज में खास कर जो उत्तर प्रदेश के हिली एरियाज हैं वहां धान का उत्पादन बढ़ाने के लिए नयी वेराइटीज भी हम ने डेवलप की है। जहां तक सीड-उत्पादन का सवाल है इस के लिए भी हमने काफी प्रोविजन सातवीं पंच वर्षीय योजना में किया है। स्पेशल राइस प्रोडक्शन प्रोग्राम इन दि ईस्टर्न स्टेट्स जो लिया जाने वाला है 105 करोड़ का उसमें गांवों में सीड उत्पादन करने के लिए किसानों को मदद करने का कम्पोनेन्ट भी है।

श्री हरीश रावत : माननीय मंत्री जी के उत्तर से जो कुछ मैं जानना चाहता था वह कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया। मैं अनुरोध करूंगा, क्योंकि उनके विभाग ने उनको आंकड़े उपलब्ध करवाए होंगे, पिछले दस सालों में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में एक तो पन्त नगर कृषि विश्वविद्यालय कार्यरत है जो बीज उत्पादन का कार्य कर रहा है कृषकों के लाभ के लिए और दूसरा विवेकानन्द अनुसन्धानशाला अल्मोड़ा में काम कर रहा है, उनके सारे एफर्टस के बावजूद प्रति हेक्टर उत्पादन में पर्वतीय क्षेत्र में केवल 32 के जी की वृद्धि हुई है जो अपने आप में काफी न्यून है। आप अपने आंकड़ों से इस को जांच करके देख लीजिएगा। तो मैं जानना चाहूँगा कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में पन्त नगर कृषि विश्वविद्यालय और विवेकानन्द अनुसन्धानशाला के सामने कोई ऐसा लक्ष्य निर्धारित करेंगे ताकि वह ऐसे बीजों का अधिकतम उत्पादन करें जो पर्वतीय क्षेत्र के किसानों के अनुकूल है और जिस से वहां पर प्रति एकड़ धान का उत्पादन बढ़ाया जा सके ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैंने पहले ही बताया कि जो बीज उत्पादन किया है इन लोगों ने खासकर विवेकानन्द पर्वतीय अनुसन्धान केन्द्र और दूसरा जो एक केन्द्र है, इन दोनों ने वी एल

धान 39 हिमालया (1) और हिमालया (2) विकसित किया है हिली एरियाज़ के लिए लेकिन फिर भी हिली एरियाज़ में जो इन्फ्रा-स्ट्रक्चर है वह पूरा नहीं है। ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है जिस से बीज, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स को ले जाने में दिक्कत होती है। वहां सीड प्रोडक्शन की भी कमी है। लेकिन फिर भी जब हम देखते हैं तो हिली एरियाज़ में इतना तो कम नहीं है जितना माननीय सदस्य ने कहा है। मेरे पास जो आंकड़े उपलब्ध हैं उस के आधार पर मैं कह सकता हूं कि पूरे भारत का जो प्रोडक्शन है उस में कुछ हिल एरियाज का बहुत अच्छा प्रोडक्शन है, खास कर के नैनीताल नम्बर 1 पर आता है और देहरादून और उत्तरकाशी में भी उत्पादन अच्छा है। ....(व्यवधान)....इन सब जगहों में प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक है। फिर भी जो ओवर-आल एवरेज है 1424 उस से बहुत डिफरेंस नहीं है।

श्री संतोष मोहन देव : अध्यक्ष महोदय, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में झूमियों की खेती को विभिन्न स्तरों के कारण निरुत्साहित किया जाता है। क्या मैं जान सकता हूं कि मंत्रालय द्वारा क्या वैकल्पिक कदम उठाए जा रहे हैं और उस क्षेत्र में किन योजनाओं पर विचार किया जा रहा है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय यह बिल्कुल एक पृथक प्रश्न है। झूमियां खेती करने वालों को पहाड़ियों की तलहटी में बसाने की एक पृथक योजना है। यह बिलकुल एक अलग योजना है ... इसका इस प्रश्न के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है और इसका चावल की खेती से भी कोई सम्बन्ध नहीं है। यह केवल झूम खेती करने वालों की समस्या से निपटाने के लिए है और उन्हें पहाड़ी की तलहटी में बसाने के लिए है। इसके बारे में एक योजना है।

अध्यक्ष महोदय : हां श्री कुलनदई वेलू, देखें आप क्या नई बात कहते हैं।

श्री पी० कुलनदई वेलू : अध्यक्ष महोदय, आप तो कृषि पंडित हैं और आपको धान तथा अन्य फसलों के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। सभा पटल पर रखे गए विवरण में मंत्री महोदय ने धान उत्पादन का अखिल भारतीय औसत बताया है। उनके अनुसार कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में यह अखिल भारतीय औसत से भी अधिक है। मैं यह जानना चाहता हूं कि किन क्षेत्रों में उत्पादन अखिल भारतीय औसत से अधिक है। दूसरे, ऐसे बीजों के गुणान और वितरण के सम्बन्ध में, हमारे धान की गुणान दर भी फिलीपीन की तुलना में बहुत ही कम है।

मैं जानना चाहूंगा कि क्या अनेक अनुसधान केन्द्रों में अपनाई गई नई प्रोद्योगिकी के कारण, भारत सरकार अभी तक कोई संकर किस्म या अल्पकालीन किस्म खोज पाई है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : जहां तक उनके प्रश्न के मुख्य भाग का संबंध है, यह औसत पैदावार के संबंध में है। सम्पूर्ण भारत की औसत पैदावार 1424 कि०ग्रा० प्रति हेक्टेयर है एक अन्य राज्य गुजरात है जिसकी पैदावार अखिल भारतीय औसत से अधिक 1480 कि०ग्रा० प्रति है। उसके बाद हरियाणा की 2447 कि०ग्रा० और कर्नाटक की 2053 कि०ग्रा० है।

श्री पी० कुलन्दईवेलू : पहाड़ी इलाकों के बारे में क्या स्थिति है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : जम्मू और कश्मीर में यह 2069 कि०ग्रा० प्रति हेक्टेयर है। वहां पहाड़ी क्षेत्र है। हिमाचल प्रदेश में यह 1236 कि०ग्रा० प्रति हेक्टेयर है।

श्री पी० कुलन्दईवेलू : यहां घाटी है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : श्रीमन् यह घाटी और पहाड़ी क्षेत्र इत्यादि में कोई अन्तर नहीं किया गया है जब वे राज्य के आंकड़े देते हैं। तो वे पूरे राज्य के आंकड़े देते हैं अन्तर नहीं करते और वे जिलेवार आंकड़े नहीं देते। मुझे सम्पूर्ण राज्य के आंकड़े प्राप्त हुए हैं।

श्री पी० कुलन्दईवेलू : पहाड़ी क्षेत्रों की पैदावार अखिल भारतीय औसत से अधिक नहीं हो सकती।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं आपको जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि के राज्यवार आंकड़े दे सकता हूं। जहां तक राज्यों का संबंध है, वहां अनेक ऐसी किस्में हैं जिन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और अन्य अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित किया गया है। यहां मेरे पास सूची नहीं है लेकिन मैं आपको वह किस्में लिखकर भेज दूंगा जिन्हें हाल ही में विकसित किया गया है।

श्री पी० कुलन्दईवेलू : क्या कोई अल्पकालीन किस्म भी है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : अल्पकालीन किस्म है; रोग प्रतिरोधक किस्म है, इन सबकी सूची मैं भेज दूंगा।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए फसल बीमा योजना

*910. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन ने संघ राज्य क्षेत्र में फसल बीमा के लिए एक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) जी हां। संघ शासित क्षेत्र अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह ने खरीफ, 1985 से केन्द्रीय सरकार द्वारा तैयार की गई वृहत्त फसल बीमा योजना लागू की है। उन्होंने संघ शासित क्षेत्र में लागू किये जाने के लिए कोई पृथक फसल बीमा योजना तैयार नहीं की है।

श्री मनोरंजन भक्त : श्रीमन्, अध्यक्ष महोदय, यह इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि नौकरशाही किस तरह मंत्री महोदय को संसद में गलत स्थिति और उत्तर देने के लिए बाध्य कर रही है। क्योंकि यहां मेरे पास एक प्रश्न है जिसका कृषि मंत्री ने कुछ समय पहले 10 मार्च, 1986 को उत्तर दिया है। यह प्रश्न सं० 2120 है। इसके उत्तर में उन्होंने बताया है कि संघ राज्य क्षेत्रों में केवल पांडिचेरी में यह फसल बीमा योजना लागू की गई है और किसी अन्य राज्य में यह फसल बीमा योजना कार्यान्वित नहीं की गई है। अब मंत्री महोदय यह उत्तर दे रहे हैं। यही कारण है कि मैं उनसे यह जानना चाहता हूं—यह मेरा पहला अनुपूरक प्रश्न है—कौन सा उत्तर ठीक है—क्या पहला उत्तर सही है अथवा यह उत्तर ठीक है।

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : इसमें कुछ अस्पष्ट नहीं है। उन्होंने पूछा है कि क्या अण्डमान और निकोबार प्रशासन के लिए एक पृथक योजना बनाई गई है अथवा नहीं। मेरे सहयोगी ने उत्तर दिया है कि कोई पृथक योजना नहीं है लेकिन एक साधारण योजना है। वह अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह सहित सम्पूर्ण देश में लागू की गई है। अन्तर कहां हैं ?

श्री मनोरंजन भक्त : प्रश्न यह है कि क्या अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में व्यापक फसल बीमा योजना लागू की गई है अथवा नहीं। प्रश्न सं० 2120 के उत्तर में उन्होंने स्वीकार किया है कि अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में फसल बीमा योजना लागू नहीं की गई है। अब उन्होंने कहा है कि यह लागू की गई है। मैं नहीं जानता कि ठीक क्या है।

श्री बूटा सिंह : इस प्रशासन ने अपना प्रस्ताव बहुत देर से रखा था और विलम्ब को कृषि मंत्रालय के हस्तक्षेप से माफ कर दिया गया था। जब पहले प्रश्न पूछा गया था तब उन्होंने अपना प्रस्ताव नहीं रखा था। उन्होंने इसे बाद में भेजा था। अब विलम्ब को अनदेखा कर दिया गया है और उनका मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है।

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, अब मैं अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछता हूं। खरीफ और रबी की फसलों के लिए व्यापक फसल बीमा योजना के अन्तर्गत आने वाले ऐसे मामलों में लाभभोगियों की कुल संख्या क्या है ?

इसके अंतर्गत लाया गया कुल क्षेत्र कितना है और अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के लिए बीमा की कुल कितनी राशि सुनिश्चित की गई है। ये मेरे प्रश्न हैं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय, मेरे वरिष्ठ सहयोगी ने अभी माननीय सदस्य को बताया था कि अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा सूचना नहीं भेजी गई थी। (व्यवधान), मुझे अंडमान और निकोबार प्रशासन को छोड़कर सभी राज्यों से सूचना प्राप्त हुई है। उन्होंने बीमा

प्रभार की सूचना भेजी है अर्थात् प्रीमियम प्रभार क्या है। उन्होंने बीमा की राशि नहीं दी है। उन्होंने दावों की संख्या नहीं दी है, उन्होंने उन किसानों की संख्या नहीं दी है जिन्होंने बीमा करवाया है मैं इसका उत्तर कैसे दे सकता हूं। केवल एक बात जो अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा भेजी गई है वह यह है कि 17,485 रु० बीमा प्रभार अर्थात् प्रीमियम के रूप में रखे गए हैं। इसके अतिरिक्त कोई अन्य सूचना अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा नहीं भेजी गई है।

अध्यक्ष महोदय : जब कभी सूचना प्राप्त हो, आप उसे श्री भक्त को भेज दीजिएगा। अब, श्री डी० एन० रेड्डी अपनी बात कहें।

श्री मनोरंजन भक्त : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं। यही बात संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में घटित हो रही है। जब मैंने प्रश्न गृह मंत्रालय जिसे उत्तर देना था, के सामने इसे रखा था तब इसे यह कहकर अन्य मंत्रालयों को भेज दिया गया था कि वह उत्तर देगें और उन्होने बताया था कि उन्हें सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए, आप हमें बताएं कि इन संघ राज्य क्षेत्रों के हितों की कैसे रक्षा की जायगी। (व्यवधान)

श्री डी० एन० रेड्डी : महोदय, क्या माननीय मंत्री महोदय सदन को यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने राज्यों में फसल बीमा योजना लागू की गई है और योजना मे कितने लाभभोगी लाभ उठा रहे हैं; यदि नहीं तो किस वर्ष तक यह योजना सारे देश से कार्यान्वित की जाएगी ?

अध्यक्ष महोदय : वह यह बता सकते है···

(व्यवधान)

श्री योगेन्द्र मकवाना : 14 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों में 1985-86 की रबी की फसल के दौरान यह योजना लागू की गई है और 1985 में खरीफ की फसल में बीमे की राशि लगभग 541 करोड़ रु० थी। वसूल किया गया बीमा प्रभार लगभग 9.33 करोड़ रु० था, दावों की संख्या 1,793 और 98. 46 करोड़ रु० के दावे किए गए हैं। (व्यवधान)

ठेका श्रमिक

*911. **श्री थम्पन थामस :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) संशोधन अधिनियम, 1986 के इस प्रवर्ती उपबंध को किसी संस्थान में एक वर्ष तक काम करने वाले प्रत्येक श्रमिक को नियमित रूप में नियुक्त किया जाएगा, सरकारी क्षेत्र के संगठनों में कार्यान्वित किया गया है ; और

(ख) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के प्रमुख नियोजकों अर्थात राज्य व्यापार निगम, धातु तथा खनिज व्यापार निगम, पत्तनों तथा सरकारी स्वामित्व वाली नौवहन कम्पनियों को परामर्श दिया है कि वे ठेके पर काम करने वाले श्रमिकों को नियमित करें ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 में श्रमिकों को नियमित करने के लिए कोई उपबंध नहीं है। ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 में केवल "समुचित सरकार" की परिभाषा में 1986 के अधिनियम संख्या-14··· द्वारा संशोधन किया गया है ताकि इसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में निर्दिष्ट "समुचित सरकार" की परिभाषा के अनुरूप बनाया जा सके।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री थम्पन थामस : महोदय, ठेका श्रम (उत्सादन) अधिनियम के अन्तर्गत, वे श्रमिक जिन्हें स्थायी श्रमिक समझा जाता है और जो उत्सादन कार्य में लगे होते हैं, ठेके पर किसी भी श्रमिक को नियुक्त नहीं किया जा सकता। औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत भी मुख्य सिद्धान्त यह है कि वह श्रमिक जिसने 240 दिन कार्य किया है, उसे स्थायी श्रमिक समझा जाता है और उसे हमेशा स्थायी रूप से काम करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है अब, वर्तमान स्थिति यह है कि एक व्यक्ति सार्वजनिक उपक्रम के लिए 100 श्रमिक भेज सकता है, और वह उन 100 श्रमिकों को जो मिलता है उस से अधिक प्राप्त कर सकता है। श्रमिकों के शोषण का यह स्वरूप है। सरकार के पास गोदी श्रमिक बोर्ड जैसी योजना है जिसमें काम के हिसाब से श्रमिक लगाए जाते हैं और गैर सरकारी नियोजकों द्वारा श्रमिकों को काम पर लगाने की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है। क्या सरकार इस अनिवार्य उपबन्ध की व्यवस्था करेगी और सभी सार्वजनिक उपक्रमों में ऐसी योजना बनाएगी ? मानव और श्रम की प्रतिष्ठा को बनाए रखना होगा। मानव की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए क्या सरकार वास्तव में ऐसी व्यवस्था करेगी ?

श्री पी० ए० संगमा : महोदय यह अधिनियम ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम है। इस अधिनियम में हर स्थान पर ठेका श्रम के उत्पादन की व्यवस्था नहीं है। यह व्यवस्था केवल उन क्षेत्रों के लिए है जिनमें नियमित प्रकार का कार्य होता है केवल इन क्षेत्रों में ही ठेका श्रम प्रणाली को समाप्त किया जाएगा और जहां यह सम्भव नही है। वहां यह ठेका श्रम प्रणाली चालू रहेगी। अतः वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत हर क्षेत्र में ठेका श्रम प्रणाली को समाप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री थम्पन थामस : महोदय, मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है, कि मैं जानता हूं कि ऐसा देखा गया है इस अधिनियम का पालन किए जाने की अपेक्षा इसका उल्लंघन अधिक हुआ है। लगभग सभी क्षेत्रों में ऐसा हो रहा है। क्या सरकार इसकी जांच करने तथा सुझाव देने के लिए एक ऐसी उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन करेगी, जिसमें संसद सदस्य भी शामिल हों ?

श्री ए० पी० संगमा : महोदय केन्द्र स्तर पर स्वयं श्रम मंत्री की अध्यक्षता में पहले ही एक केन्द्रीय सलाहकार समिति है। राज्य स्तर पर भी सलाहकार बोर्ड हैं, जो सम्बन्धित राज्य सरकार के श्रम मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करते हैं।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम अध्यक्ष महोदय, सरकारी क्षेत्र के निगम अब सुरक्षा के नाम पर ठेका श्रम प्रणाली को अपना रहे हैं। विशेषरूप से. मैं एस० टी० सी, एम० एम० टी० सी, बी० एच० ई० एल, जैसी अत्यधिक लाभकारी सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों का उदाहरण दे सकता हूं। क्या श्रम मंत्रालय ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम के अन्तर्गत इसमें हस्तक्षेप करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करने पर विचार कर रहा है? आखिरकार, सुरक्षा एक स्थायी कार्य है न कि अस्थायी। क्या मन्त्रालय इसमें हस्तक्षेप करेगा और शीघ्र ही ठेका श्रम प्रणाली को समाप्त करेगा और इस बात पर बल देगा कि जो श्रमिक इस समय ठेका प्रणाली के आधार पर कार्य कर रहे हैं उन्हें नियमित आधार पर खपाया जाय?

श्री पी० ए० संगमा : महोदय, इस प्रश्न के पहले भाग के सम्बन्ध में, मैं सुरक्षा के सम्बन्ध में अवश्य जांच करूंगा, क्योंकि इस बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

जहां तक इस प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, अर्थात् क्या वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें उस निगम में स्थायी तौर पर रखा जा सकता है या नहीं, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। यही सारी समस्या है। अतः कुछ मामलों में, हमें इस समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वर्तमान अधिनियम में उन श्रमिकों को खपाने का कोई उपबन्ध नहीं है। पिछली बार जब विधेयक पर यहां चर्चा की गई थी, तो सभा में यह मांग की गई थी कि इस अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए। महोदय, मैंने सभा में यह आश्वासन दिया था कि हम इस अधिनियम में परिवर्तन करने के लिए विचार कर रहे हैं।

डा० दत्ता सामंत : महोदय, इस सभा में अनेक बार ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम के बारे में यह कहा गया है कि इस अधिनियम में ठेका श्रमिकों को स्थायी करने के लिए कोई उपबन्ध नहीं है। सरकारी क्षेत्र ही नहीं, यहां तक कि गैर सरकारी क्षेत्र के लिए भी, इस अधिनियम में कोई उपबन्ध नहीं है। यदि ठेका श्रमिक की सेवाएं समाप्त कर दी जाती है; तो हम इसे पुनः शुरू किए जाने के लिए अदालत में नहीं जा सकते। इस अधिनियम में कोई उपबन्ध नहीं है कि कितने प्रतिशत श्रम ठेका श्रमिक होने चाहिए। एक व्यक्ति 100 प्रतिशत श्रमिक ठेका श्रम प्रणाली के अन्तर्गत ठेके पर नियुक्त कर सकता है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के 40 वर्ष बाद भी हमारे यहां ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम हैं, जबकि इन श्रमिकों को स्थायी करने का कोई उपबन्ध नहीं है, जबकि यहां 5 करोड़ बेरोजगार लोग हैं। प्रत्येक क्षेत्र में, सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में ठेके पर कार्य करने वाले, नैमित्तिक मजदूरों, बदली, प्रशिक्षार्थी और प्रशिक्षुओं की संख्या स्थायी श्रमिकों का 50 प्रतिशत से अधिक है।

विषय की गम्भीरता को देखते हुए, क्या सरकार—मैं जानता हूं, मैंने दोनों मंत्रियों के भाषण सुने हैं कि इसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए ! परन्तु कब ? सरकार वास्तव में कब यह विचार करेगी कि यह सभी अधिनियम, मुख्य रूप से इस सन्दर्भ में ठेका श्रम (विनियमन तथा उत्सादन) अधिनियम में, श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करते हुए, परिवर्तन किया जाना चाहिए। कितने समय में ऐसा होगा, मैं मंत्री महोदय से—एक सप्ताह, एक वर्ष, 5 वर्ष अथवा 10 वर्ष का आश्वासन चाहता हू। ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है।

श्री पी० ए० संगमा : मैंने पहले ही इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

[हिन्दी]

श्री मदन पाडे : कान्ट्रेक्ट लेबर के एबोलीशन के बारे में बहुत बड़ी अड़चन जो आया करती है वह यह है कि कौन सा काम पैरीनियल नेचर का है और कौन सा नही है। जितनी भी कमेटीज अब तक बनी हैं, उन सब ने कहा है कि जो ठेकेदारी प्रथा है, उस को समाप्त किया जाए लेकिन कहां कहां पर ठेकेदारी प्रथा लागू की जाए और कहां पर न की जाए, इस सम्बन्ध में कोई निर्णय अभी तक नहीं हो पाया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हू कि क्या वे इस प्रकार की कोई एक्सपर्ट लोगों की कमेटी बैठा कर यह निर्णय निर्धारित करवाएगें कि फलां फलां जगह पैरीनियल नेचर का काम है और वहां ठेकेदारी सिस्टम नहीं होना चाहिए जैसे कैंटीन है, वहां पर पैरीनियल नेचर का वर्क है। हर कारखाने में वह होती है और आम तौर पर देखा गया है कि वहां पर ठेकेदारी सिस्टम चलाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, आप बैठिये, इस का जवाब तो पहले मिल चुका है।

[अनुवाद]

इसका जवाब पहले ही दिया जा चुका है।

बिहार में सोने की खानें

*912. **श्रीमती प्रभावती गुप्त** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में सोने की कितनी खानों का पता लगा है;

(ख) पाए गए सोने का गुण-प्रकार कैसा है; और

(ग) इसे शुद्ध करने के पश्चात् देश को कितना सोना उपलब्ध होगा ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) इस समय बिहार में कोई चालू स्वर्ण खान नहीं है। बिहार में स्वर्ण का उत्पादन, हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड

द्वारा तांबे के इलेक्ट्रोलाइटिक शोधन से उपोत्पाद के रूप में किया जाता है। तथापि, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और खनिज अन्वेषण निगम लि० सिंहभूम, रांची और मुंगेर जिलों में कई स्थानों पर स्वर्ण की खोज कर रहे हैं। यह खोज कार्य 1988 तक पूरा होने की आशा है। स्वर्ण की मात्रा और किस्म का आकलन इस व्यापक खोज कार्य के पूरा होने के बाद ही किया जा सकेगा।

[हिन्दी]

श्रीमती प्रभावती गुप्त : मान्यवर मेरा पहला पूरक प्रश्न यह है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि बिहार में वर्तमान में कोई गोल्ड खदाने नहीं हैं और जो सोने का उत्पादन होता है, वह हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड द्वारा तांबे के इलेक्ट्रोलाइटिक शोधन से बाई-प्रोडक्ट के रूप में किया जाता है और इसमें यह भी बताया गया है कि बिहार के मुंगेर, सिंहभूम और रांची जिलों में सोने के लिए अन्वेषण कार्य चल रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिमी चम्पारण और रोहतास की पहाड़ियों के पास में जो सोन नदी बहती है उसके बालू में सोने के कण मिलते हैं ? क्या इन स्थानों पर सरकार अन्वेषण कार्य चलायेगी, कब तक चलायेगी और कब तक वह समाप्त होगा क्योंकि सोने के प्रमाण वहां मिलते हैं ?

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : माननीय सदस्या ने जो प्रश्न पूछा है उस पर जल्दी ही कंसीडर किया जायेगा।

श्रीमती प्रभावती गुप्त : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहती हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी हैं कि पूरे राष्ट्र में स्वर्ण के उत्पादन में गिरावट आ रही है ? मैं यह भी जानना चाहती हूं कि पूरे देश में स्वर्ण की कितनी खानें हैं और किस क्वालिटी का सोना हमारे देश में उत्पादित होता हैं ?

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : सवाल तो बहुत लम्बा है। जो सोना हम लोगों को मिलता हैं वह पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज से मिलता है। सेन्ट्रल पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज के मातहत हमारी गोल्ड माइंस हैं, वहां से हमको सोना मिलता है। बिहार में हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के माध्यम से हम को सोना मिलता हैं। सन् 1984-85 में 2,026,51 के० जी० गोल्ड हमको मिला और 1,091,21 के०जी० गोल्ड हमको भारत गोल्ड माइंस से मिला था।

अध्यक्ष महोदय : वह बिहार के लिए पूछ रही हैं, वह बता दीजिए। बिहार में होता है या नहीं यह बता दीजिए।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : पूरे देश में एक कर्नाटक से सोना मिलता है, दूसरे बिहार में बाई-प्रोडक्ट से सोना मिलता है। बाकी जगह एक्सप्लोरेशन चल रहा है। जब एक्सप्लोरेशन के रिजल्ट आ जायेंगे तब उसकी वाएब्लिटी का पता चलेगा।

श्रीमती प्रभावती गुप्त : मैं यह भी जानना चाहती हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में स्वर्ण के उत्पादन में वृद्धि के लिए कितनी राशि तय की गई है ?

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : सातवीं पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में मैं क्या कहूं ? अभी एक्सप्लोरेशन के लिए पंचवर्षीय योजना चल रही है। वह 1982 में शुरू हुई थी और 1988 में समाप्त होने जा रही है।

[अनुवाद]

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :—मैं माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह तथ्य है कि सिंहभूम जिले में सुवर्णरेखा नाम की एक नदी है। पिछली कुछ शताब्दियों से, ऐसी कथाएं है,···यह पाया गया है और यह केवल दन्तकथा ही नहीं है·····कि सुवर्णरेखा नदी में (व्यवधान)···· मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि पिछली कुछ शताब्दियों से गांवों के लोग सुवर्णरेखा नदी के पानी को छानने के बाद और सुवर्णरेखा नदी के रेत को दस बार छानने के बाद सोना एकत्र करते थे और केवल पांच वर्ष पहले तक वहां मेला लगता था। अभी भी ग्रामवासियों द्वारा 24 घन्टे तक रेत छानने की प्रक्रिया से 5 केरट और 6 केरट का सोना निकाला जाता। सुवर्णरेखा का थाला इसके लिए प्रसिद्ध है। सभी महान लेखको ने ग्रामवासियों की परंपरा पर आधारित कहानियां और उपन्यास लिखे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है और यदि हां, तो क्या यह देखने के लिए, कि 5 और 6 केरट का सोना नदी के रेत में से प्राप्त किया जाता है, क्या दृढ़ प्रयास किए जा सकते हैं

[हिन्दी]

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : सर मैंने पहले ही बतलाया कि सोना संथाल परगना और उसमें जो सिंहभूमि का रिवर वैल्ट है, वहां सोना चमकता हुआ मिलता है। जैसा कि माननीय सदस्य ने बतलाया कि वर्षों से वहां विलेजंस कुछ निकालते रहते हैं। हम लोगों को वायविलटी का पता एक्सप्लोरेशन वर्क जो चल रहा है, उसके रिजल्ट्स के बाद ही चलेगा।

[अनुवाद]

जब तक जी० एस० आई द्वारा परिणाम नहीं निकाले जाते।

श्री पी० कुलन्दईवेलू :— माननीय सदस्य ने अंग्रेजी में प्रश्न पूछा है। उत्तर भी अंग्रेजी में होना चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय :— कोई फर्क नहीं पड़ता।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैं सवाल भी कर सकता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : शान्ति···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति···आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ? मैं इसे कर सकता हूं।

ऐसी कोई परम्परा नहीं है कि यदि कोई सदस्य अंग्रेजी में प्रश्न करता है तो उसका उत्तर भी अंग्रेजी में ही दिया जाना चाहिए। आप किसी भी भाषा में बोल सकते हैं।

श्री पी० कुलनदईवेलू : यदि कोई सदस्य अंग्रेजी में प्रश्न पूछता है तो उसका उत्तर भी अंग्रेजी में ही होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं। मान लीजिए प्रश्न हिन्दी में किया जाता है और आप हिन्दी नहीं जानते तब आप क्या करेंगे ? आपको उत्तर अंग्रजी में देना पड़ेगा। यह चल रहा है। कृपया मेरा समय बर्बाद न कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कोई पूर्वोदहारण और कोई परम्परा नहीं है। इस सभा में प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। यहां साथ-साथ अनुवाद की सुविधा मौजूद है। आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

श्री बी० के गढ़वी : सारे देश में हमने कीमती धातुओं का सर्वेक्षण किया है। गुजरात में अरावली की पहाड़ियों के पास में, अम्बाजी में ताम्बा, जस्ता, सीसा, चांदी तथा सोना उपलब्ध है···।

अध्यक्ष महोदय : यह केवल बिहार के बारे में ही है।

श्री बी० के० गढ़वी : यह केवल सोने के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है, लेकिन सारे देश में नहीं। यदि बिहार के बारे में आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।

श्री बी० के० गढ़वी : यह एक आम प्रश्न है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि एक सुपर-स्मैल्टरिंग प्रोसेस संयंत्र न होने से उनका विदोहन नहीं किया जा रहा है और इस कारण से देश को हानि हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं। इस प्रश्न की अनुमति नहीं है। कृपया प्रश्न को देखिए और तब पूछिए।

दालों का उत्पादन लक्ष्य

*913. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1986-87 के लिए दालों का उत्पादन लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) वर्ष 1986-87 के लिए निर्धारित उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्यमंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) तथा (ख) : जी हां। 1986-87 के लिए दलहनों के सम्बन्ध में उत्पादन लक्ष्य 140 लाख मीटरी टन निर्धारित किया गया है।

(ग) इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित नीति अपनाई जा रही है :—

(1) सिंचित कृषि पद्धति में दोहरी और बहु-सस्य पद्धति जैसी दलहन फसलों का इस्तेमाल शुरू करना :

(2) निम्नलिखित के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षेत्र लाया जा रहा है :—

(क) रबी मौसम में अवशिष्ट नमी का इस्तेमाल करके चावल की परती भूमि में उड़द, मूंग आदि की अल्पावधि किस्मों में,

(ख) गर्मी के मौसम में तिलहनों, गन्ने, आलू और गेहूं के बाद सिंचाई करके,

(ग) मसूर के अन्तर्गत रबी में,

(3) सिंचित और असिंचित परिस्थितियों दोनों के अन्तर्गत सोयाबीन, बाजरा, कपास, गन्ना और मूंगफली में अरहर की अन्त; फसल लेना,

(4) उन्नत दलहनों के बीजों का वर्धन और उपयोग, पौध संरक्षण उपायों को अपनाना; फास्फेटयुक्त उर्वरकों और राइजोबियम कल्चर का उपयोग ; तथा

(5) फसल कटाई के बाद की उन्नत प्रौद्योगिकी; दलहनों की कीमत लगाने और उनके विपणन सहित सार्वजनिक नीतियां।

[हिन्दी]

श्रीमती माधुरी सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है कि वर्ष 1986-87 के लिए 140 लाख मीट्रिक टन दलहन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जो नीतियां निर्धारित की गई हैं, उनके लिए मैं बधाई देना चाहती हूं पर क्या राज्य सरकारों को ऐसे निर्देश दिए गए है कि अधिक दलहन उगाये वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाए ? (व्यवधान)

श्री योगेन्द्र मकवाना : ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है। भारत सरकार कृषि अवार्ड देती है, जो ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं। आपका सुझाव बहुत अच्छा है और राज्य सरकारों को ऐसे अवार्ड्स देने चाहिए, जो लोग अधिक उत्पादन करें।

श्रीमती माधुरी सिंह : इस समय कितना दलहन का आयात विदेशों से किया जाता है और इस आयात को कब तक बंद किया जाएगा ? (व्यवधान)

श्री योगेन्द्र मकवाना : इंपोर्ट फिगर्स तो अवेलेबल नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल व्यास : हमें न तो सवाल सुनाई दिया और न जवाब सुनाई दिया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : दोनों बीच में कहीं बहक गए हैं।

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रयास तो यही है कि दालों का उत्पादन इतना बढ़ाया जाए कि इंपोर्ट करना ही न पड़े, इसलिए हमारा ज्यादा से ज्यादा बल, इस बात पर है कि हम स्टेट्स को खासकर....

[अनुवाद]

सिंचित क्षेत्रों में तिलहनों तथा दालों की खेती की जाए लेकिन सरकार की ओर से दूसरा प्रयास उत्पादकों को अधिकतम सहायता पहुंचाना है। यदि आप देखें तो पाएंगे कि हम दालों के लिए जिस प्रकार समर्थन मूल्य प्रदान कर रहे हैं, उससे यह स्पष्ट है कि सरकार दालों का उत्पादन में सुधार बढ़ाने की इच्छुक है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री कुलन्दईवेलू, अब आप उत्तर अंग्रेजी में सुन सकते हैं। प्रश्न हिन्दी में था।

श्री पी० कुलनइवेलू : हमें कोई आपत्ति नहीं।

[हिन्दी]

डा० सी०पी० ठाकुर :अध्यक्ष महोदय, यह मानी हुई बात है कि बहुत दिनों से हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन दाल का उत्पादन नहीं बढ़ा पा रहे हैं। इसके लिए कुछ शोध हो रहा है और किसी वैरायटी का पौधा तैयार हुआ है जिससे उत्पादन बढ़े और सोयाबीन के उत्पादन को फैलाने के लिए भी प्रचार हो रहा है। कुछ दिन पहले एक न्यूज आइटम था कि भारत सरकार चाहती है कि इस तरह का तिलहन और दाल में उत्पादन बढ़े, लेकिन विदेशी सरकार नहीं चाहती हैं कि इस तरह की कोई प्रगति भारत सरकार की तरफ से हो। इस तरह का न्यूज आइटम था, इसलिए मैं चाहूँगा कि मंत्री महोदय इस पर कुछ प्रकाश डालें।

श्री योगेन्द्र मकवाना : जहां तक पलसेज के अनुसंधान का सवाल है, पन्द्रह मेन सेन्टर और चौदह सब-सेन्टर हैं। उन्होंने जो वैरायटी डवलप की है, वह मैं आपको बता देता हूँ।··· ···(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अरहर में बी०डी०ए०-1, बी०डी०एन०-2, (अधिक ऊपज वाली किस्म तथा मुरझाती नहीं है) एच०वाई-2, एच०वाई-3, एच०वाई-4 (अन्य फसलों के ऊपजाने के लिए उपयुक्त), बहार- (एस०एम०वी० रोग की प्रतिरोधी), मुक्ता, शारदा, डी०एल०-74, डी०एल०-84, एच०-77-208, एल०13 आदि। चने के बारे में सी-114, किस्म 3, के०-850।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से कोई अर्थ निकलने वाला नहीं है। यह सारा दे दीजिए।

श्री योगेन्द्र मकवाना : बहुत लम्बी लिस्ट है। 169 वैरायटीज़ डवलप की है। उसके लिए हमारे आइ०सी०ए०आर० के 15 मेन सेन्टर और 14 सब-सेन्टर हैं और तीन आफ़-सीज़न नर्सरी भी हैं।

(**व्यवधान**)

डा० सी०पी० ठाकुर : अखबार में निकला था कि भारत सरकार दाल और तिलहन में जो बाहर से इम्पोर्ट करती है, इसको रोकने के लिए बाहरी शक्तियां सक्रिय हैं। इसका जवाब मंत्री महोदय ने नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय : बता दिया है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : हम खुद प्रोडक्शन बढ़ा रहे है इसलिए बाहर से आने का सवाल ही नहीं उठता है ।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि मानव की महत्वपूर्ण आवश्यकता भोजन है और यदि भोजन में दाल नहीं होती है तो सारा काम अधूरा रहता है । इस प्रकार हमारे देश के लिए यह एक बिकट समस्या है कि दालों का हम आयात कर रहे हैं ।···(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा में बहुत अधिक बातें हो रही में । हम सुन नहीं सकते । यह क्या हो रहा है ? कृपया शान्ति बनाए रखिए ।

[हिन्दी]

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : आपके आइ०सी०ए०आर० के माध्यम से इस प्रकार के कहां-कहां पर रिसर्च प्रोजेक्ट लिए गए हैं जिससे कि दलहन का प्रोडक्शन बढ़ सके और इस प्रकार किस-किस जगह यह रिसर्च कार्य हुआ है और आगे होने की संभावना है ताकि हम आत्म-निर्भर हो सकें ।

[अनुवाद]

सरदार बूटा सिंह : दालों का उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने, जैसा कि मेरे साथी श्री योगेन्द्र मकवाना ने बताया है, पहले ही अधिक उपज वाली, कम अवधि में तैयार होने वाली प्रकाश-ग्राही, सुधरे पोषक तत्व वाली कीट प्रतिरोधक किस्में को तेज कर दिया है । जिन्हें अकेले तथा मिश्रित फसल के रूप में उगाया जा सकता है तथा विभिन्न कृषि प्रणालियों और पशु-पालन में सुधार लाने के लिए अनुसंधान इस अनुसंधान के लिए मार्ग-दर्शन तथा समन्वय दाल अनुसंधान महानिदेशालय के माध्यम से किया जा रहा है, जिसके छठी योजना के दौरान 15 मुख्य केन्द्र तथा 14 उपकेन्द्र थे, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है । हमारा प्रयास न केवल नई किस्मों में सुधार लाना है बल्कि कुछ सिंचित क्षेत्रों में भी दालों तथा तिलहनों की खेती करना है । हरियाणा, पजाब, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र जैसे कुछ प्रगतिशील राज्यों ने हमें आश्वासन दिया है कि वे पर्याप्त सिंचित क्षेत्रों का दालों तथा तिल-हनों की उपज क लिए उपयोग करेंगे ताकि इसके उत्पादन की कमी को पूरा किया जा सके । हम आशावान हैं ।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय फल अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना ।

*914. **श्री दलीप सिंह भूरिया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर का विचार सातवीं पंचवर्षीय योजना में कितने क्षेत्रीय फल अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश में ऐसा केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव वर्ष 1981 से लंबित पड़ा हुआ है, और

(ग) यदि हां, तो क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश में कोई ऐसा केन्द्र स्थापित किये जाने की संभावना है और यदि हां, तो कब तक इसे स्थापित किये जाने की संभावना है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सातवीं योजना अवधि के दौरान नीलगिरि में संस्थान के एक क्षेत्रीय केन्द्र को स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

(ख) तथा (ग): जी नहीं, श्रीमान् । तथापि, सातवीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए मध्य प्रदेश में एक क्षेत्रीय केन्द्र को भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर के एक अंग के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव पर विचार किया गया था। लेकिन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की योजना व्यय में कटौती के कारण उपरोक्त केन्द्र सहित कई नई गतिविधियों को मौजूदा समय में छोड़ देना पड़ा ।

श्री दलीप सिंह भूरिया : आप नीलगिरि में सातवीं योजना के दौरान संस्थान स्थापित करने जा रहे हैं, मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि हम 21वीं शताब्दी में जाने की तैयारी में लगे हुए हैं और यह फल वगैरह हमारे देशवासियों को नहीं मिलेंगे । क्या यह कटौती किसानों के ऊपर ही होती है, आज किसान नये-नये तरीकों से खेती करना चाहते हैं और अपनी पैदावार बढ़ाना चाहते हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि इसके लिए कितना बजट रखा और किस कारण से यह कटौती की जा रही है ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : रिसोर्सेज कम है इसलिए हमें कटौती करनी पड़ी है । जहां तक सेक्टर प्लान में इन्वेस्टमेंट दिया गया है ।

[अनुवाद]

सातवीं योजना में 32·65 करोड़ रुपए का आवंटित किए गये है, जबकि छठी योजना में 21.37 करोड़ रुपयों का आवंटन किया गया था ।

प्रो० एन० जी० रंगा : इसमें कमी आई है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : इसमें कोई कमी नहीं आई है क्योंकि छठी योजना में यह 21·37 करोड़ रुपयों का आवंटित किए गए थे और सातवीं योजना में यह आवंटन 32.65 करोड़ रुपए है। इसमें पर्याप्त वृद्धि हुई है।

[हिन्दी]

श्री दलीप सिंह भूरिया : यह किसानों की बात है। मध्य प्रदेश में किसानों की हाट है। जब मंत्री जी ने और कृषि विभाग ने विचार कर लिया है तो बजट एलोकेशन कट नहीं किया जाना चाहिए और इसमें दुबारा आपको विचार करना चाहिए।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैंने पहले ही बताया कि कुछ स्कीम्स हम चलाना चाहते थे, परन्तु रिसोर्स कंस्ट्रेंट के कारण वह नहीं हो पा रही हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में कई सेंटर्स हैं जिसमें यह कार्य हो रहा है, एक सेंट्रल पोटेटो रिसर्च इंस्टीट्यूट का सेन्टर ग्वालियर में है, उसके बाद रीवा में फूट्स का है, छिन्दवाड़ा में पोटेटो का है, जबलपुर में वेजिटेबल का है। इन्दौर में मेडिसन एण्ड ऐरोमेटिक प्लांट्स का है, ऐसा ही एस० आई मंडसर में दूसरा है। एडहोक्स स्कीम भी हैं। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, जबलपुर में वेजिटेबल का है, तीन न्यू सेंटर्स आफ को-आर्डिनेटेड प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं जगदलपुर में, जो ट्राइबल के लिए है, दूसरा मशरूम का और तीसरा कोंकोनेट का है, इसका लोकेशन अभी तक नहीं किया गया है। इस तरह कई एडहोक्स स्कीम हैं, एन० आर० इ० पी० की रीजनल स्कीम भी हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मध्य प्रदेश में ऐसी कोई स्कीम नहीं दी गई है, लेकिन पैसा कम है इसलिए जो नई स्कीम बनने वाली थी वह हम नहीं बना रहे हैं।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : पश्चिम बंगाल में विभिन्न किस्मों के फल भारी मात्रा में उपलब्ध हैं। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फल हैं जो केवल वहीं उपलब्ध हैं और बर्नीपुर फल उत्पादकों का घर माना जाता है। लेकिन अतिरिक्त संसाधनों की कमी तथा राज्य सरकार की ओर से पहले किए जाने की कमी के कारण इन फल उत्पादकों का बुरी तरह से शोषण किया जा रहा है और अब फलों के बागों को नष्ट किया जा रहा है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का फल उत्पादकों के हितों की रक्षा करने तथा इन मूल्यवान फलों का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए भी पश्चिम बंगाल में एक क्षेत्रीय फल अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का कोई विचार है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझाव की जांच करूंगा।

नमकीन पानी का खारापन समाप्त करना

*915. श्री के०वी०शंकर गौंडा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खारे पानी को पीने योग्य बनाने के लिए दूसरा संयंत्र लगाने का सरकार का विचार है ;

(ख) क्या कच्छ, सौराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा आंन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ भागों में लोग अभी भी 5 से 20 प्रतिशत तक नमक वाला खारा पानी पी रहे हैं और यह पानी नमकीन न होने के अतिरिक्त इसमें कभी-कभी अवांछित और हानिकारक रसायन भी शामिल होते हैं ;

(ग) यदि हां, तो दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ;

(घ) वर्ष 1986-87 के दौरान कौन सी योजनाएं शुरू करने का विचार है ; और

(ङ) किन राज्यों और क्षेत्रों को इस योजना में शामिल किया जाएगा और देश में प्रायः सभी लोगों को पीने का पानी कब तक उपलब्ध कराया जाएगा ;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जल-अलवणता अनुसंधान की वृहत कार्रवाई योजना के अन्तर्गत गुजरात, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और राजस्थान राज्यों ने क्षेत्र परीक्षण/प्रदर्शन के लिए लवणता को हटाने की 7 इकाइयां स्थापित की हैं। आठवीं ईकाई राजस्थान में स्थापित की जा रही है। इस सम्बन्ध में विस्तृत सूचना का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ख) यह सच है कि देश के कुछ क्षेत्रों में उपलब्ध पानी में खारापन है और प्राणियों के उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है।

(ग) से (ङ) : आठ प्रदर्शन इकाइयों के आधार पर अलवणता प्रौद्योगिकियों का निष्पादन, कार्यकुशलता तथा आर्थिक मूल्यांकन राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरी अनुसंधान, संस्थान, नागपुर द्वारा किया जायगा। इस मूल्यांकन के 1987 के आरम्भ में पूरा हो जाने की आशा है। अलवणता प्रौद्योगिकीयों का आगे विस्तार तथा उन पर विस्तृत कार्रवाई करना इस मूल्यांकन के परिणामों पर निर्भर करेगा।

विवरण

विभिन्न राज्यों में नमकीन पानी के खारेपन को दूर करने के संयंत्रों को स्थापित करने एवं चलाने की नवीनतम स्थिति ।

क्र०सं०	राज्य	गांव, जिसमें एकक स्थापित किए गए/किए जा रहे हैं ।	जिला	प्रौद्योगिकी का टाइप	जिस संस्थान द्वारा एकक स्थापित किया गया ।	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	गुजरात	(क) मलिका	सुरेन्द्र नगर	रिवर्स ओसमोसिस	भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, बम्बई	फरवरी 1985 में आरंभ किया गया । परीक्षण के दौर में है ।
		(ख) अदलसार	—वही—	इलक्ट्रो डायलसिस	केन्द्रीय नमक तथा समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, भाव नगर	अप्रैल, 1985 में आरंभ किया गया । परीक्षण तथा मूल्यांकन किया जा रहा है ।
2.	तमिलनाडु	(क) मेलकोदुमलुर	रामानाथापुरम	रिवर्स ओसमोसिस	—वही—	जनवरी, 1985 में आरंभ किया । प्रयोग एवं मूल्यांकन किए किए जा रहे हैं ।

1	2	3	4	5	6	7
		(ख) नोची वयाल	—वही—	इल्कट्रो डायलासिस	—वही—	अप्रैल, 1985 में आरंभ किया गया। प्रयोग एवं मूल्यांकन किए जा रहे हैं।
3.	आन्ध्र प्रदेश	(क) काटुवापल्ली	नैल्लोर	रिवर्स ओसमोसिस	भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, बम्बई	संयंत्र अप्रैल, 1985 में आरंभ किया गया। आरंभिक कठिनाइयों के पश्चात संयंत्र अब संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है। संयंत्र, जून, 1985 में पुनः आरंभ किया गया।
		(ख) पोनामल	गन्टुर	इल्कट्रो डायलासिस	रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला, जोधपुर	अप्रैल, 1985 में आरंभ किया गया अब परीक्षण के दौर में है।

1	2	3	4	5	6	
4.	राजस्थान	(क) लोलावास	पाली	रिवर्स ओसमोसिस	केन्द्रीय नमक तथा समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, भावनगर	स्थापित किया जा रहा है।
		(ख) मीरासिया	जोधपुर	इलक्ट्रो डायलासिस	रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला जोधपुर	जुलाई, 1985 में आरंभ किया गया। परीक्षण के दौर में है।

श्री के०वी०शंकर गौडा : अन्य राज्यों में भी खारा पानी है। केवल चार राज्य ही क्यों चुने गए हैं? क्या यह सरसरी तौर पर किया गया चयन है अथवा यह किसी अन्य बात पर आधारित है।

[हिन्दी]

श्री बलबीर सिंह : सर, माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि हमने जिन राज्यों में पानी से लवणता हटाने की दृष्टि से इकाइयां स्थापित की हैं, उन के अलावा अन्य राज्यों को क्यों नहीं चुना गया। हमने सर्वप्रथम भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी के निर्देशन पर जुलाई, 1983 में सैकेटरीज की एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें एक वर्किंग ग्रुप कायम करने पर सहमति पाई गई। इस वर्किंग ग्रुप में 6 मैम्बर रखे गए, जिनमें एटुवाइजर, सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ एण्ड एन्वायर-मैंट इंजीनियरिंग आर्गेनाइजेशन को चेयरमैन तथा रिप्रेजैन्टेटिव ऑफ़ सैन्ट्रल साल्ट एण्ड मैरीन कैमिकल्स रिसर्च इंसटीट्यूट, भावनगर सहित 5 अन्य मैम्बर रखे गए। इस वर्किंग ग्रुप ने देश के विभिन्न इलाकों में खारे पानी और नमकीन पानी से लवणता दूर करने के सम्बन्ध में, अपनी एक इंटरिम रिपोर्ट 1984 में प्रस्तुत की और हम उसे 1987 तक कम्पलीट करने जा रहे हैं। खासकर, यह हमें बहुत महंगा पड़ रहा है तथा आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु आदि राज्यों में हमारे मंत्रालय की ओर से प्रति यूनिट 3 लाख रुपये आबंटित किया गया हैं, जहां लवणता हटाने की इकाइयां स्थापित की गई हैं। इसमें 8 आवर्स में 10 हजार लीटर पीने योग्य पानी का प्रोडक्शन किया जाता है जो एक हजार की आबादी वाले गांव के लिए पर्याप्त होगा, जहां पर-कैपिटा कन्जम्पशन 10 लीटर होगी। यह पानी खासकर खाना बनाने और पीने के काम में लाया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री शंकर गौडा : कर्नाटक भी एक ऐसा राज्य है जहां खारा पानी मौजूद है जिसमें न केवल नमक ही मौजूद है बल्कि जीवाणु तथा अन्य रसायनिक सामग्री भी मौजूद है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हाउस में कुछ सुनाई नहीं दे रहा अगर आप सारे माननीय सदस्य आपस में इस तरह से बातें करेंगे तो मैम्बर को कह देता हूं कि वे सवाल न करें।

[अनुवाद]

श्री शंकर गौडा : डाक्टरों की राय यह है कि लगभग 90 प्रतिशत रोग पानी से होते हैं। यदि ऐसी बात है तो कर्नाटक को भी क्यों नहीं चुना जा सका है?

[हिन्दी]

श्री बलबीर सिंह : सर, माननीय सदस्य ने कर्नाटक राज्य के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिए हैं, उसके लिए हम स्टेट गवर्नमैंट से रिपोर्ट मंगवायेंगे और वहां की आवश्यकता की जांच करेंगे ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष जी, राजस्थान के चूरु जिले में तो यह खारे पानी की समस्या है ही, मगर इसके अलावा सारे राजस्थान राज्य में सैलिन और ब्रैकिश वाटर निकलता है । आपने सभा-पटल पर जो विस्तृत सूचना दी है उसमें सिर्फ दो प्रोजैक्टस का ही जिक्र किया है, जिनमें सैलिनिटी दूर करने की आप व्यवस्था करने जा रहे है । इन प्रोजैक्टस से अब तक तो राजस्थान को कोई फायदा नहीं हुआ है । माननीय अध्यक्ष जी के जिले में भी इसी प्रकार की समस्या है तथा इनके अड़ोस-पड़ोस के तमाम वैस्टर्न डिस्ट्रिक्टस में सैलिन वाटर पाया जाता है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने राजस्थान में पानी से सैलिनिटी को दूर करने के लिए अब तक क्या-क्या कार्यक्रम किए, क्योंकि वहां के पानी में ऐसे कुछ लवण पाये जाते हैं, यदि कोई जानवर उसे पी ले या कोई आदमी पी ले तो या तो उसकी तोंद निकल आती है या वह अंधा हो जाता है । उसके लिए आप क्या व्यवस्था कर पा रहे हैं ताकि राजस्थान के लोगों को पीने का शुद्ध पानी मिल सके ।

श्री बलबीर सिंह : माननीय सदस्य ने खास कर राजस्थान के सम्बन्ध में जानकारी चाही है । जैसा मैंने पहले बताया, हम राज्य सरकारों से रिपोर्ट मंगवा रहे हैं कि कैसे 1987 तक ज्यादा से ज्यादा लोगों को शुद्ध पीने का पानी मुहैया करवाया जा सके । जहां तक राजस्थान को शुद्ध पानी देने का सम्बन्ध है, हमने लोलावास पाली तथा एक अन्य योजना का अपने उत्तर में जिक्र भी किया है, वहां हम लोगों को शुद्ध पानी की व्यवस्था करने जा रहे हैं, दूसरे राजस्थान सरकार ने हमें अभी साइट नहीं बताई है इसलिए हमारा वहां पर काम रुका हुआ है । वर्किंग ग्रुप के बारे में मैं पहले ही बतला चुका हूं, उसको भी हम देख रहे हैं, जैसे परिणाम सामने आयेंगे, जहां-जहां नमकीन या लवण-युक्त पानी निकलता है, वहां उसे कैसे पीने के पानी के योग्य बनाया जाए, उसकी व्यवस्था हम करेंगे ।

श्री बी०तुलसीराम : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि आंध्र-प्रदेश में भी दो गांवों में ये प्लाण्ट लगा रहे हैं । वहां पानी की बहुत तकलीफ है । वहां की सरकार बोरिंग पानी के लिए करवा रही है, लेकिन कहीं-कहीं नमक का पानी निकलता है, उसको ठीक करने के लिए मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं कि आपने वहां पर मशीन लगाने के लिए कहा है मेरा निवेदन है कि जितनी जल्दी वहां पर लगवा सकें उतनी जल्दी ही पब्लिक का भला होगा क्योंकि वहां पर पानी की बहुत दिक्कत है । खासतौर से किसानों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनके बैलों को भी पीने के लिए पानी नहीं हैं जिसके कारण वह अच्छे-अच्छे गाय बैल और भैंसों को काटने के लिए बेच रहे हैं । इसलिए वहां पर पानी का

इन्तजाम जल्दी से जल्दी करवाएं, तो बहुत अच्छा होगा। गफूर साहब अगर आप वहां पर पानी की व्यवस्था जल्दी करवा दें, तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी और वहां के लोग आपको दुआएं देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : तुलसी के जवाब में तो कविता ही होगी।

शहरी विकास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल के जवाब में ऐसा लगता है कि माननीय मैम्बर जो डिफरेंट स्टेट से आते हैं, उनकी दिली ख्वाहिश है कि मेरे यहां क्यों नहीं लगता है, लेकिन आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं साफ तौर से कि ये आठ यूनिट्स काम कर रही हैं चार स्टेट्स में। उसके लिए हमने यह किया है कि एक साल तक इनका इवेल्यूशन हो कि कितनी कॉस्ट पड़ती है। जैसे देख लीजिए, मैं आपको बतला रहा हूं दिल्ली 35 नए पैसे और बॉम्बे 30 पैसे, ये यूनिट जो काम कर रही हैं इनमें 24 रुपए से 28 रुपए तक है, ऐसे इलाके से जहां पानी बीस माइल तक हो, अगर ट्रक से पहुंचाएं, तो यह सस्ता पड़ेगा बनिस्बत इन यूनिट्स के। इसलिए ये सारी डिफीकल्टीज हमारे सामने हैं। कहां 40 से 35 नया पैसा और कहां 24 से 28 रुपया पर थाउजेंड लिटर्स। तो यह न समझिए कि ये यूनिट्स जो काम कर रही हैं, ये सारे मुल्क में फैलेंगी, बल्कि हम लोग अभी इवेल्यूएट कर रहे हैं। 27 फरवरी, 1987 तक सारी कंट्री से फिगर्स मंगवाई जाएंगी कि कहां-कहां इसकी जरूरत है और लार्ज स्केल यूनिट्स पर जब प्रोडक्शन किया जाएगा तब देखेंगे कि कितना सस्ता पड़ता है। इसलिए माननीय मैम्बर अभी एक साल तक इन्तजार करें।

भिलाई इस्पात संयंत्र के पिघलाई कारखाने में विस्फोट

+

*916. श्री महेन्द्र सिंह
श्री एन० टोम्बी सिंह] : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात संयंत्र के पिघलाई कारखाने की भट्टी में 3 अप्रैल, 1986 को हुए विस्फोट में दो कर्मकार मारे गये थे;

(ख) क्या उक्त दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है, यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है; और

(ग) मृतक कर्मचारियों के निकटतम संबंधियों को कितना प्रतिकर दिया गया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) भिलाई इस्पात कारखाने के प्रबन्धक ने दुर्घटना की जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी एक जांच समिति गठित की है।

(ग) कामगार मुआवजा अधिनियम के अन्तर्गत मृतकों के वारिसों (आश्रितों) के लिए देय मुआवजे की निम्नलिखित राशि मुआवजा आयुक्त के पास जमा करवा दी गई है :

मृतक श्रमिक का नाम	वारिस (आश्रित) का नाम	(रुपये)
1. श्री जिघन रौत	श्रीमती मनी बाई (विधवा)	59,868.00
2. श्री होरी लाल	श्रीमती गीता बाई (विधवा)	69,008.00

अंशदायी भविष्य-विधि योजना, उपदान, सेल के कामगार कल्याण संगठन और जीवन सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत देय निम्नलिखित राशि का भुगतान कर दिया गया है :—

मृतक श्रमिक का नाम	वारिस (आश्रित) का नाम	(रुपये में)
1. श्री जिघन रौत	श्रीमती मनी बाई (विधवा)	59,722.00
2. श्री होरी लाल	श्रीमती गीता बाई (विधवा)	54,952.00

दोनों विधवाओं को कारखाने के प्रबन्धन द्वारा दिनांक 14 अप्रैल, 1986 से नौकरी दे दी गई है।

[अनुवाद]

श्री महेन्द्र सिंह : महोदय, सुरक्षोपायों की कमी के कारण कारखानों तथा संयंत्रों में विस्फोट अथवा अन्य दुर्घटनाएं एक नियमित बात बन गई हैं, जिसके कारण कीमती जान तथा सम्पत्ति का नुकसान होता है। इसके अलावा, प्रत्येक बार एक जांच समिति गठित की जाती है, यह कई महीने लेती है और अधिकांश मामलों में अपराधी को कभी भी दण्ड नहीं दिया जाता है,

जिनके फलस्वरूप और अधिक दुर्घटनाएं होती हैं अतएव, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जांच समिति की रिपोर्ट कब आएगी और दो जांच समितियां क्यों गठित की गई थीं ? दुर्घटना का कारण क्या था ? क्या यह सुरक्षोपायों की कमी अथवा मानवीय गलती के कारण हुई थी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : महोदय, दो जांच समितियां इसलिए गठित की गई थी क्योंकि यह महसूस किया गया था कि एक उच्च शक्ति प्राप्त जांच समिति को इन समस्याओं की जांच करनी चाहिए। एक उच्च शक्ति प्राप्त सुरक्षा विभाग भी मौजूद है और उन्हीं कारणों से, जिनका मेरे मित्र ने जिक्र किया है एक विशेष सुरक्षा अधिकारी की इस्पात संयंत्रों में इन तथा सुरक्षा के अन्य पहलुओं की जांच करने के लिए नियुक्ति की जा रही है।

श्री महेन्द्र सिंह : दुर्घटना किस तारीख को हुई थी ? जांच समिति कब गठित की गई थी और हमें जांच समिति की रिपोर्ट कब तक मिलने की आशा है और इस में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : विलम्ब का कोई प्रश्न ही नहीं है। यह दुर्घटना अप्रैल के शुरू में हुई थी। अब मई शुरू हो गई है इसलिए इसमें कोई विलम्ब नहीं है। हमें जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी, हम इस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि पिछले पांच वर्षों में ऐसी ही दुर्घटनाओं के शिकार लोगों को कितनी धन राशि दी गई है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मेरे पास पिछले पांच सालों के आंकड़े नहीं है। जहां तक इस दुर्घटना का सम्बन्ध है लिखित विवरण में इसका ब्यौरा दिया गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था करना

*909. **श्री गंगा राम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में सभी समस्याग्रस्त गांवों में पेयजल का कम से कम एक सुरक्षित स्रोत उपलब्ध कराने के लिए कोई ठोस प्रयास किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में समस्याग्रस्त ऐसे गांवों की कुल संख्या कितनी है जहां अब तक पेयजल का सुरक्षित स्रोत उपलब्ध कराया जा चुका है, और कितने गांवों को अभी पेय जल का सुरक्षित स्रोत उपलब्ध कराया जाना शेष है ; और

(ग) इन गांवों को पेयजल का कम से कम एक सुरक्षित स्रोत कब तक उपलब्ध कराया जायेगा ?

कृषि मंत्री सरदार बूटा सिंह : (क) और (ख) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार अब तक उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों के 11642 समस्याग्रस्त गांवों में से 7758 समस्याग्रस्त गांवों को स्वच्छ पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं और अभी 3884 समस्याग्रस्त गांवों को सुविधाएं उपलब्ध कराना बाकी है ।

(ग) सातवीं योजना के दौरान, उद्देश्य यह है कि पहाड़ी इलाकों सहित समस्त ग्रामीण जनता को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराया जाए ।

मछली और झींगा मछली का निर्यात

*917 : **श्री हुसैन दलवाई :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्ष-वार देश से कुल कितनी मात्रा में मछली का निर्यात किया गया ;

(ख) क्या देश के पश्चिमी घाट पर मिलने वाली झींगा-मछली की विदेशों में बड़ी मांग है ; और

(ग) यदि हां, तो भारत से किन-किन देशों को झींगा मछली का निर्यात किया जाता है ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, वाणिज्य मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार देश से निर्यात की गई मछली की कुल मात्रा निम्न प्रकार है :-

वर्ष	मात्रा (मीटरी टन में)	कीमत (करोड़ रुपये में)
1982-83	12,847	18.87
1983-84	22,573	29.10
1984-85	9,091	14.40

(ख) जी हाँ।

(ग) झींगा मछली 20 देशों को निर्यात की जाती है और इनमें से सबसे मुख्य जापान, अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, बेलजियम और आस्ट्रेलिया हैं।

सूखे से प्रभावित न होने वाली चावल की किस्म का विकास

*918. **श्री पी०कुलनदईवेलू** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृषि अनुसंधान केन्द्रों द्वारा चावल की ऐसी किस्में विकसित की गई हैं, जिन पर सूखे का प्रभाव नहीं पड़ता;

(ख) यदि हां, तो जारी की गई ऐसी किस्मों के नाम क्या हैं और क्या चावल की ये किस्में कम समय में उपजती हैं या अधिक समय में; और

(ग) चावल की इन किस्मों की प्रति हैक्टेयर उपज कितनी है ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (ग) जी हाँ, श्रीमान्। चावल की अनेक सूखा रोधी किस्में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न कार्यक्रमों के तत्वावधान में विकसित की गई हैं। विभिन्न राज्यों में बारानी उपजाऊ क्षेत्रों के लिए जारी की गई 25 लोकप्रिय किस्मों से सम्बन्धित जानकारी और उनकी अवधि (पकने के लिए दिनों की संख्या) निम्न प्रकार हैं :-

राज्य	किस्में	अवधि (दिन)
केरल	सुवर्णमोदन	100
बिहार	कंचन	100
	प्रहलाद	115
	नृसिंह	115
	विष्णु	115
	बिरसा धान-101	85
	बिरसा धान-201	95
असम	कल्चर-1	90
	सत्तारी	70
महाराष्ट्र	तुलजापुर-1	105
	प्रभावती	115

राज्य	किस्में	अवधि (दिन)
उड़ीसा	सत्तारी	70
	रूद्र	85
	शंकर	85
तमिलनाडु	टी०के०एम०-9	110
	परमाकुडी	100
	तिरूपत्तीरम	100
उत्तर प्रदेश	नरेन्द्र-1	105
	नरेन्द्र-2	115
	गोविन्द	105
मध्य प्रदेश	तृप्ति	95
	आभा	100
	पूर्वा	90
आंध्र प्रदेश	प्रसन्ना	90
	आकाशी	110
	रासी	115

इन अगेती पकने वाली किस्मों की उपज संभावना सामान्य वर्षा के मौसम में 2.0 से 3.5 टन प्रति हैक्टर, शीतोष्ण नमी दबाव के दौरान लगभग 2 टन प्रति हैक्टर और असाधारण सूखे की स्थिति में 0.5 से 0.6 टन प्रति हैक्टर है ।

"योजना" और "भगीरथ" पत्रिकाओं का प्रकाशन

*919. डा० गौरी शंकर राजहंस
श्री टी० बशीर] : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने "योजना" तथा "भागीरथ" पत्रिकाओं का प्रादेशिक भाषाओं के संस्करण के रूप में प्रकाशन बन्द कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) समूचे देश में राष्ट्रीय महत्व तथा परिप्रेक्ष्य संबंधी विषयों से लोगों को अवगत कराने के लिये, जिनकी जानकारी इस समय अपनी-अपनी प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से लोग प्राप्त कर रहे हैं, सरकार क्या वैकल्पिक उपाय करने पर विचार कर रही है ; और

(घ) क्या सरकार इन पत्रिकाओं का प्रकाशन पुनः आरम्भ करने की दृष्टि से इन प्रकाशनों को सक्षम बनाने की दिशा में कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय राज्य मंत्री के (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं। तथापि, कुशल प्रबन्ध के हित में "भागीरथ" पत्रिका का प्रकाशन केन्द्रीय जल आयोग जो हर हालत में इस पत्रिका के संपादकीय स्टाफ पर सीधा प्रशासनिक नियंत्रण रख रहा था, को हस्तांतरित कर दिया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नही उठते।

ग्राम विकास योजनाओं का कार्यान्वयन

*920. श्री मोहनभाई पटेल
श्री अमर सिंह राठवा] : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत देश में ग्रामीण जनता के उत्थान की ग्राम विकास योजनाएं कौन-कौन सी हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने सभी ग्राम विकास योजनाओं को निर्धारित समय के भीतर कार्यान्वित करने के संबंध में राज्य सरकारों को कोई अनुदेश जारी किये है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्बंध में कितनी प्रगति हुई है ;

(घ) क्या देश में, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में, ग्राम विकास की प्रगति बहुत ही धीमी है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) विशेषतः आदिवासी क्षेत्रों में इस कार्यक्रम को सही ढंग से कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (ङ) ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलाए जा रहे निम्नलिखित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 20 सूत्री कार्यक्रम में शामिल किए गए हैं :—

(1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम,

(2) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम,

(3) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम,

(4) अधिकतम भू-सीमा से फालतू भूमि का वितरण,

(5) ग्रामीण पेय जल आपूर्ति ।

2. उपर्युक्त सभी कार्यक्रम निरन्तर जारी रहने वाले कार्यक्रम हैं तथा इनके लिए कोई विशेष समय निर्धारित नहीं किया गया है । वैसे, ग्रामीण पेय जल आपूर्ति के अंतर्गत उद्देश्य यह है कि सातवीं योजना के अन्त तक समस्त ग्रामीण जनता को पेय जल की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं ।

3. देश में इन कार्यक्रमों की प्रगति सामान्य तौर पर संतोषजनक है । आदिवासी क्षेत्रों में इन कार्यक्रमों की निगरानी अलग से नहीं की जाती है । तथापि, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत यह परिकल्पना की गई है कि कम से कम 30 प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के होने चाहिए । आदिवासी लाभार्थी भी पूंजी लागत पर 50 प्रतिशत तक आर्थिक सहायता, जिसकी अधिकतम सीमा 5 हजार रुपये प्रति लाभार्थी है, के पात्र है, जबकि गैर-आदिवासी लाभार्थी पूंजी लागत पर 25 प्रतिशत/$33\frac{1}{3}$ प्रतिशत आर्थिक सहायता, जिसकी अधिकतम सीमा 3 हजार रुपये (सूखा-संभावित क्षेत्रों के लिए 4 हजार रुपये) है, के पात्र हैं । आदिवासी क्षेत्रों की विशेष कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए हाल ही में यह निर्णय लिया गया है कि समन्वित आदिवासी विकास कार्यक्रम क्षेत्रों में सभी मान्यता-प्राप्त खण्डों के लिए एक संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी उपलब्ध कराया जाए । इसके अतिरिक्त, इस प्रकार के खण्डों में ग्राम सेवकों तथा ग्राम सेविकाओं की संख्या को वर्तमान संख्या से 50 प्रतिशत तक और अधिक बढ़ाया जा सकता हैं, बशर्ते कि यह सीमा 5 ग्राम सेवक तथा एक ग्राम सेविका प्रति खण्ड तक हो ।

4. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत 10 प्रतिशत निधियां केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को लाभ पहुंचाने वाले निर्माण-कार्यों के लिए निर्धारित की गई हैं । ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के खंडों/बसावटों को शामिल करने को प्राथमिकता दी जाती है । भूमि सुधार के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को आबंटित अधिकतम भू-सीमा से फालतू भूमि कुल आबंटित भूमि का 46 प्रतिशत है तथा कुल लाभार्थियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थी 54.7 प्रतिशत हैं ।

लघु इस्पात संयंत्रों को संकट

*921. श्री के० राममूर्ति : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि देश में लगभग 160

लघु इस्पात संयंत्रों को गत दो वर्षों से गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है और इस वर्ष के बजट के कतिपय प्रस्तावों से यह संकट और बढ़ गया है ;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के एक संगठन मेटालर्जिकल एण्ड इंजिनियरिंग कंसलटेंट्स (इंडिया) लिमिटेड द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययन से यह सिद्ध हो गया है कि लघु इस्पात उद्योग को गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, उनकी समस्याओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) लघु इस्पात संयंत्रों की सहायता करने हेतु ताकि वे संकट से उबर सकें ; सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) स्टील फर्नेस एसोसिएशन आफ इंडिया ने सरकार को अभ्यावेदन दिया है कि कार्बन स्टील मेल्टिंग स्क्रैप, स्पंज लोहे, तप्त ब्रिकेटिड लोहे जैसे कच्चे माल के आयात पर शुल्क कम/समाप्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह उद्योग आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं जुटा पा रहा है। इस एसोसिएशन ने हाल ही में सरकार को यह दलील दी है कि कच्चे आदानों की लागतों में वृद्धि हो जाने के कारण उनके परिचालन आर्थिक-दृष्टि से मितव्ययी नहीं रह गए हैं, 1-3-1986 से अनंत्रगी शुल्क के यौक्तिकीकरण के परिणामस्वरूप लघु इस्पात कारखानों के लिए कच्चे माल के आयात पर शुल्क के स्तर में वृद्धि हो गई है।

(ख) मेटलर्जीकल एण्ड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लि० (मेकन) की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि उद्योग मेल्टिंग स्क्रैप की अपर्याप्त उपलब्धता तथा बिजली की ऊंची कीमतों जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है।

(ग) सरकार ने वर्ष 1985-86 में उद्योग की क्षमता के बेहतर उपयोग के लिए स्क्रैप के आयात में वृद्धि की है। राज्य सरकारों से भी लघु इस्पात कारखानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया गया है। मेकन से कहा गया है कि अपनी रिपोर्ट अद्यतन करें ताकि सरकार इस दिशा में आगे और आवश्यक उपाय करने पर ध्यान दे सके।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के कार्यकरण का मूल्यांकन

*922. डा० डी०एम०रेड्डी
डा० (श्रीमती) टी० कल्पना देवी] : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के कार्यकरण का मूल्यांकन प्रति पांच वर्षों के अन्तराल पर किया जाता है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अन्य एककों की भांति इसका भी ऐसा मूल्यांकन किया जाएगा?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के संस्थानों तथा प्रायोजना निदेशालयों के सावधिक मूल्यांकन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की पंचवर्षीय समीक्षा दलों की एक प्रणाली है और वे शासी निकाय के विचार-विमर्श के लिए लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। अनुसंधान कार्यकर्त्ताओं में अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजनओं के कार्यकरण की भी एक वर्ष अथवा दो वर्ष में समीक्षा की जाती है। संबंधित वैज्ञानिक पैनलों द्वारा तदर्थ अनुसंधान प्रायोजनाओं की वार्षिक तथा अन्तिम रिपोर्टों की समीक्षा प्रत्येक शाखा के विशेषज्ञों के प्रतिनिधि करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सोसायटी के नियम तथा उपनियम एक सामान्य निकाय का भी प्रावधान करते हैं जो संघटक एककों की प्रगति और कार्य निष्पादन की समीक्षा करता है और नीति निर्देशन देता है। इसी तरह शासी निकाय के लिए भी प्रावधान जो नीति निर्देशों को कार्यान्वित करता है और सोसायटी के प्रशासनिक, वित्तीय तथा तकनीकी मामलों का निरीक्षण करता है।

(ख) इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

सूखा तथा वर्षा के कारण फसलों को हानि

*923. श्री त्रिलोचन सिंह तुर
श्री बलवंत सिंह रामूवालिया] : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कुछ स्थानों पर अधिक वर्षा होने और कुछ स्थानों पर बिल्कुल वर्षा न होने के कारण विभिन्न क्षेत्रों में फसलों को हानि पहुंची है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किन-किन राज्यों ने केन्द्र से सहायता मांगी है;

(ग) प्रत्येक राज्य सरकार ने क्या मांग की है; और

(घ) इन मांगों पर केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

सूखे, बाढ़, भारी वर्षा, चक्रवात आदि के लिए 1985-86 में विभिन्न राज्यों द्वारा मांगी गई केन्द्रीय सहायता और उन्हें मंजूर की गई व्यय की अधिकतम सीमा का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सूखा			बाढ़ चक्रवात आदि		
		मांगी गई सहायता	1985-86 के लिए मंजूर की गई अधिकतम सीमा	1986-87	मांगी गई	1985-86 के लिए मंजूर की गई अधिकतम सीमा	1986-87
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	953.00	63.09	—	27.02	1.55	5·59
2.	असम	—	—	—	86.88	2[illegible].16	—
3.	बिहार	—	—	—	—	—	—
4.	हरियाणा	64.57	9.21	—	39.22	7.94	—
5.	हिमाचल प्रदेश	102.21	16.46	—	82.09	12.40	2.28
6.	गुजरात	491.64	41.83	75.65	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	जम्मू और कश्मीर	30.50	4.12	—	15.95	8.87	—
8.	कर्नाटक	595.43	62.46	50.00	—	—	—
9.	केरल	57.81	0.30	—	743.36	134.79	—
10.	मध्य प्रदेश	277.42	51.11	—	—	—	—
11.	महाराष्ट्र	664.37	65.56	21.68	35.34	13.91	—
12.	मणिपुर	—	—	—	4.44	1.60	—
13.	नागालैंड	—	—	—	4.32	0.24	—
14.	मेघालय	—	—	—	6.51	2.61	0.50
15.	त्रिपुरा	—	—	—	7.61	3.73	—
16.	सिक्किम	—	—	—	28.03	4.07	—
17.	उड़ीसा	—	—	—	191.00	32.72	—
18.	पंजाब	20.03	8.14	—	474.11	60.88	—
19.	राजस्थान	659.44	62.06	51.59	—	—	—
20.	तमिलनाडु	—	—	—	186.59	66.81	—
21.	उत्तर प्रदेश	543.53	51.78	—	1732.53	165.32	—

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	पश्चिम बंगाल	—	—	—	—	—	—
23.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	8.42	3.79	—
24.	गोवा, दमन और दीप	—	—	—	0.15	0.07	—
25.	मिजोरम	0.72	0.24	—	4.95	0.27	0.14
26.	पांडिचेरी	2.67	1.19	—	14.18	5.07	—
	कुल	4463.34	437.55	198.92	3692.53	548.63	8.51

[अनुवाद]

शिक्षित बेरोजगार युवक

*924. श्री संतोष मोहन देव
प्रो० के०के० तिवारी] : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार केन्द्रों द्वारा देश में शिक्षित बेरोजगार लोगों की संख्या के बारे में दिये गये आंकड़े सही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी आलोचना के क्या कारण हैं; और

(ग) रोजगार केन्द्रों द्वारा बेरोजगार युवकों सम्बन्धी आंकड़े एकत्र करने के तरीकों में क्या सुधार किया जा सकता है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (पी०ए० संगमा) : (क) और (ख) रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों से देश में बेरोजगार व्यक्तियों की सही संख्या का संकेत नहीं मिलता है। रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत सभी व्यक्ति अनिवार्य रूप से बेरोजगार नहीं होते। रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण केवल स्वैच्छिक है और सभी बेरोजगार व्यक्ति अपने आपको रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत नहीं कराते।

(ग) रोजगार कार्यालयों का मुख्य कार्य उनके पास पंजीकृत रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों को रोजगार सहायता प्रदान करना तथा मार्गदर्शन करना है। बेहतर सेवा प्रदान करने की दृष्टि से रोजगार कार्यालयों का कम्प्यूटीकरण का कार्य शुरू किया गया है।

नियोजकों को अपने कर्मकारों के लिए मकानों की व्यवस्था करने के लिए बाध्य करने संबंधी विधान

*925. श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक एककों के लिए अपने कर्मकारों को मकान देना तथा जहां औद्योगिक कर्मचारियों ने अपनी झुग्गियां बना ली हैं वहां गन्दी बस्तियों तथा झुग्गी क्षेत्रों का विकास करना अनिवार्य करने के लिए संसद में एक विधान प्रस्तुत करने का सरकार का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) और (ख) ऐसा विधान पेश करने का श्रम मंत्रालय का कोई प्रस्ताव नहीं है।

शहरी क्षेत्रों के लिए एक समान फर्श क्षेत्र सूचकांक (फ्लोर स्पेस इंडेक्स)

*926. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का फर्श क्षेत्र सूचकांक का मामला स्थानीय निकायों पर छोड़ने के बजाए सभी शहरी क्षेत्रों के लिए एक समान फर्श क्षेत्र सूचकांक बनाने का विचार है;

(ख) यदि एक समान सूचकांक निर्धारित नहीं किया जाता तो क्या राज्यों को यह सूचकांक निर्धारित करने के लिए दिशा निर्देश भेजने का विचार है; और

(ग) सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए क्या अन्य कदम उठाने का विचार है कि शहरों में भवन निर्माताओं द्वारा पर्याप्त खुला स्थान छोड़ा जाए ?

शहरी विकास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया आदर्श नगर आयोजना विधान सभी राज्य सरकारों को मार्ग-निर्देशन के लिए परिचालित कर दिया गया है शहरी क्षेत्रों का सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारें प्रयास कर रही हैं।

फुलवारी शरीफ का विकास

*927. **श्री सी० पी० ठाकुर** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में फुलवारी शरीफ मुसलमानों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस कस्बे को सातवीं पंचवर्षीय योजना में छोटे और मध्यम नगरों के समेकित विकास की योजना में शामिल करने का सरकार का विचार है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हाँ।

(ख) राज्य सरकार की सिफारिशों तथा परियोजना रिपोर्ट की प्राप्ति पर ही शहरों को छोटे तथा मध्यम दर्जे के नगरों की एकीकृत विकास योजना में शामिल करने की मंजूरी दी जाती है। छोटे तथा मध्यम दर्जे के नगरों की एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत फुलवाड़ी शरीफ कस्बे के समावेशन के लिए कोई परियोजना रिपोर्ट बिहार सरकार से प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

दोआर्स तराई के फालतू घोषित चाय बागान मजदूरों के लिये रोजगार के अवसर

8715. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बागान मजदूर, जिनकी संख्या दोआर्स तराई और दार्जिलिंग तथा असम प्रान्त के सम्पूर्ण चाय बागान में नब्बे प्रतिशत से अधिक हैं, आदिवासी उपयोजनाओं के अन्तर्गत आते हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान चाय बागान क्षेत्र में फालतू घोषित मजदूरों के लिये वर्षवार उत्पन्न किये गये लाभप्रद रोजगार के अवसरों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो चाय उद्योग में फालतू घोषित किये गये आदिवासी मजदूरों को खपाने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) आदिवासी उप-योजनाओं के अन्तर्गत आदिवासी बहुसंख्यक क्षेत्र आते हैं, न कि चाय बागान क्षेत्र/श्रमिक।

(ख) और (ग) वर्ष 1980, 1981 और 1982 के बारे में 31 दिसंबर की स्थिति के अनुसार असम तथा पश्चिम बंगाल में चाय बागान मजदूरों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष		रजिस्टर पर वर्ष मजदूरों की कुल अनुमानित संख्या
1980	...	6,99,172
1981	...	6,93,690
1982	....	7,02,973 (अनन्तिम)

आयातित दुग्ध उत्पादों से शिशु आहार, मक्खन तथा घी बनाया जाना

8716. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपरेशन फ्लड एक तथा दो के अन्तर्गत बटर आयल तथा स्किम्ड दुग्ध चूर्ण जैसे उपहार में मिली वस्तुएं चार महानगरीय डेयरियों तथा पोषक डेयरियों को दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो डेयरी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनका उपयोग किस प्रयोजन के लिये किया गया और क्या यह विश्व खाद्य कार्यक्रम तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ किये गये करारों के अनुरूप है;

(घ) क्या कुछ स्किम्ड दुग्ध चूर्ण तथा बटर आयल का अमूल तथा अन्य डेयरियों द्वारा शिशु आहार, मक्खन तथा घी बनाने में प्रयोग किया गया, और यदि हां तो क्या उपचारात्मक उपाय किये गये; और

(ङ) क्या इस उपहार योजना को जारी रखने में यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा आनाकानी करने का एक कारण उन वस्तुओं का ऐसा अनुचित उपयोग किया जाना है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

अमूल को विश्व खाद्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त खाद्यान्नों से लाभ

8717. **डा० जी० विजय राघव राव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमूल को विश्व खाद्य कार्यक्रम-348 के अन्तर्गत पशुओं के खाने के लिए भारी मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ख) अमूल ने विश्व खाद्य कार्यक्रम को कितनी कीमत अदा की और उनकी गुजरात में और गुजरात के बाहर प्रति फीड/किलोग्राम विक्रय मूल्य क्या है;

(ग) क्या अमूल ने इस प्रक्रिया में विशेषकर गुजरात से बाहर अधिक मूल्य पर बिक्री कर काफी लाभ कमाया है; और

(घ) विश्व खाद्य कार्यक्रम के उपहार की सप्लाई प्राप्त करने वाली विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा बेचे जाने वाले पशु चारे का प्रति किलोग्राम पशु मूल्य क्या है और यदि मूल्य में कोई अन्तर है तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) अमूल को 1967-1974 के दौरान विश्व खाद्य कार्यक्रम-348 के अंतर्गत 30477 मीटरी टन अनाज गोपशु आहार तैयार करने के लिए प्राप्त हुआ है ।

(ख) तथा (ग) आहार के लिए अनाज निःशुल्क सप्लाई किया गया था । तथापि, सृजित निधि के आंकलन के लिए इसकी काल्पनिक कीमत लगाई गई थी । इसके बिक्री मूल्य गोपशु आहार प्राप्त करने वाले राज्यों द्वारा निर्धारित किए गए थे ।

अमूल ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के आहार-अनाज से विनिर्मित गोपशु आहार गुजरात से बाहर सप्लाई नहीं किया। गुजरात से बाहर बिक्री पर भारी लाभ होने का प्रश्न ही नहीं होता।

(घ) यौगिक गौपशु आहार के बिक्री मूल्य उन्हें प्राप्त करने वाले राज्यों द्वारा अनाज की सम्भाल और परिसंस्करण की लागत तथा यौगिक गोपशु आहार के देशी घटक की लागत को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए गए थे।

सब्जी और फल विकास योजना

8718. **डा० चिन्ता मोहन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और पश्चिम बंगाल में "आपरेशन फ्लड" परियोजना I और II के अन्तर्गत सब्जी और फल विकास योजनायें प्रारम्भ की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह अन्य राज्यों में भी आरम्भ की जायेंगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या "आपरेशन फ्लड-I" और प्रायोजित सब्जी एवं फल योजना के अंतर्गत सब्जी और फलों की उत्पादकता में सुधार हुआ है और किसानों को अधिक लाभ हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) आपरेशन फ्लड परियोजना 1 तथा 2 के तहत सब्जी और फल विकास संबंधी कोई योजना नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

उड़ीसा में खनिजों का उत्खनन

8719. **श्री अनादि चरण दास :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कतिपय खनिजों के उत्पादन तथा खनिजों के उत्पादन के विस्तार के प्रस्तावों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और कतिपय खनिजों के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निर्यात पर लगाते गये उक्त प्रतिबंध को देखते हुए खनिजों के राज्य में प्रयोग के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) उड़ीसा में किसी खनिज के उत्पादन या उत्पादन विस्तार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। खनिजों के निर्यात पर प्रतिबंध की बात है, तो इस बारे में सरकारी नीति आयात एवं निर्यात नीति, 1985-88 के खण्ड-2 में दी गई है। कुछ खनिजों यथा क्रोम अयस्क, कैलसाइन्ड बाक्साइट आदि के निर्यात की सामान्यतः अनुमति नहीं दी जाती है।

(ग) निर्यात पर प्रतिबंध खनिज भंडारों की स्थिति तथा देश की वर्तमान और भावी जरूरतों को ध्यान में रखकर लगाए जाते हैं। इन खनिजों का उपयोग विभिन्न उत्पादों के निर्माण में किया जा रहा है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा प्राइवेट सलाहकारों की नियुक्ति

8720. **डा० बी० एल० शंलेश** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने कुछ समय पूर्व जमा स्टाक के निपटान के बारे में सलाह देने के लिए प्राइवेट सलाहकारों की नियुक्ति की थी;

(ख) यदि हां, तो प्राइवेट सलाहकार फर्मों को कितनी फीस दी गई और उन्होंने क्या सलाह दी; और

(ग) भारतीय इस्पात प्राधिकरण के पास इस समय इस्पात की विभिन्न मदों का लगभग कितने मूल्य का स्टाक जमा पड़ा है और जमा स्टाक को कम करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां। स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड ने अन्य बातों के साथ-साथ स्टाक को कम करने के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति के बारे में परामर्श हेतु अक्तूबर, 1983 में एक विपणन सलाहकार की नियुक्ति की थी।

(ख) सलाहकार को माल सूचियों में कमी करने के लिये सौंपे गये कार्य के लिए 22,500/- रुपये फीस के रूप में दिये गये। सलाहकार के अतिरिक्त यार्डों को खोलने, संपरिवर्तन अभिकरणों (कन्वर्सन एजेन्टस) की नियुक्ति, जिन मामलों में निविदाओं के लिए बोलीकर्ता उपयुक्त न पाये जाएं उनमें इस्पात के निपटान के लिए प्रक्रिया, छड़ों तथा गोल छड़ों

के निपटान के लिए हैंडलिंग अभिकरण की नियुक्ति तथा व्यापार में एकमुश्त सौदा आदि करने के बारे में सुझाव दिये हैं।

(ग) 1-4-1986 की स्थिति के अनुसार "सेल" (इस्को सहित) के पास लगभग 345 करोड़ रुपये की लागत के विक्रेय इस्पात का लगभग 6.6 लाख टन स्टाक था (आंकड़े अस्थायी हैं) बिक्री बढ़ाने तथा स्टाक में कमी करने के लिए "सेल" द्वारा किये गये उपायों में विशिष्ट समयावधि में किये गये वायदे के अनुसार सुपुर्दगी करने के लिये ग्राहकों के साथ सतत् सम्पर्क, चयनात्मक ऋण सुविधाएं, आसानी से न बिकने वाली मदों की बिक्री में वृद्धि करने के लिये एकमुश्त सौदा और विशेष उपायों के द्वारा अपने पुराने तथा आसानी से न बिकने वाले स्टाक के निपटान के लिए अनुमति देने जैसे उपाय शामिल हैं।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केन्द्र में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को कथित तंग किया जाना

8721. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान आकाशवाणी के नजीबाबाद केन्द्र के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के कथित उत्पीड़न की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) इस बारे में कुछ व्यक्तियों के कुछ पत्र और एक वर्ग के समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टें सरकार के ध्यान में आई हैं। तथापि, जांच पड़ताल करने पर आरोपों की पुष्टि नहीं हुई।

औद्योगिक विकास गतिविधियों के माध्यम से बम्बई का विकास

8722. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई नगर पर जनसंख्या का दबाव कम करने की दृष्टि से शहरी विकास मंत्रालय का विचार औद्योगिक विकास गतिविधियों, कोकंग क्षेत्र में रेलवे का आधार भूत ढांचा तैयार करने और बम्बई शहर में भीड़भाड़ कम करने के लिये पुरानी और नई बम्बई के बीच रेल सम्पर्क के माध्यम से बम्बई के पश्चिम प्रदेश के विकास की योजना बनाने के सम्बन्ध में शहरी विकास, रेल और वित्त मंत्रालय के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए पहल करने का है; और

(ख) यदि हां, तो क्या बम्बई महानगर में भीड़भाड़ कम करने के कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) बम्बई का एकीकृत विकास सुनिश्चित करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। तथापि, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये केन्द्र उसकी सहायता कर रहा है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में शहर के विकासार्थ 50 करोड़ रुपये की राशि सुरक्षित की हुई है। इसके अतिरिक्त, सातवीं योजनावधि में बम्बई की आवास एवं मलिनबस्ती की गम्भीर समस्याओं को हल करने के लिए 100 करोड़ रुपये के केन्द्रीय अनुदान की वचनबद्धता है। अन्तर्राष्ट्रीय सहायता से जलपूर्ति, यातायात संरचना में सुधार की परियोजनाएं आरम्भ की गई है।

जस्ता प्रद्रावक संयंत्र, विशाखापत्तनम का विस्तार

8723. श्री एस० पलाकोंड्रायुडु : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम में स्थित जस्ता-प्रद्रावक संयंत्र के विस्तार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है तथा इसके लिये कितनी राशि स्वीकृत की गई है ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सातवीं योजना के दौरान भूमि विकास बैंक द्वारा दिये जाने वाले कृषि ऋण

8724. श्री सोमनाथ रथ : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान कृषि के लिये ऋण वितरित करने के सम्बन्ध में भूमि विकास बैंक के लक्ष्य क्या हैं; और

(ख) वर्ष 1986-87 के लिए क्या लक्ष्य हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री बलराम मक्वाना) : (क) तथा (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1985-90) के दौरान भूमि विकास बैंकों द्वारा कृषि ऋण 3885 करोड़ रुपये है। वर्ष 1986-87 (जुलाई, 1986 से जून, 1987 तक) का लक्ष्य 665 करोड़ रुपये है।

कृषकों को टेलीविजन की सुविधायें

8725. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कृषि संबंधी कार्यक्रमों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने यह पता लगाने के प्रयास किये हैं कि कितने प्रतिशत किसानों को टेलीविजन की सुविधा उपलब्ध है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बी०एन० गाडगिल) : (क) और (ख) छठी योजना की स्कीमों के मुकम्मल हो जाने पर यह उम्मीद है कि दूरदर्शन सेवा देश की लगभग 65 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या, जिसमें मुख्यतया कृषक हैं, को उपलब्ध होगी। जबकि यह पता करने के लिए कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है कि कितने प्रतिशत कृषकों को टेलीविजन की सुविधा उपलब्ध है, केन्द्रीय सरकार तथा अनेक राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों तथा अन्य एजेंसियों ने कृषकों सहित ग्रामीण दर्शकों के लाभ के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सामुदायिक अवलोकन टी०वी० सैट उपलब्ध किए है।

टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (टिस्को) की क्षमता में वृद्धि की अनुमति

8726. **श्री के० प्रधानी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी (टिस्को) को अपनी क्षमता में पर्याप्त वृद्धि करने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो किन तैयार उत्पादकों के संबंध में क्षमता में वृद्धि करने की अनुमति देने का विचार है और कितनी मात्रा में वृद्धि की अनुमति दी जायेगी ; और

(ग) क्या इससे खुले बाजार में भारतीय इस्पात प्राधिकरण के एककों के उत्पादों पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ेगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड (टिस्को) ने सरकार को सूचित किया है कि वे 10 लाख टन प्रतिवर्ष की दर से चपटे उत्पादों के उत्पादन में और वृद्धि करने के बारे में विचार कर रहे हैं। परन्तु उनके द्वारा औपचारिक रूप से कोई आवेदन नहीं दिया गया है। जब टिस्को के आवेदन पर सरकार द्वारा विचार किया जाएगा उस समय देश में पहले से स्थापित विभिन्न प्रकार के उत्पादों की मांग तथा क्षमता को ध्यान में रखा जाएगा।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इंदिरा गांधी स्टेडियम के समीप होटल का निर्माण

8727. **श्री शांति धारीवाल :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण इंदिरा गांधी स्टेडियम के समीप होटल का निर्माण कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस होटल के निर्माण में अब तक कितना समय लगा है तथा कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि यद्यपि गत पांच वर्षों के दौरान इस होटल के निर्माण पर लाखों रुपये खर्च किए गए हैं फिर भी निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हो पाया है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि जैसा ऊपर कहा गया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण सरकारी धन का लगातार दुरुपयोग कर रहा है ;

(ङ) क्या सरकार ने इस होटल के निर्माण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यह होटल कब से काम करना शुरू कर देगा ;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने प्रारंभ में इंदिरा गांधी स्टेडियम के बराबर में "प्लेयर्स ब्लाक" नामक भवन का निर्माण किया था बाद में, इसे होटल के रूप में उपयोग में लाने का निर्णय किया गया था ।

(ख) तथा (ग) : 1981-82 में निर्माण आरंभ हुआ था तथा अभी भी यह पूरा नहीं हुआ है । अब तक 5.76 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(च) सरकार इस भवन के उपयोग के बारे में विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है । इसके बाद भवन को उपयोगार्थ शीघ्र पूर्ण करने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

[अनुवाद]

प्रायोजित कार्यक्रम "यह जो है जिन्दगी" से आय

8728. श्री कृष्ण सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दूरदर्शन धारावाहिक "यह जो है जिन्दगी" के प्रायोजित शुल्क तथा "स्पॉट" विज्ञापनों से अब तक कुल कितनी आय हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : दूरदर्शन धारावाहिक "यह जो है जिन्दगी" के प्रायोजन शुल्क तथा स्पॉट विज्ञापनों से अब तक अर्जित सकल आय 396.18 लाख रुपये है ।

सरकारी क्षेत्र में उर्वरक संयंत्र

8729. श्री हरिहर सोरन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में कितने उर्वरक संयंत्र स्थापित किये गये हैं;

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ये उर्वरक संयंत्र स्थापित किये गये हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन संयंत्रों का कार्यनिष्पादन कैसा रहा है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) नाइट्रोजनयुक्त एवं मिश्रित/फास्फेटिक उर्वरकों का उत्पादन करने वाले 40 मुख्य उर्वरक संयंत्र हैं । इनमें से 24 संयंत्र सार्वजनिक क्षेत्र में हैं, 12 निजी क्षेत्र में हैं ।

(ख) से (घ) गत तीन वर्षों (1983-84, 1984-85, 1985-86) के दौरान इन संयंत्रों के स्थान एवं उनके उत्पादन निष्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिये गये हैं ।

विवरण

गत तीन वर्षों (1983-84, 1984-85 तथा 1985-86) के दौरान उर्वरक संयंत्रों की अवस्थिति तथा उत्पादन निष्पादन

(उत्पादन हजार टनों में)

संयंत्र की अवस्थिति	1983-84		1984-85		1985-86	
	उत्पादन	क्षमता उपयोग (प्रतिशत)	उत्पादन	क्षमता उपयोग (प्रतिशत)	उत्पादन	क्षमता उपयोग (प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7
			नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक (नाइट्रोजन)			
सार्वजनिक क्षेत्र						
सिन्दरी आधुनिकीकरण	121.4	55.4	125.2	57.2	74.1	33.8
गोरखपुर	81.4	62.1	82.4	62.9	78.9	60.2
रामागुण्डम	80.5	35.3	93.4	41.0	55.3	24.3
तालचर	37.3	16.4	55.1	24.2	52.9	23.2
नांगल-I	59.1	73.9	52.6	65.8	60.8	76.0
नांगल-II	134.1	88.2	137.8	90.7	138.3	91.0

भटिण्डा	142.8	60.8	143.6	61.1	168.2	71.6
पानीपत	157.1	66.8	157.1	66.8	141.9	60.4
नामरूप-I	20.4	45.3	21.6	48.0	17.1	38.0
नामरूप-II	61.3	40.3	66.7	43.9	58.7	38.6
दुर्गापुर	71.3	46.9	57.5	37.8	46.2	30.4
बरौनी	58.7	38.6	37.7	24.8	92.8	61.1
उद्योगमण्डल	31.2	65.6	51.2	65.6	59.3	76.0
कोचिन-I	94.3	62.0	107.9	71.0	56.3	37.0
कोचिन-II	42.0	105.0	65.6	164.0	64.4	161.0
ट्राम्बे	84.4	93.9	84.3	93.7	81.2	90.2
ट्राम्बे-4	55.4	73.9	55.6	74.1	51.8	69.1
ट्राम्बे-5	140.1	92.2	125.0	82.2	136.0	89.5
थाल	—	—	48.9	—	376.5	63.0
मद्रास	92.7	52.7	151.4	86.0	131.0	74.4
राउरकेला	22.5	18.7	49.8	41.5	34.5	28.8
निवेली	57.4	82.0	58.9	84.1	59.1	84.4
उप-उत्पाद	15.1	62.9	16.1	67.1	16.3	67.9
योग (सार्वजनिक क्षेत्र)	1660.5	55.6	1845.4	60.2	2052.0*	61.4

*पारादीप में 400 टन का परीक्षण उत्पादन सम्मिलित है।

1	2	3	4	5	6	7
निजी क्षेत्र						
बड़ौदा	220.2	93.3	215.5	91.3	252.7	107.1
विज़ाग	73.7	87.7	73.3	87.3	81.8	97.4
कोटा	141.7	93.2	143.7	94.5	163.1	107.3
कानपुर	247.4	79.8	286.3	92.4	267.8	86.4
गोवा	139.5	81.6	148.1	86.6	191.3	96.6
तुतीकोरिन	241.0	84.6	307.3	104.9	308.3	105.2
बैंगलोर	90.0	57.7	134.0	85.9	110.8	71.0
इन्दौर	9.1	56.9	9.2	57.5	9.6	60.0
वारानसी	3.5	37.0	2.1	21.0	3.9	39.0
अरूच	221.4	77.4	212.8	77.9	270.7	99.2
तुतीकोरिन अलकाली	10.2	63.8	13.3	73.1	12.8	80.0
पी०एन०एफ०सी० नंगल	—	—	—	—	6.8	42.5
उप-उत्पाद	2.8	70.0	4.1	67.5	4.0	100.0
योग (निजी क्षेत्र)	1390.5	81.3	1549.7	90.0	1685.5**	95.4

**हिन्दुस्तान लीवर, हल्दिया से 1900 टन का परीक्षण उत्पादन सम्मिलित है ।

सहकारी क्षेत्र						
कलोल/कांडला	260.6	100.2	321.9	123.8	272.8	104.9
फूलपुर	173.4	76.0	200.1	87.8	191.0	83.8
हजीरा	—	—	—	—	126.7	56.9
योग (सहकारी क्षेत्र)	434.0	88.9	522.0	107.0	590.5	95.1
कुल योग	3485.0	67.2	3917.1	74.4	4328.0	75.5

[illegible] (पी 2 को 5)

सार्वजनिक क्षेत्र						
सिन्दरी सुव्यवस्थीकरण	9.4	6.3	4.5	नगण्य	उत्पादन नहीं होता	
उद्योगमण्डल	21.2	57.3	29.0	78.4	31.7	85.7
कोचिन-II	49.2	43.2	85.3	74.8	70.4	61.8
ट्राम्बे	40.5	90.0	41.1	91.3	39.8	88.4
ट्राम्बे-4	55.4	73.9	55.6	74.1	51.8	69.1
मद्रास	90.0	80.4	112.4	100.4	93.0	83.0

1	2	3	4	5	6	7
खेतरी	7.6	8.4	8.3	9.2	6.4	7.1
एस०एस०पी० एकक	13.2	37.7	8.8	25.1	10.0	28.0
योग (सार्वजनिक क्षेत्र)	286.5	43.5	345.1	67.0	304.0*	59.7
*पारादीप में 900 टन का परीक्षण उत्पादन सम्मिलित है।						
निजी क्षेत्र						
बड़ौदा	51.1	104.2	51.4	102.8	60.4	120.8
विजाग	75.3	72.4	79.4	76.3	86.4	83.1
गोवा	34.0	80.9	37.5	89.3	124.0	111.7
तुतीकोरिन	119.6	83.6	160.9	112.5	163.3	114.2
ई०डी० पैरी इन्नौर	11.5	115.0	11.5	115.0	12.0	120.0
एस०एस०पी० एकक	199.9	90.4	229.9	79.6	320.6	77.6
योग (निजी क्षेत्र)	492.4	86.4	570.6	90.6	771.7*	92.3
*हिन्दुस्तान लीवर, हल्दिया से 5000 टन का परीक्षण उत्पादन सम्मिलित है।						

1	2	3	4	5	6	7
सहकारी क्षेत्र						
इफको : कांडला	269.1	103.5	348.3	134.0	351.9	135.0
योग (सहकारी क्षेत्र)	269.1	103.5	348.3	134.0	351.9	135.0
कुल योग	1048.0	70.4	1264.0	90.1	1427.6	80.9

अभ्रक की मांग

8730. **श्री सी० सम्बु** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभ्रक मांग में कमी आई है जिसके परिणामस्वरूप बाजार में इसके मुल्य गिर रहे हैं;

(ख) आन्ध्र प्रदेश में अभ्रक की कितनी खानें हैं और उनमें कितने श्रमिक कार्यरत है;

(ग) क्या "साउथ इंडिया माइका माइनर्स एसोसिएशन" के उपाध्यक्ष ने इस उद्योग को लाभप्रद बनाने के लिए भारतीय खनन ब्यूरो के प्रमुख खनन भू-विज्ञानी को वर्ष 1985 में कुछ उपाय सुझाए थे; और

(घ) यदि हां, तो दिये गये सुझावों का ब्यौरा क्या है और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उर्वरकों का उपयोग

8731. **प्रो० नारायण चंद पराशर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहन दिया है;

(ख) यदि हां, तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में उर्वरकों की राज्य-वार कितनी खपत हुई और प्रत्येक एकक की कितनी राजसहायता दी गई; और

(ग) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस संबंध में कोई और प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां। सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किसानों को उर्वरकों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया है, उर्वरक की खपत, 1979-80 के 52.56 लाख मीटरी टन के स्तर से बढ़कर छठी पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष 1984-85 में 82.11 लाख मीटरी टन तक पहुंच गई है।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यवार उर्वरक खपत तथा गत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न देशी इकाइयों को दी गई राजसहायता विवरण I तथा 2 में दी गई है।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2701/86]

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी उर्वरकों का प्रयोग बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयास जारी रहेंगे ।

अधिक उपज देने वाली फसलों के बीजों पर बायो टैक्नोलोजी के प्रयोग की सफलता

8732. **श्रीमती एन०पी० झाँसी लक्ष्मी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बीजों और मुख्य फसलों की अधिक उपज देने वाली फसलों के बीजों पर 'बायो-टैक्नालोजी' के प्रयोग में किस सीमा तक सफलता प्राप्त हुई है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : बायो-टेक्नालाजी एक नया क्षेत्र होने के कारण हमारे देश में यह अभी आरंभिक अवस्था में है, इसलिए व्यावहारिक रूप में इस क्षेत्र में अभी महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करने की आशा करना जल्दी का कार्य होगा। फिर भी, टिस्सू कल्चर के द्वारा प्रसारण/सम्बर्धन और परागकोश/सेल्लूज के द्वारा पुर्नप्रजनन के लिए तकनीकों का मानकीकरण किया गया है । इन तकनीकों का उपयोग आर्थिक महत्व वाली क्षेत्र फसलों में सुधार लाने के लिए बायो-प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए किया जाएगा ।

खारे पानी में झींगा मछली पालन के लिये चिलिका क्षेत्र विकास निगम लिमिटेड को वित्तीय सहायता

8733. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खारे पानी में झींगा मछली पालन की योजना के कार्यान्वयन हेतु उड़ीसा समुद्रीय और चिलिका क्षेत्र विभाग निगम लिमिटेड को सहायता उपलब्ध कराने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब से और उक्त निगम को अब तक उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या खारे पानी में झींगा मछली पालन की योजना के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 1986-87 में उक्त निगम को राशि आवंटन में वृद्धि करने का प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1986-87 में आवंटित की जाने वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) उड़ीसा समुद्रीय चिलिका क्षेत्र विकास निगम लि० द्वारा खारे पानी में झींगा मछली पालन परियोजना के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना के लिये सहायता की प्रचलित पद्धति के अनुसार केन्द्रीय सहायक अनुदान उड़ीसा सरकार को उपलब्ध कराया जा रहा है ।

(ख) ये परियोजनायें मार्च, 1985 में मंजूर की गई थीं। मार्च, 1985 में उड़ीसा सरकार को 24.25 लाख रुपये की धनराशि निर्मुक्त की गई थी।

(ग) और (घ) उड़ीसा सरकार ने निर्मुक्त की गई धनराशि का अभी तक उपयोग नहीं किया है। पहले से निर्मुक्त किये गये अनुदान का उपयोग करने के पश्चात् और उड़ीसा सरकार द्वारा बराबर-बराबर अंशदान दिए जाने के पश्चात् ही और अधिक केन्द्रीय अनुदान निर्मुक्त करने का विचार किया जायेगा।

[हिन्दी]

दिल्ली में शिक्षित बेरोजगार युवा

8734. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में स्नातक और मैट्रिकुलेट बेरोजगार युवाओं की संख्या कितनी है ;

(ख) दिल्ली में शिक्षित बेरोजगार युवाओं में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के युवाओं की संख्या कितनी है ; और

(ग) स्व-नियोजन योजनाओं के अन्तर्गत इन शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज रोजगार चाहने वालों की संख्या से संबंधित है। यह अनिवार्य नहीं है कि उनमें से सभी बेरोजगार हैं। दिल्ली में बेरोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर दर्ज स्नातकों और मैट्रिकुलेटों की संख्या तथा रोजगार चाहने वाले कुल शिक्षित व्यक्तियों (मैट्रिकुलेटों और उससे ऊपर) में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों की संख्या 31.12.1985 की स्थिति के अनुसार इस प्रकार है :—

मैट्रिकुलेट	198808
स्नातक	75309
अनुसूचित जाति	39396
अनुसूचित जन जाति	2395

(ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में एक स्वरोजगार समिति स्थापित की गई है।

[अनुवाद]

ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल को दी गई धनराशि

8735. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1985-86 के दौरान ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल को 5.50 करोड़ रुपए की धनराशि दी है लेकिन उपभोग प्रमाणपत्रों की कथित नावापसी के कारण शेष 3 करोड़ रुपए की धनराशि रोक ली है ;

(ख) क्या राज्य ने ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियों के उपयोग के संबंध में अद्यतन रिपोर्ट पहले ही भेज दी थी ; और

(ग) यदि हां, तो क्या रोकी गई उक्त 3 करोड़ रुपए की राशि पश्चिम बंगाल को दे दी गई है ; यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (ग) भारत सरकार ने ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार को 34.90 करोड़ रुपये की धनराशि निर्मुक्त की है । ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 हेतु पश्चिम बंगाल के लिए 38.70 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था । 397 लाख रुपये की कटौती की गई थी । इसमें से 337 लाख रुपये की कटौती राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले वर्ष की बकाया राशि के अधिक होने के कारण तथा 60 लाख रुपये की कटौती पहले निर्मुक्त खाद्यान्नों की आर्थिक सहायता को समायोजित न किए जाने के कारण की गई थी । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले वर्ष की बकाया अधिक धनराशि के कारण हुई कटौती ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की मार्गदर्शिकाओं के पैरा 20.3 के अनुसार की गई थी, जो इस प्रकार है :—

> "वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यय की जांच की जाएगी । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मुक्त की गई धनराशि से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत किया गया व्यय जितना कम होगा, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम हेतु किए गए आबंटन में से कटौती की जायेगी तथा निर्मुक्त की गई निधियों की कालतू धनराशि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार को दी जाने वाली अगली किश्त में समायोजित कर दी जायेगी ।"

उपर्युक्त पैराग्राफ में देखा जा सकता है कि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटन उतना ही कम है जितना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले वर्ष की धनराशि बकाया है । अतः इस आधार पर 337 लाख रुपये की कटौती को फिर

से देने का प्रश्न नहीं उठता। खाद्यान्नों की सहायता के समायोजित न किए जाने के कारण की गई 60 लाख रुपये की कटौती के मुकाबले राज्य सरकार से केवल 16 लाख रुपये की धनराशि की मांग प्राप्त हुई है। इस कारण कटौती को 40 लाख रुपये तक कम करके यह धनराशि निर्मुक्त की गई थी।

मत्स्य नौकाओं के लिये घाट प्रभार में वृद्धि

8736. **श्री आर०एस० माने** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न पत्तनों पर मत्स्य नौकाओं के लिए घाट प्रभार में अत्याधिक वृद्धि होने की जानकारी है ; और

(ख) क्या घाट प्रभार को कम करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) मद्रास, विशाखापत्तनम, बम्बई, परादीप और कलकत्ता पत्तन न्यासों से प्राप्त सूचना के अनुसार इन पत्तनों पर गौदी भाड़ों में कोई अत्यधिक वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

महिला पूल (लेडीज पूल) के अन्तर्गत सरकारी आवास का आवंटन

8737. **श्री टी० बाल गौड** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महिला पूल (लेडीज पूल) के अन्तर्गत सरकारी आवास आवंटित करने के मानदण्ड क्या हैं ;

(ख) क्या सरकारी सेवा में महिलाओं की संख्या में वृद्धि के परिणामस्वरूप महिलाओं के कोटे में वृद्धि करने का सरकार का कोई विचार है ;

(ग) क्या टाइप-4 में महिला पूल में आवंटन उनकी पात्रता से एक श्रेणी नीचे किया जाता है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) महिला अधिकारियों को सामान्य पूल आवास के आवंटनार्थ विवाहित महिला अधिकारियों के लिए तथा अविवाहित

महिला अधिकारियो के लिए अलग से एक महिला अधिकारी पूल कायम रखा जा रहा है। ये अधिकारी महिला अधिकारी पूल में अपने पात्र टाइप से निचले टाइप में वास के आवटन के पात्र है। इस पूल में रखे जाने वाले निवासों की संख्या तथा टाइप भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, महिला अधिकारी सामान्य पूल से भी आवास का आवंटन प्राप्त करने के पात्र हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) तथा (ङ) अधिकारियों के सामान्य पूल से आवंटन प्राप्त कर सकने की तुलना में महिलायें महिला अधिकारी पूल से बहुत पहले आवंटन प्राप्त कर लेती हैं। यह बिना-बारी के आवंटन के समान है तथा इसलिए, पात्र टाइप से निचले टाइप में आवंटन किया जाता है। ऐसी महिला अधिकारी अपनी अपनी प्राथमिकता तिथि के अनुसार अपने पात्र टाइप का वास प्राप्त कर सकती हैं।

सब्जी मंडी को शाहदरा से हटा कर अन्यत्र ले जाना

8738. **श्री केशवराव पारधी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण/कृषि उत्पाद समिति द्वारा दिल्ली के यमुना-पार क्षेत्रों में शाहदरा तथा झील कुरंजे में भीड़-भाड़ कम करने के लिए इन दो स्थानों से सब्जी मंडियों को हटाने का निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ग) झील कुरंजा और शहदरा की विद्यमान फल तथा सब्जी मार्किटों को यमुना पार क्षेत्र में उचित स्थान पर स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है। वैकल्पिक स्थल अर्थात लोनी रोड कम्पलेक्स तथा गाजीपुर पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

धान का अधिक मूल्य दिये जाने के लिये तमिलनाडु के किसानों की मांग

8739. **श्री एस० सिंगरावडी वेल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु के किसानों की धान का अधिक मूल्य दिए जाने की मांग की जानकारी है ;

(ख) क्या तमिलनाडु सरकार ने, धान उत्पादकों को नकद प्रोत्साहन का भुगतान करने के लिये केन्द्रीय सरकार की मंजूरी मांगी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार के क्या विचार हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तमिलनाडु के कुछ कृषक संघों ने धान के अधिक वसूली मूल्यों के लिए अभ्यावेदन दिए हैं।

(ख) और (ग) : जानकारी एकत्र की जा रही है।

सागर सहकारी ग्रुप आवास समिति को वैकल्पिक स्थान का आवंटन

8740. श्री जी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या शहरी और विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सागर सहकारी ग्रुप आवास समिति लिमिटेड, नई दिल्ली ने सरकार को अभ्यावेदन दिया है कि उन्हें ग्रुप हाउसिंग के अन्तर्गत गीता कालोनी के स्थान पर पटपड़गंज कम्पलैक्स में वैकल्पिक स्थान आवंटित किया जाए क्योंकि स्थानीय निवासियों ने कुछ आपत्तियां उठाई; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इस समिति ने अपने दिनांक 15-4-1986 के पत्र द्वारा निम्नलिखित आधारों पर पटपड़गंज परिसर में वैकल्पिक स्थल के आवंटन के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को अभ्यावेदन दिया :—

(i) स्थानीय लोगों ने आवंटित भूमि के एक भाग को बारात घर के लिए निर्दिष्ट किया हुआ बताया।

(ii) इस भूमि पर बनी झुग्गियों को अभी तक हटाया नहीं गया है।

(iii) दिल्ली नगर कला आयोग द्वारा उठाई गई आपत्तियों के कारण नक्शे के अनुमोदन में विलम्ब।

इस समिति के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि पटपड़गंज परिसर में सामूहिक आवास समितियों के आवंटन के लिए कोई भूमि उपलब्ध नहीं है। तथापि

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नोएडा के समीप घरोली क्षेत्र में एक वैकल्पिक स्थल का पता लगाया है, यदि यह समिति इसे स्वीकार करती है तो इसके आवंटन पर विचार किया जा सकता है।

भवन निर्माण कार्य

8741. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष के दौरान भवन निर्माण कार्य की गति मन्द रही है;

(ख) क्या सरकार गत वर्ष के दौरान देश में भवन निर्माण कार्य की गति मन्द रहने के की समीक्षा कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए जाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) आवास राज्य का विषय है और सामाजिक आवास योजनायें राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अपनी-अपनी आवश्यकताओं तथा योजना प्राथमिकताओं के अनुसार कार्यान्वित की जाती हैं। केन्द्रीय स्तर पर आवास गतिविधियों में तेजी लाने के लिए कई कदम उठाये गये हैं जिसमें कुछ इस प्रकार से है :—

(i) सरकार द्वारा स्वीकृत बेघर लोगों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय आश्रय वर्ष के उद्देश्य के अनुसार सन् 2000 ईस्वी तक सभी बेघर लोगों के लिए आश्रय सुविधाओं की व्यवस्था करना;

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र में छठी योजना में 1,491 करोड़ रुपये की पूंजी निवेश की तुलना में यह स्तर 7वीं योजना में 2,458 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है।

(iii) 20-सूत्री कार्यक्रम जो कि राज्य योजनाओं के आवश्यक भाग के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है, के अन्तर्गत निःशुल्क विकसित आवास स्थलों के आवंटन की और निर्माण सहायता की योजना को शामिल किया गया है। इसके अलावा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय वर्ग के परिवारों के आवास की योजनाओं के लिये आवास तथा नगर विकास निगम के धन देने के कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को सहायता दी जा रही है।

(iv) बड़े-बड़े शहरों में सहकारी सामूहिक आवास प्रयासों को प्रोत्साहन देने के लिए 10 राज्यों में अपार्टमेंट मालिकाना अधिनियम बनाया गया है।

(v) आवास में पूंजी लगाने के लिये कई वित्तीय प्रोत्साहन दिये गये है।

राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (एन०डी०आर०आई०) करनाल द्वारा सलाहकार सेवा

8742. **श्री पी०आर० कुमारमंगलम :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (एन०डी०आर० आई०), करनाल में एक औद्योगिक सलाहकार सेवा स्थापित की है;

(ख) यदि हां, तो जिन पार्टियों को यह सेवा प्रदान की गई उनका ब्यौरा क्या है; इससे कितनी आय हुई और अब तक कितना व्यय किया गया है;

(ग) क्या राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान को छठी पंचवर्षीय योजनावधि में कोई वास्तविक उपलब्धि हुई है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पहले भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और सरकारी योजनाओं के अंतर्गत औद्योगिक सलाहकार सेवा का प्रस्ताव किया गया था;

(ङ) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड भी प्रमुख डेयरी सलाहकार के रूप में सेवा कर रहा है और ठेके पर डेयरियां बना रहा है; और

(च) यदि हां, तो अब तक कितनी उपलब्धि हुई है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (च) विभिन्न स्रोतों से सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे सभा के पटल पर रख दिया जायेगा।

पश्चिमी जर्मनी से प्रौद्योगिकी अन्तरण की पेशकश

8743. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 मार्च, 1986 के "फाइनेंशियल एक्सप्रेस" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि इस्पात उत्पादन के स्तर में सुधार लाने की दृष्टि से पश्चिम जर्मनी की एक प्रमुख इस्पात फर्म भारत को प्रौद्योगिकी अन्तरण पर विचार करने की इच्छुक है;

(ख) क्या सरकार को यह प्रस्ताव आकर्षक लगा है, और यदि हां, तो पश्चिम जर्मनी की फर्म द्वारा किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत को स्वीकार्य प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) मार्च, 1986 में पश्चिमी जर्मनी के थाइजन एक्टिजीशेलशाफ्ट से एक दल ने भारत का दौरा किया। उन्होंने भिलाई, राउरकेला तथा बोकारो के इस्पात कारखानों और जमशेदपुर स्थित "टिस्को" के संयंत्र का भी दौरा किया था। उन्होंने स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड से भी भेंट की। सेल के साथ बातचीत के दौरान दल ने तप्त धातु के उत्पादन, तप्त धातु के बाह्य प्रतिपादन (ट्रीटमेंट), इस्पात बनाने के प्रारम्भिक प्रचालन, लैडल मेटलर्जी तथा इंजेक्शन मेटलर्जी आदि के क्षेत्र में सहयोग देने की इच्छा व्यक्त की थी। "सेल" के साथ की गई बातचीत केवल अनुसंधानात्मक किस्म तथा स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के कारखानों में क्लीनर स्टील के दीर्घकालिक उत्पादन से सम्बद्ध सुविधाओं से सम्बन्धित थी। इससे पहले जनवरी, 1986 में निरन्तर ढलाई प्रक्रिया के माध्यम से इस्पात की विशिष्ट श्रेणी के लैडिल प्रतिपादन ट्रीटमेंट) प्रक्रिया से उत्पादन का अध्ययन करने के लिए स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के एक दल ने पश्चिमी जर्मनी के थाइजन संयंत्र का दौरा किया था। "सेल" तथा थाइजन के बीच हुई बातचीत अभी तक समन्वेषी चरण में है और "सेल" ने उनके साथ सहयोग के बारे में कोई दृष्टिकोण नहीं अपनाया है।

फलों तथा सब्जियों के रोगों को नियंत्रित करने के लिये जारी किये गये बायो एजेन्ट

8744. **डा० के० जी० आदियोडी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न फलों तथा सब्जियों के रोगों को जैविक रूप से नियन्त्रित करने के लिये जारी किये गये बायो-एजेंटों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस दिशा में अब तक क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान और अधिक क्षेत्रों में इसका उपयोग करने के लिये और क्या योजनायें बनाई गई हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) अब तक फलों और सब्जियों के रोगों पर नियन्त्रण पाने के लिए देश में कोई भी जैव-नियन्त्रक एजेंट जारी नहीं किया गया है। इन पहलुओं पर हो रहा कार्य अभी तक परीक्षण अवस्था में हैं।

(ख) यद्यपि हमने अभी तक फलों और सब्जियों के रोगों पर नियन्त्रण पाने के लिए विधिवत रूप से कोई भी जैव नियन्त्रक एजेंट जारी नहीं किया है, तो भी, ऐसे अनेक जैविक

एजेंट हैं जो प्रकृति में विनाशक रोगजनकों को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है। इनमें से कुछ, जिनको परीक्षण द्वारा आजमाया गया है, निम्न प्रकार हैं :—

ट्रिकोडर्मा हरजियानम, ट्रिकोपिसीयम रोसियम, बेसिलस सबटिलिस, केंडेनारिया स्प० डंक्टाइलला स्प०, पोसिलिमाइसस फ्रेनोसस, स्टैप्टोमाइसस आदि। कुछ मामलों में, नियंत्रित दशाओं में, उनको पहचानने, संवर्धन करने और परीक्षण करने की विधियों का प्रदर्शन किया गया है।

(ग) जैव-नियन्त्रक एजेंटों के द्वारा रोगों पर नियन्त्रण पाने का कार्य सातवीं योजना के दौरान फसल कीटों और खरपतवारों के जैविक नियन्त्रण पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना के अधीन दो प्रयोगशालाओं का प्रस्ताव करके सुदृढ़ किया जा रहा है।

दूरदर्शन कार्यक्रमों की गुणवत्ता

8745. **श्री चित्त महाटा :**

श्री यशवंत राव गडाख पाटिल :

श्री अमर राय प्रधान : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "नामीडिया" द्वारा 22 मार्च, 1986 को दूरदर्शन की भूमिका पर एक तीन राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन किया गया था जिसमें भारतीय दूरदर्शन पर कार्यक्रमों की दिवसीय गुणवत्ता में ह्रास पर तीखा प्रहार किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) और (ख) नामीडिया फाउन्डेशन के तत्वावधान में दिल्ली में "टेलीविजन टुडे एण्ड टुमोरो" पर 22 मार्च 1986 से एक त्रि-दिवसीय राष्ट्रीय गोष्टी आयोजित हुई थी। माध्यम गतिविधियों में रुचि रखने वाले तथा उनसे सम्बद्ध विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों (कुछ पत्रकारों सहित) ने इसकी कार्यवाहियों में भाग लिया और दूरदर्शन के कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं, कार्यक्रमों, गतिविधियों, अड़चनों, आदि पर स्वतंत्र और स्पष्ट चर्चा हुई। राष्ट्रीय गोष्ठी के कोई विशिष्ट सुझाव सरकार को अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

प्रधानमंत्री द्वारा सूखाग्रस्त राज्यों का दौरा

8746. **श्री अमर राय प्रधान :**

श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर :

श्री अमर सिंह राठवा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने चालू वर्ष के दौरान देश के कुछ सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे स्थानों/राज्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन सूखाग्रस्त राज्यों/क्षेत्रों जिनका प्रधान मंत्री द्वारा दौरा किया गया को क्या तत्काल राहत सहायता दी गई ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) जी हां। वर्ष 1986 के दौरान प्रधान मंत्री जी ने आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के सूखे से प्रभावित कुछ क्षेत्रों का दौरा किया।

(ग) 1985-86 और 1986-87 के वर्षों के लिए सूखा राहत के संबंध में इन राज्यों को अब तक स्वीकृत व्यय की अधिकतम धनराशि नीचे दी गई है :—

(करोड़ रुपए)

राज्य	स्वीकृत अधिकतम धनराशि	
	1985-86	1986-87
1. आन्ध्र प्रदेश	63.09	—
2. गुजरात	41.83	75.65
3. महाराष्ट्र	65.56	21.68
4. कर्नाटक	62.46	50.00

समाचारपत्रों में विकासात्मक समाचारों को स्थान

8747. **श्री शांतारोम नायक** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय समाचारपत्रों में विकासशील कार्यक्रमों के समाचार लगभग 6 प्रतिशत होते हैं ; और

(ख) सरकार द्वारा समाचारपत्रों को विकास समाचारों को आर्थिक स्थान देने के लिये सठगत कराने के लिये क्या प्रयास किये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) द्वितीय प्रेस आयोग ने यह पाया था कि विभिन्न भाषाओं के दैनिक समाचारपत्रों में विकास कहानियों को दिया गया स्थान 8.7 प्रतिशत से 27.3 प्रतिशत तक था। एडीटर्स गिल्ड आफ इंडिया के द्वारा हाल ही में किये गये एक कथित अध्ययन ने भी यह पाया कि समाचारपत्र आमतौर पर आर्थिक एव विकास कहानियों को जितना कवरेज दिया जाना चाहिए उससे अपेक्षाकृत कम कवरेज दे रहे हैं।

(ख) प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता के अनुसरण में, सरकार प्रेस के आंतरिक संचालन में हस्तक्षेप नहीं करती। तथापि, पत्र सूचना कार्यालय अपने क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों के माध्यम से भारत सरकार की नीतियां, कार्यक्रमों और क्रियाकलापों के बारे में जानकारी देता है। इससे प्रेस को ज्यादा विकास समाचारों को कवर करने में मदद मिलती है।

कृषि भूमि के विकास के लिये ऋण देना

8748. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कृषि भूमि के विकास के लिये ऋण का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त उपाय कहां तक सफल हुये हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कोई परिवर्तन करने का है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) भूमि विकास, जिसमें भूमि समतल करना, भूमि को आकार देना, कंटूर बांध बांधना और टैरेस बनाना जैसी गतिविधियां शामिल हैं, के लिए किसानों को कृषि ऋण राज्य सहकारी भूमि विकास बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों जैसी संस्थागत ऋण एजेंसियों से

उपलब्ध है। इस कार्य के लिए राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के पास पुनर्वित्त का प्रावधान है। नाबार्ड द्वारा दिये जाने वाले वित्त की मात्रा 1982-83 में 21 करोड़ रुपये से बढ़कर 1983-84 में 29 करोड़ रुपये और 1984-85 में 43 करोड़ रुपये हो गई है। यह इस कार्यक्रम की सफलता का सूचक है। सरकार की यह नीति है कि देश में सस्यगत क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए भूमि विकास की गति को तीव्र किया जाए।

(ग) उपरोक्त (क) तथा (ख) भागों में दिये गये उत्तर में उल्लिखित स्थिति को देखते हुए भूमि विकास के लिए ऋण समर्थन पर वर्तमान नीतियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन लाने का इस समय सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकौर में प्रयोग के लिये आयातित फास्फोरिक एसिड का नुकसान

8749. **श्री सुरेश कुरुप** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकौर, मलवाय में उपयोग के लिये बहुत अधिक आयातित फास्फोरिक एसीड सम्बन्धित प्राधिकारियो की लापरवाही के कारण नष्ट हो गया था, और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) फेक्ट ने सूचना दी है कि विलिंगडन में समुद्र तट भण्डारण से आयातित फास्फोरिक एसिड की कोई हानि नहीं हुई है। तथापि, फास्फोरिक एसिड की कथित कमी से संबंधित स्थानीय दैनिक मलायला मनोरमा में मार्च, 1986 में प्रकाशित समाचार के परिणामस्वरूप, सम्बद्ध रिकार्डों का सरकारी अभिकरण द्वारा जांच की गई है। फेक्ट ने भी इसकी जांच करने के लिए वरिष्ट अधिकारियों की समिति नियुक्त की है।

(ख) इस स्तर पर फेक्ट के किसी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उर्वरक कारखानों का आधुनिकीकरण

8750. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न उर्वरक कारखानों को उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता को कम करने तथा उर्वरक कारखानों के आधुनिकीकरण के लिये कोई निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन उर्वरक कारखानों के नाम क्या है जिसमें वर्ष 1986-87 के दौरान आधुनिकीकरण का कार्य आरम्भ किये जाने और पूरा किये जाने की सम्भावना है तथा उसकी अनुमानित लागत क्या है;

(ग) उन उर्वरक कारखानों के नाम क्या हैं जो घाटे पर चल रहे है और यह घाटा पूरा करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या सरकार ने इन कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों में अनुशासन बढ़ाने, उनकी कार्यकुशलता बढ़ाने और उन्हें राहत देने हेतु कोई कार्यवाही की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह): (क) निष्पादन की नियमित निगरानी द्वारा उत्पादन को बढ़ाने के सतत् प्रयास किये जा रहे हैं तथा निम्न स्तर पर निष्पादन करने वाले एककों को पुनरोद्धार/पुनर्वास/आधुनिकीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्रों में ट्राम्बे-I, नांगल-I, तालचर, रामागुण्डम, गोरखपुर तथा फैक्ट एककों में आधुनिकीकरण/पुनर्वास कार्य पहले से ही प्रगति पर है। बरौनी, दुर्गापुर एवं नामरूप स्थित एककों में कुछ सुविधाओं के पुनरोद्धार हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए है। 1986-87 के दौरान उपरोक्त के लिए 31.60 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरण उत्पादन एककों में से फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया तथा हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन हानि उठा रहे हैं। निम्न क्षमता उपयोग का एक महत्वपूर्ण कारण अनियमित पावर आपूर्ति है। अधिकतर एककों के लिए कैप्टिव पावर संयंत्रों की स्वीकृति दी जा चुकी है। आधुनिकीकरण/पुनरोद्धार प्रस्तावों पर भी कार्य शुरू किया गया है।

(घ) उर्वरक कारखानों के सामान्य प्रबन्ध कार्य हैं—अनुशासन बनाये रखना, उत्पादकता को बढ़ाना तथा कार्मिकों की शिकायतों को दूर करना। जब और जहां आवश्यक होता है, सरकार इन मामलों में मार्गदर्शन देती है।

[अनुवाद]

सहकारी बिक्री केन्द्रों के माध्यम से उर्वरकों की बिक्री

8751. **श्री सुभाष यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहकारी बिक्री केन्द्रों के माध्यम से बेची जा रही उर्वरक की अनुमानित मात्रा तथा उसका मूल्य क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान सहकारी केन्द्रों तथा उनके साथ-साथ चले आ रहे गैर-सरकारी केन्द्रों का वर्षवार प्रतिशत क्या है; और

(ख) क्या सरकार का विचार किसानों के लाभ के लिये उर्वरकों को केवल सहकारी बिक्री केन्द्रों के माध्यम से ही बेचने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सहकारी बिक्री केन्द्रों के जरिए बेचे गये उर्वरकों की अनुमानित मात्रा और मूल्य तथा देश में उर्वरकों की कुल खपत में सहकारी संस्थाओं के हिस्से का वर्षवार विवरण संलग्न है।

(ख) अधिक कृषि उत्पादन के लिये किसानों को उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा सही समय पर उपलब्ध होना सुनिश्चित करने के लिये उर्वरकों का वितरण विभिन्न एजेन्सियों के माध्यम से किया जाता है, जिनमें सहकारी संस्थायें, राज्य कृषि उद्योग निगम, निर्माताओं के अपने डीलरों के नेट-वर्क आदि शामिल हैं। लेकिन, पूरे मौसम के दौरान राज्य में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये उर्वरक निर्माताओं और पूल का रख-रखाव करने वाली एजेन्सियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे अपने को आंटित कुल मात्रा के 50 प्रतिशत की पेशकश मौसम के शुरू में पहले ही उन राज्यों की सहकारी संस्थाओं को करें, जिनमें इस समय 50 प्रतिशत से कम मात्रा का रख-रखाव किया जा रहा है। यदि पेशकश करने के दस दिन के अन्दर सहकारी संस्थाओं से कोई उत्तर न मिले तो निर्माता इस कोटे को अपने डीलरों के नेट-वर्क के जरिए बेच सकता है।

विवरण

1982-83 से 1984-85 के दौरान देश में उर्वरकों की कुल खपत, सहकारी संस्थाओं द्वारा रख-रखाव की गई मात्रा और सहकारी संस्थाओं के हिस्से की प्रतिशतता का वर्षवार विवरण

(मात्रा एन०पी०के० हजार मीटरी टनों में)

वर्ष	देश में उर्वरकों की कुल खपत (मात्रा)	सहकारी संस्थाओं द्वारा हैंडल किये गये उर्वरक		कुल खपत में सहकारी क्षेत्र के हिस्से की प्रतिशतता
		मात्रा/मूल्य (करोड़ रु०)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1982-83	6417.90	3016.23	1270.00	47.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1983-84	7710.00	3345.40	1400.00	43.0
1984-85	8210.95	3600.00	1634.00	43.80

नोट : ये ब्यौरा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों से एकत्र किये गये आंकड़ों पर आधारित हैं।

इटली की फर्म द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक संयंत्रों के डिजाइन तैयार करना और इंजीनियरी कार्य

8752. **रामकृष्ण मोरे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक संयंत्रों के डिजाइन तैयार करने और उनकी इंजीनियरी संबंधी कार्य पूरी तरह से इटली की फर्म को सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उक्त निर्णय से भारतीय कम्पनियों पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) से (ग) इटालियन फर्म मैसर्स स्नाम प्रोगेटी ने महाराष्ट्र में थाल तथा मध्य प्रदेश में गुना स्थित दो सरकारी क्षेत्र के गैस पर आधारित उर्वरक परियोजनाओं के यूरिया संयंत्रों के लिए बेसिक इंजीनियरिंग पैकेज प्रदान किये हैं। इन परियोजनाओं के लिये निर्माण, अधिप्राप्ति सेवाओं आदि के लिये इंजीनियरिंग पर्यवेक्षण सेवाएं मैसर्स प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लि० (पी०डी०आई०एल०), सार्वजनिक क्षेत्र का इंजीनियरिंग और परामर्शी संगठन, द्वारा मुख्यत: की गयी थी/है।

असंगठित क्षेत्र के उपक्रमों में महिला कर्मचारियों संबंधी सेमीनार

8753. **श्रीमती ऊषा चौधरी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में असंगठित क्षेत्र के उपक्रमों में महिला कर्मचारियों की स्थिति पर एक सेमीनार आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो महिलाओं में असंतोष की भावना को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के बारे में सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) भारत के अल्प संख्यक आयोग द्वारा नई दिल्ली में 20-21 मार्च, 1986 को "असंगठित क्षेत्र में अल्प संख्यक महिला कर्मचारी" संबंधी एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था।

(ख) इस कार्यशाला की सिफारिशें विवरण में दी गई हैं।

(ग) इन सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

विवरण

कार्यशाला ने निम्नलिखित सिफारशें कीं :—

संगठन

(i) महिला मंडलों, महिला समाजों के मंच और ऐसे अन्य ग्रामोन्मुख संगठनों के माध्यम से इन कामकाजी महिलाओं को संगठित करने के लिये एक सहभागितात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाय।

(ii) इन महिला कर्मकारों के संगठन के लिये सहकारी समिति अधिक उचित होगी क्योंकि इससे उन्हें सहायता और सुविधाएं अर्थात् प्रशिक्षण, निवेश और रियायती दरों पर कच्चे माल की सप्लाई प्रबन्धकीय सहायता अनुदान, सस्ते ऋण तथा बाजार सुविधायें आदि मिलेगी, जिसे मिलने में अन्यथा कठिनाई होगी।

(iii) इन महिलाओं को संगठित करने और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनकी आर्थिक दशा सुधारने के लिये स्वैच्छिक सामाजिक कार्यकर्त्ता और संगठन सरकार के कटिंग एज लेवल अधिकारियों की अपेक्षा योग्य प्रतीत होंगे।

प्रशिक्षण

(iv) सरकार को सरकारी और स्वैच्छिक सामाजिक संगठनों, दोनों द्वारा प्रायोजित कर्मकारों के विस्तार का संगठित काडर बनाने के लिए उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। गांवों में ही जन्मी व पाली-पोषी गई मामूली शिक्षित महिलाओं को ऐसे प्रशिक्षण के लिये सूचीबद्ध/भर्ती किया जाना चाहिए।

(v) इन महिला कर्मकारों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिये संस्थानों में प्रशिक्षकों का चयन ग्रामोन्मुख तथा गरीबों के लिये सहानुभूति रखने वाले व्यक्तियों में से

ही लिया जाय। उन्हें भलीभांति प्रशिक्षित होना चाहिये और बार-बार होने वाले पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के लिए प्रतिनियुक्त किया जाना चाहिये ताकि उन्हें उत्पाद डिजाइन और तकनीकी के वर्तमान रुझानों का ज्ञान हो सके।

(vi) इन व्यावसायिक महिला संस्थानों में प्रशिक्षण के उद्देश्य आदर्श उत्पादन देने, परिवर्तित प्रौद्योगिकी या उत्पाद डिजाइन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनकी दक्षता में सुधार व विविधता लाने हेतु उन्हें दोबारा प्रशिक्षित करना और ऐसे औजारों तथा उपकरणों के प्रयोग के लिये उन्हें प्रशिक्षित करना होने चाहिए ताकि मानव शक्ति की आवश्यकता को कम किया जा सके या उत्पादन में तेजी से वृद्धि की जा सके जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी हो।

(vii) असंगठित क्षेत्र की अशिक्षित महिला कर्मकारों के लिये सेन्ट्रली लोकेटिड गांवों में 4 ये 6 सप्ताह की अवधि के चलते-फिरते प्रशिक्षण सिविर आयोजित किये जायं।

(viii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और पोली टैक्नीकल संस्थानों, विशेषकर ब्लाक मुख्यालयों या बहुत बड़े गांवों में, महिला प्रशिक्षणार्थियों के लिए कुछ सीटें आरक्षित की जायं।

(ix) शहरी क्षेत्रों में आधुनिक ढंग के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और पोलिटैक्नीक संस्थानों में घड़ियों, टेलीविजन सैटों और इलैक्ट्रिकल/इलैक्ट्रोनिक गैजटों आदि के अवयवों को असम्बिल करने जैसे लाभकारी ट्रेडों में महिला प्रशिक्षणार्थियों के लिये कुछ सीटें आरक्षित की जाय।

(x) विभिन्न ऐसे व्यवसायों का एक नक्शा तैयार किया जाये जिनमें इस समय महिला श्रमिक कार्यरत हैं, ताकि महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/चलते-फिरते व्यावसायिक प्रशिक्षण शिविरों आदि में एक नक्शा तैयार किया जाय जिसमें प्रशिक्षण देने के लिए ट्रेडों का चुनाव किया जा सके। इन ट्रेडों को दो व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :—

(क) जहां रोजगार अवसरों का विस्तार हो रहा है और प्रशिक्षणार्थियों को नई प्रौद्योगिकी की चुनौती का सामना करने के लिये बेहतर प्रशिक्षण दिया जाए; और

(ख) जहां रोजगार अवसर कम हो रहे हैं और उन्हें दोबारा प्रशिक्षित करने तथा उनके कौशलों में विविधता लाने के लिये सामाजिक मध्यस्थता की आवश्यकता है।

(xi) महिला कर्मकारों को किसी विशिष्ट कार्य में प्रशिक्षित किये जाने की अपेक्षा बाजार के लिये तैयार किये गये उत्पाद को पूरा करने में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये। उदाहरण के तौर पर, चिकन का कार्य करने वाले कर्मकारों को चिकन कार्य के अतिरिक्त "कुर्ती" की कटाई, सिलाई और छपाई में भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये।

(xii) उन क्षेत्रों में कार्य कर रही महिलाओं को जिनमें केवल मौसमी रोजगार होता है, ऐसे सहबद्ध कार्यों में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये जिससे कि वे गैर-मौसम में भी कार्य कर सकें।

बाजार सर्वेक्षण

(xiii) एक सुविचारित बाजार सर्वेक्षण आयोजित किया जाय और बाजार सर्वेक्षण की विद्यमान रिपोर्टों का सावधानी पूर्वक अध्ययन किया जाय ताकि यह पता लगाया जा सके कि कौन से उत्पादों की बिक्री हो रही है, कौन से डिजाइन लोक प्रिय हैं, कौन सी क्वालिटी स्वीकार्य है और उनकी मांग कितनी है ट्रेडों और प्रशिक्षणार्थियों का चयन इस तरह किया जाना चाहिये कि उनके विद्यमान कौशलों/अभिरुचियों को बाजार की आवश्यकतानुसार कौशलों से समंजन किया जा सके। स्वैच्छिक एजेन्सियों को चाहिये कि वे महिला कर्मकारों को काम देने से पहले थोक व्यापारियों से यह सुनिश्चित करें कि उनकी आवश्यकताएं, मांग, क्वालिटी, विशिष्टताएं और कीमत क्या हैं।

विपणन सहायता

(xiv) सरकार को आदेश जारी करने चाहिये कि प्रत्येक खरीदकर्ता सरकारी संगठन अन्य आपूर्तिकर्ताओं के साथ-साथ महिला स्वैच्छिक संगठनों को टेंडर अवश्य परिचालित करें। जिला उद्योग केन्द्र के प्रभारी और महिला स्वैच्छिक संगठनों की एक महिला प्रतिनिधि को जिला स्तर पर क्रय समितियों का सदस्य बनाया जाय। जिला उद्योग केन्द्र के प्रभारी को स्वैच्छिक महिला संगठनों को सरकारी क्रय संगठनों से पंजीकृत कराने में सहायता करनी चाहिये। राज्य सरकारों द्वारा कामकाजी महिलाओं के उत्पादन केन्द्रों के उन उत्पादों के लिये, जिनके लिये स्वैच्छिक महिला संगठनों ने निविदा पेश की हैं, मूल्य में वरीयता दी जाय।

(xv) सरकार को किराये से मुक्त एक वर्क शेड की व्यवस्था करनी चाहिए जहां असंगठित क्षेत्रों में काम कर रही महिलाएं एकत्र हो सकें और काम कर सकें।

यह वर्क शैड गांवों में और उनके घरों के निकट स्थापित की जाए। वह "बालवाडी" मदर एण्ड चाइल्ड केयर सेन्टर या पंचायत हाल से सहबद्ध किसी कमरे में हो सकता है। इस वर्क शैड को बनाने के लिए एन०आर०ई०पी० निधि का उपयोग किया जा सकता है। जबकि उत्पादन केन्द्र के लिए औजारों व उपस्करों की पूर्ति आई०आर०डी०पी०/टी०आर० वाई०एस०ई०एम० और राज्य के उद्योग विभागों के सामान्य कार्यक्रमों के आधीन की जा सकती है।

(xvi) सरकार द्वारा किराये से मुक्त स्थान की व्यवस्था की जाए जहां कामकाजी महिला उत्पादन केन्द्र अपने उत्पादों की बिक्री, विशेषकर हैंडलूम एण्ड हैंडक्राफ्ट बोर्डों और अन्य सरकारी तथा अर्ध सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित प्रदर्शनियां लगा सकें।

(xvii) राज्य सरकारों के वाणिज्य केन्द्र, सहकारी विभाग के शोरूमों, सुपर बाजार आदि की असंगठित क्षेत्र की कामकाजी महिलाओं द्वारा विनिर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी के लिए मुफ्त स्थान की व्यवस्था करनी चाहिए।

(xviii) टी०आर०वाई० एस०ई०एम० का शहरों में विस्तार किया जाए ताकि शहर के गरीब व्यक्तियों को इसके अंतर्गत लाया जा सके और इनमें से 33 प्रतिशत लाभानुभोगी महिलाएं हों। देश की अन्य राज्य सरकारों को महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई गई रोजगार गारंटी योजना के विस्तार की व्यापकता की जांच करनी चाहिए और इन योजनाओं के अंतर्गत 33 प्रतिशत कार्य केवल महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने चाहिए।

(xix) महिला कर्मकारों द्वारा परिवार नियोजन किए जाने से प्रसूति लाभों पर बार-बार किए जाने वाले खर्च को वहन करने की नियोक्ता की अनिच्छा को दूर करने के लिए उनकी नियोजनीयता में सुधार किया जा सकता है।

ऋण

(xx) सातवीं पंच-वर्षीय योजना के दौरान, महिला कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्रालयों द्वारा संचालित महिला विकास निगमों की स्थापना संबंधी योजना का देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विस्तार किया जाए। इसके बाद निगम इन कामकाजी महिलाओं की तरफ से राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ अतिरिक्त राशि और प्रोसेस ऋण आवेदन पत्रों की व्यवस्था करेगा। पंजा बनेशनल बैंक ने कुछ योजनाएं, विशेषकर जो कामकाजी महिलाओं के लिए उपयुक्त हैं, तैयार की हैं जिनके अंतर्गत प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है और ऋण की शर्तों को अधिक आकर्षक बनाया गया है। राष्ट्रीयकृत बैंकों, द्वारा आयोजित ऋण

शिविरों में कुछ प्रतिशत ऋणी असंगठित क्षेत्र में कार्यरत गरीब महिलाएं होनी चाहिए।

समन्वय

(xxi) वर्तमान व्यवस्थाएं, जिनके अधीन बहुमुखी सरकारी एजेंसियों/मंत्रालयों की सहायता से विभिन्न शर्तों के अधीन संचालित एकरूप योजनाओं को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इसकी बजाए केन्द्रीय सरकार के किसी मंत्रालय के अधीन सिंगल विन्डो एड एजेंसी स्थापित की जाए जो कई अन्य मंत्रालयों द्वारा दी गई निधियों को संचालित की जा सकती है। ग्रामीण विकास, श्रम, सामाजिक/महिला कल्याण शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच समन्वय की विशेष आवश्यकता है। महिला कल्याण की विभिन्न योजनाओं के अधीन सहायता देने वाली सभी सरकारी समितियों और एजेंसियों में महिला स्वैच्छिक संगठनों की एक महिला प्रतिनिधि को सहबद्ध किया जाए।

(xxii) एक सार-संग्रह या पुस्तिका जिसमें महिलाओं के आर्थिक कल्याण से सम्बंधित सभी योजनाएं दी गई हों, प्रकाशित की जाए तथा इसका व्यापक रूप से प्रचार किया जाए। इसमें उस ट्रेड/व्यवसायों से संबंधित योजनाएं भी शामिल की जानी चाहिए जहां अत्यधिक संख्या अल्प संख्यक महिलाएं अपनी आजीविका कमाने में लगी हैं।

(xxiii) डिडरेटिव कैरेक्टर का एक शिखर संगठन जिसमें छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों, जहां गरीब बहुसंख्या में रहते हैं, में जाने और काम करने के इच्छुक बहुत कम संगठनों सहित महिला स्वैच्छिक संगठन शामिल हैं, का गठन किया जाय ताकि मैट्रोपोलिटन शहरों और बड़े शहरी समूहों में संचालित स्वैच्छिक एजेन्सियों की अत्यधिक बढ़ोत्तरी को रोका जा सके।

विधान

(xxiv) जिन व्यवसायों में असंगठित क्षेत्र की कामकाजी महिलाएं आमतौर पर लगी हैं, उनको, जहां आवश्यक हो, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की अनुसूची में जोड़ा जाय, कार्य दशाएं निश्चित करने तथा औद्योगिक विधान का उल्लंघन करने पर अभियोजन चलाने के लिए महिला श्रम निरीक्षकों की नियुक्ति की जाय।

(xxv) शहर के गरीब व्यक्तियों के रोजगार के लिए सरकार ने हाल ही में एक योजना की घोषणा की है। इनमें से 33 प्रतिशत कार्य महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने चाहिए।

केरल सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता तथा खेतिहर मजदूर पेंशन का भुगतान

8754. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल द्वारा दिये जा रहे बेरोजगारी भत्ते तथा खेतिहर मजदूर पेंशन की योजना के रूप में स्वीकार करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

महाराष्ट्र की रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत गेहूं का मुफ्त वितरण

8755. **श्री प्रकाश वी० पाटिल :**

श्री आर० एस० आने : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार को रोजगार गारन्टी योजना के अंतर्गत मजदूरों को मुफ्त गेहूं देने की केन्द्रीय योजना के कार्यान्वयन में अपनी कुछ कानूनी बाध्यताओं के कारण कुछ कठिनाई हो रही है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को एक योजना भेजी है जिसमें राज्य और केन्द्र दोनों को ही योजनाओं को बिना किसी रुकावट के कार्यान्वित किया जा सकता है ;

(ग) यदि हां, तो कब और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (घ) महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार को यह बताते हुए लिखा है कि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों को गेहूं का वितरण करना मुश्किल है क्योंकि राज्य की रोजगार गारंटी योजना, जिसका रोजगार सृजन का लक्ष्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लक्ष्य से बहुत अधिक है, में आंशिक मजदूरों का भुगतान खाद्यान्नों में करने का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। यह भी उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के निर्माण कार्यों तथा राज्य के रोजगार गारंटी योजना के निर्माण कार्यों के मजदूरों में कोई अन्तर नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार ने सुझाव दिया है कि रोजगार गारंटी योजना के मजदूरों

के लिये भी मुफ्त गेहूं उपलब्ध कराया जाना चाहिये। राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अतिरिक्त संसाधन के रूप में मुफ्त गेहूं केवल राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन राजगार गारंटी कार्यक्रम के लिये ही उपलब्ध कराया जा सकता है। चूंकि, रोजगार गारंटी योजना राज्य की योजना है, अत: राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त संसाधन के रूप में दिये गये गेहूं का उपयोग रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत नहीं किया जा सकता है। आखिरकार महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम हेतु उपलब्ध अतिरिक्त मुफ्त गेहूं को नहीं लिया है। राज्य सरकार को वर्ष 1985-86 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, प्रत्येक के लिये 39950 मीटरी टन खाद्यान्न देने तथा 1986-87 में इन दोनों कार्यक्रमों के लिये 155820 मीटरी टन खाद्यान्न देने का प्रस्ताव रखा गया था।

राज्यों को ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिये खाद्यान्नों की सप्लाई

8756. **श्री यशवंत राव गडाख पाटिल :**

श्री आर० एस० माने : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1986-87 के दौरान ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के लिये राज्यों को जारी किये जाने वाले खाद्यान्नों की मात्रा के संबंध में निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजना पर अनुमानत: कितना व्यय होने की संभावना है; और

(ग) योजना के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 के दौरान सप्लाई का कितना उपयोग किया गया ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) व (ख) इस समय विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को वर्ष 1986-87 की पहली छमाही के लिये खाद्यान्नों का आवंटन कर दिया गया है। ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों अर्थात् राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 की पहली दो तिमाहियों के लिए मुक्त किये गये खाद्यान्नों तथा नकद निधियों का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार 1985-86 के दौरान ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों अर्थात् राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 4.62 लाख टन खाद्यान्न उपयोग में लाया गया है। आशा है कि सारी रिपोर्टें मिलने तक उपयोग बढ़ जाएगा।

विवरण

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत 1986-87 की पहली दो तिमाहियों के लिए नकद निधियों तथा खाद्यान्नों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघशासित क्षेत्र	नकद निधियां (लाख रुपये में)		खाद्यन्न (मीटरी टनों में)	
		राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	1318.20	1964.90	47780	47780
2.	असम	276.60	148.60	10040	10040
3.	बिहार	1940.40	1044.50	70330	70330
4.	गुजरात	454.20	1061.10	16460	16460
5.	हरियाणा	128.20	299.60	4660	4660
6.	हिमाचल प्रदेश	82.80	200.80	3000	3000
7.	जम्मू व कश्मीर	102.00	56.00	3700	3700

8.	कर्नाटक	636.00	1489.30	23040	23040
9.	केरल	519.60	279.20	18840	18840
10.	मध्य प्रदेश	1144.20	616.30	41480	41480
11.	महाराष्ट्र	882.85	591.60	11450	11450
12.	मणिपुर	15.00	8.50	540	540
13.	मेघालय	21.00	10.90	760	760
14.	नागालैंड	16.80	39.60	610	610
15.	उड़ीसा	607.80	327.60	22020	22020
16.	पंजाब	136.80	319.10	4960	4960
17.	राजस्थान	356.80	290.80	219400*	19400
18.	सिक्किम	10.80	26.60	400	400
19.	तमिल नाडु	1086.60	1535.50	39400	39400
20.	त्रिपुरा	45.60	25.20	1640	1640
21.	उत्तर प्रदेश	2293.55	4705.90	88170	88170
22.	पश्चिम बंगाल	346.40	559.80	37670	37670
23.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	21.60	6.30	780	780
24.	अरुणाचल प्रदेश	21.60	6.30	780	780

1	2	3	4	5	6
25.	चंडीगढ़	6.00	1.50	220	220
26.	दादरा व नगर हवेली	10.80	3.20	400	400
27.	दिल्ली	3.20	4.60	350	350
28.	गोवा, दमन व दीप	25.20	41.60	900	900
29.	लक्षद्वीप	6.00	1.50	220	220
30.	मिजोरम	21.60	27.30	780	780
31.	पांडिचेरी	21.60	6.30	780	780
32.	अखिल भारतीय	12560.00	15700.00	671560	471560

*राजस्थान को 2 लाख मीटरी टन अतिरिक्त गेहूं मुक्त कर दिया गया है।

[हिन्दी]

राजस्थान को ग्राम्य जल आपूर्ति योजना के अन्तर्गत सहायता

8757. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्रुतगामी ग्राम्य जल आपूर्ति योजना के अन्तर्गत राज्यों को वित्तीय सहायता दिये जाने के लिए क्या मानदण्ड अपनाये जाते हैं ;

(ख) क्या मैदानी क्षेत्रों की तुलना में रेगिस्तानी इलाकों में पेय जल आपूर्ति पर 5 से 15 गुना अधिक लागत आती है ;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का राज्यों को वित्तीय सहायता देने संबंधी अपने मानदण्डों में लागत संबंधी पहलू पर विशेष रूप से विचार करने और राजस्थान को, जहां 50 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र रेगिस्तानी है तथा अनेक छोटे-छोटे गांव दूर-दूर बसे हुए हैं, अधिक धनराशि आबंटित करने का विचार है ताकि राज्य की पेय जल की समस्या का समाधान हो सके ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को दी जाने वाली सहायता के लिए अपनाए गए मानदण्डों में, सातवीं पंचवर्षीय योजना के सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, 50 प्रतिशत बल किसी राज्य/संघ शासित क्षेत्र की ग्रामीण जनता पर, 20 प्रतिशत बल राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के इलाकों पर, 20 प्रतिशत बल राज्य/संघ शासित क्षेत्र की गरीबी पर तथा 10 प्रतिशत बल छठी योजना के पिछले बचे समस्याग्रस्त गांवों पर दिया जाता है। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटन इन मानदण्डों के आधार पर तय किए जाते हैं कि राज्य सरकार ग्रामीण जल आपूर्ति हेतु न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत बराबर का प्रावधान करेगी।

(ख) से (घ) : रेगिस्तानी, पहाड़ी तथा अन्य क्षेत्रों में, जहां भूमिगत जल कम उपलब्ध है अथवा लवणता, खारापन, फ्लोराइड एवं अन्य कारणों से पानी पीने योग्य नहीं है तथा जहां सुदूर स्रोतों पर आधारित क्षेत्रीय पाइप वाली जल योजनाओं को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु अपनाया जाना है, योजनाओं की लागत अधिक है। राज्यों के आबंटन निर्धारित करने में योजनाओं की लागत घटक को ध्यान में रखना संभव नहीं है। विभिन्न क्षेत्रों में जल आपूर्ति की विशेष समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी मिशन आरम्भ किया गया है, ताकि ऐसे क्षेत्रों की समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जा सके। इन समस्याओं के लिए स्थानीय साधनों तथा स्थितियों के अनुरूप कम लागत वाले समाधानों को ढूंढने के प्रयास किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती इंदिरा गांधी पर फिल्म

8758. **श्रीमती किशोरी सिन्हा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ ने श्रीमती इंदिरा गांधी पर संयुक्त रूप से एक फिल्म बनाने का प्रस्ताव किया है, जैसा कि 9 अप्रैल, 1986 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ है ;

(ख) क्या सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ग) क्या राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने श्रीमती इंदिरा गांधी पर एक पूर्णतया भारतीय फिल्म बनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) और (ख) निस्सन्देह श्रीमती इन्दिरा गांधी पर एक फिल्म बनाने के लिए सोवियत संघ द्वारा एक प्रस्ताव किया गया है, किन्तु प्रस्ताव एक संयुक्त भारत सोवियत फिल्म बनाने के लिए नहीं है, बल्कि भारत में शूटिंग करने, सामग्री सप्लाई करने, आदि के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए नोडल मंत्रालय अर्थात विदेश मंत्रालय से एक अनुरोध है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कीटनाशक दवाइयों का उत्पादन और आयात

8759. **श्री एस० जयपाल रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कीटनाशक दवाइयों के उत्पादन तथा उनके आयात में वृद्धि हो रही है ;

(ख) क्या कीटनाशक दवाइयां जहां इनका उपयोग होता है वहां फसलों के बढ़े हुए उत्पादन/उत्पादकता के अनुरूप हैं ;

(ग) यदि हां, तो उनका गत तीन वर्षों के दौरान फसल-वार कीटनाशक दवाई-वार ब्यौरा क्या है (26 मार्च, 1986 के इकोनोमिक टाइम्स के अनुसार) ; और

(घ) क्या पंजीकरण समिति के पास कीटनाशक दवाइयों को स्वीकार करने से पहले उनकी सुरक्षा और प्रभारी उत्पादकता के दावों की जांच के लिए विश्वस्त और स्वतंत्र तरीके उपलब्ध हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) मोटे तौर पर, कीटनाशी दवाइयों के स्वदेशी उत्पादन और आयात में कुछ वृद्धि हुई है ।

(ख) तथा (ग : कीटनाशक दवाइयां कृषि उत्पादन के लिए आवश्यक आदान हैं और कीटनाशी दवाइयों के स्वदेशी विनिर्माण की कमी को पूरा करने के काम में आयात का योगदान रहता है । प्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद द्वारा लगाए गए एक अनुमान के अनुसार फसल, कृमि, मौसम और स्थान पर निर्भर करते हुए कीटनाशी दवाइयों के उपयोग से कृमियों और रोगों से फसलों में भारी मात्रा में होने वाली हानि जैसे कपास (40 प्रतिशत), धान, ज्वार, गन्ना आलू (9 से 12 प्रतिशत) तथा कृमियों और रोगों के कारण होने वाले औसतमान (10 से 30 प्रतिशत) सामान्य नुकसान से बचा जा सकता है ।

कीटनाशी दवाईयों के इस्तेमाल के साथ फसल उत्पादन । उत्पादकता की रैखिक सहसम्बद्धता की आवश्यकता नहीं होती ।

(घ) जी हां, । पंजीकरण समिति का अपना एक अलग सचिवालय है, जिसमें उच्च योग्यता प्राप्त तकनीकी विशेषज्ञ हैं, जो सुरक्षा और क्षमता के प्राचलों के दावों की छानबीन करते हैं । दूसरे, केवल कृषि विश्वविद्यालयों भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद और प्रसिद्ध अनुसंधान तथा विकास केन्द्रों द्वारा सृजित तथा प्रकाशित और अधिप्रमाणित आंकड़ों को ही स्वीकार किया जाता है । तीसरे सम्बन्धित अनुसंधान संगठनों को जब कभी भी जरूरी हो, समिति के निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी सम्मिलित किया जाता है ।

दीफू में दूरदर्शन केन्द्र

8760. **श्री वीरेन सिंह एंगती** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दीफू में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान निर्माण कार्य पूरा करने और इसे चालू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) और (ख) जी, हां । दीफू में अल्प शक्ति (100 वाट) वाला एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने की

स्कीम अनुमोदित उत्तर-पूर्वी दूरदर्शन विस्तार योजना में शामिल एक स्कीम है। ट्रांसमीटर की स्थापना करने के लिए उपयुक्त स्थान दूरदर्शन द्वारा कब्जे में ले लिया गया है। इस ट्रांसमीटर के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में स्थित अल्प शक्ति वाले मौजूदा दूरदर्शन ट्रांसमीटरों में से एक ट्रांसमीटर को उक्त योजना के अन्तर्गत उच्च शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर से बदल दिए जाने के फलस्वरूप उसके रिलीज हो जाने के बाद 1987 के दौरान चालू होने की उम्मीद है।

बस्तर से टिन अयस्क की तस्करी

8761. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में टिन अयस्क की बड़े पैमाने पर तस्करी की ओर दिलाया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान टिन अयस्क की अनुमानित कितनी मात्रा की तस्करी की गई है;

(ग) उक्त तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) क्या बस्तर, मध्य प्रदेश में टिन अयस्क का उपयोग करने के लिए एक संयंत्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वर्षों में टिन अयस्क की तस्करी की अनुमानित मात्रा इस प्रकार है;

वर्ष	टिन अयस्क किलोग्राम	टिन धातु किलोग्राम
1983	1207.250	3333.300
1984	277.500	3960.650
1985	1818.200	2994.360

(ग) क्षेत्र से टिन अयस्क की तस्करी रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए उपाय हैं :—

(i) पुलिस, वन और खनन विभागों के अधिकारियों तथा उड़न दस्तों द्वारा तस्करी मामलों की खोज;

(ii) टिन अयस्क की स्थानीय आदिवासियों से मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा खरीद ; तथा

(iii) कुछ तस्करों के मकानों और इलाके की व्यापक तलाशी आदि ।

(घ) मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम ने भाभा परमाणु शोध केन्द्र, बम्बई, के सहयोग से 1985 में रायपुर औद्योगिक क्षेत्र में टिन स्मेल्टिंग डिमोन्सट्रेशन प्लांट लगाया है ।

[हिन्दी]

दूरदर्शन पर हिन्दी में कार्यक्रम

8762. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन प्राधिकारियों द्वारा यह आश्वासन दिये जाने पर भी कि दूरदर्शन पर कार्यक्रमों का हिन्दी में प्रसारण का समय बढ़ाया जायेगा, 80 प्रतिशत कार्यक्रम अब भी अंग्रेजी में प्रसारित किये जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का उच्चारण के दोषों के बिना अधिक कार्यक्रमों का हिन्दी में प्रसारण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विकास पुरी में निम्न आय वर्ग के फ्लैटों के निर्माण में अनियमितताएँ

8764. **श्री मैया सिंह गिल** :

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को इस आशय की शिकायतें मिली हैं कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकास पुरी में निम्न आय वर्ग के फ्लैटों के निर्माण में फिर अनियमितताएं की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार को इस प्रकार की अन्य कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

[अनुवाद]

मजदूर संघों को मान्यता

8765. **प्रो०के०वी० थामस** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजदूर संघों को मान्यता देने के मानदण्ड देश भर में एक समान हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो मजदूर संघों को मान्यता देने के लिए समान संहिता बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(ग) क्या संबंधित प्रबंधकों द्वारा श्रमिकों के साथ बातचीत और विचार विमर्श के लिए केवल मान्यता प्राप्त मजदूर संघों को ही बुलाए जाने का प्रस्ताव है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) मई, 1958 में हुए भारतीय श्रम सम्मेलन के 16 वें अधिवेशन में उद्योग में अनुशासन संहिता तैयार की गई जिसमें यूनियनों को मान्यता देने के लिए मानदण्ड शामिल है जिसके उद्धरण संलग्न विवरण में दिए गए हैं। ये मानदण्ड ऐसे सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए एक समान हैं जिन्होंने अनुशासन संहिता को स्वीकार किया है । तथापि, उन प्रतिष्ठानों में प्रबंधतंत्र और संघों के बीच हुए द्विपक्षीय करारों के परिणामस्वरूप अनुशासन संहिता में परिकल्पित मान्यता पैटर्न के कुछ मामलों में संशोधन किया गया है । अनुशासन संहिता की परिधि के अन्तर्गत न आने वाले उपक्रमों के संबंध में संघों की मान्यता इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से बनाए गए नियमों के अनुसार की जाती है ।

गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, संघों को मान्यता देने के बारे में विशिष्ट सांविधिक उपबंध विद्यमान हैं और ये उपबंध संहिता के अधीन मानदंडों को रद्द करते हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित अनुशासन संहिता में नियोजकों के साथ सामूहिक करार करने के मामले में मान्यता प्राप्त मजदूर संघों के अधिकारों को निर्धारित किया गया है। तथापि, कुछ उपबंधतंत्रों ने विभिन्न समझौता वार्त्ताएं करने के प्रयोजनार्थ संयुक्त द्विपक्षीय वार्त्ता समितियां गठित की हैं जिनमें इन प्रतिष्ठानों में काम कर रहे सभी पंजीकृत संघों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

विवरण

यूनियनों को मान्यता देने के लिए मानदण्ड

1. जहां एक से अधिक यूनियनें हैं, वहां मान्यता का दावा करने वाली यूनियन के लिये यह आवश्यक है कि वह रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् कम से कम एक वर्ष तक काम करती रही हो। जहां केवल एक ही यूनियन है वहां यह शर्त लागू नहीं होगी।

2. संबंधित प्रतिष्ठान के कम से कम 15 प्रतिशत मजदूर उस यूनियन के सदस्य होने चाहिये। केवल उनकी सदस्यता गिनी जायेगी जिन्होंने गणना के पूर्व छ: महीनों में कम से कम तीन महीने का चन्दा दे दिया है।

3. यदि किसी यूनियन में किसी स्थानीय क्षेत्र के उद्योग के कम से कम 25 प्रतिशत मजदूर सदस्य हैं तो वह यूनियन इस स्थानीय क्षेत्र के उद्योग की प्रतिनिधि के रूप में मानी जाने का दावा कर सकती है।

4. जब किसी यूनियन को मान्यता दे दी जाये तब दो वर्ष की अवधि तक उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिये।

5. जहां तक उद्योग या संस्थापन में कई यूनियनें हैं वहां सबसे अधिक सदस्यों वाली यूनियन को मान्यता दी जानी चाहिये।

6. किसी क्षेत्र के उद्योग की प्रतिनिधि यूनियन को उस उद्योग के सब संस्थानों के मजदूरों की यूनियन में उस संस्थान के मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होना चाहिये, किन्तु यदि किसी विशेष संस्थान के मजदूरों की यूनियन में उस संस्थान के 50 प्रतिशत या उससे अधिक मजदूर सदस्य हैं तो उसको अपने सदस्यों की शिकायतों जैसे स्थानीय हितों वाले विषयों के निपटाने के लिये कार्रवाई करने का अधिकार होना चाहिये। जो अन्य मजदूर उस यूनियन के सदस्य नहीं हैं वे या तो उद्योग की प्रतिनिधि यूनियन की मार्फत कार्रवाई कर सकते हैं या स्वयं ही कार्रवाई कर सकते हैं।

7. जो मजदूर यूनियन फेडरेशन चार केन्द्रीय श्रम संस्थानों में से किसी से भी सम्बद्ध नहीं हैं उनकी मान्यता के प्रश्न को पृथक रूप से निपटाना होना ।

8. केवल वे ही यूनियनें मान्यता की हकदार होंगी जो अनुशासन संहिता का पालन करती हैं ।

इलेक्ट्रानिक आर्क फरनेंस इंडस्ट्री में अतिरिक्त क्षमता की स्थापना

9766. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "इलैक्ट्रिक आर्क फरनेस इंडस्ट्री" में अतिरिक्त क्षमताओं की स्थापना की अनुमति देने के लिये स्टील फरनेस एसोसिएशन आफ इंडिया की आवश्यकताओं पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं । विद्युत चाप भट्टी उद्योग में अतिरिक्त क्षमताओं की स्थापना की अनुमति प्राप्त करने हेतु स्टील फर्नेस एशोसिएशन आफ इण्डिया से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन

8767. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की जांच करने के लिये कोई समिति नियुक्त की थी;

(ख) यदि हां, तो समिति की रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने रिपोर्ट में उल्लिखित दोषों और कमियों को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (ग) भारत सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की जांच करने के लिये कोई समिति नियुक्त नहीं की गई थी । तथापि, इस विभाग के अधिकारी समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम सहित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का अध्ययन करने के लिये पश्चिम बंगाल सहित

विभिन्न राज्यों का समय-समय पर मुआइना करते हैं। ऐसे निरीक्षणों के दौरान इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में यदि कोई कमी पाई जाती है, तो उसे संबंधित राज्यों के ध्यान में लाया जाता है, ताकि सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।

प्रायोजित कार्यक्रमों के संबंध में आय तथा व्यय

8768. **श्री मूल चंद डागा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 तथा अप्रैल से सितम्बर, 1985 तक की अवधि के दौरान प्रायोजित कार्यक्रमों के संबंध में प्रत्येक धारावाहिक पर अलग-अलग कितना खर्च हुआ तथा उससे कितनी आय हुई;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रत्येक धारावाहिक के लिए कमीशन के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया;

(ग) क्या धारावाहिकों को जारी रखने अथवा बंद करने के संबंध में जनता तथा समाचारपत्रों की राय पर ध्यान दिया जाता है;

(घ) यदि हां, तो किस धारावाहिक के संबंध में इस मानदण्ड को अपनाया गया था; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) तथा (ख) प्रत्येक प्रायोजित धारावाहिक से 1984-85 के दौरान तथा अप्रैल से दिसम्बर, 1985 तक हुई आय तथा उसके लिए दिए गए कमीशन की राशि का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

जहां तक प्रयोजित कार्यक्रमों पर खर्चे का संबंध है, धारावाहिकों के निर्माण की लागत स्वयं प्रायोजकों द्वारा वहन की जाती है।

(ग) और (घ) कार्यक्रमों के बारे में प्रेस समीक्षाओं जनता की प्रतिक्रियाओं पर दूरदर्शन द्वारा ध्यान दिया जाता है तथापि, किसी धारावाहिक को जारी रखने या बंद करने का निर्णय एक व्यावसायिक निर्णय होता है जिसे दूरदर्शन द्वारा सभी संगत बातों पर विचार करने के बाद लिया जाता है।

(ङ) प्रश्न ही नही उठता।

विवरण

1984-85 के दौरान विभिन्न धारावाहिकों के प्रायोजित कार्यक्रमों से हुई सकल आय

(रुपये हजार में)

क्रम सं०	धारावाहिक का नाम	राशि (आय)	कमीशन
1	2	3	4
		रुपए	रुपए
1.	शो थीम	9603	1440.4
2.	गज़ल खजाना	39	11.8
3.	स्पोट लाइट	980	147.0
4.	डिफरेन्ट स्ट्रोक्स	3366	504.9
5.	हम लोग	8594	1289.1
6.	काउंट डाउन	70	10.5
7.	नवरंग	33	4.9
8.	जरा संभल के	33	4.9
9.	यह जो है जिन्दगी	6987	1048.0
10.	मशहूर महल	2657	398.5
11.	रूना लैला	168	25.2
12.	इधर-उधर	529	70.3
13.	स्पाइडर मैन	110	16.5
14.	अड़ोस-पड़ोस	159	23.8
15.	खानदान	443	66.4
16.	नवल ज्योति	100	15.0

1	2	3	4
17.	अपराधी कौन	140	21.0
18.	नाजिया जौहर	105	15.7
19.	यू०एफ०ओ०	450	67.5
20.	येस मिनिस्टर	352	52.8
21.	लूसी	3396	509.4
22.	स्टार ट्रेक	384	57.6
23.	आड कपल	4250	637.5
24.	कम्प्यूटर	660	99.0

अप्रैल, 1985 से दिसम्बर, 1985 तक विभिन्न धारावाहिकों के प्रायोजित कार्यक्रमों से हुई सकल आय (प्रत्येक धारावाहिक से अलग-अलग)

(रुपए हजार में)

क्रम संख्या	धारावाहिक का नाम	राशि (आय)	कमीशन
1	2	3	4
		रुपए	रुपए
1.	यह जो है जिन्दगी	26246	3936.9
2.	हम लोग	27632	4144.8
3.	खानदान	22827	3424.0
4.	प्रोजेक्ट यू०एफ०ओ०	1783	267.2
5.	शो थीम	6205	930.7
6.	मशहूर महल	1172	175.8
7.	इधर उधर	1778	266.7

1	2	3	4
8.	स्पाइडर मैन	2143	321.4
9.	सौरी	700	105.0
10.	अड़ोस-पड़ोस	1217	182.5
11.	क्विज टाइम	3969	595.4
12.	नवल ज्योति	180	27.0
13.	अपराधी कौन	521	78.2
14.	पेइंग गेस्ट	3326	498.9
15.	नाजिया जौहर	35	5.2
16.	मिस्टर एंड मिसेज	4959	743.8
17.	रजनी	15111	2266.6
18.	बैरिस्टर विनोद	526	78.9
19.	आर यू बीग सर्वंड	936	140.4
20.	सरवाइवल	967	145.0
21.	सफरनामा	105	15.7
22.	हाट ट्रेक	955	143.2
23.	तितलियां	175	26.2
24.	सीब एड	717	107.5
25.	टार्गेट	510	76.5
26.	नटखट नारद	2223	333.4
27.	बसंती	509	76.5
28.	दर्पण	11517	1727.5
29.	शू स्ट्रिंग	580	87.0
30.	स्टार ट्रेक्स	3930	589.5

1	2	3	4
31.	बाबाजी का बाइस्कोप	1518	227.7
32.	टेरी एंड जून	955	143.2
33.	येस मिनिस्टर	100	15.0
34.	बीबी नातियां वाली	830	124.5
35.	बनते बिगड़ते	967	145.0
36.	इन्डिया 2001	150	22.5
37.	नेमिफेस्ट	430	64.5
38.	देखो मगर प्यार से	6377	956.5
39.	वाह जनाब	2507	376.0
40.	एक कहानी	3064	459.6
41.	करम चंद	1732	259.6
42.	न्यूज लाइन	720	108.0
43.	13 पन्ने	4445	663.7
44.	नुक्कड़	1560	234.0
45.	इन्डिया एलाइव	400	60.0
46.	या बैल मुझे मार	550	82.5
47.	विक्रम बेताल	620	93.0
48.	तृष्णा	3425	513.7
49.	अपने आप	270	40.5
50.	वाल डिस्ने	125	18.7
51.	फ्रेगल रॉक	300	45.0
52.	ज्वैल एंड क्राउन	2720	393.0
53.	कोस्मोस	1250	187.5

1	2	3	4
54.	कृष्ण अवतार	500	75.0
55.	कहां गए वो लोग	70	10.5
56.	स्माइल फोर मी	70	10.5
57.	पंच तंत्र	120	18.0
58.	जाने आलम	380	57.0

जनजातीय जीवन पर फिल्में

8796. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म प्रभाग द्वारा जन-जातीय जीवन तथा संस्कृति पर अब तक निर्मित फीचर फिल्मों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार का विचार उड़ीसा के जनजातीय जीवन पर ऐसी फीचर फिल्में बनाने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) और (ख) फिल्म प्रभाग ने जनजातीय जीवन और संस्कृति पर बारह 16 एम०एम० लघु फीचर फिल्में बनाई हैं, जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

	शीर्षक	भाषा
1.	भोरेर अले	बंगला
2.	पोखुल अमा	मणिपुर
3.	का-लावाई-हकी-वती जोंगन्गी	खासी
4.	जीबाकु देबीनाहिन	उड़िया
5.	जागरण	उड़िया
6.	मोहमुक्ति	सथाली

	शीर्षक	भाषा
7.	यापी	आदि भाषा
8.	सोनार मुराद किरन किशोर	बंगला
9.	मजुली दि रीवर आइसलैंड	असमिया
10.	अडीवी पूवालू	तेलुगू
11.	सुगंध गिरी	कन्नड़
12.	सुग्नी कुनैता	कन्नड़

फिल्म प्रभाग उड़ीसा के जनजातीय जीवन पर लघु फीचर फिल्में पहले ही बना चुका है । देखें ऊपर क्रम संख्या (4) और (5) ।

राष्ट्रीय कार्यक्रम का प्रसारण

8770. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सभी दूरदर्शन केन्द्र राष्ट्रीय कार्यक्रम का दैनिक रूप से प्रसारण कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कार्यक्रम के प्रसारण के लिए नये दिशा-निर्देश जारी किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां । देश के सभी दूरदर्शन केन्द्र तथा रिले ट्रांसमीटर दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम को रिले करते है । तथापि, दूरदर्शन केन्द्र, मद्रास हिन्दी के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन के टेलीकास्ट होने के बाद राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल होता है ।

(ख) दूरदर्शन का राष्ट्रीय कार्यक्रम 15-8-1982 से टेलीकास्ट किया जा रहा है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली में पालेकर पंचाट का कार्यान्वयन

8771. **श्री कुंवर राम :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में पालेकर पंचाट के कार्यान्वयन में विलम्ब करने के जिम्मेदार दैनिक समाचार-पत्रों के प्रबंधकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनमें से ऐसे प्रबंधकों की संख्या कितनी है जिन्होंने न तो कर्मचारियों को अनेक वर्षों से बोनस का भुगतान किया है और न ही कर्मचारियों के वेतन से काटी गई भविष्य निधि की राशि जमा कराई है; और

(घ) उनमें से उन प्रबंधकों के नाम क्या हैं और उनकी संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) दिल्ली प्रशासन, जो इस मामले में समुचित प्राधिकरण है, ने सूचित किया है कि जब भी उन्हें पालेकर पंचाट को कार्यान्वित न किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई उन्होंने एक या दो मामलों के सिवाय सभी मामलों में पंचाट को कार्यान्वित करने के लिए प्रबंधतंत्रों को सहमत किया। की गई कार्रवाई के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

(i) श्री एम०सी० भारद्वाज के मामले में पालेकर पंचाट कार्यान्वित न किए जाने के संबंध में मैसर्स टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के प्रबंधतंत्र से 17,373.00 रु० वसूल किए गए। चूंकि प्रबंधतंत्र ने वसूली प्रमाणपत्र के विरुद्ध याचिका दायर की है, इसलिए यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में लम्बित पड़ा है।

(ii) मैसर्स दिल्ली प्रैस, नई दिल्ली के प्रबंधतंत्र, जिसने पालेकटर पंचाट के अधीन वसूली आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की के विरुद्ध लगभग 2 लाख रु० का वसूली प्रमाणपत्र जारी किया गया।

(iii) पालेकर पंचाट की कार्यान्वयन न किए जाने के संबंध में, समाचार भारती के श्री एम० एल० वर्मा और हिन्दुस्तान समाचार के श्री एम० सी० शर्मा ने मामले दायर किए और इन पर वसूली कार्यवाही की जा रही है।

2. मैसर्स एसोसिएटिड जर्नल्स लि०, नई दिल्ली के विरुद्ध एक शिकायत प्राप्त हुई जो वर्ष 1983-84 के लिए बोनस की अदायगी न किए जाने से संबंधित थी। प्रबंधतंत्र के विरुद्ध न्यायालय में अभियोजन दायर किया गया है जो लम्बित पड़ा है।

3. कर्मचारियों की भविष्य निधि की बकाया राशि जमा न कराने के लिए मैसर्स एसोसिएटिड जर्नल्स लि० के प्रबंधतंत्र के विरुद्ध कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की धारा 8 के अधीन राजस्व वसूली प्रमाणपत्र जारी किए गए और कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की धारा 14 और भारतीय दंड संहिता की धारा 406 तथा 409 के अधीन अभियोजन मामले चलाए गए।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में मछुआरों की दयनीय हालत को सुधारना

8772. **श्री एन० डेनिस** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु में तटवर्ती क्षेत्रों के मछुआरों की दयनीय हालत की जानकारी है;

(ख) उनकी आवास स्थिति में सुधार करने उन्हें चिकित्सा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा उनके बच्चों के लिए शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) उनकी आर्थिक हालत में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) जी हां। तटवर्ती मछुआरों, विशेषकर तमिलनाडु के रामेश्वरम् जिले में और उसके आस-पास के इलाके में, रहन-सहन की दयनीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए विस्थापित मछुआरा समुदाय को मत्स्यन के विविध कार्य शुरू करने के अवसर प्रदान किये जा रहे हैं और इस संबंध में उन्हें उदार ऋण से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयान प्राप्त करने की अनुमति दी जा रही है। इसके अतिरिक्त, मछुआरा समाज के लिये राष्ट्रीय कल्याण निधि संबंधी एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत आवास, चिकित्सा परिचर्या, और बच्चों के लिये शिक्षा की जरूरतों से संबंधित कार्यक्रमों के लिये सहायता प्रदान करने की व्यवस्था भी है। वैसे, राज्य सरकार ने ऐसी कोई योजना प्रस्तुत नहीं की है।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वैच्छिक एजेंसियां

8773. **श्रीमती शीला दीक्षित** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में किन्हीं स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता प्रदान की जा रही है,

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 1985 को उनकी संख्या क्या थी,

(ग) ये एजेंसियां किन क्षेत्रों में काम कर रही हैं ; और

(घ) इन एजेंसियो के कार्यकलाप क्या हैं ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (घ) कृषि मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के स्वैच्छिक संगठनों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 31-3-1985 तक दी गई सहायता संलग्न विवरण में दर्शायी गई है ।

भारतीय विकास लोक कार्यक्रम/ग्राम प्रौद्योगिकी विकास परिषद्, जो ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत सोसाइटियां हैं, स्वैच्छिक संगठनों द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान करते हैं ।

विवरण

कृषि मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 31-3-1985 तक सहायतावत स्वैच्छिक एजेंसियों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	एजेन्सी का नाम	शामिल क्षेत्र	गतिविधियां
1	2	3	4
ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण			
1.	सघन क्षेत्र विकास समिति, सेवापुरी, जिला वाराणसी	वाराणसी जिले के 3 खंड	संगठन की ये गतिविधियां थीं :—ग्रामीण कुटीर उद्योगों में प्रशिक्षण देना, विकास कार्य, लोगों को अपने रोजगार अवसरों को सुधारने के लिए सहायता देना, खादी तथा ग्रामोद्योग कार्यक्रम का प्रबंध करना ।
2.	श्री सिद्धभवानी आश्रम गांव माहवा, पो०आ० बिलासपुर, जिला पीलीभीत	जिला पीलीभीत	यह संस्था ग्रामीण युवकों को विभिन्न व्यवसायों का व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर और उन्हें अपनी आजीविका के लिये आत्मनिर्भर बना कर, खासतौर से शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को ध्यान में रखते हुये, उनके सामाजिक तथा आर्थिक सहायता दे रही है ।
जन सहयोग			
3.	शिशु, कल्याण तथा अनुसंधान ब्यूरो, लखनऊ	उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों के विभिन्न भाग	बाल ग्राम तथा सामुदायिक केन्द्र का संचालन, युवाओं तथा बच्चों के लिये कल्याण केन्द्रों का संगठन, आदि । फरवरी, 1983 में एक प्रायोगिक परियोजना मंजूर की गई थी । इस परियोजना के लिये शेष सहायता जून, 1985 में दी गई थी ।

1	2	3	4
प्रयोगशाला तथा भूमि परियोजना			
4.	कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट, सुल्तानपुर (उ०प्र०)		क्रम संख्या 4 से 7 तक दी गई एजेंसियों को प्रयोगशाला से लेकर भूमि तक के कार्यक्रमों के अन्तर्गत सहायता दी गई थी जिनके अन्तर्गत फसल निदर्शनों, पशुधन में सुधार तथा अन्य उत्पादन वाले व आय-सृजन वाले कार्यों के माध्यम से छोटे व सीमान्त किसानों और भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को सहायता दी जाती है।
5.	कृष्णमूर्ति फाउंडेशन इंडिया, राजघाट, वाराणसी, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)		
6.	लिटरेसीहाउस आलमबाग, लखनऊ, (उ०प्र०)		
7.	दीनदयाल शोध संस्थान, जयप्रभा ग्राम, गोंडा (उ०प्र०)		क्रम संख्या 4 पर दी गई एजेंसी अर्थात् कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट, सुल्तानपुर को भी कृषि विज्ञान केन्द्र चलाने हेतु सहायता दी जाती है।

आन्ध्र प्रदेश में अभ्रक की खानें

8774. श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र-प्रदेश में कितने क्षेत्र में अभ्रक की खानें है और वहां अभ्रक का कुल कितना उत्पादन होता है ;

(ख) आन्ध्र प्रदेश की अभ्रक खानों में कितने व्यक्ति काम करते हैं ; और

(ग) क्या आन्ध्र-प्रदेश में अभ्रक के खनन कार्य में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अखबारी कागज का आयात

8775. श्री अतीश चन्द्र सिन्हा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के लिए अखबारी कागज की कुल आवश्यकता कितनी है ;

(ख) कुल आवश्यकता का कितना भाग स्वदेशी उत्पादन से पूरा किया जाएगा और कितने मूल्य के अखबारी कागज की मात्रा का आयात किया जाएगा ;

(ग) छोटे, मध्यम और बड़े समाचारपत्रों को अखबारी कागज के वितरण के बारे में सरकार की नीति क्या है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार अखबारी कागज के आयात पर कुछ प्रतिबंध लगाने का है ताकि बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत की जा सके ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) और (ख) आवश्यकता का अनुमान वर्ष 1986-87 के लिए अखबारी कागज आवंटन नीति के ढांचे के अन्दर लगाया जायेगा । यह नीति तैयार की जा रही है और इसकी घोषणा शीघ्र ही कर दिए जाने की उम्मीद है ।

(ग) सभी श्रेणियों के समाचारपत्रों को अखबारी कागज का आवंटन अखबारी कागज आवंटन नीति के अनुसार ही किया जाता है । तथापि, अखबारी कागज के आवंटन के मामले में "लघु और मझोले" समाचार पत्रों को कुछ रियायतें दी गई हैं ।

(घ) अखबारी कागज के आयात की मात्रा का अनुमान स्वदेशी उत्पादन तथा वर्ष के दौरान संभावित खपत के बीच के अन्तर के आधार पर लगाया जाता है तथापि, वास्तविक आयात विदेशी मुद्रा की उपलब्धता के अधीन है।

आपरेशन फ्लड के लिये यूरोपीय आर्थिक समुदाय से सहायता

8776. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1985 में समाप्त हुई "आपरेशन फ्लड" परियोजना के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय से और सहायता लेने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यूरोपीय आर्थिक समुदाय से अब तक नगद और सामग्री के रूप में कितनी सहायता प्राप्त हुई है ; और

(ग) आपरेशन फ्लड की अब तक की क्या उपलब्धियां हैं और क्या निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हुए थे और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आपरेशन फ्लड परियोजना जारी रखने के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय से सहायता मांगने का एक प्रस्ताव है।

(ख) भारतीय डेरी निगम को मार्च, 1985 तक 2,16,583.827 मीटरी टन स्किम दुग्ध चूर्ण, 62,401,540 मीटरी टन बटर आयल, 16.577.050 मीटरी टन बटर तथा 497.120 मीटरी टन तोरिया का परिष्कृत तेल प्राप्त हुआ है।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि अर्थात 1980-81 से 1984-85 के दौरान आपरेशन फ्लड-2 के तहत चुनिंदा घटकों के लक्ष्य तथा उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :—

	विवरण	1984-85 (संचयी लक्ष्य)	उपलब्धियां
1.	ग्रामीण डेरी परिसंस्करण क्षमता (लाख लिटर प्रति दिन)	76.00	87.75
2.	शहरी दुग्ध विपणन (लाख लिटर प्रति दिन)	43.00	50.11

	विवरण	1984-85 (संचयी लक्ष्य)	उपलब्धियां
3.	डेरी सहकारी समितियों की संख्या	29000	34523
4.	कृषक सदस्यों की संख्या (लाख)	34.80	36.31
5.	औसत दूध अधिप्राप्ति (लाख लिटर प्रति दिन)	55.30	57.84

सेवानिवृत्त व्यक्तियों द्वारा सरकारी आवास को खाली करना

8777. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनके पास सरकारी आवास हैं और उसे उन्होंने अभी तक खाली नहीं किया है ;

(ख) उसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) 1281 सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी रिआयत अवधि के बाद भी किसी न किसी बहाने सामान्य पूल रिहायशी वास में रह रहे हैं।

(ग) लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

मिश्रित खेती करने वाले राज्यों को योजनाओं का कार्यान्वयन

8778. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फसलों, पशु-पालन, मुर्गीपालन और मत्स्यपालन सम्बन्धी मिश्रित खेती के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का कोई अध्ययन शुरू किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा अध्ययन किन राज्यों में किया गया है ; और

(ग) अध्ययन रिपोर्टों के अनुसार विभिन्न राज्य सरकारों का क्या कार्यनिष्पादन है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेश चन्द्रमणा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

"एल्यूमिनियम" का उत्पादन

8779. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एल्यूमिनियम, विशेषकर बिक्री योग्य एल्यूमिनियम, के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये कदम उठाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो भारत एल्यूमिनियम कम्पनी (बाल्को) और राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कम्पनी (नाल्को) ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं ;

(ग) भारत एल्यूमिनियम कम्पनी ने वर्ष 1985-86 में कुल कितनी मात्रा में बिक्री योग्य एल्यूमिनियम और तप्त धातु (हाट मैटल) का उत्पादन किया ; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि० ने, जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता एक लाख टन हॉट मेटल और एक लाख टन बिक्री योग्य एल्यूमिनियम उत्पाद है, बिजली की उपलब्धि बढ़ने से अपने उत्पादन में सुधार कर लिया है, जिससे कम्पनी 1984-85 की तुलना में 1985-86 के दौरान हॉट मेटल के उत्पादन में 12.5% बिक्री योग्य एल्यूमिनियम उत्पाद तैयार करने में 10.4% वृद्धि करने में समर्थ हुई है । बाल्को 1986-87 के दौरान हॉट मेटल की पूरी उत्पादन क्षमता प्राप्त करने की ओर अग्रसर है । वर्ष 1986-87 में बिक्री योग्य एल्यूमिनियम उत्पादों का उत्पादन वार्षिक स्थापित क्षमता के 97.5% के बराबर होने का अनुमान है ।

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि०, जिसकी वार्षिक स्थापित क्षमता 2.18 लाख टन एल्यूमिनियम धातु है, निर्माण के क्रम में है और उसका दो चरणों में उत्पादन शुरू करने का कार्यक्रम है । दिसम्बर, 1986 में पूरा होने वाले प्रथम चरण में 1,09,000 टन वार्षिक उत्पादन

होगा और उसमें सितम्बर, 1987 में पूरी क्षमता तक उत्पादन शुरू हो जायगा जब इसका दूसरा चरण पूरा जाएगा ।

(ग) और (घ) 1985-86 के दौरान बाल्को ने 97.901 टन हॉट मेटल और 96,514 टन बिक्री योग्य एल्यूमिनियम उत्पादों का निर्माण किया जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

मद	मात्रा (अनंतिम)
1. प्रोपर्जी रॉड	34,142 टन
2. एक्सट्रूजन	4,037 टन
3. रोल्ड उत्पाद	21,016 टन
4. पिन्ड, बिलैट, स्लैब आदि	37,319 टन
	96,514 टन

दिल्ली विकास प्राधिकरण का गृह निर्माण कार्यक्रम

8780. **श्री पी०एम० सईद :**

प्रो० निर्मला कुमारी शास्त्रावत : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने तीव्र गति से गृह निर्माण कार्यक्रम तैयार किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस पर कुल कितना व्यय होगा ; और

(घ) वर्ष 1986-87 के दौरान कितने मकान बनाए जाने का विचार है तथा उनकी लागत क्या होगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मकानों के निर्माणार्थ एक त्वरित कार्यक्रम बनाया है। वर्ष 1986-87 के दौरान निर्माण किये जाने वाले प्रस्तावित मकानों का विवरण इस प्रकार है :—

स्ववित्त पोषित योजना	15,779
मध्यम आय वर्ग	13,240
निम्न आय वर्ग	11,484
जनता/आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग	15,265

(ग) इन पर होने वाला कुल व्यय 429.12 करोड़ रुपये होगा।

(घ) उपर्युक्त (ख) और (ग) के समान।

इलेक्ट्रानिक प्रचार माध्यमों को प्रमुखता

8781. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 20 अप्रैल, 1986 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "प्राइमेरी फार इलैक्ट्रानिक मेडिया" शीर्षक से छपे उस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि आकाशवाणी तथा दूरदर्शन को समाचारपत्रों की तुलना में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी;

(ख) क्या उनके मंत्रालय का शीघ्र ही पुनर्गठन किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या छोटे तथा मझौले समाचारपत्रों के हितों की रक्षा की जाएगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) प्रशासनिक पद्धति को अधिक दक्ष, अनुक्रियाशील तथा मितव्ययी बनाने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय अन्य मंत्रालयों की तरह अपने माध्यम एककों की गतिविधियों में, जहां भी आवश्यक है, परिवर्तन करने के लिए पुनरीक्षा कर रहा है।

(ग) यह पुनरीक्षा चल रही है। अब तक निम्नलिखित मामलों में निर्णय लिए गए हैं :—

1. निम्नलिखित तीन अधिनियमों का प्रशासन 1-4-1986 से श्रम मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया है :—

(क) सिने कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1981

(ख) सिने कर्मकार और सिनेमाघर (रोजगार विनियमन) अधिनियम, 1981

(ग) सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981

2. **आकाशवाणी पत्रिकाएं** : आकाशवाणी की 8 पत्रिकाओं में से निम्नलिखित 4 पत्रिकाओं का प्रकाशन जारी है :—

(1) "आकाशवाणी" (अंग्रेजी)

(2) "आकाशवाणी" (हिन्दी)

(3) "आवाज" (उर्दू) और

(4) "बनोती" (तमिल)

शेष चार पत्रिकाओं अर्थात् "आकाशी" (असमिया), "बेतार जगत" (बंगला), "नभोवाणी" (गुजराती) और "वाणी" (तेलगू) को बंद कर दिया गया था क्योंकि ये पत्रिकाएं वर्षों से घाटे में चलती रही हैं और उनके आत्मनिर्भर होने की कोई संभावना नहीं थी।

3. **क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय तथा गीत और नाटक प्रभाग का विलय** : क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय तथा गीत और नाटक प्रभाग का विलय करने तथा नये संगठन की संरचना करने का सिद्धांततः निर्णय ले लिया गया है। इस निर्णय को कार्य रूप देने के लिये ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

पत्र सूचना कार्यालय, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, प्रकाशन विभाग, फोटो प्रभाग तथा फिल्म प्रभाग के संबंध में प्रस्तावों पर कार्रवाई की जा रही है।

(घ) मामले में अंतिम निर्णय लेते समय छोटे और मझौले समाचारपत्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखा जायेगा।

गीत और नाटक प्रभाग का क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के साथ विलय

8782. **डा० फुलरेणुगुहा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गीत और नाटक प्रभाग का क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के साथ विलय किये जाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या गीत और नाटक प्रभाग के कर्मचारियों को भी क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय में स्थानान्तरित किया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) से (ग) क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय तथा गीत और नाटक प्रभाग का विलय करने का प्रस्ताव है, क्योंकि यह आवश्यक समझा जाता है कि अब इन्हें कुछ चुनींदा क्षेत्रों में संकेंद्रित प्रचार कार्य हाथ में लेना चाहिए और गतिविधि के इस परिवर्तित ढांचे के लिए, इन दो संगठनों का विलय करना वांछनीय होगा । विलय का उद्देश्य इनकी प्रभावकारिता में सुधार करना और साथ ही खर्चा घटाने का है । नए ढांचे में, इसकी आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए, दोनो संगठनों के कर्मचारी होंगे ।

आमलापुरम में दूरदर्शन कार्यक्रमों का दिखाई देना

8783. **श्री ए०बी०वी०वी० महेश्वर राव** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजामुंद्री और काकीनाड़ा में दूरदर्शन रिले केन्द्रों की क्षमता बढ़ाने का कोई विचार है ;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि आंध्र प्रदेश में आमलापुरम में दूरदर्शन कार्यक्रमों को रिले करने के लिये कोई प्रबंध नहीं है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार आमलापुरम में दूरदर्शन कार्यक्रमों का पास दिखाई देना सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) जी, हां । आमलापुरम में दूरदर्शन सेवा का विस्तार करना दूरदर्शन विस्तार की भावी योजनाओं के लिए संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

बसन्त बिहार में स्ववित्त योजनाओं के अन्तर्गत फ्लैटों का आबंटन

8784. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या बसन्त बिहार (जे०एन०यू०) नई दिल्ली के लिए पहली और दूसरी स्व-वित्त योजनाओं के अन्तर्गत अपना नाम पंजीकृत कराने वाले आवेदकों को अभी तक फ्लैट आबंटित नहीं किये गये हैं ;

(ख) क्या इस क्षेत्र में 160 फ्लैट आबंटन के लिये तैयार हैं ;

(ग) यदि हां, तो इन फ्लैटों के आबंटन और आबंटन पत्रों के जारी किये जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने निर्मित फ्लैटों को बहुत लम्बी अवधि तक आबंटित न किए जाने के मामलों में कोई जिम्मेदारी निश्चित की है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) कालोनियों के लिये वरीयता उल्लिखित करते हुए आवेदन पत्रों के प्राप्त होने पर पंजीकृतों को प्लाटों का आबंटन किया जाता है ।

न्यायालय के स्थगनादेशों के कारण आबंटन नहीं किये जा सके ।

(ख) 160 फ्लैट निर्माणाधीन हैं तथा आबंटन के लिये जुलाई, 1986 तक इनके पूर्ण हो जाने की आशा है ।

(ग) तथा (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

केन्द्रीय बागान फसल अनुसंधान संस्थान द्वारा नारियल में टिशू कल्चर तकनीक का विकास ।

8785. श्री वी०एस० विजयराघवन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में केन्द्रीय बागान फसल अनुसंधान संस्थान ने कासरगोड में नारियल में "टिशू कल्चर" पद्धति का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो इससे नारियल की प्रति हैक्टेयर फसल में किस हद तक वृद्धि होगी;

(ग) क्या "टिशू कल्चर" को केरल में विस्तृत पैमाने पर लागू करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान । टिशू कल्चर में कोमल पौद की पत्तियों से कुछ छोटे पौधे प्राप्त किये गये हैं ।

(ख) अधिक पैदावार देने वाले नारियल के वानस्पतिक हिस्से (प्ररोही भाग) से विकसित किये गये छोटे पौधों से सैद्धान्तिक रूप से उतनी ही उपज प्राप्त होती है जितनी जनक पौधों से प्राप्त होती है । अतः इस तरह से विकसित किये गये पौधों से सही मायने में कितनी पैदावार मिल सकती है, इस पर अध्ययन करने की जरूरत है ।

(ग) और (घ) इससे संबंधित प्रौद्योगिकी का विस्तार (प्रसार) तभी किया जा सकता है जब तकनीक को परिष्कृत किया जाएगा और अग्रिम स्तर पर किया जाने वाला अध्ययन सफल हो जाएगा । छोटे पौधों के विस्तार कार्य में उत्पन्न होने वाली कुछ कठिनाइयों को दूर करने में अभी कुछ और समय (वर्ष) लगेगा ।

फीचर फिल्मों के चयन तथा दूरदर्शन पर दिखाने के संबंध में मानदंड

8786. **श्रीमती डी०के० भंडारी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र द्वारा दूरदर्शन पर "फीचर फिल्में" दिखाने की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार फीचर फिल्मों के निर्माताओं/दूरदर्शन पर दिखाने के स्वामित्व प्राप्त व्यक्तियों को चयन तथा दूरदर्शन पर दिखाने के लिये अपनी फिल्में प्रस्तुत करनी होती हैं ; और

(ख) अब तक दूरदर्शन पर किन-किन भाषाओं की फीचर फिल्में दिखाई गई हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) जी, हां ।

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान (मई,1985 से अप्रैल, 1986 तक) निम्नलिखित भारतीय भाषाओं की फीचर फिल्में दूरदर्शन के राष्ट्रीय संजाल पर टेलीकास्ट की गई हैं :—

1. हिन्दी
2. मणिपुरी
3. बंगला
4. उड़िया
5. काश्मीरी

6. सिन्धी
7. तेलुगु
8. मलयालम
9. गुजराती
10. तमिल
11. मराठी
12. कन्नड़
13. पंजाबी
14. असमिया
15. भोजपुरी
16. खासी (बोली)

सपरेटा दूध पाउडर का आयात

8787. **डा० डा०एन० रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने लगभग 20,000 मीट्रिक टन सपरेटा दूध पाउडर का बहुत ही कम मूल्य पर वाणिज्यिक आयात किया था और यदि हां, तो नौवहन प्रभार सहित इस आयात पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ; और

(ख) देश के समक्ष विदेशी मुद्रा की समस्या तथा आपरेशन फ्लड के सफल होने के दावे को ध्यान में रखते हुए इस आयात का क्या औचित्य है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक के कार्यालय से दी गई जानकारी के अनुसार, आयात संबंधी आंकड़े 1982-83 तक की अवधि के लिए ही संकलित किए गए हैं और उसके बाद की अवधि की जानकारी उपलब्ध नहीं है। वाणिज्यिक आधार पर स्किम दुग्ध चूर्ण के आयात से सम्बन्धित आंकड़े अलग से नहीं रखे गये हैं।

कृषि उत्पादों के मूल्य में वृद्धि पर नियंत्रण

8788. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कृषि उत्पादों के मूल्यों को इस प्रकार नियंत्रित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं कि किसानों को हानि न हो या ये इतने अधिक न हो जायें कि औद्योगिक उत्पादन लागत प्रभावित हो ; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिये उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है कि कृषि उत्पाद का अधिकांश भाग घरेलू उद्योगों में उपयोग किया जाए न कि ऊंचे मूल्य वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए निर्यात किया जाए ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (योगेन्द्र मकवाना) : (क) कृषि मूल्य नीति का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ कृषकों को उनके उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और कीमतों के उतार-चढ़ाव को कम से कम करना है। कीमतों के रुख पर कड़ी और निरन्तर निगरानी की जाती है और समय-समय पर आयात की व्यवस्था करने, सार्वजनिक वितरण में वृद्धि करने, कमी वाली फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने आदि जैसे सुधारात्मक उपाए किए जाते हैं।

(ख) कृषि जिन्सों के निर्यात की अनुमति घरेलू जरूरतों का जायजा लेने और साथ ही सभी सम्बद्ध घटकों को ध्यान में रखने के बाद दी जाती है। कृषि जिन्सों का उनके अधिक मूल्य वाले रूप में निर्यात किये जाने को प्रोत्साहन देने के प्रयास किये जा रहे हैं, ताकि कृषि उत्पाद का एक बड़ा हिस्सा घरेलू उद्योग में उपयोग किया जा सके। अभी हाल ही में स्थापित किये गये कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक यह भी है कि अधिक मूल्य वाली किस्मों के निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाए।

राष्ट्रीय बीज परियोजना का तीसरा चरण

8789. **श्री के० प्रधानी :**

डा० बी०एल० शैलेश : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की बीजों के उत्पादन तथा परिष्करण की सुविधाओं में वृद्धि करने हेतु राष्ट्रीय बीज परियोजना का तीसरा चरण आरम्भ करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य रूप-रेखा क्या है तथा उक्त योजना पर अनुमानित पूंजीगत परिव्यय कितना होगा; और

(ग) किस स्रोत से धन प्राप्त होगा तथा योजना कब तक कार्यान्वित की जायेगी ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) सरकार इस मामले पर विचार कर रही है।

मत्स्यकी संबंधी आपरेशन-फ्लड परियोजना

8790. **श्री के० प्रधानी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या इटली का मत्स्यकी के क्षेत्र में भारत को अनुदान आधार पर तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता दिए जाने का विचार है; और

(ग) क्या इटली द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले अनुदान से उड़ीसा को किसी मत्स्यकी परियोजना को सहायता दी जाएगी ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां ।

(ख) आशा है कि तकनीकी सहायता अनुदान के अधीन इटली सरकार 8 मिलियन अमरीकी डालर की धनराशि की व्यवस्था करेगी ।

(ग) इस परियोजना के अन्तर्गत भारतीय मत्स्यकी सर्वेक्षण, बम्बई के लिए एक ट्यूना पर्स-सीनर अधिग्रहण किये जाने का प्रस्ताव है । इस जलयान का उपयोग ट्यूना के स्रोतों का सर्वेक्षण करने और ट्यूना के मत्स्यन, सम्भाल तथा संरक्षण के कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिये किया जाएगा । तथापि, इटली के प्रस्तावित अनुदान में से उड़ीसा में किसी भी मात्स्यकी परियोजना को सहायता नहीं दी जानी है ।

दालों की खेती को लोकप्रिय बनाना

8791. **डा० बी०एम० शैलेश** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी भारत के सिंचित क्षेत्रों में किसानों में दालों की खेती की लोकप्रियता कम हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां ।

(ख) उत्तरी भारत के सिंचित क्षेत्रों, विशेषकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में गेहूँ और धान जैसी धान्य फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्मों ने चने और अन्य रबी दलहनों का स्थान ले लिया है । इन राज्यों में किसानों के पास यह विकल्प होता है कि वे दलहनों की तुलना में अधिक आय देने वाली फसलें उगा सकते हैं ।

[हिन्दी]

छोटी खानों को पट्टे पर देना

8793. **श्री शान्ति धारीवाल :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में बंद पड़ी छोटी खानों को पट्टे पर देने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार ने जुलाई, 1985 में एक समिति का गठन किया है जो अन्य बातों के साथ-साथ लघु खनिज निक्षेपों के त्वरित विदोहन के प्रश्न पर भी विचार करेगी ।

[अनुवाद]

केन्द्रीय बागान उपज अनुसंधान संस्थान के फार्म का विकास

8794. **श्री टी० बशीर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में पलोडे स्थित केन्द्रीय बागान उपज अनुसंधान संस्थान के फार्म का विकास करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) 7वीं योजना अवधि के दौरान पालोदे स्थित सी० पी० सी० आर० आई० फार्म को आयल पाम पर अनुसंधान कार्य के लिए सुदृढ़ किया जा रहा है । इसके लिए अतिरिक्त भूमि, प्रयोगशाला-भवन, उपकरण और आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ।

केरल में खारे पानी में मत्स्य पालन संबंधी केन्द्रीय संस्थान

8795. **श्री टी० बशीर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में खारे पानी में मत्स्य पालन सम्बन्धी एक केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की अगस्त, 1985 में त्रिवेन्द्रम में आयोजित नवीं क्षेत्रीय बैठक में औपचारिक तौर पर यह अनुरोध किया गया था कि प्रस्तावित संस्थान के मुख्यालय के लिए कोचीन को चुना जाए; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान ।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कई तटवर्ती राज्यों के क्षेत्रों में सर्वेक्षण तथा खारे पानी के जल कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना के लिए स्थानों के सुझाव के लिए एक समिति गठित की गई है । समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर परिषद स्थान के बारे में अन्तिम निर्णय लेगी ।

स्पंज लौह संयंत्र

8796. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के प्रबन्ध के अन्तर्गत कितने स्पंज लौह संयंत्र हैं;

(ख) सरकार ने इनमें से कुछ स्पंज लौह संयंत्रों के विस्तार करने के लिये क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के प्रबन्धन के अधीन वाणिज्यिक स्पंज लौहे का कोई संयंत्र नहीं है । परन्तु रांची में इसका 12 टन दैनिक क्षमता का एक प्रायोगिक संयंत्र है जिसका उपयोग लौह अयस्क, चूना-पत्थर तथा कोयले के विभिन्न सम्मिश्रणों के परीक्षण के लिए किया जाता है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अन्तर्देशीय मत्स्य उद्योग का विकास

8797. **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अन्तर्देशीय मत्स्य उद्योग की विकास संबंधी सरकार की क्या नीति है;

(ख) इस संबंध में प्रत्येक राज्य, विशेषकर गुजरात में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) इस कार्यक्रम के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र सिंह मकवाना) : (क) झीलों तथा तालाबों में वैज्ञानिक रूप से मछली पालन की शुरूआत जलाशयों में मत्स्य पालन और पकड़ी जाने वाली मछलियों का पालन और खुले जल क्षेत्र में पकड़ी जाने वाली मछलियों का संरक्षण ।

(ख) अब तक 184 मछुआ विकास एजेंसियां स्थापित की गई हैं । इनमें गुजरात की 8 एजेंसियां भी शामिल हैं ।

(ग) योजना आयोग ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना के लिए 1500 लाख रुपये का परिव्यय आवंटित किया है और राज्यों की उनकी मांग और निष्पादन के आधार पर धनराशि प्रदान की जाएगी ।

समान काम के लिए समान वेतन

8798. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने तीन वर्ष पहले "समान काम के लिए समान वेतन" को मूल अधिकार के रूप में घोषित किया था ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष और महिला कर्मकारों को समान पारिश्रमिक देना समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के उपबंधों के अंतर्गत आता है । इस अधिनियम में व्यवस्था है कि कोई भी नियोजक उसके द्वारा किसी प्रतिष्ठान या नियोजन में नियोजित किसी कर्मकार को पारिश्रमिक चाहे नकद या जिन्स में अदा किए जाए, ऐसे प्रतिष्ठान या नियोजन में समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए दूसरे लिंग के कर्मकारों को उसके द्वारा अदा किए जाने वाले

पारिश्रमिक से कम दर पर अदा नहीं करेगा। जहां तक प्रश्न में उल्लिखित सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का संबंध है, (शायद माननीय सदस्य के विचार में 1978 की रिट याचिका संख्या 4676 में उक्त न्यायालय का निर्णय है), दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि दिल्ली पुलिस के ड्राइवरों के वेतनमानों में 1.1.1973 से संशोधन करके इसे लागू कर दिया गया है।

आन्ध्र प्रदेश दूरदर्शन केन्द्रों से जनवाणी कार्यक्रम का प्रसारण

8799. **श्री एस० पलाकोंड्रायुडु** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "जनवाणी" कार्यक्रम को आन्ध्र प्रदेश से तेलुगु भाषा में प्रसारित करने का कोई कार्यक्रम है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) वर्तमान योजना जनवाणी कार्यक्रम, जो दूरदर्शन के राष्ट्रीय संजाल पर टेलीकास्ट किया जा रहा है, में केन्द्रीय मंत्रियों का साक्षात्कार करने की है। यह कार्यक्रम भारत के प्रधान मंत्री को प्रस्तुत करने वाले कार्यक्रम से समाप्त हो जायेगा।

मौजूदा स्कीम के कार्यान्वित हो जाने के बाद, दर्शकों की प्रतिक्रियाओं/स्वीकार्यता का अध्ययन किया जायेगा तथा विभिन्न राज्यों में स्थित दूरदर्शन केन्द्रों पर इस कार्यक्रम को चालू करने की आवश्यकता के बारे में मूल्यांकन किया जायेगा।

आकाशवाणी केन्द्रों द्वारा सैटेलिट इन्सेट 1-बी से प्राप्त संकेतों का इस्तेमाल

8800. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के 93 केन्द्र सैटेलिट इन्सेट 1-बी से संकेत प्राप्त करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में सैटेलिट से प्राप्त सहायता का वास्तविक स्वरूप क्या है

तथा क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित 105 नये आकाशवाणी केन्द्रों को उपग्रह संचार व्यवस्था के अंतर्गत लाने का भी प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां ।

(ख) इन्सेट-1 बी देश के विभिन्न आकाशवाणी केन्द्रों द्वारा पुनः प्रसारण किए जाने के लिए केन्द्रीय रूप से नई दिल्ली या महानगरीय राजधानियों से मूल रूप से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों, समाचार सेवाओं के वितरण के लिए गुणवत्ता और विश्वसनीय उद्देश्यों के अनुरूप एक विस्तृत नेटवर्किंग प्रणाली उपलब्ध करता है ।

परिचालन उपग्रह प्रणाली स्थलीय माइक्रोवेव/को-एक्सियल लिंकों के माध्यम से उपलब्ध परम्परागत रेडियो कार्यक्रम वितरण सुविधा का मितव्ययी विकल्प उपलब्ध करता है क्योंकि इससे कार्यक्रमों के पुन: प्रसारण की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, अतः सातवीं योजना अवधि के दौरान स्थापित किए जाने वाले सभी नए आकाशवाणी केन्द्रों को इन्सेट से व्युत्पन्न रेडियो नेटवर्किंग स्कीम में लाया जाएगा ।

इन्सेट I सी की उपलब्धता

8801. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्सैट I सी० उपलब्ध होने पर सातवीं योजना अवधि के दौरान सी सी के दो अतिरिक्त ट्रांसपोडरों के इस्तेमाल से कर्नाटक उड़ीसा और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अतिरिक्त क्षेत्रीय दूरदर्शन कार्यक्रम उपलब्ध कराने की भी योजना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सातवीं योजना अवधि के दौरान जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी पहाड़ी राज्यों तथा उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की व्यवस्था करने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) कर्नाटक तथा उड़ीसा में क्षेत्रीय दूरदर्शन सेवा शुरू करना इन्सैट-1 सी में सी०सी० ट्रांसपोंडर तथा बंगलौर तथा कटक/भुवनेश्वर में उपग्रह अपलिंकों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इन अपलिंकों की स्थापना की व्यवस्था दूरदर्शन की सातवीं योजना में की गई है । पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्षेत्रीय दूरदर्शन सेवा गुवाहाटी में संयुक्त कार्यक्रम निर्माण एवं पोषण केन्द्र के चालू होने पर निर्भर करती है । इस स्कीम पर कार्य चल रहा है गुवाहाटी में अपलिंक के लिए आर्डर भी भेज

दिया गया है। इनसैट-1 बी के एक सी०सी० ट्रांसपोंडर का पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्षेत्रीय सेवा के लिए उपयोग करना स्वीकृत कर दिया गया है।

(ख) और (ग) विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय (प्राथमिक) दूरदर्शन सेवा चालू करने की अनुमोदित योजना के अन्तर्गत, जम्मू व कश्मीर राज्य के लिए उपग्रह लिंकेज का उपयोग करने का प्रस्ताव है। इस प्रायोजन के लिए श्री नगर में सातवीं योजना में एक अपलिंक की स्थापना का प्रावधान है। तथापि, सेवा इनसैट उपग्रह समूह के 1990 के शीघ्र बाद चालू हो जाने पर ही शुरू हो सकेगी। उत्तर प्रदेश राज्य में क्षेत्रीय सेवा माइक्रोवेव लिंकेजों पर आधारित होगी। इस प्रायोजन के लिए अतिरिक्त माइक्रोवेव लिंकों का प्रावधान सातवीं योजना में शामिल किया गया है। हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय (प्राथमिक) सेवा प्रारम्भ करने के लिए, शिमला में एक कार्यक्रम निर्माण केन्द्र तथा एक। किलोवाट का एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रावधान इस स्कीम के योजना अवधि की समाप्ति तक पूरा हो जाने की आशा है। हिमाचल प्रदेश के शेष क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में प्राथमिक सेवा का विस्तार करना 1990 के बाद अतिरिक्त उपग्रह लिंकेज क्षमता की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

आन्ध्र प्रदेश में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का कार्यान्वयन

8802. **श्री एस० पलाकोंड्रायुडू** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत देशभर में वर्ष, 1981-82, 1982-83, 1983-84, और 1985-86 से वर्ष-वार राज्यवार वितरित किए गए मकान बनाने के लिये भू-भाग और मकानों का ब्यौरा क्या है,

(ख) आन्ध्र प्रदेश में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कमजोर वर्गों के लोगों के लिए वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 में वितरित मकान बनाने के लिए दिए गए भू-भागों और मकानों का ब्यौरा क्या है,

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1983 से विभिन्न राज्यों द्वारा राज्य-वार और वर्ष-वार खाद्यान्नों की कितनी मात्रा का उपयोग किया गया है,

(घ) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के दौरान आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा खाद्यान्नों की कितनी मात्रा का उपयोग किया गया, और

(ङ) आन्ध्र प्रदेश को वर्ष 1985-86 के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न की मात्रा में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम अथवा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत मकान बनाने के लिए कोई भू-भाग वितरित नहीं किया गया है। तथापि, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और मुक्त बंधुआ मजदूरों के लिए मकानों का निर्माण करना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत आरम्भ किए जाने वाले निर्माण कार्यों में से एक अनुज्ञेय मद हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत मकानों के निर्माण संबंधी सूचना अलग से 1984-85 से एकत्रित की जा रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश में निर्मित मकानों सहित वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान निर्मित मकानों का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला अनुबंध विवरण-1 संलग्न है।

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में वर्ष 1983-84 से 1985-86 के दौरान उपयोग में लाए गए खाद्यान्नों को दर्शाने वाला विवरण-2 संलग्न है।

(घ) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी खाद्यान्न का उपयोग नहीं किया गया है। जहां तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के संबंध है, आन्ध्र प्रदेश में वर्ष 1981-82 से 1985-86 के दौरान उपयोग में लाए गए खाद्यान्नों की स्थिति इस प्रकार है :—

1981-82	53137.48 (मीटरी टन)
1982-83	22355.22 (मीटरी टन)
1983-84	11867.06 (मीटरी टन)
1984-85	8009.45 (मीटरी टन)
1985-86	498.64 (मीटरी टन) (फरवरी 1986 तक)

(ङ) आन्ध्र प्रदेश को वर्ष 1984-85 में आवंटित खाद्यान्नों की मात्रा की तुलना में वर्ष 1985-86 में 195.68 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

विवरण—1

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान निर्मित मकानों को दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	निर्मित मकानों की संख्या		
		1984-85	1985-86	कालम 3 में दी गई सूचना से संबंधित अवधि
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	4856	5069	सितम्बर, 85
2.	असम	154	85	सितम्बर, 85
3.	बिहार	20854	5859	दिसम्बर, 85
4.	गुजरात	11748	672	दिसम्बर, 85
5.	हरियाणा	असूचित	असूचित	दिसम्बर, 85
6.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	दिसम्बर, 85
7.	जम्मू तथा कश्मीर	शून्य	800	सितम्बर, 85
8.	कर्नाटक	2252	943	सितम्बर, 85
9.	केरल	असूचित	असूचित	सितम्बर, 85

1	2	3	4	5
10.	मध्य प्रदेश	25	शून्य	दिसम्बर, 85
11.	महाराष्ट्र	असूचित	336	दिसम्बर, 85
12.	मणिपुर	शून्य	शून्य	दिसम्बर, 85
13.	मेघालय	असूचित	शून्य	सितम्बर, 85
14.	नागालैंड	असूचित	शून्य	सितम्बर, 85
15.	उड़ीसा	1574	288	दिसम्बर, 85
16.	पंजाब	असूचित	असूचित	दिसम्बर, 85
17.	राजस्थान	1044	464	दिसम्बर, 85
18.	सिक्किम	शून्य	शून्य	दिसम्बर, 85
19.	तमिलनाडु	6345	2864	दिसम्बर, 85
20.	त्रिपुरा	293	20	दिसम्बर, 85
21.	उत्तर प्रदेश	301	560	दिसम्बर, 85
22.	पश्चिम बंगाल	1891	1306	सितम्बर, 85
23.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	असूचित	असूचित	दिसम्बर, 85
24.	अरुणाचल प्रदेश	असूचित	असूचित	दिसम्बर, 85

25.	चंडीगढ़	शून्य	असूचित	दिसम्बर, 85
26.	दादरा व नगर हवेली	शून्य	5345	दिसम्बर, 85
27.	दिल्ली	असूचित	असूचित	दिसम्बर, 85
28.	गोवा, दमन व दीप	12	1	दिसम्बर, 85
29.	लक्षद्वीप	शून्य	असूचित	दिसम्बर, 85
30.	मिजोरम	13	शून्य	दिसम्बर, 85
31.	पांडिचेरी	शून्य	शून्य	दिसम्बर, 85
	अखिल भारती	51362	24642	

विवरण—2

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1983-84 से 1985-86 के दौरान उपयोग में लाए गए खाद्यान्नों को राज्यवार स्थिति दर्शाने वाला विवरण

		उपयोग में लाई गई खाद्यान्नों की मात्रा (मी० टनों में)			
क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1983-84	1984-85	1985-86	कालम 5 से संबंधित सूचना की अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	11867.06	8009.45	500	फरवरी, 86
2.	असम	173.07	2258.66	740	मार्च, 86
3.	बिहार	13882.10	28287.30	43110	मार्च, 86
4.	गुजरात	10609.00	8501.00	7970	मार्च, 86
5.	हरियाणा	1469.52	1980.70	1560	फरवरी, 86
6.	हिमाचल प्रदेश	968.80	1149.59	940	मार्च, 86
7.	जम्मू व कश्मीर	1365.90	1181.35	530	जनवरी, 86
8.	कर्नाटक	10384.32	7201.26	8910	मार्च, 86

9.	केरल	6992.56	3327.80	11420	मार्च, 86
10.	मध्य प्रदेश	16600.00	11152.73	12610	फरवरी, 86
11.	महाराष्ट्र	15.03	5.30	—	फरवरी, 86
12.	मणिपुर	50.20	113.99	180	मार्च, 86
13.	मेघालय	55.76	121.64	40	मार्च, 86
14.	नागालैंड	250.00	430.00	120	मार्च, 86
15.	उड़ीसा	15682.43	14044.37	9160	फरवरी, 86
16.	पंजाब	910.41	8.00	6950	मार्च, 86
17.	राजस्थान	4681.70	6170.70	123990	फरवरी, 86
18.	सिक्किम	200.17	141.35	190	मार्च, 86
19.	तमिलनाडु	12999.00	29252.00	28040	फरवरी, 86
20.	त्रिपुरा	1717.63	415.40	450	फरवरी, 86
21.	उत्तर प्रदेश	3181.41	24761.98	63360	फरवरी, 86
22.	पश्चिम बंगाल	22089.00	21160.00	11010	फरवरी, 86
23.	अन्डमान व निकोबार द्वीप	200.34	192.43	170	फरवरी, 86
24.	अरुणाचल प्रदेश	—	6.50	10	मार्च, 86
25.	चण्डीगढ़	—	5.00	10	मार्च, 86

1	2	3	4	5	6
26.	दादरा व नगर हवेली	19.33	195.08	220	मार्च, 86
27.	दिल्ली	12.50	9.80	20	मार्च, 86
28.	गोवा, दमन व द्वीप	—	—	—	फरवरी, 86
29.	लक्षद्वीप	73.00	142.00	170	मार्च, 86
30.	मिजोरम	34.00	—	—	मार्च, 86
31.	पांडिचेरी	280.19	309.79	150	फरवरी, 86
	अखिल भारत	146764.43	170535.17	332530	

खतरनाक उद्योगों का पता लगाने के लिए विशेषज्ञ समिति

8803. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि राज्यों में औद्योगिक सुरक्षा में सुधार लाने के लिए खतरनाक उद्योगों का पता लगाने हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस संबंध में सूचना प्रस्तुत कर दी हैं ; और

(ग) राज्यों द्वारा भेजी गई सूचना का स्वरूप क्या हैं और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) जी, हां। 28 दिसम्बर, 1984 को राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया था कि वे रसायनिक और अन्य उद्योगों में, जो खतरनाक क्रियाओं और संक्रियाओं का प्रयोग करती हैं जिनमें अत्यधिक विषैले पदार्थ भी शामिल हैं, व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिमों और सुरक्षा उपबंधों के कार्यान्वयन के बारे में अद्यतन सूचना तैयार करने के लिए टास्क फोर्सों/विशेषज्ञ समितियों की स्थापना करे। ये टास्क फोर्स, आदि जहां तक सम्भव होगा, सभी खतरनाक उद्योगों का अध्ययन करेंगे और संबंधित राज्य सरकारों को अपनी रिपोर्टें देंगे।

(ख) और (ग) उन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में, जहां रासायनिक उद्योग संकेन्द्रित हैं, जोखिमपूर्ण यूनिटों का पता लगाने के लिए टास्क फोर्सों/विशेषज्ञ समितियों की स्थापना की है। राज्य सरकारों आदि से प्राप्त सूचना के अनुसार, अधिकांश टास्क फोर्सों ने या तो अपनी प्राथमिक, अन्तरिम या अन्तिम रिपोर्टें संबंधित सरकारों को प्रस्तुत कर दी है, जिनमें पता लगाए गए जोखिमपूर्ण यूनिटों में सुरक्षा मानदण्डों की वर्तमान स्थिति दर्शाई गई है। संबंधित सरकारों ने इन टिप्पणियों को नोट कर लिया है और ये आगे उपयुक्त कार्यवाही कर रही है।

चावल का उत्पादन और निर्यात

8804. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष किस-किस किस्म के कितने चावल का उत्पादन हुआ ;

(ख) कौन सी किस्म के चावल का निर्यात किया जा रहा है ; और

(ग) अच्छी किस्म के चावल का उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के लिये चावल उत्पादन के अनुमान क्रमशः 471,601 और 586 लाख मीटरी टन हैं। कृषि सांख्यिकी की वर्तमान पद्धति में चावल, उत्पादन संबंधी किस्म-वार आंकड़े एकत्रित नहीं किये जाते।

(ख) कुछ शर्तों के अनुसार मुक्त रूप से बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी जाती है। तथापि, वर्ष 1985-86 के दौरान सीमित मात्रा में और अन्य शर्तों के अधीन 18 फरवरी 1986 से गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी जाने लगी है। चूंकि गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति हाल ही में दी जाने लगी है अतः भारत से चावल की उन विशिष्ट अच्छी किस्मों, ग्रेडों आदि का मूल्यांकन करना अभी सम्भव नहीं है, जिनकी विदेशी बाजारों में आजकल मांग है। तथापि, भारत में चावल की बासमती और अन्य किस्मों का उत्पादन किया जाता है।

(ग) अन्य बातों के साथ देश में चावल उत्पादन (अच्छी किस्म के चावल सहित) में वृद्धि करने के लिए किये जा रहे उपाय ये हैं : विशेष चावल उत्पादन देने वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र में वृद्धि करना, पौध संरक्षण उपाय, किस्मों की विविधता आदि।

मवेशियों का संकर प्रजनन बंद करना

8805. डा० टी० कल्पना देवी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दौर में मवेशियों का संकर-प्रजनन बन्द करने का सुझाव दिया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के कार्यक्रम और गतिविधियां इस विचार गोष्ठी में दिये गये सुझावों के यहां तक अनुरूप हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) कृषि मंत्रालय को इंदौर में हुई इस प्रकार की किसी गोष्ठी की जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिमी जर्मनी से गायों का आयात

8806. डा० डी०एन० रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन०डी०डी०बी०-आई० डी०सी०-जी०ओ० एम० एम० एफ० द्वारा जनता को यह सूचना दी जा रही है कि ग्रीस की राजकुमारी आइरीन के माध्यम से उपहार के रूप में 20,000 गायों का पश्चिम जर्मनी से आयात किया जा रहा है ;

(ख) क्या कोई पेशकश प्राप्त हुई थी ;

(ग) क्या पश्चिम जर्मनी की सरकार ने इस मामले में कोई आपत्ति की है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) ग्रीस की महामहिम राजकुमारी आइरीन से गायों का दान देने संबंधी एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। ये गायें यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों से खरीदी जानी थीं। लगभग 20000 गायों को दान के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया गया। यह भी निणय लिया गया कि उपहार के रूप में गायों के आयात और वितरण का समूचा कार्य राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसके आधार पर राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने सम्भावित आयात के बारे में राज्य के सभी सहकारी दुग्ध संघों को सूचित किया और उनसे कहा कि वे अपनी दुग्धशालाओं में चुनिंदा प्रगतिशील किसान सदस्यों की मांग रजिस्टर करें। जी० सी० एम० एम० एफ० ने भी अपने सम्बद्ध संघों की मांग रजिस्टर करने के बारे में सूचित किया।

(ग) और (घ) पश्चिम जर्मनी से उपहार के रूप में 1000 गायों के आयात की एक मार्गदर्शी परियोजना तैयार की गई थी और वह परियोजना पश्चिमी जर्मनी की सरकार को दी गई थी। पश्चिमी जर्मनी की सरकार ने परियोजना प्रस्ताव के आर्थिक और विकास संबंधी पहलुओं के बारे में प्रश्न उठाया।

मुंह और खुर के रोग के टीके का उत्पादन

8807. डा० डी०एन० रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड और भारतीय डेरी निगम ने मुंह और खुर के रोग के टीके तैयार करने के लिए 30 करोड़ रुपए की लागत की एक परियोजना हैदराबाद में आरम्भ की थी ; यदि हां, तो निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में इस टीके तथा अन्य उत्पादों का कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड और भारतीय डेरी निगम ने नीलगिरि का मुंह और खुर के रोग से मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए चुना था ; यदि हां, तो क्या यह रोग अब भी वहां पर फैल रहा है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड और भारतीय डेरी निगम की इस परियोजना के कार्यकरण की जांच करने और तथ्यों का पता लगाने के लिए एक तथ्य अन्वेषक समिति स्थापित की जायेगी ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारतीय डेरी निगम ने हैदराबाद में खुरपका एवं मुंहपका रोग के टीके के एक संयंत्र की स्थापना की है। यह परियोजना 1810.61 लाख रुपए की अनुमानित लागत से मंजूर की गई थी। हैदराबाद स्थित इस संयंत्र में केवल खुर एवं मुंह-पका रोग के टीकों का निर्माण किया जाता है। टीके का विपणन नवम्बर 1983 में शुरू हुआ। वार्षिक कारोबार निम्नवत है :—

वर्ष	एकक (लाख रुपए)
1983-84	32.8
1984-85	198.6
1985-86 (अनन्तिम)	217.0

(ख) और (ग) भारतीय डेरी निगम ने तमिलनाडु के नीलगिरि ज़िले में खुर और मुंहपका रोग के नियंत्रण का अध्ययन करने के लिए एक मार्गदर्शी योजना शुरू की है। भारत जैसे देश में जहां खुर और मुंह पका रोग एक स्थानिक मादी है, इस रोग का उन्मूलन बहुत ही कठिन है। इस रोग के प्रकोप को कम करने और इसके नियंत्रण के लिए यथा सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं। नीलगिरि में इस योजना को लागू करने से खुर और मुंहपका रोग के प्रकोप में काफी कमी आई है, जैसा कि निम्न सारणी से स्पष्ट है :

वर्ष	प्रकोपों की संख्या
1980	36
1981	68
1982	3
1983	3
1984	4
1986	5

(घ) और (ङ) आपरेशन फ्लड 2 परियोजना से संबंधित उक्त समिति के मूल्यांकन को नजर में रखते हुए, इस समय भारतीय डेरी निगम, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की खुरपका-मुंहपका रोग परियोजना के कार्यकरण की जांच करने और तथ्यों का पता लगाने के लिए समिति की स्थापना करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

मुंह और खुर के रोग के टीके का उत्पादन और उसकी तुलनात्मक बिक्री

8808. **डा० जी० विजय रामाराव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कार्य दल ने जिसमें भारतीय डेरी निगम और राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के भी प्रतिनिधि थे, परियोजना के तीसरे वर्ष के अन्त में मुंह और खुर के रोग के टीके की आवश्यकता 4 करोड़ खुराक होने का अनुमान लगाया था और यदि हां, तो वास्तविक उत्पादन और उसकी बिक्री कितनी हुई ;

(ख) क्या उक्त कार्य दल ने वर्ष 1985 तक मुंह और खुर के रोग के टीके की आवश्यकता 8.5 करोड़ खुराक हो जाने का अनुमान लगाया था और यदि हां, तो इस उत्पादन और बिक्री में कितनी प्रगति हुई ; और

(ग) क्या इस टीके का उत्पादन और बिक्री कार्य दल के अनुमान के अनुरूप रहा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क), से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

आयातित दुग्ध उत्पादों का उपयोग

8809. डा० चिन्ता मोहन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपरेशन फ्लड एक तथा दो के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादों का आयात किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व खाद्य कार्यक्रम तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ हुये करारों के अनुसार उपहार में दिये गये दुग्ध उत्पादों को दुर्लभ वर्गों के लिये 3 प्रतिशत तथा 1.5 प्रतिशत चर्बीयुक्त दूध में बदलना होता है और यदि हां, तो इस कार्यक्रम में किये गये परिवर्तन के क्या कारण हैं;

(घ) क्या मूल कार्यक्रम में किये गये परिवर्तन की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से ले ली गई थी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या इन वस्तुओं को प्राप्त करने वाले विभिन्न राज्यों के लिए ऐसी केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत किये गये करारों का पालन करना अनिवार्य है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री : (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) आपरेशन फ्लड-1 के अन्तर्गत भारतीय डेरी निगम को विश्व खाद्य कार्यक्रम से उपहार के रूप में 1, 27, 517 मीटरी टन स्किम्ड दुग्ध चूर्ण और 39,696 मीटनी टन बटर आयल प्राप्त हुआ। आपरेशन फ्लड-2 के अन्तर्गत भारतीय डेरी निगम को आरम्भ (78-79) से 1985-86 (दिसम्बर, 85 तक) तक यूरोपीय आर्थिक समुदाय से उपहार स्वरूप 2,21,958.552 मीटरी टन स्किम्ड दुग्ध चूर्ण, 65,214.560 मीटरी टन बटर आयल, 20,069.050 मीटरी टन बटर और 1,497.120 मीटरी टन खाद्य तेल प्राप्त हुआ। 1984-85 के दौरान अमरीका को कोआपरेटिव लीग से भी बफर स्टाक बनाने के लिये एक मुक्त उपहार के रूप में 19,834 मीटरी टन स्किम्ड दुग्ध चूर्ण प्राप्त हुआ।

(ग) तथा (घ) आपरेशन फ्लड-1 के अन्तर्गत भारत सरकार और विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच हस्ताक्षर की गई कार्य योजना में यह प्रावधान था कि विश्व खाद्य कार्यक्रम से उपहार स्वरूप प्राप्त जिन्सों में से ये चार महानगरों बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास में 3 प्रतिशत वसा वाला दूध उत्पादित किया जाये और कार्यक्रम के दौरान ऐसा ही किया गया। इस कार्य योजना में इस परियोजना के लिये यूनीसेफ द्वारा दी गई सहायता के मुकाबले बराबर की वचनबद्धता के रूप में 1.5 प्रतिशत वसा वाले दूध का वितरण करने की व्यवस्था भी की गई है। डेरियों ने 1.5 प्रतिशत वाले डबल टोन्ड दूध का उत्पादन भी किया और इसका वितरण कमजोर वर्गों में किया गया। कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

आपरेशन फ्लड-2 के अन्तर्गत यूरोपीय आर्थिक समुदाय से ऐसा कोई करार नहीं हुआ है ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मुंह और खुर के रोग के टीके की बिक्री

8810. **डा० जी० विजय राम राव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन इम्यूनोलाजिकल्स, हैदराबाद में लगभग 20 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है;

(ख) इसके द्वारा कौन-कौन से विभिन्न उत्पादन बनाये जाते हैं और उनकी वार्षिक बिक्री कितनी है;

(ग) क्या यह सच है कि उनके द्वारा तैयार किया गया मुंह और खुर के रोग का टीक लोकप्रिय न होने के कारण प्रतिबद्ध बाजारों को छोड़कर उसकी अधिक बिक्री नहीं हुई है;

(घ) क्या यह भी सच है कि उक्त कम्पनी उदार और आधुनिक प्रबन्ध नीति और पद्धति नहीं अपना रही है; और

(ङ) क्या भारतीय डेरी निगम के अधीन इस एकक के लेखाओं की लेखा परीक्षा नहीं की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारतीय डेयरी निगम द्वारा हैदराबाद में एक खुरपका और मुंहपका रोग का वैक्सीन प्लांट लगाया गया है । यह परियोजना 1810.61 लाख रुपये की अनुमानित लागत में मंजूर की गई थी ।

(ख) इण्डियन इम्यूनोलजिकल्स द्वारा केवल खुरपका और मुंहपका रोग के वैक्सीन का ही निर्माण किया जाता है । इस वैक्सीन का विपणन् नवम्बर 1983 में शुरू हुआ था । वार्षिक उत्पादन इस प्रकार है :—

वर्ष	राशि (लाख रुपये में)
1983-84	32.8
1984-85	198.6
1985-86 (अनन्तिम)	217.0

(ग) खुरपका और मुंहपका रोग के वैक्सीन की बिक्री इसके मूल्य तथा पशुओं विशेषकर स्वदेशी स्टाक वाले, के मालिकों में खुरपका और मुंहपका रोग के टीके लगाने के बारे में पर्याप्त जागरूकता न होने के कारण बहुत धीमी रही है। भारतीय डेयरी निगम में बिक्री को बढ़ावा देने वाले साहित्य, श्रव्य-दृश्य सामग्री तथा फिल्मों आदि के माध्यम से किसानों को जानकारी देने के उपाय शुरू किये हैं और दो वर्ष बाद दी जाने वाली इस वैक्सीन के लाभों के बारे में किसानों को समझाने के प्रयास कर रहा है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) हैदराबाद स्थित खुरपका और मुंहपका रोग प्लांट भारतीय डेयरी निगम की एक इकाई है और उसके लेखे भारतीय डेयरी निगम के लेखों में शामिल होते हैं, जिनकी भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा-परीक्षा की जाती है।

प्रशिक्षु योजना का कार्यकरण

8811. **श्री बाबा साहेब बिले पाटिल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या नियम के अनुसार, एक विद्यार्थी तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपनी व्यवसायिक कुशलता में सुधार करने के लिए किसी संगठित उद्योग में प्रशिक्षु प्राप्त कर सकता है;

(ख) क्या यह योजना ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रही है और क्या ऐसे विद्यार्थियों की भर्ती का कार्य पूरी तरह से औद्योगिक इकाइयों पर छोड़ दिया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार उद्योगों के लिए प्रशिक्षुओं को लेना अनिवार्य बनाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) जी, हां। शिक्षु अधिनियम, 1961 में स्कूल छोड़ने वाले युवाओं, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से संबंद्ध मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं और इन्जीनियरिंग/टैकनोलाजी में डिप्लोमा तथा डिग्री पाठ्यक्रम प्रदान करने वाली मान्यता प्राप्त संस्थाओं के छात्रों के लिए शिक्षुता प्रशिक्षण के प्रावधान की परिकल्पना की गई है।

(ख) जी, नहीं। यह योजना सुचारू रूप से कार्य कर रही है। तथापि, शिक्षु अधिनियम, 1961 के कार्यान्वयन का पुनरीक्षण करने के लिए एक कार्य दल नियुक्त किया गया है।

शिक्षु अधिनियम, 1961 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार शिक्षुओं की निर्धारित संख्या में भर्ती करना उद्योगों के लिए अनिवार्य है।

(ग) और (घ) ऊपर दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

गुना उर्वरक संयंत्र, मध्य प्रदेश का कार्यकरण

8812. **श्री शान्ति भारीवाल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में गुना उर्वरक संयंत्र निर्धारित समय के अन्दर उत्पादन प्रारम्भ करने की स्थिति में नहीं है;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित समय के अन्दर कार्य करना शुरू करने में उक्त संयंत्र के समक्ष क्या कठिनाइयां आ रही हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि उपर्युक्त संयंत्र के लिए कांडला से गुना तक आयातित अमोनिया कंवरटर की ढुलाई के लिये 7.5 करोड़ रुपये का ठेका राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड द्वारा एक ऐसे व्यक्ति को दिया गया है जिसे इस क्षेत्र का कोई अनुभव नहीं है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध मे कोई कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी नहीं। आज की तिथि के अनुसार परियोजना का कार्यान्वयन निर्धारित समय सूची के अनुसार है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस प्रकार के कार्य को करने के लिये पार्टी के पास पर्याप्त अनुभव, आवश्यक विशेषज्ञता तथा आधार उपलब्ध है जो उनकी पूर्णयोग्यता का आधार है। पार्टी ने निम्नतक बोली दी थी।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

मणिपुर राज्य को खाद्यान्नों का आवंटन

8813. **श्री एन० टोम्बी सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रोजगार के अतिरिक्त अवसर उत्पन्न करने के लिये राज्यों को 2 लाख टन खाद्यान्न निःशुल्क देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें से मणिपुर को कितना खाद्यान्न मिलेगा;

(ग) इस निर्णय को कब कार्यान्वित किया जायेगा; और

(घ) क्या इसे ग्रामीण पुनर्निर्माण और स्थायी आस्तियों संबंधी कार्यक्रम से संबंद्ध किया जायेगा और यदि हां, तो मणिपुर के लिये तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत 1986-87 के दौरान 20 लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्नों को उपयोग में लाने का निर्णय लिया गया है। तथापि, वर्ष की पहली छमाही के लिए आबटन कर दिये गये हैं और इस अवधि का मणिपुर को 1080 मीटरी टन खाद्यान्न दिया गया है।

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को वर्ष 1986-87 की पहली छमाही के लिये आवंटित खाद्यान्न पहले ही मुक्त कर दिये गये हैं।

(घ) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत आरंभ किये जाने वाले निर्माण-कार्यों की योजना को जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी के स्तर पर अन्तिम रूप दिया जाता है और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजनाओं को केन्द्रीय स्तर पर गठित समिति द्वारा अनुमोदित किया जाया है। 1985-86 के दौरान मणिपुर में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमोदित परियोजनाओं को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1985-86 के दौरान ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमोदित परियोजनाओं को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत (लाख रुपये)	नियोजित वास्तविक लक्ष्य
1.	5 जिलों में भूमि तथा जल संरक्षण, लघु सिंचाई, भूमि सुधार, स्कूल भवनों/सामुदायिक हालों का निर्माण तथा सामाजिक वानिकी आदि।	30.223	220 कि०मी०, 452 एकड़ 120 हैक्टेयर तथा 96
2.	मणिपुर के 7 जिलों में सामाजिक वानिकी, लघु सिंचाई, भूमि तथा जल संरक्षण, भूमि का विकास तथा सामुदायिक हाल	19.19	सामाजिक वानिकी, 75 एकड़ लघु सिंचाई, 100 हैक्ट० भूमि तथा जल, 65 एकड़ संरक्षण तथा 45 हैक्ट० भूमि का विकास 900 कि०मी० सामुदायिक हालों/ 39 स्कूल भवनों का 2 निर्माण 5
3.	मणिपुर में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए मकानों का निर्माण (इन्दिरा आवास योजना)	17.04	160 यूनिटें

औद्योगिक विवादों को निपटाने के लिए पृथक् न्यायालय

8814. **श्री चिन्तामणि जेना :**

श्री मोहनभाई पटेल : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान श्रम कानून पुराने पड़ गए हैं और श्रम नीति की पुनरीक्षा करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है;

(ग) अनिर्णीत औद्योगिक विवादों का ब्यौरा क्या है और औद्योगिक विवादों को हल कराने के लिए इस समय कौन-कौन से अभिकरण कार्यरत हैं; और

(घ) क्या औद्योगिक विवादों से निपटने के लिए पृथक न्यायालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और कब तक इन न्यायालयों को स्थापित किए जाने की सम्भावना है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) महसूस की गई आवश्यकताओं के अनुसार समय-समय पर श्रम कानून बनाये गए हैं। देश में औद्योगिक और सम्बद्ध कार्यकलापों में वृद्धि होने से यह आवश्यक है कि समय समय पर इन कानूनों को अद्यतन किया जाए ताकि कर्मकारों के हितों, विशेषकर उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण तथा उन्हें देय पारिश्रमिक की रक्षा की जा सके। इस उद्देश्य को कर्मकार संगठनों, नियोक्ता संगठनों, राज्य सरकारों और त्रिपक्षीय बैठकों/समितियों/सम्मेलनों में निरन्तर परामर्श की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। वर्ष, 1985-86 के दौरान, चार केन्द्रीय अधिनियमों, अर्थात् बोनस संदाय अधिनियम, 1965, बालक नियोजन अधिनियम, 1938, बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 और ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनयम, 1970 में संशोधन किया गया।

हमारी श्रम नीति में अनुसरण किए जाने वाले मूल सिद्धांतों को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में पहले ही निर्धारित किया गया है। हमारे श्रम विधानों को इन सिद्धांतों से समय-समय पर प्रेरणा मिली है। मंत्रालय के प्लान-दस्तावेज और वार्षिक रिपोर्ट में भी श्रम नीति और इसके कार्यान्वयन को दर्शाया गया है।

(ग) 28-2-1986 को केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले मामलों का निपटान करने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन दस केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालयों के समक्ष 1336 मामले और 2849 आवेदन पत्र लम्बित पड़े थे।

(घ) बंगलौर में एक और केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है और आवश्यक मंजूरी दे दी गई है, जो पीठासीन अधिकारी के पदभार ग्रहण करते ही कार्य शुरू कर देगा।

[हिन्दी]

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय की जाने वाली राशि

8815. **श्री हरीश रावत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी राशि व्यय करने का विचार है; और

(ख) क्या कुछ नये विकास खंड भी सातवीं योजनावधि के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाये जायेंगे ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटासिंह) : सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है, जिसका व्यय केन्द्र तथा सम्बन्धित राज्यों द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जाता है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्यों के अंश सहित, कुल 472 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

(ख) छठी योजना के दौरान वर्ष 1982-83 से 1984-85 तक इस कार्यक्रम में 13 राज्यों के 70 जिलों के 511 चुनिंदा खण्ड शामिल किए गये थे। सातवीं योजना के लिए कार्यक्षेत्र बढ़ा दिया गया है तथा वर्ष 1985-86 से यह कार्यक्रम 13 राज्यों के 90 जिलों के 615 चुनिंदा खंडों में चलाया जा रहा है। सातवीं योजना के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत और अधिक खण्डों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

1986-87 के दौरान खाद्यान्नों, तिलहनों, गन्ना, कपास, दालों और पटसन का उत्पादन लक्ष्य

8816. **श्रीमती माधुरी सिंह** :

श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल :

श्री सी० सम्बु :

श्री वैंकटवाडा पप्पी रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के दौरान खाद्यान्नों, तिलहनों, दालों, गन्ना, कपास और पटसन के उत्पादन लक्ष्य पृथक-पृथक क्या निर्धारित किये गये हैं; और

(ख) इस अवधि के दौरान उपज के बढ़ाने के लिए बीजों, उर्वरकों और अन्य आदानों को सप्लाई और सिंचाई की सुविधाओं के संबंध में क्या योजनाएं की गई हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) : 1986-87 के लिए योजना आयोग द्वारा विभिन्न फसलों के लिए निर्धारित लक्ष्य नीचे दिये गए हैं :

फसल	इकाई	1986-87 के लिए लक्ष्य
कुल खाद्यान	दस लाख	160·00
(दलहन सहित)	मीटरी टन	
तिलहन	,, ,,	14·80
दलहन	,, ,,	14·00
गन्ना	,, ,,	185-00—190·00
	,, ,,	8·80
कपास	प्रत्येक 170 कि० ग्रा० की दस लाख गांठें	
पटसन और मेस्ता	प्रत्येक 100 कि० ग्रा० की दस लाख गांठें	8·50

(ख) 1986-87 में उपज में वृद्धि करने के लिए, मुख्य आदानों के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं :

आदान	इकाई	1986-87 के लिए लक्ष्य
रासायनिक उर्वरकों की खपत	दस लाख मीटरी टन	10·30
कीटनाशी दवाईयां (तकनीकी श्रेणी की सामग्री)	हजार मीटरी टन	70·00
सहकारी ऋण	करोड़ रुपये में	3950·00

65·69 लाख क्विंटल अधिप्रमाणित/अच्छी किस्म के बीज वितरित किये जाने की भी योजना है। अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता सृजित करने के लिए, 1986-87 के दौरान लगभग 2681 करोड़ रुपये का परिव्यय होगा।

सहकारी क्षेत्र में कृषि पर आधारित औद्योगिक परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक द्वारा सहायता

8817. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या विश्व बैंक भारत में सहकारी क्षेत्र में कृषि पर आधारित औद्योगिक परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए सहमत हो गया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) विश्व बैंक अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने रा० स० वि० नि०-3 कृषि उद्योग परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 220 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 238 करोड़ रुपये) के ऋण की मंजूरी दी है। यह परियोजना 1984-85 से पांच वर्ष की अवधि तक कार्यान्वित की जाएगी। 9 राज्यों में सहकारी समितियों द्वारा लागू की जाने वाली परियोजना के 4 घटक हैं : (1) 13·752 लाख मीटरी टन की क्षमता वाले 7779 ग्रामीण गोदामों का विनिर्माण; (2) एकीकृत सोयाबीन उत्पादन और संसाधन कार्यक्रम जिसमें हर साल 2·40 लाख मीटरी टन सोयाबीन की सम्भाल करने की क्षमता वाले 3 सोयाबीन संसाधन संयन्त्र और 4 विलायक निष्कर्षण संयंत्र स्थापित करना; (3) प्रत्येक 25,000 तकली की 5 कपास कताई मिलों की स्थापना, कपास बीज संसाधन के लिए 11 ओटाई एवं प्रेसिंग इकाइयों और 4 विलायक निष्कर्षण संयंत्रों की स्थापना करना, तथा (4) उपरोक्त परियोजनाओं को क्रियान्वित करने वाली सहकारी समितियों के कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण के विशिष्ट कार्यक्रम की व्यवस्था करने हेतु संस्था भवन तैयार करना। परियोजना की कुल लागत 505 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

[हिन्दी]

राज्य सरकारों के कर्मचारियों को सरकारी आवास का आबंटन

8818. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्य सरकारों के दिल्ली में स्थित कार्यालयों में काम करने वाले ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों की संख्या कितनी है, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी आवास आबंटित किये गये हैं; और

(ख) इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) दिल्ली में कार्यरत विभिन्न राज्य सरकारों के 131 कर्मचारियों/अधिकारियों को सामान्य पूल से रिहायशी वास आबंटित कर दिये गए हैं।

(ख) एक विवरण सलग्न है।

विवरण

दिल्ली/नई दिल्ली में पदस्थ राज्य सरकारों के कर्मचारियों/ अधिकारियों को रिहायशी वास के आबंटन का राज्यवार विवरण।

क्रम सं०	राज्य सरकार नाम	रिहायशीवास की कुल संख्या (होस्टल सहित)
1.	आन्ध्र प्रदेश	9
2.	असम	7
3.	बिहार	18
4.	गुजरात	2
5.	हरियाणा	1
6.	जम्मू और कश्मीर	4
7.	कर्नाटक	4
8.	केरल	3
9.	मध्य प्रदेश	7
10.	महाराष्ट्र	5
11.	मेघालय	4
12.	मिजोरम	1
13.	उड़ीसा	12
14.	पंजाब	7
15.	राजस्थान	10
16.	सिक्किम	8
17.	त्रिपुरा	7
18.	उत्तर प्रदेश	8
19.	पश्चिम बंगाल	12
20.	नागालैण्ड	2
	योग :	131

[अनुवाद]

इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी के लिए जापान से ऋण

8819. **श्री के० वी० शंकर गौडा :**

श्री जयप्रकाश अग्रवाल : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के जीर्णोद्धार के लिए ऋण प्राप्ति हेतु जापान के साथ की गई बातचीत का क्या परिणाम निकला है;

(ख) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने जापानी लौह तथा इस्पात महासंघ (जेपेनीज आयरन स्टील फेडरेशन) से बड़े पैमाने पर भारत की सहायता करने के लिए अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो जापान भारत को किस सीमा तक ऋण देने के लिए सहमत हुआ है;

(घ) क्या इसके सम्बन्ध में कोई करार किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) से (ङ) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष तथा इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक ने 10 नवम्बर से 16 नवम्बर, 1985 तक के अपने जापान के दौरे के दौरान जापान की आयरन एण्ड स्टील फेडरेशन (जे० आई० एस० एफ०) के साथ बातचीत की थी जिसमें जापान के इस्पात निर्माताओं ने इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी के बर्नपुर के कारखाने के आधुनिकीकरण में सहयोग देने की बात पर सहमति व्यक्त की थी।

26 फरवरी, 1986 से 7 मार्च, 1986 तक की अवधि में जापान इंटर नेशनल कारपोरेशन एजेन्सी (जे० आई० सी० ए०) से एक प्रारम्भिक सर्वेक्षण दल ने भारत का दौरा किया था। इस बात पर सहमति व्यक्त की गयी थी कि जे० आई० सी० ए० इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लिमिटेड के आधुनिकीकरण के लिए एक शक्यता रिपोर्ट तैयार करेगी। आशा है जे० आई० सी० ए० यह रिपोर्ट अप्रैल, 1987 तक प्रस्तुत कर देगी। जे० आई० सी० ए० की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही इस बात पर विचार किया जाएगा कि बाह्यधन राशि किस प्रकार से तथा किस हद तक लगायी जाएगी।

मकानों के दस्तावेज एक से अधिक के पास बंधक रखने की सुविधा

8820. **श्री के० वी० शंकर गौडा** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह सुझाव दिया गया है कि मकानों को बन्धक रखने के दस्तावेजों

को एक से अधिक के पास बन्धक रखने की सुविधा देने से देश में मकानों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा।

(ख) क्या सरकार ने यह सुझाव स्वीकार कर लिया है और यदि हां, तो इस बारे में समुचित विधान बनाने सहित क्या उत्तरवर्ती कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस सुझाव पर कब निर्णय लिया जाएगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ग) देश में बन्धक बीमा के लिए एक योजना आरम्भ करने की सिफारिशें की गई हैं। योजना के ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

चीन के इस्पात प्रौद्योगिकीविदों की भारत यात्रा

8821. **श्री के० वी० शंकर गौडा** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन के इस्पात प्रौद्योगिकीविदों का एक पांच सदस्यीय दल अप्रैल, 1986 के दौरान भारत आया था;

(ख) यदि हां, तो उनके दौरे का उद्देश्य क्या था;

(ग) चीन के इस दल ने किन-किन संयंत्रों का दौरा किया;

(घ) क्या इस दल के दौरे के पश्चात् भारत और चीन के बीच कोई करार हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो किये गए करार का ब्यौरा क्या है और उनका दौरा किस सीमा तक लाभदायक रहा है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां।

(ख) डा० एम० एन० दस्तूर के नेतृत्व में दस्तूर को (मेसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी प्रा० लि०) के एक दल ने चीन के धातुकर्म उद्योग मंत्रालय के निमन्त्रण पर नवम्बर, 1985 में चीन गणराज्य के कुछ इस्पात कारखानों और मिश्र धातु संयंत्र का दौरा किया किया था। चीन के दल का दौरा लोहे तथा इस्पात के लिए सेण्ट्रल इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च इनकारपोरेशन, बीजिंग के प्रतिनिधित्व में भारतीय दल के दौरे के बदले में किया गया था।

(ग) चीनी दल द्वारा निम्नलिखित कारखानों का दौरा किया गया था :

1. टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, जमशेदपुर
2. उषा अलायस, जमशेदपुर
3. मिश्र इस्पात कारखाना, दुर्गापुर

4. स्पंज आयरन इण्डिया लिमिटेड, कोलगुडेम

5. सेलम इस्पात कारखाना, सेलम

6. बोकारो इस्पात कारखाना, बोकारो

7. बिहार अलायस, पतरातू

8. उड़ीसा स्पंज आयरन लिमिटेड, पालसपोंगा

(घ) तथा (ङ) जी, नहीं। परन्तु लोहे तथा इस्पात उद्योग पर सेन्ट्रल इंजिनियरिंग एण्ड रिसर्च इनकारपोरेशन (सी० ई० आई० एस०) तथा एम० एन० दस्तूर एण्ड कम्पनी प्रा० लि० (दस्तूरको) के बीच निम्नलिखित बातों के बारे में एक समझौता ज्ञापन हुआ था :

1. सी० ई० आर० आई० एस० तथा दस्तूरको का प्रस्तावित संयुक्त कार्य एक परियोजना से दूसरी परियोजना के आधार पर होगा।

2. भारत में उनके परियोजना कार्य के लिए जहां कहीं सम्भव/अपेक्षित हुआ, दस्तूरको सी० ई० आर० आई० एस० से प्रौद्योगिकियों पर विचार करेगी।

3. चीन में परियोजनाओं के लिए सी० ई० आर० आई० एस० जहां कहीं सम्भव/अपेक्षित हुआ, दस्तूरको की विशेषज्ञता, विशेषतया दस्तूरको की विश्वव्यापी प्रौद्योगिकी, का उपयोग करने पर विचार करेगी।

4. सी० ई० आर० आई० एस० और दस्तूरको के बीच सहयोग, अन्य देशों में चुनिंदा परियोजनाओं में उनकी भागीदारी में बदल सकता है।

5. दोनों पार्टियों ने इस प्रकार के सहयोग के लिए सिद्धांत रूप में सहमति प्रकट की है तथा अपनी इच्छा व्यक्त की है।

6. एक दूसरे के साथ बेहतर सहयोग बनाए रखने की दृष्टि से उद्देश्यों को और मजबूत बनाने के लिए आशा है कि दोनों दल चीन तथा भारत में और दौरे करेंगे।

खनिजों की खोज

8822. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में किन-किन खनिजों के लिए खोज की जा रही है;

(ख) इन खनिजों का राज्यवार वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ग) क्या यह सच है कि भारत सभी राज्यों में लौह तथा मैंगनीज अयस्कों की खोज नहीं कर सकता है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

कृषि विश्वविद्यालयों की उपलब्धियां

8823. श्री हुसैन दलवाई : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं;

(ख) इन कृषि विश्वविद्यालयों की मुख्य उपलब्धियां क्या हैं;

(ग) इन कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा किये गये अनुसंधान द्वारा फसल उगाने के तरीकों को बदलने में कहां तक सहायता मिली है;

(घ) क्या कृषि विश्वविद्यालयों के सफल अनुसंधानों के परिणामस्वरूप बाजार में बेहतर और परिणामोन्मुखी किस्म आई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्यमंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) देश के 16 प्रमुख राज्यों में 22 राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं । इसके अतिरिक्त मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के अधीन एक कृषि खंड भी है । हाल ही में हिमाचल प्रदेश में बागवानी तथा वानिकी के नये विश्वविद्याय की स्थापना की गई है ।

(ख) समाकलित ढंग में अध्यापन, अनुसंधान तथा विस्तार शिक्षा के तीन सिद्धात कार्य के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालय बनाये गये हैं । ये विश्वविद्यालय वैज्ञानिक/तकनीकी मानव शक्ति उत्पन्न करते हैं, उत्पादन परक अनुसंधान को हाथ में लेते हैं तथा किसानों के लिए उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी के स्थानान्तरण के लिए संबंधित राज्य के कृषि विकास विभागों के साथ सहयोग देते हैं । कृषि विश्वविद्यालयों की उपलब्धियों की कृषि विश्वविद्यालयों पर एक समीक्षा समिति द्वारा 1978 में समीक्षा की गई थी । समिति यह समझती है कि कृषि विश्वविद्यालय युगान्तकारी, अभिनव तथा वास्तव में विकास परक संस्थाएं हैं। इन्होंने कृषि के विकास तथा ग्रामीण भारत के कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है ।

(ग) से (ङ) राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा किये गये अनुसंधान के चलते संबंधित राज्यों में आर्थिक महत्व वाली विभिन्न फसलों की अनेक अधिक पैदावार देने वाली किस्में विकसित हो पायी हैं । उदाहरण इस प्रकार हैं (1) गेहूं की बौनी और कम अवधि में तैयार होने वाली किस्मों के विकास के कारण देश में गेहूं के पैदावार में कई गुना वृद्धि हुई है । (ii) ग्रीष्मकालीन खेती के लिए जल्दी पकने वाली मूंगबीन की किस्मों और अरहर-गेहूं फसल चक्र के लिए कम अवधि में तैयार होने वाली अरहर की किस्मों का विकास, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कपास गेहूं के फसल चक्र के लिए अल्प अवधि में तैयार होने वाली कपास का विकास (iii) रबी के मौसम में उगाने हेतु मक्का की उपयुक्त किस्मों का विकास (iv) मध्य प्रदेश आदि की खरीफ मौसम वाली परती

भूमि के लिए सोयाबीन की उन्नत किस्मों के विकास से देश में सस्य और कृषि उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में कथित धोखाधड़ी

8824· **श्री पी० कुलनदईवेलू** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा 50 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई है; जिसका आरोप 16 मार्च, 1986 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के संस्थानों के प्रतिवेदनों की लेखा परीक्षकों द्वारा जांच

8825. **डा० डी० एन० रेड्डी** :

डा० बी० एल० शैलेश : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सौ से अधिक संस्थानों, समन्वित परियोजनाओं, विस्तार कार्यक्रमों आदि के प्रतिवेदन की लेखा परीक्षकों द्वारा जांच की गई हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शासी निकाय तथा इसके अध्यक्ष, एवं प्रत्येक संस्थान की प्रबंधक-समिति द्वारा क्या सुधारात्मक कार्य/उपाय किए हैं; और

(ख) क्या व्यक्तियों और प्रत्येक संस्थान के प्रतिवेदनों संबंधी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों तथा प्रबन्धक समितियों और शासी निकायों को प्रस्तुत की जाती है और यदि नहीं, तो इसके इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय और इसके अनुसंधान संस्थानों के लेखा-परीक्षा निदेशक, लेखा-परीक्षा वाणिज्य निर्माण कार्य एवं विविध तथा परिषद अर्थात् भारत के महालेखा नियन्त्रक और लेखा परीक्षक के संविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा यथा प्राधिकृत महालेखाकार के अधिकारियों द्वारा की जाती है। तथापि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विभिन्न प्रयोजनाओं के अधीन विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों, राज्य सरकारों और अन्य संस्थाओं में स्थित प्रायोजनाओं को दिये गये अनुदानों के लेखाओं की लेखा-परीक्षा इन्हीं निकायों के लेखा-परीक्षकों द्वारा की जाती है और परिषद द्वारा दिये गये अनुदान के प्रयोग पर निगरानी अनुदान प्राप्त करने वाले निकायों/संस्थाओं से लेखा-परीक्षा प्रयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त करके की जाती है।

अनुसंधान संस्थानों के लेखाओं पर निरीक्षण रिपोर्टों के आधार पर, लेखा परीक्षा निदेशक, वाणिज्य, निर्माण कार्य एवं विविध परिषद (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय और अनुसंधान संस्थान) के समाकलित लेखाओं पर एक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट तैयार करते हैं। लेखा परीक्षा के प्रत्येक पैरे पर परिषद की टिप्पणी सहित यह लेखा-परीक्षा रिपोर्ट स्थायी वित्त समिति/शासी निकाय और वार्षिक समान्य निकाय की प्रति वर्ष मार्च में आयोजित होने वाली बैठकों में प्रस्तुत की जाती है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नियमों एवं विनियमों के अनुसार, शासी निकाय लेखा-परीक्षा की आपत्तियों को जिस प्रकार से उपयुक्त समझे उसी प्रकार कार्यवाही करने के लिए सक्षम है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वर्ष 1984-85 के समाकलित लेखा तथा उनपर लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की जांच पहले ही स्थायी वित्त समिति/शासी निकाय और वार्षिक सामान्य निकाय द्वारा कर ली गई है। इन लेखाओं को वार्षिक सामान्य निकाय की कृषि मंत्री की अध्यक्षता में मार्च, 1986 में हुई बैठक में स्वीकार कर लिया गया है। प्रबन्ध समिति के कार्यों में, नियमों और विनियमों के अनुसार, इन समितियों द्वारा लेखा-परीक्षा किये गये लेखाओं की जांच का विचार नहीं किया गया है।

(ख) जी हां, श्रीमान्। वार्षिक लेखाओं को उपरोक्त पैरा (क) में उल्लिखित विधि के अनुसार शासी निकाय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नियमों और विनियमों के अधीन वार्षिक लेखाओं को प्रबंध समितियों के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

दिल्ली प्रशासन द्वारा अधिसूचना

8826. **सरदार त्रिलोचन सिंह तुर :**

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन द्वारा 28 मार्च, 1986 को अधिसूचना संख्या 9(26)/85 जारी की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस भूमि के अधिग्रहण के लिए पहली बार कार्यवाही किस तारीख को की गई थी; और

(घ) उस समय उक्त भूमि का अधिग्रहण किये जाने के क्या कारण थे;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) गांव छत्तरपुर में 422 बीघा भूमि जो भू-अर्जन अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत

जारी की गई दिनांक 7-6-85 की अधिसूचना में आ गई थी उसे मूल अधिसूचना से हटा दिया गया था।

(ग) भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी करके गाँव छत्तरपुर तथा दक्षिण दिल्ली के अन्य गांवों में भूमि के अधिग्रहण की कार्रवाई 25-11-80 को आरम्भ की गई थी।

(घ) यह भूमि "दिल्ली के सुनियोजित विकास" के लिए अधिग्रहण के लिए अधिसूचित की गई थी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के एककों का कार्यकरण

8827. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या कृषि मन्त्री यह की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के विभिन्न एककों की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और पिछले तीन वर्षों के दौरान उनमें उर्वरकों का वस्तुत: कितना उत्पादन हुआ;

(ख) वर्ष 1985-86 के दौरान प्रत्येक एकक को कितनी अनुमानित हानि/लाभ हुआ, और

(ग) राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के विभिन्न एककों की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० की गत तीन वर्षों के दौरान एकक वार स्थापित क्षमता तथा वास्तविक उत्पादन निम्न प्रकार हैं :

एकक	स्थापित क्षमता	वास्तविक उत्पादन		
		1985-56	1984-85	1983-84
नंगल (1+2)*	2,31,340	1,99,031	1,90,416	1,93,148
पानीपत	2,35,290	1,41,884	1,57,136	1,57,125
भटिण्डा	2,35,290	1,68,232	1,43,588	1,42,781

*सी० ए० एन० और यूरिया शामिल है।

(ख) नेशनल फर्टिलाइजर्स ने वर्ष 1985-86 के दौरान लगभग 42 करोड़ रुपए का कुल लाभ (कर पूर्व) अर्जित किया/एकक वार स्थिति नीचे दी गई हैं।

एकक	लाभ (रु० करोड़ में)
नंगल (1+2)	21.5
पानीपत	7.5
भटिण्डा	13.0

(ग) अपने एककों की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० निम्न लिखित उपाय कर रहा है :

1. भटिन्डा और पानीपत एककों में केपटिव पावर प्लान्ट स्थापित करना,

2. नंगल में पुराने अमोनिया संयंत्र का आधुनिकीकरण,

3. भटिंडा और पानीपत एककों में अतिरिक्त अमोनिया भण्डारण सुविधाओं की स्थापना ।

4. उनके भटिंडा और पानीपत एककों में अतिरिक्त कूलिंग वाटर सुविधाओं की स्थापना ।

किसानों को शिक्षित करने के लिए प्रचार माध्यमों की सहायता लेना

8828. **डा० टी० कल्पना देवी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लगभग 82,000 कृषि विस्तार कार्यकर्ता हैं;

(ख) क्या इन कार्यकर्ताओं को किसानों को शिक्षित करने के लिए प्रचार माध्यमों को बहुत कम सहायता मिलती है; और

(ग) यदि हां, तो किसानों को उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं में शिक्षा देने के लिए आकाशवाणी तथा दूरदर्शन द्वारा कदम क्या उठाये गये हैं, उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । यह धारणा सही नहीं है ।

(ग) भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए वास्तव में इस भाग का प्रश्न ही नहीं उठता । तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी आकाशवाणी केन्द्र एक विशेषीकृत फार्म प्रसारण सेवा उपलब्ध करते हुए किसानों और ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम प्रसारित करते हैं । ये प्रसारण केवल स्थानीय रूप से बोले जाने वाली बोलियों में ही किए जाते हैं । कुल मिलकर प्रतिमाह 1967 घण्टे के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं । प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की योजना राज्य सरकार के अधिकारियों और किसानों के प्रतिनिधियों के परामर्श से बनाई जाती है ।

2. जहां तक दूरदर्शन का सम्बन्ध है, सभी दूरदर्शन केन्द्र कृषि कार्यों और सम्बन्धित कृषि विषयों से सम्बन्धित विविध कार्यक्रमों, जो क्षेत्र आधारित होते हैं, को आकाशवाणी की तरह क्षेत्र की विशिष्ट भाषा में टेलीकास्ट करते हैं । आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में स्थित 6 इन्सैट केन्द्र विशेष रूप से निर्मित क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रम, जिनमें कृषि विस्तार शिक्षा शामिल है, टेलीकास्ट करते हैं । सामुदायिक अवलोकन के लाभार्थ इन राज्यों के ग्रामों में अब तक 1800 सीधे संग्रहण-सैट और 1985 बहुत ऊंची फ्रीक्वेंसी वाले सैट लगाए हैं ।

बाजरे का उत्पादन

8829. **डा० टी० कल्पना देवी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1985-86 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्ष 1970-71, 1979-80 और 1984-85 में बाजरे का प्रति हैक्टार, उत्पादन क्रमश: 622 कि० ग्राम, 373 कि० ग्राम और 579 कि० ग्राम था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कम उत्पादन के बारे में आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय ने अपने संगणकों से या केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन अथवा योजना अयोग अथवा कृषि मंत्रालय अथवा कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग द्वारा विश्लेषण किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम/निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या गत 10 वर्षों के दौरान जारी की गई नई किस्मों के बारे में भी विश्लेषण किया गया है, और यदि हां, तो जारी की गई किस्मों, उत्पादन के दावे और वास्तविक उत्पादन संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या अन्य मित्र देशों से गेहूं, मक्का, चावल आदि की तरह बाजरे के उन्नत किस्म के बीजों का आयात किया जायेगा ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री भोगेन्द्र झकवाना) : (क) जी हां ।

(ख) 1970-71 की तुलना में 1979-80 तथा 1984-85 में बाजरे की उत्पादकता में कमी होने का मुख्य कारण इसका उत्पादन करने वाले कुछ प्रमुख राज्यों जैसे राजस्थान, गुजरात, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश आदि में असामान्य मौसम की परिस्थितियों का विद्यमान रहना है ।

(ग) गत 10 वर्षों के दौरान बाजरे की कई संकर/किस्में जारी की गई हैं । ये निम्नवत हैं :

संकर/किस्में	जारी करने का वर्ष	पैदावार रेंज (कि०ग्रा०/हैक्टार)
1	2	3
संकर		
बी०जे० 104	1977	1269-3500
बी० के० 560	1977	1187-3921
सी० एम० 46	1981	1146-3424
एम० बी० एच० 110	1981	1216-3263
पी० एच० बी० 47	1983	1354-3798
जी० एच० बी० 32	1983	840-3398

1	2	3
एक्स 5	1984	1040-2802
एम० बी० एच० 118	1984	1948-2948
एच० एच० बी० 45	1984	1002-3144
हिब्रिड		
पी० एच० बी० 8	1980	928-2501
डब्ल्यू सी० सी० 85	1981	1012-2459
आर० सी० बी० 2	1984	1190-2612
एच० सी० 4	1984	1020-2673
आई० सी० एम० एस० 7703	1984	985-2947
पी० एस० बी० 15	1985	1329-2675

इन किस्मों की पैदावार के वास्तविक स्तर का पता लगाना संभव नहीं है क्योंकि सामान्य फसल अनुमान सम्बन्धी सर्वेक्षण में विभिन्न किस्मों के तहत क्षेत्र के पूर्व स्तरण सम्बन्धी व्यवस्था पृथक रूप में नहीं की जाती है। तथापि यह उल्लेखनीय है कि हरित क्रांति के बाद की अवधि 1967-68 से 1984-85 के दौरान, बाजरे की उत्पादकता में प्रति वर्ष 1.55 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है।

(घ) इस समय किसी देश से बारे के बीज का आयात करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

दालों का आयात

8830. **डा० टी० कल्पना देवी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दालों का आयात वाणिज्यिक स्तर पर तथा उपहार के रूप में किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान, प्रति वर्ष, किस-किस देश से इसका आयात किया गया तथा भारत में उनके पहुंचने पर उनका मूल्य क्या रहा ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) वाणिज्यिक तथा उपहार स्वरूप दोनों ही आधार पर दलहनों के आयात से संबंधित स्रोत के नवीनतम आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

तथापि, वर्ष 1982-83 के दौरान दलहनों का कुल आयात 1.02 लाख मीटरी टन था, जिसका मूल्य 36.68 करोड़ रुपए था।

नेफेड आयात के लिए संविदाओं का पंजीकरण करता है। इसका अनुसार आयात के बाद के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

वास्तविक आयात

(मात्रा : लाख मीट्रिक टन में)
(मूल्य : करोड़ रुपए में)

वर्ष	मात्रा	मूल्य
1983-84	4.12	25.00
1984-85	3.14	35.00

दलहनों के आयात के स्रोतों में थाईलैंड, बर्मा, नेपाल, तुर्की, अमेरिका आदि शामिल हैं।

रोजगार हेतु लोगों को विदेश भेजने वाले अभिकर्त्ताओं के विरुद्ध धोखाधड़ी के मामले

8831. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोजगार हेतु लोगों को विदेशों में भेजने वाले अभिकर्ताओं द्वारा धोखाधड़ी किए जाने की पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितनी शिकायतें पुलिस में दर्ज कराई गई हैं;

(ख) शिकायतों का ब्यौरा क्या है और वे कब दर्ज कराई गई थीं; और

(ग) सम्बन्धित व्यक्तियों को उनका धन वापस दिलवाने के लिए पुलिस द्वारा की कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) ये शिकायतें सामान्यत: धोखाधड़ी और रुपया ऐठने से सम्बन्धित होती हैं और उन्हें समय-समय पर पुलिस प्राधिकरणों को भेज दिया गया है।

(ग) पुलिस को भेजी गई 68 शिकायतों का अब तक समाधान कर दिया गया है, जबकि शेष मामलों की जांच-पड़ताल की जा रही है।

विवरण

निर्दिष्ट विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पुलिस को भेजी गई शिकायतों की संख्या
दिल्ली	153
महाराष्ट्र	36
पंजाब	28
राजस्थान	9

1	2
उड़ीसा	1
केरल	10
तमिलनाडु	14
आंध्र प्रदेश	3
हरियाणा	3
हिमाचल प्रदेश	1
गोवा	1
बिहार	1
उत्तर प्रदेश	5
कर्नाटक	3
पश्चिम बंगाल	1
	कुल : 269

जवाहरलाल नेहरू पर चलचित्र

8832. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जवाहरलाल नेहरू पर दूरदर्शन चलचित्र बनाने का कार्य एक विख्यात ब्रिटिश चलचित्र निर्माता श्री ग्रिण्धि को सौंपने का निर्णय किया है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई करार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त चलचित्र में मिथ्या निरूपण न होने देने के लिए उक्त चलचित्र की पटकथा का संशोधन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा; और

(ङ) उक्त चलचित्र का निर्माण कार्य कब आरम्भ हो जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) एक औपचारिक करार अभी किया जाना है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

(ङ) परियोजना पर अनुसंधान शुरू हो गया है। तथापि, शूटिंग शुरू करने की तारीख अभी निश्चित की जानी है।

नारियल के मूल्य में कमी

8833. **श्री थक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने नारियल के मूल्य में हुई कमी के करणों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसकी जांच कराने के लिए शीघ्र कदम उठाने का है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) नारियल के मूल्यों में कमी आने के कारणों का विश्लेषण किया गया है। मुख्य कारण इस प्रकार हैं :—

(1) 1983-84 की तुलना में 1984-85 के दौरान नारियल के उत्पादन में वृद्धि।

(2) केरल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पाम आयल का वितरण।

(3) 1983-84 में नारियल के कीमत अधिक होने के कारण साबुन और उससे सम्बन्धित उद्योगों द्वारा अन्य तेलों का उपयोग।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा नारियल के वसूली मूल्य का निर्धारण

8834. **श्री थक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार नारियल का वसूली-मूल्य अधिक निर्धारित करने का प्रश्न कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को भेजने के लिए सहमत हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जैसाकि अन्य महत्यपूर्ण कृषि फसलों के मामले में होता है, सरकार नारियल/कोपरा के लिए उपयुक्त अधिप्राप्ति मूल्य निर्धारित करने के लिए कृषि लागत व मूल्य आयोग के विशेषज्ञों की सलाह लेना चाहेगी।

(ख) सरकार मुख्य फसलों की खेती की लागत के लिए नारियल की खेती को भी कवर करने हेतु वृहत्त योजना का विस्तार करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है ताकि नारियल

उत्पादन की लागत का अनुमान लगाया जा सके और जिस पर कृषि लागत तथा मूल्य आयोग इसके लिए कीमत सम्बन्धित अपनी सिफारशें करते समय विचार कर सके।

केरल में "खारा जल कृषक विकास अभिकरण"

8835. **श्री थक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने, केरल में "खारा जल कृषक विकास अभिकरण" स्थापित करने हेतु केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो केरल में ऐसे अभिकरण किन-किन जिलों में स्थापित करने का विचार है; और

(ग) राज्य में इन अभिकरणों के कार्यकरण का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेंद्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सरकार ने खारा जल मत्स्य फार्म विकास योजना को सातवीं योजना में कार्यान्वित करने के लिए अभी तक मंजूरी नहीं दी है।

केरल में नये मत्स्य कृषिक विकास अभिकरण

8836. **श्री थक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने राज्य में नये मत्स्य कृषिक विकास अभिकरण स्थापित करने के बारे में केन्द्रीय सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो कहां पर स्थापित किए जायेंगे; और

(ग) इस प्रस्ताव के संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) कन्नानौर।

(घ) प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है।

मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए मकानों की बंधक बिक्री

8837. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मकानों की बंधक बिक्री को बढ़ावा देने का है ताकि मध्यम वर्ग के लोग अपनी आजीविका शुरू करने के दिन में ही अपना मकान बना सकें जैसा कि अमरीका और अन्य विकसित देशों में होता है;

(ख) यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो मध्यम आय वर्ग के परिवारों को अपना जीवन शुरू करते ही मकान मालिक बनाने के लिए किन प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क), से (ग) देश में मकानों के बन्धक बीमा के लिए एक योजना आरम्भ करने की सिफारशें की गई हैं। योजना के ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

दूरदर्शन पर उच्च स्तर के कार्यक्रम

8838. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन के कुल प्रसारण समय में से दूरदर्शन नेटवर्क पर वर्तमान प्रायोजित कार्यक्रम की कितने प्रतिशत समय दिया जाता है;

(ख) इस जन प्रचार माध्यम की सार्वजनिक उपयोगिता की दृष्टि से दूरदर्शन के इतना अधिक व्यापारीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन के प्रचार माध्यम का व्यापारीकरण करने के बजाए इसको और अधिक शिक्षाप्रद बनाने के लिए कोई कार्यक्रम प्रणाली तैयार करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) अधिक अवलोकन समय केन्द्र केन्द्र के लिए भिन्न भिन्न होता है तथापि औसतन इसे सांय 7.00 बजे से रात 10.00 बजे तक के बीच का माना जा सकता है। प्रायोजित कार्यक्रमों का अनुपात कुल दूरदर्शन समय का 11 प्रतिशत बनता है।

(ख) व्यावसायीकरण के प्रभाव का आकलन करने के लिए दूरदर्शन ने कोई अध्ययन नहीं किया है।

(ग) यह कहना सही नहीं है कि दूरदर्शन अधिक व्यावसायिकता में रत है। यद्यपि नियमों के अनुसार वाणिज्यिक विज्ञापनों पर दूरदर्शन द्वारा दिए जाने वाला समय कुल प्रेषण के समय के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, दूरदर्शन वाणिज्यिक विज्ञापनों के लिए प्रेषण समय के 5 प्रतिशत से कम समय का उपयोग कर रहा है। तथापि, कार्यक्रमों ती गुणवत्ता में सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है।

सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा ऋण

8839. **श्री यशवंतराव गडाख पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी भूमि विकास बैंकों ने वर्ष 1985-86 के दौरान ऋण वितरण के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों को पूरा कर लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कमी के कारण क्या हैं;

(ग) क्या अकृषीय तथा अन्य संबद्ध गतिविधियों को इनके अन्तर्गत लाने के लिए इन बैंकों के परिचालन क्षेत्र का विस्तार करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) वित्तीय वर्ष 1985-86 के दौरान कृषि में सर्वाधिक पूंजी निवेश के लिए ऋण देने के लक्ष्यों की प्राप्ति के वास्ते राज्य सहकारी भूमि विकास बैंकों के लिए 365.60 करोड़ रुपये का डिबेंचर कार्यक्रम अनुमोदित किया गया था। इसमें से 461.00 करोड़ रुपये के डिबेंचर जारी किए गए। इस कमी का मुख्य कारण, बैंकों को अतिदेय राशि बहुत अधिक हो जाने की बजह से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से पुनर्वित्त लेने की उनकी पात्रता में कमी होना हो सकता है। सहकारिता वर्ष 1985-86 (जुलाई, 1985 से जून 1686 तक) के दौरान भूमि विकास बैंकों के लिए ऋण देने का लक्ष्य 577 करोड़ रुपये है। सहकारिता वर्ष अभी पूरा नहीं बीता है, अत: इस समय यह नहीं कहा जा सकता कि लक्ष्य किस हद तक प्राप्त किए जा चुके हैं।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों को बैंकों की वसूलियों में सुधार लाने की सलाह दी गई है ताकि वे ऋण के रूप में और अधिक धनराशि दे सकें। उन्हें राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियमों को संशोधित करने की सलाह भी दी गई है ताकि वे अन्य विविध प्रयोजनों तथा भूमि पर आधारित कार्यों से भिन्न कार्यों के लिए ऋण देकर अपने कार्यों को फैला सकें।

प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटियों को पुन: सक्रिय बनाना

8840. **श्री सुभाष यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्रत्येक राज्य में कितनी प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटियां चल रही हैं;

(ख) इनमें से कितनी सोसायटियां घाटे में चल रही हैं;

(ग) क्या इन्हें पुन: सक्रीय बनाने के लिए सरकार भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने कार्यक्रम तैयार किए हैं;

(घ) क्या यह प्रावधान उन्हें उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए पर्याप्त होगा; और

(ङ) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने प्राथमिक कृषि ऋण ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए अपने कोष में से कुछ धनराशि आबंटित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) प्राथमिक कृषि ऋण समितियां और घाटे में चल रही समितियों की संख्या के बारे में इस समय उपलब्ध राज्य-वार जानकारी को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर और महाराष्ट्र को छोड़कर शेष सभी राज्यों में समितियों के पुनर्गठन का कार्यक्रम लगभग पूरा हो गया है। समितियों की संख्या, जो 1963-64 के अन्त तक 2.10 लाख थी, राज्य सरकार के द्वारा उनके पुनर्गठन के परिणामस्वरूप घटकर 92,496 रह गई। तथापि, जैसी कि कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण की व्यवस्था की समीक्षा करने वाली समिति ने सिफारिश की है, सहकारी समितियों के पंजीयकों को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गए हैं ताकि वे पुनर्गठित समितियों को बहु-उद्देशीय सेवा संस्थाओं के रूप में बदलने के कार्यक्रम को क्रियान्वित कर सकें। आशा है कि इन मार्गदर्शी सिद्धांतों को क्रियान्वित करने के पश्चात् ये समितियां प्रभावी बहु-उद्देशीय यूनिटों के रूप में उभरेंगी और अपनी भूमिका को सार्थक ढंग से निभाने में सफल होंगी।

(ङ) प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को सुदृढ़ करने के लिए नाबार्ड द्वारा अपने लाभ में से कोई विशेष धनराशि निर्धारित नहीं की गई है। तथापि, कृषि तथा ग्रामीण विकास संबंधी राष्ट्रीय बैंक राज्य सरकारों के लिए दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था करता है ताकि वे उन समितियों की शेयर पूंजी के लिए योगदान कर सकें, जो पहले ही पुनर्गठित की गई हैं और जिनके पास चुने हुए व्यावहारिक या क्षमता की दृष्टि से व्यावहारिक कार्यक्रम है। सहकारी बैंकों के तकनीकी सेलों को सुदृढ़ करने के लिए कृषि और ग्रामीण विकास संबंधी राष्ट्रीय बैंक की अनुसंधान तथा विकासनिधि से भी सहायता दी जाती है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	30-6-1984 को प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की संख्या	1982-83 में हानि में चल रहे प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	6873	2668
2.	असम	2232	उपलब्ध नहीं
3.	बिहार	6657	3140
4.	गुजरात	6779	2414
5.	हरियाणा	2350	932
6.	हिमाचल प्रदेश	2109	193
7.	जम्मू और कश्मीर	1473	343
8.	कर्नाटक	4741	2013
9.	केरल	1566	672

1	2	3	4
10.	मध्य प्रदेश	5572	1419
11.	महाराष्ट्र	18353	8750
12.	मणिपुर	685	108
13.	मेघालय	180	122
14.	नागालैंड	229	37
15.	उड़ीसा	2795	919
16.	पंजाब	3060	742
17.	राजस्थान	5078	1278
18.	तमिलनाडु	4645	3988
19.	त्रिपुरा	373	177
20.	उत्तर प्रदेश	8602	1750
21.	पश्चिम बंगाल	7677	2443
22.	अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह	45	34
23.	अरुणाचल प्रदेश	17	2
23.	चंडीगढ़	33	8
25.	दादर तथा नगर हवेली	11	5
26.	दिल्ली	194	14
27.	गोवा, दमन और दीव	105	8
28.	लक्षद्वीप		
29.	मिजोरम		
30.	पांडिचेरी	55	24
	कुल :	92496	34121

ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति की सिफारिशें

8841. **श्री सुभाष यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों के अनुसार केन्द्र और राज्य सरकारों के स्तर पर गठित कृषि गारन्टी और राहत निधि के नाम धनराशि का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या पूर्ण धन अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा मांग पूरी करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर कोई कृषि गारंटी और राहत निधि सृजित नहीं की है । राज्य स्तर पर सृजित की गई ऐसी निधियों क ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

(लाखों रुपये में)

क्रम संख्या	राज्य	निधि में उपलब्ध शेष राशि	
		तिथि को	राशि
1.	असम	31-3-82	6.00
2.	केरल	31-3-81	12.78
3.	कर्नाटक	31-3-81	11.75
4.	तमिलनाडु	31-3-82	135.70
5.	बिहार	31-3-76	6.75
6.	उत्तर प्रदेश	31-3-81	20.45
7.	पश्चिम बंगाल	31-3-81	43.20
8.	गुजरात	31-3-81	78.03
9.	महाराष्ट्र	31-3-81	140.47
10.	आन्ध्र प्रदेश	31-3-82	24.38
11.	राजस्थान	31-3-81	5.90
12.	मध्य प्रदेश	31-3-81	22.15

(ख) से (घ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने राज्य सरकारों की कृषि गारन्टी तथा राहत निधि को सुदृढ़ करने के प्रश्न की जांच करने के लिए एक समिति गठित की है।

[हिन्दी]

अफीम की फसल को फसल बीमा योजना के अन्तर्गत लाना

8842. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफीम की फसल को फसल बीमा योजना के अन्तर्गत लाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) देश में एक वृहत्त फसल बीमा योजना खरीफ 1985 से लागू की गई थी, और यह योजना मुख्य धान्यों अर्थात् धान, गेहूं तथा कदन्नों और बारानी फसलों अर्थात् दलहनों तथा तिलहनों के लिए लागू की गई थी। प्रारम्भ में इस योजना में सिर्फ मुख्य फसलों को शामिल करने के संबंध में विचार किया गया था, इस योजना में अफीम की फसल को शामिल करने के प्रश्न पर विचार नहीं किया गया।

रोजगार पाने के इच्छुक विदेश जाने वाले लोगों के साथ धोखाधड़ी

8843. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक एजेंसियां रोजगार की तलाश में विदेशों में जाने वाले लोगों को धोखा दे रही हैं; उनको छल रही हैं तथा उनका शोषण कर रही हैं और यदि हां, तो सरकार ने उनको रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार विदेशों में नौकरी के लिए रोजगार कार्यालय के माध्यम से विज्ञापन जारी करने का है ताकि लोगों का शोषण न होने पाएगा ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) कुछ पंजीकृत और बिना पंजीकरण वाली भर्ती एजेंसियों के खिलाफ हमें शिकायतें मिली हैं। विदेशों में रोजगार के लिए जाने वाले श्रमिकों के साथ धोखाधड़ी की शिकायतों को सम्बन्धित पुलिस प्राधिकरणों के पास उचित कार्यवाही के लिए भेजा जाता है। जहां तक पंजीकृत भर्ती एजेंटों का सम्बन्ध है, बैंक प्रत्याभूतियों को जब्त करने के अतिरिक्त, उनके पंजीकरण प्रमाणपत्रों को निलंबित करने/रद्द करने के लिए भी कार्यवाई की जाती है।

(ख) जी, नहीं।

[अनुवाद]

हैदराबाद के विकास के लिए विदेशों द्वारा वित्तीय सहायता

8844. **श्री टी० बाल गौड़** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद शहर, जो भारत का तेजी से बढ़ता हुआ शहर है, के विकास और विस्तार की कोई योजनाएं हैं;

(ख) क्या किसी देश/एजेंसी ने शहर की विकास योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देने की पेशकश की है; और

(ग) यदि हां, तो इस सहायता के उपयोग की क्या योजनाएं हैं और कौन-सी एजेंसी यह विकास कार्य करेंगी ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ग) हैदराबाद शहर के विकासार्थ आन्ध्र प्रदेश सरकार ने कई योजनायें आरम्भ की हैं। विश्व बैंक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत शहर को लाभान्वित करने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार एक परियोजना तैयार कर रही है। परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने पर केन्द्र सरकार द्वारा आगे कार्यवाही की जायेगी।

खुम्बी की खेती को लोकप्रिय बनाना

8845. **श्री पी० आर० कुमार मंगलम** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खुम्बी की वाणिज्यिक आधार पर खेती पूरी तरह से मानकीकृत हो चुकी है और यह शाकाहारी लोगों में अत्यन्त लोकप्रिय हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या लघु और सीमान्त किसानों को वैकल्पिक कार्य प्रदान करने के उद्देश्य से देश के दक्षिणी तथा अन्य राज्यों में खुम्बी पैदा करने और उसे लोकप्रिय बनाने हेतु प्रायोगिक स्तर पर कोई योजना आरम्भ की जाएगी ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) कुछेक राज्य सरकारों ने छोटे और सीमांत किसानों को खुम्बी की खेती में प्रशिक्षण देने और इसके विस्तार के कार्यक्रम शुरू किए हैं। भारत सरकार ने भी "इच" सहायता से जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में खुम्बी की खेती करने के एक कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया है, जिसे वर्ष 1986-87 से कार्यान्वित किया जाना है।

[हिन्दी]

खान मजदूरों की मजदूरी

8846. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** :

श्री तेजा सिंह डर्डी :

श्रीमती माधुरी सिंह : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न भागों में खान मजदूरों की मजदूरी अन्य मजदूरों की तुलना में काफी कम है;

(ख) क्या सरकार का विचार खान मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न खानों और कतिपय अन्य नियोजनों में, जिनमें कृषि, सड़कों का निर्माण और रख रखाव या भवन निर्माण संक्रियायें पत्थर तोड़ना और पत्थर पीसना, भवनों का रख रखाव और धावनपथों (स्वकेज) का निर्माण और रख रखाव भी शामिल है, न्यूनतम मजदूरी-दरों को निर्धारित और संशोधित किया है। पिछली बार संशोधन फरवरी, 1985 में किया गया था। न्यूनतम मजदूरी दरों में और संशोधन करने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है। खनन नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी दरें केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्य नियोजनों में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरों से अधिक हैं।

[अनुवाद]

चण्डीगढ़ में दूरदर्शन केन्द्र

8847. **श्री चिरञ्जी लाल शर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक यह स्थापित कर दिया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) जी, हां। चण्डीगढ़ में कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं के साथ अल्प शक्ति (100 वाट) वाले एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर की स्थापना करने की स्कीम दूरदर्शन की सातवीं योजना के अन्तर्गत एक स्कीम है। तथापि इसका कार्यान्वयन संसाधनों के वास्तविक वर्षवार आबंटन पर निर्भर करेगा।

त्यौहारों का दूरदर्शन पर प्रसारण

8848. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरदर्शन विभिन्न राज्यों के महत्वपूर्ण त्यौहारों का प्रसारण करता है।

(ख) क्या होली जो मणिपुर का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, का प्रसारण किया गया था

यदि हां, तो उसके प्रसारण की तारीख क्या है और यह कहां कहां प्रसारित किया गया था और जहां जहां इसका प्रसारण किया गया उसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इस उदासीनता के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या उनका मंत्रालय राज्य सरकारों के परामर्श से यह सुनिश्चत करेगा कि दूरदर्शन द्वारा होली और अन्य महत्वपूर्ण त्यौहारों का किस प्रकार प्रसारण किया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां। सभी दूरदर्शन केन्द्र तकनीकी और अन्य सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए अपने-अपने राज्यों के महत्वपूर्ण त्यौहारों को कवर करने का प्रयास करते हैं।

(ख) और (ग) मणिपुर में इस समय कार्यक्रम निर्माण केन्द्र नहीं है। कलकत्ता और गोहाटी केन्द्र, जो क्षेत्र में केवल दो कार्यक्रम निर्माण केन्द्र हैं, पूर्व-व्यस्तताओं के कारण मणिपुर की होली को कवर नहीं कर सके। तथापि, सभी रिले ट्रांसमीटरों ने दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली से होली पर टेलीकास्ट किए गए कार्यक्रमों को रिले किया।

(घ) विभिन्न राज्यों के महत्वपूर्ण त्यौहारों को यदि आवश्यक हो तो सम्बन्धित राज्य सरकारों से परामर्श करके कवर करने का दूरदर्शन का सतत प्रयास रहा है।

फसल बीमा योजना के लिए ग्रामीण बीमा निगम

8850. **श्री शांता राम नायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का फसल बीमा योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एक ग्रामीण बीमा निगम स्थापित करने का विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : फसल बीमा योजना के क्रियावयन के लिए एक ग्रामीण बीमा निगम स्थापित करने के सम्बन्ध में भारत सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

समाचार-वाचकों के चयन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

8851. **श्री शांताराम नायक** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने समाचार वाचकों के चयन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों सम्बन्धी कोई नियम तैयार किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन नियमों अथवा मार्गदर्शी सिद्धांतों की मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) दूरदर्शन द्वारा समाचार वाचकों तथा उद्घोषकों की नियमित आधार पर भर्ती 11 दिसम्बर, 1980

से बन्द कर दी गई है। इन कार्यों को करने के लिए अपेक्षित व्यक्तियों को अब शुल्क के आधार पर विशिष्ट कार्य के लिए लगाया जा रहा है।

तथापि, समाचार वाचकों की श्रेणी के नियमों की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :

(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री।

(2) पद से संगत भाषा के साथ मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा पास होना चाहिए।

(3) सही उच्चारण, लहजे और सुर के उतार चढ़ाव के साथ माध्यमों के लिये उपयुक्त व्यक्तित्व और आवाज।

(4) सामयिक भारतीय और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों की जानकारी।

(5) प्रथम कार्य पाने की तारीख को 21-30 वर्ष के बीच आयु।

बम्बई शहर के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता

8852. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में कांग्रेस शताब्दी समारोह के अवसर पर प्रधानमन्त्री ने घोषणा की थी कि बम्बई के शहरी विकास के लिए 100 करोड़ रुपये केन्द्रीय सहायता के रूप में दिए जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या अब केन्द्रीय सहायता को ऋण में परिवर्तित किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार बम्बई के शहरी विकास के लिए 100 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता देने के प्रधानमन्त्री के मूल आवश्वासन पर दृढ़ रहेगी ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) सहायता अनुदान के रूप में होगी, न कि ऋण के रूप में।

डा० बी० आर० अम्बेडकर के जीवन चरित्र पर वृत चित्र

8853. **श्री अनादिचरण दास** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री डा० बी० आर० अम्बेडकर के जीवन चरित्र पर वृत चित्र के बारे में 29 अप्रैल, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4749 के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डा० बी० आर० अम्बेडकर के जीवन चरित्र और उनके योगदान पर दो दूरदर्शन कार्यक्रम और एक वृत्ति चित्र का निर्माण करने की दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने सम्बन्धी सरकार की नीति के अनुसरण में डा० बी० आर० अम्बेडकर पर प्रस्तावित फिल्म तैयार करने के लिए सही सहयोगी का पता लगाने हेतु राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम से कहा गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह कार्य किसको सौंपा गया है ?

सूचना और प्रासरण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) डा० बी० आर० अम्बेडकर के जीवन तथा उनके योगदान पर एक टी० वी० डाकुमेंट्री दूरदर्शन केन्द्र, बम्बई द्वारा मुकम्मल की गई थी तथा उसे हाल ही में दूरदर्शन ने अपने राष्ट्रीय प्रसारण में दिखाया था। दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली में निर्माणाधीन एक अन्य टी० वी० डाकुमेंट्री मुकम्मल होने की अंतिम अवस्था में है। जहां तक डा० बी० आर० अम्बेडकर पर फिल्म प्रभाग की डाकुमेंट्री का सम्बन्ध है, यह फिल्म किसी बाहरी निर्माता को सौंपी जा रही है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। सरकार द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम से डा० अम्बेडकर पर फिल्म बनाने के लिए सहयोगी का पता लगाने के लिए नहीं कहा गया है। तथापि, फिल्म प्रभाग से डा० अम्बेडकर पर डाकुमेंट्री फिल्म का निर्माण करने के लिए कहा गया है और वह इस परियोजना पर पहले ही कार्य कर रहा है।

"नाफेड" की पूंजी आवश्यकता

8854. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की कार्यचालन पूंजी और अवरुद्ध पूंजी की आवश्यकता पूर्ति कौन-सी एजेंसियों द्वारा की जाती है;

(ख) क्या सहकारी संस्थान अपनी ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहकारी ऋण संस्थानों से ऋण नहीं ले रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 30 जून, 1985 को नेफेड की कुल ऋण की राशि 35.7 करोड़ रुपए थी, इसमें से राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण 31.13 करोड़ रुपए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और भारत सरकार से अल्पकालिक ऋण, 4.54 करोड़ रुपए और सहकारी बैंकों से 3.50 लाख रुपए था।

(ख) तथा (ग) सहकारी संस्थाएं सहकारी ऋण संस्थाओं से उधार ले रही हैं।

दालों के उत्पादन, उपलब्धता तथा मूल्य

8855. **श्री मूल चन्द डागा** :

श्री चिंतामणि जेना : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई दशकों से दालों का उत्पादन 110 लाख टन से 130 लाख टन के बीच हो रहा है;

(ख) क्या दालों की उपलब्धता वर्ष 1959 में प्रति व्यक्ति 74 ग्राम प्रतिदिन से घटकर इस समय 40 ग्राम प्रतिदिन रह गई है;

(ग) क्या दालों के मूल्यों में तेजी से वृद्धि हो रही है;

(घ) क्या दालों का आयात किया जा रहा है और विश्व बाजार में केवल कुछेक दालें ही उपलब्ध हैं;

(ङ) दालों के उत्पादन तथा इनके क्षेत्र में अनुसंधान की ओर ध्यान न दिए जाने के क्या कारण हैं;

(च) इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं; और

(छ) दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) वर्ष 1959-60 और 1984-85 के दौरान दलहनों का उत्पादन 83.5 और 130.4 लाख टन के बीच रहा।

(ख) दलहनों की प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धिता 1959 में 74.9 ग्राम प्रतिदिन और 1985 में 38.9 ग्राम प्रतिदिन (अनन्तिम) थी।

(ग) दलहनों (ग्रुप) के थोक मूल्यों के अखिल भारतीय सूचकांक में 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 6 अप्रैल, 1985 को यह सूचकांक 427.0 था, जो 5 अप्रैल, 1986 को बढ़कर 435.7 हो गया।

(घ) दलहनों के आयात की अनुमति खुले साधारण लाइसेंस के अन्तर्गत दी जाती है। हरी मूंग और उड़द का आयात मुख्यतया थाइलैंड, बर्मा, चीन और वियतनाम से किया जाता है, जबकि मटर और फलियों का आयात अमेरिका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा से किया जाता है। मसूर और चने का आयात तुर्की एवं सीरिया तथा अरहर का आयात बर्मा, नेपाल और आस्ट्रेलिया से किया जाता है।

(ङ) से (छ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अधिक उपज देने वाली कम समय में पकने वाली, कृषि-रोधी ऐसी किस्मों जो खेतों को विभिन्न पद्धतियों में शुद्ध तथा मिश्रित दोनों किस्म की फसलों के लिये उपयुक्त हों, की विभिन्न दलहन फसलों पर अपने अनुसंधान प्रयासों को तेज कर रही है।

दलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कार्यनीति तैयार की गई है :—

(1) दो-फसली तथा बहु-फसली जैसी सिंचित खेती पद्धति में दालों की फसलें उगाना शुरू करना।

(2) निम्न के तहत और अधिक क्षेत्र लाना :—

(क) रबी मौसम में बची-खुची नमी का इस्तेमाल करते हुए चावल की परती भूमि में उड़द, मूंग आदि की कम समय में पकने वाली किस्में उगाना;

(ख) गर्मी के मौसम में तिलहनों, गन्ने, आलू और गेहूं के बाद सिंचाई द्वारा दलहन उगाना, तथा

(ग) रबी में मसूर उगाना।

(3) सिंचित तथा गैर सिंचित दोनों स्थितियों में सोयाबीन, बाजरा, कपास, गन्ने और मूंगफली में बीच की फसल के रूप अरहर उगाना।

(4) दलहन के उन्नत बीजों का वर्धन और उपयोग, वनस्पति संरक्षण उपाय अपनाना, फास्फेट युक्त उर्वरकों तथा राइजोवियम कल्चर का उपयोग, और

(5) कटाई के बाद उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना, दलहनों के मूल्य नियतन तथा विपणन सहित सार्वजनिक नीतियां अपनाना।

एम० आई० जी० फ्लैटों के मूल्य में वृद्धि

8856. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिलोकपुरी, दिलशाद गार्डन, विकासपुरी और शालीमार बाग में वर्ष 1981-82, 1982-83, 1983-84 और 1984-85 में एम० आई० जी० फ्लैटों के आवंटितियों से पृथक-पृथक कितना मूल्य वसूल किया गया है;

(ख) मूल्य बढ़ाने के क्या कारण हैं;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों की निर्माण लागत में और उनके विक्रय मूल्यों में प्रतिवर्ष कितनी औसत वृद्धि हुई; और

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कालोनियों को दिल्ली नगर निगम को कब सौंपा था ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

फलोद्यानों का बीमा

8857. **श्रीमती उषा चौधरी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में फसल बीमा योजना फलोद्यानों पर लागू करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) वित्त मंत्री ने वर्ष 1986-87 का बजट प्रस्तुत करते समय वृहत्त फसल बीमा योजना में फलों की फसलों को शामिल करने की घोषणा पहले ही कर दी है। इन सम्बन्ध में कार्य पद्धति निर्धारित करने का कार्य अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय समिति को सौंपा गया है

कारखानों का बन्द होना तथा उनमें तालाबन्दी

8858. **श्री अनंत प्रसाद सेठी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1983 से दिसम्बर, 1985 तक कारखाने बंद होने तथा उनमें तालाबंदी की राज्यवार तथा वर्षवार कितनी घटनाएं हुई हैं;

(ख) क्या इस अवधि के दौरा नियोजकों द्वारा गैर-कानूनी तौर पर कारखाने बन्द करने तथा तालाबन्दी के कुछ मामले हुए हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान कारखाने बन्द होने तथा उनमें तालाबंदी के कारण प्रभावित हुए मजदूरों की राज्यवार तथा वर्षवार कुल संख्या क्या है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तालाबन्दियों तथा कारखानों के बन्द होने के बारे में सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन, तालाबन्दी या कामबन्दी की अवैधता या अन्यथा का निर्णय श्रम न्यायालयों/औद्योगिक अधिकरणों द्वारा किया जाना है। अवैध घोषित की गई तालाबंदियों/कामबंदियों के बारे में सूचना नहीं रखी जाती है।

(ग) तालाबन्दियों और कामबंदियों के कारण प्रभावित हुए श्रमिकों की संख्या के बारे में सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

वर्ष 1983-85 के दौरान हुई तालाबंदियों और कामबन्दियों को दर्शाने वाला विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	तालाबन्दियों की संख्या			कामबंदियों की संख्या		
	1983 के दौरान (अ)	1984 के दौरान (अ)	1985 के दौरान (अ)	1983 के दौरान (अ)	1984 के दौरान (अ)	1985 के दौरान (अ)
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	163	58	41	3	3	1
असम	1	1	—	—	...	—
बिहार	16	16	15	6	8	3
गुजरात	19	22	20	41	35	17
हरियाणा	14	10	1	12	9	5

1	2	3	4	5	6	7
हिमाचल प्रदेश	—	—	—	2	1	—
जम्मू और कश्मीर	—	2	1	...	...	...
कर्नाटक	7	7	7	—	1	1
केरल	13	12	20	2	18	29
मध्य प्रदेश	4	2	2	12	2	5
महाराष्ट्र	35	54	44	38	37	29
मणीपुर	—	—	—	—	—	—
मेघालय	—	—	—	—	—	—
नागालैंड	—	—	—	...	...	...
उड़ीसा	9	10	6	8	11	3
पंजाब	6	1	3	6	4	1
राजस्थान	21	28	17	12	16	26
सिक्किम	—	—	—	...	...	...
तमिलनाडु	30	23	36	25	24	16
त्रिपुरा	1	—	...	27	1	1
उत्तर प्रदेश	11	12	7	8	17	3
पश्चिम बंगाल	136	131	144	12	...	...
अण्डमान और निकोबार	1	—	—	—	—	—
अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	...	...	...
चंडीगढ़	—	—	...	...	...	...
दादर और नागर हवेली	—	—	—	—	—	—
दिल्ली	4	11	...	10	1	...
गोवा दमन और दीव	4	5	2	1	—	—
लक्ष्य दीप	—	—	—	...	...	...
मिजोरम	—	—	—	—	...	...
पांडिचेरी	—	—	—	1	—	—
कुल :	495	405	366	226	188	140

(अ)=अनन्तिम (—)=यशून्य (...)=उपलब्ध नहीं।

(ब)=गैर मौसमी कामन्दियों को छोड़कर।

विवरण II

वर्ष 1983-85 के दौरान हुई तालाबंदियों और कामबंदियों के कारण प्रभावित हुए श्रमिकों की संख्या दर्शाने वाला विवरण ।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	तालाबंदियों के कारण प्रभावित हुए श्रमिकों की संख्या			कामबंदियों के कारण प्रभावित हुए श्रमिकों की संख्या		
	1983 के दौरान	1984 के दौरान (अ)	1985 के दौरान (अ)	1983 के दौरान (अ)	1984 के दौरान (अ)	1985 के दौरान (अ)
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	80,179	46,190	22,838	259	168	40
असम	699	1,489	—	—	...	—
बिहार	18,61(	12,938	4,159	951	11,525	103
गुजरात	9,955	6,889	5,188	9,942	31,230	2,007
हरियाणा	7,962	6,413	1,200	516	3,745	140
हिमाचल प्रदेश	—	—	—	319	74	—
जम्मू और कश्मीर	—	230	85	...	...	...
कर्नाटक	1,930	5,7618	6,624	—	52	71
केरल	5,949	1,774	6,046	54	13,834	16,155
मध्य प्रदेश	2,425	2,050	2,050	15,880	776	828
महाराष्ट्र	24,469	21,113	18,753	994	1,344	1,983
मणीपुर	—	—	—	—	—	—
मेघालय	—	—	—	—	—	—
नागालैंड	—	—	—	...	...	...

1	2	3	4	5	6	7
उड़ीसा	6,735	5,355	1,133	5,399	6,060	804
पंजाब	1,033	380	868	321	145	33
राजस्थान	3,789	4,203	5,247	9,980	1,170	574
सिक्किम	—	—	—	...	....	...
तमिलनाडु	9,901	11,848	10,495	1,662	1,258	956
त्रिपुरा	10	—	...	2,785	65	40
उत्तर प्रदेश	6,643	1,162	2,186	377	482	311
पश्चिम बंगाल	108,144	84,920	112,042	946	...	...
अण्डमान और निकोबार	991	—	—	—	—	—
अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	...	...	...
चण्डीगढ़	—	—	...	...	...	...
दादर और नागर हवेली	—	—	—	—	—	—
दिल्ली	4,292	9,407	...	718	9	...
गोवा दमन और दीव	255	570	399	113	—	—
लक्ष्यदीप	—	—	—	...	...	—
मिजोरम	—	—	...	—	...	...
पाण्डिचेरी	—	—	—	28	—	—
कुल :	293,963	222,699	199,253	43,234	71,937	24,045

(अ)=अनंतिम (—)=शून्य (...)=उपलब्ध नहीं।

कृषि, डेरी, मुर्गी फार्मों, की प्रबन्ध व्यवस्था में विकेन्द्रीकरण

8859. **डा० जी० विजय रामाराव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि/डेरी, मुर्गी फार्मों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अनुसंधान और विकास यूनिटों की प्रबन्ध व्यवस्था में विकेन्द्रीकरण किए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या अनेक केन्द्रीय कृषि फार्मों और डेरी फार्मों के घाटे को कम करने से लिए उनकी प्रबन्ध व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्कता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

दालों के बीजों का आयात

8860. **डा० जी० विजय रामाराव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की गेहूँ, चावल और मक्का आदि जी भांति दालों के अधिक उत्पादन वाली नई किस्मों के बीजों का आयात करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केरल के मालाबार क्षेत्र में आकाशवाणी केन्द्र

8861. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के मालाबार क्षेत्र में, जिसमें कासरगौड, कन्नानौर, विनाड, कालीकट, मालापुरम और पालघाट छः जिले शामिल हैं और जिनमें केरल की लगभग आधी जनसंख्या रहती है, कितने आकाशवाणी केन्द्र है;

(ख) क्या पूरे मालाबार क्षेत्र में आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनने के लिए वर्तमान केन्द्र पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) आकाश-

वाणी का कालीकट केन्द्र केरल के मालाबार क्षेत्र में है। इस केन्द्र में 10 किलोवाट मीडियम वेव का एक ट्रांसमीटर है।

(ख) और (ग) आकाशवाणी का कालीकट केन्द्र सम्पूर्ण कालीकट जिले तथा मलप्पुरम के बड़े भाग तथा कन्नानौर तथा विनाड के कुछ भागों रोग में सेवा उपलब्ध करता है। इसके अतिरिक्त, केरल के त्रिचूर (20 किलोवाट मीडियम वेव) तथा एल्लेप्पी (100 किलोवाट मीडियम वेव) में स्थिति आकाशवाणी ट्रांसमीटर भी मालाबार क्षेत्र में सेवा उपलब्ध करते हैं।

मालाबार क्षेत्र के कवर न हुए शेष भागों में सेवा उपलब्ध करने के लिए आकाशवाणी ने अपनी सातवीं योजना में कन्नानौर में 2×3 किलोवाट के एक एफ० एम० ट्रांसमीटर के साथ नया रेडियो स्टेशन स्थापित करने की स्कीम सम्मलित की है। त्रिचूर के 20 किलोवाट मीडियम वेव के मौजूदा ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ाकर 100 किलोवाट मीडियम वेव की जा रही है। त्रिवेन्द्रम में 50 विलोवाट शार्ट वेव का एक ट्रांसमीटर भी स्थापित किया जा रहा है जो पूरे राज्य को सहायक सेवा उपलब्ध करेगा।

गैर-सरकारी स्वामित्व के अधीन बड़ी खानें

8862. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में गैर-सरकारी स्वामित्व के अधीन अभी भी कुछ बड़ी खानें हैं;

(ख) यदि हां, तो यह खानें कहां स्थित हैं और उनके स्वामियों के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार कुछ और अधिक खानों का राष्ट्रीयकरण करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) सभी खनिजों (कोयला को छोड़कर) से संबन्धित खनन कार्यकलाप सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के लिए उन्मुक्त हैं। ये खानें देशभर में हैं तथा असंख्य व्यक्तियों के पास खनन पट्टे हैं।

इस समय किसी खान के राष्ट्रीयकरण का सरकार का कोई विचार नहीं है।

सैन्ट्रल स्टेट फार्म अरलम को वित्तीय सहायता

8863. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की केरल के कन्नानूर जिले में सेन्ट्रल स्टेट फार्म, अरलम में गहन खेती करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस फार्म के विकास के लिए विदेश से कोई वित्तीय सहायता मांगी गई है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री बीरेन्द्र सकवाना) : (क) तथा (ख) बागानी फार्म होने के कारण अरलम फार्म में वार्षिक फसलों से सघन खेती करने की कोई गुंजाइश नहीं है ।

(ग) जी नहीं ।

शैक्षिक टेलीविजन कार्यक्रम

8864. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्सेट-1 बी पर लगाए गए 2 उच्च शक्ति वाले एस-बैण्ड ट्रांसमीटर चैनलों का उपयोग चुने हुए राज्यों में स्कूली शैक्षिक टेलीविजन कार्यक्रम- सामग्री के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रायोजित उच्च शिक्षा टेलीविजन कार्यक्रमों का प्रसारण करने हेतु निम्न शक्ति वाले टेलीविजन ट्रांसमीटरों के परिचालन को बनाए रखने हेतु दूरदर्शन द्वारा चुने हुए ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक टेलीविजन रिसीवरों के विस्तारण हेतु प्रसारण के लिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उन ग्रामीण क्षेत्रों के राज्य-वार नाम क्या हैं जिन्हें शैक्षिक टेलीविजन कार्यक्रम का लाभ मिलता है और क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में निम्न शक्ति वाले टेलीविजन ट्रांसमीटरों को भी शामिल करने का विचार है;

(ग) क्या यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजना आयोग द्वारा चुने गये पर्वतीय राज्यों/क्षेत्रों को इस अवधि में शैक्षिक टेलीविजन कार्यक्रमों का लाभ मिलेगा और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी हां ।

(ख) इन्सैट के दूरदर्शन उपयोग की स्कीम के अन्तर्गत प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए शैक्षणिक दूरदर्शन कार्यक्रमों को 6 स्वीकृत राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात बिहार और उत्तर प्रदेश के चुनींदा तीन-जिला कलस्टरों में टेलीकास्ट किया जाना था। फिलहाल तेलुगु, उड़िया, मराठी गुजराती और हिन्दी में शैक्षणिक दूरदर्शन कार्यक्रम एक समय बटवारा पद्धति में इन्सेट-1 बी के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं और सम्बन्धित भाषाओं में कार्यक्रमों को उपर्युक्त 6 इन्सैट राज्यों तथा चार अन्य राज्यों अर्थात् मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के सभी ट्रांसमीटरों द्वारा रिले किया जाता है। इन कार्यक्रमों को उपरिउल्लिखित छः इन्सैट राज्यों के चुनींदा ग्रामों में स्थापित 2,000 सीधे संग्रहण टी० वी० सैटों द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। ट्रांसमीटर और सीधे संग्रहण सैट उपरिउलिखित राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों के बड़े भागों को कवर करते हैं। जबकि उन ग्रामीण क्षेत्रों के नामो को ठीक-ठीक निर्दिष्ट करना संभव नहीं है। जहां शैक्षणिक दूरदर्शन कार्यक्रम उपलब्ध हैं, उपरिउल्लिखित राज्यों में शैक्षणिक दूरदर्शन कार्यक्रम रिले करने वाले ट्रांसमीटरों के राज्यवार स्थापना स्थलों के नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं। सातवीं योजना अवधि के दौरान इन राज्यों में जब भी नए ट्रांसमीटर स्थापित होंगे. वे भी शैक्षणिक दूरदर्शन कार्यक्रम रिले करेंगे।

(ग) और (घ) शैक्षणिक दूरदर्शन कार्यक्रमों का निर्माण करने की जिम्मेदारी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एजेंसियों की है। इन्सैट के दूरदर्शन उपयोग सहित उक्त मंत्रालय के शैक्षणिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के अंतर्गत, 6 इन्सैट राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार और उत्तर प्रदेश में शैक्षणिक दूरदर्शन कार्यक्रमों के निर्माण करने के लिए राज्य शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जा रही है। इन सुविधाओं के शुरू होने तक शैक्षणिक दूरदर्शन कार्यक्रमों के निर्माण की जिम्मेदारी को केन्द्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान और दूरदर्शन द्वारा समान रूप से बांटा जा रहा है जबकि सातवीं योजना में इसकी व्यवस्था की गई है, शैक्षणिक सातवीं योजना के लिए प्रौद्योगिकी कार्यक्रम की रूपरेखा को इस मंत्रालय द्वारा अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

विवरण

राज्य का नाम	दूरदर्शन ट्रान्समीटरों का स्थान		
	10 कि० वा०	1 कि० वा०	100 वाट
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	विजयवाड़ा	विशाखापत्तनम तिरुपती अनन्तपुर

1	2	3	4
			नैलोर
			कुडप्पा
			निजामाबाद
			करीमनगर
			वारंगल
			राजामुंद्री
			कुर्नल
			काकीनाडा
			अडोनी
			महबूबनगर
2. उड़ीसा	कटक	सम्बलपुर	बहरामपुर
			कोरापुट
			राउरकेला
3. महाराष्ट्र	बम्बई	पुणे	औरंगाबाद
	नागपुर	(0.6 कि० वा०)	लेटूर
			परभनी
			अकोला
			अमरावती
			भुसावल
			चन्द्रपुर
			धुले
			गोंडिया
			जालना
			जलगांव
			कोल्हापुर
			मालेगांव
			नासिक
			नान्देड
			शोलापुर
			सांगली
			अहमदनगर

1	2	3	4
4. गुजरात	अहमादाबाद		बड़ोदरा
	राजकोट		सूरत
	द्वारका		भावनगर
			पाटन
			भरुच
			नवासारी
5. बिहार	पटना	मजफ्फरपुर	पूर्णिया
	रांची		धनबाद
			जमशेदपुर
			गया
			भागलपुर
			मुंगेर
			दरभंगा
6. उत्तर प्रदेश	आगरा		सम्भल
	इलाहाबाद		बरेली
	कानपुर		मुरादाबाद
	लखनऊ		रामपुर
	मसूरी		इटावा
	वाराणसी		फैजाबाद
	गोरखपुर		फरुखाबाद
			झांसी
			बहराइच
			नैनीताल
			पिथौरागढ़
			पौड़ी
			रायबरेली
			देवरिया
			अलीगढ़
			शाहजहांपुर
			सुल्तानपुर

1	2	3	4
7. हरियाणा			हिसार भिवानी
8. हिमाचल प्रदेश	कसौली		शिमला कुल्लु
9. मध्य प्रदेश	भोपाल इन्दौर	रायपुर	जबलपुर सागर रीवा रतलाम मुरवाड़ा बुरहानपुर कोरबा सिंगरौली बिलासपुर ग्वालियर खंडवा
10. राजस्थान	जयपुर		कोटा जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर भीलवाड़ा अजमेर अलवर खेतड़ी जोधपुर गंगानगर उदयपुर सूरतगढ़

केरल में विकास प्राधिकारियों द्वारा योजनाओं का कार्यान्वयन

8865. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केरल में कोचीन, त्रिवेन्द्रम तथा कालीकट में विकास प्राधिकरणों द्वारा केन्द्रीय सहायता से कौन-कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की गई; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान कोचीन विकास प्राधिकरण, त्रिवेन्द्रम विकास प्राधिकरण तथा कालीकट विकास प्राधिकरण को कितनी वित्तीय सहायता दी गई ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) तथा (ख) केरल में कोचीन, त्रिवेन्द्रम तथा कालीकट के विकास प्राधिकरणों द्वारा केन्द्रीय सहायता से कोई विशिष्ट योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है ।

ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम में संशोधन

8866. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वर्तमान ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम में संशोधन का प्रारूप तैयार करने के लिए एक उपसमिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) उप समिति की रिपोर्ट सरकार को कब तक प्रस्तुत किए जाने की सम्भावना है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 में संशोधनों के विभिन्न प्रस्तावों की जांच करने के लिए श्रम मंत्रालय ने एक कार्यकारी दल का गठन किया था । इस दल ने जुलाई, 1982 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जिसमें उक्त अधिनियम में कुछ संशोधनों को करने का सुझाव दिया गया था । इन सिफारिशों को सितम्बर, 1982 में हुए श्रम मंत्री सम्मेलन के समक्ष रखा गया था । कई संशोधनों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

पाराद्वीप बन्दरगाह पर पड़ा हुआ आयातित कोकिंग कोयला

8867. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाराद्वीप बन्दरगाह पर 30,000 मीट्रिक टन कोकिंग कोयला लावारिस पड़ा हुआ है और इससे बन्दरगाह के कार्य में बाधा हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना विलम्ब-शुल्क देय हो गया है तथा अब तक कितना वसूल किया जा चुका है; और

(ग) क्या इसके कारणों, इससे हुई हानियों तथा इसके लिए किए जाने वाले सुधारक उपायों का पता लगाने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) पाराद्वीप बन्दरगाह सहित विभिन्न बन्दरगाहों के माध्यम से कोककर कोयले का आयात करती है। इस बन्दरगाह के माध्यम से लगभग 30,000 टन प्रतिमाह की दर से कोककर कोयले का आयात करने की योजना है तथा इस बन्दरगाह में किसी भी समयावधि में कोककर कोयले का स्टाक सामान्यत: 20,000 टन से 30,000 टन के बीच रहता है। 28 अप्रैल, 1986 की स्थिति के अनुसार बन्दरगाह में रेलवे वैगनों की अपर्याप्त उपलब्धता तथा कुछ समय के लिए बन्दरगाह के उपस्करों के विस्थापन के कारण कोककर कोयले का लगभग 51,000 टन भण्डार इकट्ठा हो गया था।

(ख) चूंकि आयातित कोककर कोयले का भण्डारण "सेल" द्वारा बन्दरगाह से पट्टे पर लिए गए स्टाकयार्ड में किया जाता है अत: इस भण्डार के लिए बन्दरगाह प्राधिकारियों को कोई विलम्ब-शुल्क नहीं दिया गया है।

(ग) जी, नहीं। रेलवे तथा बन्दरगाह प्राधिकारियों के समन्वय से इस कोककर कोयले की इस्पात कारखानों तक शीघ्र ढुलाई करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

पशु चारे के उत्पादन के लिए नई प्रौद्योगिकी

8868. **श्री वी० के० शंकरगौडा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश की पशुचारे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पशु चारे का उत्पादन करने हेतु एक नई प्रौद्योगिकी शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में पशु चारे का नितांत अभाव है; और

(ग) यदि हां, तो देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त चारे का उत्पादन करने में नई प्रौद्योगिकी से कितनी सहायता मिलेगी ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) देश में हरे चारे की उपलब्धता से सम्बन्धित अद्यतन आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि राज्यों द्वारा चारा फसल के संबंध में उत्पादन आंकड़े नहीं भेजे गये हैं। तथापि कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय की पशु आहार तथा चारा समिति (1974) के अनुसार 1973 में हरे चारे की उपलब्धि 214.5 मिलियन टन थी जबकि इसकी आवश्यकता 343.57 मिलियन टन की थी।

(ग) विदेशों में विकसित प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए आयात करने से पहले इसकी आर्थिक उपयुक्तता तथा व्यवहारिकता का मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित है।

संगठित उद्योग के लिए वेतन बोर्ड

8869. **श्री टी० बाल गौड** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनकी सरकार द्वारा गठित संगठित उद्योग के लिए नई वेतन नीति की सिफारिश करने हेतु अनेक वेतन बोर्डों का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समय कार्य कर रहे वेतन बोर्डों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या ये वेतन बोर्ड अपना प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों तथा पत्रकारों के वेतन ढांचे के निर्धारण के लिए एक स्थायी व्यवस्था करने का है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) सरकार ने (1) श्रमजीवी पत्रकारों (2) गैर-पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों तथा (3) चीनी उद्योग के श्रमिकों के संबंध में मजदूरी दरें निर्धारित करने तथा उन्हें पुनरीक्षित करने के लिए 17-7-1985 को वेतन बोर्डों का गठन किया है।

(ग) आशा है कि ये वेतन बोर्ड अपने गठन की तारीख से एक वर्ष के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगे।

(घ) जी, नहीं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कूल भवनों का निर्माण

8870. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराव वाडियर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ राज्यों में स्कूल भवनों का निर्माण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 और 1985-86 में कर्नाटक और अन्य राज्यों में कितने स्कूल भवन बनाये गये हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी हां। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के

अन्तर्गत आरम्भ किए जाने वाले निर्माण-कार्यों की मदों में स्कूल भवनों का निर्माण करना भी शामिल है।

(ख) व (ग) कर्नाटक तथा अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान निर्मित किए गए स्कूल भवनों की स्थिति दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान निर्मित/मरम्मत किए गए स्कूल भवनों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण।

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1984-85	1985-86	कालम 4 से सम्बन्धित सूचना की अवधि
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	2862	727	सितम्बर, 1985
2.	असम	494	131	सितम्बर, 1985
3.	बिहार	3981	1688	दिसम्बर, 1985
4.	गुजरात	373*	12	दिसम्बर, 1985
5.	हरियाणा	732	378	दिसम्बर, 1985
6.	हिमाचल प्रदेश	278	154	दिसम्बर, 1985
7.	जम्मू व कश्मीर	असूचित	1476	सितम्बर, 1985
8.	कर्नाटक	1717	15607**	सितम्बर, 1985
9.	केरल	105	35	सितम्बर, 1985
10.	मध्य प्रदेश	613	338	दिसम्बर, 1985
11.	महाराष्ट्र	877	888	दिसम्बर, 1985
12.	मणिपुर	64	5	सितम्बर, 1985
13.	मेघालय	19	9	सितम्बर, 1985
14.	नागालैंड	11	7	दिसम्बर, 1985
15.	उड़ीसा	8258	1648	सितम्बर, 1985
16.	पंजाब	—	असूचित	दिसम्बर, 1985
17.	राजस्थान	1659	1000	दिसम्बर, 1985
18.	सिक्किम	13	15	दिसम्बर, 1985

1	2	3	4	5
19.	तमिल नाडु	1288	47	दिसम्बर, 1985
20.	त्रिपुरा	910	75	दिसम्बर,1985
21.	उत्तर प्रदेश	109	42	सितम्बर, 1985
22.	पश्चिम बंगाल	4104	916	सितम्बर, 1985
23.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	***	असूचित	दिसम्बर, 1985
24.	अरूणाचल प्रदेश	—	असूचित	दिसम्बर, 1985
25.	दादरा व नगर हवेली	6	शून्य	दिसम्बर, 1985
26.	चंडीगढ़	—	शून्य	दिसम्बर, 1985
27.	दिल्ली	—	शून्य	दिसम्बर, 1985
28.	गोवा, दमन व द्वीव	4	2	दिसम्बर, 1985
29.	लक्षद्वीप	20	असूचित	दिसम्बर, 1985
30.	मिजोरम	28	असूचित	दिसम्बर, 1985
31.	पांडीचेरी	—	7	दिसम्बर, 1985
अखिल भारत		27152	25207	

* गुजरात में 373 क्लास रूम

** स्कूल, बालवाड़ी, पंचायत घर, सामुदायिक केन्द्र आदि शामिल हैं।

*** अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में 3 क्लास रूम (बालवाड़ी भवन भी शामिल है।)

देश में राक खनन में कार्यरत श्रमिकों को न्यूनतम वेतन

8871. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में "राक फास्फेट" खनन में लगभग कितने श्रमिक कार्यरत हैं;

(ख) क्या उन श्रमिकों के साथ वेतन अदायगी के मामले में भेद-भाव बरता जाता है;

(ग) क्या उन श्रमिकों का न्यूनतम वेतन निर्धारित करने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है;

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष, 1984 के दौरान, राक फासफेट खानों में औसतन 2850 व्यक्ति दैनिक दर पर नियोजित थे।

(ख) से (घ) राक फासफेट खानों में नियोजन न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन अनुसूचित नियोजनों में से एक नियोजन है। केन्द्रीय सरकार ने 6-3-1986 को इस नियोजन में श्रमिकों के विभिन्न वर्गों के बारे में न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित की हैं। अन्य अनुसूचित खनन नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों की तुलना में इन श्रमिकों को मजदूरी की अदायगी करने में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है।

फसलों का उत्पादन

8872. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के दौरान विभिन्न राज्यों में फसल-वार क्या उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) उक्त वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में राज्य-वार, फसल-वार उत्पादन में क्या उपलब्धि प्राप्त हुई है;

(ग) क्या सरकार का विचार सातवीं योजना में चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा और मक्की की अधिक उपज देने वाली फसलों को अधिक क्षेत्रों में लगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में वर्ष 1986-87 के लिए इन फसलों के उत्पादन लक्ष्य का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) वर्ष 1985-86 के दौरान विभिन्न राज्यों के लिए फसल-वार उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य केवल परिचालन के स्वरूप के ही हैं। ये योजना आयोग द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्यों में नहीं जोड़े जाते हैं।

(ख) कृषि वर्ष 1985-86 जून, 1986 में समाप्त होता है। अतः सभी फसलों, विशेष रूप में रबी फसलों, के उत्पादन के पूरे ब्यौरे सभी राज्यों से अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं। वास्तव में, रबी फसलों के अन्तिम अनुमान भी देय नहीं हुए हैं।

(ग) जी हां।

(घ) मध्य प्रदेश के सम्बन्ध में कृषि तथा सहकारिता संबंधी कार्यकारी दल द्वारा सिफारिश किए गए 1986-87 के लिए परिचालन संबंधी लक्ष्य नीचे दिए गए है :—

फसल	लक्ष्य 1986-87 (लाख मीटरी टन)
चावल	51.0
गेहूं	50.0
मोटे अनाज*	36.9

* ज्वार, बाजारा तथा मक्का के लिए पृथक आंकड़े कार्यकारी दल द्वारा नहीं दिए गए हैं।

उन्नत किस्म के बीजों की सप्लाई के सम्बन्ध में विस्तार कार्यक्रम

8873. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सातवीं योजना के दौरान कृषकों को उन्नत किस्म के बीजों की सप्लाई के कार्यक्रम का विस्तार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सातवीं योजना के प्रथम वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश में भी इस कार्यक्रम का विस्तार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) जी हां।

(ग) ब्यौरे निम्न अनुसार हैं :—

वर्ष	बीज का वितरण (लाख क्विंटल में)
1984-85 (छठी योजना के अंत में)	1.83
1985-86 (सातवीं योजना का पहला वर्ष)	2.25

राज्यों में दूरदर्शन केन्द्रों पर जनवाणी कार्यक्रम आरंभ करना

8874. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्यों में दूरदर्शन केन्द्रों पर जनवाणी कार्यक्रम आरंभ करने पर विचार कर रही है ताकि राज्यों के सरकारी पदाधिकारियों को भी अपने राज्यों के मामलों से संबद्ध महत्वपूर्ण मामलों पर श्रोताओं के साथ सीधी मुलाकात का लाभ प्राप्त हो सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) वर्तमान योजना "जनवाणी" कार्यक्रम, जो दूरदर्शन के राष्ट्रीय संजाल पर टेलीकास्ट किया जा रहा है, में केन्द्रीय मंत्रियों का साक्षात्कार करने की है। यह कार्यक्रम भारत के प्रधानमंत्री को प्रस्तुत करने वाले कार्यक्रम से समाप्त हो जायेगा।

मौजूदा स्कीम के कार्यान्वित हो जाने के बाद, दर्शकों की प्रतिक्रियाओं/स्वीकार्यता का

अध्ययन किया जाएगा तथा विभिन्न राज्यों में स्थित दूरदर्शन केन्द्रों पर इस कार्यक्रम को चालू करने की आवश्यकता के बारे में मूल्यांकन किया जाएगा ।

श्रमजीवी पत्रकारों को अन्तरिम सहायता

8875. **श्री चित्त महाता** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय श्रम जीवी पत्रकार संघ ने वछावत वेतन बोर्ड द्वारा की गई 7.5 प्रतिशत अंतरिम सहायता की सिफारिश को अस्वीकार कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) श्रमजीवी पत्रकारों और गैर श्रमजीवी समाचारपत्र कर्मचारियों के वेतन बोर्डों ने अपनी सिफारिशें सरकार को 30 अप्रैल, 1986 को प्रस्तुत कर दी है । इंडियन फैडरेशन आफ वर्किंग जर्नालिस्टस का प्रतिनिधि वेतन बोर्ड की इस सिफारिश से सहमत नहीं है कि मूल मजदूरी के 7.5 प्रतिशत की दर से अंतरिम राहत प्रदान की जाए बशर्ते कि न्यूनतम राहत 45/-रुपये प्रतिमाह हो । सरकार श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 की धारा 13-क के अधीन इन सिफारिशों पर विचार कर रही है । इस सम्बन्ध में निर्णय शीघ्र लिया जाएगा ।

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय को बन्द करना

8876. **डा० फुलरेणु गुहा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय को बन्द करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त निदेशालय का कार्य कौन-सा विभाग करेगा; और

(ग) इस निदेशालय के कर्मचारियों को खपाने की क्या योजना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

आकाशवाणी तथा दूरदर्शन द्वारा चर्चाओं में हिस्सा लेने के लिए आमन्त्रित व्यक्ति

8877. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों के नाम और व्यवसाय क्या हैं जिन्हें वर्ष 1985-86 के दौरान आकाशवाणी तथा दूरदर्शन द्वारा पृथक-पृथक वार्ता अथवा चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आमन्त्रित किया गया था;

(ख) क्या आकाशवाणी तथा दूरदर्शन द्वारा इस उद्देश्य के लिए अनुमोदित सूची बनाई गई है;

(ग) क्या सूची का समय-समय पर पुनर्निरीक्षण तथा संशोधन किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो पिछली बार किस तारीख को इसका पुनर्निरीक्षण किया गया तथा किस स्तर पर किया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) 1985-86 में आकाशवाणी/दूरदर्शन के विभिन्न केन्द्रों पर वार्ताओं/परिचर्चाओं में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या हजारों में है और उनके नामों, विशेषज्ञता, आदि से सम्बन्धित ब्यौरा केन्द्रीय स्थान पर संकलित रूप में नहीं रखा जाता ।

(ख) से (घ) आकाशवाणी/दूरदर्शन वार्ताकारों की कोई स्वीकृति सूची नहीं रखते । वार्ताकारों को उनकी विशेषज्ञता तथा कार्यक्रम आवश्यकताओं के अनुसार बुक किया जाता है । केन्द्र लगातार प्रक्रिया में अपने कार्यक्रमों में अधिक एवं नये विशेषज्ञों को सहयोजित करने का सतत प्रयास करते हैं ।

प्रकाशन प्रभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तकें

8878. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रकाशन प्रभाग द्वारा वर्ष 1985-86 के दौरान किन-किन शीर्षकों के अन्तर्गत पुस्तकें प्रकाशित की गई और उनके लेखकों के नाम क्या हैं, ये पुस्तकें किन-किन भाषाओं में प्रकाशित की गई और प्रत्येक संस्करण का आकार क्या है;

(ख) 1 जनवरी, 1986 की स्थिति के अनुसार प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित प्रत्येक पत्रिका के लिए कितने व्यक्तियों ने वार्षिक चन्दे का भुगतान किया है;

(ग) प्रत्येक मामले में कितनी प्रतियों का मुद्रण किया जाता है; और

(घ) इन पत्रिकाओं को जनता में लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और उसे यथा समय सदन पटल पर रख दिया जायेगा ।

(घ) पत्रिकाओं की बिक्री बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित कदम शामिल हैं :—

(1) राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय समाचारपत्रों में तथा रेडियो तथा दूरदर्शन के माध्यम से विज्ञापन देना ।

(2) प्रकाशन विभाग के कर्मचारियों द्वारा सम्भावी खरीददारों से सम्पर्क करना;

(3) महत्त्वपूर्ण अवसरों पर पुस्तकों और पत्रिकाओं की प्रदर्शनी लगाना; और

(4) एजेन्टों शैक्षणिक संस्थानों, पुस्तकालयों, राज्य सरकारों को एजेंसियों, आदि को व्यापार परिपत्र भेजना ।

विवरण

प्रकाशन विभाग द्वारा वर्ष 1985-86 के दौरान प्रकाशित प्रकाशनों की सूची

क्रम संख्या	शीर्षक	लेखक का नाम	मुद्रण आदेश	प्रकाशन का आकार
1	2	3	4	5
अंग्रेजी				
1.	फाल्क टेल्ज आफ राजस्थान	दीना नाथ दुबे	3000	बी-5
2.	इंडिया-ए रेफ्रेंस एनुअल 1984	गवेषणा और सन्दर्भ प्रभाग	14000	रायल 8 वो
3.	एनुअल रिपोर्ट आफ दि मिनिस्ट्री आफ आई० एण्ड बी० 1984-85	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	3100	ए-4
4.	परफार्मेन्स बजट आफ दि मिनिस्ट्री आफ आई० एण्ड बी० 1985-86	तथैव	1200	ए-4
5.	दि चेलेंज आफ दि सिटीज-सरार पटेल मैमोरियल लैक्चर्स 1983	जगमोहन	2000	ए-5
6.	सी० डब्ल्यू० एम० जी० खंड-3 (पुनमुद्रण)	प्रकाशन विभाग	800	रायल 8 वो
7.	—तथैव— खंड-10 (,,)	तथैव	800	रायल 8 वो
8.	डा० एन० एस० हार्डिकर (बी० एम० आई०)	श्री वीनारायण राव	3000	ए-5
9.	सी० डब्ल्यू० एम० जी०-खंड-1 (पुनमुद्रण)	प्रकाशक विभाग	800	रायल 8 वो
10.	मास मीडिया इन इंडिया 1984	गवेषणा और संदर्भ प्रभाग	1000	रायल 8 वो
11.	फोर्टस आफ इंडिया	श्रीमती अमृत वर्मा	3000	बी-5

1	2	3	4	5
12.	वन्स अपान ए टाइम फाक टैल्ज आफ पंजाब	शरयन	5000	बी-5
13.	इंडिया सिन्स इण्डिपेन्डेंस	श्री एस० पी० अग्रवाल	3000	ए-5
14.	अवर फारेट्स	श्री वास्तव बी० पी०	3000	ए-5
15.	कम्यूनिकेशन मीडिया यस्टर्डे टुडे एण्ड टुमोरो	पी० एन० मल्हन	3000	ए-5
16.	विजय नगर पेंटिंग्स	सी० शिवराममूर्ति	3000	ए-4
17.	इंडियन स्पेस फ्लाइट्स	मोहन सुन्दराजन	3000	बी-5
18.	स्लेक्टिड स्पीचिज एंड राइटिंग्स आफ श्रीमती इंदिरा गांधी खंड-4	श्री मुगाबे	3000	रायल 8 पो
19.	फाक टेल्ज आफ तमिलनाड्	राजा मनिकरन	3000	बी-5
20.	इन्वायरमेंट नर्सरी आफ लाइफ	प्रो० अंजली मुखर्जी	3000	ए-5
21.	स्टोरी आफ आई० एन० ए०	कर्नल नारायण सिंह	2000	बी-6
22.	इंडियन क्वीसाइन (पुनमुद्रण)	कुमारी थंगन ई० फिलिप	2000	ए-5
23.	पब्लिक सैक्टर बैंकिंग इन इंडिया	बी० रंगास्वामी	3000	ए-5
24.	रफी अहमद किदवई (बी० एम० आई०)	डा० एम० हाशिम किदवई	3000	ए-5
हिन्दी				
25.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 1984-85 (अनुवाद)	—	1200	ए-4
26.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय का कार्यनिष्पादन बजट 1985-86 (अनुवाद)	—	800	ए-4

1	2	3	4	5
27.	एम० विश्वेश्वरैया (बी० एम० आई०) (अनुवाद)	—	3000	ए-5
28.	दूरदर्शन का भारतीय स्वरूप-खंड-1 (अनुवाद)	—	1000	बी-5
29.	-तथैव- खंड-2 ,,	—	1000	बी-5
30.	रासलीला	डा० वसन्त यमदागना	3000	बी-5
31.	भारत, 1984 (अनुवाद)	—	2500	रायल 8 वो
32.	सम्पूर्ण गांधी वांड्गमय खंड-5 (पुनमुद्रण) (अनुवाद)	—	300	तथैव
33.	बाल महाभारत लक्षग्रह|	श्री राष्ट्रबनोलु	5000	बी-5
34.	आधुनिक पंजाबी कहानियां	संग्रह	3000	ए-5
35.	भारत छोड़ो आंदोलन	श्री शंकर दयाल सिंह	25000	बी-6
36.	सम्पूर्ण गांधी वांड्गमय खंड-4 (पुनमुद्रण) (अनुवाद)	—	500	रायल 8 वो
37.	उपनिषेद प्राचीन कथाएं (पुनमुद्रण) (अनुवाद)	संग्रह	12000	बी-5
38.	विज्ञान में महानता की ओर (पुनमुद्रण) (अनुवाद)	—	10000	बी-5
39.	गाधी स्टोरी (पुनमुद्रण) (अनुवाद)	—	57000	बी-5
40.	गणेश शंकर विद्यार्थी (पुनमुद्रण) (अनुवाद)	श्रीमती मालती शंकर	57000	बी-5
41.	अमर मुस्कान (पुनमुद्रण)	संग्रह	12000	बी-5

1	2	3	4	5
42.	जात पात नगर की कहानियां	श्री यदुनाथ थाटे	5000	बी-5
43.	भारत की वीरांगनाएं	श्रीमती डा० उषा बाला	3000	बी-5
44.	सद्भावना कविता संग्रह भाग 1	संग्रह	3000	ए-5
45.	कौन जीता कौन हारा (पुनमुद्रण)	श्री कृष्ण चैतन्य	57000	बी-5
46.	भारत का गौरव भाग 1 (पुनमुद्रण)	संग्रह	15000	बी-5
47.	-तथैव- भाग-2 (पुनमुद्रण)	,,	12000	बी-5
48.	-तथैव- भाग-3 (पुनमुद्रण)	,,	12000	बी-5
49.	भारत के गौरव भाग-4 (,,)	,,	12000	बी-5
50.	-तथैव- भाग-5 (,,)	,,	15000	बी-5
51.	-तथैव- भाग-6 (,,)	,,	15000	बी-5
52.	-तथैव- भाग-7 (,,)	,,	12000	बी-5
53.	-तथैव- भाग-8 (,,)	,,	12000	बी-5
54.	-तथैव- भाग-9 (,,)	,,	15000	बी-5
55.	अन्जाने में ही आविष्कार (,,)	श्री शुकदेव प्रसाद	14000	बी-5

1	2	3	4	5
56.	यह गाथा वीर जवाहर की (पुनमुद्रण)	श्री कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर	30000	बी-5
57.	नए दशक की महिलाओं का स्थान	श्रीमती महादेवी वर्मा	12000	ए-5
58.	आदर्श निस्वार्थी बापू (पुनमुद्रण)	श्रीमती सावित्री देवी वर्मा	57000	बी-5
59.	खेल खिलाड़ी (,,)	श्रीमती अजय भल्ला	10000	बी-5
60.	राम गण का शेर (,,)	श्री चन्द्र डाल्टा इन्दु	14000	बी-5
61.	नमक आंदोलन (,,)	डा० प्रभाकर माचवे	37000	बी-6
62.	बिहार की लोकथाएं (,,)	श्रीमती मृदुला सिन्हा	57000	बी-5
63	हमारे राष्ट्र चिन्ह (,,) अनुवाद	—	57000	बी-6
64.	आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी	संग्रह	2000	ए-5
65.	पुराणिक बाल कथाएं	श्री निरंकर देव सेवक	60000	बी-5
66.	आचार्य रामचन्द्र शुक्ल	संग्रह	2000	ए-5
67.	ग्रामीण जीवन में विज्ञान (पुनमुद्रण)		12000	ए-5
68.	देश भक्ति की कविताएं	संग्रह	3000	ए-5
69.	जवाहर लाल नेहरू—सचित्र जीवनी	श्री बी० आर नन्दा	3000	बी-5
70.	भारतीय भाषाएं	रेडियो वार्ता	2000	ए-5

1	2	3	4	5
71.	राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता-समस्या और समाधान	डा० के० एल० श्रीमाली	3000	ए-5
72.	सच्ची जासूसी कहानियां भाग-3	स्वर्गीय श्री भगवान दास	5000	बी-5
73.	सूर चित्रावली	संग्रह	5000	ए-4
74.	श्री अरविन्दो (बी० एम० आई०)	अनुवाद	3000	ए-5
75.	बाल महाभारत-भाग 4 (महारथी कर्ण)	श्री चन्द्र दत्त इन्दु	5000	बी-5
76.	क्रांति ज्योति भाई फुले	डा० एम० जी० माली	2000	ए-5
77.	कस्तूरी रंगा अय्यंगर (बी० एम० आई०)	अनुवाद	2000	ए-5
78.	तेज बहादुर सप्रू (बी० एम० आई०)	अनुवाद	2000	ए-5
79.	कुंभ व अन्य मेला	संग्रह	20000	बी-6
80.	राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन	श्री सत सोनी	3000	ए-5
81.	संचार और विकास	प्रो० श्याम चरण दुबे	2000	ए-5
असमिया				
82.	पुराणिक बाल कथाएं	श्री निरंकर देव सेवक	3000	बी-5

1	2	3	4	5
	बंगला			
83.	बाल महाभारत	श्रीमती मातुराम भूतलिंगम	3000	बी-5
84.	रोमेन रोलेंड और गांधी पत्र व्यवहार खंड 1	मैसर्स जार्ज एलैन एण्ड युनियन लि०	1000	ए-5
	गुजराती			
85.	तिल कन्या	संग्रह	2000	बी-5
	कन्नड़			
86.	पुराणिक कथाएं	पं ब्रह्म दत्त शर्मा	3000	बी-5
87.	कर्नाटक के महान सन्त कनकदास	श्री एन० चेनुप्पा एरासंसे	2000	ए-5
88.	पुराणिक बाल कथाएं	श्री निरंकर देव सेवक	2000	बी-5
	मलयालम			
89.	लो गुब्बारे	श्री जयप्रकाश भारती	2000	बी-5
90.	अबुल कलाम आजाद (बी० एम० आई०)	सतीश अर्श मलसयानी	2000	ए-5
91.	जलियां वाला बाग	प्रकाशन विभाग	2000	बी-5
92.	सुब्रमण्यन भारती (बी० एम० आई०)	डा० रविन्द्र कुमार सेठ	2000	ए-5
93.	बिखरे मोती	संग्रह	2000	बी-5

1	2	3	4	5
मराठी				
94.	डा० बी० आर० अम्बेडकर	डब्ल्यू० एन० कुबेर	3000	ए-5
95.	विश्व की श्रेष्ठ लोक कथाएं	हिमांशु जोशी	2000	बी-5
पंजाबी				
96.	विश्व की श्रेष्ठ कथाएं	श्री हिमांशु जोशी	2000	बी-5
97.	जातक कथाएं भाग 1	संग्रह	2000	बी-5
98.	सद भवन	संग्रह	2000	ए-5
99.	सरीप की कहानी	डा० शिवतोष दास	2000	बी-5
100.	पंजाब के मेले और त्यौहार	श्री गुरदियाल सिंह	2000	बी-5
तमिल				
101.	जातक कथाएं	संग्रह	2000	बी-5
102.	प्रेमचन्द की जीवनी और कृतियां	श्री मनोहर बंधोपाध्याय	2000	ए-5
तेलुगु				
103.	आर० एन० टैगोर (बी० एम० आई०)	श्री हीरामने बनर्जी	3000	ए-5
104.	विश्व की श्रेष्ठ लोक कथाएं	श्रीहिमांशु जोशी	2000	बी-5

1	2	3	4	5
उर्दू				
105.	गांधी स्टोरी	एस० डी० सावंत और एस० डी० बोलकर	2000	बी-5
106.	धनुआ राजा	प्रकाशक विभाग	2000	बी-5

आकार : ए-4 : 20.5 सेंटीमीटर × 29 सेंटीमीटर
ए-5 : 14.5 सेंटीमीटर × 20.5 सेंटीमीटर
बी-5 : 18.5 सेंटीमीटर × 24.5 सेंटीमीटर
बी-6 : 12.5 सेंटीमीटर × 18.5 सेंटीमीटर
रायल 8 वो : 16 सेंटीमीटर × 24 सेंटीमीटर

प्रेस सूचना कार्यालय द्वारा दैनिक सार-संग्रह तैयार किया जाना

8879. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन समाचार पत्रों के नाम तथा उनके संस्करणों का ब्यौरा क्या है जिन्हें प्रेस सूचना कार्यालय द्वारा सरकार के लिए दैनिक सार-संग्रह तैयार करते समय विचार में लिया जाता है;

(ख) क्या इस सूची की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है और यदि हां, तो किस स्तर पर; और

(ग) पिछली बार इसका पुनरीक्षण कब किया गया था ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : दैनिक सार संग्रह तैयार करने के लिए पत्र सूचना कार्यालय मुख्यालय, नई दिल्ली में बारीकी से देखे जा रहे समाचार पत्रों और नियतकालिक पत्रों के नामों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। इसके अलावा, पत्र सूचना कार्यालय के क्षेत्रीय और शाखा कार्यालय भी समय-समय पर क्षेत्रीय समाचारपत्रों में छपने वाली महत्त्वपूर्ण रिपोर्टों से उद्धरण भेजते हैं।

(ख) और (ग) सामान्य पुनरीक्षा नहीं की जाती। तथापि, जब नए प्रतिष्ठित समाचार पत्र छपने शुरु होते हैं तो उनका नाम समय-समय पर देखे जाने वाले समाचार पत्रों की सूची में जोड़ लिया जाता है।

विवरण

क्रम संख्या	प्रकाशन का नाम और स्थान	आवधिकता	भाषा
1	2	3	4
1.	हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली	दैनिक	अंग्रेजी
2.	इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली	,,	,,
3.	टाइम्स आफ इंडिया, नई दिल्ली	,,	,,
4.	स्टेट्समैन, नई दिल्ली	,,	,,
5.	नेशनल हैरल्ड, नई दिल्ली	,,	,,
6.	इकोनोमिक टाइम्स, नई दिल्ली	,,	,,
7.	फायनेंशियल एक्सप्रेस, नई दिल्ली	,,	,,
8.	पेट्रियट, नई दिल्ली	,,	,,

1	2	3	4
9.	दि ट्रिब्यून, चण्डीगढ़	दैनिक	अंग्रेजी
10.	असम ट्रिब्यून, गौहाटी	,,	,,
11.	अमृत बाजार पत्रिका, कलकत्ता	,,	,,
12.	दक्कन हेरल्ड, बंगलौर	,,	,,
13.	दक्कन क्रोनिकल, हैदराबाद	,,	,,
14.	डेली, बम्बई	,,	,,
15.	फ्री प्रेस जर्नल, बम्बई	,,	,,
16.	दि हिन्दु, मद्रास	,,	,,
17.	इंडियन नेशन, पटना	,,	,,
18.	नागपुर टाइम्स, नागपुर	,,	,,
19.	पायनीर, लखनऊ	,,	,,
20.	सर्चलाइट, पटना	,,	,,
21.	दि टेलीग्राफ, कलकत्ता	,,	,,
22.	न्यूज टाइम, हैदराबाद	,,	,,
33.	टाइम्स, लन्दन	,,	,,
24.	मैनस्ट्रीम, नई दिल्ली	साप्ताहिक	,,
25.	आर्गेनाइजर, नई दिल्ली	,,	,,
26.	रेडियांस, नई दिल्ली	,,	,,
27.	संडे, कलकत्ता	,,	,,
28.	संडे आब्जर्वर, बम्बई	,,	,,
29.	कॉमर्स, बम्बई	,,	,,
30.	दि वीक, कोचीन	,,	,,
31.	इलस्ट्रेटिड वीकली आफ इंडिया, बम्बई	,,	,,
32.	फार ईस्टर्न इकोनोमिक रिव्यू, हांगकांग	,,	,,
33.	न्यू स्टेट्समैन, लंदन	,,	,,
34.	गार्डियन, लन्दन	,,	,,
35.	न्यूजवीक, न्यूयार्क	,,	,,

1	2	3	4
36.	दि टाइम्स, न्यूयार्क	साप्ताहिक	अंग्रेजी
37.	दि इकोनोमिस्ट, लन्दन	पाक्षिक	,,
38.	इंडिया टूडे, नई दिल्ली	,,	,,
39.	आनकुलर, बम्बई	मासिक	,,
40.	प्रोब, इलाहाबाद	,,	,,
41.	सूर्य इंडिया, नई दिल्ली	,,	,,
42.	साउथ, हांगकांग	,,	,,
43.	हिन्दुस्तान, नई दिल्ली	दैनिक	हिन्दी
44.	नव भारत टाइम्स, नई दिल्ली	,,	,,
45.	दैनिक ट्रिब्यून, चण्डीगढ़	,,	,,
46.	पंजाब केसरी, दिल्ली	,,	,,
47.	जनसत्ता, नई दिल्ली	,,	,,
48.	सान्ध्य टाइम्स, नई दिल्ली	,,	,,
49.	पंजाब केसरी, जालंधर	,,	,,
50.	स्वतंत्र भारत, लखनऊ	,,	,,
51.	सन्मार्ग, कलकत्ता	,,	,,
52.	आज, वाराणसी	,,	,,
53.	सैनिक, आगरा	,,	,,
55.	अमर उजाला, आगरा	,,	,,
55.	युग धर्म, नागपुर	,,	,,
56.	देश बन्धु, रायपुर	,,	,,
57.	प्रदीप, पटना	,,	,,
58.	राजस्थान पत्रिका, जयपुर	,,	,,
59.	जागरण, कानपुर	,,	,,
60.	नई दुनिया, इन्दौर	,,	,,
61.	हिन्दी मिलाप, जालंधर	,,	,,
72.	आर्यवर्त, पटना	,,	,,

1	2	3	4
63.	विश्वमित्र,कलकत्ता	दैनिक	हिन्दी
64.	राष्ट्रदूत, जयपुर	,,	,,
65.	नवज्योति, अजमेर	,,	,,
66.	नव भारत टाइम्स, बम्बई	,,	,,
67.	नव भारत टाइम्स, जबलपुर	,,	,,
68.	नवप्रभात, ग्वालियर	,,	,,
69.	हिन्दी मिलाप, हैदराबाद	,,	,,
70.	जागरण, भोपाल	,,	,,
71.	दिनमान, नई दिल्ली	साप्ताहिक	,,
72.	ब्लिट्ज, बम्बई	,,	,,
73.	धर्मयुग, बम्बई	,,	,,
74.	साप्ताहिक हिन्दुस्तान, नई दिल्ली	,,	,,
75.	पंजन्य, नई दिल्ली	,,	,,
76.	रविवार, कलकत्ता	,,	,,
77.	भू भारती, नई दिल्ली	पाक्षिक	,,
78.	अवकाश, वाराणसी	,,	,,
79.	माया, इलाहाबाद	मासिक	,,
80.	वामा, नई दिल्ली	,,	,,
81.	कौमी आवाज़, नई दिल्ली	दैनिक	उर्दू
82.	प्रताप, नई दिल्ली	,,	,,
83.	मिलाप, नई दिल्ली	,,	,,
84.	तेज, नई दिल्ली	,,	,,
85.	दावत, दिल्ली	द्विसाप्ताहिक	,,

पूजास्थलों के निर्माण के लिए भूखण्डों का आवंटन

8880. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1986 को दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास पूजास्थलों के निर्माण के लिए भूखण्डों के आवंटन हेतु लंबित पड़े आवेदनों का विवरण क्या है;

(ख) वर्ष 1985-86 के दौरान कितने आवेदन मन्जूर किए गए हैं; और

(ग) 1985-86 के दौरान कितने आवेदन नामंजूर किये गये ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) पूजा स्थलों के निर्माणार्थ प्लाटों के आबंटन के बारे में 31-3-1986 को दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास निलम्बित पड़े आवेदनों का विवरण निम्नलिखित है :—

मन्दिरों से सम्बद्ध आवेदनों की संख्या	12
गुरुद्वारों से सम्बद्ध आवेदनों की संख्या	5
गिरजाघरो से सम्बद्ध आवेदनों की संख्या	3
मस्जिदों से सम्बद्ध आवेदनों की संख्या	7

(ख) 1985-86 के दौरान स्वीकृत ऐसे आवेदनों की संख्या निम्नलिखित है :—

मन्दिरों से सम्बद्ध आवेदनों की संख्या	12
गुरुद्वारों से सम्बद्ध आवेदनों की संख्या	शून्य
गिरजाघरों से सम्बद्ध आवेदनों की संख्या	शून्य
मस्जिदों से सम्बद्ध आवेदनों की संख्या	शून्य

(ग) शून्य ।

भारत तथा अन्य देशों में नारियल उत्पादन

8881. **श्री वी० एस० राघवन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में नारियल की उत्पादकता कितनी है;

(ख) अन्य नारियल उत्पादक देशों की तुलना में यह कितनी कम व अधिक है; और

(ग) उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या किए जा रहे हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1984-85 के दौरान भारत में नारियल की उत्पादकता 5774 गिरी प्रति हैक्टार होने का अनुमान है ।

(ख) विश्व खाद्य संगठन के उत्पादन अब्दकोष में विश्व के नारियल उत्पादक देशों की उत्पादकता नहीं दी जाती है । ऐसा सम्भवतः विभिन्न देशों में फसलगत क्षेत्र का मूल्यांकन करने के लिए अपनाई गई भिन्न-भिन्न पद्धतियों की वजह से है ।

(ग) भारत सरकार ने देश में नारियलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए नारियल विकास बोर्ड द्वारा क्रियान्वित किए जाने के लिए कई परियोजनाएं मंजूर की हैं । इनमें

अन्त बातो के साथ-साथ जड़ मुर्झान रोग से पीड़ित पाम वृक्षों को उखाड़ फेकने के लिए नारियल उत्पादकों को वित्तीय सहायता की व्यवस्था, संकर बीज फार्मों की स्थापना, अच्छी किस्म के नारियल की पौदों का उत्पादन, नारियल प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र की स्थापना आदि शामिल हैं।

आंध्र प्रदेश में कृषि मजदूरों का पुनर्वास

8882. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में 16 जनवरी, 1986 को राजस्व मन्त्रियों के हुए सम्मेलन का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उक्त सम्मेलन में यह सुझाव दिया गया था कि सूखा-प्रवण क्षेत्रों में पेय जल की समस्या, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को वित्तीय सहायता प्राथमिक स्वास्थ्य, छोटे और मध्यम किसानों और कृषि मजदूरों के लिए योजनाओं से सम्बन्धित विषय केन्द्रीय सरकार द्वारा देखे जायें;

(ग) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश में कृषि मजदूरों के पुनर्वास सम्बन्धी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 721 करोड़ रुपयों की विशेष सहायता हेतु आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि, हां तो कितनी राशि मन्जूर की गई है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) राज्यों के राजस्व मन्त्रियों के 16 जनवरी, 1986 को नई दिल्ली में हुए सम्मेलन में विपदा सम्बन्धी प्रबन्ध के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। उस सम्मेलन में कुछेक निर्णय इस प्रकार हैं :—

(1) राहत कार्यों में लगे कार्यकर्त्ताओं में रियायती दरों पर खाद्यान्न बांटे जायेंगे।

(2) राज्यों को विभिन्न प्रकार की विपत्तियों के लिए केन्द्रीय सहायता की विभिन्न मदों के मान दण्ड बताये जायेंगे ताकि उनके ज्ञापन और अधिक तथ्यपरक हो सकें।

(3) दो कार्यदल गठित किए जायेंगे—एक सूखा बाढ़ के लिए एक आदर्श ज्ञापन तैयार करने के लिए तथा दूसरी विपत्ति के दौरान संचार प्रणाली के लिये।

(4) राज्य अपने विपत्ति प्रबन्ध संबंधी तन्त्र को मजबूत बनायेंगे।

(5) राज्य सूखे और बाढ़ की रोकथाम संबंधी योजनाओं के लिए अपने बजट में पर्याप्त व्यवस्था करेंगे।

(6) केन्द्र और राज्यों में घनिष्ट तालमेल बनाये रखा जायेगा।

(7) केन्द्रीय सहायता के सही समय पर समुचित उपयोग का राज्यों और केन्द्रीय सरकार दोनों द्वारा कड़ा प्रबंधन किया जायेगा ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आन्ध्र प्रदेश में सूखा सहायता

8883. **श्री सी० संबु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को अप्रैल, से जून, 1986 तक की अवधि के दौरान सूखा राहत कार्य आरम्भ करने के लिए 326 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त करने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और आन्ध्र प्रदेश को सूखा सहायता राशि देने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश को "विशेष सूखा सहायता" कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां ।

(ख) एक केन्द्रीय दल 3 मई से 7 मई, 1986 तक आंध्र प्रदेश के सूखे से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहा है । राज्य को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता की मात्रा केन्द्रीय दल की रिपोर्ट तथा उनकी राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित की जाएगी ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

इस्पात के स्टाक यार्ड

8884 **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने इस्पात स्टाकयार्ड स्थापित किये हैं;

(ख) ये किन-किन स्थानों मे हैं;

(ग) क्या इस्पात के स्टाक यार्डों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो उसके लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है; और

(ङ) यह कब तक खोले जायेंगे ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख) स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के केन्द्रीय विपणन संगठन के इस्पात के घरेलू स्टाकयार्डों/प्रेषण अभिकरणों की संख्या तथा स्थान के बारे में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) "सेल" ने सिद्धांत रूप में लखनऊ, कोल्हापुर और भरतपुर में अतिरिक्त नए स्टाकयार्ड अथवा प्रेषण अभिकरण खोलने का निर्णय लिया है।

(ङ) परन्तु इन स्टाकयार्डों/प्रेषण अभिकरणों को शुरु करने के बारे में कोई सही समय अथवा तारीख नहीं बतायी जा सकती है क्योंकि इसमें उपयुक्त भूमि की उपलब्धता, अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना और धनराशि की उपलब्धता जैसे कई कारक अन्तर्निहित हैं।

इस समय "सेल" मुख्य रूप से मांग में भारी वृद्धि को ध्यान में रखकर हैंडलिंग की पर्याप्त सुविधाओं, रेलवे साईडिंग, कामगारों की सुख-सुविधाओं तथा भण्डारण क्षमताओं की पर्याप्त व्यवस्था की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अपनी वर्तमान भण्डारण सुविधाओं के विकास, सुधार/आधुनिकीकरण पर जोर दे रही है।

विवरण

स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के केन्द्रीय विपणन संगठन के इस्पात के घरेलू स्टाकयार्डों/प्रेषण अभिकरणों की संख्या तथा स्थान

स्थान	संख्या		कुल
	विभागीय स्टाकयार्ड	प्रेषण अभिकरण	
कलकत्ता	2	1	3
हावड़ा	1	...	1
दुर्गापुर	1	...	1
भुवनेश्वर	1	...	1
राउरकेला	1	...	1
पटना	1	...	1
बोकारो	1	...	1
कानपुर	2	...	2

स्थान	संख्या		कुल
	विभागीय स्टाकयार्ड	प्रेषण अभिकरण	
इलाहबाद	1	...	1
गोहाटी	1	...	1
नार्थ बौंग गांव	1	...	1
दीमापुर	1	...	1
धर्मनगर	1	...	1
दिल्ली	1	...	1
गाजियाबाद	1	...	1
फरीदाबाद	1	...	1
आगरा	...	1	1
ग्वालियर	1	...	1
जालंधर	1	...	1
लुधियाना	...	1	1
मण्डी गोविन्दगढ़	...	1	1
चण्डीगढ़	1	...	1
परवाणु	1	...	1
जम्मू	1	...	1
श्रीनगर	1	...	1
बम्बई	2	...	2
थाणा	1	...	1
पुणे	1	...	1
नागपुर	1	...	1
भिलाई	1	...	1
इंदौर	1	...	1
जबलपुर	...	1	1
अहमदाबाद	1	...	1

स्थान	संख्या		कुल
	विभागीय स्टाकयार्ड	प्रेषण अभिकरण	
बड़ौदा	1	...	1
जयपुर	1	...	1
कोटा	1	...	1
मद्रास	1	...	1
कोयम्बटूर	1	...	1
त्रिची	1	...	1
कोचीन	1	...	1
सिकन्दराबाद	1	...	1
विजांग	1	...	1
विजयवाड़ा	1	...	1
बंगलौर	1	...	1
बेलगांम	...	1	1
कुल	43	6	49

नारियल विकास पर व्यय

8885. **श्री एस० सिंगरावडीवेल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में वर्षवार नारियल विकास बोर्ड द्वारा नारियल के विकास पर राज्यवार, कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में नारियल के विकास के लिए गत तीन वर्षों के दौरान नारियल विकास बोर्ड द्वारा व्यय की गई धनराशि नीचे दी गई है :—

(लाख रुपए)

राज्य का नाम	1983-84	1984-85	1985-86
केरल	51.083	83.438	55.390
कर्नाटक	5.636	21.655	17.199
आंध्र प्रदेश	1.134	5.242	2.414

(लाख रुपए)

राज्य का नाम	1983-84	1984-85	1985-86
तमिलनाडु	10,513	12.655	6 032
उड़ीसा	21.172	13.718	20.975
त्रिपुरा	1.147	6.001	2.529
बिहार	0.250	1.40 o	0.0522
गुजरात	0.553	0 507	0.729
पश्चिमी बंगाल	0.250	0.151	0.5?4
महाराष्ट्र	—	1.000	3.463
मध्य प्रदेश	—	1.503	0.657
असम	—	—	0.165
गोवा	0.648	5.154	2.834
पांडिचेरी	0.104	—	—
अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह	—	1.420	1.448

नारियल विकास बोर्ड द्वारा तमिलनाडु को आवंटित की गई धनराशि

8886. **श्री एस० सिंगरावडीवेल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या नारियल विकास बोर्ड, कोचीन द्वारा तमिलनाडु को आवंटित की गई धनराशि केरल को दी गई राशि की तुलना में बहुत कम है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी प्रतिशतता वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) नारियल उत्पादक राज्यों में समान धनराशि वितरण के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) नारियल विकास बोर्ड द्वारा तमिलनाडु की 1985-86 तक आवंटित धनराशि (75,197 लाख रुपये) उक्त अवधि के दौरान केरल को आवंटित धनराशि (172,515 लाख रुपये) का 43.59 प्रतिशत है। यह तमिलनाडु और केरल में नारियल के अन्तर्गत क्षेत्र की तुलना में अधिक है जो कि क्रमशः लगभग 1,53 लाख हैक्टार है और 6,09 लाख हैक्टार।

(ख) यह धनराशि नारियल के अन्तर्गत क्षेत्र और विकास की सम्भावनाओं जो प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न हैं को ध्यान में रखकर राज्यों को आवंटित की जाती है। उपलब्ध धनराशि के भीतर इन निचारों के आधार पर राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरा ध्यान रखा जाता है।

तमिलनाडु में केन्द्रीय खारा पानी मत्स्य संवर्धन अनुसंधान संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव

8885. **श्री एस० सिंगरावडीवेल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एक केन्द्रीय खारा मत्स्य संवर्धन अनुसंधान संस्थान की स्थापना करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव हैं ;

(ख) क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि तमिलनाडु में निचले समुद्रतटीय मुहाने के खारे पानी के क्षेत्र सारा पानी मत्स्य पालन और झींगा मछली संवर्धन के लिए उपयुक्त है, सरकार का विचार उक्त संस्थान इस राज्य में स्थापित करने का है ; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) : जी हां, श्रीमान् ।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कब तटवर्ती राज्यों के क्षेत्र में सर्वेक्षण और संस्थान की स्थापना के लिए स्थान के सुझाव के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर परिषद् स्थान के बारे में अन्तिम निर्णय लेगी ।

(ग) उपरोक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

तमिलनाडु में नारियल उत्पादन का विकास

8888. **श्री एस० सिंगरावडीवेल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस देश में तमिलनाडु ऐसा दूसरा राज्य है जहां नारियल का सबसे अधिक उत्पादन होता है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा नारियल विकास बोर्ड के माध्यम से प्रस्तुत विभिन्न योजनाओं और प्रोत्साहनों का लाभ तमिलनाडु मे नारियल उत्पादकों तक नहीं पहुंचता;

(ग) यदि हां, तो क्या नारियल उत्पादकों को प्रभावशाली ढंग से लाभ पहुंचाने के लिए तमिलनाडु में नारियल विकास बोर्ड का एक क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना करने की मांग की गई है; और

(घ) नारियल उत्पादकों के हित में सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । केन्द्रीय सरकार द्वारा नारियल विकास बोर्ड के माध्यम से प्रस्तुत योजनाओं तथा प्रोत्साहन का लाभ तमिलनाडु में नारियल उत्पादकों तक पहुंचाया गया है ।

(ग) जी हां।

(घ) कोचीन स्थित नारियल विकास बोर्ड का मुख्यालय तमिलनाडु में नारियल के विकास की भी देखरेख करता है और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड द्वारा भरसक उपाय किया जा रहा है कि उस राज्य में विभिन्न योजनाओं का लाभ नारियल उत्पादकों को प्राप्त हो सके।

विज्ञापनों के सारणीकरण के लिए निगम की स्थापना करना

8819. **श्री टी० बाल गौड़** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न भाषाओं के समाचार पत्रों में निविदा सूचनाओं, अन्य सूचनाओं परिवार नियोजन अभियान, उपभोक्ता वस्तुओं, नागरिक पूर्ति आदि के बारे में विज्ञापन देने के लिए लगभग 450 करोड़ रुपए वार्षिक खर्च करती है;

(ख) क्या सरकार का विज्ञापनों के सारणीकरण के लिए और व्यापार को गैर सरकारी विज्ञापन एजेंसियों के ढांचे पर काम करने के लिए एक निगम की स्थापना करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक लिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) मौजूदा परिपाटी के अनुसार, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय केवल केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों (रेलवे को छोड़कर) की ओर से ही विज्ञापन जारी करता हैं। व्यय वर्षानुवर्ष भिन्न-भिन्न होता है। 1984-85 के दौरान यह 4,35,42,976 रुपए था।

(ख) से (घ) द्वितीय प्रेस आयोग ने इस बारे में कतिपय सिफारिशें की हैं। तथापि, सरकार ने मामले में अन्तिम निर्णय अभी लेना है।

करोल बाग, नई दिल्ली में अनुसूचित जातियों को भूमि का आवंटन

8890. **श्री वासुदेव आचार्य** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भूमि आवंटन के लिए जारी किए गए निर्माण और आवास मन्त्रालय के 22 अगस्त, 1985 के ज्ञापन संख्या जे० 13037/आर18/80-डी० डी० आई० बी० में शुद्धि करने हेतु रेगड़पुरा, करोल बाग, नई दिल्ली के 8 अनुसूचित जाति के परिवारों और कुछ संसद् सदस्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो आबंटन आदेश में त्रुटि को सही करने के लिए क्या कदम उठाये गये

हैं ताकि इन 8 अनुसूचित जाति के परिवारों को 1979 की दरों पर 50 वर्ग गज भूमि मिल सके जो खाली करने के समय उनके कब्जे में थी ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) यह निर्णय लिया गया है कि इन आठ व्यक्तियों को 358 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से प्रीमियम के रूप में तथा उसका $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत वार्षिक भूमि किराये के रूप में प्रभारों का भुगतान करने पर प्रत्येक व्यक्ति को 25 वर्ग गज के प्लाट आवंटित कर बसाया जाये। चूंकि उनके देदखल से पूर्व जो क्षेत्र उनके कब्जे में था, उसकी जानकारी नहीं है।

[हिन्दी]

राजधानी के लिए नया ढांचा तैयार करना

8891. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :**
श्री तेजा सिंह वर्मा : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने राजधानी के लिए नया ढांचा तैयार करने हेतु कुछ सुझाव दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली महानगर परिषद् द्वारा 18-5-1984 को पारित निम्नलिखित संकल्प को दिल्ली प्रशासन द्वारा 14-9-84 को केन्द्रीय सरकार के पास भेज दिया गया था :—

> "प्राधिकरणों की बहुलता होने के कारण, दिल्ली की जनता कई कठिनाइयों का सामना कर रही है। इसलिए यह सदन केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करता है कि उनकी विविध समस्याओं के त्वरित समाधान को सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के लिए विधान सभा की व्यवस्था की जाये"

(ग) दिल्ली प्रशासन के विद्यमान स्वरूप में फिलहाल कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

[अनुवाद]

बोकारों इस्पात संयंत्र में ठेका मजदूरों की भविष्यनिधि

8892. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारों इस्पात संयंत्र का भविष्य निधि के लिए अपना न्यासी बोर्ड है;

(ख) क्या इसके प्रबंधाधीन ठेकेदारों के नियन्त्रण में कार्य करने वाले ठेका मजदूरों की भविष्य निधि बोकारों इस्पात संयंत्र के न्यासियों के पास जमा न कराई जाकर बोकारों इस्पात संयंत्र के विविध खातों में जमा की जाती है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ठेका मजदूरों की भविष्य निधि की सुरक्षा और उसकी समय पर अदाइगी सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे यथा समय लोकसभा के पटल पर रख दिया जाएगा ।

ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के लिए उड़ीसा को खाद्यान्न

8893. **श्री के० प्रधानी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के दौरान केन्द्रीय सहायता योजना के अंतर्गत उड़ीसा सरकार को ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के पोषण के लिए गेहूं की कितनी मात्रा का आवंटन किया गया है;

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत इस केन्द्रीय सहायता से कितने अतिरिक्त जन-दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध होगा;

(ग) क्या अदिवासी क्षेत्रों के लिए कोई विशेष कोटा निर्धारित किया जायेगा और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) व (ख) इस समय विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को वर्ष 1986-87 की पहली छमाही के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्यान्नों का आवंटन कर दिया गया है । उड़ीसा का हिस्सा 22020 मेटरी टन गेहूं है (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 11010 मीटरी टन) । तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत 11010 मीटरी टन) इसके अलावा, इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत उड़ीसा को गेहूं के बराबर चावल अर्थात् 22020 मीटरी टन आवंटित किया गया है । इन खाद्यान्नों का उपयोग 44.88 लाख श्रम दिनों के अतिरिक्त रोजगार को सृजित किए जाने की आशा है ।

(ग) व (घ) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत आदिवासी क्षेत्रों के लिए खाद्यान्नों का कोई विशेष कोटा निर्धारित नहीं किया गया है । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के जिलों को संसाधनों का

आबंटन एक निर्धारित फार्मूला के आधार पर किया जाता है, जिसके अन्तर्गत 50 प्रतिशत बल खेतिहर मजदूरों, सीमान्त मजदूरों एवं सीमान्त किसानों और 50 प्रतिशत बल गरीबी पर दिया जाता है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजनाएं उन क्षेत्रों में शुरू की जाती हैं, जो पिछड़े हुए हैं तथा जहां बेरोजगार मजदूरों की आबादी अधिक है, जो कम मजदूरी वाले क्षेत्र माने गए है, जहां बंधुआ मजदूर रहते हैं।

हिन्दी समाचार एजेंसियों को बन्द करना

8894. **श्री कृष्ण सिंह :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री आर० एन० गोयनका की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर दो हिन्दी समाचार एजेंसियों को बन्द करने का अन्तिम निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो हिन्दी, उर्दू और अन्य भाषाओं के समाचार पत्रों को समाचार देने के लिए क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किए गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बी० एच० पाटसिल) : (क) और (ख) सरकार ने हिन्दी की दो समाचार एजेंसियों को बन्द करने का कोई निर्णय नहीं लिया। वास्तव में यह ऐसा करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि प्रेस की स्वतन्त्रता के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता के अनुसरण में यह समाचार पत्रों तथा समाचार एजेंसियों के आंतरिक कार्य संचालन में हस्तक्षेप करना नहीं चाहेगी। तथापि, इस बात को देखते हुए कि ये दो एजेंसियां लगभग ठप हो गई थीं तथा इनके पुनर्जीवित होने की संभावना नहीं थी, सरकार ने भाषायी समाचारपत्रों के लिए संतोषजनक सेवा सुनिश्चित करने के लिए भाषायी समाचारपत्रों के प्रमुख सम्पादकों तथा मालिकों का सहयोग और सहायता मांगी। इन विचार-विमर्शों के परिणामस्वरूप, उनके द्वारा श्री आर० एन० गोयनका की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई जो मामले की विस्तार से जांच करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची की अंग्रेजी की मौजूदा समाचार एजेंसियों अर्थात् युनाइटिड न्यूज आफ इंडिया तथा प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया के लिए अपनी मौजूदा अवस्थापना को उपयुक्त रूप से सुदृढ़ करके भारतीय भाषाओं में अपेक्षित सेवा उपलब्ध करना संभव होना चाहिए। सरकार इस मत से सहमत है।

[हिन्दी]

व्यवसाय संघ अधिनियम के अन्तर्गत संगठनों का पंजीकरण

8895. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यवसाय संघ अधिनियम के अन्तर्गत इस समय कितने संगठन पंजीकृत हैं और गत तीन वर्षों के अंतर्गत कितने संगठन अस्तित्व में आये हैं तथा उक्त अवधि के दौरान कानून के अंतर्गत कितने संगठनों को समाप्त कर दिया गया है तथा उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार अवांछित संघ बनाये जाने पर रोक लगाने की दृष्टि से व्यवसाय संघ अधिनियम में संशोधन करने का है; और

(ग)यदि हां, तो कब तक ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) और (ग) व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 में किए जाने वाले कुछ संशोधनों पर विचार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

कृषि सामान के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत को खाद्य तथा कृषि संगठन की सहायता

8896. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तथा कृषि संगठन कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने हेतु भारत को सहायता देने के लिए सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) इस समय खाद्य और कृषि संगठन की ऐसी कोई विशिष्ट और प्रत्यक्ष कृषि उत्पाद निर्यात परियोजनायें नहीं हैं। बहरहाल, गुम्मी की खेती, गुण-नियंत्रण में प्रशिक्षण और लदान से पूर्व निरीक्षण जैसी परियोजनायें हैं जिनका कृषि निर्यात बढ़ाने पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ सकता है।

राष्ट्रीय सहकारिता विकास और विपणन के लिए अंशदान

8897. **श्री सुभाष यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम की एजेंसी के माध्यम से सहकारी विपणन के क्षेत्र को गतिशील बानने की दृष्टि से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दिघाविधि क्रियाकलाप निधि) और राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (अल्प बचत निधि) और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा संचालित राष्ट्रीय औत्तोगिक ऋण (दीर्घाविधि क्रियाकलाप निधि) में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिये जाने वाले अंशदान की तरह राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम द्वारा संचालित राष्ट्रीय सहकारिता विकास और विपणन निधि में भारतीय रिजर्व बैंक से 1985-86 के अपने वार्षिक लाभ में से अंशदान देने को कहने का है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम के क्रियाकलापों, में जो कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के क्रियाकलापों

की तुलना में निम्न स्तर पर है, तेजी लाने के लिए किन्हीं अन्य उपायों पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में अब क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सरकार से अपनी निधियों से और बजार से लिए जाने वाले कर्जों से धन प्राप्त होता है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को धन देने की धारणा में भारतीय रिजर्व बैंक के लाभ में से सहायता देने की बात शामिल नहीं है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के कार्यकलाप हाल ही के वर्षों में बहुत बढ़ गये हैं। देश में विभिन्न सहकारी विकास कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा वितरित कुल वित्तीय सहायता 1970-71 के 11.42 करोड़ रुपये से बढ़कर 1980-81में 65.19 करोड़ रुपए तथा 1984-85129.00 करोड़ रुपये हो गई। सातवीं योजना के दौरान, विभिन्न कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का परिव्यय 860 रुपये होने की सम्भावना है।

सीमेंट उद्योग को चूना पत्थर की उपलब्धता

8898. **श्री टी० बाल गौड़** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चूना पत्थर के वर्तमान अनुमानित भण्डार से सीमेंट उद्योग की आवश्यकताएं आगामी दस वर्षों तक ही पूरी की जा सकेंगी;

(ख) सीमेंट उद्योग की बढ़ी हुई लाइसेंस क्षमता को देखते हुए सीमेंट उद्योग को अपेक्षित मात्रा में चूना पत्थर उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) चूना पत्थर के निक्षेपों का पता लगाने के लिए भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा किए जा रहे खोज अध्ययन इस समय किस अवस्था में है; और

(घ) क्या हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में खोज न किए गए क्षेत्रों में चूना पत्थर मिलने की कोई सम्भावना है ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सोयाबीन का उत्पादन

8899. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोई सोयाबीन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस संस्थान द्वारा किये जाने वाले कार्य और उसकी उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा देश में, विशेषकर बड़ौदा जिले (गुजरात) के आदिवासी क्षेत्र में, जहां भूमि सोयाबीन की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है, सोयाबीन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं; और

(घ) देश के समक्ष खाद्य तेलों की समस्या को हल करने हेतु सरकार द्वारा, देश में किसानों को सोयाबीन तथा अन्य तिलहनों की खेती की ओर आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री बोगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान । फिर भी, सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदौर, मध्य प्रदेश में सोयाबीन के लिए एक राष्ट्रीय अनुसन्धान केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव हैं । मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर के नजदीक एक फार्म देने का प्रस्ताव किया हैं । भा० कृ० अ० प० के विशेषज्ञ दल ने उक्त फार्म का निरीक्षण किया है और उपरोक्त केन्द्र को स्थापित करने के लिए उसे उपयुक्त पाया है ।

यह केन्द्र विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों के लिए बुनियादी जानकारी और प्रायोगिक सामग्रियां प्रदान करेगा और अखिल भारतीय समन्वित सोयाबीन अनुसन्धान प्रायोजना को उसके कार्यों में सहायता करेगा ।

(ग) और (घ) एक केन्द्र द्वारा ᵬायोजित राष्ट्रीय तिलहन विकास ᵬायोजना 1984-85 से ही तिलहन उगाने वाले 17 राज्यों में कार्य कर रही है । इस प्रायोजना का लक्ष्य देश में तिलहन का उत्पादन बढ़ाना है । इस प्रायोजना के अंतर्गत गुजरात के बड़ौदा जिले में सोयाबीन विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है । इसके अतिरिक्त, गुजरात कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत जूनागढ़ में भी अखिल भारतीय समन्वित सोयाबीन अनुसन्धान प्रायोजना का एक केन्द्र कार्य कर रहा है ।

असम में प्रवासी कर्मचारी

8900. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में वर्तमान और भूतपूर्व चाय बागानों के ऐसे मजदूरों की कुल संख्या कितनी है, जो देश के विभिन्न भागों से वहां गए हैं;

(ख) उनमें शिक्षित व्यक्तियों, जैसे डाक्टरेट, स्नातकोत्तर उपाधि वालों, डाक्टरों, इंजिनियरों, प्रोफेसरों, पशुचिकित्सकों, वकीलों, स्नातकों, मैट्रिक पास तथा अन्य क्षेत्र के तकनीशियनों और डिप्लोमाधारी लोगों की संख्या तथा प्रतिशतता कितनी है; और

(ग) उनमें राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) असम में चाय बागानों में प्रवासी श्रमिकों की कुल संख्या के बारे में सूचना श्रम मंत्रालय में नहीं रखी जाती है।

मशीन से हरा चारा पैदा करने की प्रौद्योगिकी

8901. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में मशीन से हरा चारा पैदा करने की एक नई प्रौद्योगिकी विकसित की गई है;

(ख) क्या सरकार देश में हरे चारे की कमी को पूरा करने के लिए इस नई प्रौद्योगिकी का आयात करने की अनुमति देने का विचार है;

(ग) क्या सरकार को सूखा ग्रस्त क्षेत्रों की अवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस सुविधा का उपयोग करने के लिए किसी से अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस अनुरोध को स्वीकार करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान। जहां तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को मालूम है दो कम्पनियों अर्थात् मैसर्स फोमेता फीड प्लांट, अमेरिका तथा कैमिकल प्रसेभा इक्वीपमेन्ट लि०, बम्बई ने ऐसी मशीनें विकसित की हैं जो नियंत्रित तापमान, आर्द्रता तथा धूप की स्थितियों के अंतर्गत परतों में व्यवस्थित ट्रे में जई, जौ तथा मोटे अनाज की चारा फसलों को उगाने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। इन मशीनों की सहायता से चारा उगाने के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकता शक्ति, जल तथा बिजली की नियमित रूप से सप्लाई है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान। चूंकि भारतीय स्थितियों के अन्तर्गत मशीनों की आर्थिक उपयुक्तता तथा क्षमता की जांच नहीं की गई है इसलिए इस अवस्था में ऐसी मशीनों के आयात का प्रश्न ही नहीं उठता। भारतीय स्थितियों के अन्तर्गत इस नई प्रौद्योगिकी को अपनाने से पूर्व उसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है।

(ग) सरकार द्वारा मशीनों के आयात के लिए किए गये अनुरोध पर तभी ध्यान दिया जाएगा जब यह प्रौद्योगिकी अपने में पूर्ण हो तथा वह आर्थिक दृष्टि से उपयोगी और सक्षम हो।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी

8902. **श्री के० वी० शंकरगौड़** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के प्रमुख उद्योगपतियों ने कम्पनी बोर्ड स्तर पर प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने इसके पक्ष में क्या तर्क दिए हैं;

(ग) क्या यह सच है कि इन उद्योगपतियों द्वारा श्रमिकों की भागीदारी आरम्भ करने से पूर्व दो शर्तें रखी है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उद्योगपतियों द्वारा रखे गए प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ङ) सम्भाव्यता, यह प्रश्न 29 मार्च, 1986 को "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार पर आधारित है । रिपोर्ट में यह कहा गया है कि "आज के प्रमुख औद्योगिक सम्बन्ध मसले तथा उत्पादकता" सम्बन्धी यू० एन० आई० प्रश्नावली के प्रत्युत्तर में, प्रमुख उद्योगपतियों ने कम्पनी के बोर्ड स्तर पर प्रबन्ध में श्रमिक सहभागिता का विरोध किया है।

श्रमिक सहभागिता शुरू करने से पहले, उद्योगपतियों ने दो शर्तों का प्रस्ताव किया :

(1) श्रमिकों को उत्तरदायित्व लेने के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए; और

(2) श्रमिकों को प्रबुद्ध नेतृत्व के अधीन काम करना चाहिए जो यह समझते हों कि ऐसे हैं जिनमें नियोजकों और श्रमिकों दोनों के हित एक समान हैं।

मई, 1985 में हुए राज्य श्रम मन्त्रियों के सम्मेलन द्वारा गठित राज्य श्रम मन्त्रियों के दल द्वारा प्रबन्ध में श्रमिक सहभागिता सम्बन्धी विषय पर विचार विमर्श किया गया और उसकी सिफारिशों के आधार पर विधायी योजना के ढांचे को 25-26 नवम्बर, 1985 को हुए भारतीय श्रम सम्मेलन के समक्ष रखा गया था। इस सम्मेलन ने सार्वजनिक, निजी और सहकारी क्षेत्रों के प्रबन्ध में श्रमिक सहभागिता संबंधी योजना के कार्यान्वयन को सिद्धांत रूप में स्वीकार किया। इस प्रश्न को कि क्या यह योजना स्वैच्छिक होनी चाहिए या इसको विधान द्वारा कार्यान्वित किया जाना चाहिए और कार्यान्वयन की पद्धति को स्थायी श्रम समिति के विचारार्थ छोड़ दिया गया है। सरकार ने इस प्रश्न तथा अन्य मामलों पर विचार करने के लिए स्थायी श्रम समिति का गठन किया है।

किसानों को वित्तीय सहायता

8902-क. श्री सुरेशचंद्र माने : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने किसानों को वित्तीय सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो योजना की घोषणा के बाद महाराष्ट्र में किसानों को दी गई ऐसी सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि यह सहायता किसानों तक पहुंचती है ?

कृषि विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां । विभिन्न केन्द्रीय और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से, जिनमें 1983-84 में आरम्भ की गई "कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए छोटे और सीमांत किसानों को सहायता" की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना शामिल है, किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।

(ख) कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए छोटे और सीमांत किसानों की सहायता को केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के लिए सातवीं योजना में 500 करोड़ रुपये का परिव्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किए जाने वाले 50 प्रतिशत अंशदान को पूरा करने के लिए है । शेष 50 प्रतिशत सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाना है । उपरोक्त योजना के प्रारम्भ किए जाने से महाराष्ट्र को निर्मुक्त की गई सहायता (केन्द्रीय अंशदान) निम्न प्रकार है :—

वर्ष	निर्मुक्त की गई धनराशि
	(लाख रुपये में)
1983-84	739.20
1984-85	740·00
1985-86	740.00
	योग 2219.20

(ग) सम्बन्धित राज्य सरकारों का यह प्राथमिक उत्तरदायित्व है कि वे यह सुनिश्चित करें कि योजना के अन्तर्गत प्रावधान की गई सहायता किसानों तक पहुंचती है। तथापि, केन्द्रीय सरकार भी योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में प्रबोधन और राज्यों से प्राप्त प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा के माध्यम से किसानों के लिए सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित करती है ।

———

12.00 मध्यान्ह

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव रखा है। स्थगत प्रस्ताव को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : महोदय, मैंने इसकी अनुमति नहीं दी थी।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने 'इण्डिया टुडे' के नवीनतम संस्करण के साथ स्थगन प्रस्ताव दिया है जिसमें पाकिस्तानी शिविरों में पंजाब के आंतकवादियों को प्रशिक्षण देने का ब्यौरा दिया गया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह सारा करवा दूंगा और डिसकशन भी करवा दूंगा। मैं आपका काम पहले ही कर रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी आदत समझते नहीं हैं। जब आप पचासों बोलते हैं तो मैं अकेला होता हूं। मैं बगैर कहे आपका काम करवाने के लिए तैयार हूं।

[अनुवाद]

मैं आपको पहले ही बता चुका हूं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, आपने इसका चुपचाप उत्तर क्यों नहीं दिया। **(व्यवधान)**

महोदय हमारे गले और कान खराब हो गए हैं। **(व्यवधान)**

महोदय, ऐसा ही मैं महसूस करता हूं। मैंने आपको 'इंडिया टुडे' की प्रतियां दी हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने इन्हें देख लिया है। ये बाजार में उपलब्ध हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : उसमें आपको पाकिस्तानी आंतकवादियों के साथ हुए साक्षाधार भी मिल जाएंगे। उन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है ? **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने लिखा है। मैंने कोई मना नहीं किया है।

[अनुवाद]

इस मामले पर सरकार से बातचीत करूंगा। इसमें कोई समस्या नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आप इसे सरकार को भेज रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी हां। यह मैंने पहले ही सरकार को भेज दिया है।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगारेड्डी (हनमकोंडा) : वारंगल और हैदराबाद आदि जिलों में काटन कारपोरेशन वाले एक महीने से किसानों से कपास खरीद नहीं रहे हैं.....

अध्यक्ष महोदय : आप लिख कर दें।

श्री सी० जंगारेड्डी : मैंने इस बार तीन नोटिस दिए हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

वह साइड भी अपनी साइड है।...(**व्यवधान**)...आप भी अपनी साइड के हैं। आप क्यों ऐसा कह रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री पी० कुलदईवेलू (गोविचेट्टिपालयम) : महोदय, मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया है। महोदय, श्री चिदम्बर की अध्यक्षता में श्रीलंका का दौरा करने वाला दल भारत वापस आ गया है। इस सम्बन्ध में हम मंत्री महोदय से एक वक्तव्य चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसका पता लगाऊंगा। श्री कुलनदईवेलू जी आप इस समय यह न करें।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को निदेश जारी किया है कि पटसन का उत्पादन पूरी तरह बन्द कर दिया जाए.....

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी, आपकी सूचना की मुझे जानकारी है। समस्या केवल यह है कि हमें यह पता लगाना होगा कि सरकार की इस प्रकार की कोई नीति है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं। इसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, पटसन उत्पादकों का क्या होगा? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हम इसका पता करेंगे। इसके बाद इस पर चर्चा होगी। मुझे इसकी जानकारी है।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, केन्द्रीय सरकार के आदेश से न केवल लाखों पटसन उत्पादक ही बल्कि लाखों पटसन मजदूर भी प्रभावित होंगे। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता है। इसे इतना सहज रूप से नहीं लेना चाहिए। कृपया आप बैठ जाएं। इस संबंध में आपको स्पष्ट करूंगा। मैं उन बाधाओं के सम्बन्ध में भी जानता हूं जब वे एक फसल को बदलकर दूसरी फसल उगाते हैं। मुझे पता है। कुछ बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी।

श्री वासुदेव आचार्य : लाखों श्रमिक प्रभावित हुए हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सिंथेटिक लॉबी काम कर रही है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हमें इसका पता लगाना है। यह पता लगने पर कि यह सही है या गलत हम इस पर पूरी चर्चा करेंगे। मैंने आपकी बात नोट कर ली है और पहले मैं पता लगाऊंगा और फिर हम देखेंगे कि इस पर किस प्रकार चर्चा की जाए।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : उन्होंने कहा है.....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं इसका पता लगाऊंगा। मैंने स्थिति को भांप लिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब मैंने आपसे कह दिया है कि मैं इसका पता लगा रहा हूं तब आप क्यों चिन्ता कर रहे हैं ? इस समय इसे करने की क्या तुक है। मैं इसे जानता हूं।

(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, मुस्लिम महिलाएं बाहर प्रदर्शन कर रही हैं। मैंने एक ध्यानकर्षण प्रस्ताव रखा है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। ऐसा नहीं करना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : किसी भी बात को कार्यवाही वृतान्त में शामिल न किया जाए।

(व्यवधान)**

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : महोदय, एक बहुत ही गंभीर घटना घटी है जिसकी ओर मैं पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति दी है। इसके बाद मैं आपकी ओर ध्यान दूंगा। आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं।

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, पाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री जिया-उल-हक ने एक वक्तव्य में कहा कि कुमारी बेनजीर भुट्टो द्वारा अपने देश में चलाए गए आंदोलन का भारत समर्थन कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने भी इसे पढ़ा है। यह ठीक है। क्या आप यह लिखकर देंगे। मैं यह जानता हूं। मैं इस मामले पर बातचीत करूंगा।

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, यह बहुत महत्त्वपूर्ण है। एक राष्ट्राध्यक्ष इस प्रकार का वक्तव्य दे रहा है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपके इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

प्रो० के० के० तिवारी : क्या सरकार ने इस पर ध्यान दिया है ? सरकार को इस संबंध में एक वपतव्य देना चाहिए। यह बहुत ही गंभीर मामला है। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ रथ (आसका) : महोदय, तल्चर में भारी जल संयंत्र रिस रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप लिखित रूप में दें।

श्री सोमनाथ रथ : मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से इसे लिखित रूप में दिया है।

[हिन्दी]

श्री वी० तुलसीराम (नगरकुरनूल्य) : अध्यक्ष जी, कल पाकिस्तान के प्रेसीडेन्ट जिया-उल-हक ने कहा है कि बेनजीर भुट्टो को हिन्दुस्तान से पैसे की मदद मिल रही है।..... **(व्यवधान)** काश्मीर के बार्डर पर पाकिस्तान हवाई पट्टियां और डिफेंस चैनल बना रहा है। इससे हिन्दुस्तान के लिए खतरा हो सकता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे देखूंगा। इस तरह से मैं इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी : सैकड़ों मुस्लिम महिलाएं काले विधेयक, मुस्लिम महिला विधेयक को वापस लेने के लिए संसद भवन के गेट पर प्रदर्शन कर रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस पर सदन को विचार करना है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। इस ओर ध्यान दें। माननीय सदस्यो मैं वह कार्य नहीं कर सकता जो मेरे अधिकार में नहीं है। इस सम्बन्ध में आपको निर्णय लेना है, इसके लिए सदन को 'हां' या 'नहीं' कहना है।

एक माननीय सदस्य : किस प्रकार ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं पता। यह सब आप पर निर्भर करता है। मैं नहीं बता सकता कि किस प्रकार किया जाए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप अपने सदस्यों को अनावश्यक बात कहने से रोकते क्यों नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिख कर दें और मैं इस पर विचार करूंगा। मेरे करने लायक कुछ नहीं है। मैं इस प्रकार का कोई कार्य नहीं कर सकता। क्या मैं इस संबंध में कुछ कर सकता हूं ? यह मेरे अधिकार में नहीं है। आप मुझे लिख कर दें और मैं पता लगाऊंगा। मैं बस इतना ही कर सकता हूं·····मंत्री महोदय, आपके सदस्य दुर्व्यवहार कर रहे है।·····वे बिना किसी कारण के अनावश्यक रूप से शोर मचा रहे हैं।

———

12.06 म० प०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

काउंसिल फार एडवांसमेंट आफ रूरल टैक्नालाजी, नई दिल्ली, का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखे

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं—

(1) काउंसिल फार एडवांसमेंट आफ रूरल टैक्नालाजी, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्तरण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी०-2610/86]

केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली का 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा वार्षिक लेखे और कार्यकरण की समीक्षा, तथा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

परिवार कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : मैं श्रीमती मोहसिनाकिदवई की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) (एक) केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध सनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी०-2611/86]

(3) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियय 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अंयर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (चौथा संशोधन) नियम, 1981 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) 2 जो जुलाई, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 543 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं० एल० टी० 2612/86]

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम और खान अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० पी० ए० संगमा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 97 की उपधारा (4) के अंतर्गत कर्मजारी राज्य बीमा निगम (दन्त चिकित्सक) भर्ती विनियम, 1985 की एक प्रति

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 8 फरवरी 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ए-92 (99)-3/81-एस्ट० में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं० एल० टी० 2613/96]

(2) खान अधिनियम, 1952 की धारा 61 क के अन्तर्गत खान (संशोधन) नियम, 1986 की एक प्रति (हिन्दी अंग्रेजी संस्करण), जो 26 अप्रैल, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 316 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए सं० एल० टी०-2614/86]

भारतीय फिल्म और दूरदर्शन संस्थान, पुणे का 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन आदि और कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण

ऊर्जा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : मैं श्री बी० एन० गाडगिल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) (एक) भारतीय फिल्म एवं दूरदर्शन संस्थान, पुणे के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय फिल्म एवं दूरदर्शन संस्थान पुणे के वर्ष 1984-85 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय फिल्म एवं दूरदर्शन संस्थान पुणे के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं० एल०टी० 2615/86]

दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियम) अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचना और इन्डियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली का 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा, आदि

उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियम) अधिनियम, 1976 की धारा 63 की उपधारा

(6) के अन्तर्गत दिल्ली कृषि उपज मंडियां (अनुरक्षण, प्रबन्ध, वाहन यातायात का विनियमन और उपयोग की शर्तें) नियम, 1985 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 4 दिसम्बर, 1985 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ०/61/84-डी० ए० एम०/5714-5734 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए सं० एल० टी०-2616/86]

(2) (एक) इन्डियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इन्डियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—2617/86]

खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचना

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : मैं खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

(1) खनिज रियायत (संसोधन) नियम, 1986, जो 22 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 146 में प्रकाशित हुए थे।

(2) सा० का० नि० 41, जो 18 जनवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 12 दिसम्बर, 1959 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1366 में प्रकाशित आदेश में कतिपय संशोधन किया गया है।

(3) सा० का० नि० 83, जो एक फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अधिसूचना में उल्लिखित अधिकारियों को खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 अथवा उसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के अन्तर्गत किसी दण्डनीय अपराध के संबंध में लिखित शिकायतों को प्राथमिकता देने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(4) का० आ० 218, जो 25 जनवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था

तथा जिसके द्वारा भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान को अधिसूचना के साथ संलग्न तालिका में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ विस्तृत अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 2618/86]

नेशनल हैवी इन्जीनियरिंग कार्पोरेटिव लिमिटेड, पुणे का वर्ष 1984-85 का और आल इण्डिया फेडरेशन आफ कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, बंबई का 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा तथा भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, मद्रास का 1684-85 के वार्षिक प्रतिवेदन आदि को सभा-पटल पर न रखे जाने के कारणों सम्बन्धी विवरण आदि, आदि

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) (एक) नेशनल हैवी इंजीनियरिंग कोआपरेटिव लिमिटेड, पुणे के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल हैवी इंजीनियरिंग कोआपरेटिव लिमिटेड, पुणे के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल. टी. 2619/86]

(3) (एक) आल इंडिया फैडरेशन आफ कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड बम्बई के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आल इंडिया फैडरेशन आफ कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों

को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2620/86]

(5) भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, मद्रास के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखावर्ष की समाप्ति के बाद 9 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारणों को स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 2621/86]

(6) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारतीय दुग्धशाला निगम, बड़ौदा के वर्ष 198-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय दुग्धशाला निगम, बड़ौदा का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 2622/86]

(8) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) कर्नाटक काजू विकास निगम लिमिटेड, मंगलौर के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक काजू विकास निगम लिमिटेड, मंगलौर का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 2623/86]

(10) (एक) राष्ट्रीय सहकारिता प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय सहकारिता प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 2624/86]

आल इण्डिया इन्स्टीट्यूट आफ स्पीच एंड हीयरिंग मैसूर का 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब संबंधी विवरण

परिवार कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) आल इण्डिया इन्स्टीच्यूट आफ स्पीच एण्ड हियरिंग, मैसूर के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) आल इंडिया इंस्टीच्यूट आफ स्पीच एण्ड हियरिंग, मैसूर के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों की सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 2625/86]

———

12·08 म० प०

शिक्षु संशोधन विधेयक

[अनुवाद]

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि शिक्षु अधिनियम, 1961 में और संशोधन किए जाने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि ;

"शिक्षु अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री पी० ए० संगमा : मैं विधेयक पुर: स्थापित करता हूं।

12·08½ म० प०

स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कपड़े और सूत की विभिन्न किस्मों का निरन्तर विनिर्माण, उत्पादन और वितरण सुनिश्चित करके, जन-साधारण के हित साधन के लिए, स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड के उपक्रमों का उचित प्रबन्ध करने की सुनिश्चित करने की दृष्टि से उसके कुछ उपक्रमों के अर्जन और अन्तरण करने और उसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 39 के खंड (ख) और खंड (ग) में विनिर्दिष्ट तत्त्वों को सुनिश्चित रूप से प्राप्त करने की राज्य की नीति को प्रभावी करने के लिए और उससे संबद्ध तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कपड़े और सूत की विभिन्न किस्मों का निरन्तर विनिर्माण, उत्पादन और वितरण सुनिश्चित करके, जनसाधारण के हित साधन के लिए, स्वदेशी काटन मिल्स कंपनी लिमिटेड के उपक्रमों का उचित प्रबन्ध सुनिश्चित करने की दृष्टि से उसके कुछ उपक्रमों के अर्जन और अन्तरण करने और उसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 39 के खंड (ख) और खंड (ग) में विनिर्दिष्ट तत्वों को सुनिचित रूप से प्राप्त करने की राज्य की नीति को प्रभावी करने के लिए और उससे संबद्ध तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री खुर्शीद आलम खां : मैं विधेयक पुर: स्थापित करता हूं।

12·09½ म० प०

स्वदेशी काटन मिल्स कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश, 1986 के बारे में विवरण

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : मैं स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अध्यादेश, 1986 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारणों को स्पष्ट करने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

———

12·10 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) उन सभी व्यक्तियों को जिन्हें आग्नेयास्त्रों की वास्तव में आवश्यकता है आग्नेयास्त्र लाइसेंस देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश देने की आवश्यकता

श्री राजकुमार राय (बोसी) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस पर इस समय सरकार द्वारा पाबन्दी लगा दी गई है। जबकि केन्द्रीय गृह मन्त्रालय ने इन आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस देने में विवेक बरतने का निर्देश दिया है। इससे ऐसे शरीफ लोग जिनकी जान व माल को खतरा है और जिनके पास आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस नहीं हैं उनमें असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है। दूसरी तरफ असामाजिक तत्वों के पास बड़ी संख्या में बिना लाइसेंस के हथियार मौजूद हैं और उनका वे धड़ल्ले से उपयोग कर रहे हैं।

मैं इस राय का हूं कि हथियारों के लाइसेंस देने में कमी अवश्य की जाए तथा विवेक बरता जाये, किन्तु जो लोग जीवोपरान्त सही पाए जायें उनको हथियारों के लाइसेंस से वंचित न किया जाए। मेरा केन्द्रीय गृह मन्त्रालय से अनुरोध है कि वह इस मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार को उचित सलाह व निदेश दे।

[अनुवाद]

(दो) उत्तरी केरल में आकाशवाणी केन्द्रों के ट्रांसमीटरों की क्षमता बढ़ाने की मांग

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानौर) : ऐसा प्रतीत होता है कि सूचना और प्रसारण

मंत्रालय सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केरल में आकाशवाणी केन्द्रों की क्षमता बढ़ाने का निर्णय करते समय एक बार फिर मालाबार क्षेत्र को भूल गया। इस समय केरल में चार रेडियो स्टेशन हैं जिनकी क्षमता, त्रिवेन्द्रम में 10 कि० वाट, अलैप्पी में 100 कि० वाट, त्रिचूर में 20 कि० वाट, और कालीकट में 10 कि० वाट है।

10 कि० वाट ट्रांसमीटर वाला कालीकट रेडियो स्टेशन पूरे मालाबार क्षेत्र में एकमात्र स्टेशन है जिसके अन्तर्गत पूरे केरल की लगभग आधी जनसंख्या वाले 6 जिले हैं।

ऐसा पता चला है कि सातवीं योजना के अन्तर्गत त्रिचूर में 20 कि० वाट के ट्रांसमीटर के स्थान पर 100 कि० वाट का ट्रांसमीटर लगाया जाना है। त्रिचूर और अलैप्पी की समीपता को देखते हुए, अलैप्पी में पहले ही शक्तिशाली ट्रांसमीटर है, यह उचित होगा कि उत्तर केरल में विस्तार कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कार्यक्रम कारगर ढंग से पहुंच सकें यह सुनिश्चित करने के लिए मालाबार क्षेत्र में 100 कि० वाट का ट्रांसमीटर अनिवार्य है। इसलिए यह अनुरोध है कि सरकार का ध्यान कालीकट के 10 कि० वाट के वर्तमान ट्रांसमीटर का विस्तार करने अथवा कन्नानौर में प्रस्तावित रेडियो स्टेशन में अधिक शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाने की ओर लगना चाहिए।

[हिन्दी]

(तीन) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर आधारित उद्योग स्थापित करने की अनुमति देने से पहले आवश्यक प्रदूषण निवारक उपाय करने की आवश्यकता

श्री प्रभात कुमार मिश्र (जांजगीर) : अध्यक्ष महोदय, भारत की 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर आधारित है तथा सरकार की उदार औद्योगिक नीति के कारण मध्यम-वर्गीय परम्परागत कृषि करने वालों को बहुत अड़चनें आ रही हैं।

औद्योगिक संस्थान स्थापित होने के कारण कृषि मजदूरों का स्थान अब कृषि से हटकर कारखानों में काम करने का होता चला जा रहा है तथा कृषि कार्य में मजदूर नहीं मिलते।

उद्योगपतियों तथा पब्लिक सेक्टर के उद्योगों में काम करने वालों को ओवर टाइम इत्यादि मिलाकर निश्चित ही ज्यादा आमदनी होती है। अत: कृषि वाले सरकार द्वारा निश्चित वेतन देकर भी समय पर कृषि मजदूर नहीं पाते जिससे उत्पादन अपेक्षित नहीं होता तथा कृषि व्यवसाइयों को आमदनी कम होती है और उनका आर्थिक स्तर गिरता जा रहा है।

अत: अनुरोध है कि कृषि क्षेत्र में कृषि पर आधारित उद्योग लगाये जायें जिससे खेतिहर मजदूर कृषि से दूर न हटें। कृषि पर आधारित मध्यमवर्गीय किसान अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके। उद्योग से उत्पन्न प्रदूषण न सिर्फ प्राणियों को हानि पहुंचाता है बल्कि जमीन की उपजाऊ शक्ति को भी कम करता है। उदाहरण स्वरूप अकलतरा, जिला बिलासपुर (मध्यप्रदेश)

में एक साथ दो सीमेंट फैक्टरी लगी हैं जिनसे कृषि कार्य तो प्रभावित हो ही रहा है, साथ ही साथ सीमेन्ट के कणों से आस-पास की जमीन की उपजाऊ शक्ति कम होती जा रही है। प्रदूषण ही मुख्य कारण है।

उसी प्रकार चांपा के मध्य भारत के पेपर मिल और बिलासपुर बुक वाण्ड पेपर मिल से क्रमश: हसदो और अरपा नदी को दूषित किया जा रहा है।

अत: आपके माध्यम से अनुरोध है कि उद्योगों की स्थापना से पूर्व उपरोक्त दोनों ही बातों का अवश्य ध्यान रखा जाये।

(चार) उत्तर प्रदेश में कानपुर और उसके आसपास के नगरों के बीच 'द्रुतगामी परिवहन प्रणाली' चालू करने की मांग

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर) : अध्यक्ष महोदय, कानपुर, उत्तर भारत का विशाल औद्योगिक नगर है। औद्योगिक तथा अन्य श्रमिकों की संख्या उत्तर भारत में अन्य नगरों से अधिक है। रोजगार की तलाश में कानपुर के आसपास के देहात से ही नहीं वरन् सारे पूर्वी तथा मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, बुन्देलखण्ड तथा मध्य प्रदेश के देहातों और अन्य शहरों से प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में लोग आते हैं तथा कानपुर महानगर की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। परन्तु उनके आने जाने के साधनों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कानपुर जैसे औद्योगिक महानगर के आसपास के शहरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे कि जनता को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है।

मई 1980 में योजना आयोग द्वारा गठित नेशनल ट्रांसपोर्ट पालिसी कमेटी ने सिफारिश की थी कि दो शहरों के मध्य जहां आवागमन अत्यधिक हो वहां 300 किलोमीटर से कम होने पर भी रेलवे विभाग को स्पेशल कोरीडर्स बनानी चाहिए और तेज चलने वाली रेलगाड़ियां चलानी चाहिए। कानपुर-लखनऊ का विशेष उल्लेख रपट के अनुच्छेद 9 व 8 पर किया गया था। इस समय कानपुर और इसके आसपास के नगरों के बीच आने जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे की नगण्य सुविधाएं हैं। रोड ट्रांसपोर्टों में पैट्रोल आदि की अधिक खपत है ही, बल्कि पर्यावरण भी अधिक दूषित करती है।

आशा है कि रेलवे विभाग यथाशीघ्र कानपुर महानगर के आसपास के नगरों के बीच द्रुत-गामी यातायात (रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम) की व्यवस्था करेंगे। इन नगरों के बीच फिलहाल एक-दो शटल ट्रेन्स और चलायें। यह ट्रेन्स एक ओर जहां यात्रियों को सुविधा पहुंचायेगा, वहीं दूसरी ओर रेलवे की राजस्व में भी वृद्धि होगी।

[अनुवाद]

(पांच) आधुनिक उपकरणों की आपूर्ति के लिए नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा पश्चिम जर्मनी की फर्म एम० ए० एन० को ठेका दिए जाने से पूर्व उसकी तकनीकी क्षमता की जांच करने की आवश्यकता

श्री एच० एन० नन्जे गौडा (हसन) : ऊर्जा मन्त्रालय का तमिलनाडु स्थित नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड पर देश के दक्षिणी क्षेत्र के लिए एक विद्युत उत्पादन का एक सुदृढ़ आधार तैयार करने की जिम्मेदारी रही है तथा इसकी दूसरी खनन विस्तार परियोजनाओं के लिए पश्चिम जर्मनी की के० एफ० डब्लू नामक एजेंसी से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के प्रबन्ध किए गए थे।

इस व्यवस्था के अन्तर्गत नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन ने विशिष्ट निविदाएं आमन्त्रित की। इससे पहले कारपोरेशन ने दो प्रमुख उपकरणों की खरीद पश्चिम जर्मनी की मैसर्स एम० ए०-ए० नामक फर्म से की थी तथा कारपोरेशन को इन उपकरणों की डिलीवरी निर्धारित तारीखों से काफी समय बाद की गई। विदेशी मुद्रा में इनकी लागत लगभग 21 करोड़ रुपए है। परन्तु यह उपकरण अन्ततः खराब हो गया और गिर पड़ा जिससे काफी संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई और नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई मुआवजा प्राप्त नहीं कर सका।

अब यह पता चला है कि इस तथ्य के बावजूद कि परियोजना के तकनीकी सलाहकारों ने उसी निविदा में पश्चिम जर्मनी की एन० ए० एम० नामक फर्म को भाग लेने तक की स्वीकृति नहीं दी है, नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन पुनः उसी फर्म को लगभग 125 करोड़ रुपए की लागत के और भी अधिक आधुनिक उपकरणों की सप्लाई करने के लिए एक अन्य ठेका देने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। न केवल इस कम्पनी ने भयंकर भूलें की हैं, बल्कि यह फर्म दूसरी खान विस्तार परियोजना के लिए ऐसे उपकरणों के निर्माण में तकनीकी दृष्टि से भी असक्षम है।

देश और राजकोष के व्यापक हित में पश्चिम जर्मनी की एन० ए० एम० नामक इस फर्म को दूसरा ठेका देने के नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के प्रयासों के विरुद्ध सरकार को मैं सचेत करना चाहता हूं।

(छह) बकिंघम नहर की मरम्मत और विकास करने की आवश्यकता

श्री पी० पेंचालैया (नैल्लौर) : बकिंघम नहर देश में सबसे पुरानी नहरों में से एक है। यह 418 कि० मी० लम्बी है तथा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। यह नहर, जिसका निर्माण 1897 में पूरा किया गया था, इस क्षेत्र के लोगों तथा विभिन्न वस्तुओं के परिवहन का मुख्य साधन रही है।

वर्ष 1966 में तूफान ने इस क्षेत्र की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया था और उसमें यह नहर भी नष्ट हो गई थी। इसमें अनेक दरारें पड़ गईं। पूरी नहर को नुकसान पहुंचा। नहर में रेत के जमा होने से इसकी गहराई कम हो गई जिससे नौकाओं के आवागमन पर प्रभाव पड़ा। अब इस नहर से होने वाला सम्पूर्ण परिवहन समाप्त होने को है। अब नौकाएं कुछ कि० मी० इधर-उधर ही जा सकती हैं। इसके परिणामस्वरूप सड़क परिवहन प्रणाली पर दबाव काफी बढ़ गया है। पश्चिम जर्मनी के विशेषज्ञों के एक दल ने 1985 में भारत का दौरा किया और बकिंघम नहर का निरीक्षण किया था। क्या विशेषज्ञों द्वारा किए गए निरीक्षण की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। पश्चिम जर्मनी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

यदि इस नहर की मरम्मत भी की जाती है और इसका विकास किया जाता है तो उससे कई प्रकार से इस क्षेत्र के लोगों की आवश्यकताएं पूरी होंगी। इससे स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और परिवहन बढ़ेगा।

इसलिए मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह जल्दी से जल्दी इस नहर की मरम्मत और विकास का कार्य करें।

(सात) उत्तर प्रदेश के एटा, फर्रुखाबाद और मैनपुरी जिलों में तम्बाकू की गर्द से उत्पन्न प्रदूषण को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता

श्री मोहम्मद महफूज अली खां (एटा) : उत्तर प्रदेश में एटा, फर्रुखाबाद और मैनपुरी जिले सर्वश्रेष्ठ किस्म के तम्बाकू का उत्पादन करने के लिए प्रसिद्ध हैं और इन जिलों की यह एक मुख्य नकद फसल भी है। तम्बाकू का कारोबार मुख्य रूप से निजी व्यापारियों के हाथ में है जो तम्बाकू के पत्तों को गाहने और संसोधित करने, जो अधिकतर खुले में किया जाता है, के लिए मजदूरों को लगाते हैं। तम्बाकू के पत्तों को छोटे लकड़ी के फलकों से पीटा जाता है. जबकि इसकी जड़ों को सॅटीगेटर्ज से पीसा जाता है। चूंकि इस सारी प्रक्रिया में कोई वैज्ञानिक विधि नहीं अपनाई जाती है इसलिए भारी मात्रा में तम्बाकू की गर्द सांस के द्वारा मजदूरों के शरीर में चली जाती है और सम्पूर्ण वातावरण बहुत प्रदूषित हो जाता है जिसके कारण स्वास्थ्य को गंभीर खतरा पैदा हो जाता है। श्रमिकों में छाती की बीमारियां, खांसी और क्षय रोग आम हैं। कार्यस्थल के शेड और गोदाम अधिकतर कस्बों और शहरों के अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में स्थित है जिसके कारण स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो रही हैं। इन जिलों के प्रमुख भागों में तम्बाकू गर्द के कारण होने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया है तथा इस समस्या पर पूरी गंभीरता के साथ विचार करने की तुरन्त आवश्यकता है।

इसलिए महोदय, मैं आपके और इस सभा के माध्यम से पर्यावरण और वन मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि वे यह मामला उत्तर प्रदेश सरकार के साथ उठाए और इस बात पर बल दें कि कार्यस्थल शेडों और गोदामों को शहर और नगरपालिका क्षेत्रों से बाहर स्थानान्तरित करने के अलावा श्रमिकों को तम्बाकू की गर्द से बचाने और पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने के लिए तुरन्त उपयुक्त प्रभावी उपाय किए जाएं।

[हिन्दी]

(आठ) उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में औद्योगिक संस्थानों के कारण होने वाले प्रदूषण को नियन्त्रित करने के लिए उपचारात्मक उपाय करने की आवश्यकता

श्री राम प्यारे पनिका (रावर्ट्सगंज) : अध्यक्ष महोदय, मिर्जापुर जनपद उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण जन-जीवन अत्यन्त दूभर हो गया है, जो एक चिन्ता का प्रश्न बन गया है। यहां पर स्थित सरकारी तथा गैर सरकारी कई संस्थाओं में प्रदूषण की भयंकर समस्या खड़ी हो गई है। डाला सीमेंट फैक्टरी जो उत्तर प्रदेश सरकार का एक उपक्रम है, में तो कुल उत्पादन का 30 प्रतिशत सीमेंट डस्ट के रूप में प्रतिदिन उड़कर सैकड़ों किलोमीटर के इर्द-गिर्द का वातावरण प्रदूषित कर दिया है। फलस्वरूप डाला के ही नहीं बल्कि आसपास के आदिवासियों एवं हरिजनों का जीवन कठिन हो गया है। जहां एक ओर कृषि और वन पर दूषित प्रभाव है वहीं पर दूसरी ओर जन-स्वास्थ्य पर भी भयंकर असर पड़ रहा है। उसी प्रकार कोयले की खानों एवं कई थर्मल पावर स्टेशनों में भी आधुनिकतम उपकरण न लगने के कारण कृषि तथा स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ रहा है और परिणामस्वरूप संपूर्ण दक्षिणांचल की जनता में घोर क्षोभ व्याप्त हो गया है। यदि सरकार ने अविलम्ब मिर्जापुर जनपद के दक्षिणांचल स्थित परियोजनाओं में प्रदूषण में रोकथाम की व्यवस्था नहीं की तो उसके भयंकर परिणाम होंगे।

अतः इस महत्त्वपूर्ण अविलम्बनीय लोक महत्व सूचना के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूँ कि शीघ्र ही एक विशेषज्ञों की टीम भेजकर मिर्जापुर के विभिन्न औद्योगिक संस्थानों में जाकर प्रदूषण की जांच करें तथा इसके रोकथाम के लिए शीघ्र आवश्यक कदम उठाकर यहां की जनता की सम्पत्तियों तथा उसके स्वास्थ्य की रक्षा करे।

———

12·23 म० प०

मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) विधेयक, 1986

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) विधेयक पर विचार किया जाएगा।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मेरा व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मेरा व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं एक बार में व्यवस्था संबंधी सभी प्रश्नों को किस प्रकार सुन सकता हूं। मैं एक बार में केवल एक व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न को ही सुन सकता हूं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : क्या आप सदन में व्यवस्था बनाएंगे ताकि मैं.....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अच्छा यह होगा कि आप पहले अपने को व्यवस्थित करें। आप बैठ क्यों नहीं जाते।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : विधि और न्याय मंत्री द्वारा मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) विधेयक को विचार के लिए प्रस्तुत करने से पूर्व मेरा व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसकी अनुमति दे दी है।

प्रो० मधु दण्डवते : मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मुझे अपने व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न के बारे में बताने की अनुमति दें ताकि आपके लिए विनिर्णय देना आसान हो जाए।.....

(व्यवधान)

महोदय, इस विशेष विधेयक, पर विचार करते हुए संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 (2) और 13 (2) को भी ध्यान में रखना होगा। अनुच्छेद 14 में कहा गया है— यह विधि के समक्ष समता के सम्बन्ध में है :

"भारत राज्य-क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा।"

महोदय, अनुच्छेद 15 में कहा गया है :

"राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।"

अनुच्छेद 16 में कहा गया है :

(1) राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में सब नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी।

(2) केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर किसी नागरिक के लिए.....विभेद नहीं किया जाएगा।"

यह केवल अनुच्छेद 16 है।

परन्तु महोदय, सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 13 (2) है·····और मैं आपका ध्यान अनुच्छेद 13 (2) की ओर दिलाना चाहता हूँ, जिनमें सुस्पष्ट रूप से कहा गया है :

"राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा अधिकारों को छीनती या न्यून करती हो और इस खंड के उल्लंघन में बनी प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी।"

अत: यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव किया गया है उसके द्वारा अनुच्छेद 14, 15, 16 और 13 (2) का उल्लंघन होता है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपके कहने का यह अर्थ है कि यह विधेयक अधिकारों से परे है?

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि यह विधेयक पारित कर दिया गया, तो इस विधेयक द्वारा संविधान में उल्लंघन होगा। (**व्यवधान**)।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, आपने एक ही वाक्य में बहुत ही सही ढंग से स्पष्ट कर दिया है। इस विधेयक द्वारा संविधान का उल्लंघन होगा।

अध्यक्ष महोदय : आप इस बारे में मेरा विनिर्णय चाहते हैं ?

एक माननीय सदस्य : आपने पहले ही अपना विनिर्णय दे दिया है।

प्रो० मधु दंडवते : मुझे पूरी बात कहने दीजिए।

डा० कृपासिन्धु भोई (सम्बलपुर) : महोदय, मैं·····चाहता हूं (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : वह क्यों खड़े हैं ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। कृपया व्यवधान मत डालिए। उनका व्यवस्था का प्रश्न है। वह अपने अधिकारों के अनुसार बोल रहे हैं और जिस प्रश्न पर वह चर्चा कर रहे हैं वह बहुत ही संगत प्रश्न है। (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : और, इसलिए यह स्पष्ट है कि इस विधेयक द्वारा संविधान के इन सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का उल्लंघन होता है और वह भी संविधान के भाग तीन का होता है और उनकी संविधान के "मूल अधिकारों" विशेष रूप से अनुच्छेद 13 (2) में रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जिससे मूल अधिकारों को कम किया जा सके अथवा वापिस लिया जा सके। मैं समझता हूं कि यह विधेयक सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है; यह संविधान के अधिकारों से परे है और, इसलिए मैं इस विशेष विधेयक की विधायी सक्षमता और साथ ही संवैधानिक सक्षमता को चुनौती देता हूं और, इसलिए महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी बुद्धि से संक्षेप में यह विनिर्णय दें कि

इस विधेयक द्वारा संविधान का उल्लंघन होता है और अच्छा यह होगा कि न्याय मंत्री सभा से यह विधेयक वापस लें और किसी अन्य प्रश्न पर भाषण दें। वह यह विधेयक बिल्कुल नहीं ले सकते। (व्यवधान)

डा० कृपासिन्धु भोई : महोदय, वर्तमान विधेयक·····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। आप मुझे कुछ कहने क्यों नहीं देते ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डॉक्टर क्या आप मेरी ओर से निर्णय दे रहे हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : महोदय, क्या आप मेरी ओर से निर्णय देने जा रहे हैं ? क्या आप मेरी ओर से निर्णय दे रहे हैं ? अथवा, क्या मैं अपना विनिर्णय दूं ?

डा० कृपासिन्धु भोई : मैं केवल यह कह रहा हूं कि आपको हमारे साथ भी न्याय करना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या जो कुछ वह कह रहे हैं अथवा जो कुछ उन्होंने कहा है उसके संबंध में आपका कोई व्यवस्था का प्रश्न है ?

डा० कृपासिन्धु भोई : मेरा एक निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय : अब निवेदन का प्रश्न ही नहीं है। यह व्यवस्था का प्रश्न है जिस पर मुझे विनिर्णय देना है।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मेरा केवल यही अनुरोध है कि आप स्त्रियों और पुरुषों में भेदभाव न करें केवल इतना ही नहीं बल्कि स्त्रियों और स्त्रियों में भेदभाव न करें चाहे वे हिन्दु हों अथवा मुस्लिम हों अथवा किसी धर्म अथवा समुदाय की हों। (व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, कोई विनिर्णय देने से पहले हम आपके द्वारा विनिर्णय देने में कुछ बताकर···(व्यवधान)···आपकी सहायता करने की अनुमति चाहते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि मुझे सहायता की आवश्यकता होगी, तो मैं अवश्य ही कहूंगा। इस सभा का प्रत्येक सदस्य मेरी सहायता करने के लिए है। मुझे इतना विश्वास है। इस बारे में कोई समस्या नहीं है। हम असहमत हो सकते हैं अथवा हम असहमत होने के लिए सहमत हो सकते हैं, परन्तु वह और बात है किन्तु मुझे आपकी सहायता के बारे में पूर्ण विश्वास है।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी)—कृपया अपना विनिर्णय देने से पूर्व हमारा निवेदन अवश्य सुनें।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि यह किसी प्रकार के निवेदन करने का प्रश्न है। यदि आपका कोई व्यवस्था का प्रश्न है, तो मैं आपकी बात भी सुनूंगा। (**व्यवधान**)

श्री जी० एम० बनातवाला : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है अपितु केवल संवैधानिकता का प्रश्न है यह सभा द्वारा विचार करने का मामला है न कि अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्णय करने का मामला है। कानून की यह सुस्थापित प्रक्रिया है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस पर विनिर्णय देना है····· (**व्यवधान**) क्या आपका कोई व्यवस्था का प्रश्न है ?

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : निवेदन का कोई प्रश्न नहीं है। उनका व्यवस्था का प्रश्न है और मुझे उस पर विनिर्णय देना है। यदि आपको नियमों की जानकारी नहीं है, तो आप क्यों बोलते हैं ?

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही इस समस्या का सभी दृष्टिकोणों से अध्ययन किया है क्योंकि मैं जानता था कि मुझे इसका सामना करना होगा। पहले से ही तैयार रहना हमेशा अच्छा होता है क्योंकि इलाज से हमेशा परहेज अच्छा होता है। अत: मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है समस्या यह है कि मुझे विनिर्णय देना है और आप द्वारा नियमों में प्रदान विनिर्दिष्टों के अनुसार कार्यवाही करनी है और अध्यक्ष के कर्त्तव्यों को पूरा करना है। अध्यक्षपीठ द्वारा यह विनिर्णय नहीं लिया जाता है कि क्या कोई विधेयक संविधान का उल्लंघन करता है न ही सभा का यह कर्त्तव्य है कि वह निर्णय दे कि आया कोई विधेयक संविधान का उल्लंघन करता है अथवा नहीं। इस प्रश्न का निर्णय न्यायालय ने देना है। यदि आप संविधान में जो कहा है उसके विरुद्ध जाते हैं तो न्यायालय द्वारा इसका निर्णय किया जाएगा।

(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह मन्त्री बन गए हैं और कानून रहित कानून पुरप्रस्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं और भारत के लोगों पर अन्याय करने का प्रयास कर रहे हैं·····(**व्यवधान**) यह संविधान का अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ? सीधे अपने व्यवस्था के प्रश्न पर आइए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि हम उद्देश्यों और कारणों के कथन में उल्लिखित मुद्दों पर एक-एक करके विचार करें।

अध्यक्ष महोदय : आप इस पर तर्क करना चाहते हैं। अब आप ऐसा नहीं कर सकते। आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : उद्देश्यों और कारणों के कथन के आधार पर विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव किया गया है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था के विरुद्ध है।

प्रो० मधु दंडवते : उन्होंने अपना व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनाया है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता, कि उन्हें अब तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। वह स्वयं भी एक अच्छे वकील हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं जानता हूं कि आज अध्यक्ष महोदय बहुत खिन्न हैं।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं यह नियमानुसार करूंगा। मैं संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति हूं, आप चिंता न करें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अधिकारातीत प्रश्न के अतिरिक्त देश के उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का अधिकारातीत से कुछ लेना देना नहीं है, ये सभी संस्थानों और नियमों पर लागू होते हैं। राज्य क नीति निदेशक सिद्धांत क्या हैं ? इसका संविधान से कुछ लेना देना नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं निर्णय नहीं दे रहा हूं। इसका निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : नहीं, जब सदन में एक विधान पर विचार किया जा सकता है, जो कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के विपरीत है·····(**व्यवधान**)। कृपया अनुच्छेद 38 देखें। महोदय, क्या आपके पास संविधान की एक प्रति है ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां, मेरे पास है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कृपया अनुच्छेद 38 देखें। इसमें लिखा है कि :

"राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक कार्य साधक रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा।"

प्रो० संफुद्दीन सोज (बारामूला) : महोदय, मुझे इस पर आपत्ति है। (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : राजनैतिक, आर्थिक न्याय नहीं मिल रहा है·····(**व्यवधान**)। कृपया अनुच्छेद 39 (क) देखें। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे स्वीकार नहीं करता। यह इसके अन्तर्गत नहीं आता।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यदि आप अनुच्छेद 39 (क) देखें तो इसमें कोई भेद नहीं किया जा सकता है। राज्य को आवश्यक ···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं स्वीकार नहीं करता।

(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह बहुत ही गम्भीर मामला है। नीति निदेशों का खुला उल्लंघन है।

अध्यक्ष महोदय : मैं स्वीकार नहीं करता। अब श्री सैफुद्दीन बोलेंगे।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटरा) : महोदय, आपने न्यायालय का हवाला दिया है। मैंने आपको लिखा था कि उच्चतम न्यायालय ने एक विशेष अनुमति आवेदन को स्वीकार कर लिया है और एक तलाक शुदा को पति द्वारा निर्वाह व्यय देने के मुद्दे पर विचार किया जा रहा है··· ···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री सोज, इधर ध्यान दें।

एक माननीय सदस्य : महोदय श्री सोज नहीं बल्कि श्री चौधरी।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय कृपया मेरी बात सुनें।

अध्यक्ष महोदय : मैं सुन रहा हूं। मैं पूरे ध्यान से सुन रहा हूं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आपने न्यायालय का हवाला दिया और यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है। यदि हम विधेयक पारित करते हैं तो मामला उलझ जाएगा···(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस संबंध में पूर्वोदाहरण हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : पूर्वोदाहरण हैं। मैंने आपको लिखा था कि वर्ष 1929 में··· ···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : महोदय, जो आपने मुझे लिखा है उसकी मुझे पूर्ण जानकारी है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : वर्ष 1929 में श्री विट्ठलभाई पटेल ने सेंट्रल असेम्बली में टिप्पणी की थी कि सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि मेरठ षडयन्त्र का मामला न्यायालय के विचाराधीन है। और यदि यह पारित हो जाता है तो आधारभूत आधार समाप्त हो जाएगा। ·····(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, वे विट्ठल भाई पटेल थे।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : ब्रिटिश काल में वह शालीनता, वह परम्परा बनाए रखी गई और उसका सम्मान किया गया और मुझे विश्वास है कि जब आपको राज्यों के विभिन्न भागों को मिला कर चलना है और हमें एक दूसरे का आदर करके मेल मिलाप से रहना है तो हमारे लिए यह उचित होगा कि इस विधेयक पर विचार करना तुरन्त बन्द कर दिया जाए। महोदय, आप अपनी व्यवस्था दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। व्यवस्था यह है·····

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : विट्ठल भाई पटेल के चित्र की ओर ध्यान दें·····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चौधरी जी, मैं आपको बहुत चाहता हूं। मैं भी चौधरी हूं इसलिए हम दोनों गहरे दोस्त हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : दो चौधरी देश को नहीं बचा सकते। यह तो बहुमत··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि मामला न्यायालय के विचाराधीन है और कानून बनाने में यह कोई रुकावट नहीं डालता। सदन कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है और मामले के गुणावगुण कुछ भी हों और विधेयक के विषय संबंधी कोई मामला न्यायालय के विचाराधीन होने पर भी संसद कानून बना सकती है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : केवल सभ्य कानून बना सकती है। यह सभ्य कानून नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इससे विधेयक पर कार्यवाही करने पर रोक नहीं लगती है।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : महोदय, यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 17 (3) का उल्लंघन करता है, विधेयक के साथ वित्तीय ज्ञापन संलग्न नहीं है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसमें वित्तीय ज्ञापन की आवश्यकता नहीं है इसे स्वीकार नहीं किया जाता है।·····

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : महोदय, इस मामले में वित्तीय ज्ञापन की आवश्यकता नहीं है। स्वीकार नहीं किया जाता है।

डा० वसा सामन्त (बम्बई दक्षिण मध्य) : महोदय, बकाया बोर्डों का गठन किया जाता है और बकाया बोर्ड अधिनियम में कोष का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए करने की व्यवस्था नहीं है।·····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—इस मामले में यह लागू नहीं होता। स्वीकार नहीं किया जाता है।

डा० दत्ता सामन्त : दूसरी बात यह है कि मुस्लिम वैयक्तिक नियम में बच्चों के आत्म-निर्भर बनने तक देखभाल करने की व्यवस्था है·····(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : स्वीकार नहीं किया जाता है·····

(**व्यवधान**)

डा० दत्ता सामन्त : जहां तक संविधान के अनुच्छेद 51 (क) का सम्बन्ध है, इसमें यह व्यवस्था है कि कोई भी ऐसा विधान जो महिलाओं के लिए अपमानजनक है, पारित नहीं किया जाएगा·····(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : स्वीकार नहीं किया जाता है।

श्री दिनेश गोस्वामी (गुवाहाटी) : महोदय, मैं दो मुद्दों पर बोलना चाहता हूं। आपने कहा है कि अधिकारातीत के प्रश्न पर न्यायालय अन्तिम निर्णायक हैं और हम इस बीच में नहीं आते हैं। परन्तु नीति निदेशक सिद्धांतों के मामले में न्यायालय बीच में नहीं आता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको दूसरी व्यवस्था नहीं दे सकता। मैं व्यवस्था दे चुका हूं। स्वीकार नहीं किया जाता है।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : स्वीकार नहीं किया जाता है। नहीं।

(**व्यवधान**)

श्री दिनेश गोस्वामी : मेरा दूसरा मुद्दा यह है। कल सरकार द्वारा सदन में विचार के लिए नई शिक्षा नीति प्रस्तुत की जानी है। मुझे एक पैरा पढ़ने की अनुमति दी जाए। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं। मैं संतुष्ट नहीं हूं। स्वीकार नहीं किया जाता है।

(**व्यवधान**)

श्री दिनेश गोस्वामी : इसमें लिखा है कि :

"महिलाओं के स्तर में आधारभूत परिवर्तन के माध्यम के रूप में शिक्षा का प्रयोग किया जाएगा।"

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाना है। नहीं। स्वीकार नहीं किया जाता है। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहता।

(**व्यवधान**)

श्री विनेश गोस्वामी : इसमें लिखा है कि :

"राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की महिलाओं को समर्थ बनाने में एक सकारात्मक, मध्यस्थतावादी भूमिका होगी ।"

अध्यक्ष महोदय : इससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री विनेश गोस्वामी : महोदय, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार की नीति क्या है ? यह विधेयक भिन्न नीति अपनाने की अनुमति प्रदान करता है ।

अध्यक्ष महोदय : स्वीकार नहीं किया जाता है ।

[हिन्दी]

श्री वी० तुलसीराम (नगरकरनूल) : अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि स्त्री और पुरुष की चर्चा हो रही है ।

अध्यक्ष महोदय : आज तो सिर्फ स्त्री की चर्चा हो रही है ।

श्री वी० तुलसीराम : दोनों के बीच में कुछ और भी है । वह भी वोटर है, मर्द और औरत के बीच में और भी है, उनके लिए क्या कह रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वह कौन से हैं ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए ।

सभी तीन चरणों के लिए आठ घंटे आबंटित किए गए हैं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने अपने प्रस्ताव का नोटिस दिया है । महोदय, मैं प्रस्ताव रखने की अनुमति चाहता हूं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती है । इसे स्वीकार नहीं किया गया है । यह कालातीत हो गया है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : स्वीकार नहीं किया जाता है ।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसका निर्णय सदन द्वारा किया जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय : कालातीत। नहीं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : उसने नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। पूरे एक दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। चटर्जी महोदय, पूरे एक दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। अब कोई प्रश्न नहीं उठाया जाए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप क्या चाहती हैं। मेरी बड़ी बहन आप क्या फर्मा रही हैं, बोलिए, आपकी बात सुननी पडेगी।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, इस विधेयक द्वारा संविधान के बहुत से अनुच्छेदों का उल्लंघन किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : वह तो हम पहले ही कह चुके हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : यह भेदभावपूर्ण है।

(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी : इसे न्यायालय रद्द कर देगा। संसद के लिए यह उचित नहीं है कि वह इस विधेयक को पास करे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांति बनाए रखें। इस विधेयक के तीन चरणों के लिए 8 घंटे आवंटित किए गए हैं। अगर सभा सहमत हो तो 5 घण्टे आम चर्चा के लिए; 2 घंटे खंड-वार विचार के लिए और एक घंटा तृतीय वाचन के लिए रखा जा सकता है।

अब श्री सेन।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप धर्मनिरपेक्षता पर चोट कर रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब श्री सेन बोलेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। केवल श्री सेन बोलेंगे।

विधि और न्याय मंत्री (श्री ए० के० सेन) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि उन मुस्लिम स्त्रियों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए जिनका उनके पति द्वारा विवाह विच्छेद हो गया है या जिन्होंने अपने पति से विवाह विच्छेद प्राप्त कर लिया है और उससे संबद्ध और अनुषंगी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

महोदय, इस विधेयक का एक इतिहास है।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : इस विधेयक का दुखद इतिहास है।

डा० वसा साम्रंत : महोदय, क्या किसी धर्मनिरपेक्ष और एक राष्ट्र में ऐसा करना उचित है। **(व्यवधान)**

श्री ए० के० सेन : क्या यह सब व्यवस्था सम्बन्धी व्यवस्था के प्रश्न हैं। यदि हैं तो हम इनका जवाब देंगे। **(व्यवधान)**। व्यवधान के बीच न तो व्यवस्था का प्रश्न होता है और न ही कुछ प्राप्त होता है। अध्यक्ष महोदय, यह मेरा निवेदन है। **(व्यवधान)**। इस विधेयक के कारणों को सुनने के लिए तैयार न होना इनकी अनिच्छा को प्रदर्शित करता है और हम यहां पर····· **(व्यवधान)**! अगर आप खुले दिमाग से सुनेंगे तो कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सभा में शांति बनाए रखिए। हमें सुनना चाहिए। दोनों पक्ष की सुनें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप वह भी बताइए।

श्री ए० के० सेन : शुरू में 1898 में सर फिट्सजैम्ज ने एक विधेयक पेश किया था जिसे 1898 की दंड प्रक्रिया संहिता के रूप में अधिनियमित किया गया था। इसमें एक उपबन्ध था, धारा 488 जिसे सर फिट्सजैम्ज ने आवारागर्दी के लिए बनाया गया उपबन्ध कहा था और इसका उद्देश्य कुल मिलाकर यह था कि अगर पत्नी अपना निर्वाह नहीं कर सकती अथवा अगर किसी पुरुष के बच्चों की देखभाल नहीं हो रही तो दंड न्यायालय में संक्षिप्त प्रक्रिया की जा सकती थीं जिसके अनुसार पति को रख रखाव के लिए पत्नी और बच्चों को राशि देनी पड़ती थी जो 500 रु० से अधिक नहीं होती थी। उस समय यह जिम्मेदारी केवल पत्नी के लिए थी पहली पत्नियों के लिए नहीं। मुझे आशा है कि यह जो टीका-टिप्पणी चल रही है कि यह बंद होगी और यह जानने की कोशिश की जाएगी कि इस विधेयक को लाने के कारण·····**(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक निवेनन करना है। यह बहुत ही गंभीर मामला है और हम विधि मंत्री को पूरे ध्यान से सुनना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि शोर शराबा हो! **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : शांति ! शांति बनाए रखिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब विधि मंत्री एक प्रोफेसर नहीं बल्कि विधि मंत्री के रूप में अपना भाषण जारी रखें ।

प्रो० संफुद्दीन सोज : महोदय, यह बहुत ही गंभीर मामला है और हम विधि मन्त्री को पूरे ध्यान से सुनना चाहते हैं । कम से कम मैं नहीं चाहता कि किसी प्रकार का व्यवधान हो ।

(व्यवधान)

श्री ए० के० सेन : महोदय, वह धारा केवल पत्नियों पर लागू होती थी और जो अब पत्नी नहीं रहीं उन पर लागू नहीं होती थी । वर्ष 1973 में जब दण्ड प्रक्रिया संहिता पारित की गई इसे दो धाराओं में—धारा 125 और 127, धारा 127 की उपधारा (3) सहित पास किया गया । धारा 125 में पहली बार व्याख्या को जोड़ा गया जिसके अनुसार पत्नी में, पहली पत्नी, वह पत्नी जिसे तलाक दे दिया गया है, भी शामिल है । इस प्रकार, पहली बार तलाकशुदा पत्नी के रखरखाव की जिम्मेदारी दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार तलाक देने वाले पति पर डाली गई । निर्वाह भत्ता दिये जाने संबंधी कानून के अनुसार है, ईसाइयों के लिए भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, हिन्दुओं के लिए हिन्दू विवाह अधिनियम और मुसलमानों के लिए उनकी स्वयं विधि के अनुसार । जहां तक हिन्दुओं की बात है, हिन्दू विवाह अधिनियम में तालाक जैसी कोई व्यवस्था नहीं है और इस प्रकार एक बार अगर कोई पुरुष महिला से विवाह करता है तो वह हमेशा उसकी पत्नी रहती है और उसके निर्वाह की जिम्मेदारी भी उसी की रहती है ।

एक माननीय सदस्य : यह तो नई खोज है ।

श्री ए० के० सेन : यह बहुत नई खोज है कि पत्नी विवाह के बाद ही पत्नी बनती है । इसके लिए मैं आभारी हूं ।

अध्यक्ष महोदय : वह उसी व्यक्ति की पत्नी रहती है ।

श्री के० वी० शंकर गौडा (मांड्या) : अब ऐसा नहीं होता । यह तो पुरानी बात है । मुझे खेद है कि वह हमें यहां नई बात सिखा रहे हैं **(व्यवधान)** ।

श्री ए० के० सेन : हमने बिना विवाह की पत्नी के बारे में सुना । अगर माननीय सदस्य को उनकी जानकारी है तो मैं उन से पता पूछना चाहूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको साथ·····

श्रीमती गीता मुखर्जी : इनका कहना है कि यह खतरनाक होगा ।

प्रो० मधु दंडवते : यह तो फालतू समय की बात है।

श्री ए० के० सेन : मुझे एक बार यह बताया गया था, श्रीमती मुखर्जी की जानकारी के लिए, कि पुरुषों की कोई उम्र नहीं होती। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : गीता जी, यह तो पूरी तरह पुरुषों के फायदे की बात हुई।

श्रीमती गीता मुखर्जी : इस विधेयक में भी तो यही है, हम भी तो यही कह रहे हैं।

डा० दत्ता० सामन्त : इसीलिए, यह समस्या आ रही है।

श्री ए० के० सेन : पुरुष के लिए कोई इद्दत नहीं है।

महोदय, उस सांविधिक संरक्षण जो धारा 121, उपधारा (3) के अन्तर्गत था के साथ इस व्याख्या को जोड़ा गया। जब इस मामले पर संसद में चर्चा हुई, तो गृह राज्य मंत्री ने मुसलमानों की ओर से उठाई गई आपत्तियों के बारे में यह कहा कि पिछली पत्नी के रख रखाव की जिम्मेदारी केवल इद्दत अवधि तक रहती है, उसके पश्चात् यह जिम्मेदारी उसके अपने परिवार की हो जाती है। अगर पति 'स्वयि विधि' के अनुसार अपना दायित्व पूरा करता है अर्थात विवाह के समय तय किए गए मेहर का भुगतान करता है, पत्नी की संपत्ति उसे दे देता है और इद्दत की अवधि में रख-रखाव के लिए पैसा देता है तो उस पर इद्दत के पश्चात् रखरखाव के लिए पैसा दिए जाने की जिम्मेदारी नहीं डाली जानी चाहिए, और जो उत्तर दिया गया था—उस पर चर्चा की जा सकती है और श्री बनातवाला ने जब शुरू में अपना विधेयक पेश किया था तो इस पर विस्तार से कहा··· (**व्यवधान**)।

श्री पी० कुलन्दई वेलू : श्री बनातवाला क्या इसके विशेषज्ञ हैं।

श्री सत्यगोपाल मिश्र (तामलुक) : यह पुनः सांप्रदायिकता के सामने झुकने वाली बात हुई।

श्री ए० के० सेन : मैं यह कह रहा था कि यह श्री बनातवाला ने उद्धृत किया था। यह उनका अपना भाषण नहीं था। उन्होंने वह उद्धृत किया था जो सरकार से प्राप्त हुआ था।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : आप उनसे सबक सीखिए।

श्री ए० के० सेन : महोदय, अब अगर माननीय सदस्य बोलेंगे तो हम भी ऐसा ही बर्ताव करेंगे। अगर हर समय शोरगुल होता रहा तो दोनों तरफ से ऐसा हो सकता है·····(**व्यवधान**)

श्री नारायण चौबे : महोदय, मंत्री जी हमें डरा रहे हैं।

श्री ए० के० सेन : यह खेल खेला जा रहा है···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए यह सब क्या है?

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छी बात नहीं है। आप अपने मेम्बर्स को रोकिए।

[अनुवाद]

यह अच्छा तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ममता जी आप बैठिए। देखिए यह बात अच्छी नहीं है। आप अपनी बात सुनिए और वे अपनी बात कहें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : दोनों पक्षों को अपनी बात कहनी चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : सर, ये तो इद्दत तक चलेगा। (व्यवधान)

तीन महीने का पीरियड है।

अध्यक्ष महोदय : प्लीज आप जल्दी करिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बीच में इण्टरप्ट मत करिए।

श्री ए० के० सेन : जो माननीय सदस्य अभी हाल ही में आए हैं उनकी तो कोई बात नहीं लेकिन जो यहां वर्षों से हैं उन्हें भी यह बताना होगा कि उत्तर क्या है और इसका एक समय और स्थान होता है। जब लगातार बहस हो रही हो तो किस प्रकार उत्तर दिया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया जारी रखिए। हम इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करें।

श्री ए० के० सेन : सरकार यह चाहती है कि कोई भी मुसलमान इससे परेशान न हों चूंकि धारा 127 (3) के अनुसार अगर व्यक्ति 'स्वीय विधि' के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन करता है तो धारा 125 लागू नहीं रहेगी। बात यह है। इस प्रकार इसकी सिविल प्रक्रिया संहिता में यह उपबन्ध पहले ही है जिसके अनुसार सम्बन्धित पति की 'स्वीय विधि' धारा 125 के लागू करने के सम्बन्ध में निर्धारक था और इस प्रकार अगर कोई हिन्दू हिन्दू विवाह अधिनियम के

अनुसार तलाक के समय निर्वाह भत्ते के रूप में जो कुछ दिए जाने का आदेश दिया गया है उस का भुगतान करता है तो उस पर आगे धारा 125 के द्वारा बोझ नहीं डाला जाएगा। ऐसा ही किसी ईसाई अथवा मुसलमान के मामले में होगा। अब यह समझा गया था कि यह इस आशंका का पूर्व उत्तर है कि धारा 125 पूर्व पति को उसकी पूर्व पत्नी के लिए निर्वाह भत्ता देने के दायित्व को निर्धारित कर मुस्लिम स्वीय विधि के बहुत महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित कर रही है। लेकिन मामला.....

श्री पी० कुलनवईवेलू : कहीं भी यह नहीं बताया गया है कि यह हिन्दू विधि है या मुस्लिम।

श्री ए० के० सेन : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को उत्तर देने का अधिकार है और उन्होंने नियमों को पढ़ा है, मैं मानता हूं और नियमों के अनुसार वह बार बार 'जैकपोट' की तरह खड़े नहीं हो सकते। (**व्यवधान**) यह प्रश्न उभर कर तब सामने आया जब मामला उच्चतम न्यायालय के सामने आया जिसे अब सभी लोग शाह-बानों का मामला कहते हैं जिसमें एक महिला ने अपने पति के विरुद्ध मुकदमा दायर किया था और उससे तलाक के बाद उसने धारा 125 के अन्तर्गत निर्वाह भत्ता के लिए दावा किया और न्यायालय.....

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : नहीं। तलाक के बाद नहीं। तोड़-मरोड़ कर बात कहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : आपको सच बोलना चाहिए। उन्हें तलाक नहीं दिया गया था। उन्हें घर से निकाल दिया गया था। तत्पश्चात् वह न्यायालय गई थीं।

श्री ए० के० सेन : यदि माननीय सदस्य बीच में न बोलें, तो मैं उन्हें तथ्य बताऊंगा।

श्री वासुदेव आचार्य : यह सच नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह गलत तथ्य क्यों दे रहे हैं? वह सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री ए० के० सेन : यदि..... (**व्यवधान**)

श्री पी० कुलनवईवेलू : महोदय, वह तमिल में कुछ कह रहे हैं जो कि असंसदीय है।

अध्यक्ष महोदय : जो असंसदीय है उसे शामिल नहीं किया गया है।

(**व्यवधान**)

श्री पी० कुलनवईवेलू : आप इसकी अनुमति क्यों दे रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है। मैंने कहा है कि.....

श्री पी० कुलनवईवेलू : वह तमिल में बोलते हैं। उन्होंने कुछ असंसदीय कहा है। इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है?

अध्यक्ष महोदय : श्री कुलनदईवेलू, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। जो असंसदीय है वह नहीं कहना चाहिए और जो असंसदीय है उसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाता है। मैं नहीं जानता कि क्या कहा गया है। लेकिन यदि यह असंसदीय है, तो मैं इसका अनुवाद करवाऊंगा और उसे देखूंगा।

अब एक बात और·····कृपया बैठ जाइए।

1·00 म० प०

श्री वासुदेव आचार्य : उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी को अपशब्द कहने की अनुमति नहीं दूंगा। किसी को अपशब्द कहना स्वयं के लिए अपशब्द कहना है। किसी को कुछ कहने के लिए उसके उद्देश्य उसकी गरिमा और निष्ठा को देखना चाहिए।

अब मैं इस विषय को जो देख रहा हूं वह विवादात्मक हो सकता है। हो सकता है कुछ लोग इसे ठीक न समझें। कुछ इसे ठीक भी समझ सकते हैं। वह उनका दृष्टिकोण है क्योंकि यह लोकतन्त्र है। प्रश्न यह है कि क्या होना चाहिए और बहुसंख्यक की इच्छा को माना जाना चाहिए और जिससे अन्य भी सहमत हों वह होना चाहिए। कृपया चिन्ता न करें। जो आप कहना चाहते हैं, कहिए। वह आप इस सभा में कह सकते हैं। मैं इसके लिए आपको पूरा अवसर दूंगा। लेकिन बीच में मत बोलिए। वाद-विवाद चलने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री नारायण चौबे : महोदय, अब मध्यान्ह भोजन का समय हो गया है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्ति। कृपया चिल्लाइए नहीं। अन्यथा मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो मैं नहीं चाहता। मैंने इनका कभी भी प्रयोग नहीं किया है और मैं इनका प्रयोग करना भी नहीं चाहता। लेकिन मेरी उदारता का अनुचित लाभ न उठाएं। हर चीज की सीमा होती है। मैं चाहता हूं कि आप सब बहुत ही प्रसंगानुकूल, ठोस और बहुत ही रचनात्मक ढंग वाद-विवाद में भाग लें। आप जो कहना चाहते हैं, कह सकते हैं।

अब, मंत्री महोदय मैं चाहता हूं कि आप स्पष्ट बोलिए और तथ्य सामने रखिए।

श्री ए० के० सेन : मैं हमेशा स्पष्ट बात करता हूं और कोई दबाव मुझे विचलित नहीं करेगा।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : आपने कहा है कि बहुसंख्यक निर्णय करेंगे और सही गलत को बताना आवश्यक नहीं है।

श्री ए० के० सेन : मैंने जो कहा है, ठीक है। जब उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था,

उसका पहले ही तलाक हो चुका था। उच्चतम न्यायालय के सामने यह मुद्दा नहीं था कि क्या तलाकशुदा पत्नी को पति से निर्वाह भत्ता मिलना चाहिए अथवा नहीं·····(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मामला उच्चतम न्यायालय में कौन ले गया था। ?···(व्यवधान)

वह फिर सभा को गुमराह कर रहे हैं···वह पुनः गलती कर रहे हैं। वह नहीं जानते।

श्री ए० के० सेन : वह नहीं जानते।

प्रो के० के० तिवारी (बक्सर) : इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य का व्यवहार बहुत संदेहजनक है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे कहने दीजिए।

प्रो के० के० तिवारी : मैं तो आपकी बात हमेशा मानता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : 'श्री चौधरी' कृपया आप सीमा में रहिए और उचित बात की जानी चाहिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : सदन में गलत बात कही जा रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह कहना है कि·····

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या इस संसद की कोई गरिमा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्री चौधरी, कृपया अपना संतुलन मत खोइए। मैं एक बात और कहना चाहूंगा। यदि आप के सामने ऐसी चीज है जिससे आप सहमत नहीं हैं अथवा आप कहते हैं कि यह सच नहीं है, तो मैं आपको उसके लिए कहने के लिए समय दूंगा। लेकिन कृपया बीच में मत बोलिए अन्यथा, मुझे कुछ करना पड़ेगा·····

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को एक दूसरे से बात नहीं करनी चाहिए। उन्हें अध्यक्ष को संबोधित करना चाहिए।

श्री ए० के० सेन : जैसाकि मैंने कहा है कि मामला उच्चतम न्यायलय में उभर कर सामने आया था, जहां प्रश्न यह था कि क्या किसी पत्नी को जिसे मुस्लिम पति द्वारा तलाक दे दिया गया है उसे इद्दत की अवधि के बाद भी निर्वाह भत्ता दे दिया जाना है। उच्चतम न्यायालय के सामने यह सारा प्रश्न था। मैं उसे बढ़ा-चढ़ाकर नहीं कह रहा हूं कि मामला कब दायर किया गया

था। मैं मामले के संबंध में संक्षेप में कहने का प्रयत्न कर रहा हूं, न कि इधर-उधर की बात करके बढ़ाने का। माननीय सदस्य जानते हैं कि मुझे मालूम है कि कैसे अपना मामला रखना है। इसे अपनी तरह से रखने दें·····

अध्यक्ष महोदय : कृपया मामले को चलने दीजिए। लेकिन आप पुनः अपनी बात से हट रहे हैं।

श्री ए० के० सेन : उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया है—

न्यायालय ने कहा है कि यह सच है कि मुस्लिम कानून में इद्दत की अवधि के दौरान पति का उसकी तलाकसुदा पत्नी के भरण पोषण का दायित्व रहता है। लेकिन जहां तलाक के समय पत्नी असहाय होती है वहां मुस्लिम कानून का दंड प्रक्रिया सहिता की धारा 125 से कोई विरोध नहीं है। उन्होंने कुशल और विद्यमान अधिनियमों से उदाहरण दिए हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि धारा 127 (3) में यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति रीति-रिवाज संबंधी कानून अथवा स्वीय कानून के अन्तर्गत अपने दायित्व को निभाता है, उसे दायित्व से मुक्त किया जाना चाहिए और धारा 125 एक मुस्लमान पति को जिसने अपनी पत्नी को तलाक दिया है, यदि पत्नी असहाय है, तो इद्दत की अवधि के बाद भी उसे निर्वाह-भत्ता देने से मुक्त नहीं करती। यह बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस स्थिति को स्वीकार किया है कि मुसलमान पति का दायित्व इद्दत की अवधि तक है। लेकिन उन्होंने कहा है कि यदि पत्नी असहाय है, तो यह दायित्व इद्दत की अवधि के बाद भी रहता है। वह उसे यहीं पर समाप्त नहीं करते। उन्होंने कुछ और भी कहा है। मैं समझता हूं मुसलमानों के मस्तिष्क पर काफी प्रभाव डाला है जो इस देश में अल्पसंख्यओं में सबसे अधिक, 14 करोड़ हैं। यह विचार संविधान के अनुच्छेद 44 से संबन्धित है। यदि मैं संविधान का अनुच्छेद 44 पढ़ूं जो कि निदेशक सिद्धान्तों के अन्तर्गत है·····

प्रो० मधु दंडवते : यह रेड बुक है।

श्री ए० के० सेन : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य बहुत खुश होंगे।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : यह दुःख की बात है कि आप अप्रसन्न होंगे।

श्री ए० के० सेन : संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि :

"भारत के समस्त राज्य-क्षेत्र में नागरिकों के लिए राज्य एक समान व्यवहार संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।"

और निर्णय करने के बाद कि 125 कुरान और शरीयत कानून का उल्लंघन नहीं करता उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने खेद के साथ यह बात नोट की है कि सरकार सभी समुदायों के लिए एक समान कानून बनाने के अपने कर्तव्य में असफल रही है जिसका तात्पर्य यह है कि अनुच्छेद 44 के अन्तर्गत जो समान संहिता बनानी होगी वह संविधान के अनुच्छेद 44 के इतिहास को भुलाकर सभी

समुदायों पर लागू होगी। आपको याद होगा कि यह मामला यहां किस प्रकार उठाया गया, चर्चा की गई और अनुच्छेद 44 के बारे में हमने अपने विचार व्यक्त किए। यदि मैं अनुच्छेद 44 के इतिहास के बारे में और जो कुछ उस समय कहा गया उसे एक बार पुनः दोहराऊं तो यह प्रासंगिक होगा। जब संविधान का अनुच्छेद 44 पुरःस्थापित किया गया था तो प्रारूप संविधान में यह अनुच्छेद 35 था और इस आशय की, विशेष रूप से मुसलमानों द्वारा भारी आशंका व्यक्त की गई थी कि इससे विभिन्न समुदायों की स्वीय विधि पूर्ण रूप के निष्प्रभावी हो जाएगी। यदि यह मंशा हो कि सभी व्यक्तियों पर समान संहिता लागू होगी, तो अल्पसंख्यक समुदाय को इस पर आपत्ति होगी। डा० अम्बेडकर ने एक विचार व्यक्त किया था, जिसका अधिकार के साथ हर जगह उल्लेख किया जाता है और इसी की उच्चतम न्यायालय द्वारा अनदेखी कर दी गई है। डा० अम्बेडकर ने कहा था कि मुसलमानों की आशंकाएं और संविधान सभा में किए गए संशोधन इस आशंका पर आधारित थे कि इस सिद्धांत के द्वारा कोई ऐसी संहिता तैयार की जायेगी जो सभी समुदायों पर लागू होगी। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई विधि समान रूप से लागू किया जाना एक अलग बात है और यह सम्बन्धित समुदायों की सहमति से ही किया जा सकता है तथा सम्बन्धित समुदायों पर तब तक स्वीय विधि लागू होगी जब तक कि वे उसे त्यागने का निर्णय नहीं लेते। उन्होंने कहा था कि केवल विवाह और उत्तराधिकार के क्षेत्र में स्वीय विधि लागू है। शेष मामलों में अनुबंध के लिए, सम्पत्ति के हस्तांतरण के लिए तथा दीवानी और फौजदारी प्रक्रिया जैसे अन्य सभी बातों के लिए समान संहिता है। इसलिए यदि मैं विशेष रूप उसे पढ़ूं, क्योंकि इसकी उस समय अनदेखी नहीं की गई जब धर्म निरपेक्षता तथा संविधान के अन्य महान सिद्धांतों के बारे में इन सभी भुलाए जा रहे प्रश्नों को उठाया जाता है। डा० अम्बेडकर ने कहा था :

"मेरे मित्र हुसैन इमाम ने इन संशोधनों का समर्थन हुए करते हुए·····।"

प्रारूप संविधान में अनुच्छेद 35 में संशोधन करने का आशय उन्हें स्वीय विधि के अंतर्गत लाना था।

"···पूछा कि क्या हमारे जैसे विशाल देश के लिए समान कानून संहिता बनाना संभव और वांछनीय है। अब मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मैं उस वक्तव्य पर बहुत आश्चर्यचकित हूं क्योंकि हमारे देश में मानवीय सम्बन्धों के लगभग प्रत्येक पहलू के लिए समान कानून संहिता है।"

उसके बाद वह सम्पत्ति आदि के बारे में कहते हैं।

"दीवानी कानून अब तक जिस पहलू पर लागू नहीं होता है वह है विवाह और उत्तराधिकार।"

हिन्दू विवाह के सम्बन्ध में यह बाद में लागू हुआ। अब हम अपने उत्तराधिकार और विवाह के सम्बन्ध में हिन्दू उत्तराधिकार और हिन्दू विवाह अधिनियम से शासित होते हैं। तत्पश्चात

उन्होंने अपने भाषण के अन्त में निम्नलिखित कहा, जिसे अल्पसंख्यकों का महान चार्टर बताया गया। उन्होंने कहा :

> "मेरा दूसरा कथन उनको आश्वासन देना है। मैं इस मामले में उनकी भावनाओं को अच्छी तरह समझता हूं परन्तु मेरे विचार से उन्होंने अनुच्छेद 35 को कहीं अधिक माना है, जिसमें केवल यह व्यवस्था है कि सरकार को इस देश के नागरिकों के लिए सिविल संहिता बनानी चाहिए। इसमें यह व्यवस्था नहीं है कि संहिता बनाने के बाद सरकार इसे सभी नागरिकों पर केवल इसलिए लागू करे, क्योंकि वे देश के नागरिक हैं। यह बिल्कुल संभव है कि भावी संसद यह प्रावधान कि संहिता केवल उन्हीं पर लागू होगी जो यह घोषणा करते हैं कि वे इस कानून को मानने के लिए तैयार हैं, एक शुरूवात कर सकता है, ताकि शुरू-शुरू में संहिता को स्वेच्छा के आधार पर लागू किया जा सके।"

इसलिए उन्होंने कहा कि विशेष विवाह अधिनियम जैसा कानून, अन्य विभिन्न कानूनों की तरह प्रत्येक उस व्यक्ति पर समान संहिता के रूप में लागू हो सकता है जो इसके अन्तर्गत आना चाहें। उदाहरण के लिए कोई भी मुसलमान अथवा हिन्दू अथवा ईसाई रजिस्ट्रार के पास जाकर घोषणा कर सकता है कि वह विशेष विवाह अधिनियम के उपबन्धों द्वारा शासित होना चाहता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप किसी हिन्दू को विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वैदिक विवाह अभी भी होते रहेंगे जो हिन्दू विवाह अधिनियम के द्वारा संहिताबद्ध रूप में स्वीय विधि से शासित होते हैं। यही बात मुसलमानों के साथ है।

इसलिए जब हम अनुच्छेद 44 के बारे में बात करते हैं, जैसाकि उच्चतम न्यायालय ने मत व्यक्त किया है कि सरकार समान संहिता प्रदान करने में असफल रही है, वह इस बात को भूल गई है कि प्रत्येक व्यक्ति अभी भी अपनी स्वीय विधि से शासित होता है, सिवाए इसके कि विशेष विवाह अधिनियम की तरह हो सकता है उनके लिए समान संहिता हो। इससे मुसलमानों के मस्तिष्क में भारी आशंका पैदा हो गई है जिसकी अभिव्यक्ति अनुच्छेद 44 के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के दौरान सदन में भी देखने को मिली।

हमने अपना स्पष्टीकरण दिया था जिससे मेरे विचार से उस समय अल्पसंख्यक संतुष्ट हो गए थे। जब यह स्थिति थी तो सरकार देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय की इस आशंका के प्रति विमुख नहीं रह सकती थी, कि यदि धारा 125 का यह अर्थ लगाया गया तो पति पर इद्दत की अवधि समाप्त होने के बाद पत्नी के गुजारे की जिम्मेदारी आ जाती है और पत्नी के सम्बन्धी इस जिम्मेदारी से पूर्ण तौर पर मुक्त हो जाते हैं, जो उनके अनुसार एक ऐसी बात है जो शरीमत मुस्लिम स्वीय विधि के बिल्कुल विपरीत है।

जहां तक मुसलमानों का सम्बन्ध है, तो क्या हम उस विधि से शासिल होंगे जिसे वे अपना स्वीय विधि समझते हैं अथवा हम उन लोगों की भावनाओं से शासित होंगे जो सोचते हैं कि धर्म निरपेक्षता की यह मांग है कि सभी व्यक्तियों के साथ एक सी ही विधि होनी चाहिए ? मैं दूसरे पक्ष के

अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय के माननीय सदस्यों की उच्च भावना और उदार दृष्टिकोण को सकझता हूं। परन्तु सरकार मुसलमानों के भारी बहुमत की आवाज की अनदेखी नहीं कर सकती।

हमने उस बात को समझने के लिए, जो मुस्लिम कानून के अनुसार किसी तलाकशुदा महिला के पति का दायित्व है जब पति और पत्नी दोनों ने मुस्लिम कानून के अनुसार विवाह किया हो और वे इसके सिद्धांतों से शासित होते हों, उसका व्यापक अध्ययन और अनुसन्धान करने पर आठ महीने का समय लगाया है। अध्ययन से पता चला है मिस्र, ट्यूनिशिया तथा अन्य जैसे कुछ मुस्लिम देशों को छोड़कर अधिकांश मुस्लिम देशों में ऐसा ही कानून है जैसाकि हमने विचाराधीन विधेयक में रखा है।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : पाकिस्तान के बारे में क्या है ?

श्री ए० के० सेन : पाकिस्तान के बारे में अधिनियम 1898 की धारा 488 पढ़िए। इसमें कहा गया है कि केवल इद्दत की अवधि तक की जिम्मेदारी है।

एक माननीय सदस्य : लीबिया के बारे में क्या है ?

श्री ए० के० सेन : महोदय, ईरान और अफगानिस्तान सहित ऐसा कानून है कि उस पत्नी के निर्वाह की जिम्मेदारी पति पर है जिसे वह इद्दत की अवधि समाप्त हो जाने के बाद तलाक देता है। इद्दत की अवधि उस समय लचीली बन जाती है जब सम्बन्धित महिला तलाक के समय गर्भवती हो अथवा उसके पहले ही उस पति से हुए बच्चे हैं जो तलाक दे रहा है और वे बच्चे तलाक के समय नाबालिग हैं। इद्दत की परिभाषा दी है। जो कि मुस्लिम कानून के अनुसार है। मैंने मुस्लिम कानून के प्रत्येक पाठ का अध्ययन किया है ताकि इस बात का पता लग सके कि क्या इस मामले में इसकी परिभाषा मुस्लिम व्याख्या के अनुरूप है।

इस मामले में मुस्लिम कानून का आधारभूत सिद्धान्त क्या है ? हमें इसे मुस्लिम दृष्टिकोण से देखना चाहिए न कि उस दृष्टिकोण से जो कि हमारे अनुसार वहां होना चाहिए। आपको चाहिए कि आप एक मुस्लिम की दृष्टि से इस मामले को देखें और फिर यह पता लगाएं कि मुस्लमान किस कानून से शासित होते हैं, और जो उनके अनुसार केवल व्यक्ति द्वारा नहीं बनाया गया है वरन् भगवान से प्राप्त हुआ है। यह मुसलमानों का विश्वास है। (**व्यवधान**)

यह हंसने की बात नहीं है। मुझलमानों के लिए यह विश्वास है। जो कुरान में लिखा है वह भगवान का कानून है।

श्री दिनेश गोस्वामी : यह कानून बनाकर आज आप भगवान का स्थान क्यों ग्रहण कर रहे हैं। इसे भगवान पर छोड़ देना चाहिए। मैं समझता हूं कि आप भगवान का स्थान लेकर मुसलमानों की भवनाओं को चोट पहुंचा रहे हैं। इसे भगवान पर छोड़ दो।

श्री ए० के० सेन : श्री गोस्वामी के बजाय मुसलमानों को अपनी भावनाएं व्यक्त करने दें।

एक माननीय सदस्य : यह बहुत ही खतरनाक भावना है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : उनके साथ बहस न करें। इस पर बहस समाप्त करने दें। इसे संक्षिप्त करें।

श्री ए० के० सेन : मुसलमानों की स्वीय विधि पर उनके विचार जानना हमारा फर्ज है और इस मामले में उनकी बात को अधिक महत्व दिया जाएगा बजाय उनके जो उनके लिए उस समय तक बोलते हैं जब तक कि उनका वोट प्राप्त होता है।

मुसलमानों का विवाह और तलाक संबंधी कानून इस प्रकार है। यह हमारा विचार है और मुस्लिम समुदाय के जो लोग यहां हैं वे इससे सहमत होंगे। इसके अनुसार विवाह एक करार है। यह पवित्र संस्कार नहीं है। मुसलमानों में एक महिला का विवाह अन्नत काल तक नहीं होता जैसाकि हिन्दुओं में होता है और जैसाकि प्राचीन काल में कैथोलिकों में होता था कि जब एक महिला किसी पुरुष से विवाह कर लेती थी तो वह उस पुरुष की अन्नत काल तक पत्नी रहती थी और एक पुरुष जब किसी महिला से विवाह करता था तो वह उस महिला का अन्नत काल तक पति रहता था। उस समय तलाक नाम की कोई चीज नहीं थी। परन्तु मुसलमान तलाक से परिचित थे और वे केवल परिचित ही नहीं थे बल्कि तलाकशुदा महिला को कोई कलंक नहीं लगता था। बल्कि पत्नी को तलाक देने वाले पति का यह नैतिक दायित्व होता था कि वह इस बात का पूरा ध्यान रखे कि तलाक के बाद उस महिला का अच्छी तरह विवाह हो। यह अवधारणा शायद उस समय क्रांतिकारी थी और जो मुसलमान नहीं थे हो सकता है वे इसे घृणास्पद समझते हों। (**व्यवधान**)

आप सुने या मत सुने।

डा० दत्ता समान्त : ऐसी बातों को समझना बड़ा मुश्किल है।

श्री ए० के० सेन : मैं केवल अपनी बात कह सकता हूं। मैं आपको समझ नहीं दे सकता। (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : यह हमारी कल्पना के बाहर है।

श्री ए० के० सेन : अपनी कल्पना को अपने तक ही रखें। (**व्यवधान**)

श्री ए० के० सेन : महोदय, इसके अतिरिक्त मुस्लिम कानून के अनुसार पत्नी और पति बराबर के भागीदार हैं। इसके अतिरिक्त, तलाक होने पर वह उस परिवार में वापस आ जाती है जिससे वह सम्बन्धित होती है। इस्लाम में महिलाओं की दो श्रेणियां हैं, एक वह जो विवाहित हैं

और दूसरी वह जो अविवाहित हैं। यदि एक विवाहित महिला एक परिवार में आती है तो वह पति की पत्नी बन जाती है।

प्रो० मधु दण्डवते : तीसरी श्रेणी कौन सी है ?

श्री ए० के० सेन : मुस्लिम समुदाय में महिलाओं की केवल दो ही श्रेणियां हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं तीसरी श्रेणी के बारे में पूछ रहा हूं।

श्री ए० के० सेन : प्रो० दण्डवते जी आपकी श्रेणी तीसरी श्रेणी है।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, उन्हें इस चर्चा का उपयोग मेरे परिवार में अशांति फैलाने के लिए न करने दें।

श्री ए० के० सेन : अतः, जैसे ही एक महिला को अपने पति से तलाक मिलता है वह इस्लाम की दृष्टि से उसी क्षण अविवाहित बन जाती है और यहां तक कि वह अपने पूर्व पति को छू भी नहीं सकती। यह बात मुझे अनेक माननीय मुस्लिम महिलाओं ने बताई है। उनका कहना है कि पूर्व पति को या उसके द्वारा दिए गए पैसे को भी छूना पाप है। इसी भाषा का उपयोग वहां किया गया है। **(व्यवधान)**

आप सुन रहे हैं या बात ही करेंगे। यदि आप बात करना चाहते हैं तो करते रहिए।

(व्यवधान)

इनकी सुनने की इच्छा नहीं है। ये केवल बात करना चाहते हैं।

यह इस्लाम है। यदि माननीय सदस्य इसका अध्ययन करना चाहते हैं तो मेरे पास आ जाएं, मैं उन्हें सभी पुस्तकें दूंगा और उनमें उन्हें यह मिल जाएगा। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप इसे संक्षिप्त करके समाप्त करें।

श्री ए० के० सेन : अब यदि वह पुनः अविवाहित बन जाती है और अपने परिवार में वापस आ जाती है तो उसके रहन सहन की पूरी जिम्मेदारी उसके पिता या पिता के संबंधियों पर आ जाती है, इस प्रकार एक अविवाहित पुत्री, चाहे वह युवति हुई या नहीं विवाह होने तक पिता की जिम्मेदारी रहती है और तलाक के बाद भी उसका भार पिता पर होता है। यह मुस्लिम कानून में है और मुस्लिम कानून के अनुसार मुस्लिम महिलाओं को यह उचित व्यवहार गारन्टी से निरन्तर मिलता है।

इसके अतिरिक्त और क्या है ? इसके अतिरिक्त यह मान्यता थी कि यदि पिता जीवित नहीं है या गरीब है तो उसकी जिम्मेदारी समुदाय पर आ जाती थी। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही क्रांतिकारी था। मैं कहना नहीं चाहता, परन्तु हमें पता है कि अनेक समुदायों में विधवाओं के

साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। उन्हें समाज की जिम्मेदारी नहीं माना जाता। उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप अपना काम करिए, क्यों इण्टरप्ट कर रहे हैं बीच में। आर्डर, आर्डर, क्यों बात करते हैं, डोंट टाक।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री० ए० के० सेन : यदि मुसलमानों की अपनी स्वीय विधि की यही व्याख्या है, तो यह सरकार का कर्तव्य है कि सरकार इस व्याख्या पर ध्यान दे और उन पर कोई चीज ऐसी न थोपे जो उनके अनुसार पिता या समुदाय या पति पर जिम्मेदारी संबंधी कुरान की व्याख्या के विपरीत हो।

इसलिए विधेयक में तीन परिस्थितियों का उल्लेख है। सबसे पहले इसमें यह कहा गया है कि यदि किसी महिला को उसके पति के द्वारा तलाक दिया जाता है और उन दोनों की शादी मुस्लिम कानून के अनुसार हुई है, तो इद्दत की अवधि की समाप्ति तक उसका भरण-पोषण उसके पति द्वारा किया जाएगा। इद्दत की अवधि की समाप्ति के बाद यह भार उसके पिता, भाई अथवा माता को उठाना पड़ेगा। यदि उसका भाई अथवा उसका पिता अथवा उसकी माता स्वयं निर्धन हैं तो समुदाय उसकी देखभाल करेगा। और समुदाय वक्फ बोर्डों की मार्फत यह सेवा करता है, जो सभी धमार्थ कार्यों की देखभाल करते हैं।

एक माननीय सदस्य : बोर्ड स्वयं दिवालिए हैं। (व्यवधान)

डा० वत्सा सामन्त : महोदय, इससे ज्यादा नहीं सुना जा सकता। क्या इस देश में महिलाओं का कोई आदर नहीं है ? (व्यवधान)

श्री ए० के० सेन : मैं आपको अपने कान बन्द करने के लिए थोड़ी-सी रुई उधार दे सकता हूं। मैं नहीं चाहता कि आप इसे सुनें।

डा० वत्सा सामंत : महोदय, ऐसी बातें सुनने की बजाए वैसा करना ही अच्छा होगा।

श्री ए० के० सेन : मैं रुई दे दूंगा; मैं आपको रुई दे दूंगा। मैं वायदा करता हूं कि मैं आपको इस विधेयक के बाद रुई दे दूंगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शान्त, शान्त।

[हिन्दी]

आप अपनी बात कीजिए।

[अनुवाद]

मंत्री महोदय, क्या आपको अपनी बात समाप्त करने के लिए सभा का इतना ज्यादा समय लेना चाहिए ?

श्री ए० के० सेन : स्थिति ऐसी है। जब हम इस सभा में मुस्लिम समुदाय के सभी प्रतिनिधियों की बात सुन रहे हैं तो माननीय सदस्य जो यह सोचते हैं कि इस सभा में बोलने वाले मुसलमानों की आवाज नहीं सुन सकते हैं जो कि हम·····। **(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। वे ऐसा नहीं कर सकते··· **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप कह लेना, हमारी आवाज है।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। विधि मंत्री मुस्लिम प्रतिनिधियों के बारे में बात करते हैं। वे यह कैसे कह सकते हैं ? इस सभा में कोई व्यक्ति हिन्दू प्रतिनिधि अथवा मुस्लिम प्रतिनिधि नहीं है। **(व्यवधान)** वह सारे देश को साम्प्रदायिक बना रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री वासुदेव आचार्य : महोदय, वे ऐसा कैसे कह सकते हैं ? **(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, आप इस बारे में विनिर्णय दीजिए। **(व्यवधान)**

डा० दत्ता सामन्त : वह ऐसा कैसे कह सकते हैं ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : शान्त··· श्री सामन्त, मुझे आपके खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ेगी। आप हमेशा ऐसा करते हैं। अब आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाइए। कृपया बैठ जाइए। श्री अमर राय प्रधान ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है।

मंत्री महोदय, कोई भी व्यक्ति किसी का भी प्रतिनिधित्व नहीं करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी खुद की आवाज का प्रतिनिधित्व करता है। बात यह है।

(व्यवधान)

कृपया बैठ जाइए।

श्री दत्ता सामन्त : कुछ नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री सामन्त, नैतिक जिम्मेदारी की बात मत कीजिए। यदि आपने दोबारा व्यवधान डाला, तो मैं आपके खिलाफ कार्यवाही करूंगा। इस बारे में काफी हो गया है। काफी हो गया है। अब आप अपना-अपना कार्य करें।

मंत्री महोदय, आप अपनी बात विषय तक सीमित रखें और इसे समाप्त करें।

(व्यवधान)

शान्ति। बैठ जाइए। अपने स्थानों पर बैठ जाइए। काफी हो गया है। सब ठीक है, कृपया बैठ जाइए। अब मंत्री महोदय·····

प्रो० के० के० तिवारी : यह माननीय मंत्री महोदय पर आक्षेप है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिए। जो मैंने कह दिया, कह दिया। अपने स्थान पर बैठ जाइए। सब ठीक है।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं सादर·····। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री तिवारी, आप संरक्षक नहीं हैं। मैं भी उनका आदर करता हूं। मैं भी मंत्री महोदय का उतना ही आदर करता हूं। मैं ऐसा कर रहा हूं, ताकि सब ठीक चले। मैं यह सभी की भलाई के लिए कह रहा हूं। मैंने जो कुछ कहा है उसी की ओर संकेत कर रहा हूं। अब अपने स्थान पर बैठ जाइए।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं आदर के साथ कहना चाहूंगा कि मंत्री महोदय अपने मामले में तर्क दे रहे हैं; उन्हें विषय के बारे में बोलना चाहिए। उन्हें प्रस्तुत विषय पर अपनी बात कहनी चाहिए। पीठासीन व्यक्ति उनकी बात की पुष्टि के लिए तर्क नहीं दे सकते।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, किसी भी बात पर ध्यान मत दीजिए। माननीय सदस्यगण, उनके भाषण में और व्यवधान मत डालिए।

(व्यवधान)

जी हां, मंत्री महोदय, आप अपना भाषण जारी रखिए।

श्री सी० के जाफर शरीफ (बंगलौर उत्तर) : क्या मुझे बोलने का अवसर मिल सकता है? **(व्यवधान)****

अध्यक्ष महोदय : मैं और व्यवधान नहीं चाहता। मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। अब मंत्री महोदय बोलेंगे।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैं अनुमति नहीं देता।

(व्यवधान)**

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री शरीफ, जब आपको समय दिया जाए तभी आप अपनी बातें कहें। आपको समय दिया जाएगा।

श्री ए० के० सेन : बात यह थी; यदि मेरे विचारों में कहीं कोई असंगतता थी·····

अध्यक्ष महोदय : वह भी इस सभा के एक माननीय सदस्य हैं।

श्री ए० के० सेन : यदि मैं कभी विषय से भटक जाऊँ, तो मुझे मेरी गलती बताने के लिए मैं आपका बहुत आभारी होऊंगा। मैं कभी आपत्ति नहीं करूंगा। लेकिन मेरे विचार में मेरे लिए यह बताना संगत था कि ऐसी कोई भी सरकार जो सच्चे मायनों में सरकार है अल्पसंख्यक समुदाय की मांगों को अनसुनी नहीं कर सकती। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाइए अथवा अन्यथा मैं आपके खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : बाराबंकी में क्या हुआ ? (**व्यवधान**)

श्री ए० के० सेन : कितना भी विरोधी क्यों न हो, यह सरकार न्याय संगत हितों की रक्षा करने के अपने रास्ते से कभी नहीं भटकेगी·····(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री चौबे, कृपया ऐसा न करें।

(**व्यवधान**)

श्री नारायण चौबे : मुरादाबाद में क्या हुआ ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री चौबे, यदि आप दुबारा ऐसा करेंगे तो मैं आपको सभा से बाहर चले जाने के लिए कहूंगा। क्या अब आप अपना मुंह बन्द रखेंगे ? काफी हो गया है। आप सभी सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

प्रो० के० के० तिवारी : यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

अध्यक्ष महोदय : यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

(**व्यवधान**)

प्रो० के० के० तिवारी : यह बहुत ही गंभीर मामला है।

श्री ए० के० सेन : मैं अपने दल की वर्तमान सत्ता के बल पर फिर इस बात पर जोर देता हूं कि जब तक यह सरकार है, जब तक कांग्रेस (इ) सरकार सत्ता में है, हमारे हाथों में अल्पसंख्यकों के हित सुरक्षित रहेंगे। (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह एक बहुत अच्छी नेतागिरी है। (**व्यवधान**)

श्री ए० के० सेन : यदि हमने यह सब समय केवल इसी बात का पता लगाने में लगाया होता कि इस विषय में मुसलमानों की स्वीय विधि क्या है, तो यह एक लाभदायक बात होती। हम समझते हैं और सही ही समझते हैं, कि हमने विधेयक में जो कुछ रखा है वह मुसलमानों की ठीक स्वीय विधि को प्रतिबिम्बित करता है। यदि बात ऐसी है तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं है कि जहां तक मुसलमानों का सम्बन्ध है, खण्ड 125 पति पर केवल अपनी तलाकशुदा पत्नि का इद्दत तक भरण-पोषण करने के लिए लागू होगा और इद्दत के बाद उसका पिता और उसके अन्य सम्बन्धी, जैसा कि कुरान में बताया गया है, लड़की का भरण-पोषण करेंगे वह वापस अपने परिवार को भेज दी जाएगी। (**व्यवधान**)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मुझे शंका है।

श्री ए० के० सेन : अब क्यों कि यह कानून का अंग बन गया है इसलिए मैं सदन से सिफारिश करता हूं कि इसे उचित और अत्यधिक सही उपाय के रूप में स्वीकृत किया जाना चाहिए। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि उन मुस्लिम स्त्रियों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए जिनका उनके पति द्वारा विवाह विच्छेद हो गया है या जिन्होंने अपने पति से विवाह विच्छेद प्राप्त कर लिया है और उससे सम्बद्ध और अनुषंगी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सदस्यों ने संशोधनों की सूचनाएं दी हैं। जो सदस्य अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं, वह ऐसा कर सकते हैं।

श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को 16 मई, 1986 तक उस पर राय जानने के लिए परिचालित किया जाये। (8)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि उन मुस्लिम स्त्रियों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए जिनका उनके पति द्वारा विवाह विच्छेद हो गया है या जिन्होंने अपने पति से विवाह विच्छेद प्राप्त कर लिया है और उससे संबद्ध और उसके अनुषंगी विषयों का उपबंध करने वाला विधेयक सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा जाए, जिसमें 17 सदस्य हों, इस सभा से 11 अर्थात् :

(1) श्री सोमनाथ चटर्जी

(2) श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव

(3) श्रीमती विभा घोष गोस्वामी

(4) श्री सैयद मसूदल हुसैन

(5) श्री अब्दुल रशीद काबुली

(6) श्री हन्नान मोल्लाह

(7) श्रीमती गीता मुखर्जी

(8) श्री एस० जयपाल रेड्डी

(9) श्री अशोक कुमार सेन

(10) श्री जायनल अबेदिन

(11) श्री सैफुद्दीन चौधरी

और राज्य सभा से 6;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की समस्त संख्या का एक तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को आगामी सत्र के प्रथम दिन तक प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों के सम्बन्ध में इस सभा के प्रक्रिया संबंधी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष करे; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले 6 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।" (9)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि उन मुस्लिम स्त्रियों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए जिनका उनके पति द्वारा विवाह विच्छेद हो गया है या जिन्होंने अपने पति से विवाह विच्छेद प्राप्त कर लिया है और उससे सम्बद्ध और उसके अनुषंगी विषयों का उपबन्ध करने वाला विधेयक सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा जाए, जिसमें 15 सदस्य हों, इस सभा से 10 अर्थात् :

(1) श्री सोमनाथ चटर्जी

(2) श्री सैफुद्दीन चौधरी

(3) प्रो० मधु दण्डवते

(4) श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव

(5) श्रीमती विभा घोष गोस्वामी

(6) श्री अब्दुल रशीद काबुली
(7) श्री हन्नान मोल्लाह
(8) श्रीमती गीता मुखर्जी
(9) श्री एस० जयपाल रेड्डी
(10) श्री जायनल अबेदिन

और राज्य सभा से 5,

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की समस्त संख्या का एक तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को आगामी सत्र के प्रथम दिन तक प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों के सम्बन्ध में इस सभा के प्रक्रिया सम्बन्धी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष करे; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले 5 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।" (36)

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को 12 नवम्बर, 1986 तक उस पर राय जानने के लिए परिचालित किया जाए।" (45)

श्री जायनल अबेदिन (जंगीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को 31 जुलाई, 1986 तक उस पर राय जानने के लिए परिचालित किया जाए।" (47)

श्री मानिक साम्याल (जलपाईगुड़ी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को 11 अगस्त, 1986 तक उस पर राय जानने के लिए परिचालित किया जाए।" (48)

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को 25 नवम्बर 1986 तक उस पर राय जानने के लिए परिचालित किया जाए।" (49)

श्री एच० ए० डोरा (श्रीकाकुलम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को 16 जून, 1986 तक उस पर राय जानने के लिए परिचालित किया जाए।" (50)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि उन मुस्लिम स्त्रियों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए जिनका उनके पति द्वारा विवाह विच्छेद हो गया है या जिन्होंने अपने पति से विवाह विच्छेद प्राप्त कर लिया है और उससे सम्बद्ध और उसके अनुषंगी विषयों का उपबन्ध करने वाला विधेयक सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा जाए, जिसमें 16 सदस्य हों, इस सभा से 11 अर्थात् :

(1) श्री सोमनाथ चटर्जी

(2) श्री सैफुद्दीन चौधरी

(3) प्रो० मधु दण्डवते

(4) श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव

(5) श्रीमती विभा घोष गोस्वामी

(6) श्री अब्दुल रशीद काबुली

(7) श्री हन्नान मोल्लाह

(8) श्रीमती गीता मुखर्जी

(9) श्री एस० जयपाल रेड्डी

(10) श्री अशोक कुमार सेन

(11) श्री जायनल अबेदिन

और राज्य सभा से 5;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की समस्त संख्या का एक तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को आगामी सत्र के प्रथम दिन तक प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों के सम्बन्ध में इस सभा के प्रक्रिया सम्बन्धी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष करे; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 5 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।" (54)

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को 28, जुलाई, 1886 तक राय जानने के लिए परिचालित किया जाए।" (57)

श्री डी० बी० पाटिल (कोलाबा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को 14 अगस्त, 1986 तक उस पर राय जानने के लिए परिचालित किया जाए।" (58)

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि उन मुस्लिम स्त्रियों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए जिनका उनके पति द्वारा विवाह विच्छेद हो गया है या जिन्होंने अपने पति से विवाह विच्छेद प्राप्त कर लिया है और उससे संबद्ध और उनके अनुषंगी विषयों का उपबन्ध करने वाला विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाए जिसमें 16 सदस्य हों, अर्थात् :

(1) श्री नारायण चौबे
(2) श्री सैफुद्दीन चौधरी
(3) श्री मूलचन्द डागा
(4) प्रो० मधु दण्डवते
(5) श्रीमती विभा घोष गोस्वामी
(6) श्री दिनेश गोस्वामी
(7) श्री इन्द्रजीत गुप्त
(8) श्री आरिफ मोहम्मद खां
(9) श्री सनत कुमार मंडल
(10) श्री श्रीपति मिश्र
(11) श्री हन्नान मोल्लाह
(12) श्रीमती गीता मुखर्जी
(13) श्री चिन्तामणि पाणिग्रही
(14) श्री सी० माधव रेड्डी
(15) श्री अमर राय प्रधान और
(16) श्री ए० के० सेन

और उसे 14 अगस्त, 1986 तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के अनुदेश दिए जाएं।" (96)

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि उन मुस्लिम स्त्रियों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए जिनका उनके

पति द्वारा विवाह विच्छेद हो गया है या जिन्होंने अपने पति से विवाह विच्छेद प्राप्त कर लिया है और उससे संबद्ध और उसके अनुषंगी विषयों का उपबन्ध करने वाला विधेयक सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा जाए, जिसमें 16 सदस्य हों, इस सभा से 11 अर्थात् :

(1) श्री सोमनाथ चटर्जी
(2) श्री सैफुद्दीन चौधरी
(3) प्रो० मधु दंडवते
(4) श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव
(5) श्रीमती विभा घोष गोस्वामी
(6) श्री अब्दुल रशीद काबुली
(7) श्री हन्नान मोल्लाह
(8) श्रीमती गीता मुखर्जी
(9) श्री एस० जयपाल रेड्डी
(10) श्री ए० के० सेन
(11) श्री जायनल अबेदिन

और राज्य सभा से 5;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की समस्त संख्या का एक तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को 28 जुलाई, 1986 तक प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों के सम्बन्ध में इस सभा के प्रक्रिया सम्बन्धी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष करे; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 5 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।" (132)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस विधेयक को 4 अगस्त, 1986 तक उस पर राय जानने के लिए परिचालित किया जाए और ऐसा मुस्लिम स्त्रियों के जनमत संग्रह द्वारा किया जाए।" (196)

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि इस विधेयक को 5 जुलाई, 1986 तक उस पर राय जानने के लिए परिचालित जाए।" (209)

श्री सी० माधव रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि उन मुस्लिम स्त्रियों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए जिनका उनके पति द्वारा विवाह विच्छेद हो गया है या जिन्होंने अपने पति से विवाह विच्छेद प्राप्त कर लिया है और उससे सम्बद्ध और उसके अनुषंगी विषयों का उपबन्ध करने वाला विधेयक सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा जाए, जिसमें 30 सदस्य हों, इस सभा से 20 अर्थात् :

(1) श्रीमती अकबर जहां अब्दुल्ला

(2) श्री बसुदेव आचार्य

(3) श्री एस० एम० भट्टम

(4) श्री सोमनाथ चटर्जी

(5) श्रीमती ऊषा चौधरी

(6) श्री सैफुद्दीन चौधरी

(7) श्री मूलचन्द डागा

(8) प्रो० मधु दण्डवते

(9) श्री इन्द्रजीत गुप्त

(10) श्री अब्दुल रशीद काबूली

(11) डा० (श्रीमती) टी० कल्पना देवी

(12) श्री पी० कुलनदईवेलू

(13) श्री हन्नान मोल्लाह

(14) श्री डी० एन० रेड्डी

(15) श्री के० रामचन्द्र रेड्डी

(16) श्री ए० के० सेन

(17) श्री वी० तुलसीराम

(18) श्री के० पी० उन्नीकृष्णन

(19) श्री गिरधारी लाल व्यास

(20) श्री सी० माधव रेड्डी

और राज्य सभा से 10;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की समस्त संख्या का एक तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को आगामी सत्र के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों के सम्बन्ध में इस सभा के प्रक्रिया सम्बन्धी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष करे; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 10 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।" (210)

अध्यक्ष महोदय : अब श्री जनार्दन पुजारी एक वक्तव्य देंगे।

एक माननीय सदस्य : वह क्या वक्तव्य दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह कोई वक्तव्य दे रहे हैं।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : हमारे संशोधनों का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : वे सभी संशोधन खंडों के बारे में हैं। उन पर बाद में विचार किया जाएगा। वे खण्डों में हैं।

1·39 म० प०

निर्यात संवर्धन के लिए प्रोत्साहनों के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : अध्यक्ष महोदय, वित्त विधेयक पर चर्चा के समय मेरे उत्तर में····· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वक्तव्य के बाद, मध्यान्ह भोजन अवकाश होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप, क्यों नहीं चाहते ?

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हमें सुनाई नहीं दे रहा है।

अध्यक्ष महोदय : हम इसे पढ़ा गया मान लेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांति रखें। हम सब वक्तव्य सुनें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम इसे पढ़ा गया मान लेंगे।
आप इसे सभा-पटल पर रख सकते हैं।

निर्यात संवर्धन के लिए प्रोत्साहनों के बारे में वक्तव्य का पाठ

वित्त विधेयक पर बहस के उत्तर में 28 अप्रैल, 1986 को मैंने निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्यक्ष-कर पक्ष में एक पैकेज की घोषणा करने का वचन दिया था। मुझे निम्नलिखित संशोधन की घोषणा करते हुए हर्ष है जिन्हें यथासमय एक संशोधन विधेयक के जरिए संविधि में ला दिया जाएगा :

(i) निर्यातों के विकास के हित में, मैंने धारा 80 एच० एच० सी० का संशोधन करने का निर्णय किया है ताकि विभिन्न प्रकार के निर्यातकों के लिए आयकर से अधिक छूट की व्यवस्था की जा सके। विदेशी मुद्रा की शुद्ध प्राप्ति के 4 प्रतिशत तक और शेष शुद्ध लाभ के 50 प्रतिशत तक कटौती देने का प्रस्ताव है। शुद्ध विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, आयात-निर्यात नीति में दी गई परिभाषा के अनुरूप होगी।

(ii) भारत से बाहर परियोजनाएं शुरू करने की गतिविधि को प्रोत्साहित करने के लिए, जो विदेशी मुद्रा अर्जित करने के साधनों में से एक साधन है, एक पृथक संशोधन विधेयक द्वारा धारा 80 एच० एच० सी० में संशोधन किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस प्रकार की गतिविधियों से होने वाले लाभ पर 25 प्रतिशत कटौती की वर्तमान दर के मुकाबले लाभों के 50 प्रतिशत तक की रकम के बराबर कटौती स्वीकार्य होगी।

(iii) मुक्त व्यापार क्षेत्रों में हाल ही में स्थापित औद्योगिक उपक्रमों के सम्बन्ध में किन्हीं भी लाभों अथवा अनुलाभों पर उस वर्ष से प्रथम 5 वर्षों के लिए कर नहीं लगता है जिस वर्ष से इस प्रकार के उपक्रम निर्माण शुरू करते हैं अथवा वस्तुओं तथा चीजों का उत्पादन करते हैं। इस प्रकार के कर-निर्धारिती इस कर लाभ को और अधिक समय तक प्राप्त कर सकें, इस उपबन्ध को संशोधित करने का प्रस्ताव है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिस वर्ष औद्योगिक उपक्रम निर्माण-कार्य शुरू करता है अथवा वस्तुओं अथवा चीजों का उत्पादन करता है उस वर्ष से 8 वर्ष के अन्दर कर-निर्धारिती अपने विकल्प के अनुसार किन्हीं भी 5 क्रमिक कर-निर्धारिण वर्षों के लिए यह लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा।

1·40 म० प०

लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 40 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.42 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2 बजकर 42 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) विधेयक, 1986—जारी

श्री एच० ए० डोरा (श्रीकाकुलम) : मैं शुरू में ही यह बात स्पष्ट कर देता हूं कि तेलुगु-देशम दल मुस्लिम कानून का, इसकी परम्पराओं, रिवाजों और इसके प्रचलन के प्रति पूरा सम्मान

रखता है। तेलुगुदेशम दल की यह एक घोषित नीति है कि वह मुस्लिम स्वीय विधि में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। मैं इस समय यह बताना चाहता हूं कि यह दल इस्लाम में विश्वास रखता है जो विश्वव्यापक है और भविष्य के लिए प्रगतिशील है।

मैं यह भी कहूंगा कि तेलुगुदेशम दल के पास इस विधेयक का विरोध करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है क्योंकि यह विधेयक स्वयं मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों और मुस्लिम स्वीय विधि का अतिक्रमण करता है। सर्वप्रथम मुझे यह कहने की अनुमति दी जाए कि यह एक 'बिल' नहीं है बल्कि एक 'बुल' है जिसे मुस्लिम महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को कुचलने के लिए खुला छोड़ दिया गया है।

मुझे इस विधेयक पर खंडवार अपनी बात कहने की अनुमति दी जाए। यह विधेयक इस आकर्षक अभिव्यक्ति के साथ आरम्भ होता है कि "यह मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण करने वाला विधेयक है।" बहुत आकर्षक अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति है 'मुस्लिम महिलाओं का संरक्षण'·· (व्यवधान)।

प्रो० मधु दण्डवते : (प्रोटेक्टशन आफ मुस्लिम वमेन) यह मुद्रण की गलती है। यह डिवेन्शन हैं।

श्री एच० ए० डोरा : मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण। मेरे विद्वान मित्र ने अभी-अभी कहा है कि वह इस देश में अल्पसंख्यक समुदाय की मांगों को अनसुना नहीं कर सकते। मेरे मित्र ने केवल उन व्यक्तियों को ध्यान में रखा है जो विधेयक के पक्ष मे है। उन्होंने उन मुस्लिम विद्वानों को वास्तव में अनसुना कर दिया है जिन्होंने राजधानी सहित इस देश की खुली सड़कों पर प्रदर्शन किया है। उन्होंने उन मुस्लिम विद्वानों को भी वास्तव में अनसुना कर दिया है जिन्होंने इस विधेयक का आरम्भ से अंत तक विरोध किया है। इसलिए, मेरा कहना है कि वे जिस मांग से सहमत हुए हैं वह मांग केवल उन लोगों की है जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। यही बात मैं इस विशेष अवसर पर बताना चाहता हूं। इसके अलावा मुझे यह भी कहना है कि अधिकारों के संरक्षण से यह आभास होता है कि पहले से ही कुछ अधिकार अस्तित्व में है जिनके संरक्षण की आवश्यकता है। वे अधिकार कौन से हैं, जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है और उन अधिकारों का विधेयक में उल्लेख नहीं किया गया है। विधेयक में ऐसा नहीं कहा गया कि ये अधिकार हैं जिन्हें इस विशेष विधेयक द्वारा संरक्षण की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त मुझे यह भी कहना है कि इन अधिकारों का वास्तव में किसने उल्लघंन किया। मुझे अभी भी यह बात समझ में नहीं आ रही है कि वे कौन लोग हैं जिन्होंने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का उल्लघंन किया है, उन पर आक्रमण किया है, अतिक्रमण किया है, घुसपैठ की है। इसका उल्लेख नहीं किया गया है। उन अधिकारों का कोई संकेत नहीं दिया गया है जो खतरे में है और उन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। उद्देश्यों और कारणों के वक्तव्य में उनका कोई उल्लेख नहीं है।

मेरा यह कहना है कि शाहबानों के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से

तलाकशुदा पत्नी के निर्वाह के बारे में मुस्लिम पति के उत्तरदायित्व को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ। संभाव्यतः, शाहबानो के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। क्या ऐसा ही हुआ है? मुझे इस विशेष अवसर पर उस विशेष मामले के तथ्य बताने की अनुमति दी जाए। श्री मोहम्मद अहमद खां, ये आरिफ मोहम्मद खां नहीं हैं जिन्होंने इस विवादास्पद विधेयक के कारण इस्तीफा दे दिया है, ने 1932 में या उसके आस-पास शाहबानों से निकाह किया था उनका निकाह इस्लामी अधिकारों और विधि-विधानों के अनुसार सम्पन्न हुआ था। उसके बाद उनका वैवाहिक जीवन पूर्णता तक पहुंचा। यह स्वाभाविक ही था कि उनकी वैवाहिक अवस्था में उनके तीन पुत्र और दो पुत्रियां हुई। उन्होंने लगभग 43 वर्षों का वैवाहिक जीवन पूरा किया। इसके बाद मतभेद और विवाद उभरे जिनके परिणामस्वरूप शाहबानो ने अपने पति इस मोहम्मद खां का घर छोड़ दिया। शाहबानों ने वर्ष 1978 के गलत हो तो सही किया जा सकता है—अप्रैल माह में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत इंदौर में प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की अदालत में 500 रुपए प्रतिमाह की दर से निर्वाह भत्ता पाने के लिए आवेदन कर दिया। परन्तु, आप जानते ही हैं कि इस देश में एक मुसलमान पति को किसी भी समय किंही भी कारणों से, वास्तव में बिना कारण अपनी पत्नी को अलग कर देने का विशेषाधिकार प्राप्त है और इस विशेष मामले में ऐसा हुआ है। उसने 'तलाक' कहकर नवम्बर, 1978 में शाहबानो को तलाक दे दिया। परन्तु प्रथम श्रेणी के माननीय मजिस्ट्रेट ने उसे निर्वाह भत्ते के रूप में 25 रुपए की राशि दिए जाने का निर्णय दे दिया। इस निर्णय से अपमानित होकर शाहबानो ने इसमें संशोधन कराने के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय गई, जिसने निर्वाह राशि को 25 रुपए से बढ़ाकर 179.20 रुपए कर दिया। इस निर्णय से दुखी होकर इस मोहम्मद खां ने उच्चतम न्यायालय में अपील कर दी और उच्चतम न्यायालय ने चार महत्वपूर्ण बातों का प्रस्ताव किया। पहली, यह घोषणा की गई कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 वास्तव में धर्म निरपेक्ष है। यह कहा गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 और मुस्लिम स्वीय विधि परस्पर विरोधी नहीं है।

यह भी कहा गया है कि निकट के गरीब सम्बन्धियों, जो स्वयं अपना गुजारा नहीं कर सकते, के निर्वाह के बारे में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 द्वारा डाली गई जिम्मेदारी, आवारागर्दी और निराश्रयता रोकने के लिए समाज के प्रति व्यक्तिगत दायित्व पर आधारित है। मेरे विचार से उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया तीसरा प्रस्ताव कानून का नैतिक आदेश है। क्या यह कानून का नैतिक आदेश है जिसका मुस्लिम स्वीय विधि के साथ विवाद है अथवा यह उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून का नैतिक आदेश है जिसने इस देश में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन किया है? मेरे विद्वान मित्र ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय ने गरीब मुस्लिम महिलाओं को इद्दत की अवधि समाप्त होने के बाद भी निर्वाह भत्ता प्रदान करने के अधिकार को मान्यता दी है। इस विधेयक का आशय देखने पर तो मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना है परन्तु वास्तव में यह मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगाता है और उन्हें छीनता है तथा मुस्लिम महिलाओं को इद्दत की अवधि समाप्त होने के बाद निर्वाह भत्ता पाने से वंचित करता है। स्थिति यह है। मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण करने के बजाए यह विधेयक उनके

अधिकारों को छीन रहा है। इसीलिए मेरा यह कहना है। यह वह विधेयक है जो वास्तव में मुस्लिम महिलाओं के अधिकार को प्रतिबंधित करता है। इस विशेष विधेयक में जो मुहावरेदार वाक्य लिखा गया है वह है 'अधिकारों का संरक्षण'। देखने पर तो यह सम्मोहक लगता है परन्तु जो वस्तुएं सुन्दर दिखती है वह प्राय: धोखा देती हैं। जो गजरते हैं वह बरसते नहीं। परन्तु यहां तो एक ऐसी बात है जो स्वयं अपने आप में छलावा और उसने मुस्लिम महिलाओं के उन अधिकारों को चुपचाप छीन लिया है जिन्हें शाहबानो मामले में मान्यता दी गई गई है।

दूसरा पहलू यह है। यह विधेयक वास्तव में महिलाओं के अधिकारों को छीनता है तथा उसे केवल इद्दत की अवधि तक निर्वाह भत्ता प्रदान करने की उसके पति की जिम्मेदारी को प्रतिबंधित करता है।

क्या इससे वास्तव में पति को अपनी तलाकशुदा पत्नि को इद्दत की अवधि के बाद भी निर्वाह खर्चा देने से मुक्ति मिल जाती है? ऐसी बात नहीं है। मैं आपका ध्यान दिलान चाहता हूँ खण्ड 3, उप-खण्ड (1)(क) इसमें कहा गया है कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी कोई तलाकशुदा महिला इस बात की हकदार होगी कि उसके पूर्व पति द्वारा इद्दत अवधि में उसके लिए उचित और ऋजु उपबन्ध तथा भरण-पोषण करेगा। अब यहां मैं 'अवधि में' शब्दों पर बल दे रहा हूं। इस विशेष खण्ड में तीन संयोजन हैं।

पहला संयोजन 'उचित और ऋजु उपबन्ध' के बीच में है 'उचित' तथा 'ऋजु' दो विशेषण प्रतीत होते हैं जो यहां संज्ञा 'उपबन्ध' का विशेषता बताते हैं और भरण पोषण किस अवधि का किया जाना है यह नहीं बताया गया है। यह स्पष्ट तथा प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिया है यह नहीं बताया गया है कि यह इद्दत की अवधि के लिए है—यही मुख्य उद्देश्य है जिसे इस विशेष विधेयक द्वारा प्राप्त किये जाने की संभावना है। ऐसा नहीं कहा गया है, यह इद्दत की अवधि के लिए है और इसका भुगतान कब किया जाना है? इद्दत की अवधि में, इद्दत की अवधि में शर्त का एक क्रिया विशेषणीय खण्ड है जो यहां 'संदत्त' क्रिया का विशेषण है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस खंड विशेष के द्वारा पति को इद्दत की अवधि के बाद भरण पोषण भत्ते का भुगतान करने से मुक्ति नहीं मिलती है। यही मेरा निवेदन है इसके अलावा इस समय मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि संभवत: शाहबानों के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को देखते हुए ही मेरे विद्वान मित्र श्री बनातवाला ने विधेयक—15 मार्च, 1985 को यदि यह सही है इस सभा में पुर:स्थापित किया था। विधेयक में यह कहा गया था कि दंड प्रक्रिया की धारा 125 तथा 127 में यह सुनिश्चित करने के लिए संशोधन किया जाना चाहिए कि एक तलाकशुदा मुस्लिम औरत को उसे इद्दत की अवधि जो तीन मास की हो सकती है, के बाद मिलने, बहुत ही कम भरण पोषण व्यय के लिए भी दावा करने का अधिकार नहीं है। जैसा कि आपको पता है यह विधेयक गृह मंत्रालय को सम्बोन्धित था। गृह मंत्रालय ने पृष्ठाधार सामग्री के साथ इस मामले को विधि मंत्रालय को भेज दिया था। महोदय, विधि मंत्रालय के कानूनी सलाहकार ने, यदि सही है, 25 मई, 1985 को सम्बन्धित मन्त्रालय को एक टिप्पण भेजा। क्या यह कहना गलत है कि उन्होंने इस विधेयक विशेष में स्पष्ट शब्दों में दृढ़ता से यह कहा है कि धारा

125 एक उपबन्ध है जो दण्ड प्रक्रिया संहित में अन्तर्विष्ट है जबकि मुस्लिम स्वीय कानून एक सिविल किस्म का है। क्या यह सच नहीं है कि उन्होंने उसमें दृढ़तापूर्वक कहा है कि दण्ड प्रक्रिया की धारा 125 तथा धारा 127 के लिए कोई भी प्रस्ताव, चाहे वह इस समय हो अथवा भविष्य में का पूर्णत: विरोध किया जाना चाहिए। विधि सचिव ने दृढ़तापूर्वक कही गई अपनी बात में काफी जोर दिया है कि इस विधेयक विशेष को संयुक्त प्रवर समिति को भेजने अथवा जनता की राय जानने के लिए परिचालित करने के प्रस्ताव का भी पूर्णत: विरोध किया जाना चाहिए। क्या सरकार इस बात से इंकार करेगी ? मेरा यह भी निवेदन है कि विधि राज्य मंत्री श्री भारद्वाज ने भी 1 जून, 1985 को इस टिप्पण का पूर्णत: अनुमोदन किया था। क्या यह कहना गलत है कि विधि मंत्री श्री सेन ने भी 2 जून, 1985 को उस टिप्पण का अनुमोदन किया है ? अब वे इस बात से पूर्णतया हट रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे उस समय बहुत ही धर्म निर्पेक्ष हो गए थे। अब विधि मंत्री ने दृढ़तापूर्वक स्पष्ट यह कहा है कि वह इस देश के अल्संख्यक समुदाय की मांगों के प्रति बहरे नहीं हैं। वह इसके प्रति काफी सचेत हैं, मेरे अनुसार उन्होंने जिसका अनुमोदन किया है उसके प्रति भी उतने ही सचेत हैं और इसलिए मेरा निवेदन है कि उसमें इतना अन्तर क्यों है ? यदि इस विशेष पहलू के सम्बन्ध में यह बात वास्तव में सच है तो इसमें दोहरापन क्यों बरता गया है ?**(व्यवधान)** जहां तक उस विशेष पहलू का सम्बन्ध है उन्हें अपनी धारणा पर दृढ़ रहना दीजिए।

3·00 म० प०

दूसरा पहलू जो मैं निवेदन करता चाहूँगा वह यह है। मैं निवेदन करना तथा आपकी जानकारी में खुद विधेयक में अन्तर्निहित स्वाभाविक कमियों को लाना चाहूंगा। उसमें अनेक अन्तर्निहित कमियां हैं।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको एक मौका दे रहा हूं।

श्री एच० ए० डोरा : महोदय, खण्ड 3, उपखण्ड (1)(ख) में यह कहा गया है—

> "(ख) जहां वह अपने विवाह विच्छेद के पूर्व या उसके पश्चात उससे जन्मी सन्तान का स्वयं भरण पोषण करती है, वहां कोई युक्तियुक्त और ऋजु उपबन्ध और भरण पोषण .....किये जाने हैं।"

महोदय, आपको इस बात की जानकारी है तथा विधि मंत्री को भी इस बात की जानकारी है कि किसी विवाह विच्छेद से पूर्व विवाह होना एक शर्त है। उसके विवाह से पूर्व उससे जन्मी संतान भी उसके विवाह विच्छेद से पूर्व जन्मी संतान है। यहां मैं यह कह रहा हूं कि 'वह संतान जो विवाह विच्छेद से पूर्व अथवा बाद में जन्मी।" एक महत्वपूर्ण बात जो हमारे सामने प्रत्यक्ष है वह यह है कि "यह संतान जो उसके पूर्व पति से उसको दाम्पत्य जीवन के दौरान जन्मी थी, इसके बारे में।" विधेयक में कुछ नहीं है। इसलिए क्या इसका संबंध उस संतान से है जो उसके विवाह से पूर्व रोमांस के परिणामस्वरूप जन्मी थी अथवा वह संतान जो उसको किसी अन्य व्यक्ति साथ सम्बन्ध

स्थापित करने से जन्मे थे, यह स्पष्ट नहीं बताया गया है। इसलिए यह विधेयक में अन्तर्निहित कमी है। इस समय मैं यह एक महत्वपूर्ण कारक आपके सामने रख रहा हूं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में न केवल उस पत्नी, जो अपना भारण पोषण करने में असमर्थ है, का भरण पोषण करने की व्यवस्था है बल्कि इसमें वैध तथा अवैध संतान जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, का भरण पोषण करने की भी व्यवस्था है। इसमें इस वैध तथा अवैध संतान के भरण पोषण की व्यवस्था है जो वयस्क तो है परन्तु उसका दिमाग अपसामान्य होने के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। इसमें मुस्लिम पिता और मुस्लिम माता के भरण पोषण की भी व्यवस्था है, इन व्यक्तियों के बारे में कोई सरगोशी नहीं है। इस विधेयक को इतना व्यापाक बनाने के प्रयास किए गए हैं जिससे केवल मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हो सके। मैं यह कहना चाहूँगा कि इस समुदाय के अन्य सदस्यों को स्पष्टतः क्यों छोड़ दिया गया है और उनके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। क्या आप मुसलमान पुरुषों, मुसलमान वृद्धों, मुसलमान बच्चों, मुस्लिम अवैध बच्चों के लिए अन्य विधेयक लाएंगे ? यह क्या है ? क्या यह व्यापक विधान है।

मेरे मित्र ने केवल ट्यूनिशिया के कानून का हवाला दिया है। उन्होंने केवल मोरोक्को के कानून की बात कही है परन्तु वह यह बात भूल गए हैं कि इण्डोनेशिया में भी, जो हमारे काफी बहुत निकट है, उन्होंने विवाह नियमों और भरण पोषण नियमों में व्यापक सुधार किए हैं। यहां तक कि पाकिस्तान में भी सुधार किए गए हैं। खोजा, सोमालिया, पूर्व अफ्रीकी देशों में भी विवाह सम्बन्धी कानूनों में व्यापक सुधार किए गए हैं। परन्तु यह विधान बहुत ही संकुचित है और इसमें व्यापकता नहीं है।

मैं यह बताना चाहता हूं कि बेचारे मजिस्ट्रेट को कई ड्यूटियां करनी होती हैं। उसकी यह ड्यूटी है कि वह यह सुनिश्चित करें कि क्या पति-पत्नी के बीच विवाह मुस्लिम कानून के अनुसार वैध है। उसकी यह भी ड्यूटी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि आवेदन दायर करने के एक महीने के अन्दर आवेदन को निबटा दिया गया है। यह सुनिश्चित करना भी उसकी ड्यूटी है कि क्या तलाकशुदा महिला के पास कोई ऐसी सम्पत्ति तो नहीं है जो मुस्लिम कानून के अनुसार महिला की मृत्यु के बाद अन्तरण की जानी है। यह सुनिश्चित भी है कि क्या आवेदन निबटान के तारीख के दिन उसके कोई रिश्तेदार जीवित हैं। इस विशिष्ट विधेयक के खण्ड चार के अन्तर्गत उसकी अनेक ड्यूटियां हैं। क्या वह आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से एक महीने के अन्दर आवेदन को निबटाएगा ? ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि विधेयक में स्पष्ट कहा गया है "बशर्ते कि यदि मजिस्ट्रेट आवेदन को निबटाना अव्यवहार्य समझता है," अव्यवहार शब्द क्यों शामिल किया गया है ? उन्हें इस बात की जानकारी है कि इस आवेदन को एक महीने के अन्दर नहीं निबटाया जा रहा है। उन्हें अव्यवहार्यता की उसे पूर्ण जानकारी है और मैं कहना चाहूँगा कि यह इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है।

इस विधेयक के लिए जल्दबाजी क्यों की जा रही है ? यह इसलिए किया जा रहा है कि यह प्रधानमन्त्री की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। प्रधानमंत्री को अपनी गलती जान लेने और इसमें सुधार

करने से ही प्रतिष्ठा मिलेगी। परन्तु यहां एक दुखद बात हुई है। उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया है और गलती की गई है ? परन्तु सबसे खराब बात यह है कि इस गलती पर जोर दिया जा रहा है। इस विधेयक में यह सबसे खराब बात हुई है और इसके अतिरिक्त इस विधेयक के पारित होने के कुछ मिनटों बाद ही पंजाब के उग्रवादी ऐसे कार्य कर सकते हैं जिससे अकाली सरकार सिखों के अधिकार को मान्यता देने और अपना पृथक कानून बनवाने लिए केन्द्रीय सरकार पर दबाव डाल सके।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारभागाओ) : उपाध्यक्ष महोदय, यह विधान नेमी किस्म का है और इसे नेमी ढंग से ही पारित किया जाना चाहिए और विपक्ष ···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए।

श्री के० एस० राव (मछलीपतनम) : उनके भाषण में व्यवधान क्यों कर रहे हैं। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि जब कोई सदस्य बोल रहे हों तो वे चुप रहें हैं। (**व्यवधान**)

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मैं आपसे तथा आपके माध्यन से सदन से यह कह रहा था कि यह नेमी किस्म का विधान है और इसे नेमी ढंग से ही परित किया जाना चाहिए और विपक्ष ने इस पर काफी झमेला खड़ा किया है जो कि एक नेमी किस्म का मामला है। तथापि यह विधेयक विपक्ष को अपनी विश्वसनीय प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। हम देश में ऐसा विपक्ष चाहते हैं जो उस समय विरोध करे जब सरकार कोई गलती करती है। परन्तु यह स्वयं विपक्ष और संसदीय प्रजातंत्र तथा समस्त प्रजातंत्र के हित हैं कि जब सरकार कोई ठीक कार्य करे तो विपक्ष को स्वयं अपने हित में तथा प्रजातंत्र के हित में आगे आना चाहिए और इसका समर्थन करना चाहिए और कहना चाहिए कि सरकार ने जो किया है वह उचित है।

ऐसा प्रतीत होता है कि सदन में तथा संसद से बाहर उठाई गई अनेक आपत्तियां या तो अज्ञान पर या पूर्वाग्रहों पर, अथवा प्राय: दोनों के कारण उठाई जाती हैं और मैं वह बात आदरपूर्वक और जोर देकर कहता हूं। मुझे कुछ महानुभावों में भले ही वे विपक्ष में हैं उनके चरित्र और विचार-शीलता के कारण भारी विश्वास है और मैं आशा करता हूं कि जब इस पर चर्चा समाप्त होगी वे महसूस करेंगे कि वे गलती पर थे। उन्हें पता लगेगा कि वे बिना वजह इसका विरोध कर रहे थे और मुझे आशा है कि, और मैं आशा के विपरीत आशा नहीं करता, मतदान के समय तक यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो जाएगा और सदन के सभी वर्गों द्वारा इसका समर्थन किया जाएगा।

मैं सरकार को बधाई देता हूं और प्रधानमंत्री का अभिवादन करता हूं·····(**व्यवधान**) व्यवधान की मैं परवाह नहीं करता हूं व्यवधान का मैं स्वागत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं-नहीं। वे झुक नहीं रहे हैं। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। वे बोल रहे हैं। आप क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : वे झुक रहे हैं। माननीय सदस्य एक आपत्ति उठा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वे आपत्ति कैसे उठा सकते हैं। उन्होंने मुझे सूचित नहीं किया है। उन्होंने मुझे नहीं बताया है। वे झुक नहीं रहे हैं।

श्री दिनेश गोस्वामी (गोहाटी) : महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं वे झुक नहीं रहे हैं, व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। आप कृपया बैठ जाइये।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : उनका व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझे इस प्रकार की धमकी नहीं दे सकते हैं, मैं जानता हूं आप हस्तक्षेप करें।

वह नहीं मान रहे·····

(व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना·····

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए मैं जानता हूं। श्री उन्नीकृष्णन मुझे डराइए मत।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : आप उन्हें सुने बिना कैसे कह सकते हैं कि व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था के प्रश्न को कैसे लेता है, मुझे मालूम है। आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा था कि वह मान रहे हैं लेकिन वह नहीं मान रहे हैं।

श्री दिनेश गोस्वामी : उन्होंने माना था।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे पता लगना है कि उन्होंने माना अथवा नहीं···**(व्यवधान)**

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मुझे किसी व्यवधान पर कोई आपत्ति नहीं है।

श्री दिनेश गोस्वामी : श्री फैलीरो ने विपक्ष के सदस्यों को यह प्रस्ताव किया था कि उन के भाषण सुनने के पश्चात विपक्ष अपने विचार बदल लेगा। क्यों नहीं वह अपने सदस्यों को भी यह स्वतन्त्रता प्रदान करते··· **(व्यवधान)** हमारे सोचने का अपना तरीका है। उन्हें भी स्वतन्त्र रूप से वोट करने····· **(व्यवधान)**

वे प्रधानमंत्री पर भी दबाव डालें कि वे स्वतन्त्र मतदान के लिए कहें····· **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय ; व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री के० एस० राव : यदि आप उन्हें अनुमति देते हैं तो कापको हमें भी अनुमति देनी चाहिए।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मुझे श्री गोस्वामी को यह आश्वासन दिलाने दीजिए कि मैं भी प्रगतिशील विचारों का समर्थक हूं। मैं किसी भी समुदाय का नहीं हूं न इसका न उस समुदाय का ·····**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया कोई हस्तक्षेप न हो।

श्री दिनेश गोस्वामी : इन्हें हमें सांप्रदायिका दल कहने का कोई अधिकार नहीं है।

प्रो के० के० तिवारी : हमारे और आपके बीच किसी भी बात में समानता नहीं है। माननीय सदस्य को यह सब कहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए···।

श्री दिनेश गोस्वामी : यहां हम अपने अधिकार से आए हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : आप एक सांप्रदायिक मत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम आपके साथ किसी भी बात में साथ नहीं देंगे।

श्री दिनेश गोस्वामी : श्री फैलीरो ने प्रस्ताव किया था और हम तो उसके जवाब····· **(व्यवधान)**।

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : खड़े हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मन्त्री जी कोसुनिए। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिये··· **(व्यवधान)**।

प्रो० के० के० तिवारी : हमारी सरकार आपसे कुछ नहीं सीखती। आप हमें डरा नहीं सकते। आप हमें डराने वाले होते कौन हैं? हरेक बात की सीमा होती है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों से नम्र निवेदन करता हूं कि अगर कोई सदस्य बोल रहा है तो उसे बोलने दीजिए। अगर आप व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं तो आपको नियम उद्धृत

करना चाहिए। लेकिन व्यवस्था का नाम लेकर कुछ नहीं कहिए। यह ठीक नहीं है। इस प्रकार मत बोलिए।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : जो भी प्रगतिशील विचारों का समर्थक है उसे इस विधान का समर्थन करना चाहिए। हम सभी को सरकार को बधाई देनी चाहिए···(**व्यवधान**) प्रधानमंत्री की इस हिम्मत के कार्य के लिए सराहना करनी चाहिए, उनके विचारों के लिए और माननीय सदन के समक्ष यह विधेयक लाने के लिए उन्होंने जो निर्भीक वक्तव्य दिया है, उसके लिए।

उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्र, संसद और कांग्रेस दल धर्म निरपेक्षता के लिए वचन बद्ध हैं, न केवल इस देश में धर्मनिरपेक्षता के लिए अपितु पूरे संसार में इसके पक्षपाती हैं। एक सच्चे धर्म निरपेक्ष राज्य में, बहुधर्म समाज में सबका यह परम कर्त्तव्य है कि सभी धर्मों का समान आदर किया जाए और स्वीय विधियों सहित जो कि धार्मिक सिद्धान्तों पर आधारित हैं समस्त कानूनों को समान आदर और संरक्षण दिया जाए ··(**व्यवधान**)।

उपाध्यक्ष महोदय, सूचना प्रसारण मन्त्रालय की अनुदान मांगों पर बहस में भाग लेते हुए मैंने अपने भाषण में जो कुछ कहा था, मुझे उसका ध्यान आ रहा है। उस समय मैंने यह कहा था कि हमारे माध्यमों को धर्म से बिल्कुल अलग रहना चाहिए। उस समय समस्त वरिष्ठ नेताओं, वयोवृद्ध नेताओं ने मेरी दाहिनी और एवं बाई ओर, दोनों ही तरफ के, इस सभा की जानकारी में यह बात लाई थी कि हमारा देश प्रमुखतः धर्म प्रधान है। बिना धर्म के तो भारत के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता और इसी कारण यहां पर धर्मनिपेक्ष राज्य ···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : किसी भी ओर से कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : इसलिए, सभी कानूनों, विशेषतया सभी धर्मों के स्वीय कानूनों का, राज्य द्वारा समान रूप से सम्मान करना चाहिए। यह मात्र एक ऐसा समादेश नहीं है जो विश्व के किसी भी भाग में किसी भी समय लागू हो। इसी प्रकार, एक धर्म निरपेक्ष राज्य में बहु-धर्म समाज होता हैं। यह एक ऐसा समादेश है जिसका विश्व में सभी स्थानों पर, बहु धर्मानुयायी राज्य के शासक के रूप में पालन करना चाहिए और पूरा करना चाहिए। इसके अलावा कुछेक विशिष्ट समादेश हैं जिनका हमारे संविधान में समावेश किया गया है जिनके अनुसार राज्य को यह आदेश दिया गया है कि सभी धर्यों को एवं कानूनों को समान आदर दिया जाए और विभिन्न धर्मों के सिद्धांतों और मतों को बराबरी से देखा जाए। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 44 को अकेले नहीं पढ़ा जा सकता। अनुच्छेद 44 को अनुच्छेद 25 के साथ पढ़ा जाना चाहिए जिसमें यह प्रावधान है कि राज्य सभी धर्मों का आदर करेगा एवं इनके समस्त मतों और नियमों का भी आदर किया जाएगा, राज्य इनकी अवहेलना नहीं करेगा।

स्वीय विधि कहते किसे हैं ? स्वीय विधि— चाहे यह मुस्लिम स्वीय विधि हो अथवा हिन्दू स्वीय विधि अथवा ईसाई स्वीय विधि अथवा पारसी स्वीय विधि सभी स्वीय कानून अपने-अपने धर्म के मानने पर, लोगों पर लागू होते हैं। साथ-ही-साथ धार्मिक सिद्धान्तों के अनुसार बनाए गए

सभी कानून उस धर्म को मानने वाले लोगों की स्वीय विधि में हस्तक्षेप करते हैं जो उस धर्म को मानते हैं। आप उस विशेष वर्ग के लोगों, जिन्होंने वह धर्म चुना है, के धार्मिक सिद्धांतों में हस्तक्षेप कर रहे हैं।

श्री डोरा बहुत उत्तेजित होकर बोल रहे थे। उनका भाषण तो बहुत जोशीला था लेकिन शायद स्थान ठीक नहीं था। ऐसा इसलिए, क्योंकि इससे तो यही गलत धारणा बनती है कि मुस्लिम महिलाएं खतरे में हैं; मस्लिम महिलाओं को इस तरह नहीं दिखाया जाना चाहिए। मैं श्री डोरा से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा और वह यह कि क्या कारण है कि आप मुस्लिम महिलाओं के हितों का संरक्षण करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हैं। क्या आप यह समझते हैं कि मुस्लिम महिलाओं के माता-पिता, उनके पति उनके पुत्र और उनके भाई उनकी परवाह नहीं करते ? क्या आप यह सोचते हैं कि उन्हें अपनी देखभाल के लिए श्री डोरा और एडुआर्डो फैलीरो की जरूरत है ? यह एक गलत धारणा है और इससे पूरा समुदाय गिरता है। क्यों नहीं वह सभी समुदायों के लिए बोलते, केवल मुस्लिम महिलाओं के लिए ही आवेश में क्यों आ रहे हैं ? उन्हें इस देश के गांवों और शहरों में, जहां-जहां मुस्लिम समुदाय रहता है, जाने दीजिए और इसके लिए आश्वस्त करने दीजिए कि उन्हें संसद में श्री डोरा और श्री एडुआर्डो फैलीरो का संरक्षण प्राप्त है। मुस्लिम महिलाओं को संरक्षण प्राप्त है और बहुत अच्छी तरह प्राप्त है।

मैं थोड़ी देर बाद फिर उन सब बातों का जिक्र करूंगा, अभी मैं पुनः उन संवैधानिक निषेधादेशों पर आता हूं जो उन कानूनों के संरक्षण के लिए। जो पवित्र कुरान के सिद्धान्तों पर आधारित हैं, इस देश में राज्य पर लगाये गये हैं, हमारे संविधान का अनुच्छेद 25 है और भारतीय संविधान के निर्माता डा० अम्बेडकर के भाषण भी हैं, जिनमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस्लाम के सिद्धांतों पर आधारित अधिकार दायित्व आचरण और प्रथाएं तथा कुरान में दी गई प्रथाओं की इस अनुच्छेद द्वारा सुरक्षा की जाएगी, और कोई भी सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। यह उन्होंने स्पस्ट रूप से कहा है। इसका संगत अंश यह है कि उन्होंने कहा है कि यदि मुस्लिम समुदाय ही स्वयं चाहता है तो इसमें उपयुक्त परिवर्तन कर सकता है। उन्होंने सही रूप से यह बात मुस्लिम समुदाय के विवेक पर ही छोड़ दी है। मुस्लिम समुदाय को दूसरों की अकलमंदी की जरूरत नहीं है। मुस्लिम सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है, कि जब पाश्चात्य देश मध्यकालीन युग में अज्ञान में डूबे हुए थे तब इस सभ्यता ने उन तक रोशनी पहुंचाई और पश्चिम के देशों में अपनी सभ्यता पहुंचाई। उन्होंने अपनी सभ्यता को विश्व की सभी दिशाओं में फैलाया।

इस विधेयक ने वस्तुतः क्या किया है उसके लिए तर्क-वितर्क और समर्थन की जरूरत है ? इस विधेयक में केवल कानून की फिर से व्याख्या की गई है। इस विधेयक से कोई नया कानून नही बना है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं लिखी गई जो कि पहले नहीं थी। इस विधेयक में केवल विद्यमान विधि, जैसी कि 1973 में बनाई गई थी, और जो धारा 127 तीन (ख) में अंतर्विष्ट थी, को फिर से बताया गया है और इसमें तलाकशुदा महिलाओं को अतिरिक्त सुविधाएं दी गई हैं। ऐसी अतिरिक्त सुविधाएं वे हैं जिनका उल्लेख डा० डोरा ने किया है।

यद्यपि 1973 की संहिता की धारा 127 तीन (ख) के अन्तर्गत तलाकशुदा महिला को अपना मेहर वापस लेने के लिए दीवानी न्यायालय में जाना होगा और दीवानी न्यायालयों में, जैसाकि आप जानते हैं, सालों लग जायेंगे—किन्तु अब वह मेहर के लिए विशेष डिविजिनल मजिस्ट्रेट के पास जा सकती है। इसे ले सकती है। मेहर की राशि एक मास में भुगतान की जानी चाहिए। इसके लिए समय सीमा रखी गई है और तलाकशुदा मुस्लिम महिला के हितों को ध्यान में रखते हुए मुकद्दमेबाजी को कम किया गया है।

मुझसे एक सवाल पूछा गया है और मैं भी यह मानता हूं कि विधि की फिर से व्याख्या करना क्यों जरूरी है? उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद इस विधि की फिर से व्याख्या करना अनिवार्य था और ऐसा कराना अपरिहार्य हो गया था क्योंकि न्यायालय ने 1973 के कानून की गलत व्याख्या की तथा कुरान की गलत व्याख्या की और शरियत की गलत व्याख्या की और इस प्रक्रिया में कुछ मनमाने आदेश दिए जो कि अनावश्यक हैं और जिनसे बड़ी-बड़ी समस्याएं पैदा की गई और सौभाग्य से इन्हें तत्काल ही समाप्त कर दिया गया है।

अब सरकार ने जो कुछ भी किया है वह इसका धर्म निरपेक्ष स्वरूप बनाए रखने के लिए किया गया है सरकार ने जो कुछ किया है वह अल्प संख्यकों के अधिकारों के लिए किया है और जिन्हें वे अपना अधिकार समझते हैं, मेरे विचार से इससे कोई बड़ा लाभ है। मैं कुछ ही देर में इसी बात पर आऊंगा। इससे उनकी भावुकता में बदलाव नहीं आएगा और जहां तक उन सुधारों का सम्बन्ध है, जब कभी भी किसी सुधार की आवश्यकता होगी तो अल्पसंख्यक समुदाय स्वयं ही उस सुधार के लिए आगे आएंगे और सुधार लाएंगे। इसके लिए सरकार को सुधार लाने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने कहा है कि कहीं भी बहुधार्मिक समाज में धर्मनिरपेक्ष राज्य का मूल दृष्टिकोण है। महोदय, अत: यह विधान लाना सरकार के लिए श्रेय की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, क्या इस सम्बन्ध में मैं कुछ व्यक्तिगत टिप्पणियां कर सकता हूं? जैसा कि मैंने कहा है यह विधान एक नेमी विधान है और इसे ऐसा ही समझा जाना चाहिए। हम इस अवसर पर कई अन्य बड़े सवाल पूछ सकते हैं।

यहां पंजाब का भी उल्लेख किया गया है और इस सभा में इसका हर रोज उल्लेख हो रहा है। निस्संदेह देश की एकता को खतरा है। हमारे देश में बहुत से धर्म हैं और बहुत सी भाषाएं हैं। हमारे यहां वास्तव में बहुत सी विभाजनकारी ताकतें भी हैं जिससे प्रत्येक व्यक्ति, सभा के सदस्य तथा देश के प्रत्येक नागरिक के हित से टकराव होता है। अत: हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम एक दूसरे के और निकट आएं चाहे यह भाषा की बात हो, संस्कृति की बात हो या कानून की। सरकार ने अपने कर्त्तव्य का पालन किया है और अपना कर्त्तव्य निभाते हुए उसने देश के धर्म निरपेक्ष स्वरूप का भी ध्यान रखा है और सरकार ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि इससे लोगों की भावनाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन न हो। किन्तु यह

सब एक तरफा नहीं हो सकता। यदि राज्य का अल्पसंख्यकों के प्रति अधिकार है तो राज्य का उनके प्रति भी हैं और अल्प-संख्यकों का तथा प्रत्येक नागरिक का इस देश के प्रति तथा अपने समुदाय के प्रति भी कर्तव्य है।

महोदय मैं कुछ बात कहना चाहता हूं जिसके बारे में मेरी दृढ़ धारणा है और मुझे सभा को भी इससे सहयोजित करना चाहिए। विभिन्न समुदायों के सभी धार्मिक नेताओं और वस्तुतः इन विभिन्न समुदायों के नेताओं को स्वेच्छा से और एकमत होकर एक ऐसा समान कानून बनाना चाहिए जिससे प्रत्येक समुदाय संतुष्ट हो और जिससे इस देश की एकता सुदृढ़ हो क्योंकि हम पहले भारतीय हैं उसके बाद हिन्दू, ईसाई या पारसी हैं। ऐसी कानूनी व्यवस्था जो सबका एकीकरण करे और जिससे सहमति बने तथा इस प्रक्रिया में निश्चित रूप से अच्छा योगदान होगा प्रत्येक व्यक्ति की स्वतन्त्र मत से यहां आकर सरकार से यह विधेयक लाने के लिए कहने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि यह धर्मनिरपेक्षता के सही स्वरूप के खिलाफ है। कहने का अभिप्राय यह है कि हम में से हरेक को अर्थात् विभिन्न समुदाय के लोगों को जो विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं, उन्हें अपने समुदाय के लोगों के पास जाकर उन्हें इस खतरे के बारे में शिक्षित करना चाहिए। हमें उन्हें एक दूसरे के निकट आने की आवश्यकता के बारे में शिक्षित करना चाहिए। हम केवल अपने लोगों को शिक्षित करके, उन्हें एक मंच पर लाकर और उनकी सर्व सम्मति से, जिस पर बार-बार जोर देना होगा, एक एसी कानूनी व्यवस्था बनाए जिससे प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट हो और जिससे देश की एकता बने।

महोदय, यह केवल समग्र राष्ट्र के हित में ही नहीं है बल्कि यह उन सभी धार्मिक समुदायों के हित में भी होगा कि हम प्रतिनिधित्व करते हैं और सुरक्षा करना चाहते हैं। मैं सभी धार्मिक ग्रन्थों का आदर करता हूं किन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि ईसाइयों को जो बाइबिल 2000 वर्ष पहले उस समय दी गई थी जबकि समाज न केवल सामन्तवादी स्वरूप में था बल्कि पूर्ण सामंती था, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती और इसका सम्मान ही किया जाना चाहिए। यदि हमेशा स्वर्ग अपरिवर्तनीय और शाश्वत है तो पृथ्वी तथा मानव समाज निश्चित रूप से परिवर्तनशील रहेगा और समाज में बदलाव से कानूनों में भी बदलाव आएगा क्योंकि कानून मात्र सामाजिक आचरण और समाज को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए ही है।

वास्तव में यह सारा व्याख्या करने का प्रश्न है और यहां इस बात का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार इतने मुस्लिम देश कानून का पालन कर रहे हैं परन्तु उनमें से अधिकांश देशों की कुरान की व्याख्या भिन्न भिन्न रखते हैं। आज हमारे पास ऐसा कोई अन्तराष्ट्रीय व्यवस्था नहीं है, जैसा कि कुछ शताब्दियों पूर्व था, जिससे कि हम पूरे इस्लामी विश्व के लिए कुरान की अधिकार पूर्वक व्याख्या कर सकें। सौ वर्षों से ऐसा कोई अधिकार नहीं है अथवा रहा है। इसके विपरीत इस्लामी कानून के विभिन्न स्कूल हैं तथा प्रत्येक देश पर लागू होने वाले इस्लामी कानून का निर्णय और व्याख्या करने का अधिकार उस देश के न्यायविदों और धार्मिक नेताओं पर छोड़ दिया गया है सरकार ने इस्लामी कानून के बारे में इस्लामी धार्मिक नेताओं और इस्लामी कानून जानने वाले न्यायविदों के सूत्रों को इस कानून में शामिल करके अच्छा कार्य किया है। वास्तव में यह विधेयक

कानून का ऐसा विवरण है जैसाकि इस्लामी कानून में दिया गया है अर्थात इस विधेयक में मुल्लाओं के प्राधिकृत विवरण को शामिल किया गया है। (व्यवधान)

सरकार ने अपना कर्तव्य निभा दिया है। हमें उस समुदाय के प्रति अपना कर्तव्य निभाना चाहिए जिसके हितों का प्रतिनिधित्व करने की बात हम कहते हैं।

महोदय, जैसा कि मैंने कहा हम इस देश को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के युग में लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपने देश में यह करने जा रहे हैं और यदि वे न भी करें तो भी हम करेंगे परन्तु यदि वे ऐसा करते हैं, तो यह आवश्यक है कि उस कानून का इस देश के लोगों की सहमति से एक वैज्ञानिक आधार होना चाहिए। यदि कोई विश्व ख्याति का मुस्लिम नेता है, जिसका इस देश में आदर है, महान विभूति, जिसने इस शताब्दी में अन्य किसी के मुकाबले इस्लामी सभ्यता को आधुनिक संदर्भ में एक सकारात्मक और शक्तिशाली रूप दिया है, तो वह है कमाल अतातुर्क, जिनका इस देश में सभी वर्गों के लोग, विशेषकर मुसलमान लोग बहुत आदर करते हैं। कमाल अतातुर्क इस्लाम धर्म के सुधारक थे। उन्होंने तुर्की में समाज का सुधार किया और एक बात जो कमाल अतातुर्क ने काफी पहले 1926 में अर्थात् 60 वर्ष पहले की, वह थी 'शरीयत' को समाप्त करना तथा तुर्की में स्विट्जरलैंड की सिविल संहिता को पूरी तरह तुर्की में लाना। इसलिए तुर्की में जो कि एक मुस्लिम बहुल देश है, व्यवहार में सभी अधिकारों और जिम्मेदारियों तथा स्वीय (पर्सनल) विधि के सम्बन्ध में स्विटजरलैंड की सिविल संहिता लागू है।

महोदय यह हमारे लिए गर्व का क्षण है कि विश्व के सर्वाधिक विकसित और औद्योगीकृत देशों की शिखर वार्ता यूरोप में नहीं हो रही है, जो कि औद्योगिक क्रांति का उद्गम स्थल है, यह उत्तरी अमरीका में नहीं हो रही है, बल्कि यह एक एशियाई देश में हो रही है और यह गर्व की बात है और उस एशियाई देश में जो कार्य किया गया है वह है एशिया की सुदृढ़ संस्कृति को बनाए रखना, उस देश की संस्कृति के प्रति अडिग वफादारी रखना, अपितु औद्योगिक देशों के नियमों को भी यहां लाया गया है क्योंकि केवल औद्योगिक देशों के नियमों के साथ केवल औद्योगिक ढांचे के साथ ही वे औद्योगिक क्रांति ला सकते थे और वास्तव में वे लाए भी। आज भारत औद्योगिक विकास के क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर है, अपनी संस्कृति अपने धर्म और अपने विश्वास को कायम रखते हुए हम आज की चर्चा के संदर्भ में ऐसी प्रथाएं, विशेषकर कानूनी प्रथाएं बनाएं जो हमें विकास और प्रगति की चुनौतियों का सामना करने दें। हमारे देश के अधिसंख्य निर्धन लोगों के लिए मुख्य समस्याएं वास्तव में धर्म की समस्याएं नहीं है। मुख्य समस्या आर्थिक पिछड़ेपन की है। मुख्य समस्या निरक्षरता की है और इस बारे में हम केवल सरकार पर निर्भर नहीं रह सकते। उस पक्ष से भी मित्र होने चाहिए और हम सबको मिलकर लोगों को संगठित करना चाहिए ताकि वे देश में और अधिक एकता कायम करने तथा उन लोगों का अधिक विकास और प्रगति करने के लिए स्वयं आगे आए जिनका हम समर्थन करने और जिनके हितों का हम प्रतिनिधित्व करने की बात कहते हैं। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं सभा को सूचित करता हूं कि अनेक सदस्यों ने इस विधेयक के

सम्बन्ध में बोलने के लिए अपने नाम दिए हैं। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी बात संक्षेप में कहें।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस विधेयक पर हम आज विचार कर रहे हैं वह इस सभा के लिए और भारत की जनता के लिए अति महत्व का है। परन्तु समस्या की वास्तविक दिशाएं छूटती जा रही हैं। मैंने चर्चा प्रारम्भ करने वाले तेलुगु देशम के सदस्य तथा अपने पुराने मित्र, श्री फैलीरो के भाषणों को बड़े ध्यान से सुना है। उन लोगों द्वारा पैदा की गई स्थिति पर आश्चर्य होता है जिन्हें वास्तव में मुस्लिम महिला अधिकारों अथवा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में पुर:स्थापित संशोधनों के क्रियात्मक भाग से कुछ लेना-देना नहीं है।

जब हम ऐसे मामलों पर चर्चा करते हैं जो सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के बारे में हमारी कल्पना हमारी राज्य व्यवस्था के प्रादुर्भाव की कल्पना का अभिन्न अंग है, तो हमें इन समस्याओं के ऐतिहासिक संदर्भ और ऐतिहासिकता को देखना चाहिए। हम स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान एक राष्ट्र के रूप में उभरे हैं। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय नेताओं का पहला प्रयास हमारे लोगों में, चाहे वे हिन्दू हों, ईसाई हों अथवा मुसलमान हों, एकता पैदा करना था। अपनी सभी अनेकताओं वाला यह विशाल देश एकजुट होकर आगे आया और हमें साम्राज्यवादी ताकतों के विरुद्ध लड़ाई लड़नी पड़ी तथा उस दौरान प्राप्त हुए अनुभव से हमें समाज के रूप में भारत की एक ऐसी व्यापक कल्पना करने में सहायता मिली जहां सभी धर्म, सभी भाषाएं और सभी अनेकताएं विद्यमान हैं। दुर्भाग्य से हाल के वर्षों में लम्बे स्वतन्त्रता संघर्ष के बाद बने इस संगठित राष्ट्र के सम्मुख एक स्पष्ट खतरा पैदा हुआ है। यह विधेयक सभा में अब पुर:स्थापित किया गया है परन्तु इससे पूर्व अनेक घटनाएं हो चुकी हैं।

मैं आपका ध्यान संगठित प्रयासों की ओर आकर्षित करता हूं और यह आश्चर्यजनक बात है। जब उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया तथा सरकार ने देश में अल्पसंख्यक समुदाय की आशंकाओं को शांत करने के लिए कुछ कदम उठाए, तभी एक संगठित आंदोलन शुरू हुआ। यह पूरी चर्चा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है। देश में प्रेस द्वारा और तथाकथित विद्वानों तथा विपक्ष के मेरे सभी विद्वान मित्रों ने एक संगठित आंदोलन शुरू कर दिया तथा राष्ट्र के अस्तित्व के खतरे तक की गंभीर भविष्यवाणियां कर डालीं। देश के अधिसंख्य मुसलमान इस फैसले के प्रति आशंकित थे और जब एक कदम उठाया गया तो कुछेक को छोड़कर सारा विपक्ष देश की प्रेस के साथ हो गया और एक प्रयास किया गया। संसद में अपनी अल्पावधि के दौरान तथा राष्ट्रीय मामलों के अल्पावधि के अपने अनुभव में मैंने लोगों को ध्रुवित करने का, साम्प्रदायिक आधार पर राष्ट्र को ध्रुवित करने का इससे अधिक निश्चित प्रयास मैंने नहीं देखा।

पंजाब, जिसका यहां उल्लेख किया गया है, की पृष्ठ भूमि में, देश को अस्थिर बनाने के अन्य प्रयासों की पृष्ठ भूमि में मेरी दृष्टि में इस देश में अस्थिरता पैदा करने का सुनिश्चित प्रयास और सुनिश्चित अस्त्र है लोगों के बीच फूट डालना और झगड़ा कराना। और यह प्रयास दुर्भाग्य से पता नहीं किस तरह—सफल रहा जिसमें कि तथाकथित बुद्धिजीवी भी शामिल थे।

एक बात हम पूरी तरह स्पष्ट कर लें। हमने दो राष्ट्रों के सिद्धांत देखे हैं, इतिहास इसका साक्षी है, लेकिन, इस के बावजूद कुछ मुसलमानों ने यहां रहना पसन्द किया।

इस संबंध में भाषण दिये गए हैं, देश में काफी जिम्मेदार व्यक्तियों ने यह कहा है कि अगर यह सही है और मुसलमानों की छोटी सी आशंका को दूर करने की कोशिश की गई तो इससे ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है जिससे देश की अखंड़ता को खतरा हो सकता है।

जब सांप्रदायिकता का जहर, दो राष्टों के सिद्धांत का विष इस समस्त उप-महाद्वीप में फैल रहा था और साम्राज्वादी ताकतें इसे बढ़ावा दे रही थीं तो दुर्भाग्य से देश विभाजित हो गया। लेकिन जो मुसलमान भारत में रहे उन्हें दो राष्ट्रों का सिद्धांत स्वीकार नहीं था और उन्हें भारत की प्राचीन परम्पराओं में आस्था थी। जिन लोगों ने यहां रहने का निश्चय किया तथा जिन्होंने भारत को अपनी मातृभूमि चुना उनकी देश भक्ति पर शंका नहीं की जा सकती और कभी भी नहीं की जानी चाहिए।

अब प्रश्न यह है कि हम किस रूप में एक राष्ट्र के रूप में प्रकट हुए हैं? क्या वास्तव में भारत में ऐसी शासन व्यवस्था होगी जिसमें मतभेदों को राज्य की शक्ति द्वारा कुचल दिया जाएगा अथवा दबा दिया जाएगा अथवा क्या हम अपनी सदियों पुरानी, प्राचीन परम्पराओं को सभी मतभेदों और विशेषताओं का, चाहे वे धार्मिक हों अथवा सांस्कृतिक हों सन्निवेश कर एक राष्ट्र के रूप में बनाए रखें इसी संदर्भ में हमारे राष्टीय नेता, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसकी कल्पना की थी। मैं आजादी से पूर्व में भारत के इतिहास में नहीं जाना चाहता। लेकिन हमें उस समय को नहीं भूलना चाहिए जब न केवल मुसलमानों के लिए अपितु हरिजनों के लिए भी अलग से निर्वाचन पद्धति की बात कही गई थी, जब हमारे समाज को धार्मिक, जांत-पांत और क्षेत्रीय आधार पर तोड़ने और विभाजित करने की कोशिश की गई थी। भारत की जनता एवं प्राचीन राष्ट्र के समक्ष सबसे अहम बात देश को एक संगठित स्वरूप देने की थी जिससे ब्रिटिश साम्राज्यवाद को समाप्त किया जा सके और देश को आजादी दिलाई जा सके। वर्षों के बलिदान और वर्षों के एकजुट संघर्ष के बाद भारत की जनता संगठित हुई और उसने आजादी हांसिल की। इसके पश्चात् हमने अपना एक संविधान बनाया जो कि इस बारे में पूरी तरह से स्पष्ट है। मैं संविधान के विस्तार में नहीं जाना चाहता लेकिन इस समय मैं कुछ बातों का उल्लेख करना चाहूँगा जो कि आज के इस वाद-विवाद से सीधे संबंधित हैं।

महोदय, हमारी कतिपय गलत धारणाएं है। मैं यहां इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि हमारी धर्म निरपेक्षता हमारे समाज की अनेकता पर आधारित है। हमें श्री चौबे और श्री सोमनाथ चटर्जी से धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत नहीं लेना है।.....(व्यवधान)

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : महोदय, हमने क्या नुकसान किया है? क्या यही बात है कि हम उतने सांप्रदायिक नहीं हैं जितने कि वह हैं और क्या इसलिए कि हम अधिक धर्म निरपेक्ष हैं?

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : वे सांप्रदायिकता पर जीते हैं। और धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) महोदय, मैं उत्तेजित नहीं हूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अगर उनकी आत्मा है तो, वह उत्तेजित होंगे। **(व्यवधान)**

प्रो० के० के० तिवारी : हमारा ही एक ऐसा अनोखा देश है जिसमें संसार के सभी प्रमुख धर्मों को मानने वाले रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से जिस दिन यह देश श्री चौबे और श्री चटर्जी की राजनैतिक और अन्य विचारधारा को स्वीकार कर लेगा उस दिन यहां नजरबन्दी शिविर होंगे **(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : उनके अनुसार हम नजरबन्दी शिविर के लिए सहमत हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : कोई भी असहमति नहीं होगी और हमारे देश की वह विविधता नहीं रहेगी, जिस विविधता ने हमारी संस्कृति को महान बहान बनाया है, जिसके सहारे सदियों हमारा देश मजबूत बना रहा है, वह विविधता उस समय समाप्त हो जाएगी, जब भारत की जनता दुर्भाग्य से श्री चटर्जी और श्री चौबे को भारत की जनता की आवाज बुलंद करने का मौका देगी।

महोदय, यह चिंता का विषय है। हमें इसे नहीं अपनाना चाहिए। यह गंभीर मामला है और इस समस्या को हमें गंभीरता से लेना चाहिए। जो कुछ हो रहा है वह एक राष्ट्रीय प्रश्न है। यह देश के अल्पसंख्कों के बारे में है। यह केवल मुस्लिम अल्प संख्यकों जिनकी संख्या 12 अथवा 14 करोड़ है, के बारे में ही नहीं है। यह देश में ईसाइयों जैसे अल्प संख्यकों के बारे में है। यह प्रश्न हिन्दुओं में भी अल्पसंख्यकों जैसे बौद्ध, जन, सिख आदि से भी सम्बन्धित है। यह प्रश्न वंचित वर्ग से संबंधित है। **(व्यवधान)**

देखिए·····हम आप को धैर्यपूर्वक सुनेंगे। मैं आप से यह प्रश्न पूछ रह हूं। देश की राजनीति में भागीदार के रूप में हम इन्हें कैसे लेते है? वे भी अपने को राष्ट्रीय दल कहलाने का दावा करते हैं। आप आंखें बंद करके, अल्पसंख्यकों की इस समस्या की, उनके कल्याण और उनकी विचारों की अनदेखी नहीं कर सकते। मुझे हैरानी है और सचमुच हैरानी है कि जनता जैसे दल में, श्री शहाबुद्दीन जैसे व्यक्ति मौजूद हैं। मुझे नहीं मालूम कि वह इस सभा में हैं अथवा नहीं। जनना पार्टी इस देश में सत्ता में रही है।

सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : जनता पार्टी अनेकता में एकता में विश्वास करती है।

प्रो० के० के० तिवारी : जनता पार्टी की अभी हाल ही में बैठक हुई थी लेकिन क्या हुआ। प्रो० दंडवते यहां मौजूद हैं। आखिरकार पार्टी होती क्या है? क्या जनता पार्टी यह सोचती है कि देश के लिए शल्पसंख्यकों का कोई महत्व नहीं है? किसी भी राष्ट्रीय समस्या के प्रति उनकी राय संगत नहीं होती। हम कांग्रेसियों को कांग्रेस की चिर स्थापित परम्परायें विराशत में मिली हैं और

भारत की जनता के अपने आप को संगठित रखने के प्रयत्न करने और देश के विभिन्न धर्मों के लोगों में परस्पर आस्था बनाए रखने और एक जुट होकर रहने तथा देश के लिए, देश की समस्याओं के लिए संघर्ष करते रहने की परम्परायें हैं।

प्रो० दंडवते की भी एक पार्टी है। महोदय, ढोंग करने की एक सीमा होनी चाहिए। (व्यवधान) जैसा कि मैंने कहा ढोंग की एक सीमा होती है।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, क्या यह नियम 193 के अधीन जनता पार्टी पर चर्चा है।

प्रो के० के० तिवारी : जनता पार्टी ने इस सदन के बाहर क्या किया ? उन्होंने बैठक की और विधेयक के बारे में एक संकल्प पारित किया। वे इस सभा में आते हैं। सब आजाद हैं और जनता पार्टी·····(व्यवधान)

सैयद शहाबुद्दीन : तिवारी जी थोड़ा सी शुद्धि करना चाहता हूं। जनता पार्टी के संकल्प में यह नहीं कहा गया कि पार्टी इस विधेयक का विरोध करती है। ऐसा कहना सदन को गुमराह करना है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति !

सैयद शहाबुद्दीन ; हमारी पार्टी इस विधेयक का न तो समर्थन कर रही है और न ही विरोध और इसने सदस्यों से कहा है कि वह इसके बारे में जैसा चाहें मत दें।

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या श्री मधु दंडवते, श्री शहाबुद्दीन जो कुछ कह रहे हैं उसे स्पष्ट करेंगे क्योंकि हम यह महसूस करते हैं कि जनता पार्टी के नेता होने के नाते उन्हें सभा के सूचनार्थ इसे स्पष्ट करना चाहिए ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री तिवारी को छोड़कर आप सब अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह जानना चाहूंगा, जो दंडवते साहब ने सवेरे प्वाइंट-आफ-आर्डर उठाया था, उसका क्या सिलसिला था, उसका कोई फैसला हुआ या नहीं हुआ ?

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : कृपया आप मुझे मेरे कक्ष में मिलें।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : ये महत्त्वपूर्ण मामले हैं और हम अपने आपको इन मामलों से अलग नहीं रख सकते हैं। मैं जनता दल का उल्लेख कर रहा था। यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता; दल की बैठक हुई और सभा में शीघ्र ही

आप प्रो० मधु दंडवते और श्री शहाबुद्दीन के विचार सुनेंगे। भारतीय जनता दल दोहरी चाल चल रहा है। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : श्री आरिफ मोहम्मद खां और श्री अन्सारी भी। कौन खरगोश है और कौन शिकारी कुत्ता है ? कृपया मुझे बताएं।

प्रो० के० के० तिवारी : वह खरगोश हैं। आप शिकारी हैं। आप उनके साथ भाग रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है कि किसी सदस्य का नाम न लें। सम्बन्धित व्यक्तियों के नाम न लेना ही अच्छा होगा।

प्रो० के० के० तिवारी : वे सभा के सदस्य हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्यों के नाम न लेने का प्रयास करें।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं हमेशा उन माननीय सदस्यों का उल्लेख कर सकता हूं जो यहां उपस्थित हैं। राजनीति को साम्प्रदायिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है; और जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है; आप एक बार इस देश के राजनीतिक स्वरूप को देखें, क्योंकि मैंने एक बार देखा कि भारतीय साम्यवादी और भारतीय साम्यवादी दल (मा०) राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साथ पूर्ण रूप से सहमत था। (व्यवधान) मुसलमानों को उकसाया जा रहा है। यदि हम भी उसी प्रकार करते रहे जैसा कि जनता दल के सदस्य कर रहे हैं, प्रो० मधु दंडवते हिन्दुओं की बुद्धिजीवियों की और प्रगतिशील लोगों की बात करते है; सैयद शहाबुद्दीन रूढ़िवादियों और धर्म जागरणवादियों का समर्थन करते हैं। अत: उन्हें सम्पूर्ण देश में मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करने के लिए भेजा जाता है। प्रो० मधु दंडवते और उनके नेता और अन्य सदस्य इस सरकार की निन्दा करते रहते हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि हम रूढ़िवादियों के आगे समर्पण कर रहे हैं। भारत में मुसलमानों का प्रश्न अथवा अल्पसंख्यकों का प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए एक धर्मसिद्धांत है और जिन्होंने महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इन्दिरागांधी को अपना आदर्श माना है, वे लोग इस वचनवद्धता से डिग नहीं सकते, यह एक राष्ट्रीय प्रतिज्ञा है, जैसा कि हमारे संविधान के निर्माताओं में से एक निर्माता डा० अम्बेडकर ने कहा है और जैसा कि पंडित नेहरू जी ने सैकड़ों बार इस आश्वासन को दोहराया है कि भारत में अल्पसंख्यकों, विशेश रूप से सबसे बड़े अल्पसंख्यक दल, मुसलमानों को विशिष्ट ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण, अपने भविष्य के बारे में कभी भी आशंकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत हजारों वर्षों विभिन्न मतावलम्बियों धर्मों और जातियों का बहुत बड़ा संगम स्थल रहा है और यहां वे सभी इकट्ठे रहते हैं और अपने अपने धर्म का अनुसरण करते रहते हैं। यहां उन्हें दबाने अथवा उन्हें मिलाने का कभी भी कोई प्रयास नहीं किया गया सम्भवत: यह धारणा भारतीय संस्कृति और भारतीय जीवन विचारों के प्रतिकूल है। अत: प्रगतिशील कहे जाने वाले सदस्य, जो देश भर में जाकर साम्प्रदायिकता के बारे में बातें करते हैं, मेरा कहना है कि यह विधेयक ठीक समय पर प्रस्तुत किया गया है क्योंकि देश में साम्प्रदायिकता को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। एक

ओर लोग सारे देश में जा रहे हैं और इसके पीछे क्या हो रहा है ? मैं सही बातों का ही उल्लेख करूंगा। आप कल्पना कीजिए कि कलकत्ता उच्च न्यायालय में क्या हुआ जहां श्री चटर्जी वकालत करते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : आपके मंत्री, श्री ए० के० सेन भी वहां वकालत करते हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : धार्मिक ग्रन्थ कुरान का परिचालन बन्द किया गया। हमें यह नहीं भूलना चाहिए उसके बाद यह निर्णय आया और तत्पश्चात रामजन्म भूमि इत्यादि सम्बन्धी निर्णय आये। इस देश के वातावरण को भावनाओं और साम्प्रदायिक पृष्ठिभूमि में प्रेरित किया गया। इस साम्प्रदायिक प्रक्रिया को शुरू किया गया, ऐसी स्थिति उत्पन्न की गई और मेरा दल और मैं प्रधान मंत्री जी के आभारी हैं क्योंकि उन्होंने राष्ट्र को अव्यवस्थित करने वाली अहितकारी शक्तियों और इस विभाजन का लाभ उठाने का प्रयास करने की चुनौतियों को भली प्रकार समझा। इसलिए यह विधेयक ठीक समय पर आया है और वस्तुतः इस विधेयक का प्रत्येक शब्द अधिक संरक्षण प्रदान कर करता है और वर्तमान कानूनों को और अधिक स्पष्ट करता है और इसमें कोई अपवाद नहीं हो सकता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है समाचार पत्रों में बहुत पाण्डित्य व्यक्त किया गया है, लोग बहुत ही उत्साह और जोश से लिख रहे हैं, इनमें से बहुत से लोग और मेरे बहुत से विपक्ष के मित्रों ने जो संवैधानिक कानूनों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। विधेयक को, जिस रूप में यह विद्यमान है, पढ़ने अथवा संविधान के पूर्व उपबन्धों की ओर ध्यान भी नहीं दिया। अतः इस सन्दर्भ में, विधेयक जिस रूप में है संयुक्त भारत की विविधताओं और विशालता के साथ अपनी परम्पराओं को बनाए रखने की यह एक प्रतिज्ञा है और एक राष्ट्रीय प्रतिज्ञा है। महोदय, उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय से पहले भी, इन मुस्लिम कानूनों का न्यायालयों में सम्मान किया जाता था। इसलिए इस समय, इतने दिनों बाद, अब यह कहना कि चूंकि जैसा कि मेरे मित्र श्री फैलीरो, जो एक विद्वान अधिवक्ता हैं, ने उल्लेख किया है कि वह·····कि····· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

प्रो० के० के० तिवारी : परन्तु, महोदय मैं यह कहना चाहता हूं कि कैसे कानून विशेष रूप से पारित कानूनों को—सांस्कृतिक जीवन और किसी समुदाय की संस्कृति से पृथक नहीं किया जा सकता। यह केवल कानून का ही प्रश्न नहीं है बल्कि यह एक सांस्कृतिक दल के निर्माण के लिए कानून के माध्यम से सम्पूर्ण विचारधारा को प्रेरित करने तथा किसी समुदाय के लोगों के लिए बातचीत का रास्ता तय करने का भी प्रश्न है। अतः यह विधेयक बहुत ही ठीक समय पर आया है ओर मैं इस विधेयक के उपबन्धों की जोरदार शब्दों में सराहना करता हूं, बहरहाल उन लोगों के प्रवक्ता और षडयन्त्र, जो ऐसे विभाजनों के बलबूते पर, फलते फूलते रहे हैं, धर्म के नाम पर, दमन के नाम पर और मारकाट करके भारत को विभाजित करते रहे हैं और दुख की बात यह है कि

विपक्षी सदस्य जानबूझ कर या अनजाने में उनका समर्थन कर रहे हैं क्योंकि वे उसका राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं और हमारी चिन्ता निर्धन वर्ग के उद्धार की रही है। हम उन दलों के समान नहीं हैं जो हर रोज पैदा होते हैं और समाप्त हो जाते हैं। महोदय, हम कोई जनता पार्टी नहीं हैं। हमारा सौ वर्षों पुराना दल है जो भारत के संविधान के उपबन्धों के अनुसार राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का है।

इसलिए, मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ और विपक्ष के अपने मित्रों से भी सम्पूर्ण विधेयक के उपबन्धों के लिए अपना समर्थन देने का अनुरोध करता हूं।

श्री संफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, आज इस मौके पर धर्मनिरपेक्षता **(व्यवधान)** मानवता **(व्यवधान)** और नारी की गरिमा की समाप्ति पर शोक प्रकट करने के लिए मौन रहना ही सर्वथा उचित होगा। **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ समय में ही आवाज सुनाई देगी।

श्री संफुद्दीन चौधरी : आज संसद जिसकी कानून बनाने की समाज सुधार करने की समाज सुधार हेतु विधि बनाने की शानदार परम्परा रही है, राजनैतिक बहुमत के हाथों छिन्नभिन्न की जा रही है।

प्रो० के० के० तिवारी : आपका पोलित ब्यूरो है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हां हमारा पोलित ब्यूरो है लेकिन आपके पास तो इसका केवल एक प्रतिशत है और चापलूस हैं। **(व्यवधान)**

श्री संफुद्दीन चौधरी : आपकी कोई विचारधारा नहीं है।

प्रो० के० के० तिवारी : हमारी पार्टी, दलगत विचारधारा और दलगत पोलित ब्यूरो में विश्वास नहीं रखती।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया टीका टिप्पणी न करें। उन्हें बोलने दें।

श्री संफुद्दीन चौधरी : कृपया उनसे चुप रहने को कहें। यदि मैं चुप रहता हूं **(व्यवधान)** तो इस चुप्पी को सरकार कहीं इस विधेयक के प्रति हमारे समर्थन के रूप में न मान ले। इसलिए मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं धर्मनिरपेक्षता, नारी की गरिमा और देश की एकता के पक्ष में बोल रहा हूँ।

4·00 म० प०

मुझे यह कहते हुए दुःख है कि कांग्रेस जिसकी धर्मनिरपेक्षता की परम्परा है और जो सदा साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध लड़ने तथा अन्य तमाम बातों का दावा करती है आज स्वयं अपनी

शानदार परम्पराओं को बुरी तरह तोड़ रही है और इस कांग्रेस (आई०) को पुरानी कांग्रेस द्वारा पहले किए गए अच्छे कार्यों का श्रेय लेने का कोई अधिकार नहीं है···(व्यवधान)

मुझे आपको यह कहते हुए दु:ख है कि न केवल वह एक बहुत गलत बात कर रहे हैं, लेकिन उसकी आड़ में वे धोखा दे रहे हैं। विपक्षी नेताओं से बैठक के दौरान उस व्यक्ति ने, जो असली कर्त्ता-धर्त्ता है, विपक्षी सदस्यों से कहा कि न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने स्वीकार किया है कि धारा 125 के तहत दम्पत्ति अदालत में जा सकते हैं।

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : वह क्या कह रहे हैं।

प्रो० मधु दंडवते : वह सच कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : कल मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ है और शायद अन्य अनेक सदस्यों को भी प्राप्त हुआ होगा जिसमें कहा गया है कि न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने ऐसा कभी नहीं कहा है और खंडन किया गया है उनका मानना है कि तलाक लेने वाले के लिए धारा 125 के अन्तर्गत जाना उसकी अपनी इच्छा पर निर्भर करेगा।

प्रो० के० के० तिवारी : मेरा व्यवस्था सम्बन्धी एक प्रश्न है। अप्रमाणित बातचीत का विशेष तौर से प्रधान मन्त्री जी के बारे में उल्लेख इस सभा में नहीं किया जा सकता। आप यह कैसे प्रमाणित कर सकते हैं कि इस पर चर्चा हुई अथवा नहीं और प्रधान मन्त्री जी ने क्या कहा? वह हर बात को तोड़ मरोड कर कह रहे हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : ऐसे अप्रमाणित वक्तव्य अथवा वार्तालाप को कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि ऐसा कुछ है तो मैं देखूंगा।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आज उन सबकी परीक्षा का समय है जो धर्मनिरपेक्षता और हमारे देश के सभी नागरिकों के लिए समान कानून की बात करते हैं। आज हमारी अन्तरात्मा की परीक्षा की घड़ी है और इस पर ह्विप नहीं किया जा सकता है इस पर कौन ह्विप देगा? आज मैंने समाचार पत्रों में देखा है कि एक राज्यमंत्री ने, जो कि पर्यावरण के लिए राज्य मंत्री है लेकिन हर समय मैंने उन्हें प्रदूषण और जंगलों के बारे में उत्तर देते हुए सुना है, ह्विप दिया है। यह मैंने 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' में पढ़ा है।

श्री बाल कवि बैरागी : यह गलत है (व्यवधान)

4·03 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : इसके अतिरिक्त मैंने एक पत्र देखा है और मैं इसका उल्लेख कर

रहा हूं। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इस विधेयक को समर्थन देने के लिए ह्विप देना हमारी महिला वर्ग पर ह्विप करना होगा। लेकिन अभी भी वक्त है। यद्यपि मैं उर्दू नहीं बोल सकता, मैं फैज अहमद फैज द्वारा लिखित चार पंक्तियों को उद्धृत करना चाहूंगा। मेरा उच्चारण गलत हो सकता है, फिर भी मैं इसे पढ़ने की कोशिश करता हूं।

[हिन्दी]

बोल यह थोड़ा वक्त बहुत है,
जिस्म-ओ-जबां की मौत से पहले,
बोल जो कुछ कहना है कह ले,
बोल के सच जिन्दा है अब तक।

[अनुवाद]

लेकिन अब मैं यह नहीं जानता कि किससे मैं आशा कर रहा हूं। मैंने तमाम लोगों से बात की है। दिल से वह इस विधेयक का विरोध करते हैं। वह महसूस करते हैं कि यह धर्म निरपेक्षता के विरुद्ध है। यह स्त्री जाति को कहां ले जाएगा मैं नहीं जानता·····

एक माननीय सदस्य : भेड़ियों के सामने ले जाकर पटक देगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैंने पहले भी यह कहा है। अब मैं यह कहूंगा कि वे व्यक्ति जो शरीर से मनुष्य हैं लेकिन अपने मस्तिष्क और व्यवहार में पशुवत हैं और यही कारण है कि मैं उनसे कोई आशा नहीं कर सकता। मैं दो अन्य पंक्तियां उद्धृत करना चाहूंगा।

[हिन्दी]

विकार में तेरो गलियों पे ऐ वतन के जहां,
चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : जो भी है, मैंने आपसे कहा है, मैं इसका ठीक से उच्चारण नहीं कर सकता। अब, महोदय, उस व्यक्ति से विधि मंत्री से, जिन्हें कुछ व्यक्ति विधि तारामंडल का देवीव्यमान सितारा मानते हैं—हो सकता है मैं नहीं जानता, अनुरोध है कि इसके बाद उन्हें बंगाल की धरती पर कदम नहीं रखना चाहिए। बंगाल ने राजा राममोहन राय जैसे व्यक्ति को जन्म दिया और उनके वहां जाने पर उनके नाम पर धब्बा लगेगा। **(व्यवधान)**

प्रो० के० के० तिवारी : आपने पश्चिम बंगाल में ऐसा पहले ही कर दिया। आपने उन्हें पाठ्य पुस्तकों से निकाल दिया है। **(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मैं आज यह बात नहीं कहना चाहता कि यह विधेयक किस प्रकार पवित्र कुरान का उल्लंघन करता हैं। यह बात मैं पहले बता चुका हूं। और यदि मैं सदन में कहता हूं तो महान धार्मिक प्राधिकारी प्रधान मंत्री इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने अपने एजेन्टों को उपदेश दे दिया है जो पवित्र कुरान और मुसलमानों की ओर से बोलेंगे। हम नहीं बोल सकते। और मैं इस बारे में भी नहीं कहना चाहता। परन्तु आज विधि मत्री ने कहा है कि हमने जैसा अब किया है ऐसा अनेक मुस्लिम देश कर रहे हैं। यह संसद ग्रन्थालय की एक पुस्तक है···(व्यवधान)।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमने नहीं छापी है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हमने भी नहीं छापी है। यह अनुरक्षण (मेंटीनेंस) के सम्बन्ध में है। प्रतिपूर्ति के नाम पर वे कहते हैं 'तीन महीने से अधिक'। इंडोनेशिया में यह तीन महीने से अधिक है। फिर, ईरान, इराक, लीबिया·····(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : चीन।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : चीन मैं·····(व्यवधान) महोदय, वे मेरा समय ले रहे हैं।···(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : वह लाल रंगों और हरे रंगों में भ्रम कर रहे हैं। यह विडम्बना है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यमन, कतार, सूडान, ट्यूनीशिया, तुर्की के लोकतांत्रिक गणराज्यों में अर्थात् उल्लिखित देशों में से 90 प्रतिशत देशों में बेहतर कानून है, संशोधित कानून है। उन्हें इस ग्रन्थालय से लेकर उसका अध्ययन करना चाहिए था। ऐसा करना बेहतर होता। इसलिए मैं उस बारे में नहीं बोल रहा हूं, परन्तु मुझे कहना है कि·····(व्यवधान)

श्री अजीज सेठ (धारवाड़ दक्षिण) : महोदय, वे ईरान, इराक और जो भी मुस्लिम देश वे जानते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, परन्तु किस अवधि की बात कर रहे हैं ?···(व्यवधान)।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, भारत में मिश्र के राजदूत ने अपने देश के पर्शनल लो के बारे में हम सांसदों को एक पत्र भेजा है। मिस्र के संविधान के अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि—

> "एक उचित रूप से विवाहित पत्नी, जिसे पति द्वारा उसकी सहमति के बिना तलाक दे दिया गया हो, सामान्य निर्वाह खर्चे के अतिरिक्त कम से कम 2 वर्षों तक मुआवजा पाने की हकदार होगी।"

महोदय, इस व्यवस्था को आप यहां क्यों नहीं अपनाते ? मैं अभी विस्तार में नहीं जा रहा हूं।

संवैधानिक पहलू के बारे में मैं कहूंगा कि यह विधेयक संविधान विरोधी है। यह मानव विरोधी है, यह धर्मनिरपेक्षता विरोधी है। यह बाल विरोधी है। यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन

करता है जिसमें कहा गया है कि "भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के सक्षम समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा।"

यह अनुच्छेद 15 (1) का भी उल्लंघन करता है जिसमें कहा गया है कि "राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।" यह अनुच्छेद 51 क (ङ) का उल्लंघन करता है जिसमें कहा गया है कि 'महिलाओं की प्रतिष्ठा का अपमान करने वाले कार्यों का परित्याग करें।' यह अनुच्छेद 44 का उल्लंघन करता है जिसमें समान सिविल संहिता की बात कही गई है। यह संविधान के अनुच्छेद 39 (च) का उल्लंघन करता है जिसमें कहा गया है कि 'बालकों को स्वस्थ ढंग से तथा स्वन्त्रता और गरिमा की स्थिति में विकास करने के अवसर और सुविधाएं प्रदान की जायें तथा शैशव और किशोर अवस्था का शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से संरक्षण हो।' अब इस विधेयक में बालकों के 2 वर्ष के निर्वाह की व्यवस्था है। उसके बाद बच्चों की देखभाल कौन करेगा? (व्यवधान) क्या आप उस मां से यह अपेक्षा करते हैं जो स्वयं अपने निर्वाह के लिए दर-दर भीख मांगती फिरेगी, कि वह अपने बच्चे का भी निर्वाह करे। वह वह यह कैसे कर सकती है? सरकार को कहना चाहिए, हम बच्चे का निर्वाह करेंगे। अगर हमारे पास सत्ता होती तो हम बच्चे का निर्वाह करते। महोदय, उसके बाद यह संविधान के अनुच्छेद 25 (1) का उल्लंघन करता है। हमने धर्म की स्वतन्त्रा प्रदान की है परन्तु यह सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य की शर्त पर है। यह अनुच्छेद 25 (2) का भी उल्लंघन करता है जिसमें कहा गया है कि 'इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी वर्तमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा राज्य के लिए किसी ऐसी विधि के बनाने में रुकावट न डालेगी जो धार्मिक आचरण से सम्बद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक अथवा अन्य किसी प्रकार की लौकिक क्रियाओं का विनिमयन अथवा निर्बन्धन करती हो। यह हमारे संविधान का भी उल्लंघन करता है जिसमें कहा गया है कि हम धर्म निरपेक्ष हैं। इस देश में धर्म निरपेक्षता एक मिथ्या नाम है। इस देश में धर्म निरपेक्षता धार्मिक है और धर्म साम्प्रदायिक है। अब देखिए उन्होंने 38 वर्षों बाद इस देश में क्या किया है? इसकी तुलना में देखिए कि हम पश्चिम बंगाल में अल्प संख्यकों को किस प्रकार संरक्षण दे रहे हैं। यदि वे हमें अपना मत न दें तो भी हम उन्हें संरक्षण प्रदान करते रहेंगे। हमारे अन्दर कोई दुर्भावना नहीं है: हम बुरे आरोप की खुले आम निन्दा कर सकते हैं। अब आप जो कर रहे हैं वह यह है। आप मुसलमानों को अपनी औरतों को तंग करने के लिए उसका रहे हैं और उनके आदमियों को बाराबंकी ले जा रहे हैं। जिनमें से 12 आदमियों को मार डाला गया है। अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद और भिवंडी में मुसलमानों को बिल्कुल संरक्षण नहीं दिया गया है। प्रतिदिन उन्हें मारा जा रहा है (व्यवधान)। वे किसे संरक्षण देना चाहते हैं? क्या आपका प्रशासन अथवा पुलिस उन्हें संरक्षण दे रही है? (व्यवधान)। अब मैं एक बात कहता है। कोई कह रहा है कि जब यह स्वीय विधि को संहिताबद्ध करता है तो यह एक महान सामाजिक प्रगति है। स्वीय विधि को संहिताबद्ध किया जा रहा है। कैसा संहिताकरण, जब पत्नी को घर से बाहर निकाला जा रहा है तो कोई रूढ़िवादी यह कहने के लिए आगे नहीं आया कि कोई ऐसा कानून होना चाहिए ताकि इस प्रकार की बातें न हों। अब निर्वाह के बारे हो

हल्ला मचा हुआ है। उनके मस्तिष्म में क्या है ? इसलिए, मैं इसे कोई प्रगति नहीं समझता और यह स्वीय विधि का संहिताकरण नहीं है, बल्कि यह तो रूढ़िवादिता की किलेबंदी है।

परसों प्रधानमंत्री कह रहे थे 90 प्रतिशत मुसलमान इस विधेयक के पक्ष में हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया शांति बनाए रखिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, श्री महफूज अली खां इसे 99 प्रतिशत बता रहे हैं। मैं मानता हूं। मैं यह मानता हूँ कि 99 प्रतिशत मुसलमान इस विधेयक के पक्ष में हैं। मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया है जिसमें मैंने इस विधेयक के बारे में मुस्लिम महिलाओं का जनमत संग्रह करने के लिए कहा है। इसलिए यदि 99 प्रतिशत मुसलमान इसके पक्ष में हैं, तो मेरा संशोधन प्रस्ताव स्वीकार होना चाहिए। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया शांति बनाए रखिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, आप जानते है कि कुछ समय पहले वोट क्लब पर मुस्लिम महिलाओं की एक बैठक हुई थी—हमारी बैठक नहीं, उनकी बैठक। हमारे आदमी वहां भी गए, उन्होंने उनसे बात की और उन्हें बताया कि सरकार वक्फ बोर्ड को 50 करोड़ रुपए की धनराशि दे रही है और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इसका विरोध कर रही है वह 50 करोड़ रुपए की धनराशि कहां है ? जब हमारे आदमियों ने विधेयक की विषय-वस्तु के बारे में बात की तो बैठक में भाग ले रही सभी महिलाओं और जिनसे हमारे आदमी सम्पर्क कर सके उन सभी ने यह कहा कि 'हम इस विधेयक की भर्त्सना करने के लिए आपकी रैली में आ रहे हैं। अब महोदय मैं मांग करता हूं। .....(व्यवधान)।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, यह क्या है ? यह 40 मिनट से बोल रहे हैं।

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये। केवल सदस्य को बोलने दें। लगातार टिप्पणी न करें अन्यथा, उनका समय बर्बाद हो रहा है। हम चर्चा पूरी नहीं कर सकेंगे।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय सरकार वक्फ बोर्ड को धनराशि नहीं दे रही है। मुझे नहीं पता कि यह संवैधानिक दृष्टि से वैध है या नहीं। परन्तु तलाकशुदा महिला, जो बेसहारा हो जाएगी, के साथ यदि कोई सहानुभूति है तो ऐसी हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई तलाकशुदा महिलाओं की

सुरक्षा के लिए उन्हें न्यास बनाने चाहिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम उन्हें कर देंगे। पूरा देश कर देगा। उन्हें न्यास बनाने दें। परन्तु वे कह रहे हैं कि सरकार उन्हें जो देना चाहती है हम उसका विरोध कर रहे हैं। यह गलत बात है।

मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूं। किसी ने कहा है कि विधेयक में नई स्थिति है। जब पति अपनी पत्नि को तलाक दे देता है तो वह अपने पिता या भाई के पास जाती है। महोदय, मैंने बम्बई की एक लड़की से शादी की है। उसे बम्बई में अपने माता पिता के पास जाना पड़ेगा।...**

(व्यवधान)

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : ऐस न करें। माननीय सदस्य से मेरा अनुरोध है कि वह ऐसा न करें।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मुझे एक बात और कहनी है। मुझे यह कहना है कि जब पति तलाक देकर पत्नी को घर से निकाल देता है तो वह अपने माता-पिता के पास जाती है। वे उसे अपनाते हैं और उसे सहारा देते हैं और अन्याय के लिए न्यायालय में जाते हैं। अब स्थिति कई हैं। जब उसका पति उसे घर से निकाल देता है तो भाई उसे अपनाने से इन्कार करेगा। वह कहां जाएगी? उसे कौन आश्रय देगा? क्या कोई ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकार कहे कि जब तक मजिस्ट्रेट निर्णय नहीं देता, हम उसकी सुरक्षा करेंगे। वे इस प्रकार की व्यवस्था इसमें शामिल करें।

महोदय, दो या तीन बातों की निन्दा करता हूं। पिछले दिन प्रधानमन्त्री ने कहा कि महिलाओं को समानता प्रदान करना पश्चिम की अवधारणा है जो भारत पर लागू नहीं होती।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : यह सही नहीं है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महिलाओं के प्रतिनिधि मंडल को उन्होंने ऐस कहा था। मैं जानना चाहता हूं.....**.....

श्री एडुआर्डो फलीरो : यह क्या है? यह बहुत खराब बात है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं.....

वाणिज्य और खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : यह बहुत खराब बात है। इस प्रकार बोलना बहुत खराब है .....**.....(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाला नहीं जागए।

श्री पी० शिवशंकर : महोदय, इसे कार्यवाही वृतांत से निकाला जाना चाहिए। यह तरीका

* *अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

नहीं है । यह क्या है ?यह आपका बोलने का तरीका है । यह क्या है ?**····कृपया उचित व्यवहार करें । (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये ।

श्री पी० शिवशंकर : आपको यह कहते हुए शर्म नहीं आती । (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये, मैं बोल रहा हूं ।

श्री वासुदेव आचार्य : महोदय, उन्होंने सही बात कही है ।

सभापति महोदय : जो कुछ उन्होंने कहा है उसकी पूरी जांच की जाएगी और फिर उसे कार्यवाही सारांश से निकाला जाएगा । कृपया बैठ जाएये ।

श्री पी० शिवशंकर : यह अपनी संस्कृति और सभ्यता है ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इसकी जांच की जाएगी और फिर कार्यवाही वृतांत से निकाला जाएगा । आप बैठ जाइये । जो कुछ उन्होंने कहा है उसकी जांच की जाएगी और फिर उसे कार्यवाही वृतांत से निकाला जाएगा ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह कार्यवाही वृत्तांत में होगा ।

श्री संतोषमोहन देव (सिल्चर) : महोदय, मैं नियम 222 के अन्तर्गत एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ ।

विपक्ष के माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है उससे मैं चकित नहीं हुआ हूं क्योंकि उनके एक भूतपूर्व वित्तमंत्री ने कहा था कि "मैं एक साम्यवादी हूं परन्तु एक भद्रपुरुष नहीं हूँ ।" ये इसी प्रकार के लोग हैं और ऐसा कहना उनके लिए सही है ।

प्रो० के० के० तिवारी : उन्होंने जो कुछ कहा है वह सदन के लिए अपमानजनक है ।

सभापति महोदय : मैंने प्रो० एन० जी० रंगा को बोलने की अनुमति दी है ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : उन्हें अपनी बात समाप्त करने हैं ।

प्रो० मधु दंडवते : ज्याद परेशान करने की आवश्यकता नहीं है । उन्हें अपनी बात समाप्त करने के लिए दो मिनट का समय दे दीजिए ।

सभापति महोदय : वह सभी प्रकार का समय ले चुके हैं । मैंने उन्हें अतिरिक्त समय भी दे दिया है ।

---

* *अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया ।

प्रो० मधु दण्डवते : उन्हें बात समाप्त करने के लिए दो मिनट का समय देने की कृपा करें।

सभापति महोदय : हम उन्हें 18 मिनट का समय दे चुके हैं। उन्होंने 25 मिनट का समय ले लिया है। अब और समय नहीं दिया जा सकता।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मुझे अपनी बात समाप्त करने दें।

सभापति महोदय : एक मिनट के अन्दर अपनी बात समाप्त करें।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : इसके बहुत खतरनाक परिणाम होंगे। इससे हमारे लोगों की एकता प्रभावित होगी। **(व्यवधान)** इस काले विधेयक के लाने तथा देश का अहित करने के लिए मैं सरकार की निंदा करता हूं।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि मेरे युवा तथा उत्साही मित्र श्री सैफुद्दीन चौधरी ने ऐसी भयंकर गलतियां की है। चर्चा की गर्मी में सभी गलतियां करते हैं परन्तु उनके स्वयं के लिए यह दुर्भाग्य की बात है कि उन्होंने गलती की है। उनके लिए यह उचित होता कि एक सदस्य की जिम्मेदारी को समझते हुए उन्हें सदन में अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए, उन्हें अच्छा व्यवहार करना चाहिए था और अच्छा व्यवहार करते रहना चाहिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : गलती क्या है ?

प्रो० एन० जी० रंगा : जो गलती उन्होंने की है उसके लिए खेद व्यक्त करें। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : यह वाद-विवाह है। आप बार-बार क्यों खड़े हो रहे हैं ?

प्रो० एन० जी० रंगा : राष्ट्रीय और व्यक्तिगत तौर पर यह अच्छा नहीं है उन्हें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी। मेरे माननीय मित्र और उनका साथ देने वाले अनेक सदस्य अपने आपको अन्तर्राष्ट्रीय वाद का दावा करते हैं। अत: उनके लिए देश का विघटन या देश को अव्यस्थित करने करने का मामला इतना गम्भीर नहीं है जितना हमारे जैसे लोगों के लिए जिन्हें ब्रिटिश राज के दिनों में, राष्ट्रवाद, भारत की एकता के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना पड़ा जब ब्रिटिश सरकार मित्र राष्ट्रों की तलाश में थी और जब हमारे अनेक प्रमुख व्यक्तियों ने अपने प्रयोजन से अंग्रेजों के साथ मिलना उचित समझा था। **(व्यवधान)** अत: इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीयवाद की धारण उनके लिए कुछ भारी पड़ती है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान न डालें।

प्रो० एन० जी० रंगा : साथ ही राष्ट्रवाद की बात है। मैं आपने दो मित्रों, प्रो० के० के० तिवारी और श्री एडुआर्डो फैलीरो को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने इस सदन में होने वाले सामान्य वाद विवाद के अतिरिक्त अच्छा योगदान दिया है। उनका समस्त योगदान इस एक मुख्य तथ्य पर

आधारित है। क्या इस देश को एक-साथ रखा जाना चाहिए ? क्या इस देश को एक समझा जाना चाहिए ? क्या इसकी एक साथ जोड़े जाने में मदद की जानी चाहिए अथवा इसके टुकड़े-टुकड़े करने में मदद की जानी चाहिए ? हमने सकारात्मक रुख अपनाया है और उस दृष्टिकोण से वे इस निष्कर्ष पर पहुचे हैं और यह सही निष्कर्ष है कि इस इस सभा में प्रधानमंत्री महोदय तथा हमारे दल द्वारा जो रुख अपनाया गया है वह सही है।

विपक्ष में बैठे हमारे मित्र, जो अब तक बोले हैं लगता है विधेयक में स्वयं को लगने वाली कमी का लाभ उठाने को बड़े उत्सुक हैं। उन्हें इसका हक भी है। लेकिन उनका यह कर्त्तव्य भी है कि वे उन सभी संशोधनों, जिनकी सूचना दी गई है, की जांच करें। खुद सरकार ने एक संशोधन के लिए सूचना दी है।...

श्री इन्द्रजीत गुप्त : बनावटी संशोधन।

प्रो० एन० जी० रंगा : जिसमें उन्हें प्रदर्शन करने की अनुमति है—वे जनमत-संग्रह के लिए कह रहे हैं—वे बहुमत—न केवल बहुमत बल्कि मुस्लिम समुदाय के उस पर्याप्त अल्पमत का प्रदर्शन करना चाहते हैं जो इस विधेयक के हक में नहीं है। इसका प्रदर्शन करने दीजिए। सरकारी संशोधन, जिसकी आज सूचना दी गई है और हमारे बीच परिचालित किया गया है, सभी मुसलमान पुरुषों तथा महिलाओं को, जो मुलसमानों के धर्माधिकारियों तथा उनके प्रतिनिधियों के दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं, एक अवसर प्रदान करता है और उनके मित्रों जो इस सभा में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के खिलाफ तथा श्री बनातवाला द्वारा पुरःस्थापित विधेयक के हक में जोशिले ढंग से बोले थे उन्हें यह कहने का अवसर दिया गया है कि "हम पुराने कानून के अनुसार विवाह नहीं करना चाहते" उस कानून के अनुसार जो पैगम्बर से मिला है। "हम वह स्वतन्त्रता प्राप्त करना चाहेंगे जो उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए जाने का अनुमान है जो प्रत्येक व्यक्ति तथा सभी समुदायों के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता में उपलब्ध हैं।" अब उन्हें वह कार्य करना चाहिए। सरकार इस प्रस्ताव के साथ आगे आई है। अब यह क्यों—आप कह सकते हैं—कि सरकार ने इस बारे में उस समय नहीं सोचा ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यह प्रजातांत्रिक सरकार है। हम मुसलमानों की उस आवाज को मूल रूप देने को आतुर थे, जिसे हम एक बहुत बड़े बहुमत की आवाज समझते थे। हमने उसी के अनुसार विधेयक तैयार किया था। बाद में जब विपक्ष के हमारे मित्रों और हमारी ओर के मित्रों तथा संसद के भीतर तथा बाहर समस्त भारत के मित्रों ने अपने इस डर को प्रकट करना शुरू किया कि यदि यह विधेयक अपने मूल रूप में पारित हो जाता है तो यह मुसलमानों के अन्दर की सुधारक प्रवृत्तियों के प्रतिकूल जाएगा तो सरकार ने उनके उस डर को माना और वह अब इस प्रस्ताव के साथ आगे आए हैं। उस समय कुछ हिन्दू काफी अप्रसन्न थे अब न तो किसी हिन्दू को और न ही किसी अन्य व्यक्ति को अप्रसन्न होने की कतई जरुरत नहीं है। तब आप क्यों चिल्ला रहे हो कि सभी लोग अकेले आपकी तरफ हैं ? हमने आपको अवसर दिया है। श्री फैलीरो ने सभी तरीकों से सर्वसम्मति के लिए जनल की राय के लिए लोकप्रिय शिक्षा के लिए एक प्रभावपूर्ण अपील की है।

विपक्ष के विभिन्न राजनीतिक दलों से देश भर में घूमकर, मुसलमानों, पुरुषों तथा महिलाओं के बीच काम करने और उन्हें इस जात के लिए प्रेरित करने से कोई नहीं रोकता कि वे पूर्व विधेयक को न मान कर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 से 127 तक का लाभ उठाएं। उनके रास्ते में कोई नहीं खड़ा है। आप इस ढंग से उत्तेजित क्यों हो रहे हैं मानों हम अकेले मुसलमानों को खुश करने के इच्छुक हैं और आप सुधारवादी तथा क्रांतिकारी भविष्य के मूर्तिमान आदर्श हैं? मेरा प्रिय मित्र श्री शाहबुद्दीन एक ऐसे ही प्रभावशाली वक्ता हैं। कई बार जब वह बोल रहे थे तो मैंने गलती से यह महसूस किया कि वह मेरे दल के तो नहीं हैं, वह कितने अच्छे वक्ता है। लेकिन दुर्भाग्यवश, उन्होंने अपने आपको पाया। मैं नहीं जानता कि वह सही अवसर पर भी गलत रुख अपनाने के लिए दबाव क्यों डाल रहे हैं।

(व्यवधान)

मुझे उससे आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे इस बात का खेद नहीं है।

(व्यवधान)

मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। मेरे बीच में व्यवधान मत डालिए क्योंकि.....

(व्यवधान)

मैं चाहता हूं कि यहां मतैक्य हो और इस सदन का प्रत्येक अनुभवशील, उपयुक्त और हृदय से देश भक्त व्यक्ति आगे आए तथा प्रस्तावित संशोधन के साथ इस विधेयक का समर्थन करे।

ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, डा० राम मोहन राय और आन्ध्र प्रदेश के वीरासालिंगम पन्तलु तथा महाराष्ट्र कर्वे तथा उसके सभी अनुयायी तथा समस्त भारत में कई व्यक्ति हुए थे जिनके मुखिया महात्मा गांधी तथा रवीन्द्रनाथ टगौर थे, सभी सुधारक थे। मौलवी तथा शास्त्री आदि पुरातन पंथी भी थे। उन्होंने इन शास्त्रियों तथा मौलवियों का मखौल उड़ाया। यहां, मेरे एक मित्र कह रहे थ, "यह कानून है, क्योंकि मोहम्मद ने ऐसा कहा था, इसलिए आपको इसे स्वीकार करना चाहिए।" इस बात से मुझे दुःख हुआ। लेकिन फिर भी ऐसे विचार रखने का हक है। उस समय हिन्दुओं ने भी ऐसा ही किया था, उन्होंने बताया कि हिन्दू धर्म के अनुसार यह ठीक है, कि औरतें सती हों, छोटी बच्चियों की शादी की जानी चाहिए, हमें उनके बाल-विवाह पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए आदि। लेकिन फिर भी देश आगे बढ़ा। यह कांग्रेस ही थी जो देश को सही रास्ते पर रहने में भी मदद कर रही थी और अब मेरे माननीय मित्र ने हम सबको नीचे जमीन पर ला दिया है, जब उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने क्या किया है। उन्होंने अपना जीवन दांव पर लगा दिया था। 20 दिन अथवा उससे ज्यादा।

4.38 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उन्होंने उपवास रखा और प्रत्येक व्यक्ति ने यह सोचा कि वे मर जाएंगे। लेकिन ब्रिटिश सरकार उनकी मौत अपने हाथों से नहीं चाहती थी। इसलिए उन्होंने उसके साथ स्वतन्त्र व्यक्ति

जैसा सलूक किया तथा बातचीत चालू की गई। उस समय पं० मदन मोहन मालवीय कट्टर पंथियों के नेता थे, वे वहां आए और महात्मा गांधी के समक्ष बैठ गए और उनसे हिन्दुओं के लिए जिन्दा रहने की भीख मांग मांगी, और हरिजनों के लिए वह सब देने को कहा जिसकी डा० अम्बेडकर ने मांग की थी। कांग्रेस का निर्माण इस प्रकार हुआ है और विकास हुआ है। मेरे माननीय मित्र ने कहा था, आज एक दल आता है कल दूसरा दल आता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस का कई बार रूप परिवर्तन हुआ है, लेकिन, फिर भी, राष्ट्रवाद के मूल सिद्धांत पर कांग्रेस दृढ़तापूर्वक खड़ी है और उसी आधार पर आज हम संशोधनों के साथ यह विधेयक आपके सामने लाए हैं। आप उसमें गल्तियां क्यों ढूंढ रहे हैं? यदि आप कांग्रेस के खिलाफ मुद्दों को काटना चाहते हैं तो कई अन्य विषयों पर ऐसा किया जा सकता है। यदि आप मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं···(व्यवधान) तो आपकी जनता सरकार के समय आपको यह अवसर मिला था। उस समय मुसलमानों ने कांग्रेस के खिलाफ काफी संख्या में मतदान किया था। इसलिए हमें इस झमेले में नहीं पड़ना चाहिए। आप महिलाओं की बात करते हैं और कहते हैं कि हम लोग ऐसे प्रतिक्रियावादी हैं कि हम उन्हें पशु समझते हैं। मुझे विश्व का कोई ऐसा देश दिखाइए जहां इतनी जनसंख्या हो, जहां ऐसी विविधिता हो और जहां किसी महिला को प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया गया हो, वह भी एक बार नहीं, पर कई बार। लगातार न केवल बल्कि हार जाने, कठघरे में खड़े किए जाने, जेल भेजने के बाद भी, मेरे अधिकांश मित्र उस समय सरकार में थे, और फिर भी राष्ट्र ने इंदिरा गांधी को चुना, जिन्हें उस समय सिंडीकेट को हराना पड़ा। परन्तु पुनः बाद में जब उन्हें स्वतंत्र पार्टी तथा अन्य दलों में मुझ जैसे अनेकों को पराजित करना था। नहीं। 1977 में स्वयं जनता द्वारा हरा दिए जाने के बाद और भंडाफोड़ होने के बाद, जैसाकि वे सोचते थे कि वे यहां न्यायालय में और शाह आयोग के सम्मुख उनका भंडाफोड़ कर रहे थे और उनके विरुद्ध वे सभी भयंकर बातें कही जा रही थीं, इन सब बातों के बावजूद वही जनता उन्हें पुनः दो तिहाई बहुमत से सत्ता में ले आई जिसने उनका विरोध किया था। ऐसा है भारतीय राष्ट्र और लोकतंत्र और ऐसी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस।

4·41 म० प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

इसीलिए, हम महिलाओं का पक्ष लेते हैं। शाह बानो एक सौभाग्यशाली महिला हैं। यह सच है कि उसे निर्वाह खर्चा मांगना पड़ा, परन्तु उसका नाम इतिहास में चला गया है। वह समय भी आएगा जब हमारी सभी महिलाओं को भी वह अवसर प्राप्त होगा जो उच्चतम न्यायालय देना चाहता है। जब वह समय आएगा तो उनकी एक ऐसी महिला के रूप में प्रशंसा की जाएगी जिसके माध्यम से इस प्रश्न पर जनता का सर्वाधिक ध्यान आकर्षित हुआ और चर्चा की गई।

इसलिए, भगवान के लिए, एक प्रश्न पर हम सबको एकमत होना चाहिए। हमें धार्मिक कट्टरपन के इस अति उत्तेजक तत्व के साथ नहीं खेलना चाहिए।

मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूं; परन्तु मुझे धर्मांधता की सभी जटिलताओं की जानकारी नहीं है। मैं भी चाहता हूं कि मुसलमान अपनी तरह का जीवन यापन करें। इसी प्रकार इसाई,, बौद्ध तथा अन्य वे सभी व्यक्ति भी अपनी तरह से जीवन यापन करें। यह निश्चित है कि यदि यह जीवन का एक अमानवीय ढंग है, जंगली ढंग है, प्रतिक्रियावादी ढंग है तो पूरा राष्ट्र निश्चित रूप से इसे एक ओर रख देगा और अपनी जनता की इतिहास और प्रगति के साथ चलने में सहायता करेगा।

हमें इतिहास की इस प्रिक्रिया की सहायता करनी चाहिए। मेरा विचार था कि यह कार्य मार्क्सवादी विचारों के मेरे माननीय सदस्य अथवा इतिहास के नवीनतम चरण के पथ प्रदर्शक करेंगे। परन्तु उनके भाषण से ऐसा कुछ आभास नहीं होता है। इसलिए, मैं उनसे न केवल कांग्रेस के नाम पर, बल्कि महिलाओं के नाम पर, प्रगति, सुधार, क्रांति के नाम पर यह कहना चाहता हूं कि हमें इस विधेयक का समर्थन करना चाहिए। हमें इस विधेयक का सर्व सम्मति से समर्थन करना चाहिए न कि अनिच्छा से।

मेरे मित्र, श्री चौधरी एक युवा हैं। मैं उनसे अपील करता हूं। वे एक जोशीले नौजवान हैं.....(व्यवधान) मैं चाहता हूं कि वे हमारे नेताओं के साथ बेहतर ढंग से तर्क करें और स्वस्थ रवैया अपनाएं।

श्री सी० के० जाफर शरीफ (बंगलौर उत्तर) : सभापति महोदय, आज का दिन एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। ऐसा नहीं है कि हम, जो सदन में बैठे हैं, अपनी ओर देखें, बल्कि इस देश का एक मात्र सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय बाहर से यह देख रहा है कि किस प्रकार जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, जो सदन में बैठे हैं, इस विषय पर अपनी चिंता व्यक्त करेंगे।

मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। सदन में लम्बे समय बाद-विवाद चला है। काफी विचार विमर्श किया गया है। धार्मिक दृष्टिकोण से कानूनी दृष्टिकोण से तथा अन्य सभी दृष्टिकोण से इस विषय के गुणों पर काफी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया है।

महोदय, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूंगा, जैसाकि प्रो० के० के० तिवारी ने अपने भाषण में कहा है कि यह इस देश में एक मनोवैज्ञानिक क्षणा है, महोदय, हमें स्थिति को अनदेखी नहीं करनी चाहिए। हम अकेले नहीं हैं। यहां तक विपक्ष में बैठे मेरे मित्र भी, जो अब भिन्न-भिन्न दलों के हो सकते है, फिर भी वे अपने पृष्ठाधार से मुंह नहीं मोड़ सकते। वे भी उन्हीं में से आए हैं।

महोदय, हमें सोचना क्या है? हम किसी विशेष समुदाय अथवा धर्म में जन्म लेने के लिए आवेदन नहीं कर सकते। आज देश में क्या मनोवैज्ञानिक वातावरण है? देश में क्या मनोवैज्ञानिक क्षण है? कलकत्ता न्यायालय कुरान के विरुद्ध याचिका ने उच्चतम न्यायालय के फैसले से तथा अन्य बातों से क्या धारणा बनी है? इससे किस प्रकार का वातावरण बना है? जो पृथक राज्य चाहते थे वे जा चुके हैं। जब हम स्वतन्ता के लिए लड़ रहे थे तो हम यह नहीं चाहते थे कि स्वतन्त्रता मुसलमानों, हिन्दुओं अथवा इसाइयों को चाहिए। स्वतन्त्रता देश के लिए चाहिए थी। यह भारतीय

जनता की साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ाई है तथा यह लड़ाई इस देश को स्वतन्त्रता मिलाने के लिए लड़ी गई थी उस लड़ाई में कांग्रेस का इतिहास जनता के विभिन्न वर्गों के प्रति वचनवद्धता अभिव्यक्त करता है। इसकी वचनवद्धता जनता के केवल एक वर्ग के प्रति नहीं हो सकती है। यह कभी अनुसूचित जातियों के प्रति हो सकता है। यह किसी समय अल्पसंख्यकों के प्रति तथा विभिन्न वर्गों के प्रति हो परन्तु क्या हम इतिहास को भूल जायें ?

महोदय, इस अवसर पर मैं भारतीय जनता को नमन करना चाहता हूँ। मूलतः भारतीय लोग धर्मनिनेरक्ष लोग हैं। यदि वे धर्म निरपेक्ष नहीं होते तो इस मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए आज हम यहां नहीं होते। मैं केवल विपक्ष के अपने मित्रों से यही अपील करूंगा कि वे इस मुद्दे को प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनायें तथा केवल विरोध के लिए ही किसी मुद्दे का विरोध न करें। यह वह समय है जब बाहर प्रत्येक व्यक्ति आपकी सहानुभूति और संरक्षण पाने की आशा कर रहा है। इसलिए केवल मुस्लिम महिलाओं की ओर ही न देखिए। समस्त मुस्लिम अल्पसंख्यकों को देखिए जिन्हें आज आपसे नैतिक समर्थन की आवश्यकता है।

महोदय, भारत एक अनूठा देश है। हम विविधता में एकता देखते हैं। मुझे उस समय गहरा दुख हुआ जब मैंने विपक्ष से अपने मित्र, श्री सैफुद्दीन चौधरी को बोलते हुए सुना। हमारे वयोवृद्ध सदस्य, श्री रंगा ने कहा कि उन्हें उनके ऊपर केवल तरस आती है। वे एफ गुमराह युवा व्यक्ति हैं। सम्भवतः पश्चिम बंगाल के अभिभावकों को अपने बच्चों को देखभाल करनी पड़ेगी और यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनके बच्चे भ्रमित हो जायेंगे। मैं उनके द्वारा किसी 'वाद'अर्थात साम्यवाद आदि पर बोलने का बुरा नहीं मानता परन्तु जब आप सदन में बोलते हैं तो आपको गरिमा और शिष्टाचार बनाए रखना चाहिए। जब आप किसी के विरुद्ध कोई बात बोलते हैं तो आपको उस व्यक्ति के बारे में जानकारी होनी चाहिए जिसके बारे में आप बोल रहे हैं। किसी व्यक्ति विशेष का महत्व नहीं है बल्कि उसके पद का महत्व है, उसकी प्रतिष्ठा का महत्व है, यह राष्ट्र के नेता की बात है।

[अनुवाद]

महोदय, मेरे विचार में यह मूल रूप से एक सामाजिक आर्थिक समस्या है। कभी कभी मैं दुःखी हो जाता हूं। यह मुस्लिम समुदाय का घरेलू झगड़ा है जिसके फलस्वरूप न्यायालय को निर्णय देना पड़ा जो वाद विवाद का इतना बड़ा मामला बन गया। शायद मेरे लिए मुसलमानों से यह अपील करना उपयुक्त हो सकती है कि वे भी समुदाय का उपयुक्त रूप से मार्गदर्शन करें ताकि महिलाओं को ऐसी स्थिति में न धकेला जा सके कि वे न्यायालय में जाकर संरक्षण मांगे। स्थिति का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है।

महोदय, मुझे प्रधानमंत्री की प्रशंसा करनी चाहिए। सम्भवतः वे इतनी कम आयु में देश के इतिहास में ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होंगे जिन्होंने इस बात की ओर अपना साहस तथा दृढ़ विश्वास दिखाया है कि उन्होंने इस देश में धर्मनिरपेक्षता बनाए रखनी है। इस बात पर मुझे

आश्चर्य तथा दुःख भी है कि केवल दो दिन पहले पूरे सदन ने न केवल सरकार को बल्कि पंजाब सरकार को भी पंजाब की स्थिति से निपटने के लिए अपना पूरा समर्थन दिया था। मुस्लिम समुदाय ने क्या अपराध किया है ? क्या इस समय उन्हें समर्थन देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि वे इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर वास्तविक मामलें को समझें। अनेक आदमियों ने सुधारों के बारे में बात की है। जैसा कि मैंने कहा है, जब यह एक मूल सामाजिक-आर्थिक समस्या है तो लोग क्षुब्ध क्यों हैं, उन्हें सुधार करने होंगे। मैं एक बात से परेशान था, जब यहां इस बात का जिक्र किया गया था कि यह विधेयक न केवल मुस्लिम महिलाओं के लिए है, बल्कि यह तो इस देश की समस्त दुर्भाग्यशाली महिलाओं के लिए है। प्रो० तिवारी ने कहा है तथा प्रो० रंगा ने एक बात स्पस्ट की है कि किस प्रकार कांग्रेस इस सामाजिक बुराई से जूझती रही है। मैं प्रो० मधु दंडवते तथा कई अन्य वरिष्ठ सदस्यों से, जो किसी समय कांग्रेस में थे, यह अपील करूंगा कि वे आज राजनीतिक स्तर को भले ही भूल जाएं। कृपया अपनी मां को न भूलें जिसने आपको जन्म दिया है। आप सभी एक दिन कांग्रेस में थे।

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस (इ) में नहीं। **(व्यवधान)**

श्री सी० के० जाफर शरीफ : हम हमेशा कांग्रेस में रहे हैं। कांग्रेस की भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न हैसियत; भिन्न भिन्न पहचान रही है। यह देश के पद-दलितों की रक्षा करने के लिए कांग्रेस (इ) बन गई। यदि कांग्रेस में दो बार विभाजन हुआ है तो इसके पीछे ऐतिहासिक कारण रहे हैं। यह सत्ता के लिए ही आगे नहीं आई बल्कि कतिपय धारणाओं के लिए आगे आई है। मेरे मित्र बड़ी शक्ति के लिए लड़ रहे थे। वे आज इस ओर हैं और बाद में वे दूसरी तरफ हो सकते हैं। इसलिए मैं आपसे केवल यह अपील करूंगा कि कृपया आप इसे राजनीतिक मुद्दा न बनाएं। जब हम देश की एकता की, अखण्डता की बात करते हैं तो भारत और भारतीयों को एक सूत्र में बंध जाना चाहिए। मैं आप सबसे केवल यह अपील करूंगा कि आप कोई पूर्वाग्रह न रखें और इस विधेयक को तथा इस विधेयक के द्वारा सबसे बड़े अकेले अल्पसंख्यक समुदाय को अपना पूर्ण समर्थन दें जो बाहर उत्सुकता से यहां के तर्क-वितर्कों पर अपनी आंखे टिकाए है। महोदय, इन शब्दों के साथ मैं प्रधान मन्त्री को उनकी दिलेरी तथा साहस के लिए बधाई देता हूं मुझे विश्वास है कि कोई भी स्थिति हो, अब अन्ततोगत्वा वे इस विधेयक का समर्थन करेंगे और इसे इस सभा का सर्वसम्मत विधेयक बनाएंगे।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, मैं उन लोगों में से हूं जो समाजवाद, प्रजातन्त्र तथा धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों से स्पष्टतः प्रतिबद्ध हैं और अपनी दृढ़ धारणा तथा विवेक के आधार पर मैं इस विधेयक का पूर्णतया विरोध करता हूं जो मंत्री महोदय ने इस सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया है।

मैंने इस सम्मानित सभा में शपथ लेते समय देश के संविधान तथा संरक्षण के लिए शपथ ली थी। प्रजातन्त्र में मेरे लिए वही सबसे पवित्र पुस्तक है जिससे मैंने शपथ ली थी। और इस संविधान में ऐसे अनुच्छेद हैं·····**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान न डालिए।

प्रो० मधु दंडवते : व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से जैसा कि मैंने कहा, संविधान के अनुच्छेद 14, 15 एवं 16 और उनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण संविधान के अनुच्छेद 13 (2) में यह कहा गया है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जो संविधान के भाग तीन के द्वारा दिये गए मौलिक अधिकारों को या तो छीनता है अथवा उनसे वंचित करता है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि इस विधेयक की न्यायिक जांच की जाए तो आप पाएंगे कि इस विधेयक को एक बहुत ही छोटे से कारण से पहले ही झटके में वापस भेज दिया जाता है कि इस विधेयक पर स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 13 (2) के उपबन्ध लागू होते हैं, जो किसी भी ऐसे विधेयक अथवा कानून, जो वास्तव में संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता है अथवा वंचित करता है, को अनुमति नहीं देता है। इसलिए मैंने इस विधेयक की विधायी सक्षमता तथा संवैधानिक सक्षमता को भी पहले ही चुनौती दी है। मुझे विश्वास है कि कोई व्यक्ति इस विधेयक को न्यायालय में ले जाएगा और इस विधेयक की संवैधानिक वैद्धता की जांच कराएगा और मुझे इस बात में किंचित भी सन्देह नहीं कि देश में न्यायपालिका की सबसे ऊंची परम्पराओं के कारण इस विधेयक को रद्द किए जाने की संभावना है।

माननीय मंत्री महोदय, जिनका मैं परम आदर करता हूं, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा प्रजातांत्रिक परम्पराओं के संरक्षक हैं। लेकिन यह भाग्य की विडंबना ही होगी कि उन्होंने अपने विधेयक के विषय की व्याख्या करते समय यह कहा कि इस विषय पर निर्णय इस सभा में बैठे मुस्लिम प्रतिनिधियों द्वारा दिया जाना चाहिए। मेरे विचार में वे यह बात गलती से कह गए। यहां तक कि विद्वान न्यायाधीश तथा वकील·····।

श्री ए० के० सेन : मैंने यह कभी नहीं कहा।

प्रो० मधु दंडवते : ठीक है, सम्भवतः मैंने गलत सुना हो। परन्तु उस समय सभा में काफी शोर शराबा था। सम्भवतः उनका यह मतलब था कि इस सभा में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों की बात अवश्य सुनी जानी चाहिए।

श्री ए० के० सेन : यह ठीक है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं इस बात को स्वीकृत तथ्य के रूप में मानकार चलता हूं कि निर्वाचन मंडल पृथक नहीं हैं और देश के लिए वह दिन बहुत बुरा होगा जब मुसलमानों के प्रतिनिधि मुसलमानों द्वारा, हिन्दुओं के प्रतिनिधि हिन्दुओं द्वारा और ईसाइयों के प्रतिनिधि ईसाइयों द्वारा चुने जायें। सौभाग्यवश हमारे यहां ऐसे पृथक निर्वाचन मंडल नहीं हैं। मैं आप सबको जो इस सदन में हैं पूरा सम्मान देता हूं। चाहे वह ईसाई समुदाय का हो या मस्लिम समुदाय का। आप में से प्रत्येक सदस्य पर, चाहे वह अल्पसंख्यक समुदाय का हो, मुझे पूरा गर्व है और यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि चाहे आप कांग्रेस दल से सम्बन्धित हैं या विपक्ष से, आप धार्मिक समुदाय के

मत पर नहीं चुने जाते हैं बल्कि वयस्क मताधिकार के आधार पर देश में भारतीयों द्वारा चुने जाते हैं। इस सदन का प्रत्येक सदस्य इसी पद्धति से चुना जाता है। मुझे इस पद्धति पर और इस देश की धर्मनिरपेक्ष विरासत पर गर्व है। अत: चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो सबकी बात सुनी जाती है।

5·00 म० प०

परन्तु वे केवल अपने ही समुदायों के प्रतिनिधि नहीं हैं। श्री बनातवाला जैसा व्यक्ति, यद्यपि वह मुस्लिम लीग से संबंधित हैं, न केवल मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं बल्कि अपने निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह मेरा दृढ़ विश्वास है। मुझे आशा है कि इस देश में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाएगा जिससे हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप पर कोई आंच आए।

यह कानून, जो अब बनाया जा रहा है, स्थिति में कुछ परिवर्तन आने पर लाया गया है। मैं इसकी निंदा नहीं कर रहा हूं परन्तु मुझे आपत्ति है कि यह विधेयक क्यों लाया गया है।

हमारे कुछ मित्र, अपने धार्मिक विश्वासों के कारण इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। उदाहरणतया, कुछ मित्र सही रूप से यह सोच रहे हैं कि शायद शरियत और कुरान की भावना और आकार के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो ऐसा सोचते हैं मेरा उनके साथ कोई झगड़ा नहीं है और प्रत्येक को धार्मिक भावनाएं और विचार रखने का अधिकार है। मुझे उनको सहमत करना है और उन्हें समझाना है। मैं उनके साथ झगड़ना नहीं चाहता।

परन्तु इस पहलू को छोड़ दें। मुझे एक बात कहनी है। हाल ही में देश में कुछ चुनाव हुए हैं। असम और पंजाब में चुनाव हुए हैं, बिहार में उपचुनाव हुए हैं और उड़ीसा में लोकसभा का उपचुनाव हुआ है। महोदय, इन चुनावों में सत्तारूढ़ दल की हार हुई है, शायद यह बात किसी को अच्छी लगी हो या नहीं। कुछ लोगों ने प्रधानमन्त्री को यह विश्वास दिलाया है। कि इन सभी चुनावों में, चाहे यह उड़ीसा में या असम था, यह मेरा विश्लेषण है·····

प्रो० के० के० तिवारी : नहीं, नहीं। यह गलत है।

प्रो० मधु दंडवते : ठीक है, यह गलत विश्लेषण है।

प्रो० के० के० तिवारी : यह विश्लेषण हास्यस्पद है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं श्री तिवारी का नहीं बल्कि अपना विश्लेषण और मूल्यांकन प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे अपना यह हास्यस्पद निष्कर्ष भी प्रस्तुत करने में कि प्रधानमन्त्री शायद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यदि उड़ीसा के उपचुनाव में भारी मतों से पराजय हुई है यदि शाहबुद्दीन के चुनाव में भारी मत से पराजय हुई है, यदि असम के चुनाव में भारी मतों से पराजय हुई है और पंजाब के चुनाव में भारी मतों से पराजय मिली है तो उनको यह डर हो गया है और उनका विचार

है कि अल्पसंख्यकों ने कांग्रेस को मत नहीं दिया है। उन्हें यही चिन्ता खाए जा रही है और वे इसलिए जल्दबाजी कर रहे हैं कि ऐसा बार-बार न हो और यही प्रेरण उनके पीछे काम कर रही है। यदि मुझे गलत सिद्ध कर दिया जाता है तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। ऐसे अवसर आते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी बात सही सिद्ध होने के बजाय गलत सिद्ध होने पर अधिक प्रसन्न होता है। अत: यही प्रेरणा प्रधानमन्त्री के पीछे कार्य कर रही है और दुर्भाग्यवश प्रधान मन्त्री ने अपनी भावना प्रकट कर दी है जो कि अति संवेदनशील है।

5·02 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

हम कुछ व्यक्ति एक प्रतिनिधि मण्डल लेकर प्रधान मन्त्री के पास गये थे। महिलाओं के अनेक प्रतिनिनिमण्डल प्रधान मन्त्री से मिले हैं और मैं आपको वह बात बताता हूं जो प्रधानमन्त्री ने महिलाओं के प्रतिनिधि मंडलों और विपक्ष के प्रतिनिधि मण्डलों को स्पष्ट रूप से कही है। उन्होंने कहा था कि "मैं पूरी स्थिति का अध्ययन कर रहा हूं और जब तक आपको विश्वास में नहीं लिया जाता है तब तक कोई नया कानून नहीं बनाया जाएगा।" दंड प्रक्रिया के बारे में उन्होंने कहा था कि "यह अफवाह फैलाई जा रही हैं कि मैं दण्ड प्रक्रिया संहिता अनुच्छेद 125 में संशोधन करने जा रहा हूं, परन्तु इसका कोई आधार नहीं हैं। आप इस विशिष्ट वक्तव्य को या मेरे कुछ भाषणों को ध्यान से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं।"

5·04 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

यह पृष्ठभूमि है। महोदय, मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो यह सोचते हैं कि जहां तक दंड प्रक्रिया संहिता के अनुच्छेद का प्रश्न है धार्मिक समुदाय का लिहाज किए बिना इसमें इस देश में महिलाओं को कतिपय सुरक्षा प्रदान की गई है और धार्मिक सम्प्रदाय की भावनाओं को चोट पहुंचाए बिना मैं यह कह सकता हूं कि इस्लाम के नियमों के अनुसार शरियत की भावना यह है कि महिलाओं को समानता का अधिकार और सुरक्षा प्रदान की जाए। इसका निष्कर्ष यह है कि दंड प्रक्रिया संहिता के किसी अनुच्छेद में यदि महिलाओं को अतिरिक्त सुरक्षा, राहत या सहायता प्रदान की जाती है तो किसी को भी महिलाओं के रास्ते में नहीं आना चाहिए चाहे महिलाएं मुसलमान या हिन्दू या ईसाई हों। अत: मेरे ये विचार हैं। इस विधेयक में विधेयक का उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं को अनुच्छेद 125 की परिधि से बाहर करना है और उन्हें रिश्तेदारों तथा दिवालिया हुए बकाया बोर्डों की दया पर छोड़ना है। बकाया बोर्डों की वित्तीय स्थिति के बारे में हम सब अच्छी तरह जानते हैं। इस विधेयक को तैयार करने वालों ने जानबूझकर उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता के अनुच्छेद 125 की परिधि से बाहर किया है ताकि इद्दत की एक विशेष सीमा के बाद वह अपने पति से कोई अनुरक्षण की धनराशि की मांग न कर सके। इस मामले में, अनुरक्षण और

सहायता के लिए उसे अपने रिश्तेदारों के पास जाना होगा और यदि रिश्तेदार उसकी सहायता करने की स्थिति में नहीं हैं तो वह वक्फ बोर्ड के पास जाएगी। परन्तु वक्फ बोर्डों की वित्तीय स्थिति क्या है ? अपने सामान्य कार्यों के लिए भी ये वक्फ बोर्ड केन्द्रीय सरकार के पास आकर कहते हैं कि "हमारी वित्तीय स्थिति बहुत खराब है। बोर्डों के नियमों के अन्तर्गत निर्धारित सामान्य कार्य भी हम नहीं कर पा रहे हैं, अतः, हमें वित्तीय सहायता दीजिए।" उनकी स्थिति यह है।

मैं कुछ मुस्लिम माता-पिताओं से मिला हूं। क्या मैं कुछ निर्धन परिवारों पर हुई दिलचस्प प्रतिक्रिया के बारे में सदन को अवगत कर सकता हूं बिहार में एक व्यक्ति ने मुझे बताया" मेरी छः लड़कियां हैं। एक शादीशुदा है। परन्तु वह तलाकशुदा नहीं, परन्तु यदि उसे यदि तलाक दिया जाता है तो वह मेरे पास वापस आ जाएगी। पहले ही इन पांच लड़कियों का गुजारा करना मेरे लिए मुश्किल है। अभी उनकी शादी करनी है। यदि मेरी लड़की तलाक के बाद मेरे पास आ जाती है तो दंडवते जी मुझे बताइये कि मैं चाहते हुए भी उसका गुजारा कैसे करूंगा।" उसने कहा "यदि मेरी लड़की को सुरक्षा प्रदान की जाती है तो मरने को भी तैयार हूं।"

परन्तु उसने अश्रुपूर्ण नेत्रों से मुझे बताया : यदि मैं अपना खून भी बहाऊं तो भी मैं अपनी पुत्री की रक्षा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं इस प्रकार से जीवन-यापन कर रहा हूं कि दो वक्त के खाने का काम भी नहीं चलता और इसीलिए मेरे लिए उसका निर्वाह करना कठिन होगा। आप द्वारा बनाए जा रहे कानून के अनुसार उसे बोर्ड के पास जाना होगा।" इसके बाद उसने कहा : "मेरा मित्र स्वयं मुसलमान है। उन्हें वक्फ बोर्ड के स्तर की जानकारी होनी चाहिए। यदि ऐसी महिला को बोर्ड के सामने फेंक दिया जाएगा तो उसका क्या बनेगा।"

मैं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बता सकता हूं जो करुणा से भरी हुई है। आप प्रधान-मंत्री से इसकी पुष्टि कर सकते हैं। मुस्लिम महिलायें अश्रुपूरित नेत्रों से प्रधान मंत्री के पास गईं। एक मुस्लिम लड़की ने कहा : "प्रधान मंत्री जी मुझे तीसरी बार तलाक दिया गया है। और यदि आप 21वीं शताब्दी में जाने की बात कहते हैं तो हम जैसी महिलाओं को वापस छठी शताब्दी में क्यों फेंकते हैं ? हमें इन लोगों की दया पर मत छोड़िए।"

आप प्रधानमंत्री से इसकी पुष्टि कर सकते हैं। मुझे अभी भी प्रधानमंत्री की आंखों के उस समय के भाव याद है जब उस महिला ने कहा था। तीन बार तलाक दिए जाने के बाद यदि मुझे मेरे अभिभावकों और वक्फ बोर्ड द्वारा नहीं बचाया जाता है तो मेरे पास केवल जो दो विकल्प बचेंगे वे है वैश्या का जीवन जीना अथवा आत्म हत्या कर लेना।" (व्यवधान)

मैं बताता हूं कि जब वह यह बात कह रही थी तो प्रधानमंत्री की आंखों में आंसू आ गए थे। इसका उल्लेख समाचार पत्रों में भी हो चुका क्योंकि एक प्रेस संवाददाता वहां उपस्थित था। उसने यह सारी तस्वीर प्रस्तुत की है।

यह विडम्बना है। हम नहीं चाहते कि यह त्रासदी मुस्लिम महिलाओं के जीवन में लाई जाए। हम अल्पसंख्यक विरोधी बिल्कुल नहीं हैं। हो सकता है कि हमारी व्याख्या गलत हो। यहां अनेक विद्वान है और वे भी हैं। जो धर्मशास्त्र के अध्येता रहे हैं। सैन साहब: मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि मैं ऐसा विद्वान नहीं हूं जिसे कुरान पर महारत हासिल हो। मैं शरीयत के बारे में भी विशेषज्ञ होने का दावा नहीं करता। हम कम से कम मानवीय भावनाओं और माननीय भावों का जानकर होने का तो दावा कर ही सकते हैं। (व्यवधान) जो कुछ मैं कहना चाहता हूं यह है कि हम अल्पसंख्यकों के साथ हैं।

आप हमारी खिल्ली उड़ा सकते हैं। किसी व्यक्ति की भावनाओं की खिल्ली उड़ाना बहुत आसान है और राजनीतिज्ञों की खिल्ली उड़ाना उससे भी अधिक आसान है; परन्तु मैं आपको बताता हूं कि यदि यही नजरिया रहा, तो यह मेरा निश्चित मत है कि अल्पसंख्यक और महिलाओं पर विपदा पड़ने की संभावना है।

परन्तु इसके साथ-साथ मैं यह भी कहूंगा कि मैं उन लोगों में से हूं जो विश्वास करते हैं—यहां मैं अपने मित्रों के साथ हूं जो हमारे आलोचक हैं—कि यदि कोई सुधार किया जाना है तो यह केवल अधिनियम के द्वारा नहीं किया जाएगा। यह केवल विधेयक के द्वारा नहीं किया जाएगा। यह मैं मानता हूं। मुस्लिम समाज में सुधार केवल मुस्लिम समाज द्वारा किए जाने है। सुधारों का स्रोत स्वयं मुस्लिम समाज में फूटना है। यदि हम बाहर से सुधार थोपना चाहें तो मैं आपको हिन्दू समाज का एक उदाहरण देकर बताता हूं कि क्या होगा। एक समय में ऐसा हिन्दू समाज बहुत रूढ़िवादी था जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो रूढ़िवादी तत्व उसकी विधवा को उसी के साथ चिता में जल जाने के लिए मजबूर करते थे। और इस प्रकार मरने वाली विधवा को सती का दर्जा दे दिया करते। इस प्रथा में परिवर्तन हुआ। उसी हिन्दू समाज में ऐसा समय आया जब उसमें राजाराम महोनराय, डा० अम्बेडकर और ज्योति महात्मा बाकुला जैसे समाज सुधारक हुए और समाज सुधार का स्रोत स्वयं हिन्दू समाज से ही प्रस्फुटित हुआ। हिन्दू समाज के रूढ़िवादी तत्वों ने यह आरोप नहीं लगाया कि उनके धर्म से बाहर के लोगों ने उनके समाज पर सुधारों को थोप रहे हैं क्योंकि वे स्वयं हिन्दू समाज की कोख में पैदा हुए हैं, वे समाज सुधार के एक शक्तिशाली साधन बन गए। इसलिए में केवल कानून पर निर्भर नहीं करूंगा, मैं चाहूंगा कि स्वयं मुस्लिम समाज में से पाधारण आगे आएँ प्रो० मधु दंडवते और श्रीमती प्रेमिला दंडवते सुधार नहीं कर पाएंगे परन्तु जो मुस्लिम समाज में पैदा हुए है और वहीं मरेंगे, यदि कोई कार्य आरम्भ करें और मुस्लिम समाज में सुधार करें तो वे एजेंटों के रूप में कार्य कर सकेंगे और वे मुस्लिम समाज में साहसिक सुधार ला पायेंगे। मैं इस प्रक्रिया को तेज करने के भरपूर प्रयास कर रहा हूं। (व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : यह वाक्पटुता है।

प्रो० मधु दंडवते : यदि जो कुछ मैं कह रहा हूं वाक्पटुता है तो मैं यह बात स्वीकार करता हूं कि वह मेरी भारी असफलता है क्योंकि यदि मैं बुद्धिजीवियों को अपील नहीं कर सकता तो मैं

आम लोगों को कैसे अपील कर सकता हूं ? (व्यवधान) मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं कि मुस्लिम क्षेत्र में व्यापक उन्माद के बावजूद सुधार आंदोलन चल रहा है, और यही लोग हैं जो स्वयं मुस्लिम समाज में सुधारवादी आंदोलन से पैदा हो रहे हैं, वे सुधरे हुए मुस्लिम समाज के निर्माता बनने जा रहे हैं। इसलिए उन सभी को, जो किसी विशेष धार्मिक समुदाय के हैं। उन्हें सुधार आंदोलन के साथ रहने का प्रयास करना चाहिए, उन्हें कंधों पर भार उठाना होगा। गांधीजी केवल राजनीति पर निर्भर नहीं रहे; गांधीजी ने कहा था कि सामाजिक सुधार और राजनीति को पृथक नहीं किया जा सकता। वह समाज सुधारक का कार्य करने के लिए तैयार थे चाहे उन्हें वोट मिलें अथवा न मिलें। इसलिए गांधी जी महान सुधारक बने।

मैं वह वृतान्त दोहराना चाहूंगा जो मैंने स्वयं डा० अम्बेडकर से सुना था। ब्रिटिश काल में डा० अम्बेडकर वाइसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। वाइसराय और उनकी पत्नी ने उनसे जगन्नाथ मंदिर जाने और वहाँ की 'वास्तुकला' देखने के लिए कहा। डा० अम्बेडकर ने कहा, कि 'आप नहीं जानते कि यहां का हिन्दू समाज कैसा भयावह है। वह किसी अंग्रेज को वहां जाने देंगे लेकिन हिन्दू को नहीं -" इस पर वाइसराय ने यह कहा, आप मेरे साथ चलिए। तबवाइसराय उनकी पत्नी और डा० अम्बेडकर मंदिर गए; जैसे ही उन्होंने मंदिर की ड्योढ़ी पर अपना कदम रखा मंदिर के पुजारी दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि कोई भी विदेशी मन्दिर में प्रवेश कर सकता है लेकिन डा० अम्बडकर जैसा कोई अछूत व्यक्ति मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। इसके बावजूद, उन्होंने सुधार आंदोलन जारी रखा और अन्ततः वह सफल हुए। गांधीजी और डा० अम्बेडकर जैसे महान पुरुषों ने यह बीड़ा उठाया और वोटों की परवाह नहीं की और इस प्रकार रूढ़िवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी और समाज सुधार लाया गया। इस प्रकार, यह प्रक्रिया आप भी जारी रख सकते हैं।

जहां तक शक्तिदायी कानूनों का सम्बन्ध है, इनके सम्बन्ध में कुछेक खंड हैं। मौखिक तलाक देने का प्रश्न है। मुझे कुछेक विद्वानों ने यह बताया है और मैं यहां कुछ मित्रों से जो इस विषय के विशेषज्ञ हैं इसकी पुष्टि की है कि जहां तक कुरान शरीयत में व्यक्त भावना का संबंध है, इसमें मौखिक तालाक को स्वीकार नहीं किया गया है; यह नहीं कि आप ने तलाक, तलाक, तलाक कहा और तलाक हो गया। ऐसा होता होगा लेकिन यह कुरान की भावना के अनुरूप नहीं है, शरीयत का भी अभिप्राय यह नहीं है। लेकिन आप के विधेयक में कहीं भी शरीयत का उल्लेख नहीं है। शरीयत के अनुसार स्वीकृत तलाक न होकर; मुस्लिम कानून के अनुसार स्वीकृत तलाक है। इस प्रकार का विधेयक आप अंगीकर कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप भारी बहुमत से इसे पास भी कर सकते हैं·····जब यह स्वीकार हो जाएगा तो निश्चय ही····· (व्यवधान) एक अन्य रोचक संशोधन आया है। वह संशोधन इस प्रकार है—अगर तलाक शुदा पत्नी और पति की परस्पर सहमति हो तो मामला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अनुसार चलाया जा सकता है। क्या इसकेअलावा भी कुछ हो सकता है ?

(व्यवधान)

इसका अभिप्राय है; अगर कोई व्यक्ति जो अपराध करता है और अगर कोई व्यक्ति जो उसका शिकार होता है, नगर दोनों इसके लिए तैयार हो जाते हैं कि चलिए हम न्यायालय में चलते हैं और न्याय प्राप्त करते हैं' और इसलिए न्याय दिया जाना चाहिए। कितना हस्यास्पद है यह। इससे मैं यह समझता हूं कि यदि महिला को तलाक मिला है और आर्थिक रूप से उसकी स्थिति बहुत खराब है और वह कुछ सहायता प्राप्त करना चाहती है। और मजबूरन स्वेच्छा से धारा 125 के अन्तर्गत वह सहायता प्राप्त करना चाहती है तो यह उसे प्रदान की जानी चाहिए यह बात तो समझी जा सकती है। केवल दोनों की सम्मति से, पति की सम्मति से जो कि प्रताडना कर रहा है, जोकि अपने को पुरुष होने के कारण बड़ा समझता है और जिस पर उस महिला को उत्पीड़ित करने का आरोप लगाया गया है, अगर उसे अनुमति दी जाती है तो इसका अभिप्राय है कि अगर उत्पीड़ित करने वाला उस महिला को जिसका उसने उत्पीड़ित किया है छोड़ने की अनुमति देता है तो उन दोनों की सम्मति से न्यायालय में कुछ किया जा सकता है। लेकिन महोदय इस समय केवल एक न्यायालय है जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा।

महोदय, विधान के संबंध में एक इतिहास रहा है। आप लोक सभा के अध्यक्ष हैं।

आपके सामने श्री विट्ठलभाई पटेल का मत टंगा हुआ है और आपको पता होगा कि वर्षों तक कतिपय विधायी परम्पराएं स्थापित की गई है और वे परम्पराएं क्या हैं। कानून ही कानून हैं, कानून केवल कतिपय समुदायों के लिए होता है, इसके बावजूद भी देश के विधानमण्डल की यह परम्परा रही है कि उन्होंने विभिन्न स्वीय विधियों के होते हुए भी सभी पर लागू होने वाले कानून बनाए हैं। उदाहरण के लिए दंड संहिता में संशोधन करने के लिए सहमति विधेयक है भरण पोषण के लिए अधिनियम में अनुरक्षण के लिए धारा 488 है, बाल विवाह अधिनियम है और मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि डा० बी० आर० अम्बेडकर ने ऐसे विधायी उपायों और विधायी अधिनियमों की एक सूची बनाई थी वे जो सब पर लागू होते थे बावजूद इस तथ्य के कि उनमें स्वीय विधि के एक ही विषय को लिया गया है ऐसे अधिनियमों की संख्या 29 थी। यह सब कुछ डा० अम्बेडकर ने किया था। वर्ष 1911-12 में श्री भूपेन्द्रनाथ ने विशेष विवाह अधिनियम में संशोधन करवाया था और इस संशोधन से अन्तर-धार्मिक, अन्तर-जातीय विवाह बिना धर्म परिवर्तन करने व्यवस्था की गई थी।

महोदय, हिन्दू परम्परावादियों औ मुस्लिम परम्परवादियों ने इस अधिनियम का पूरा विरोध किया था। अन्य लोगों ने सनातना के आधार पर उनका प्रतिवाद किया था मोहम्मद अली जिन्हा जैसे व्यक्ति ने भी इसका प्रतिवाद किया था और उन्होंने इन विशेष उपायों के बारे में जो कुछ कहा और वर्तमान विधि संस्थानों में जो कुछ उपाए बताए गए हों, नौ देशों में प्रतिबन्ध लगे हुए हैं तथा ऐसे उपायों की विश्वव्यापी प्रयोग्यता है। यह बात कही गई थी। मेरे विचार से वह अल्पसंख्यक विरोधी नहीं थे।

महोदय, एक और मुद्दा है। मैं उस सामग्री का उल्लेख कर रहा हूं जो प्रधानमंत्री ने हमें सप्लाई की है, नौ देश हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : आपने अपना विशेष समय ले लिया है।

प्रो० मधु दंडवते : मैं आपसे संरक्षण मांग रहा हूं, श्री तिवारी से नहीं।

मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए आपने जो सामग्री स्वयं हमें दी है, मेरा मतलब प्रधान-मंत्री जी ने लोकसभा सचिवालय के माध्यम से जो सामग्री हमें दी गई है, उसके अनुसार नौ देशों में मिश्र, इण्डोनेशिया, ईराक, चीन, यमन गणतन्त्र आदि इसमें दिए गए हैं। और महोदय कुछ सदस्य कह रहे हैं कि हम इस्लाम की सुरक्षा बेहतर करते हैं। वे यही कहते हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस दिशा में ऐसा कहने वाली कोई व्याख्या नहीं है। मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा कुछ लोग इसका उपहास कर सकते हैं--कि हमने ऐसा किया है और हमारा दल उस समय सत्तारूढ़ था।

जहां तक हमारे दल का सम्बन्ध है, हमारे संकल्प में एक पैरा है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि यह विधेयक महिलाओं के विपरीत है। जनता पार्टी के सर्वोच्च मंच पर संकल्प पारित किया गया है जिसमें कहा गया है कि :

> "जनता पार्टी इस विधेयक को एक ऐसे युग में महिलाओं की प्रतिष्ठा और सुरक्षा की कसौटी पर रखना चाहती है जबकि महिलाएं अपने आपको सभी प्रकार के शोषण और असमानता से मुक्त कराने के लिए पहले ही आगे बढ़ रही हैं और इसीलिए इस विधेयक को इस दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं मानती हैं।"

इसके अन्त में हमने यह भी कहा है कि :

> "धर्म निरपेक्षता में दल के विश्वास के अनुरूप दल किसी भी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाना पसंद नहीं करेगा। अत: दल अपने सदस्यों को अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता की अनुमति देता है तथा उन्हें अपनी अन्तर आत्मा के अनुसार विधेयक पर अपने मतदान करने की अनुमति देता है।"

(व्यवस्था)

मेरा सत्तारूढ़ दल के सदस्यों से अनुरोध है कि जो पैरा हमने पारित किया है उसके अनुसार सत्तारूढ़ दल के सदस्यों को अन्तर आत्मा के अनुसार मत देने की अनुमति दे। ...**(व्यवधान)**

प्रो० के० के० तिवारी : इस प्रकार के राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न पर, इस देश में अल्पसंख्यकों की समस्या पर आपके दल को स्पष्ट वक्तव्य देना चाहिए था। आप एक धर्मशाला हैं। **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दंडवते : मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि इस विधानमंडल में तथा स्वतन्त्रता पूर्व और स्वतन्त्रता के बाद की कांग्रेस की कुछ परम्पराएं रही हैं। क्या आपको याद है कि 'हिन्दू कोड बिल' के मामले पर कांग्रेस दल ने मत देने की स्वतन्त्रता दी थी ? हिन्दी पर

आक्षेप के मामले पर कांग्रेस ने मत देने की स्वतन्त्रता प्रदान की थी और सेठ गोविंददास ने उस स्वतन्त्रता का लाभ उठाया था। यदि उन्होंने स्वतन्त्रता का लाभ उठाया तो यह ठीक ही है। यदि कुछ मुसलमान स्वतन्त्रता का लाभ उठाते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। परन्तु यह दोहरी नीति हमें स्वीकार्य नहीं है। अत; मुझे अपनी अन्तरात्मा और भावना तथा संकल्प के आधार पर यह विश्वास है कि यदि इस विधेयक पर उचित ढंग से विचार किया जाए और मत देने की स्वतन्त्रता प्रदान की जाए तो यह विधेयक समाप्त हो जाएगा। मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि मैं दोनों ही विकल्पों को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं।

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पंत) : श्री दंडवते एक अनुसरणीय वक्ता हैं और बहुत धारा प्रवाह बोलते हैं तथा उन्हें सुनना सदा आनन्ददायक लगता है। परन्तु आज वे कुछ चिढ़े हुए से लग रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वे अपने स्वयं के दल में विभाजन की अपनी चिढ़ हम पर उतार रहे हैं। यह बात कुछ न्यायसंगत प्रतीत नहीं होती यदि वह अपने दल के सभी सदस्यों को प्रेरित नहीं कर पाते हैं·····(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : क्या आप कृपया मुझे इस विषय पर श्री आरिफ मोहम्मद खां के विचार बताएंगे ? उन्होंने इसी सदन में अपने विचार व्यक्त किए हैं और वे रिकार्ड का अंग हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मैं यह मानता हूं। परन्तु अन्तर यह है कि हमारा एक अनुशासित दल है और इसीलिए, अन्ततः, यद्यपि हमारे दल में किसी भी अन्य दल की तुलना में विचार-विमर्श करने की अधिक स्वतन्त्रता है, परन्तु हम एक बार जो मत बना लेते हैं तो उसी पर सब कायम रहते हैं। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : इसीलिए, श्री प्रणव मुखर्जी को आपके दल से बाहर निकास फेंका गया है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : अपना 'ह्विप' यदि आप वापस ले सकते हैं तो वापस ले लीजिए।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मेरा इरादा श्री दंडवते की परेशानी बढ़ाने का नहीं है। वे मेरे प्रिय मित्र हैं। मैं उनका बहुत आदर करता हूं। मैं इस बात को यहीं छोड़ता हूं। मैं इस बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहता। विधि मंत्री ने इस विशेष विधेयक के इतिहास और पृष्ठभूमि तथा इस मामले के संवैधानिक और कानूनी पहलुओं का काफी विस्तार से वर्णन किया है। वह वाद-विवाद का उत्तर देंगे तथा जो संवैधानिक और कानूनी मुद्दे उठाए गए हैं उनका भी समाधान करेंगे। प्रश्न यह है कि हम इसको किस प्रकार लेते हैं। कुछ बातों में प्रो० दंडवते ने एक दृष्टिकोण रखा है जो मुझे अधिक युक्तियुक्त लगता है। उन्होंने कहा है कि हम सुधार के लिए केवल कानून पर ही निर्भर नहीं रह सकते। हमारा इस देश में काफी अनुभव है। इसका एक उदाहरण शारदा अधिनियम है। सुधार के लिए हम केवल कानून पर ही निर्भर नहीं रह सकते। सुधार के लिए समाज को तैयार रहना है। सुधार की अच्छी बातें अन्दर से ही आनी हैं और उसके बाद आता है कानून और किसी

आंदोलन द्वारा उभारी गई भावनाएं, इस सब बातों के संयोग से समाज आगे बढ़ता है। अब प्रश्न यह है कि इस बात का निर्णय किसे करना है कि क्या यह समय आ गया है। और समुदाय को इस विशेष स्थिति में किस सुधार की आवश्यकता है, आदि। मैं पूरे सम्मान के साथ यह बात कहना चाहता हूं कि सरकार ने इस मामले में व्यापक विचार-विमर्श किया है। ऐसा नहीं है कि इस विधेयक को जल्दी में लाया गया है, ऐसी बात नहीं है कि इस समस्या पर संक्षिप्त ढंग से विचार करने का प्रस्ताव है। गत कुछ महीनों में सरकार ने इस विधेयक के पक्ष और विपक्ष में मत रखने वाले सभी विचारों के मुसलमान नेताओं से विचार-विमर्श किया है, राज्यों के अनेक नेताओं से बात की है और तब कहीं जाकर सरकार ने अंतिम राय कायम की है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय की जटिलताओं पर खुलकर चर्चा की गई है। उन्होंने इस बात को समझने का प्रयास किया है कि समुदाय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को किस दृष्टि से देखता है, उनके विचार से उच्चतम न्यायालय के निर्णय से मुस्लिम स्वीय विधि की सीमाओं का किस प्रकार अतिक्रमण होता है तथा उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए क्या करना आवश्यक होगा। अब ऐसी स्थिति थी जिसका समाधान किया जाना था। इसे ऐसे ही नहीं चलने दिया जा सकता। मेरे विचार से पूरा सदन इस बात से सहमत होगा कि देश की राज्य व्यवस्था के लिए यह अच्छा नहीं है कि इस स्थिति को बने रहने दिया जाए। इस स्थिति को चलते रहने देने में सभी प्रकार का खतरा है और इसीलिए सरकार ने निर्णय लिया और सभा के समक्ष आयी।

मेरे विचार से प्रो० दण्डवते सरकार के इस विशेष दृष्टिकोण के एक पहलू से सहमत थे और वह यह कि हमें इस मामले के सम्बन्ध में मुस्लिम समुदाय के दृष्टिकोण का पता लगाने का प्रयास करना चाहिए। मैं समझता हूं कि वह इस बात से सहमत होंगे और वह यह मानेंगे कि ऐसे मामलों में दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न होते हैं। सदन में भी दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न होते हैं, उनके अपने दल में भी मत भिन्न-भिन्न होते हैं और मुसलमानों में भी अलग-अलग दृष्टिकोण रखने वाले लोग हैं। व्यक्ति गत तौर पर मैं उनके उद्देश्यों पर आपत्ति नहीं करता और उनके मत बदलने का प्रयास करने की भी मेरी कोई इच्छा नहीं है। परन्तु यदि वे अपने विचारों पर ईमानदारी से डटे रहें तो जिस प्रश्न पर आपको और हमें विचार करना है वह यह है कि इस संसद द्वारा इस विशेष स्थिति में जो निर्णय लिया जाता है उसका हमारे इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मुद्दा यह नहीं है कि कौन ठीक है और कौन गलत है, मुद्दा यह है कि जो कुछ हम कर रहे हैं क्या वह मुस्लिम समुदाय के बहुसंख्यकों के मत का प्रतिनिधित्व करता है, क्या वे इसे सही कदम समझते हैं अथवा नहीं। यदि वे इसे एक गलत कदम समझते हैं तो हमें अपने आप से प्रश्न करना चाहिए, परन्तु यदि वे इसे ठीक कदम समझते हैं तो क्या यह बात इस सारे विचार-विमर्श में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात नहीं है ?

मेरा यह दृढ़ विचार है कि हम सभी इस देश में सबसे बड़े अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के कल्याण में समान रूप से रुचि रखते हैं। इस देश में रहने वाले करोड़ों लोग मुसलमान हैं और इसीलिए मुस्लिम स्वीय विधि पर चर्चा करते समय, मेरे विचार से सदन में सभी वर्गों के सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि हमें बहुत फूंक-फूंक कर कदम रखना होगा क्योंकि जैसाकि प्रो० रंगा

ने और उनसे पहले विधिमंत्री ने कहा है कि अधिकांश मुसलमान मुस्लिम स्वीय: विधि को धर्म के साथ जुड़ा हुआ मानते हैं यह जीवन की सच्चाई है। यह शरीयत से जुड़ा हुआ है। आपके और हमारे अपने-अपने विचार हो सकते हैं परन्तु हम मुसलमानों के इस दृष्टिकोण को नहीं नकार सकते। और जहां तक मुस्लिम स्वीय विधि का सम्बन्ध है इस दृष्टिकोण का ही महत्व है।

इसलिए महोदय, इस पृष्ठभूमि के आधार पर हमें इस मामले पर विचार करना है। और यदि कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं ऐसा कह सकता हूं कि सदन में इस पक्ष की ओर बैठे हुए हम लोगों के पीछे एक परम्परा रही है तथा दूसरी ओर विपक्ष में बैठे आप में से अनेक लोग स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान इस परम्परा के अंग रहे हैं तथा बाद में जब धर्म निरपेक्ष लोकतन्त्र की स्थापना का निर्णय किया गया तो इस परम्परा को हमारे देश के नेता गांधी जी, पंडित जी तथा दूसरों ने बार-बार जोर देकर कहा है कि इस बात की गारण्टी है कि प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्ग अपने मामले अपने अनुसार चलाए; वे अपने ढंग का रहन सहन रखें; अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखें अपनी धार्मिक पहचान बनाए रखें। अपना धर्म पालन करने की पूरी स्वतन्त्रता हो, आदि। हम इससे परिचित हैं और हमने बहुसंख्यकों को सहिष्णुता का पाठ सिखाया है। आखिरकार बहुसंख्यक समुदाय का इस मामले में कुछ कर्तव्य है। यदि बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यकों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील नहीं है तो कभी-कभी वह अल्पसंख्यकों के मत को दबा सकता है। क्या उसे ऐसा करना चाहिए ? भले ही वह बहुसंख्यक है, फिर भी क्या उसे ऐसा करना चाहिए ? भले ही उसके पास बहुमत है, परन्तु फिर भी क्या उसे ऐसा करना चाहिए ?

ये बातें हमारी धर्म निरपेक्ष राजनीत के ठोस आधार रही हैं और इस विशेष क्षण में यही बातें हम सब के दिमाग में सर्वोपरि होनी चाहिए। मेरे विचार से यदि हम धर्मनिरपेक्षता को इस दृष्टि से नहीं देखते। तो कैसी स्थिति है, ऐसा इस देश में नहीं चल सकता। मैंने यह नोट किया है। श्री सैफुद्दीन चौधरी ने कहा है कि 'हमारी धर्म निरपेक्षता धार्मिक है'। सच्चाई यह है कि हमारे लोग धार्मिक हैं। और यह बात न तो श्री सैफुद्दीन चौधरी और न ही मैं बदल सकता हूं। हम इसे नहीं बदल सकते। हमें इसे ध्यान में रखना है। और इसीलिए सभी धर्मों के प्रति आदर की भावना हमारी धर्म निरपेक्षता का ठोस आधार बन जाती है, केवल राज्य से धर्म को पृथक करना ही नहीं जैसा कि मैं व्यावहारिक जीवन में और दैनिक जीवन में देखता हूं, पाश्चात्य धारणा से यही भिन्नता है। इसलिए अपने धर्म में आस्था रखते हुए भी अल्पसंख्यक धर्मों के प्रति तथा अन्य धर्मों के प्रति आदर रखना ही हमारी धर्मनिरपेक्षता का मूल आधार है।

प्रो० दंडवते तथा अन्य सदस्यों द्वारा एक प्रश्न पूछा गया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम समुदाय के अन्तर्गत सुधार की आवश्यकता है। अन्य देशों में जो कुछ हो रहा है, उसका उदाहरण दिया गया है। महोदय, इस प्रश्न के उत्तर की आवश्यकता है कि ये सुधार कौन करेगा, ये सुधार किस प्रकार किए जायेंगे, आदि। और मेरा उत्तर सीधा होगा।

मैं वही बात कहना चाहता हूं जो प्रो० मधु दंडवते ने कही थी अर्थात् ये सुधार मुस्लिम समुदाय की ओर में आने चाहिए। जिन सुधारों की आवश्यकता है वे मुस्लिम समुदाय द्वारा ही किए जाने चाहिए। जब हम स्थिति की तुलना अन्य देशों, मुस्लिम देशों—के साथ करते हैं—मैं

उन देशों के नाम पुनः नहीं बताऊंगा—तो हमें यह ध्यान में रखना होगा कि वहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। इस देश में मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, यद्यपि वे संख्या में बहुत अधिक हैं। हमें इस तथ्य पर बड़ी सूक्ष्म दृष्टि रखनी होगी कि वे अल्पसंख्यक है इसलिए हम सबको इस बात का ध्यान रखना होगा कि यह सभा उनके लिए आवश्यक परिवर्तन के प्रति उदासीन नहीं है या यह सभा विपक्ष के उन कतिपय विचारों को दबाती नहीं जिन्हें हम वांछनीय समझते हैं। विपक्ष में बैठे अनेक सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। परन्तु क्या हमें उनके विधेयक को दबाना चाहिए ? और क्या यह अन्तिम परिवर्तन होगा ? या इससे जल्दी-जल्दी अधिक परिवर्तन होंगे। यह राजनैतिक मामला नहीं है। और यदि आज इस विधेयक के बारे में, इसकी वांछनीयता के बारे में, इसकी विषय वस्तु के बारे में, कुछ पुनर्विचार करने के मुस्लिम समुदाय की आवश्यकता के बारे में मुस्लिम समुदायों में कोई चर्चा हो रही है तो मैं कहूंगा कि यह बड़ा ही अच्छा है। मैं कहता हूं कि सभी समुदायों में इस प्रकार के विचार होने चाहिएं। जैसाकि प्रो० दंडवते ने कहा है, हिन्दू समाज में यह प्रक्रिया दशकों से चल आ रही है। यह सौ वर्ष पूर्व शुरू हुई थी। इसके परिणामस्वरूप और इस देश के अनेक महान नेताओं के प्रयासों के परिणामस्वरूप हिन्दू समाज अपने आपको पुनर्जीवित करने में समर्थ हो गया है। हम देश में प्रत्येक समाज के साथ यही चाहते हैं परन्तु जैसाकि आपने कहा है सुधार विशिष्ट समुदाय की ओर से होना चाहिए और महोदय, न केवल प्रेरणा ही समुदाय की ओर से मिले बल्कि सुधार का रूप भी उस समुदाय द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए और अन्तिम रूप समुदाय की भावनाओं के अनुरूप दिया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि प्रो० दंडवते भी यही कहना चाहते थे और पूरे सोच विचार के बाद मैं यह समझता हूं कि अन्य मित्र भी इस विचार से सहमत होंगे। अनेक मित्र यहां है, श्री इन्दरजीत गुप्त यहां है, श्री उन्नीकृष्णन यहां हैं, अनेक मित्र उस समय वहां थे जब आठवें दशक में सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया था। आपको याद होगा कि उस समय कुछ लोगों ने मांग की थी कि इस विधेयक में विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप का विशिष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। यह कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। इससे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कार्यकरण पर कोई फर्क नहीं पड़ा, परन्तु यह आवाज उठाई गई और सभा में विधेयक पारित हो गया। इसके पश्चात् भी बाहर आंदोलन जारी रहा। इस विधेयक को पारित करने में हम सब एक थे और उस अवसर पर भी मैं बोला था। परन्तु कुछ वर्षों बाद और इस मामले पर काफी गर्म चर्चा और अनावश्यक कटुता के बाद अन्ततोगत्वा समझौता करके एक फार्मूला बनाया गया और विधेयक की प्रस्तावना की शब्दावली में परिवर्तन किया गया और इससे सब संतुष्ट हुए। यह मामला ऐसा हैं जिससे मुस्लिम समुदाय के अधिकतर लोगो का कोई संबंध नहीं है। जो लोग कभी किसी विश्वविद्यालय में नहीं गए - जो बिल्कुल नहीं जानते कि विश्वविद्यालय कैसे चलता है—वे इस सब विवाद में उलझ पड़े क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि मुस्लिम समुदाय का अपमान किया जा रहा है या उन्होंने समझा कि यह मुस्लिम समुदाय के हितों के विरुद्ध है। हम ऐसा नहीं सोचते हैं। मुझे उस अवसर की चर्चा याद है। मैं अभी भी ऐसा नहीं समझता परन्तु वास्तविकता यह है कि उस मामले में मुस्लिम समुदाय के अधिकतार सदस्यों के यही विचार थे इसलिए अन्ततोगत्वा उन्हें संतुष्ट करने के लिए उसमें परिवर्तन कर

दिया गया था। यदि अलीगढ़ विश्वविद्यालय विधेयक पर इतना उत्तेजित हुआ जा सकता है तो ऐसे मामले पर विचार करते समय पूरी सावधानी बरती जानी चाहिए जिसका संबंध मुस्लिम स्वीय विधि से है जो प्रत्येक परिवार, प्रत्येक व्यक्ति और पूरे मुस्लिम समुदाय पर प्रत्यक्ष रूप से लागू होता है। इसका औचित्य प्रत्यक्ष और स्पस्ट है, इसलिए मैं समझता हूँ कि इस मामले में संकुचित दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए। इनमें कुछ घटनाएं इस समय ज्यादा बड़ी नहीं दिखाई दे रही होंगी, परन्तु उनका प्रभाव गहरा पड़ता है और हमारा इतिहास ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है। अतः इस संबंध में सावधानीपूर्वक उपाय करने की आवश्यकता है और यदि हम इस समय गलती करते हैं, तो, महोदय, मेरा कहना यह है कि हमें मुस्लिम समुदाय की भावनाओं के अनुरूप गलती करनी चाहिए और जहां तक कांग्रेस का संबंध है यह हमेशा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए वचन बद्ध रही है और यह हमेशा करती रहेगी क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस देश में अल्पसंख्यक अपने को किसी प्रकार के खतरे में महसूस करें, हम नहीं चाहते कि उनमें यह भावना उत्पन्न हो कि उनके अस्तित्व को खतरा है। जब तक कांग्रेस है, वे यहां पूरी तरह सुरक्षित हैं और इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि प्रगतिशील लोग इस विचार से सहमत होंगे। यह केवल कांग्रेस का दृष्टिकोण नहीं हैं विपक्ष में बैठे मेरे अनेक मित्र भी इस दृष्टिकोण के समर्थक हैं अतः जब हम इस उद्देश्य के समर्थक हैं, तो हमें ऐसे मुद्दे नहीं उछालना चाहिए जिससे भावनायें भड़कें। आप कह सकते हैं कि इससे अनावश्यक रूप से भावनायें भड़केंगी, परन्तु प्रश्न यह है कि इससे भावनायें भड़क सकती हैं। क्या ऐसे समय में, जब देश में हमें प्रत्येक समुदाय की एकता की आवश्यकता है, देश में भावनाओं को भड़काने की दृष्टि से राजनैतिक दबाव डालना उचित है? यह मूल दृष्टिकोण है और इस मूल दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए हम यह विधेयक लाए हैं और मैं आशा करता हूं कि इन मुद्दों पर—एकता और अखंडता की आवश्यकता तथा ऐसे समय में सभी समुदायों को निकट लाने की आवश्यकता जबकि चारों तरफ रूढ़िवाद बढ़ रहा है,—विचार करने की आशा प्रकट करता हूं। हमें अधिक सूक्ष्मग्राही और सहनशील बनना चाहिए। हमें ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे अल्पसंख्यक संतुष्ट हो सकें और अल्पसंख्यक समुदाय की ओर से ही ऐसे विचार प्रस्तुत करने की अनुमति दी जानी चाहिए जिससे वे उस दिशा में बढ़ सकें जिस दिशा में वे जाना चाहते हैं। परन्तु यह उनका विषय है।

महोदय, इन्हीं कारणों से मैं इस विधेयक के संबंध में अल्पसंख्यकों की भावना पर बल देता हूं। वह यह कि मैंने कैसे प्रारम्भ किया था और मैं कैसे समाप्त करूंगा। मैं समझता हूं के इस विधेयक से अल्पसंख्यकों में विश्वास की भावना उत्पन्न होगी और मैं समझता हूं कि इतिहास के इस दौर में विश्वास की भावना पैदा करना काल्पनिक राजनैतिक लड़ाई जो इस सभा में हम कर रहे हैं, करने के बजाए अधिक महत्वपूर्ण है।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नाम निर्देशित) : अध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में बोलना चाहता हूं। जब मैंने इस विधेयक को पढ़ा, एक वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते मैंने सबसे पहले

इसकी अधिशता पर विचार किया । मेरे विचार में मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्य समुदायों की महिलाओं की तुलना में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए । इसके बाद सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश उच्चतम न्यायालय के निर्णय से विवाद बढ़ा और मैंने कुछ लेख पढ़े । मैं आपको यह स्पष्ट बताना चाहता हूं कि उनमें से कुछ गैर मुस्लिम न्यायाधीशों का दृष्टिकोण न केवल आलोचनात्मक था बल्कि कटु आलोचनात्मक था जिसमें उन्होंने अपने आपको कुरान का महाज्ञानी दर्शाया था । इसके पश्चात् मैंने इसके मुस्लिम समुदाय विभिन्न वर्गों के विचार जानने का प्रयास किया । उनके संगठनों का चेयरमैन होने के नाते मैंने अनेक कम पढ़े लिखे मुसलमानों के साथ बातचीत की जिनमें वे लोग भी शामिल थे जो मेरे और मेरी पत्नी की सेवा करते हैं । उनमें से एक व्यक्ति मेरा बेरा था, जो विशेष रूप से होशियार था और मैंने उससे पूछा "इस विधेयक के बारे में आपके क्या विचार हैं ।"

महोदय, मैं वह बता रहा हूं जो उसने कहा था" हम मुसलमानों के लिए कुरान समादेश है " परन्तु उसने कहा कि कितने लोग मुस्लिम समुदाय के बारे में जानते हैं । उसने कहा कि हम अपनी पत्नियों को तलाक नहीं देते हैं । उसने कहा, मैं शिया हूं और मैं अपनी पत्नी से छुटकारा नहीं पा सकता । न ही ऐसा करने की मेरी इच्छा है । मैंने 25 वर्ष पूर्व उससे शादी की थी । हम शिया लोग अपनी पत्नी को नहीं छोड़ते हैं सुन्नी क्या कर सकते हैं क्या नहीं, हमें तो मौलवी की सलाह लेनी पड़ती है ।

इसके बाद मैं सोचने लगा कि कम पढ़े लिखे मुसलमान भी कुरान का सम्मान करते हैं और चाहे ठीक हो या गलत वे कुरान के समादेश से शासित हैं ।

वे इसे कुरान का आदेश मानते हैं । तथापि, मैं तो यही सोचता था कि शायद शिक्षित मुसलमान इस विधेयक का विरोध करेंगे । हम ने इस बारे में उच्चतम न्यायालय में चर्चा की थी वहां हमने मेज पर बैठकर जहां कि सबसे अधिक वरिष्ठतम और वरिष्ठ वकील बैठते हैं, इस पर एक दिन चर्चा की । इसमें महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें अनेक वरिष्ठ वकीलों ने एक वरिष्ठ मुस्लिम वकील से पूछा ।

> "आप का इस विधेयक के संबंध में क्या विचार है" ? उन्होंने कहा कि "वरिष्ठ वकील के रूप में मैं इस विधेयक का विरोध करूंगा" लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि मैं आप को यह भी बताना चाहूंगा कि मेरी पत्नी एक बहुत ही सुसंस्कृत और शिक्षित महिला हैं, और वह इस विधेयक का पूरी तरह समर्थन कर रही हैं । अब यह·····।

प्रो० मधु दंडवते : क्या पति के रूप में उन्होंने उसका समर्थन किया ?

श्री फ्रैंक एन्थनी : वरिष्ठ वकील के रूप में उन्होंने इसका विरोध किया । तब कोई निर्णायक बात हुई । महोदय, मैं दिल से अल्पसंख्यकों के लिए लड़ाई लड़ता हूं । और मैं अपनी ओर से कोई झूठा दावा नहीं कर रहा लेकिन आज स्थिति यह है कि अल्पसंख्यकों को मैं इसके विस्तार में में नहीं जाना चाहता अनुच्छेद 30 जिसमें कि सभी अल्पसंख्यकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं

सभा के समाप्त होने का भय है। मेरे पास जो भी शिक्षाविद आते हैं, उनसे मैंने बात की। आंध्र प्रदेश से बहुत से मुस्लिम शिक्षाविद मुझसे मिलने आए वेचाहते थे कि मैं उनकी ओर से इस अनुच्छेद 30 के संबंध में बोलूं। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे एक ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में गए थे, जिनकी कि मैं अत्यधिक सराहना करता हूं और जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे और अत्यधिक योग्य थे एवं मुख्य न्यायाधीशों के रूप में भी नियुक्त हुए। एक मुसलमान होने के साथ-साथ वह न केवल योग्य ही थे अपितु अत्यधिक स्वतंत्र विचारों के थे। मुझे याद है, जब मुझे इन्दिरा जी ने मुझे अपने साथ विधान भवन चलने और असम के संबंध में एक बड़ी बैठक में भाषण देने को कहा था। मैं मुसलमानों का जिक्र कर रहा था और कह रहा था कि उनमें सर्वाधिक योग्य न्यायाधीश भी हो सकते हैं। इतना ही नहीं, वह ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह स्वतंत्र विचार रखते हैं। तो मैंने अपने पास बैठे उन भद्र पुरुष—मैं उनका नाम नहीं लूंगा—से बात की बाद में उन्हें मुख्य न्यायाधीश से काफी बड़ा दायित्व मिला था।

प्रो० मधु दंडवते : हमें पता है यह कौन हैं।

श्री फ्रैंक एंथनी : मैंने उन से पूछा, "महोदय, कि आप की इस विधेयक के संबंध में क्या राय है और उन्होंने कहा "यह कानूनी दृष्टिकोण से प्रभावित नहीं है। कानूनी रूप से इसे उचित अनुचित ठहराने की बात नहीं है। हरारे शिक्षित मुसलमानों के लिए—जो मुसलमान मुझे मिलने आए थे वह उन सब के बारे में बोल रहे थे—"यह कुरान में व्यक्त किए मत की बात है" यह सुन कर मैं आश्चर्य चकित रह गया। तब मैंने अनुभव किया कि वह अत्यधिक प्रतिभा संपन्न थे। अगर मैं उन का नाम लूंगा तो आप पहचान जायेंगे कि वे हमारे देश के सर्वाधिक योग्य न्यायाधीशों में एक थे। मुझे उनके समक्ष उपस्थित होने का सौभाग्य मिला था। फिर तब मैंने महसूस किया कि अधिकांशतः मुसलमास इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। किसी में धर्मनिरपेक्षता की चर्चा की अगर यह विधेयक ईसाइयों के संबंध में होता तो मैं इसका विरोध करता। लेकिन यहां हम धर्म निरपेक्षता की चर्चा कर रहे हैं और यह भी थी कि धर्म निरपेक्षता की क्या व्याख्या है, और मैं धर्म निरपेक्षता के आधार पर अनुच्छेद 30 के संबंध में लड़ रहा हूं। और इसका मूल अर्थ है, सभी धर्मों के लिए समान आदर, अल्पसंख्यकों के धिकारों के लिए समान आदर। इसलिए मैं अपने मित्र विधि मंत्री को यह विधेयक प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं। वह योग्य वकील हैं और उन्होंने सरकार के पक्ष को सकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया जबकि मैं इस पर नकारात्मक इसे गलत नजरिए से सोचा। हम सभी धर्मों का समान आदर करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। मुझे इस में कोई संदेह नहीं है मुझे भी इस बारे में संदेह नहीं है कि अधिकतर मुसलमान इसे कुरान के आदेश से शासित मानते हैं। इसलिए मैं विधि मंत्री इसे लाने के लिए बधाई देता हूं। मैं कभी भी कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं रहा। मुझे सदस्य निर्मित किया जा सकता है। लेकिन जवाहर लाल नेहरू और इन्दिरा गांधी के विरुद्ध तीखे वाद-विवाद किए हैं लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि ज्यादातर अल्पसंख्यक और मुझे उनमें से एक छोटे से समुदाय का नेतृत्व करने का अवसर मिला है, कांग्रेस दल से अपेक्षा करते हैं कि वह उन्हे संरक्षण दे और मैं

यह सोचता हूं यदि आज मुसलमान, यह अनुभव करते हैं कि ऐसा कुरान के अनुसार है, क्योंकि यह मामला यहां लाया गया है तो सरकार के पास न केवल एक विकल्प है अपितु यह उसका कर्त्तव्य भी है कि वह इस विधेयक को पारित करायें।

श्री दिनेश सिंह (प्रताप गढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त खेद का विषय है कि इस विधेयक को साम्प्रदायिक रंग देने और धर्म को आधार पर देश को बांटे जाने की कोशिश की जा रही है। सौभाग्य से ऐसा नहीं हुआ। कुछ मुसलमान इस विधेयक का समर्थन करते हैं और कुछ इसका विरोध करते हैं। कुछ हिन्दु इस का समर्थन कर रहे हैं और कुछ विरोध कर रहे हैं। मैं तो यह कहूंगा कि यह बात अन्य समुदायों पर भी लागू होती है। यह बड़े संतोष की बात है और धर्मनिरपेक्ष भारत की सफलता है कि सांप्रदायिक लोग धर्म के आधार पर इस देश के टुकड़े करने में सफल नहीं हुए हैं।

खेद की बात है कि इस सभा में भी अल्पसंख्यकों के पक्ष पर और उन के अधिकारों पर खासा जोर दिया गया है। मैं समझता हूं कि इस विधेयक पर इसके गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। यह किस सीमा तक अल्पसंख्यकों को प्रभावित करता है, यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर इस सम्पूर्ण समुदाय द्वारा अल्पसंख्यकों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय किया जाना है।

कांग्रेस दल सदा से ही अल्पसंख्यकों के अधिकारों का पक्षपाती रहा है - इसलिए नहीं कि इन्हें विशेष समुदाय समझा जाता है अपितु इसलिए कि देश की एकता और अखंडता के लिए ऐसा अनिवार्य है। अगर इस देश को एक होकर आगे बढ़ना है तो सभी समुदायों को चाहे बहुसंख्यक वर्ग के हों या अल्पसंख्य के एक दूसरे से पूरा सहयोग देना चाहिए। इस महान देश के एक भाग के रूप में उन्हें पूरी तरह समर्पित होना चाहिए और ऐसा होने पर ही हम एक सुदृढ़ और मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ सकते हैं।

जहां तक इस विधेयक का संबंध है, हमारी पार्टी और प्रधान मंत्री ने अल्पसंख्यकों की भावनाओं की रक्षा करने के लिए यह निर्णय लिया कि तालाक शुदा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर फिर से विचार किया जाए। मैं आपका ध्यान दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। जिस पर कि यह विधेयक वास्तव में इस रूप में लागू होता है कि इसमें मुस्लिम महिलाओं सम्बन्धी उपबन्धों में संशोधन किया गया है। धारा 125 अस्पष्ट खंड है। अगर तलाक शुदा महिला के पास अपनी गुजर-बसर करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं तो उसे तलाक देने वाले पति की यह जिम्मेदारी है कि वह उसे एक निश्चित धनराशि के रूप में कुछ निर्वाह भत्ता अदा करे, परन्तु यह राशि उस समय उपयुक्त समझी गई राशि के बराबर हो। वर्ष 1973 में यह जोड़ा गया। परन्तु उस समय भी मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्गों ने संदेह व्यक्त किया था कि ऐसा करना उनकी स्वीय विधि के उपबन्धों से कई प्रकार से भिन्न होगा।

हमें मामले को बहुत स्पष्ट तौर पर समझना है। विभिन्न समुदायों के अपनी-अपनी स्वीय

[श्री दिनेश सिंह]

विधियां हैं जब तक आप यह मानते हैं कि स्वीय विधि बनाने के लिए उपबन्ध है, तो उसे समय के अनुरूप रखने के लिए उसमें वैसा आवश्यक संशोधन करने का भी उपबन्ध है जैसाकि उन व्यक्तियों द्वारा कहा जाए जिन पर वह लागू होता है। इसलिए यह निर्णय किया गया कि यह विधेयक पुर:स्थापित किया जाना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि मुस्लिम समुदाय इस बात से आश्वस्त है कि उनकी स्वीय विधि के उपबन्धों का पूरी तरह पालन किया आ रहा है। उस समय भी यह उल्लेख किया गया था कि मुसलमानों की स्वीय विधि को अनुच्छेद 127 से सुरक्षा प्रदान की जाएगी। जिन लोगों पर यह कानून लागू होता है उन लोगों ने पुन: यह अनुभव किया कि यह पर्याप्त उपबन्ध नहीं है तथा और अधिक विशिष्ट उपबन्ध किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए यह विधेयक लाया गया है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो नया हो, साम्प्रदायिक है और जो अति क्रांतिकारी हो, बल्कि इसका आशय इससे सम्बन्धित व्यक्तियों को इस बात का विश्वास दिलाना है कि यह उनकी स्वीय विधि की धारणा के अनुसार ही है।

अब मैं यह बात भी कह दूं कि किसी मुस्लिम परिवार के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह नए अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार चले। वे सिविल मैरिज एक्ट के अन्तर्गत विवाह करने अथवा विधि मंत्री द्वारा रखे गए संशोधनों के उपबन्धों, मुझे आशा है कि सभा उन पर अपनी स्वीकृति दे देगी, का लाभ उठाने को स्वतन्त्र हैं। इसलिए सभी मुस्लिम पुरुषों और महिलाओं के लिए यह अनिवार्य नही है कि वे इस कानून के अनुसार चलें। उनके पास विकल्प है बल्कि दो विकल्प हैं। या तो सिविल मैरिज एक्ट के अंतर्गत विवाह कर लें अथवा यदि पति-पत्नी के बीच कोई समझौता है तो संशोधन द्वारा किए गए उपबन्ध, जिसे अभी स्वीकृति मिलनी शेष है, का लाभ उठा सकते हैं।

महोदय अब एक और बात है, जिसके बारे में मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं। इस विधेयक के अनुसार तलाक शुदा पत्नी के निर्वाह की जिम्मेवारी तलाक देने वाले पति से हटाकर उस महिला के अभिभावकों अथवा सम्बन्धियों पर डालना है और ऐसा न होने की स्थिति में यह जिम्मेवारी पूरे समुदाय पर पड़ जाती है। मेरे विचार से, सरकार ने तलाकशुदा मुस्लिम महिला की सुरक्षा का दायरा बढ़ा दिया है, बशर्ते कि समुदाय उसकी सहायता करने में समर्थ हो। जैसी कि आज की स्थिति है, मुस्लिम वक्फ बोर्डों की बुरी हालत है। मैं सरकार से यह सुनिश्चित करने की अपील करूंगा कि इन वक्फ बोर्डों का प्रबन्ध इस ढंग से किया जाए कि ये उन महिलाओं की सहायता करने में सक्षम बन जाएं जो अपने भूतपूर्व पति अथवा अपने परिवार के सदस्यों से संरक्षण प्राप्त न कर सके।

प्रो० मधु दंडवते : इसका राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है।

श्री दिनेश सिंह : मुझे खुशी है कि प्रो० दंडवते राष्ट्रीयकरण के पक्ष में हैं। मुझे किसी भी प्रकार के राष्ट्रीयकरण पर कोई आपत्ति नहीं है। आजकल संविधान के नीति निदेशक सिद्धांतों के अन्तर्गत सामान्य सिविल विधि बनाने की काफी चर्चा चल रही है। यह मेरा विश्वास है और

मेरे विचार से इस देश के अधिसंख्य लोगों का भी, और विशेषकर उन लोगों का जो अपने आपको कांग्रेस संस्कृति का समझते हैं, यही विचार है कि सामान्य सिविल विधि के लिए सभी समुदायों का सहर्ष सहयोग चाहिए। मैं स्वीकार करता हूं कि सरकार की पहल करने की जिम्मेदारी है और मुझे आशा है कि कुछ समय में सरकार इस बात की पहल करके यह प्रयास करेगी कि सभी को स्वीकार्य सामान्य सिविल विधि बनाने में सभी समुदायों को एकजुट करके उनका सहयोग प्राप्त करें। परन्तु मैं यह बात पुनः कहता हूं कि ऐसा करना तभी संभव होगा जब सभी सम्बद्ध समुदाय इच्छा से अपना सहयोग दें। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अल्पसंख्यकों की भावनाओं को समझने का प्रयास करें और उन्हें ऐसा न सोचने दें कि सामान्य सिविल विधि बनाने के लिए किसी को बाध्य किया जाएगा। इसकी तुरन्त प्रतिक्रिया होगी जो सामान्य सिविल विधि बनाने में बाधा डालेगी। मेरी यह आशा है कि यदि इस विधेयक से अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों में अधिक विश्वास पैदा होता है तो हम मानेंगे कि हमने सामान्य सिविल विधि बनाने के लिए संविधान के के नीति निर्देशक सिद्धान्तों की पूर्ति की है।

6.00 म० प०

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : इस विधेयक के सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि 1973 का दण्ड प्रक्रिया संहिता इस राष्ट्र को श्रीमती गांधी का दिया उपहार है। जब 1973 में श्रीमती गांधी ने यह अधिनियम दिया तो वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत निर्धन और निराश्रित महिलाओं की सहायता करना चाहती थीं। इसीलिए 1973 में वह नया अधिनियम लायीं।

परन्तु दुर्भाग्यवश अब हम देखते हैं कि इस नए विधेयक के अंतर्गत अधिकार छीना जा रहा है। इसलिए श्रीमती गांधी निर्धन और निराश्रित महिलाओं को जो अधिकार देना चाहती थीं, उनके पुत्र द्वारा वही अधिकार छीना जा रहा है। इसलिए वास्तव में इस विधेयक से राष्ट्र में निश्चित रूप से फूट पड़ेगी। यहां तक कि सरकार भी साम्प्रायिक और कट्टरपंथी ताकतों के दबाव के आगे झुक रही है। इसलिए यह विधेयक लाया गया है।

भारत में केवल 12 प्रतिशत जनसंख्या मुसलमानों की है। यदि आप उनके सामने झुकते हैं तो बाकी 88 प्रतिशत जनसंख्या के सामने क्या करेंगे जिनमें हिन्दू, पारसी, सिक्ख, ईसाई आदि शामिल हैं ? क्या आप अन्य धर्मों की स्वीय विधियों के बारे में भी नए विधेयक ला रहे हैं ?

यदि स्वतन्त्र मतदान करने की अनुमति दी जाए, तो मैं कहूंगा कि कांग्रेसी सांसदों में भी अधिकांश सांसद इस विधेयक के विरुद्ध मतदान करेंगे। यह स्थिति है। (व्यवधान) जी हां, मुझे मालूम है यही स्थिति है। (व्यवधान)·····

श्री राजकुमार राय (घोसी) : आप अपने बारे में कहिए। (व्यवधान)·····

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। बैठ जाइए। ठीक है, कृपया बैठ जाइए। श्री कुलनदईवेलू आप अपने भाषण को अपने तक ही सीमित रखिए।

(व्यवधान)

श्री पी० कुलनवईवेलू : मैं कांग्रेस पार्टी से सम्बद्ध रहा हूं। मुझे कांग्रेस पार्टी के भीतरी सोच की पूरी जानकारी हैं। (व्यवधान)

हाल ही में हमारे भूतपूर्व वित्त मंत्री, श्री प्रणव मुखर्जी को 6 वर्षों के लिए कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया हैं। वास्तव में कांग्रेस (आई) ने श्री प्रणव मुखर्जी को खुली छूट दे दी हैं, और अब वे इस विधेयक के कारण धर्मनिरपेक्षता के चैम्पीयन बन रहे हैं।

महोदय मैं आपको उस संशोधन के बारे में भी बताता हूं जो आप मुस्लिम दम्पतियों को उन दोनों के सहमत होने पर, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 का आश्रय लेने की अनुमति देने के लिए ला रहे हैं। जानता हूं ऐसा कभी नहीं होगा। मुस्लिम महिला को तलाक देने वाले पति के विरुद्ध कार्रवाई की अनुमति नहीं मिल पाएगी। इसलिए, इस संशोधन को लाने का क्या लाभ है ? इसका कोई लाभ नहीं है।

वास्तव में यह विधेयक सभी मुस्लिम महिलाओं को दफनाने जा रहा है। निश्चित तौर पर यह कोई प्रगतिशील कदम भी नहीं है। वास्तव में यह विधेयक 7वीं सदी में लाया जाना चाहिए था; लेकिन आप इसे 21वीं सदी में ला रहे है। हमारे प्रधान मंत्री 21वीं सदी को देखना चाहते हैं; लेकिन दुर्भाग्यवश इस बिल को लाकर वह वापिस 7वीं सदी की ओर जा रहे हैं।

यह विधेयक मुसलमान महिलाओं के हितों के लिए हानिकर है। यह संविधान के विरुद्ध है, यह लोकनीति के विरुद्ध है, यह देश के कानून के विरुद्ध है। मैं यहां तक भी कहूंगा कि यह विधेयक रूढ़िवादियों के लिए लाया गया है, मुसलमानों के लिए नहीं है। अधिकांश मुसलमान इस विधेयक के विरुद्ध हैं।

हाल ही में, प्रधान मंत्री के साथ सभी दलों की एक बैठक हुई थी। जब हम प्रधानमंत्री को इस विधेयक को वापिस लेने के लिए दबाव डाल रहे थे उन्होंने कहा, "नहीं, मैं विधेयक वापिस नहीं लूंगा।" यह उन्होंने ऐसा कहा था। हमने उनसे कहा था कि वह महिलाओं के मौलिक अधिकारों को छीन रहे हैं जो संविधान में भी दिए गए हैं।

विधेयक के द्वारा संवैधानिक अधिकारों को छीना जा रहा है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री संसद की सहमति के लिए इस विधेयक को संसद में लाने के लिए दृढ़संकल्प हैं। मेरा माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध हैं कि वह पुनः इस विधेयक पर विचार करें और यदि इस विधेयक के लिए कोई संशोधन किए जा सकते हों तो उन संशोधनों को किया जाए ताकि विद्यमान गलतियों को दूर किया जा सके।

श्री सी० माधव रेड्डी : महोदय, हमें कब तक बैठना होगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह चर्चा रात्रि 10 बजे अथवा 11 बजे तक समाप्त हो जाएगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम अपने आप पर इतना भार क्यों डालें ? क्या इसका कोई कारण है ? कोई जरूरी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इसे पारित करने का निर्णय किया गया है। हम सायं 11 बजे तक समाप्त हो जाएगा।

श्री पी० कुलनदईवेलू : महोदय, वास्तव में यह विधेयक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 और 127 में हेर-फेर कर रहा हैं। जब मुसलमानों ने भारतीय दंड संहिता को स्वीकार कर लिया है तो वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 115 और 127 को भी स्वीकार क्यों नहीं कर लेते जब वह देश के कानूनों को स्वीकार कर रहे हैं तो वह दंड प्रक्रिया संहिता को क्यों नहीं स्वीकार करते ? मुसलमान बताएं कि क्या वे पृथक भारतीय दंड संहिता चाहते हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या आपका मंत्रालय मुसलमानों के लिए अलग दंड संहिता बनाएगा ? मान लो मैं एक हिन्दू हूं और अपने लिए पृथक संहिता चाहता हूं तो क्या आप इसे देंगे ? यदि स्थिति यह है तो आप भिन्नता में एकता कैसे पा सकते है ? आप इस देश में एकता कैसे कायम कर सकते हैं ? मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री जी को रूढ़िवादियों के समक्ष झुकना नहीं चाहिए।

महोदय, विधेयक इस्लाम विरोधी और अवास्तविक भी हो। यह इस्लाम की भावना और समानता न सिद्धान्त का विरोध करता है। नामक स्थान पर इस संबंध में एक संकल्प पारित किया गया था जिसमें 10 इस्लामी देशों ने भाग लिया था। यहां तक कि केरल के शरीयत बोर्ड 17 अप्रैल, 1986 को नई दिल्ली में हुई रेली में भी भाग लिया था। मुसलमानों का कहना है कि शरीयत स्वीय विधि है और उन्हें शरीयत के जरिए जाना जाता है। यदि वह कहते है कि उनकी पहचान शरीयत के जरिए की जाती हैं तो मैं इसे अस्वीकार करता हूं। वास्वत में वह तब पहचाने जाते हैं जब वह कहते हैं कि वह भारतीय हैं। पहचान तब होती है जब आप एकता और अखंडता की बात करते हैं।

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : भारतीयों की पहचान के लिए भारतीय भाषा भी आवश्यक है।

श्री पी० कुलनदईवेलू : यहां तक कि पाकिस्तान जैसे देशों में भी एक पक्षीय 'तलाक' पर प्रतिबन्ध हैं जबकि भारत में हम इसे कायम रखे हुए हैं। लीबिया में तलाक के बाद पति को पत्नी के लिए अपना घर छोड़ना पड़ता है, लेकिन यहां स्त्री को घर से जाना पड़ता है और पति घर में रहता है।

महोदय, मैं श्री आरिफ मोहम्मद खान की प्रशंसा करता हूं। उन्होंने इस विधेयक के कारण त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस (आई) के संसद सदस्यों में से वह अकेले संसद सदस्य हैं जिनकी प्रशंसा की जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने त्याग-पत्र दे दिया है।

अन्ततः मैं कहना चाहता हूं क्योंकि इनमें बहुत अधिक गलतियां हैं लेकिन उनके द्वारा

स्वीकृत गलतियों के बावजूद गलतियों को सुधारा जाए ताकि हम भी विधेयक का समर्थन कर सकें।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : उनको नैतिक समर्थन देने के बाद अन्तिम स्थिति क्या है ?

श्री अर्जुन सिंह (दक्षिण दिल्ली) : मैं इस सभा में चल रहे वाद-विवाद में बहुत अच्छे मौके पर बोलने को खड़ा हुआ हूं, जबकि बहुत ही उत्तेजक और विवादास्पद भाषण के बाद माननीय सदस्य ने हमारा समर्थन किया है।

श्री पी० कुलनवेलू : क्या आपका मतलब है कि मुझे आपका समर्थन नहीं करना चाहिए।

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : हम इसका स्वागत करते हैं। इसलिए, मैं समझता हूं.....

विधि और न्याय मंत्री (श्री ए० के० सेन) : अन्तिम भाग हमेशा पहले भाग को समाप्त करता है।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, कानूनी आधार पर इस पर चर्चा करने के लिए मेरे पास कानूनी विशेषज्ञता तो नहीं है लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि संविधान प्रख्यापित किए जाने के बाद हमारी भारतीय राजनीति का मोटा ढांचा सामने आया है। अध्यक्ष महोदय, राजनीति का यह मोटा स्वरूप हमारे देश में स्वतंत्रता आन्दोलन के समय उभर कर सामने आया। उस समय हम एक शक्तिशाली साम्राज्यवादी शक्ति का मुकाबला कर रहे थे और हमारे देश के नेता इस साम्राज्यवादी शक्ति के मुकाबला व्यापक आधार पर करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने भारतीय समाज की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक धर्म के लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए शक्तिशाली रूप से तैयार होने के लिए तैयार किया। और इस शक्ति के द्वारा ही हम अन्तत इस साम्राज्यवादी शक्ति का मुकाबला कर सके और मेरी राय में देशको स्वतंत्रता आन्दोलन के लिए एक जुट होकर तैयार करने में उनके द्वारा अपनाए गए सही तरीके के प्रमाणित करता हूं। हमारे संविधान के निर्माता जिन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लिया था उस सबके प्रति काफी सचेत थे और इसीलिए उन्होंने इस संविधान को इतना व्यापक स्वरूप प्रदान किया। हमारे स्वतंत्रता आन्दोलन में किए गए संघर्ष से ही यह बातें सामने आई और उन्होंने संविधान के द्वारा जो कुछ स्थापित किया उसे हमने अपने लिए स्वीकर कर लिया। इसलिए धर्म निरपेक्षता को जिस रूप में समझा जाता है और इस विधेयक में जिन बातों पर विचार किया गया है उनके स्रोत को इस विधेयक के पुर:स्थापित करने अथवा इस पर चर्चा में नहीं खोजा जाना चाहिए।

परन्तु संविधान में लिखा है कि अल्प संख्यकों के अधिकार, उनके विश्वास और अन्य सभी मामलों की हर तरह से रक्षा की जाएगी और यही सोचकर यह विधेयक इस सदन में लाया गया है।

महोदय मैं यह कहना चाहता हूँ कि धर्म निरपेक्षता का पहले ही बहुत सदुपयोग और दुरुपयोग हो चुका है। प्रत्येक व्यक्ति अपने ढंग से धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या करता है, मैं इतना समझदार नहीं हूँ कि अपनी व्याख्या दे सकूं। मैं केवल सामान्य दृष्टिकोण बता सकता हूँ जिसका आशय है कि राज्य किसी धर्म का आचरण नहीं करता; राज्य किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देता और राज्य किसी धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है। प्रत्येक व्यक्ति कोई अपने धर्म पर आचरण कर सकता है। अपने धर्म में श्रद्धा और निष्ठा रख सकता है। यदि यह गारण्टीशुदा है, तो मैं समझता हूँ कि यह वह आधार और आइना होना चाहिए जिसके माध्यम से अल्पसंख्यकों के प्रत्येक मामले को देखा जाना चाहिए बजाय इसके कि इनको मामलों को राजनैतिक उद्देश्य या किसी अन्य उद्देश्य से देखा जाए यह दुर्भाग्य है और अध्यक्ष महोदय 'दुर्भाग्य' शब्द का प्रयोग जानबूझकर कर रहा हूं क्योंकि किसी लाभ को प्राप्त करने के प्रयास में इस मामले को हमने ऐसा बना दिया है जिसका उस वास्तविक समस्या से कोई सम्बन्ध नहीं है जिसका इस विधेयक में संकल्प किया गया है। मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। परन्तु मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि हम रूढ़िवादियों से पराजित हो गये हैं जिनके अनुसार कांग्रेस पार्टी अपनी पुरानी अवधारणाओं और वचनबद्धता से मुंह फेर रही है। यह आलोचना पूरे देश में की जा रही है और यदि मैं कहूं कि यह आलोचना उन लोगों द्वारा की जा रही है जिनकी धर्मनिरपेक्षता में विश्वसनीयता और आस्था अभी सिद्ध होनी है। परन्तु प्रश्न यह है कि कांग्रेस को अपनी विश्वसनीयता, वचनबद्धता, धर्मनिरपेक्षता, विश्वास और आस्था सिद्ध करने के लिए किसी के पास नहीं जाना है क्योंकि यह उसके पास सैकड़ों वर्षों से है और उसने अपने आपको देश की महत्ता और नियति के अनुरूप ढाला है। और यह विधेयक एक और प्रयास है क्योंकि देश में एक अल्पसंख्यक, बहुत विशाल अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित कुछ ऐसे पहलू हैं जिनसे उनके 'पर्सनल ला' प्रभावित होते हैं। कांग्रेस पार्टी की भारत के अल्पसंख्यकों के प्रति वचनबद्धता और उनके लिए चिन्ता न केवल आज है बल्कि गत सैकड़ों वर्षों से है। यदि आप अनेक मंचों पर हमारे संकल्पों और हमारे नेताओं के भाषणों को पढ़ें तो पता चलेगा कि वे सुसंगत, गतिशील और चिरस्थायी हैं। अतः उस पृष्ठभूमि में प्रधानमन्त्री ने देश के मुस्लिम समुदाय को एक आश्वासन दिया हैं कि जहां तक पर्सनल लॉ का सम्बन्ध है, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, मुसलमानों के पर्सनल लॉ को उसी ढंग से शासित किया जा सकता है जिस तरह उचित दिखाई दे और उनकी दृष्टि से उनके लिए जो उचित है और उनकी दृष्टि से जो सही है वह हमारे लिए सही है।

मैं एक बात का उल्लेख करना हूं। कुछ तुलनाएं की गई हैं कि इस देश में यह है और उस देश में वह है और इस ढंग से है। प्रत्येक देश के अपने प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और वही करते हैं जो उन्हें अपकी पसंद के अनुसार कार्य करने का अधिकार है परन्तु भारत की उन देशों के साथ तुलना न करें जो भारत की तुलना में कुछ भी नहीं हैं। यदि भारत की तुलना उन देशों के साथ करते हैं जिनमें तानाशाही है, कुलीनतंत्र हैं तो मैं समझता हूं कि यह हमारे लिए अनुचित है और मेरे विचार में इस मुद्दे को टालना है और इस मुद्दे को उलझाना है; जो कुछ इस विधेयक में है उससे इन बातों का कोई लेना देना नहीं है।

[श्री अर्जुन सिंह]

मैं यह कहना चाहता हूं कि एक स्वैच्छिक समान सिविल संहिता बनाना समय की मांग है परन्तु शब्द "स्वैच्छिक" है और सदन के सभी वर्गों से अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक के पारित होने के बाद वे इस देश की एक ऐसी नागरिक संहिता तैयार करने में प्रधानमन्त्री की सहायता करें जो भारत के लोगों के सभी वर्गों को स्वेच्छा से स्वीकार्य हो। इससे संविधान में दी यह गारंटी भी पूरी हो जाएगी जिसे हमें लागू करना है। यही मेरे विचार हैं।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और मुझे विश्वास है कि यह भारी बहुमत से पारित होगा।

श्री जगन्नाथ कौशल (चण्डीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। पुर:स्थापना स्तर पर कुछ आपत्तियां उठाई गई हैं कि संसद इस विधेयक को पारित करने के लिए सक्षम नहीं है और यह भी कहा है कि यह विधेयक संविधान का उल्लंघन करता है।

मैं अपने विपक्ष के मित्रों को आश्वासन देता हूं कि उनका दृष्टिकोण पूरी तरह गलत है। यदि वे संविधान को ध्यानपूर्वक पढ़ें तो पता चलेगा कि इस देश के अल्पसंख्यकों को अपने धर्म का पालन करने, शैक्षिक संस्थान स्थापित करने की पूर्ण स्वतन्त्रता है और संविधान में उनके अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी दी गयी है।

संविधान संबंधी मेरे ज्ञान और उच्चतम द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों के आधार पर मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह विधान बैंक है।

इस विधेयक को तैयार करने की प्रेरणा कहां से मिली, इसके लिए शाहबानो के मामले का ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। महोदय, उच्चतम न्यायालय के निर्णय को मैंने बड़े ध्यान से पढ़ा है और आपके माध्यम से मैं सदन को एक महत्वपूर्ण पहलू के बारे में बताना चाहता हूं जिस पर शाहबानों के मामले में बहस हुई थी। उस मामले से पहले उच्चतम न्यायालय के दो और निर्णय थे और दो न्यायाधीशों की एक पीठ ने इन निर्णयों के सही होने के सम्बन्ध में संदेह व्यक्त किया था। और इन निर्णयों के सही होने के सम्बन्ध में अपने संदेह के बारे में तीन कारण बताए थे। उन्होंने एक यह कारण बताया था कि इन निर्णयों में अनुच्छेद 127 (3) (ख) की अनदेखी की गई है। उन्होंने दूसरा कारण यह बताया था कि दो पूर्ववर्ती मामलों पर निर्णय लेते समय माननी उच्चतम न्यायालय में मुस्लिम कानून में विवाह और तलाक की दो आधारभूत अवधारणाओं को भी ध्यान में नहीं रखा। उन्होंने तीसरा कारण यह बताया था कि गुजारे भत्ते के मामले में मुसलमान अपनी स्वीय विधि से शासित होंगे।

अब उच्चतम न्यायालय ने इन सभी विवादों की जांच की तो विधि मंत्री को यह कहना पड़ा कि उच्चतम न्यायालय का ध्यान श्री रामनिवास मिर्धा जिन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन

के लिए वर्ष 1973 में विधेयक तैयार किया था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य की ओर दिलाया गया है और मंत्री महोदय ने उस समय जो कहा था, महोदय मैं आपको संतुष्ट करने के लिए वह पढ़ता हूं। उन्होंने कहा था :

"डॉ० व्यास ने बड़ी विद्वतापूर्वक कुछ टिप्पणियां की हैं कि मुस्लिम कानून के अन्तर्गत एक तलाकशुदा पत्नी के साथ उचित व्यवहार किया जाना चाहिए और जो कुछ न्याय संगत है या कानूनी तौर उद्देश्य है वह उसे मिलना चाहिए। मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाहता परन्तु यह कहता हूं कि हमें दंड प्रक्रिया संहिता के माध्यम से मुसलमानों के प्रचलित कानूनों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यदि मुस्लिम स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) में परिवर्तन करने की मांग की जाती है, तो यह मुस्लिम समुदाय की ओर से होनी चाहिए और इस प्रचलित अधिकार में परिवर्तन का प्रयास करने या उनकी स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) में परिवर्तन करने से पहले और इन मामलों में निश्चित निर्णय करने से पहले हमें मुस्लिम जनता के विचारों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त यह वह स्थान नहीं हैं वहां हम ऐसा कर सकते हैं। परन्तु जैसाकि मैंने बताने का प्रयास किया है इस विधेयक में पूर्व स्थिति को सुधारने की व्यवस्था की गई है। तलाकशुदा महिला को शामिल किया गया है और उन्हें खण्ड 125 की परिधि में लाया गया हैं, परन्तु संशोधन के जरिए खण्ड 127 को सीमित किया गया है।"

ये पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं :

"....अर्थात् स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) के अन्तर्गत देय राशि के भुगतान के बाद अनुरक्षण आदेश निरस्त हो जाएंगे। यह कानून की रूढ़िवादी व्याख्या या जनता के रूढ़िवादी विचार के अनुमोदन और समस्या के प्रति उदार दृष्टिकोण के बीच एक स्वस्थ समझौता है। हमने आगे कदम बढ़ाया है और मुस्लिम महिलाओं के व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण का प्रयास नहीं किया है। अतः इससे माननीय सदस्य सन्तुष्ट होंगे कि जो कदम हमने आगे बढ़ाया है वह उचित दिशा में है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए।"

इस आश्वासन के द्वारा मुस्लिम समुदाय के दिमाग में उत्पन्न आशंकाओं का वर्ष 1973 में ही सरकार द्वारा निराकरण कर दिया गया था और सरकार ने यह कहा था कि मुस्लिम स्वीय विधि के किसी भी निर्देश का उल्लंघन करने का कोई इरादा नहीं था। दूसरी ओर स्वीय विधि के अनुसार तलाक के समय जो कुछ देय होता है यदि उसका भुगतान किया जाता है तो भरण-पोषण सम्बन्धी आदेश रद्द समझा जाएगा। क्या मैं सादर यह निवेदन कर सकता हूं कि हम इस कानून के द्वारा भी अन्ततोगत्वा क्या करने जा रहे हैं ? क्या हम कोई नयी बात कर रहे हैं ? क्या हम किसी प्रकार दण्ड प्रक्रिया संहिता अथवा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 का उल्लंघन करने का प्रयास कर रहे हैं ? क्या हम यह कह सकते हैं कि दंड संहिता केवल मुसलमानों पर ही लागू होती है और

[श्री जगन्नाथ कौशल]

किसी अन्य समुदाय पर नहीं। महोदय, वास्तव में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 किसी अपराध के बारे में नहीं है। यह भरण-पोषण के खर्चे के नागरिक अधिकार को लागू करने के बारे में है। यह केवल तुरन्त राहत देने के लिए बनाई गई एक संक्षिप्त धारा है। अन्यथा श्री राम निवास मिर्धा ने बिल्कुल ठीक कहा है कि वास्तव में दण्ड प्रक्रिया संहिता मुस्लिम कानून में परिवर्तन लाने के लिए उपयुक्त कानून नहीं है। यदि मुस्लिम विधि में परिवर्तन लाना है, तो हमें इसमें परिवर्तन करने के लिए कुछ उपाय करने होंगे । हर व्यक्ति इस बात से सहमत है कि एक समान सिविल संहिता बनाना एक अत्यन्त वांछनीय उद्देश्य है। लेकिन हम सब पुनः इस बात से सहमत हैं कि हम मजबूर नहीं कर सकते····· (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : मुसलमानों की सहमति से·····

श्री जगन्नाथ कौशल : मैं प्रोफेसर दण्डवते से पूर्णतया सहमत हूं। यदि मुसलमान आगे आकर यह कहते हैं कि वे एक विशेष प्रकार का सुधार चाहते हैं तो, वास्तव में, देश इसका स्वागत करेगा और देश उनकी मदद करेगा। लेकिन मुझे यह अवश्य ही दोहराना चाहूंगा कि जो यह विशेष विधेयक लाया गया है, वह मुसलमानों के भारी बहुमत की इच्छा के अनुरूप है।

एक मित्र यह कह रहे थे, "हमें जनमत संग्रह करवाना चाहिए; हमें मतदान करवाना चाहिए। हमें यह पता लगाना चाहिए कि हालात कैसे हैं।" मैं समझता हूं कि मेरे मित्र पूर्णतया गलतफहमी में हैं। हम यहां निर्वाचित होकर आए हैं और हरेक व्यक्ति को पता है कि हमें कितने मत प्राप्त हुए हैं। कांग्रेस ने चुनाव लड़ा; उन्होंने भी लड़ा। उन्हें कितने स्थान प्राप्त हुए, और कांग्रेस को कितने स्थान प्राप्त हुए ? मित्रों द्वारा इस बात को बार-बार दोहराया गया है। कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखती है; और धर्म निरपेक्षता की परिभाषा प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने ही ढंग से दी गई है। लेकिन मेरे अनुसार वास्तविक परिभाषा यह है कि हम सभी धर्मों को समान सम्मान देते हैं। देश का कोई धर्म नहीं है। लेकिन देश का शासन इस संविधान के द्वारा किया जाता है जो सभी अल्पसंख्यनों को पूर्ण संरक्षण की गारन्टी देता है जो उन्हें उनके मत, उनके व्यवसाय, उनके धर्म तथा उनकी संस्कृति की गारन्टी देता है। और यह कांग्रेस की विचारधारा ही है जिसे देश ने कांग्रेस जनों को इतना भारी बहुमत देकर स्वीकार किया है। यह विपक्ष में बैठे मित्रों के लिए मैं उनसे पूरे आदर के साथ कह रहा हूं, यह कहना निराधार है कि केवल वे ही जनता के सी जनमत का प्रतिनिधित्व करते हैं और हम नहीं करते हैं। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं इस विधेयक का उद्देश्य प्रशंसनीय है। इस विधेयक को पेश करने वाले ने हमें विधायी इतिहास बताकर सभी बातें सही ढंग से रखने का प्रयास किया है विधायी इतिहास से पता चलता है कि इस विधेयक को लाने की आवश्यकता इसलिए हुई कि इस बारे में देश में एक चर्चा हुई थी और हमारे मुसलमान भाइयों के दिमाग में एक आशंका उठी थी। उन्होंने सोचा कि संभवतः उच्चतम न्यायालय के निर्णय की आड़ में किसी प्रकार उनकी स्वीय विधि में कुछ फेर-बदल करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार की यह इच्छा कभी नहीं थी दूसरी ओर सरकार अल्पसंख्यकों

को आश्वस्त करना चाहती है कि जब तक कांग्रेस दल सत्ता में रहेगा उनकी स्वीय विधि तथा उनके व्यवसाय सुरक्षित रहेंगे ।

श्री सैफुद्दीन अहमद (मंगलदाई) : इस सभा के मुसलमान सदस्य के रूप में, मैं यह बताना चाहता हूं कि समूचे राष्ट्र और मेरे समुदाय पर इस विधेयक का क्या प्रभाव पड़ा है क्योंकि मैं इस समुदाय से सम्बन्धित हूं जिसके लिए यह विधेयक पुर:स्थापित किया गया है । मुस्लिम कानून के इस सिद्धांत, जिसकी सब लोगों को जानकारी है, कि मुस्लिम नाबालिग लड़के का वयस्क होने की आयु तक और मुस्लिम लड़की को उसकी शादी के समय तक पिता को भरण-पोषण करना पड़ता है। मुस्लिम कानून का यह मूलभूत सिद्धांत है; कुरानशरीफ और हाजियों द्वारा इस सिद्धांत का समर्थन किया गया है। परन्तु इस विधेयक द्वारा इस अवधि को उन बच्चों के लिए दो वर्ष कम किया जा रहा है जिनका जन्म विवाह विच्छेद की तिथि के बाद अथवा पहले हुआ है। यह इस विधेयक के खंड 3 (1) में है। (**व्यवधान**) मैं इस विधेयक को पढ़ना चाहता हूं। मैंने इसे समझा है अथवा नहीं, यह निर्णय मुझे करना है । यह इस प्रकार है :

एक माननीय सदस्य : यह निर्णय आपको नहीं करना है । (**व्यवधान**)

श्री सैफुद्दीन अहमद : यह निम्न प्रकार है :

> "जहां स्त्री अपने विवाह विच्छेद से पहले अथवा बाद में जन्मे बच्चों का स्वयं पालन पोषण करती है तो ऐसे बच्चों के जन्म की तिथियों से दो वर्ष तक के लिए उसके पहले पति से पर्याप्त और उचित भरण-पोषण के खर्च दिए जाने की व्यवस्था की जाएगी।"

इसका अर्थ यह है कि यदि बच्चे मां के संरक्षण में उसके पास रहते हैं तो पिता को इन बच्चों को केवल दो वर्ष तक के लिए भरण-पोषण का खर्च देना होगा परन्तु मुस्लिम कानून में यह स्पष्ट कहा गया है कि बच्चे चाहे मां के पास रहें परन्तु पिता को उनका भरण-पोषण का खर्च देना पड़ेगा । यह मुस्लिम कानून के खंड 317 और मोहम्मदन कानून के खंड 241 में कहा गया है। खण्ड 239 में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि नाबालिग लड़के का पालन-पोषण उसके वयस्क होने की आयु तक और लड़की के भरण-पोषण की जिम्मेदारी उसकी शादी के समय तक हमेशा पिता की होती है। फिर इन मुसलमानों, इस समुदाय ने क्या अपराध किया है कि मुसलमानों के एक वर्ग को सड़कों पर भीख मांगनी पड़ती है ? इससे पहले की अवधि का क्या होगा ? उन लोगों का भरण पोषण कौन करेगा ? इस सम्बन्ध में इस विशिष्ट विधेयक में क्या उपबन्ध किया गया है इन लड़कों के पालन पोषण की इसमें कोई व्यवस्थान नहीं की गई । (**व्यवधान**)। इस सभा द्वारा मुस्लिम समुदाय में भिखारियों का एक वर्ग बनाया जा रहा है ।

खण्ड 3, उप खण्ड (1) (ख) और (ग)—इन्हें विधेयक में मुस्लिम समुदाय के अमीर लोगों को ध्यान में रखकर समाविष्ट किया गया है क्योंकि मुस्लिम समुदाय में अमीर लोग मेहर को मांग कर सकते हैं । वे लोग उपहार के रूप में इसे लेते हैं; उन्हें काफी अधिक धन और मूल्यवान वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं । परन्तु गांवों में, मेहर 3·50 रुपए के रूप में दी जाती है और यह न्यूनतम मेहर

की राशि 10 ग्राम के बराबर होती है। फिर, जब इन ग्रामीण लड़कियों का विवाह-विच्छेद हो जाता है, तो उन्हें क्या मिलता है ? उन्हें कुछ आभूषण मिलते हैं जो बाजार से खरीदे जाते हैं।

एक माननीय सदस्य : उन्हें लगभग 3 रु० मिलते हैं।

श्री सैफुद्दीन अहमद : हां, उन्हें इतना ही मिलता है और कुछ आभूषण अथवा प्लास्टिक और कैमिकल आभूषण उपहार के रूप में और भेंट के रूप में मिलते हैं। और इसके बदले में उन्हें क्या प्राप्त होता है ? उन्हें केवल दो अथवा तीन कपड़े और कुछ रुपए (कट-प्लेटटप) मिलता है। अतः इन्हें वापिस करके इन ग्रामीण लड़कियों को इतना ही प्राप्त होता है।

इसलिए, मैं कहता हूं कि इस विधेयक का उद्देश्य अमीर मुसलमानों, उच्च श्रेणी के मुसलमानों को लाभ पहुंचाना है न कि गरीब मुसलमानों को लाभ पहुंचाना। और आसामी मुसलमानों का क्या होगा ?

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : यह उत्तरी भारत में होता है।

श्री सैफुद्दीन अहमद : मैं आपको चुनौति देता हूं, आप गांवों में जाएं और देखें कि उन गांवों में इस समय कितनी मेहर की धन राशि देने की प्रथा प्रचलित है बाकी स्थानों पर भी, उन्हें क्या मिलता है ?

अतः इस विधेयक का उद्देश्य कुछ अमीर लोगों की सहायता करना है और यह विधेयक गरीब लोगों के लिए नहीं—उन अमीर लोगों के लाभ के लिए है फिर, हम मुसलमान होने के नाते।

(व्यवधान)

फिर, हम मुसलमान होते हुए भी पहले भारतीय हैं और उसके बाद मुसलमान हैं। हमें अन्य लोगों की तरह ही अन्य क्षेत्रों के लोगों के समान लाभ मिलना चाहिए। हमें भी वह लाभ प्राप्त होने चाहिए।

खण्ड 125 मुसलमानों के अतिरिक्त अन्य सभी समुदायों पर लागू होगा। क्या यह कानून की दृष्टि से मुसलमानों के साथ असमान व्यवहार नहीं है ? क्या यह कानून की दृष्टि से भेदभाव नहीं है ? परन्तु नेता लोग एकता, अखण्डता और भाई चारे का प्रचार करते हैं और व्यवहार में आप इसका पालन नहीं कर रहे। आप हमें समुदाय की मुख्य धारा से अलग कर रहे हैं। मुझे एक पद्यांश याद आया है जिसे मैंने पहले पढ़ा था :

पंडे की बागी आग आरा बफलर
नादान न बद हिज असर ए कैरया

इसका अर्थ है :—"जो भी आप उपदेश देते हैं, आप स्वयं व्यवहार में उसका पालन करें।" अन्यथा, इसका कोई महत्व (अर्थ) नहीं होगा, अन्यथा आपके कथन का बिल्कुल भी कोई महत्व नहीं होगा।

इसलिए, कानून की दृष्टि में प्रत्येक मुसलमान के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, और कानून की दृष्टि में हमारे साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

मैं एक वृद्ध व्यक्ति हूं, मैं अधिक समय तक नहीं बोल सकता। धन्यवाद।

एक माननीय सदस्य : आप एक अधिक समझदार युवक हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : नवल किशोर शर्मा।

(व्यवधान)

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : महोदय, मैं संक्षेप में यह बताना चाहता हूं कि इस सभा में और इसके बाहर भी इस पर चर्चा द्वारा आन्तरिक सुरक्षा की समस्या उत्पन्न हो रही है। इस सभा में एक अंवर अवश्य ही यह आपकी समस्या है।

प्रो० मधु दंडवते : परन्तु यहां लाठी चार्ज न करें।

श्री अरुण नेहरू : महोदय, मैं विशेष रूप से उन भावनाओं का उल्लेख करना चाहता हूं, जिन्हें पिछले कुछ महीनों से भड़काया जा रहा है, जबकि विधेयक पर यहां चर्चा की जा रही है। मैं विशेष रूप से यह उल्लेख करना चाहता हूं क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा कि पंजाब में सामुदायिक विभाजन करने के लिए विभिन्न निहित स्वार्थी लोगों द्वारा प्रयास किया गया है।

अब बहुत ही उत्तेजक भाषण दिए जा रहे हैं और अन्ततः मैं समझता हूं कि यह समस्या कानून और व्यवस्था की स्थिति से पैदा हो रही है और यही एक समस्या है जिसे कोई पुलिस बल अथवा अर्द्ध-सैनिक बल सन्तोषजनक ढंग से नहीं सुलझा सकता।

मेरा केवल इतना अनुरोध है कि जब हम इस मुद्दे पर चर्चा करें तो प्रत्येक को अपना संतुलन बनाए रखना चाहिए। चर्चा में एक दूसरे से अधिक प्वाइन्ट बनाने का प्रश्न नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि जो कुछ विधेयक में है उसे अच्छी तरह समझा नहीं गया है। और विभिन्न व्यक्तियों ने भावनाओं को भड़काया है।

कुछ महीने पहले ऐसी घटनाएं घटी हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि कुछ मामलों में लोग पुलिस की गोली से मारे गये हैं। परन्तु ऐसा इसलिए हो रहा है कि लोग अपने उद्देश्य के लिए एक स्थिति विशेष का लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : हम संयम खो रहे हैं।

श्री अरुण नेहरू : मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। परन्तु मैं केवल यह बता रहा हूं कि इस संबंध में क्या हो रहा है। ऐसी ही स्थिति एक बार पंजाब हुई थी। मैं समझता हूं कि इस सदन के सभी दलों ने मिलकर उस स्थिति का सामना किया था। अतः इस स्थिति में भी मिलकर कार्य करना है। हमें एक सिद्धांत को समझना है कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। हमें अपने पर गौरव

[श्री अरुण नेहरू]

है कि हमारा समाज धर्मनिरपेक्ष है, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। और यदि हम धर्म निरपेक्ष हैं तो सबसे पहले हमें शांतिपूर्ण सहास्तित्व और आपसी भाईचारे में विश्वास करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने विचार एक समुदाय विशेष पर थोप दें।

इस विधेयक के संबंध में इस सदन के सभी सदस्यों से, विशेषकर पश्चिम बंगाल से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि इस विधेयक का समर्थन करें क्योंकि मुस्लिम समुदाय के अधिकांश लोगों ने इस मामले में अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दिए हैं और मैं समझता हूं कि यह हमारा उत्तरदायित्व है कि हम उनका समर्थन करें। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, परन्तु वास्तविकता यह है कि हमारा देश एक धार्मिक देश है। हम विभिन्न विषयों पर भाषण दे सकते हैं परन्तु एक देश के रूप में हम बहुत उच्च धार्मिक विचारों के हैं और हम व्यक्तिगत विचारों का सम्मान करते हैं। कुछ दल समझते हैं कि राज्य ही धर्म है। मैं इस गहराई में नहीं जाना चाहता। मैं समझता हूं कि हमें लोगों की भावनाओं और आकांक्षाओं का आदर करना सीखना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में मैं स्वयं दोनों समुदायों के अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मिला हूं। आमतौर पर उन्होंने यही विचार व्यक्त किए कि यदि मुस्लिम समुदाय यह समझता है कि यह हमारे हित में है, यदि मुस्लिम समुदाय का बहुमत यह समझता है कि यह हमारे हित में है तो हमें अपने विचार उन पर नहीं थोपना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह किसी व्यक्ति की भावनाओं का आदर करने का प्रश्न है। विपक्ष तथा अपने दल के सभी सदस्यों से मैं पुनः अनुरोध करता हूं कि वे कोई ऐसी बात न कहें जिससे सदन के बाहर समस्याएं पैदा हो जायें और वे इस विधेयक का समर्थन करें।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर शर्मा (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में प्रस्तुत मुस्लिम वोमैन (प्रोटैक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स) बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। यह विधेयक जिन परिस्थितियों में सदन के सामने पेश हुआ, उन परिस्थितियों में इसका लाना बहुत जरूरी था। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले शाहबानों के मामले में एक निर्णय दिया था। उस निर्णय को देश के मुस्लिम सम्प्रदाय के लोगों ने शरीयत कानून के खिलाफ पाया इसलिए उन्होंने इसके खिलाफ अपनी आवाज बुलन्द की कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न्याय संगत नहीं है और सरकार से मांग की कि वह कोई ऐसा कानून बनाए जिससे मुस्लिम हितों की, और मुस्लिम पर्सनल लॉ की हिफाजत की जा सके। कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में हिफाजत करने का वायदा किया था। कांग्रेस पार्टी का देश की जनता के सामने दिया गया यह कमिटमैंट था।

6.44 म० प०

[श्री जैनुल बशर पीठासीन हुए]

उसके अनुसार कांग्रेस का दायित्व था कि वह मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखलन्दाजी करने

वाले किसी कानून या फैसले में मुस्लिम मतदाताओं और मुस्लिम जनता की भावनाओं के अनुरूप संशोधन करें, कानून बनाएं।

सभापति जी, अभी आन्तरिक सुरक्षा मन्त्री जी कह रहे थे कि यह देश विभिन्न धर्मों को मानने वाला देश है। और हाइली, डीपली रिलीजियस कमिटेड देश है। इस देश में लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। हम सैकुलर हैं और सैकुलरिज्म को हमने अपने संविधान में संशोधन करके स्वीकार किया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम सब लोगों के लिए एक तरह का कानून बनायेंगे। अभी विधि मन्त्री जी ने इस बिल को पेश किया, तो उन्होंने डा० अम्बेडकर के कुछ उद्धारण पेश किए थे जिनमें डा० अम्बेडकर ने कहा था कि इनहैरिटेंस एण्ड मैरिज लॉ पर्सनल लॉ हैं। उनके संबंध में कोई दखलन्दाजी नहीं की जानी चाहिए। इस बात की गारन्टी संविधान के निर्माताओं ने दी थी जब यह कंट्रोवर्शल 125 सैक्शन सी० आर० पी० सी० में बनाया गया था, तब मैं भी जांइट सिलैक्ट कमेटी का मेम्बर था और मुझे याद है कि तत्कालीन गृह मन्त्री जो वर्तमान में भी गृह मन्त्री का पद संभाले हुए हैं, श्री रामनिवास मिर्धा ने इस धारा पर बहस करते हुए जो आश्वासन दिया था जिसका जिक्र अभी किया गया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में कोई दखल नहीं होगा। इससे सीधा सवाल यह है कि आज हम जो इस विधेयक पर इतनी बहस कर रहे हैं और बहस करने वाले वे लोग हैं, जिनकी मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में शायद बहुत जानकारी नहीं है।

इस देश में पिछले तीन महीने में इस पर लम्बी बहस हुई और उसमें अमूमन 90 प्रतिशत लोगों ने इस कानून का समर्थन किया यह कहा जाए, तो गलत नहीं होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न लोगों से इस बारे में बात की है और बात करने के बाद यह बिल पेश किया गया है। एक इनसिगनिफिकेण्ट माइनॉरिटी जरूर है, जो अपने आपको प्रोग्रेसिव कहती है या बुद्धिजीवी तथाकथित है, उसका थोड़ा सा, मामूली सा विरोध है और वे यह कहते हैं कि यह बिल मुस्लिम को पीछे ले जाने वाला है, रेट्रोगेटिव स्टैप है।

सभापति जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रजातन्त्र में बहुमत की बात चला करती है और मुस्लिम बहुमत, बड़ी तादाद में अगर इसका समर्थन करता है, तो उन रेट्रोगेटिव कदम बनाने वालों को चाहिए कि वे मुस्लिम ओपोनियन को बदलें, लोगों को कन्विंस करें कि यह जो कानून है, वह सही नहीं है, वह ठीक नहीं है, वह पीछे ले जाने वाला है।

प्रो० मधु दंडवते : हम सदन में यही कह कर रहे हैं।

श्री नवलकिशोर शर्मा : आप सदन में तो कर रहे हैं, लेकिन बाहर करें, तो ज्यादा अच्छा है। हम चाहेंगे कि आप बाहर करें और अपने लोगों को, अपने साथियों को भी कन्विंस करें और अच्छा होगा पहले कि शाहबुद्दीन जी आपकी राय के बन जाएं, जो आपकी पार्टी के महामंत्री हैं। तब मैं समझूंगा कि आपकी बात में वजन है और जो आप दलील दे रहे हैं वह ठीक है। वह आप कर नहीं पाते हैं और बात करते हैं कि हमने चुनावों के लिए मुस्लिम मतादाताओं को अपने

[श्री नवलकिशोर शर्मा]

पक्ष में कर लिया है·····व्यवधान·····मैं कहना चाहता हूं कि इससे कोई राजनीतिक लाभ किसी भी दल को मिलने वाला हो, तो हम यह बिल्कुल नहीं चाहते हैं। और अगर आप ऐसा समझते हैं कि इससे राजनीतिक दलों को लाभ मिलने वाला है तो आप भी हमारे साथ आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। आप भी लाभ लीजिए, हम कब विरोध करते हैं कि यह लाभ आप मत लीजिए। यह देश की एकता और अखंडता का सवाल है। आज कुछ ताकतें देश की धार्मिक भावनाओं को भड़का कर देश को तोड़ना चाहती हैं। पंजाब में भी आज यही कुछ हो रहा है।

अभी अरुण नेहरू जी देश के अन्दर साम्प्रदायिक दंगों का जिक्र कर रहे थे। आज सब जगह भावनाओं के साथ खेलने की जो प्रवृत्ति आ गई है, यह सब उसका नतीजा है। मैं इसके कानूनी मुद्दों में नहीं जाना चाहता, मैं तो सिर्फ व्यवहारिक तरीके से राष्ट्रीय आवश्यकता के लिहाज से यह समझता हूं कि यह बिल बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों की भावनाओं के अनुरूप है। इस लिए अगर हम ऐसा समझें कि कोई अन्याय किया गया है, या अन्याय हुआ है तो इसका निराकरण करना भी सरकार का दायित्व है।

प्रधानमंत्री जी ने यह बिल लाकर ठीक काम किया है। मैं बिल का तहेदिल से समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि कुछ सद्बुद्धि इधर भी आयेगी ताकि यह भी देश के हित में सोचना शुरू करें।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं सदस्यों को केवल यह सूचित करना चाहता हूं कि उनके लिए 8 बजे से कमरा संख्या 70 और 73 में रात्रि भोज की व्यवस्था की गई है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : क्या प्रैस के लोगों के लिए भी ?

श्री एच० के० एल० भगत : जी हां, प्रेस के लिए भी। स्टाफ के लिए भी अलग पैकेट भेजे जायेंगे। सदस्यों के लिए कमरा संख्या 70 और 73 में व्यवस्था है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : हम आपस में बांट सकते हैं।

[हिन्दी]

प्रो० मधु दंडवते : सभापति जी, थोड़ा स्पष्टीकरण चाहिए। क्या यह बिल के समर्थन और विरोध दोनों के लिए है ?

[अनुवाद]

श्री एच० के० एल० भगत : यह आपके लिए और प्रत्येक के लिए है।

[हिन्दी]

श्रीमती आबिदा अहमद (बरेली) : जनाब चेयरमैन साहब, मुझे आज यह शर्फ हासिल हुआ है कि मैं इस बिल पर अपने ख्यालात का इजहार करूं। जो मुस्लिम मुत्तालिका ख्वातीन के मुत्ताल्लिक सरकार की तरफ से पार्लियमेंट में पेश हुआ है वह शरीयत पर मुबनी है। जब से यह बिल पेश हुआ है तब से आज तक इस दौरान हिन्दुस्तान में जगह ब जगह इस बिल की ताईद में जलसे किए गए, मीटिंग हुई, बड़ी से बड़ी तातद में लोगों ने शिरकत की, जलूस निकाले गए, यहां तक की 10 अप्रैल को वोट क्लब में एक नियाहत शानदार मुस्लिम ख्वातीन की रैली हुई जिस में हजारों की तातद में मुसलमान औरतों ने हिस्सा लिया और एक आवाज होकर, एक ख्वालात होकर उन्होंने इस बिल की ताईद की, प्राइम मिनिस्टर को मुबारकवाद दी और कहा कि इस बिल को इसी सैशन में पास कर दिया जाए।

आखिर क्यों न हमारी सरकार यह बिल पेश करती ? जिस पार्टी की यह सरकार है, जो अगर यह दावा करे कि वह सबसे बड़ी जम्हूरी और पुरानी सियासी संजीम है तो गलत नहीं होगा। कांग्रेस के बुनियादी उसूलों में से एक सेकुलरिज्म है जिस की ताकत की आजमाइश जमाने कई बार की। और उसने हमेशा अपनी मजबूती का सबूत दिया। इसकी वजह यह थी कि हमारे आजिम रहनुमाओं ने सैक्युलरिज्म का दमन कभी हाथ से नहीं छोड़ा। आज भी हमारे नौजवान रहनुमा जनाव राजीव गांधी की कोशिशों का यह नतीजा है कि यह बिल यहां पार्लियामेंट में पेश हुआ और इस वक्त जेरे बहस है। मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों हमारी चन्द बहनें चन्द और भाई इस बिल के खिलाफ हैं ? किस लिए इस की मुखालिफत करते हैं और इसके खिलाफ बोलते हैं ?

दफा 125 को इस बिल पर तरजीह नहीं दी जा सकती। शरीयत में इद्दत की मुद्दत के दौरान औरत की देखभाल उस का साविक शौहर करता है। उसके बाद वह शरह एतबार से भी अजनबी हो जाता है और उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। लेकिन वह औरत बेसहारा नहीं होती क्योंकि उसके नाननफके की जिम्मेदारी उसके मां-बाप भाई-बहन, बेटा-बेटी और उसके दूसरे अजीज रिश्तेदारों की हो जाती है। दरअसल जिनकी जायदाद में वह वारिस हो सकती है और उसकी जायदाद में जो लोग वारिस हो सकते हैं वे उसकी देखभाल करते हैं। 125 में अगर साविक शौहर भाग जाए या मर जाए तो वह औरत बेसहारा हो जाएगी। उसके बाद वह सैक्शन खामोश है। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं रहेगा। लेकिन शरीयत में वह बेसहारा नहीं होती क्योंकि उस को देखने वाले पहले तो उसके मां-बाप हैं, फिर बेटा-बेटी हैं, बहन-भाई हैं वगैरह वगैरह, और अगर कोई भी न हो इन में से तो फिर कम्यूनिटी है।

इस के अलावा यहां तक है कि औरत की जायदाद या मिल्कियत उसकी जाती जायदाद है औरत को शादी के बाद जो कुछ उसके मां-बाप से मिलता है या शौहर से या उसके दोस्तों से, उसके रिश्तेदारों से मिलता है वह सब उसकी जाती मिल्कियत है और उसे पूरा हक है कि जब उसका तलाक होता है तो उसके बाद वह उसे अपने साथ ले जाए। अगर मुतालिका औरत ने

[श्रीमती आबिदा अहमद]

तलाक होने से पहले अपना मेहर वसूल नहीं किया तो उसे पूरा हक हासिल है कि वह अपना मेहर फौरन वसूल करे और यही बिल में भी है। दरअसल हमारे यहां ऐसा होता है कि जिस वक्त निकाह होता है उसी वक्त बहुत से मर्द मेहर भी दे देते हैं। लेकिन आमतौर पर यह प्रक्रिया में नहीं है और मेहर में कभी देरी हो जाती है, कभी आपस में ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो वह मेहर नहीं भी मिलता। लेकिन वैसे वह औरत का हक है कि जब जी चाहे उसको मांग सकती है और शौहर को वह हक देना ही है। और एक एतराज कुछ लोग करते हैं। हां, अभी किसी बरखुरदार ने यह कहा था कि तलाकशुदा का अगर कोई बच्चा शीरख्वार है तो दो साल तक साविक शौहर से मेन्टिनेंस मिलेगा और दो साल के बाद वह बच्चा क्या करेगा, उसको कौन मेन्टेन करेगा ? यह सवाल किया गया था। तो मैं यह कहना चाहूंगी कि शरीयत के ऊपर बोलने से पहले यह जरूरी है कि शरीयत को पढ़ लिया जाए कि उसमें पोजीशन क्या है ? वह जो औरत को नाननफका मिलता है जो उसका साविक शौहर देता है वह उस बच्चे को फीड करने के लिए देता है और बच्चे का जो नाननफका है वह तो अलग है। वह मिलता ही है। वह तो तमाम जिन्दगी मिलेगा। उसका तो हिस्सा भी होता है, उसके शेयर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वह बच्चा दो साल के बाद बेसहारा नहीं हो जाता। जो उस मां को, उस औरत को दिया जाता है नाननफका दो साल के लिए वह उसका बाप देता है क्योंकि वह उसका बच्चा है। उसकी देखभाल करने के लिए, उसको फीड करने के लिए वह पैसे देता है। फिर दो साल के बाद बन्द हो जाता है। वह उस औरत के लिए बन्द हो जाता है। लेकिन बच्चे की देखभाल करना तो उसके बाप का फर्ज है। वह हमेशा रहेगा उसका और हिस्सा भी उसकी जायदाद में जितना भी होगा वह वैसा ही रहेगा जैसा और बच्चों का होता है। यह कहा गया था कि वह बच्चा कहां जायेगा इस के बाद ? कौन देखभाल करेगा ? तो मैंने सोचा कि इस पहलू को जरा मैं साफ कह दूं।

7·00 म० प०

श्री बालकवि बैरागी : मैंने कहा वे बरखुरदार नहीं थे, बरखुरदार के वालिद बगैरह थे।

श्रीमती आबिदा अहमद : मेरी नजर में वे बरखुरदार ही लगते हैं। एक तरफ से यह कहा गया कि तलाक के बाद लड़की अपने मां बाप के पास कैसे चली जाएगी, कैसे वापिस पहुंच जाएगी, लेकिन उन्हें शायद यह नहीं मालूम कि असल में इस्लाम में लड़की मां-बाप के लिएबोझ नहीं होती है बल्कि अल्लाह की रहमत मानी जाती है। शादी के वक्त उसे दान नहीं किया जाता है, उसके ताल्लुक अपने मां-बाप से या दूसरे रिश्तेदारों से हमेशा कायम रहते हैं और वह अपने मां-बाप के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए कोई गैर नहीं हो जाती उसके ताल्लुक वही रहते हैं शादी से पहले जो ताल्लुक थे, शादी के बाद भी वही रहते हैं इसलिए जब वह वापिस जायेगी तो कौन मां बाप ऐसा होगा जो अपनी औलाद को कलेजे से नहीं लगा लेगा ?

श्री बालकवि बैरागी : वे सब सी० पी० एम० में चले जायेंगे।

श्रीमती आबिदा अहमद : मां बाप की नजर में उनकी बेटी लख्ते जिगर है, उनकी नूरे नजर है। आखिर वह लड़की या औरत तलाक के बाद उस आदमी के सामने हाथ क्यों फैलाये जो कि उसके लिए अजनबी है और एक गैर मर्द है और उससे कहे कि लाकर मुझे खाने के लिए पैसे दो ? क्या औरत की कोई इज्जत नहीं है, कोई गैरत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। सेक्शन 12 के तहत शाहबानो के केश में जो फैसला किया गया उससे औरत को बिल्कुल नीचे गिरा दिया गया। उनको अहसास नहीं हुआ कि कोई भी गैरतदार औरत कभी बरदाश्त नहीं कर सकती कि जिसके शौहर ने उसको अपने घर से निकाल दिया हो, उसको तलाक दे दिया हो वह फिर उसके पास पहुंचे और यह कहे कि लाओ मुझे खाने-पीने के लिए दो। गोया कि शाहबानो केस के फैसले से ऐसे कहा गया हो जैसे जातू हमेशा मर्द की गुलाम बनकर रहेगी। उस आदमी की गुलाम जो अब गैर हो चुका है। इस किस्म का फैसला कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती है। मैं एक औरत हूं और एक औरत होने के नाते यह बात कह रही हूं। यह औरतों के हक में जो कुछ भी फैसला किया गया था उससे औरतों को गिराया गया है, उनको जलील किया गया है। कौन गैरतदार औरत ऐसी है जो शरीयत के दिए हुए ऊंचे दर्जे को छोड़कर एक भिखारिन बन जाए यानी एक गैर मर्द के टुकड़ों पर पलती रहे। हमारे इस बिल को रोट्रिग्रेट कहा गया है, हालांकि यह नहीं है वह औरत की इज्जत को बरकरार रखता है, उसे आगे बढ़ाता है। उनकी इनफरादियत को कायम रखते हुए औरतों के मुकद्दमे जो तलाक के सिलसिले में दायर किए जायें, उन पर जल्द अज जल्द एक मैजिस्ट्रेट के जरिए अमल हो, यानि सिर्फ एक माह के अन्दर फैसला कर दिया जाए— यह भी क्लाज इसमें शामिल है। तो बताइये यह बिल रेट्रोग्रेड कहां से हो गया जो कि हर काम को तेजी से बढ़ाना चाहता है और औरतों के हुकूक जो शरीयत में मौजूद हैं वह उनको दिलाना चाहता है। तो यह कहां से रेट्रोग्रेड हो गया जैसा कि कुछ लोग कहते हैं।

अबे जरा गौर कीजिए, दफा 125 के तहत बहुत मुद्दत तक लड़ते रहिए तब जाकर एक औरत को एक हकीर सी रकम मिलती है जैसाकि शाह बानो को नसीब हुई है। 12 साल लड़ने के बाद उनको 169 रुपए मिले। कुछ पैसे मिलते हैं।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : जब नहीं मामला था तब आप किधर थीं, काइन्डली बताइये।

श्रीमती आबिदा अहमद : मैं तो यहीं थी। मैं चाहती थी वह शरीयत के जरिए से अपने हक मांगे, मैं नहीं चाहती वह हक वहां जाकर मांगे जहां उसको कुछ भी न मिले। एक बात और भी है कि मैं तो यहीं थी लेकिन, आप किधर थे ?

यह देखकर खुशी हुई आप सबको इस कदर मुस्लिम तलाकशुदा औरतों से हमदर्दी है। मैं पूछना चाहती हूं, इस तरह की हमदर्दी यह बिल आने के बाद क्यों पैदा हुई ? यह हमदर्दी पहले क्यों नहीं थी। जिन लोगों को ऐसी औरतों से हमदर्दी है, उन्होंने ऐसी औरतों के लिए कितने इदारे खुलवाए, कितने इन्स्टीट्यूशन्स खुलवाए और कितनी औरतों को इस काबिल बनाया कि वे अपने

[श्रीमती आबिदा अहमद]

पांवों पर खड़ी हो सकें ? कितने लोगों ने ऐसे तालीमी इदारे खुलवाए कि वे वहां तालीम पा सकें। इसका जवाब क्या आपके पास है ?.....(व्यवधान)

श्री बालकवि बैरागी : माननीय सभापति जी, मैं बेगम साहिबा को इसके लिए मुबारक बाद देता हूं कि आपने बड़ी मुश्किल से वह क्षण पैदा किया कि इनके कान तो खुल गए और मुंह बन्द हो गए।...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यदि यह बात है, तो 125 को हटा दीजिए और सब के लिए यह हो जाए।...(व्यवधान)

श्री विलास मुत्तेमवार : वह भी हो जाएगा।...(व्यवधान)

श्रीमती आबिदा अहमद : मैं एक बात और कहना चाहूंगी, सैक्शन 125 के तहत जो रकम मिलती है, उसकी हद 500 रु० है, इससे ज्यादा नहीं है, लेकिन शरीयत में इसकी कोई हद नहीं है। यह इसमें इतना बड़ा फर्क है। यह बिल जो कि शरीयत पर बेसड है, तो क्या मुखालिफत इस बात पर है कि औरतों को मेहर मिले, उसकी जो जायदाद है, वह उसको मिले, बेसहारा न हो, वह बेइज्जत न हो, उसकी जो जाती मिलकियत है, वह मिले और दर-दर की ठोकरें न खानी पड़ें। क्या यह हमदर्दी है, जो आप इस बिल की मुखालिफत कर रहे हैं। तो ऐसी हमदर्दी की औरतों को जरूरत नहीं है। ऐसी हमदर्दी जो औरत को बेघर कर दे कहीं का न रखे, मैं इस भयानक तकरीर के सख्त खिलाफ हूं। मैं समझती हूं कि हमारे भाई ठण्डे दिल से गौर करेंगे, तो इस बात को जरूर समझेंगे कि यह बिल औरतों की बेहतरी के लिए है। उनको पीछे हटाने के लिए नहीं है, आगे ले जाने के लिए है। उनको आगे बढ़ाने के लिए हैं।

मैं मुस्लिम वोमन (प्रोटेक्शन आफ राइट्स ऑन डाइवोर्स) बिल की भरपूर ताईद करती हूं और राजीव गांधी जी को शुक्रिया अदा करती हूं मुस्लिम माइनारिटी यानी मुस्लिम अकलियतो के दिलों में जो एक खौफ शाहबानो के फैसले के बाद पैदा हो गया था, इस बिल के पास हो जाने से चला जाएगा। इस बात पर फिर यकीन हो जाएगा कि कांग्रेस में सैक्युलरिज्म जिन्दा है और वह इस बात पर कायम है और हमेशा कायम रहेगा। मैं लॉ मिनिस्टर साहब को शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने इस बिल को ड्राफ्ट किया है। आपने मुझे समय दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसुकरा) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करती हूं। इस कानून से मुसलमान अभी भी शासित होते हैं। ठीक है इससे मुस्लिम महिलायें भी शासित होती हैं। सभी से मेरा अनुरोध है कि वे दोनों का ध्यान रखें। मैं नम्रता पूर्वक यह बताना चाहती हूं कि मेरी बड़ी बहिन आबिदा इस सदन में पिछली लोकसभा में भी थीं। यह वह महिला है जो हिन्दू और मुसलमान दोनों महिलाओं के महिला आंदोलन में बड़ी सक्रिय रही हैं, इसके साथ ही

श्रीमती प्रमिला दण्डवते, श्रीमती सुशीला गोपालन, श्रीमती गुरबिन्दर कौर, श्रीमती ऊषा चौधरी विभिन्न दलों से संबंधित अन्य साथी हैं और हमने ही सुधा, ऊषा और जगबन्दी के मामले उठाये थे। वे जन्म से हिन्दू हैं, हमने मुस्लिम समुदाय की नाफिजा और नूरजहां के जलाए जाने के प्रश्न को भी उठाया था। मैं नहीं जानती कि दहेज लेना शरियत के खिलाफ है। मैं शरियत की विशेषज्ञ नहीं हूं। परन्तु जो कुछ मैंने सुना है वह यह है कि दहेज लेना मुस्लिम धर्म में अपराध माना जाता है। मैं उसकी प्रशंसा करती यदि उस तरफ से किसी भी रूढ़िवादी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के उस भाग का संहिताकरण किया होता जिसमें लिखा है कि दहेज लेना वर्जित है और किसी भी मुसलमान के दहेज लेने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है·····(व्यवधान) मैंने इस विधेयक का समर्थन नहीं किया है·····(व्यवधान)। मैं यह बड़े दुःख के साथ कह रही हूं। मेरा सभी मित्रों से अनुरोध है कि वे कृपया मेरी बात सुनें। मुझे यह विश्वास दें कि महिलाओं के प्रश्न पर मैंने अपने दल के विचारों से हटकर विचार व्यक्त किए हैं।

मैंने हमेशा ही पार्टियों से यह अपील की है। महिलाओं को लेकर मैंने हमेशा ही सभी पार्टियों से सहयोग प्राप्त किया है। उस परिप्रेक्ष्य में मैं अपने उन मित्रों से जो इस सम्बन्ध में मेरे कथन से हो सकता है सहमत न हों, अनुरोध करूंगी कि वह थोड़ा धैर्य रखें।

मुझे बहुत ही खराब लग रहा है क्योंकि मेरा तो यही ख्याल था कि आम महिला को लेकर सातवीं लोकसभा के विचारों में काफी अधिक जागरूकता आई है। बाहर जो महिला आंदोलन हुआ न केवल महिला आंदोलन अपितु बाहर पुरुषों से जो पूर्ण सहयोग और सहानुभूति प्राप्त हुई उसका प्रभाव पड़ा और सातवीं लोकसभा ने पहले बढ़कर कुछेक कानून पास किए। चाहे वह बलात्कार कानून हो अर्थात् दंड विधि संशोधन अधिनियम अथवा जलाए जाने और अत्याचार सम्बन्धी कानून हो—दंड विधि द्वितीय संशोधन अधिनियम अथवा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, कुछेक सामाजिक कानूनों के सम्बन्ध में काफी बढ़कर कार्यवाही की गई और कोई भी यह आशा कर सकता था कि आठवीं लोकसभा इस सम्बन्ध में और आगे कार्यवाही करेगी। परन्तु मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि आठवीं लोक सभा ऐसा विधेयक पास करने जा रही जो पीछे हटने वाला कदम है।···(व्यवधान)···इस बात से मेरा हृदय विदीर्ण हो उठा है···(व्यवधान)।

प्रो० मधु दंडवते : माननीय मंत्री को यह मालूम होगा कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह नोट किया है कि इस सदन में महिलाओं सहित सभी पक्ष के लोग इस विधान को लाने के लिए बड़े उत्सुक थे और उन्होंने इस सदन में कांग्रेस और विपक्ष दोनों तरफ की महिलाओं को बधाई दी है।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : यह हमारी सरकार ने नहीं हमने पास किया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इन्होंने सभी पार्टियों का उल्लेख किया है।

श्री एच० आर० भारद्वाज : बिल्कुल नहीं।

प्रो० मधु दंडवते : वह आप को इसका श्रेय दे रही हैं और आप उसे स्वीकार भी नहीं कर रहे है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : जब मैंने गुरबिन्दर कौर ब्रार का, ऊषा चौधरी का नाम लिया तो क्या वह मेरी पार्टी से हैं अथवा विपक्ष से ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप समझ नहीं रहीं कि क्या कहा जा रहा है।

श्री एच० आर० भारद्वाज : हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं। (**व्यवधान**)

श्रीमती गीता मुखर्जी : अगर श्री भारद्वाज को अपनी पार्टी की महिला सदस्यों की जानकारी नहीं है तो मुझे खेद है। लेकिन मुझे पता है। (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : इन्होंने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष दोनों पक्ष के सदस्यों का नाम लिया था। लेकिन वे अपने ही सदस्यों को भूल रहे हैं। क्या किया जाए ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इन्हें तो बस एक श्रीमती इन्दिरा गांधी का ही नाम याद रहता है। अन्य कुछ नहीं। (**व्यवधान**)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए हैं, मैं उनके सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगी। मेरे माननीय मित्र श्री फैलीरो ने यह कहा है कि यह रोजमर्रा जैसा विधेयक है। यदि यह रोजमर्रा के अन्य विधेयकों जैसा होता·····

प्रो० मधु दंडवते : उन्होंने एक आम बात कही है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : सामान्यतः शरियत कानून हैं। कुछ लोग उसका अनुकरण कर रहे हैं कुछ लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। अब इसे संसद विधि के रूप में संहिताबद्ध किया गया है। यहां, सवाल यह है कि मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है। यह केवल विधेयक पारित करने की बात नहीं है। यहां एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत दिए गए अधिकार से वंचित किया गया है।

मेरे विचार से, जो संशोधन लाया गया है। वह अपराधी भावना को छुपाने का एक बनावटी तरीका है···(**व्यवधान**)

क्योंकि पति और पत्नी दोनों कभी-भी तलाक के मामले में एक साथ नहीं आएंगे जैसाकि मधु जी ने कहा है। मैं इस विषय पर ज्यादा समय नहीं लूंगी और मैं उस दलील को नहीं दोहराऊंगी। मैं केवल यह कहूंगी···(**व्यवधान**)

जब शादी होती है तो महिला की स्वीकृति लेनी जरूरी है। किन्तु यह ध्यान में रखें कि तलाक के समय महिला की सहमति लेनी जरूरी नहीं है। यहां तक कि उस महिला की उपस्थित भी जरूरी नहीं है।

उसकी अनुपस्थिति में भी तलाक तलाक तलाक कहकर तलाक दिया जा सकता है। (व्यवधान)···अतः यहां सवाल उस महिला को न्याय दिलाने का है। भले ही वह इस मामले में एक पक्ष है, किन्तु उसकी सलाह तक नहीं ली जाती।

मैं भाषणों को सुन रही हूं। वे सभी लोग जो उसकी सम्पत्ति के उत्तराधिकारी होंगे, उसका भरण पोषण करेंगे, ये सब आम बातें कही गई हैं। मैं यह पूछना चाहती हूं कि कितनी मुस्लिम महिलाएं, कितनी हिन्दू महिलाएं और कितनी ईसाई महिलाएं ऐसी हैं जो ऐसे वर्ग की हैं जिनके पास सम्पत्ति है ? यदि उनके पास सम्पत्ति होती तो उन्हें पति के सामने इस तरह गिड़-गिड़ाने की जरूरत नहीं होती। (व्यवधान)·· वे ऐसा न करतीं।

प्रो० मधु दंडवते : यह वर्ग विश्लेषण है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : आज यह सवाल ऐसी परिस्थितियों में उठा है जिनमें महिलाएं विशेषकर निर्धन महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हैं। यदि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होतीं तो बहुत सी बातें की जा सकती थीं ? उन्हें रिश्तेदारों की दया पर छोड़ दिया जाता है। यह सवाल तब उठा है जब उसकी किसी भी गलती के बिना उसे तलाक दिया जाता है तो वह कहां जाएगी ? यदि धारा 125 रहती है तो वह इस रास्ते का इस्तेमाल कर सकती है। मैं समझती हूं कि मुस्लिम विधि, शरियत तथा इस्लाम को संहिताबद्ध करने के नाम पर ऐसा करने का दावा किया जा रहा है।

सवाल यह उठाया गया है कि 90 प्रतिशत मुसलमान इस विधेयक के समर्थक हैं सवाल यह भी उठता है कि क्या इस मुस्लिम सवाल पर कोई अन्य व्यक्ति भी कुछ कह सकता है। यह भी सवाल है—और विधि मंत्री ने स्वयं यह कहा है कि यह विधि भगवान का आदेश है। मैं निर्धन लोगों में काम करती हूं। मेरे चुनाव क्षेत्र में हिन्दू तथा मुसलमान दोनों हैं। पिछले कुछ दिनों में मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र और खासकर मुस्लिम क्षेत्रों का सघन दौरा किया है। मुझे उस समय हैरानी हुई जब एक मुस्लिम सज्जन जिसने 35 वर्ष तक काजी के रूप में कार्य किया था, मेरे पास आया और मुझसे कहा कि यह विधेयक मुस्लिम महिला संरक्षण विधेयक नहीं है बल्कि मुस्लिम महिला 'कत्ल' विधेयक है मैंने काजी से वही सवाल किया जो श्री राजीव गांधी ने हमसे किया है, कि क्या आप शरियत में विश्वास करते हैं ? काजी ने उत्तर दिया कि मैं पवित्र कुरान में विश्वास रखता हूं। उससे मेरी समझ में यह बात आई कि शरियत कानून भगवान द्वारा नहीं बनाए गए हैं। क्या मैं यह जान सकती हूं कि यदि विभिन्न विचारधारा के लोगों द्वारा कुरान की अलग-अलग व्याख्या की जा सकती है और यदि यह बात शरियत के अनुसार है तो हम यह कैसे कह सकते हैं कि शरियत भगवान के आदेश से लिखी गई। मैं यह तर्क स्वीकार नहीं करती।

मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि आज समाज में व्यभिचारी प्रवृति फिर से आ रही है। चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान, दहेज न मिलने के कारण जलाने की वारदात बढ़ रही हैं। क्या इससे पहले आपने हिन्दुओं में इस तरह से बहू को जलाने की घटनाएं सुनी थीं ? आजकल तलाक

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

के मामले बढ़ रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था। आज गैर जिम्मेदाराना कार्य करने का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। इसी कारण से धारा 125 को इसे रोकने वाली धारा और तलाक के विरुद्ध दूसरे पक्ष पर दबाव डालने वाली धारा के रूप में माना गया था। जब आप इस रोक को हटाएंगे तो आप 'तलाक' को प्रोत्साहन देंगे। मेरे चुनाव क्षेत्र की गरीब महिलाओं ने जिनके पास कोई सम्पत्ति नहीं है, यह आशंका व्यक्त की है। उनका यह कहना है कि यदि यह वि धेयक पारित हो जाता है तो देश में तलाकों की आंधी आ जाएगी।

मैं इस स्वीय विधि के बड़े-बड़े समर्थकों अर्थात् माननीय सुलेमान से और श्री बनातवाला जी से यह कहते हुए अपना भाषण समाप्त करती हूं कि क्या यह सच है कि जहां तक उनकी पत्नियों के उत्तराधिकार का सम्बन्ध है·····उन पर हिन्दू विधि अर्थात् मरुमाकाट्यम लागू होती है। (व्यवधान)

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (मंजेरी) : यह हिन्दू विधि के अन्तर्गत नहीं आता। आप इसके बारे बारे में क्या जानती हैं ? (व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : महोदय, श्री सेट और श्री बनातवाला दोनों ही केरल के नहीं हैं। वे केरल से चुन कर आए हैं। वे केवल वहां के प्रतिनिधि हैं। वे मलयालम नहीं बोलते। मरुमाकाट्यम केवल केरल में एक मुस्लिम वर्ग पर लागू होता है। (व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी : अन्त में मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, श्रीमती गीता मुखर्जी पर मुस्लिम महिला संरक्षण विधेयक लागू होना चाहिए।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, यहां यह सवाल उठता है कि क्या गैर-मुसलमान सदस्य मुस्लिम स्वीय विधि के बारे में कुछ कह सकते हैं। मैं यहां यह पूछना चाहूंगी कि सरकार जो कि संविधान की संरक्षक है उसका क्या रुख होगा। मैं यह कहूंगी कि यह 'एकरूपता' अर्थात् 'समान सिविल संहिता' की ओर रुख होना चाहिए। उस दृष्टि से आप पीछे की ओर जा रहे हैं। महोदय, इस सम्बन्ध में मैं महात्मा गांधी जी ने जो कुछ 1947 में कहा था उसे उद्धृत करना चाहूंगी।

मैं उसे उद्धृत करती हूं।

> "भारत स्वतन्त्र होने की अभिलाषा कर रहा है। किन्तु यदि देश की आधी जनता को अशक्त अवस्था में रहने दिया जाता है तो लोगों को जिस प्रकार की आजादी मिलेगी वह कभी भी पूर्ण आजाद नहीं होगी। इसलिए, मैंने एक बार श्रोताओं में से बुजुर्गों से पर्दा प्रथा के प्रभाव की जांच करने की अपील की और इस प्रथा को शीघ्र समाप्त करने के लिए कहा।"

अत: यह था उनका रुख। उस समय फज-उल-हक ने गांधी जी के ऐसा कहने के अधिकार

पर उंगली उठाई थी। गांधी जी ने अपनी बात को सही माना। मेरे विचार से दिशा देने का यह प्रगतिवादी तरीका है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मरमागाओ) : हमें काबुल जाना चाहिए जहां साम्यवादी सरकार है। उन्होंने 'शरीयत' को क्यों निरस्त नहीं किया ?

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, इसलिए उन्हें इस बारे में कुछ कहने का हक नहीं है। आगे बढ़ने के लिए कहा जाना चाहिए न कि पीछे जाने अर्थात् पीछे ले जाने वाला कदम नहीं उठाना चाहिए। हमारा तथा शासक दल का विचार आगे बढ़ने का होना चाहिए। महोदय, इसलिए इन शब्दों के साथ मैं इस काले विधेयक का विरोध करती हूं।

[हिन्दी]

कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : सभापति जी, आज काफी गर्मागरम वातावरण में इस बिल के ऊपर हम बहस कर रहे हैं। इस बिल पर मैं समझती हूं, बातचीत करते हुए, विचार करते हुए, हमें इसे दो कसौटी पर कसना और देखना चाहिए। क्या यह हमारे सैक्युलरिज्म के सर्व-धर्म समभाव के सिद्धान्त के अनुकूल है अगर यह सर्वधर्म-समभाव धर्म निरपेक्षता के सिद्धान्त के अनुकूल है तो हमें इसे स्वीकार करना है, पार्टी और दल से ऊपर उठकर। दूसरी कसौटी हमारी यह है कि यह महिलाओं के वैलफेयर के लिए है या नहीं। अगर उस कसौटी पर यह बिल सही उतरता है तो हमें स्वीकार करना है, सारे सदन को एक राय से होकर इसे स्वीकार करना है। हमने अपने देश में जिस धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार किया है वह कोई स्टेट का यूनिफार्म धर्म नहीं मानता। यहां विविध धर्मों के मानने वाले लोग हैं और सबको अपने-अपने धर्म का पालन करने, उनके रीति-रिवाज, उनके विवाह के जो परम्पराओं के नियम हैं, उनकी पालना करने का पूरा अधिकार इस बिल के अन्दर रखा गया है। जिन मुस्लिम औरतों को जिनकी शादी मुस्लिम शरीयत के अनुसार होती है, उनको जब तलाक दिया जाता है, उसके बाद मेंटेनेंस के लिए भी, उसी शरीयत के अनुसार उनका इन्तजाम किया जाए या नहीं किया जाए इन्तजाम करना है और इन्तजाम करने के लिए जो खामियां थी, उसको इस बिल के माध्यम से दूर किया गया है। यह मुस्लिम महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए, उनके वेलफेयर का बिल बन जाता है।

हमें मालूम है लाखों की संख्या में, बल्कि करोड़ों की संख्या में ऐसी औरतें हैं जो कि चुपचाप रहकर हर तरह की तकलीफें बर्दाश्त करती हैं, अन्याय बर्दाश्त करती हैं, सामाजिक अन्याय बर्दाश्त करती हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती हैं। यह बिल उनकी रक्षा करता है। शौहर ने पति ने अगर मेहर नहीं दी है, जो वायदा किया है, शादी के बाद वह नहीं देता है तो यह बिल उन्हें जब तलाक दिया जाता है उस वक्त उन्हें दिलाता है और वह प्रोपर्टी उसका रिश्तेदार देता है जब उसकी शादी होती है और तलाक मिल जाता है उसके बाद भी उसको वह मिल जाती है जिसके लिए वह अधिकारी है। यह बिल भी महिलाओं का प्रोटेक्शन करता है। पहले बेबस औरत कुछ नहीं कर सकती थी, बरसों कोर्ट के दरवाजे खटखटाया करती थी, लेकिन फिर भी उसे जो

[डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

उसका अधिकार है वह नहीं मिल पाता है, तीन महीने इद्दत की बात है, 2 साल या 7 साल की बात है शरीयत के अनुसार तब भी उसको वह अधिकार नहीं मिल पाता है, लेकिन आज पहली बार इस बिल के द्वारा एक महीने के अन्दर मजिस्ट्रेट इस तरह आदेश देगा कि उस शौहर को इसका पालन करना है और लागू करना है। अगर वह नहीं मानता है तो उसके लिए सजा भी रखी गई है। कैद की सजा भी रखी गई है। जो औरत ऐसी परेशानी में, पति ने उसको छोड़ दिया है, तलाक दिया है, बच्चों का क्या करे यह समझ में नहीं आता है, उस वक्त वह अपने पति के यहां से अपने रिश्तेदार के यहां जाती है तो चाहे धर्म में जो कुछ भी हो, कानून में, शरीयत में जो कुछ भी हो, लेकिन व्यवहार में पालन नहीं होता था, आज यह कानून आया इसमें जो रिश्तेदार हैं उनके ऊपर यह लागू कर दिया है और ऐसे रिश्तेदार जिनकी हैसियत कुछ देने की है उनके ऊपर लागू होता है और इससे वह छूट नहीं सकते। उसके बाद भी वह नहीं देते हैं या ऐसे रिश्तेदार मर गये, या किसी में देने की सामर्थ्य नहीं है तो वह वक्फ की सम्पत्ति है, वक्फ के ऊपर यह बात रखी गई है। यह बिल हर हालत में महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए है। इससे एक पाबन्दी हो जाती है, समाज में स्त्रियां इधर-उधर नहीं भटक सकतीं, उसको देना ही है। मुझे वक्फ के बारे में सब जानकारी है और इस सदन में जो कुछ कहा गया यह तथ्यों पर आधारित नहीं है। मैं स्वयं वक्फ प्रोपर्टी के मामलों को डील करती हूं और मेरा मंत्रालय उससे सीधे सम्बन्धित है। मैं जानती हूं कि वक्फ के पास लाखों की सम्पत्ति है। मुझे पता है कि उस प्रोपर्टी का किस तरह से दुरुपयोग होता है और किस तरह लोग उससे नाजायज फायदा उठा रहे हैं, उसकी सम्पत्ति का इस्तेमाल करते हैं। यदि वक्फ की सम्पत्ति का उपयोग ऐसी औरतों की सुरक्षा के लिए किया जाए, जिनको आज रहने के लिए कहीं जगह नहीं मिल पा रही है, जिनके सामने यह समस्या खड़ी है कि वे अपनी जिन्दगी किस तरह से गुजर-बसर करें, वे गलत रास्ते की तरफ, वेश्यावृत्ति की तरफ जाने के लिए मजबूर हो जाती है तो इसमें बुराई क्या है। हम सब का कर्त्तव्य है कि उनको गलत रास्ते पर जाने से बचायें, समाज में उनकी इज्जत बनी रहे और समाज में उनको उचित स्थान मिले इसके लिए ही हमने वक्फ को इसमें शामिल किया है। वक्फ तीन परसेंट या एक परसेंट, जो भी हो, अपने प्रस्ताव के द्वारा, अपने स्टेट में उसे तय कर सकता है और ऐसी औरतों की मदद कर सकता है। बिल में यही नहीं है कि औरत को भीख मांगने के लिए सब जगह जाना पड़ेगा बल्कि उसके लिए मजिस्ट्रेट को आदेश करना पड़ेगा। यदि किसी एक स्थान से उसको सहायता उपलब्ध नहीं हो पाती है, मदद नहीं मिलती है तो मजिस्ट्रेट अपने आदेश द्वारा उसे सहायता उपलब्ध करवायेगा और उसी बात को कानूनी जामा पहनाने के लिए यह बिल इस सदन में प्रस्तुत किया गया है। इसलिए मैं उन सब औरतों की तरफ से, जिनकी प्रोटेक्शन के लिए यह बिल यहां लाया गया है, प्रधानमन्त्री जी को बधाई देती हूं क्योंकि मैं समझती हूं कि यह एक कदम है जिस के द्वारा औरतों को बोलने का, अपनी बात कहने का अधिकार प्राप्त होगा। अब वे पर्दे से बाहर निकल कर, अपनी बात कह सकती हैं। इस बिल के द्वारा यह सदन उनको यह अधिकार देने जा रहा है कि अब उन्हें जुबान बन्द रखकर घुटने की जरूरत नहीं है। अब तक क्या

होता था कि शरीयत के नाम पर या पर्सनल लॉ के नाम पर सरकार यदि किसी चीज में संशोधन या परिवर्तन करने की बात करती तो उसे दखलन्दाजी समझा जाता था लेकिन आज खुशी की बात यह है कि देश के बड़े-बड़े चिन्तकों ने, मुस्लिम भाइयों ने और हर सेक्शन के मुस्लिम भाइयों ने इसको स्वीकार किया है और अपनी राय दी है। उनकी राय को कानूनी रूप देने के लिए भी ही यह बिल आज सदन में पेश किया गया है। हमें आशा है कि आगे चलकर इसमें और परिवर्तन होगा और कुछ नये रास्ते खुलेंगे, और हमारी सरकार जिस सिविल कोड की बात अक्सर किया करती है, सब की राय से, वह भी इस देश में बनाया जा सकेगा। उसके लिए भी हमें कई सीढ़ियां पार करनी हैं, पहले एक सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी और कई सीढ़ियां पार करने के बाद हम अपनी मंजिल पर पहुंच पायेंगे।

हम किसी के ऊपर कुछ लाद नहीं सकते क्योंकि आपको मालूम है जब हमारे देश में भाषा का प्रश्न उठा तो ज्यादातर लोगों का विचार था और बहुमत से लोग इसको पसन्द करते थे कि सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी को राष्ट्रभाषा का स्थान दिया जाना चाहिए लेकिन फिर भी एक या दो स्टेट उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए हम उसे पूरी तरह से राष्ट्रभाषा के रूप में लागू नहीं करा पाये। लेकिन यह तो बहुत पर्सनल मामला है, स्त्री और पुरुष का मामला है और हम समाज में प्रचलित कुछ चीजों के चलते हुए, कुछ चीजें धर्म से सम्बन्धित हैं, उनको ठेस नही पहुंचा सकते। हमने अपनी सैक्यूलर परिभाषा में इसको माना है। इसलिए हमारा यह बिल सैक्यूलर भी है, और साथ-साथ महिलाओं के प्रोटेक्शन केलिए भी है। पहले कुछ स्त्रियां अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए गलत रास्ता अख्तयार करने के लिए मजबूर हो जाती थीं अथवा कुछ जवान लड़कियां अपनी मां की दिक्कतों को नहीं देख सकती थीं, मरते हुए नहीं देख सकती थीं और कोठे पर जाने के लिए मजबूर हो जाया करती थीं। अब यह बिल उनको वहां जाने से रोक सकेगा। अब दूसरे लोग उनको सहारा देने वाले हो जायेंगे। इसलिए में समझती हूं। कि इस बिल के पास होने के बाद समाज में एक नया परिवर्तन आयेगा और यह बिल उन लोगों को बांधने वाला होगा जोकि शरीयत की बात तो कहते थे लेकिन शरीयत के अनुसार काम नहीं करते थे उनको यह बिल रास्ता भी दिखाएगा। इस तरह से इस बिल के जरिए मुस्लिम स्त्रियों को काफी संरक्षण मिलेगा। कुछ माननीय सदस्यों ने इस बिल के संबंध में कहा है कि हमने इसे मुस्लिम महिलाओं के नाम पर ही क्यों लाया है। उसका कारण यह है और हमें मालूम है कि पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने जिस समय हिन्दू कोड़ बिल को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया था तो उस समय भी बहुत ज्यादा उसका विरोध हुआ था, लेकिन इस सबके बावजूद वे उसको लाये क्यों वे समझते थे कि इस बिल को लाकर हमें एक कदम आगे बढ़ेंगे। उस समय भी उनके मन में यह था कि मुस्लिम स्त्रियों के लिए भी कुछ इस तरह की चीज होती, तो अच्छा था। आज हमें खुशी है कि प्रधानन्त्री जी ने इस बिल को लाकर के प्रोटेक्शन की बात की है और इसलिए आगे के लिए नया रास्ता खोल दिया है जिसके द्वारा हम सब की राय लेकर डेमोक्रेटिक तरीके से यूनिफार्म सिविल कोड की बात कर सकेंगे।

मुझे अभी बताया गया है कि इसमें एक संशोधन आ रहा है। वह संशोधन इस को और

[श्री राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

मजबूती देता है जिस में धारा 125 में स्त्री और पुरुष मिल कर जा सकते हैं। यह इस बिल को ज्यादा व्यापक बना देता है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस बिल का समर्थन करती हूं और आपको धन्यवाद देती हूं।

7.40 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री श्यामलाल यादव (वाराणसी) : अध्यक्ष जी, इस बिल पर जो बहस हुई, उसमें ज्यादातर माननीय सदस्यों ने इस बिल का स्वागत किया है, लेकिन विपक्षी दल भी अधिकांश इसके विपरीत अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। उन्होंने दो-तीन आरोप लगाये हैं। एक सबसे बड़ा आरोप श्री मधु दंडवते और उनके साथियों ने यह लगाया है कि कांग्रेस पार्टी कई चुनावों में में हार गई है, इसलिए उसका लाभ उठाने के लिए और उनको प्रसन्न करने के लिए इस तरह का संशोधन लाया गया है। मैं समझता हूं कि ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन अगर यही बात मैं दूसरी तरह से कहूं कि वे यह समझते हैं कि इस बिल के पास हो जाने पर शायद विपक्षी दल को वोट ही न मिलें, इस लिए वे इसका विरोध कर रहे हैं, तो कोई गलत बात नहीं होगी। सिर्फ इसलिए उनकी तरफ से इस बिल का विरोध हो रहा है, मैरिट पर कोई विरोध नहीं कर रहे हैं।

दूसरी बात, साम्यवादी दल, प्रगतिशीलता की बात करते हैं और कहते हैं कि यह प्रतिक्रिया वादी विधेयक है। लेकिन उनकी प्रकिक्रियावादिता और प्रगतिशीलता क्या है, यह उनका इतिहास बताता है। दूसरा विश्वयुद्ध जब शुरू हुआ, तो उसमें इन्होंने साम्राज्यवादी शक्तियों की सहायता करनी शुरू की और कांग्रेस उस युद्ध के दौरान भी आजादी की लड़ाई लड़ती रही। तो इन्हें धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। इन्होंने प्रगतिशीलता का नारा दिया, पर्सनल लॉ में इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। प्रगतिशीलता और प्रतिक्रियावादिता कहना तो इनका फैशन है, ये तो उसके विपरीत ही कहेंगे। इसलिए समझता हूं कि इनके तर्क में कोई दम नहीं है।

जब श्रीमती गीता मुखर्जी कहती हैं कि वे स्त्रियों के साथ हैं, तो मैं समझता हूं कि क्योंकि इस देश की विभिन्न संस्कृतियां हैं, विभिन्न धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, जिनको वे नहीं समझती हैं या उनको नजरअन्दाज करना चाहती हैं। यह देश विभिन्न धर्मों को मानने वालों का देश है। इस लिए शुरू से ही इस देश में सैकुलरिज्म का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। जैसा माननीय सदस्यों ने कहा कि सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव हो। इस देश में कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जो किसी धर्म के, व्यक्ति के, पर्सनल लॉ से ताल्लुक रखता है और पर्सनल लॉ खासतौर पर एप्लाई करता है शादी-विवाह में, प्रापर्टी के सक्सैशन के लिए। ये दो हमारे देश में बराबर पर्सनल लॉ रहा है और आज भी है। आज भी हिन्दुस्तान में शादी-विवाह के अलग-अलग तरीके हैं। क्रिश्चियन का एक तरीका है, तो पारसियों का अलग तरीका है और मुस्लिमों

का अलग तरीका है। मैं नहीं समझता कि कोई भी शक्ति इस देश में ऐसी आएगी जो इस तरह का कोई एक कानून बना सकती हो। कोई पार्टी, कोई दल ऐसा नहीं कर सकता है। कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आ जाए, तो वह भी सारे मदभेदों को मिटाकर सबके शादी-विवाह एक तरीके से हों, ऐसा कानून नहीं बना सकती है। इस देश में ऐसा कानून नहीं बन सकता है और जो भी ऐसी कोशिश करेगा, वह खड़ा भी नहीं हो सकता है, जनता उसके साथ नहीं जा सकती है। इसलिए इस बुनियादी बात को उनको याद रखना चाहिए। पर्सनल लॉ में कोई दखलन्दाजी नहीं होगी। हिन्दुओं के भी तौर-तरीके शादी-विवाह के प्रदेश-प्रदेश में बदले हुए हैं, तो उसमें आप कैसे कॉमन कोड ला सकते है ? और अब श्रीमती गीता मुखर्जी कहती है, तो मैं समझता हूँ कि राजनीतिक दृष्टि से वे अपनी बात को कहती हैं। धरती पर जो वास्तविकता है, उसको बिल्कुल नजर अन्दाज कर देती हैं।

सम्पत्ति का अधिकार हमारे हिन्दू धर्म में क्या है। हमारे हिन्दू धर्म में वह केवल मिताक्षर है। कानून के अन्तर्गत वह लिमिटेड ऑनर्स है। स्त्री केवल उसका उपभोग कर सकती थी। उसको वह ट्रांसफर और गिफ्ट नहीं कर सकती थी। इस्लाम में बराबर उसको पूरा अख्तियार हासिल था। हमारे हिन्दू धर्म में, मैं श्री मधु दंडवते और इनके पक्ष के अन्य लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या स्त्रियों को या मर्द को डाइवोर्स करने के लिए कोई अख्तियार था ? बेमेल शादियां होती थीं बचपन में शादियां होती थीं और उन शादियों को लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता था आजन्म और हमारी तो मान्यता यह है कि शादी जन्म-जन्मान्तर के लिए है। पिछले जन्म से चली आ रही है और अगले जन्म तक चलने वाली है। अगर इस्लाम इस देश में नहीं आया होता तो क्रांति इस देश में नहीं आती। शायद यह तलाक का कानून हिन्दुओं में लागू नहीं होता। यही कारण है कि आज स्त्रियों के साथ अन्याय होता है। यह अन्याय अब भी हो रहा है। आज हिन्दुओं में तलाक लेना बहुत बुरा माना जाता है।

प्रो० मधु दंडवते : तलाक नहीं देते हैं, लेकिन जला देते हैं।

श्री श्यामलाल यादव : आज हिन्दुओं में किसी स्त्री के साथ जिस तरह दुर्व्यवहार होता है, यह इस्लाम में नहीं होता है। इस्लाम ने ही इस देश में तलाक की व्यवस्था लागू की है। इस्लाम में ही आज स्त्रियों को प्रापर्टी में से हिस्सा देने का अधिकार प्राप्त है, जबकि हिन्दुओं में इसके प्रति कोई उत्साह नहीं है। लड़की अगर मां-बाप की जायदाद में से हिस्सा मांगती है तो उसे देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अगर दामाद हिस्सा लेने के लिए कोशिश करता है तो मुकदमेबाजी और कत्ल तक हो जाते हैं। यह रोज की घटनायें हैं।

श्रीमन्, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि यह कानून जो कि तलाकशुदा स्त्रियों के लिए बना है यह 125 और 127 की मंशा के विपरीत नहीं है। उसकी मंशा तो लॉ-मिनिस्टर ने साफ जाहिर की है। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसको दुरुस्त करने के लिए यह कानून बनाया गया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई यकीन नहीं करता। अनेक बार फैसले बदले गए, जज बदल गए तो फिलौसफी भी बदल गई और फैसले भी बदल गए। कोई एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे

[श्री श्यामलाल यादव]

दिया तो वह फैसला कल को बदल भी सकता है। ऐसे फैसले को रद्द करने के लिए एक सम्यक् रूप से कानून बनाकर सरकार ने जन भावनाओं का आदर किया है।

अभी गीता मुखर्जी ने एक काजी का उदाहरण दिया। मैं नहीं जानता उनके यहां कितने मुसलमान रहते हैं। हमारे यहां वाराणसी में लाखों मुसलमान रहते हैं। हमें एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिला जिसने इसका विरोध किया हो। हमने कई सेमिनार किए, जलसे किए, सबने सर्वसम्मत होकर इसका समर्थन किया। वाराणसी जैसी ऐतिहासिक धार्मिक नगरी के लोग इसका समर्थन कर रहे हैं तो साम्यवादी प्रदेश में अगर कोई गड़बड़ी होगी तो कोई विश्वास नहीं करेगा।

[अनुवाद]

श्री के० पी० उम्मीकृष्णन (वडागरा) : अध्यक्ष महोदय, हमने आज कई लम्बे-लम्बे भाषण दिए हैं, जिनमें कुछ सामान्य प्रकार के थे, कुछ ऐसे थे जैसा मेरे मित्र फैलीरो ने सुझाए है, कुछ आवेगपूर्ण थे और कुछ क्रोध से भरे हुए थे। हमें विधेयक के प्रभारी मंत्री के अतिरिक्त कुछ प्रतिष्ठित मंत्रियों को भी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। परन्तु ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री बोलते तो मुझे और अच्छा लगता। मैं तो सोच रहा था कि सदन के नेता इस सभा को दिशा बताएंगे और चर्चा में भाग लेंगे। मुझे नहीं पता कि वे चर्चा में भाग लेंगे अथवा नहीं परन्तु यहां पर दूसरे अनेक लोग हैं, जो इस विधेयक के वास्तविक निर्माता हैं, वे मुझे पता है, पर्दे के पीछे चले गए हैं। मैं इस विधेयक के बारे में उन्हें सुनना चाहता था।

आज बोलते हुए मुझे गुस्से की बजाए व्यथा ज्यादा हो रही है। ऐसा नहीं है कि इस विधेयक के बारे में नाराज होने वाली कोई बात नहीं है, परन्तु यह कहते हुए मुझे गहरा खेद है कि यह भारत की प्रभुसत्ता सम्पन्न संसद के इतिहास में एक बदनामी का क्षण है।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री के० पी० उम्मीकृष्णन : जी हां, बदनामी का है क्योंकि यह नागरिकों की समानता तथा कानून के आगे सभी को समान मानना और धर्मनिरपेक्षता पर आधारित हमारे धर्म-निरपेक्ष संविधान की सभी महत्वपूर्ण धाराओं और वायदों का मजाक उड़ाता है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारा संविधान एक ऐतिहासिक दुर्घटना नहीं है, इसकी एक पृष्ठभूमि है जो स्वतन्त्रता के लिए किए गए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष से बनी है एक लम्बा संघर्ष, जो जवाहर लाल नेहरू और महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया। हमारा संघर्ष केवल सत्ता हस्तांतरण अथवा स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए नहीं था, परन्तु इसमें हमने कुछ मूल्यों की रक्षा की और उसी में से धर्म निरपेक्षता की धारणा फूटी यह जनसंख्या के उस वर्ग की भी रक्षा के लिए किया गया जिसमें इस देश की अधिसंख्या महिलायें शामिल हैं, चाहे वे मुसलमान हैं, हिन्दू हैं अथवा सिख हैं तथा यह हरिजनों, आदिवासियों और अन्य पददलितों की रक्षा के लिए भी है।

आप हमारे स्वतन्त्रता संघर्ष के सामाजिक संदर्भ को भुला अथवा हटा नहीं सकते। आप इस संविधान के सामाजिक संदर्भ को भी भुला अथवा हटा नहीं सकते और इस संविधान के मूलभूत उद्देश्यों के विपरीत कुछ नहीं कर सकते। वह हमारे लोकतांत्रिक प्रगति के इतिहास का, इस महान उप-महाद्वीप का भाग है। यह नहीं भूलाया जाना चाहिए कि यह भी उस संघर्ष से पैदा हुई, जिसने दो राष्ट्रों के सिद्धांत को भी अस्वीकार कर दिया जिसके परिणामस्वरूप उप-महाद्वीप का विभाजन हुआ जो इस घातक सिद्धांत पर आधारित था कि हिन्दू और मुसलमान दो राष्ट्र हैं। ऐसा इसलिए नहीं था कि किसी को किसी का चेहरा पसंद नहीं था अथवा किसी ने किसी को पसंद नहीं किया। यह स्वतन्त्रता संग्राम के कारण था महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कारण था; जिसका ढांचा उन मूल्यों और परिप्रेक्ष्य का था जो इस देश के इतिहास और परम्पराओं पर आधारित था। और इन सबके अतिरिक्त इस विधेयक के उपबंध नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध हैं और विशेष रूप से संविधान अनुच्छेद 14 के विरुद्ध जिसमें कहा गया है कि, मुझे यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है परन्तु फिर भी कहता हूं।

> "राज्य किसी व्यक्ति को भारत के भू-भाग में कानून के समक्ष समानता तथा कानूनों का समान संरक्षण से इन्कार नहीं किया जायगा।"

इस संदर्भ में मैं एक स्पष्टीकरण चाहूंगा। मैं माननीय विधि मंत्री का कानूनी विशेषज्ञ होने, उनमें काम करने की अद्भुत क्षमता होने के कारण आदर करता हूं, परन्तु उन्होंने भी इस बारे में कुछ कहा था परन्तु वे अपनी बात की वकालत करने में असफल रहे। मैं श्रीमती अंसारी से नहीं, बल्कि श्री अशोक सेन से यह जानना चाहूंगा कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14 और (13) 2 तथा 3 अध्याय में संविधान के अन्य उपबन्धों के अनुरूप किस प्रकार है।

पर्यावरण और वन राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : मैं आपको बता सकता हूं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : वह मैं जानता हूं। मैं जानता हूं कि आप मुझे बता सकते हैं क्या आपने पहले ही हमें नहीं बता दिया है। **(व्यवधान)**

महोदय, आज जो प्रश्न पैदा होता है वह है कि क्या ·····**(व्यवधान)**

प्रो० मधु दंडवते ; धारा 125 की धमकी मत दीजिए।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : प्रश्न यह है कि क्या इसका उपयोग केवल इस आधार पर कि इस संसद में सत्ताधारी दल का भारी बहुमत है स्वयं संविधान के विपरीत उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है क्योंकि यह संविधान में दिए गए अधिकारों और संवैधानिक परिपेक्ष्य के विपरीत है। उस समय हम क्या करेंगे जब मेरे माननीय और परमप्रिय मित्र, श्री अंसारी पूरे देश में यह बात कहते घूम रहे हैं कि "यह शरीमत के अनुसार है—अथवा यह किसी अन्य के अनुसार क्यों नहीं हैं? और उन्होंने यह भी दावा किया है कि इस विधेयक पर केवल मुसलमान ही बोल सकते है अथवा बोलेंगे।' उन्होंने जो कहा है उसे मैं ज्यों का त्यों उद्धत करता हूं।

"इस विधेयक से अन्य लोगों को क्या लेना देना ? केवल हम ही बोलेंगे।"

दूसरे शब्दों में इस संसद को इन सब बातों से क्या लेना-देना है ? क्योंकि, आखिरकार यह मामला अल्पसंख्यकों से सम्बन्धि है। और "इस पर केवल हमें ही अपना मत व्यक्त करने का अधिकार है।" उनका यह दावा हैरानी वाला है।

प्रो० मधु दंडवते : परन्तु प्रधानमन्त्री अब भी चुप हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : हमारा यह सोचना था कि संविधान में उल्लिखित प्रभुसत्ता का विचार और संसदीय प्रभुसत्ता इस विश्वास से पैदा होती है कि कानून का केवल एक स्रोत हो सकता है और वह है यह प्रभुसत्ता सम्पन्न संसद और इस बात पर समझौता नहीं किया जा सकता तथा इस देश में उच्चतम न्यायालय, जो मेरे मित्र द्वारा कही गई बात की व्याख्या करता है, के अलावा कानून का अन्य कोई और स्रोत नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए नहीं है कि हम विधान बनाने की प्रक्रिया में यंत्रवत चल रहे हैं, परन्तु यह स्पष्ट मत है कि कानून का केवल एक ही स्रोत है और वह है यह संसद।

अब हमें बताया गया है कि ऐसा नहीं है। इससे सबसे बड़ा खतरा हमारे संविधान में उल्लिखित उस सामाजिक स्वप्न को है जिसका मैंने पहले हवाला दिया था और जो विशेष रूप से जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में देखा गया था। संविधान और स्वतन्त्रता संघर्ष से मिली हमारी विरासत को आज अस्वीकार कर दिया गया है। संविधान में कानून की धर्म निरपेक्षता की कामना की गई थी। कानून की धर्मनिरपेक्षता के बारे में संविधान की मान्यता पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। हम इस बात को बढ़ावा नहीं दे सकते कि लोगों को वर्गों में बांटा जाए। परन्तु आज अपने उन काली ताकतों के सामने आत्म समर्पण कर दिया है जो धर्म के व्यापक अधिकार क्षेत्र पर बल देते हैं और वह भी मध्यकालीन धर्म और सामाजिक प्रथाओं पर जो संविधान और स्वतन्त्रता संघर्ष में कल्पिय सामाजिक व्यवस्था के बिल्कुल उसके विपरीत है।

(व्यवधान)

मैं वह बताऊंगा।

यह उन परम्पराओं के भी विपरीत हैं जिनका कुछ मित्रों ने पहले उल्लेख किया था। सामाजिक सुधार की वे परम्परायें जो राजाराम मोहनराय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर जैसी हस्तियों ने शुरू की थी, जिनका उल्लेख हमारे वयोवृद्ध, प्रो० रंगा ने किया था। मैं इस बात को पुन; कहता हूं कि इससे हमें मध्यकालीन युग और मध्यकालीन धारणाओं के बीच धकेल दिया गया है।

जैसा कि लोग कह रहे हैं, यह कहने का कोई लाभ नहीं है कि हमारा देश धर्म पर आधारित देश है। हां, इस अर्थ में हमारा देश धर्म पर आधारित देश है कि हमारे देश के लोग न केवल धार्मिक प्रवृत्ति के हैं अपितु वे विचारों से भी अत्यधिक आध्यात्मिक हैं। मैं यह स्वीकार करता हूं। परन्तु यह देश ऐसा भी है जहां सती प्रथा प्रचलित थी, यही देश है जहां शिशु हत्या भी प्रचलित थी,

इसी देश में अन्धविश्वासों को मानने वाले अन्यायपूर्ण और असमान सामाजिक व्यवस्था है। मैं उस समय का जिक्र करना नहीं चाहता और मैं यह भी नहीं चाहता कि इस देश का भविष्य उस अतीत काल से जोड़ा जाए। यदि आप इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं, तो आपको अज्ञान, अन्ध-विश्वास और साम्प्रदायिकता से जूझने के लिए अवश्य ही तैयार रहना चाहिए, चाहे ये बहुसंख्यक समुदाय में व्याप्त हों अथवा अल्पसंख्यक समुदाय में हों। आपको इन सामाजिक बुराइयों से संघर्ष करना होगा। हम किसी को भी इस भावना से पलायन करने की अनुमति नहीं दे सकते कि हम इससे समझौता कर लेंगे। इसी कारण, जवाहर लाल नेहरू ने टिप्पणी की :—

"इस देश में दकियानूसियों दल बहुत बड़ा है और मैं अपनी सम्पूर्ण शक्ति से इनके विरुद्ध संघर्ष करूंगा।"

पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इसी सभा में यह कहा था। और आज इस विधेयक के द्वारा आप इस सभा में और इसके बाहर भी उन्हीं दकियानूसियों से समझौता कर रहे हैं। यह मेरा आरोप है।

जिस अनुचित और अत्यन्त जल्दबादी में यह विधेयक पारित किया जा रहा है उसकी भारतीय विधान के इतिहास में कोई और मिसाल नहीं है। हो सकता है कि यह 21वीं सदी का धर्मनिरपेक्षवाद हो। मैं नहीं जानता। इस प्रकार इन काली शक्तियों से सन्धि करके आज यह विधेयक पारित किया जा रहा है। परन्तु यह विधेयक, जैसा कि मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, इन संवैधानिक सिद्धांतों के प्रतिकूल है।

माननीय विधि मंत्री बहुत बड़े विधिवेत्ता हैं—इस देश में इस सदी के बड़े वकीलों में से एक हैं। वे जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमरीका के उच्चतम न्यायालय के रेनयाल्ड मामले में यह टिप्पणी की थी कि:—

"मान लो कि कोई व्यक्ति यह विश्वास करता है कि नर-बलि धार्मिक पूजा अथवा प्रथा का एक आवश्यक अंग है तो क्या यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस स्थान पर वह व्यक्ति रहता है वहां की सरकार इस नर-बलि को रोकने के लिए हस्तक्षप नहीं करेगी।"

इस ऐतिहासिक मामले से पहले भी, इस देश में राजाराम मोहनराय ने ऐसी घातक सामाजिक प्रथाओं के विरुद्ध लड़ाई की। अब यह विधेयक और इसके समर्थक यह चाहते हैं कि हम यह विश्वास करें कि इस सामाजिक पुनर्जागरण को समाप्त कर दिया जाए और धर्म की पूर्ण स्वतन्त्रता दी जाए ताकि संविधान को नष्ट किया जा सके।

जब इस विधेयक पर चर्चा की जा रही थी तो इस सभा में और इसके बाहर भी यह कहा गया कि उन्होंने उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय का विरोध कुछ परिस्थितियों में तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भरण-पोषण का खर्च दिये जाने को लेकर नहीं किया है वरन् उन्हें इस बात

[श्री के० पी० उन्नीकृष्णन]

पर आपत्ति है कि उच्चतम न्यायालय के विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने कुरान, शरीयत आदि की व्याख्या करने का प्रयास किया है। सभा की कार्यवाही में यह रिकार्ड किया गया है। आज यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि वास्तव में उन्होंने जिस बात पर जोरदार ढंग से आपत्ति की है वह असल में उन मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के बारे में है जिनका अपने पति से संबंध विच्छेद हो गया है और वह उचित भरण-पोषण का अधिकार चाहती है। अब इस विधेयक द्वारा ऐसी गरीब तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को अपने सगे संबंधी से पर्याप्त भरण-पोषण का खर्च प्राप्त करने के लिए न्यायालयों में जाने को कहा गया है और यदि वहां से उन्हें कुछ भी प्राप्त न हो तो राज्य के वक्फ बोर्डों से अपने प्रतिदिन के खर्च के लिए गिड़गिड़ाए।

इस विधेयक के अनुसार, एक मुस्लिम महिला को जिसका अपने पति से सम्बन्ध विच्छेद हो गया हो, अपने माता पिता अपने बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों के विरुद्ध मुकद्दमा चलाना होता है चाहे उनका अपना कोई भी दोष न हो। वह अपना पति पहले ही खो चुकी होती है अर्थात् वह उसके लिए अजनबी बन जाता है और अब पारित किए जाने वाले विधेयक द्वारा उस महिला को अपने माता-पिता, भाइयों और बच्चों के विरुद्ध मुकद्दमे के लिए मजबूर किया जा रहा है, और यदि वह महिला बिना पढ़ी लिखी हो, असहाय हो जैसे कि अधिकांश मुस्लिम महिलाएं होती हैं, तो भारतीय न्यायपालिका के इस टेढ़े-मेढ़े चक्करों में उसकी सहायता कौन करेगा। सामान्य परिस्थितियों में अपने पति पर मुकद्दमा चलाने के लिए वह अपने माता-पिता अथवा भाइयों से सहायता की आशा कर सकती है। अब पति द्वारा त्याग दिए जाने पर अपने माता-पिता और भाइयों के विरुद्ध मुकद्दमा दायर करने के लिए कौन उसकी सहायता करेगा ? यह विधेयक किसके लाभ के लिए है ? क्या है गरीब तलाकशुदा महिलाओं के लिए है अथवा उन उलेमाओं के लाभ के लिए है, जो उन्हें हमेशा के लिए मध्य युग के सामाजिक वातावरण में कैद रखना चाहते हैं ? मैं वक्फ, बोर्ड पर पड़े बोझ की तफसील में नहीं जाना चाहता। खण्डवार चर्चा के समय उसका विवरण देंगे।

आज अपने उन रूढ़िवादी शक्तियों के सामने हथियार डाल दिए हैं जो देश की एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा हैं। इस विधेयक की हानिकर बात यह है कि भारतीय पुरुष नागरिक, जिनका इस्लाम धर्म में विश्वास है, अपनी खुशी से और मर्जी से जितनी बार चाहे विवाह कर सकता है और संबंध विच्छेद कर सकता है और हर बार विवाह सम्बन्ध समाप्त कर सकता है, और यदि लड़की अपने को असहाय पाती है तो उसे सहायता के लिए हर दरवाजा खटखटाना होगा, वकील करके कानूनी लड़ाई लड़नी होगी परन्तु पुरुष जो मुख्य रूप से उसके दुर्भाग्य और भरण-पोषण के लिए उत्तरदायी है, साफ बच जाता है। इस विधेयक का सार यही है। क्या आपने ऐसा कानून कहीं और देखा है ? इस विधेयक से केवल दुर्भावना ही पैदा होगी। मैं पुनः दोहराता हूं कि इस विधेयक से केवल पारिवारिक शत्रुता, द्वेष और मुकद्दमेबाजी को बढ़ावा मिल सकता है, अतः यह विधेयक सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के विरुद्ध है।

इस सभा में अल्पसंख्यकों की अलग पहचान का प्रश्न उठाया गया है। मैं इस प्रश्न में नहीं जाना चाहता। हमें इस प्रश्न को सामान्य सिविल संहिता के प्रश्न के साथ बिल्कुल नहीं उलझाना चाहिए। हमें इस विधेयक को विधि के उस ढांचे के सीमा क्षेत्र में ही रखना चाहिए, जो इस सभा में विधि मंत्री द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है। हम केवल उसी पर विचार कर सकते हैं। क्या ऐसी स्थिति में इससे अधिक निराशा अथवा आशा की उम्मीद है ? परन्तु यहां आशा की किरण दिखाई देती है, और मुझे अपने युवा मित्र श्री आरिफ मोहम्मद खां के साहस की अवश्य प्रशंसा करनी चाहिए, जिन्होंने मंत्री परिषद से बाहर आकर धर्म निरपेक्ष मान्यताओं के प्रति अपनी निष्ठा और वचनबद्धता को दर्शाया और यह साबित किया कि वह अपने पद की अपेक्षा इन मान्यताओं को अधिक महत्व देते हैं। परन्तु मैं यह अवश्य कहूंगा कि ऐसा प्रचार करने की कोशिश की गई है कि मुस्लिम समुदाय में अधिकांश लोगों का यही मत है और मुस्लिम समुदाय के अधिकांश लोगों के विचार इस विधेयक के पक्ष में हैं। आप मुस्लिम महिलाओं की रक्षा करना चाहते हैं और इस सामाजिक बुराई के गुलाम मुसलमानों का साथ देना चाहते हैं और इस विधेयक के समर्थकों और उलेमा यही प्रयास कर रहे हैं।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं युवा प्रधान मंत्री की इस ऐतिहासिक भूल के संबंध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं और मुझे उनसे केवल एक अनुरोध करना है अथवा उन्हें याद दिलाना है। मैं फ्रांस के प्रसिद्ध इतिहासकार तकेविल का उद्धरण देता हूं :

> "जब ऐसे अवसर आते हैं जब लोगों के हित अपनी-अपनी रुचि के अनुसार भिन्न-भिन्न होते हैं, तो उनके हितों की सुरक्षा के लिए नियुक्त किए गए व्यक्तियों का यह कर्त्तव्य है कि वे इस प्रकार की भ्रान्तियों को रोकें ताकि उन लोगों को शान्तिपूर्वक विचार करने के लिए समय और अवसर प्रदान किया जा सके। ऐसे उदाहरण भी दिए जा सकते हैं जिनमें उन लोगों द्वारा स्वयं की गई गल्तियों के भयंकर दुष्परिणामों से उनकी रक्षा की गई है और उन लोगों के प्रति आभार प्रकट किया गया है जिन्होंने उनकी रक्षा करने के लिए साहस और उदारता दर्शायी है।"

यह तर्क संगत ऐतिहासिक बुद्धिमानी की अभिव्यक्ति है।

मुझे अभी भी यह आशा है कि आप इस घातक विधेयक को या तो वापिस ले लेंगे अथवा लोगों की राय जानने के लिए परिचालित करेंगे। अथवा इसे संयुक्त प्रवर समिति को भेजेंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : अध्यक्ष महोदय, मैं मुस्लिम विमैन (प्रोटेक्शन आफ राइट्स आन डाइवोर्स) बिल का समर्थन करती हूं।

बहुत देर से इस बिल के ऊपर यहां सदन में बहस हो रही है। काफी इसके बारे में कहा गया है और सुना गया है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि जो सभ्य देश होता है, वहां पर

[श्रीमती कृष्णा साही]

धार्मिक आजादी लोगों को दी जाती है । यह एक बहुत बड़ा गुण प्रजातांत्रिक सभ्य देश में भारत ने उदारता के साथ अन्य देशों की अपेक्षा अधिक खूबी के साथ निभाया है ।

मंत्री महोदय ने बहुत सारी कानूनी बातों को बातों को बताया है । इस बिल के ऊपर जो इतना बबाल खड़ा किया गया है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी लेकिन इनका कहना है कि हम इस बिल के द्वारा, अगर हम इसको पारित करते हैं, तो 15वीं सदी से चले जाते हैं । मैं यह कहना चाहती हूं कि कोई भी कानून जो बनाया जाता है, उससे समाज में कोई क्रांति नहीं आती है, उस से कोई प्रगति नहीं होती है लेकिन कानून एक ऐसा औजार है, जिस औजार के जरिए हम समाज में गति लाते हैं और उस गति के माध्यम से, कानून के माध्यम से हम लोगों में जागृति लाते हैं, सामाजिक चेतना लाते हैं । जब हम कारगर होते हैं तो समाज में परिवर्तन होता है । सदियों से जो हमारे यहां सती प्रथा थी, उसके ऊपर कानून बनाए गए और बाल विवाह या दहेज प्रथा आदि को समाप्त करने के लिए कानून बनाए गए और उनको बने कितना अर्सा हो गया लेकिन उन कानूनों का अभी भी सही ढंग से पालन नहीं किया जाता है । मुझे याद है कि जब हिन्द कोड बिल पास हुआ था, तो उस समय बड़ा बावेला मचा था । उस समय यह कहा गया था कि लड़कियों को जो हिस्सा दिया जा रहा है, उससे भाई बहिन में इतना झगड़ा होगा कि घर टूट जाएगा लेकिन आपने देखा कि हिन्दू कोड बिल कितना कारगर हुआ । मैं यह कहना चाहती हूं कि हर एक सभ्य देश में लोगों को धार्मिक आजादी दी जाती है और यह धार्मिक आजादी पर आधारित रीति, रस्म, रिवाज जो हमारे देश में दी गई—हमारे देश में प्रजातन्त्र है, लोकतन्त्र है और धर्म निरपेक्षता को बड़ी खूब-सूरती से निभाया जा रहा है । यही हमारा आधार है और सह अस्तित्व में हम विश्वास रखते हैं—तो यह कोई नई बात नहीं हुई है । सदियों से उदारतापूर्वक, सभ्य ढंग से अन्य देशों की अपेक्षा हम ने इसका निर्वहन किया है । रामायण में आपने पढ़ा होगा कि लंका में रावण का राज्य था, वहां राक्षसों का राज्य था लेकिन फिर भी विभीषण को यह छूट थी, उसको यह आजादी थी कि वह अपने घर में तुलसी का पेड़ लगाए और भगवान राम का नाम लेता रहे । वहां भी उसको इसकी छुट्टी दी गई थी । फिर हम क्यों न इस तरह की आजादी दें जबकि हमारी कांग्रेस अपने जन्मकाल से ही अल्पसंख्यकों और महिलाओं के हित के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए संघर्ष करती रही है । जब हमें आजादी मिली, तो उसके बाद हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने इस तरह के क्रांति-कारी कदम उठाए, कानून बनाए और संविधान में संशोधन किए ताकि महिलाएं ऊपर आ सकें और उनका विकास हो सके । वही हमारी पृष्ठभूमि है, वही हमारी जो परम्परा है, उसी के तहक यह बिल उपस्थापित किया गया है और यह जो विधेयक है, यह सामाजिक न्याय और प्रगतिशील कदम की दिशा में एक महत्वपूर्ण बिल है । आज वही लोग इसका विरोध करते हैं जो महिलाओं के अधिकारों को समझने की चेष्टा नहीं करते और उनके अधिकारों के लिए पहल नहीं करते । अध्यक्ष महोदय, यह शाह बानु की लड़ाई सिर्फ मुसलमानों और उनके अधिकारों की लड़ाई नहीं है बल्कि इस लड़ाई के पीछे राजनीति को लाया गया है । देश में जो विधिवत् हमारी सरकार है, उसमें ये अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं । ये चाहते हैं कि अस्थिरता पैदा हो और हमारा प्रशासन

ढीला हो और देश में साम्प्रदायिकता पैदा हो। इसलिए ये लोग इस तरह की बात कहते हैं और हिन्दू और मुसलमानों के बीच में वैमनस्य पैदा करना चाहते हैं। जब देश में अस्थिरता पैदा होगी और साम्प्रदायिकता की भावना हर एक के मन में भरना शुरू करेंगे, तो फिर देश में हिन्दू और मुसलमानों में प्रेमभाव समाप्त हो जाएगा। अभी जो देश में परिस्थित है, उसमें ये लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। मैं समझती हूं कि प्रजातन्त्र में विरोध होना चाहिए लेकिन विरोध विरोध के लिए नहीं बल्कि रचनात्मक विरोध होना चाहिए।

मुझे याद है कि जब भी हमारी पार्टी ने कोई भी क्रांतिकारी कदम उठाया है तो आपने उसका समर्थन नहीं किया। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, उन्होंने राजाओं के प्रिवीपर्सिज को समाप्त किया था उस समय भी आपने उनका विरोध किया था। (व्यवधान) सभी लोगों ने नहीं किया था लेकिन बहुत से लोगों ने किया था। जब भी कोई सामाजिक परिवर्तन आती है, उसका विरोध किया जाता है।

मैं यह कहना चाहती हूं कि आप गलत ढंग से प्रचार करना चाहते हैं, अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रचार करते हैं। शाहबानो केस की बहुत दुहाई दी जाती है। आपको मालूम है कि उसे सात वर्ष तक कचहरियों में दौड़ने के बाद 189 रुपये गुजारा भत्ता मिला। वह भी एक जगह से दूसरी जगह ठोकरें खाने के बाद मिला। मुझे खुशी है कि मुस्लिम महिलाओं के भरण पोषण सम्बन्धी कानून लाया गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ अब तक सोया हुआ था वह अब जाग गया है। इसे शाहबानों ने ही जगाया है, लेकिन यह जाग गया है। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ को कानून के दायरे में लाया जा रहा है। जब यह एक्ट बन जाएगा तो मुस्लिम औरतों को मालूम होगा कि अब तक कितने पानी में थीं, अब कितने पानी में हैं। अगर उनको राहत चाहिए तो वह उनको मिलने वाली है। पहले जो इस बारे में अनिश्चितता थी, अब स्थिति निश्चितता की ओर जाएगी। शरियत और कुरान में जो बातें कहीं गयी हैं उनकी अलग-अलग प्रांत में कोर्ट और कचेहरी में अलग-अलग ढंग से व्याख्या की जाती थी। लेकिन जब यह कानून बन जायेगा तो इस तरह की बातें नहीं होंगी।

लोग कहते हैं कि यह बिल सेक्सन 125 को समाप्त करता है। मैं कहती हूं कि यह बिल उस सेक्सन का एक्सटेंशन है और उसको स्पष्ट करता है और अधिक से अधिक मुस्लिम महिलाओं को अधिक प्रोटक्शन देता है। इस बिल में सारी बातें लिखी हैं। इसमें लिखा है कि 30 दिन के अन्दर महिला को राहत मिल जाएगी। दूसरी बड़ी बात इसमें यह है कि जहां सेक्शन 125 में केवल मेन्टीनेन्स की बात यह है, वहां इस बिल में प्रोविजन है कि उसको रोटी, कपड़ा, मकान और बच्चों की देखभाल का भी प्रबन्ध किया जाएगा। जहां एक मुस्लिम महिला को मेहर के लिए दीवानी अदालत में जाना पड़ता था लेकिन अब उसको एक कचेहरी के अन्दर एक मजिस्ट्रेट के नीचे ही सारी चीजें मिल जायेंगी। जो स्त्री धन है, कपड़े हैं, गहने हैं, रिश्तेदारों से जो कुछ भी उसे मिला है, उसकी वह हकदार होगी। ये सारी चीजें भी उसको मिल जायेंगी। उसको 1 रुपया 25 पैसे खर्च करके दरखास्त देनी होगी और उसे सभी सुविधाएं एक ही जगह प्राप्त हो जायेगी। उसको

[श्रीमती कृष्णा साही]

सात वर्षों तक मारा-मारा फिरना नहीं पड़ेगा। जो डाइवोर्सड वीमेन की नीड्स हैं, नीड्स आफ द डाइवोर्सड वूमेन, उनका सेक्शन 125 में कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है। लेकिन इस बिल में इन शब्दों को रखा गया है। अगर वह अपने पति के साथ शान शौकत से रहती आयी है। तो उसको अपने पति की सम्पत्ति में से उसी अनुपात में सम्पत्ति मिलेगी। इस तरह से हम देखते हैं मुस्लिम महिलाओं के लिए सारी सुविधाएं एक ही कोर्ट में हो गयी हैं।

इस बिल में महिलाओं की सुविधाओं के लिए जो चीजें हैं वे सभी एक जगह आ गयी हैं। यह बहुत बड़ी बात है। इस तरह से यह सेक्शन 125 का एक्सटेंशन है। यह जो प्रचार किया जाता है कि सेक्शन 125 के अन्तर्गत जो तलाकशुदा औरतें कचेहरी में जा सकती थीं वे अब नहीं जा सकेंगी। यह एक भ्रामक प्रचार किया जा रहा है।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि आप इतनी बुहाई देते हैं, यह भारतवर्ष है जहां एक अनपढ़ महिला ने भी इतना तहलका मचा दिया। यह हमारी ऐसी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली है जिसमें हम इस सोशल पहलू पर विचार करने के लिए भी तत्पर हो गये और औरतों के साथ न्याय करने की बात कर रहे हैं।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करती हूं।

[अनुवाद]

संचार मंत्रालय और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निवास मिर्धा) : अध्यक्ष महोदय, विधेयक पर चर्चा करते समय काफी गरमा-गरमी हुई है जो मैं समझता हूं, यदि सारी बात को उचित परिपेक्ष्य में समझा जाता तो इसकी आवश्यकता नहीं थी। महोदय, मैं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 और 127 के उपबन्धों की पृष्ठभूमि के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। हमारे पास 1898 की पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता है जिसमें हम काफी समय से संशोधन करने की सोच रहे हैं। इसमें काफी व्यापक रूप से संशोधन करने के लिए रूपरेखा बनाई गई थी और हम दंड प्रक्रिया संहिता के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रहे थे। पुराने विधेयक के उपबन्धों में से एक उपबन्ध असहाय विवाहित स्त्री के भरण-पोषण के संबंध में है। संहिता में संशोधन करते समय हमने सोचा कि उपबन्ध तलाकशुदा 'स्त्री' के सम्बन्ध में लागू हो और इस कानून का अधिकार क्षेत्र बढ़ाया जाये। ऐसा स्त्री की परिभाषा में तलाकशुदा स्त्री को शामिल करके किया जाना था और संयुक्त प्रवर समिति ने इस पर और अन्य मामलों पर काफी समय तक चर्चा की। संयुक्त प्रवर समिति में कोई असहमति नहीं थी। जब यह विधेयक संसद में आया, पहले इस पर राज्य सभा में चर्चा हुई। इस अवस्थान में भी कोई असहमति नहीं थी। लेकिन जब विधेयक लोकसभा में आया और इस पर वाद-विवाद किया जा रहा है; कुछ प्रमुख मुस्लिम संस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा आपत्तियां उठाई गई हैं कि यह मुस्लिम स्वीय विधि का उल्लंघन करता है। हमने इस मामले पर विस्तार से चर्चा

की थी। इस संबंध में उस समय मुसलमानों में भी मतभेद था। दोनों पक्षों को सुना गया था। हमने आगे कर्रवाई रोक दी और भूतपूर्व प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा किए गए निर्देशों के अनुसार चर्चा शुरू की गई। हमारे सामने दो-तीन विकल्प थे। एक यह कि इस उपबन्ध के अधिकार क्षेत्र से मुसलमान स्त्री को बाहर रख सकते हैं। ऐसा ठीक नहीं समझा गया था क्योंकि ऐसा करना वेदमूलक और असंवैधानिक होगा, यह उचित तरीका नहीं है। अन्य विकल्प हमारे सामने यह था कि हम सभी तलाकशुदा स्त्रियों को इसमें शामिल न करें और पुराने उपबन्ध ही बनाये रखें जिसमें तलाकशुदा स्त्रियों के भरण-पोषण की कोई व्यवस्था नहीं है। यह भी ठीक नहीं समझा गया क्योंकि यदि मुसलमान समुदाय यह भी महसूस करता है कि तलाकशुदा स्त्री को उनके अपनी स्वीय विधि पर छोड़ देना चाहिए, हम क्यों कहें कि ईसाई तलाकशुदा स्त्री अथवा हिन्दु तलाकशुदा स्त्री को इस लाभ से वंचित रखा जाये। इसलिए हम ऐसी मुस्लिम स्त्रियों अथवा सभी तलाकशुदा स्त्रियों को इसमें से निकालना नहीं चाहते क्योंकि यदि किसी तरह हम मुस्लिम भावनानों का ध्यान रखते हैं तो कम से कम हिन्दू, ईसाई अन्य तलाकशुदा स्त्रियों को उन उपबंधों से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए जो हम समझते हैं कि प्रगतिशील और लाभकारी हैं।

तत्पश्चात् पूरे उपबन्ध का ही लोप कर देने के प्रश्न पर विचार किया गया। यह तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को मान्य नहीं था और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि उपबन्ध बना रहना चाहिए लेकिन हमें चाहिए कि हम सभा में और सभा से बाहर प्रमुख मुस्लिम नेताओं के साथ चर्चा करें और कुछ संशोधन करके कोई तरीका निकालें ताकि यह उनके अनुकूल हो अथवा उनके विचारों के अनुरूप हो। तत्पश्चतात् धारा 125 और 127 में यह संशोधन शामिल किया गया तथा इसे बिना किसी आपत्ति के इसे सर्व सम्मति से पास किया गया।। इस पुर:स्थापित संशोधन के लिए सभी लोग सहमत थे। इसलिए इस संशोधन पर चर्चा करते समय स्पष्ट रूप से सभा में यह कहा गया था कि सरकार मुस्लिम स्वीय विधि में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती और इसलिए कुल मिलाकर हमने असहाय स्त्री के अधिकारों की रक्षा के लिए यह किया है और हम समझते हैं कि इससे मुस्लिम समुदायं की स्वीय विधि की अवधारणा का उल्लंघन नहीं होता।

इन खंडों -- दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 और 127 के सम्बन्ध में उच्च न्यायालयों और अन्य न्यायालयों ने विभिन्न व्याख्याएं और निर्णय दिए हैं लेकिन उच्चतम न्यायालय के निर्णय से सन्तुलन बिगड़ गया है जो कि पिछले कुछ वर्षों में बना था।

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि यदि तलाकशुदा स्त्री इद्दत की अवधि के बाद भी अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, तो वह धारा 125 का सहारा ले सकती है। इसका अर्थ है कि उसे अधिकार प्राप्त है हमने अपनी शब्द रचना में इद्दत अथवा मेहर शब्द का जानबूझ कर प्रयोग नहीं किया है क्योंकि हम समझते हैं कि इन शब्दों के प्रयोग से सही व्याख्या नहीं हो पाएगी और हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। लेकिन उस समय आम राय यह थी कि मुस्लिम कानून अथवा कानून के सम्बन्ध में इस्लामी धारणा में ये उपबन्ध आ जाते हैं जिससे कुछ परिस्थितियों में तलाकशुदा स्त्री की तलाक मिलने के बाद भी परिवरिश की जा सकती है। लेकिन हमने इसमें दखल नहीं दिया।

[श्री निवास मिर्धा]

कोई शर्त नहीं रखी गई। लेकिन उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय वास्तव में स्थिति को बदल रहा है। जैसा कि हमने इस कानून को बनाते समय सोचा था और इसलिए, यह आवश्यक था कि समग्र स्थिति को स्पष्ट करने के लिए संशोधन किया जाए। उस समय कानूनी आशय बहुत स्पष्ट था, सरकार का दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट था और इस सभा में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि यह कानून मुस्लिम स्वीय विधि में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं है। ऐसा करने का हमारा विचार नहीं है। यह हमारी पार्टी की नीतियों के अनुरूप यह हमारी ठोस नीति है कि मुसलमानों आदि महत्वपूर्ण अल्पसंख्यकों अथवा अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के वैयक्तिक मामलों में दखल नहीं देंगे। इस सम्बन्ध में यदि हमें कुछ परिवर्तन लाना है तो उसके लिए स्वयं सम्बन्धित समुदाय में मतैक्य होना चाहिए। उसे बाद में कानूनी रूप दिया जा सकता है। ऐसा हम कर सकते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : चूंकि आप यह बात कह रहे हैं। अतः मैं जानना चाहूंगा कि आपने तलाकशुदा स्त्री की परिभाषा में जो विधेयक में दी गई है, कहा है कि तलाकशुदा स्त्री का अर्थ है मुस्लिम स्त्री जिसका विवाह मुस्लिम कानून के अनुसार हुआ है जिसे मुस्लिम कानून के अनुसार अपने पति से तलाक मिला है। शरीयत क्यों नहीं ?

एक माननीय सदस्य : इसमें कोई अन्तर नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : विशेष तौर से आपने कहा है क्योंकि मौखिक बातचीत का सम्बन्ध है, स्पष्टतः उस पर प्रतिबन्ध है। यह लाभ होना चाहिए था।

श्री रामनिवास मिर्धा : मुस्लिम कानून एक समुदाय विशेष से सम्बन्धित एक व्यापक कानून है जिसमें शरीयत की महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर इन शर्तों की व्याख्या नहीं करना चाहता। जैसा कि माननीय सदस्य कर रहे हैं। समस्या बहुत सरल है कि हम मुस्लिम समुदाय की स्वीय विधि में कोई हस्तक्षेप करना नहीं चाहते। चाहे जो भी परिभाषा है, जो भी शब्दावली प्रयोग की गई है, मैं उन माननीय सदस्यों से जो इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं एक स्पष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं क्या वे मुस्लिम स्वीय विध में हस्तक्षेप करने के पक्ष में है। समग्र वाद-विवाद का यह मूल मुद्दा है। आप किसी को इस मामले पर मजबूर नहीं कर सकते। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार रखने का आधिकार है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : धारा 127 क्या है ? धारा 127 में भरण पोषण के लिए कुछ नहीं है। यह मेहर अथवा दहेज का प्रश्न है। यह क्या है ? मैं नहीं जानता।

श्री राम निवास मिर्धा : हमने कहीं भी मेहर अथवा दहेज शब्द का प्रयोग नहीं किया है। हमने रीतिरिवाज संबंधी कानून में कहा है कि जो भी उपलब्ध हो। समाज को दिया जाना चाहिए। यह बहुत ही स्पष्ट बात है। पहली बात यह है कि जब हमने धारा 127 बनाई थी हम मुस्लिम कानून में हस्तक्षेप करना नहीं चाहते थे। जब हमें यह पता लगा कि उच्चतम न्यायालय

के निर्णय से उनके मामलों में हस्तक्षेप हो रहा है और मुस्लिम समुदाय को इससे ठेस पहुंच रही है जोकि सही भी है और उनके मन में यह शंका उत्पन्न हो रही है कि क्या इससे उनके अल्पसंख्यक स्वरूप की भी रक्षा हो सकेगी।

तो अगला प्रश्न यह उठता है :

"क्या आप उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप समग्र राय में परिवर्तन करना चाहते हैं अथवा नहीं चाहते ?"

यदि आप यह नहीं करना चाहते तो यह स्पष्ट है कि आप उनके व्यक्तिगत कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करना चाहते हैं। और आपको ऐसा कहने का अधिकार भी है। हमारे संविधान में अनेक कारणों से एक सिविल संहिता रखने का प्रावधान है और संविधान में अकेला यही प्रावधान ही नहीं है बल्कि कई अन्य प्रावधान भी हैं जिन्हें कार्यान्वित नहीं किया गया है। यह एक अलग कहानी है। लेकिन यह कार्य दण्ड प्रक्रिया अलग कहानी है। लेकिन यह कार्य संहिता द्वारा गुप्त रूप से नहीं किया जा सकता है। यदि आप इस कार्य को करना चाहते हैं तो स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) में कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे, आपको परिस्थितियों का सीधे सामना करना है और देश में जनमत पैदा करना हैं। यदि आप आम जनता के लिए समान सिविल संहिता से इन मामलों को उठाते हैं तो संभव है कि हम भी आपका समर्थन करें। लेकिन ऐसा सभी अल्पसंख्यकों में विश्वास तथा निष्ठा पैदा करने के बाद ही किया जा सकता है। अन्यथा यह कार्य कभी भी नहीं किया जा सकता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : उच्चतम न्यायालय द्वारा यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है कि निर्णय दीन हीन महिला से सम्बन्धित है। यह किसी भी तथा प्रत्येक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को खर्चा देने का मामला नहीं है। अतएव उस उपबन्ध का किसी अन्य उपबन्ध के साथ टकराव नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या आप एक निर्धन महिला को खर्चा देना चाहते हैं अथवा नहीं।

श्री रामनिवास मिर्धा : किसी निर्धन मुस्लिम महिला का यह मतलब नहीं है कि वह मुस्लिम महिला नहीं रहती; चाहे वह निर्धन है अथवा नहीं, वह एक मुस्लिम महिला है और उसका अपना अधिकार है।

झगड़ा इस बात का है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय ने इसकी व्याख्या इस ढंग से की है कि आप इसका समाधान धारा 125 से करा सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : केवल इस कारण से कि उच्चतम न्यायालय का दृष्टिकोण सही नहीं है, अत: आप उसका सहारा लें ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : वे धारा 125 की मदद लेकर न्यायालय क्यों जाएं ? श्री अन्सारी उन्हें घर में रहने के लिए ही क्यों नहीं कह सकते ? यह एक सामान्य-सी बात है।

श्री राममिवास मिर्धा : हमने सभा में यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है और मेरी जानकारी के अनुसार हमने उस समय सरकार के इरादे को स्पष्ट कर दिया था और यह अभी भी वैसा ही है और यदि न केवल इस कानून में बल्कि अन्य कानूनों में भी कोई मामूली-सा सन्देह उठाया गया है कि मुस्लिम स्वीय विधि में हस्तक्षेप किया गया है, तो हम इसमें फेर-बदल कर देंगे क्योंकि हम अप्रत्यक्ष रूप से कोई कार्य नहीं करना चाहते। यदि फौजदारी कानून के द्वारा आप मुस्लिम अल्पसंख्यकों के अधिकारों में हस्तक्षेप कर रहे हैं तो यह करने का वह रास्ता नहीं है। यदि आप एक समान सिविल संहिता चाहते हैं तो हमें उसके लिए एक अभियान चलाना चाहिए। हममें से अधिकांश उसमें शरीक होंगे। लेकिन दण्ड प्रक्रिया संहिता में हस्तक्षेप करके इस प्रकार के उपायों (शार्टकट्स) से नहीं किया जा सकता है। स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। जो इसका विरोध करते हैं उन्हें पहले इस पर विचार करना चाहिए। बजाय यह कहने कि 'हम इसका विरोध कर रहे हैं' वे यह कहें 'हम अधिकारों में हस्तक्षेप करना चाहते हैं। हम एक समान सिविल संहिता चाहते हैं।'

अतएव, संक्षेप में, यह स्थिति पैदा हो गई है। यह उस गलत धारणा को ठीक करने से ज्यादा कुछ नहीं है, उच्चतम न्यायालय के निर्णय से न केवल गलत धारणा पैदा हुई थी बल्कि गलत प्रभाव भी पड़ा था। हम तो मात्र इसमें सुधार कर रहे हैं। हम उससे ज्यादा और कुछ नहीं कर रहे। मेरे विचार में जितने बड़े-बड़े मुहावरे प्रयोग किए गए हैं उनकी यहां स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है। यह तो सीधे-सीधे एक छोटा-सा कानून है।

8·28 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

यह तो सीधे-सीधे एक छोटा-सा कानून है जो निर्णय के कारण थोड़ी-सी खराब हुई स्थिति को ठीक करता है और मुझे आशा है कि सभा इसका समर्थन करेगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपने धारा 125 की बात की थी और अब आप फिर उसी पर जा रहे हैं।

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : वह आपकी व्याख्या थी।

प्रो० मधु दण्डवते : कृपया इसमें पूर्व प्रभाव से परिवर्तन मत कीजिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे ऐसा कर रहे हैं। वे विचाराधीनवाद पर इस कानून को लागू कर रहे हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : मुझे इस बात की कठिनाई हो रही है कि मैं किस मुद्दे से बोलना शुरू करूं.....। (व्यवधान) प्रारम्भ में मैं श्री मिर्धा को न केवल उनके द्वारा बुद्धिमानी से किए गए हस्तक्षेप के लिए बल्कि काफी पहले राज्य सभा में उनके द्वारा दिया गया भाषण, और जिस पर उच्चतम न्यायालय ने गलत प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, के लिए भी बधाई देना

चाहूंगा। एक भी माननीय सदस्य ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लेख नहीं किया और मैं इस निर्णय का उल्लेख आरिफ मोहम्मद खान की अपील में करूंगा। पहले श्री पन्त ने श्री आरिफ मोहम्मद खान का उल्लेख किया था और अब श्री के० पी० उन्नीकृष्णन ने श्री आरिफ मोहम्मद खान को बधाई दी है। लेकिन मैंने श्री खान का उल्लेख न करने का निर्णय लिया था, लेकिन अब मैं श्री आरिफ मोहम्मदखान का उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बारे में बहुत ही संक्षिप्त रूप से उल्लेख करूंगा, और इस सम्बन्ध में मेरे कम्युनिष्ट मित्र दो दलों में बंट गए हैं और श्री खान—इस तिकड़ी ने किसी प्रकार का षडयन्त्र न करके देश के जनमानस में एक विवाद खड़ा कर रहे हैं और मैं यह बात मानता हूं कि ऐसा करना बहुत ही अहितकर होगा। मैंने कम्युनिस्टों का जिक्र इस लिए किया क्योंकि यह मेरी उत्कट इच्छा·····

एक माननीय सदस्य : कम्युनिस्ट बनने की।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं कम्युनिस्ट नहीं बन सकता। मैं कम्युनिस्ट नहीं रहा हूं। लेकिन मैं यह स्वीकार करता हूं कि मेरी समाजवादी बनने की बड़ी तीव्र इच्छा है। मैं विश्व में सभी प्रकार के साम्राज्यवाद की तुलना में समाजवाद को प्राथमिकता देता हूं।

इसलिए, मेरे साम्यवादी मित्रों ने भारी भूल की है। आपने हम मुस्लिम सांसदों को विश्वास में क्यों नहीं लिया और हमसे यह क्यों नहीं पूछा कि हम इस विधेयक का समर्थन क्यों करें ? क्योंकि आपने सोचा कि यह रूढ़िवादिता है। मैं रूढ़िवादी नहीं हूं परन्तु आप आपने कर्तव्य में असफल रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि आपने कितनी हानि पहुंचाई है। श्री आरिफ खां और इस फैसले ने भारतीय समाज की भारी हानि की है। मैं आपके सामने कुछ मूलभूत मुद्दे उठाना चाहता हूं। यदि मैं असफल रहूं तो आपको मेरी प्रशंसा करनी चाहिए।

इन तीनों ने, जानबूझकर नहीं, किन्तु हो सकता है अनजाने में, मुस्लिम समुदाय के उदार मन को कुण्ठित करने का प्रयास किया है। आपने मुसलमानों में उदारता की भावना को कुण्ठित करने का प्रयास किया है। श्री उन्नीकृष्णन ने अपने ढंग से इस विधेयक के समर्थन पर एक प्रतिगामी कदम के रूप में प्रहार किया है। उनका सोचना है कि मुस्लिम समुदाय इस विधेयक का अनुचित लाभ उठाएगा। ऐसा नहीं होगा। वास्तव में, श्री उन्नीकृष्णन तथा अन्य इस बात को सिद्ध करने में निश्चित रूप से असफल होंगे।

श्री आरिफ मोहम्मद खां के बारे में मैंने निर्णय किया है कि मैं उनका उल्लेख नहीं करूंगा, यद्यपि इस चर्चा में उनका उल्लेख करना बहुत महत्वपूर्ण है, परन्तु अब मैं उनका उल्लेख करूंगा। श्री पंत ने कहा है कि अनुशासन के कारण उन्होंने ह्विप स्वीकार किया है। परन्तु मैं किसी ह्विप की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने दल, अपने नेतृत्व और अपनी अन्तरआत्मा का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। श्री आरिफ मोहम्मदखां प्रेस से साक्षात्कार करते रहे हैं। मैं उन्हें हर बात के लिए माफ कर देता हूं। यहां तक कि आज के इण्डियन एक्सप्रेस में भी श्री आरिफ मोहम्मद खां की अनेकों टिप्पणियां और वक्तव्य प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने कहा है कि वह साम्प्रदायिक तत्वों से लड़ेंगे,

]प्रो० सैफुद्दीन सोज]

वह श्री इब्राहिम सुलेमान सेट और श्री बनातवाला से लड़ेंगे। ठीक है। यदि वे रूढ़िवादी हैं तो वह उनसे लड़े। वह उनसे लड़ सकते हैं। परन्तु वह सारे मुस्लिम समुदाय को रूढ़िवादी नहीं कह सकते। वह यह कहते रहे हैं कि, और उनकी यह बात श्री पंत, प्रधान मंत्री और भारत सरकार तथा यहां उपस्थित सभी सांसदों से सम्बद्ध है, यह विधेयक इस्लाम विरोधी है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां कहते हैं कि वह अनेक बातें करेंगे, वह पार्टी में रहेंगे और ह्विप को स्वीकार करेंगे क्योंकि उनके लिए यह बेहतर है कि वह पार्टी में रहें और अपने विचारों को बढ़ावा दें; परन्तु वह इस विधेयक को इस्लाम विरोधी कहते हैं। मैं श्री आरिफ मोहम्मद खां से एक प्रश्न करता हूं। यदि यह विधेयक इस्लाम विरोधी है तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय न केवल गैर इस्लामी है बल्कि संसद और भारतीय जनता के लिए अपमान-जनक है।

मैं आपको कागजात नहीं दिखाता। मैंने इस फैसले का एक दर्जन बार अध्ययन किया है। पहला पैरा ही न केवल इस्लाम के विपरीत है, बल्कि संसद की गरिमा के भी विपरीत है। आखिर कार, सरकार क्या है ? वे मूलतः संसद सदस्य हैं।

यदि श्री आरिफ मोहम्मद खां सरकार हैं तो मैं उन्हें कहूंगा कि श्री चन्द्रचूड़ कहते हैं कि यह विधेयक किसी संवैधानिक महत्व के प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि इसका किसी महत्वपूर्ण प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है। वह इस फैसले में संवैधानिक औचित्य की बात लाए हैं। अन्यथा इससे कोई संवैधानिक मुद्दा नहीं उठता।

अब मैं आगे बताता हूं। मैं श्री आरिफ मोहम्मद खां से तथा उन सभी व्यक्तियों से, जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं, पूछता हूं कि श्री खान, श्री अशोक सेन द्वारा लाए गए इस विधेयक को इस्लाम विरोधी कहते है। मैं उनसे पूछता हूं कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई टिप्पणियों को वे क्या कहते हैं ? उच्चतम न्यायालय कुछ टिप्पणियों का श्रेय मनु जी को देता है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता क्यों कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने मनुजी के बारे में नहीं पढ़ा है। फैसले में उद्धृत किया गया है कि विधि निर्माता मनु ने कहा है कि :

"न स्त्री स्वतंत्रम् अर्हति"

वह इस्लाम को समझे बिना इस्लाम की बात करते हैं। वह कहते हैं कि महिलाएं स्वतंत्रता पाने के योग्य नहीं है। यह आरोप लगाया जाता है कि इस्लाम में घातक बात महिलाओं का कम दर्जा देना है। न्यायाधीश की यह टिप्पणी शर्मनाक है।

श्री अंसारी की, न्यायपालिका के बारे में उनकी टिप्पणियों के लिए, समाचार पत्रों में व्यापक आलोचना हुई है। श्री अंसारी ने जो कुछ कहा है मैं उसे दोहराना नहीं चाहता, परन्तु कुछ तत्व हैं.....

प्रो० मधु दंडवते : इसमें से अनेकों ने कहा है कि जिस मनुस्मृति में इस प्रकार की बातें कही गई हैं उसे सार्वजनिक तौर पर जला दिया जाना चाहिए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : परन्तु उन्होंने इस्लाम पर कुछ आरोप लगाया है। जो सही नहीं है। यदि श्री आरिफ मोहम्मद खां के अनुसार यह विधेयक इस्लामी विरोधी है, तो उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी के बारे में वह क्या कहेंगे ? सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक दिन आएगा जब संसद सदस्य अपनी प्रधानता पर बल देंगे। मुझे इस बारे में कोई भ्रम नहीं है। मैंने पहले ही आपको बताया है कि पंडित नेहरू ने इस मुद्दे पर सदन में चर्चा किए जाने की अनुमति नहीं दी थी, परन्तु न्यायाधीशों को इतनी स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। देखिए, न्यायाधीशों को राज्य सभा में श्री मिर्धा के भाषण के बारे में क्या कहना है। मैं उस भाषण को उद्धृत नहीं करूंगा परन्तु आपको यह दिखाने के लिए उसका एक भाग बताता हूं कि उन्होंने किसी प्रकार खिल्ली उड़ाई है और वे किस प्रकार हमारे सामने यह सिद्ध करने लगे कि चूंकि संविधान में अनुच्छेद 44 है जिसमें कहा गया है कि राज्य समान सिविल संहिता बनाने का प्रयास करेगा तथा न्यायाधीश निर्णय में संविधान का जिक्र अनावश्यक रूप से कर रहे हैं और सरकार की आलोचना करते हैं। यह संसद की गरिमा का अपमान है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : ऐसा कहां हुआ ?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : राज्य सभा में ऐसा हुआ है जब श्री मिर्धा डॉ० व्यास के भाषण का हवाला दे रहे थे और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि मुस्लिम स्वीय विधि में हस्तक्षेप करना सम्भव नहीं है।

कुछ माननीय सदस्य : वह आ गए हैं। आपके मित्र आ गए हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैंने पहले ही श्री आरिफ मोहम्मद खां को खुली चुनौती दी है। यदि वह यह कहते है कि यह इस्लाम विरोधी है तो उन्हें यह सिद्ध करना होगा।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (बहराइच) : महोदय, मैंने इस विधेयक पर न बोलने का निर्णय किया था परन्तु, चूंकि माननीय सदस्य ने कई बातों का हवाला दिया है इसलिए मेरे विचार से मुझे अपनी स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए। मैंने ऐसा कहा है और अभी भी मैं यही कहता हूं कि यह विधेयक अमानवीय और इस्लाम विरोधी है।

महोदय, यह विधेयक जब कानून बन जाएगा तो मुस्लिम महिलाओं को उस इस्लामी पूर्व के युग में धकेल देगा जब महिलाओं को पशु, चल सम्पत्ति और सम्पत्ति का एक भाग समझा जाता था। मुझे पता है कि मैंने कांग्रेसी होने के नाते पार्टी के ह्विप का पालन करने का निर्णय किया है परन्तु इस विधेयक के बारे में मैं अपने विचार नहीं बदलूंगा।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : यह तो बड़ी अच्छी बात है । सभापति महोदय, अब मैं अपने इस दावे में सफल हो गया हूं कि वह सदन के बाहर इसे एक इस्लाम विरोधी विधेयक बताते रहे हैं। इससे पहले कि मैं आगे कहूं मैं उनसे एक प्रश्न पूछता हूं। उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी के बारे में उनका क्या मत है ? उच्चतम न्यायालय कहता है कि महिला स्वतन्त्रता पाने के योग्य नहीं है। मैं श्री आरिफ मोहम्मद खां से यह एक मूल प्रश्न करता हूं कि इस्लाम महिलाओं को स्वतन्त्रता की अनुमति नहीं देता है और यह आरोप लगाया जाता है कि इस्लाम में घातक बात महिलाओं को कम दर्जा देना है। क्या आप इस मत को स्वीकार करते हैं ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : सभा में दो सदस्यों के बीच कोई वाद-विवाद नहीं होना चाहिए। **(व्यवधान)**

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : मैं बहुत स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं। समय कमी है अन्यथा मैं श्री आरिफ मोहम्मद खां को·····**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : शान्ति रखें । कृपया इस विधेयक तक ही अपने को सीमित रखें ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं उनके विचार जान गया हूं। **(व्यवधान)** चूंकि समय की कमी है किन्तु मैं अवश्य ही सीधे विधेयक पर आऊंगा। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के सम्बन्ध में मैंने कहा है कि मेरी अपनी राय है। श्री आरिफ मोहम्मद खां जैसे लोग कहते हैं·····**(व्यवधान)**

कुछ माननीय सदस्य : वह बार-बार उनका नाम ले रहे हैं।

सभापति महोदय : उनका नाम लेने की कोई सीमा होती है। आप पहले ही उनका नाम ले चुके हैं। कृपया विधेयक के बारे में अपनी राय दें। **(व्यवधान)**

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, उन्होंने 100 मिनट का भाषण दे दिया है और यह एक विवादास्पद भाषण है।

सभापति महोदय : उन्होंने विधेयक पर भाषण नहीं दिया है। अतः आप विधेयक पर अपने विचार प्रकट करें।

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे नाम न लें।

प्रो० मधु दंडवते : ऐसा लगता है जैसे कि श्री आरिफ मोहम्मद खां का नाम असंसदीय हो ताकि कोई भी सदस्य उनका नाम न लें। **(व्यवधान)**

प्रो० सैफुद्दीन सोज : बहुत से लोग कहते हैं कि मुस्लिम नेता 'इज्तिहाद' की व्याख्या स्वीकार नहीं करते । परन्तु वास्तव में यह उच्चतम न्यायालय·····

[हिन्दी]

इस्लाम ने इज्तिहाद का रास्ता बन्द नहीं किया है, न ही कोई आलिम कर सकता है, न कोई मेम्बर पार्लमेंट कर सकता है।

[अनुवाद]

उसकी व्याख्या करने और हमारी व्याख्या करने की गुन्जाइश है । परन्तु उच्चतम न्यायालय ने यह अवसर समाप्त कर दिया है । मैं दिखाना चाहूंगा कि मौलाना युसूफ अली ने क्या लिखा है । मैं 'पिकथल' का उद्धरण भी दूंगा जिसने इस उपबन्ध को कभी स्वीकार नहीं किया परन्तु केवल यथोचित भरण-पोषण खर्च को स्वीकृति प्रदान की है। मैं इसका आगे उल्लेख करना चाहता हूं । अत: यह निर्णय बिल्कुल पक्षपातपूर्ण हैं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। वह किसी निर्णय को जो कि सरकार द्वारा दिया गया है एक तरफा निर्णय नहीं कह सकते । इससे भावनाएँ उत्तेजित होंगी। **(व्यवधान)**

प्रो० सैफुद्दीन सोज : संसद सर्वोच्च है और हम उच्चतम न्यायालय के निर्णय का यहां उल्लेख कर सकते हैं। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : न्यायधीश के बारे में कोई अनादरपूर्ण टिप्पणी न करें ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं निर्णय का उल्लेख कर रहा हूं । मैं न्यायधीशों का उल्लेख नहीं कर रहा । उच्चतम न्यायालय ने शाहबानों के मामले में क्या कहा है ? छह वर्षों के बाद उसे 179.20 रुपए मिले हैं और मैं समझता हूं कि इस विधेयक से देश में एक प्रकार की क्रान्ति होगी क्योंकि जहां तक न्याय करने का सम्बन्ध है इसमें 7000 से भी अधिक न्यायाधीश अन्तर्ग्रस्त होंगे । प्रथम श्रेणी के इन न्यायधीशों पर प्रभाव पड़ेगा । हमें एक तथ्य का ध्यान रखना चाहिए कि इसमें कुछ खतरा है कि कुछ लोग इससे अनुचित लाभ उठा सकते हैं । परन्तु इस संसद ने यह निर्णय लिया है और इस सरकार का यह कर्त्तव्य है कि कोई भी व्यक्ति इस विधेयक के उपबन्धों से अनुचित लाभ न उठा सके । परन्तु यदि कानून का उचित रूप से कार्यान्वयन किया जाता है तो वक्फ बोर्डों संस्थानों के रूप में सुदृढ़ होंगे । वक्फ बोर्डों के पास धनराशि है परन्तु वक्फ बोर्डों में अत्यधिक भ्रष्टाचार है । अत: वक्फ बोर्डों को सुदृढ़ बनाना होगा । चूंकि मुस्लिम महिलाओं की उच्चतम न्यायालय की अपेक्षा न्यायधीशों तक अधिक पहुंच होगी, इसलिए उचित न्याय किया जाएगा । फिर हमें यह सोचना है कि कितने लोग उच्चतम न्यायालय तक जा सकते हैं । संविधान एक समान नागरिक संहिता चाहता है परन्तु ऐसा नहीं किया जा सकता । मुसलमानों, हिन्दुओं अथवा ईसाइयों पर सुधार थोपे नहीं जा सकते, जैसा कि श्री इन्द्रजीत गुप्त ने एक बार कहा था कि लोगों पर

[प्रो० सैफुद्दीन सोज]

बाहर से सुधार नहीं थोपे जा सकते। श्री यादव और अन्य सदस्यों ने कहा है कि मुसलमान समुदाय को सुधार के लिए आगे आना चाहिए। परन्तु इससे पहले मैं आपको एक अच्छी खबर देना चाहता हूं कि 90% कानून सामान्य रूप से सभी लोगों पर लागू होते हैं और मुसलमानों ने इन्हें स्वीकार किया है। अब आपने एक प्रश्न पूछा है कि क्या मुसलमान लोग सुधार करना चाहते हैं परन्तु आप एक बात भूल गए हैं कि सुधार सर्व सम्मति से किए जाने होते हैं, सुधार प्रश्नों पर शान्तिपूर्ण ढंग से विचार करने के बाद किए जाने हैं और हमने अपने राज्य में शेरे-ए-काश्मीर, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के नेतृत्व में सुधार किए हैं, आप यह भूल गए हैं। हमने जम्मू और काश्मीर राज्य में भू-सम्पति पर अभिजात-वर्ग के अधिकार को समाप्त किया है। मुल्ला इससे सन्तुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा : जब तक आप उचित मुआवजा नहीं देते तब तक कोई भी भूमि नहीं ली जा सकती है और आप तभी भूमि खरीद सकते हैं जब भूमि का मालिक उस भूमि को बेचना चाहता हो।" और क्या आप जानते हैं कि शेख अब्दुल्ला ने उस समय मुल्लाओं को क्या कहा था ? कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अभी भी यह समझते हैं कि भूमि पर अभिजात वर्ग के अधिकार को समाप्त करने का सुधार इस्लाम विरोधी है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने उन्हें कहा कि मुस्लिम उलेमा, जो यह चाहते हैं कि भूमि के मालिकों को मुआवजा दिया जाना चाहिए, जमींदार लोगों ने किसानों का शोषण किया है और इसलिए उन्हें बिल्कुल भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सुधार मुसलमानों, हिन्दुओं, ईसाईयों, जैनियों और अन्य धर्मों के लोगों के हित में है। उन्होंने उन मौलवियों को डाक्टर इकबाल की एक कविता सम्बोधित की, जो मुस्लिम संस्कृति के रूढ़िवादी पक्ष प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने उन कौलवियों को डा० इकबाल की उस कविता को पढ़ने के लिए कहा। यह कविता डा० इकबाल द्वारा भूमि पर अधिकार प्राप्त अभिजात वर्ग को सम्बोधित करके लिखी गई है और इसमें कहा गया है कि इस भूमि पर भगवान का अधिकार है। उन्होंने मौलवियों को यह कविता पढ़ने के लिए कहा और उसके बाद उन्हें कुरान को पढ़ना चाहिए और इसके पढ़ने से उन्हें कुरान का सही अर्थ मालूम होगा। कविता इस प्रकार है :

[हिन्दी]

इस नज्म का उन्वान है "अल अरदो लिल्लाह" :
रखता है बीज को मिट्टी की तारीकी में कौन,
कौन दरियाओं की मौजी से उठाता है सहाब,
कौन लाया खींच कर पच्छिम से बादे साजगार
खाक यह दिल्ली है ? किसका है यह नूरे आफताव
किसने भर दी मोतियों से खोशए गंदुम की जेब
मौसमों को किसने सिखलाई है खूए इन्कलाब
देह खुदाया, यह जमी तेरी नहीं तेरी नहीं,
तेरे आबा की नहीं, तेरी नहीं मेरी नहीं।

"اس نظم کا عنوان ہے" الارض للہ"

پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون ؟
کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب ؟
کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادِ سازگار ؟
خاک یہ کس کی ہے ؟ کس کا ہے یہ نورِ آفتاب ؟
کس نے بھردی موتیوں سے خوشۂ گندم کی جیب ؟
موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب ؟
وہ خدایا ! یہ زمیں تیری نہیں تیری نہیں
تیرے آبا کی نہیں تیری نہیں میری نہیں!

[अनुवाद]

इस कविता के अनुसार भूमि पर जमीदारों अथवा भूस्वामियों का अधिकार नहीं है। इसके पश्चात् हमने इसमें एक अभूतपूर्व सुधार किया और हमने जम्मू और कश्मीर में भूमि पर से जमीदारों का अधिकार समाप्त कर दिया। और आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि जम्मू और काश्मीर में मुसलमानों का बहुमत है। इस देश में भूमि में सुधारों में हमारा यह योगदान है।

अन्त में मैं केवल इतना कहूंगा कि मैं इस विधेयक को इस्लाम विरोधी विधेयक नहीं मानता हूँ और तह दिल से इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मरेश चन्द्र चतुर्वेदी (कानपुर) : सभापति महोदय, आज जो महत्वपूर्ण विषय हमारे सामने विचार के लिए उपस्थित है उसमें ऐतिहासिक मानता हूँ। मुझे जो बातें कहनी थी वह मेरे मित्र लोग कह चुके हैं। मैं यह मानता हूं कि इन लोगों की धारणा सही नहीं है जो कि आज अपोजीशन की ओर से बार-बार कही जा रही है। माननीय दण्डवते जी ने अपना विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने वोट के लिए इस तरह का बिल यहां पर लाना पसन्द किया है तो मुझे लगा कि प्रो० दंडवते जैसे विद्वान् आदमी भी कभी-कभी गलत बात कह जाते हैं। मैं जानना चाहूंगा अगर कांग्रेस इस बिल को यहां पर वोट प्राप्त करने के लिए लाई तो अकालियों से पंजाब में जो समझौता कांग्रेस ने किया था वह किस बात के लिए किया था।

मैं यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने असम में जो समझौता किया क्या वह अपने वोट के लिए किया था। यह जो अल्पमत की बात की जाती है, कांग्रेस जिस उदार दृष्टिकोण से, जिस उदार परम्परा से काम को करती है, उसको आप अनुदार कहते हैं तो ताज्जुब होता है। अभी

[प्रो० सैफुद्दीन सोज]

हमारे मित्रों ने कहा वामपन्थी···(व्यवधान)···प्रेस में जो दिया है, वही बोल रहा हूं···(व्यवधान)···वामपन्थी मित्रों को पता नहीं हैं, उन्होंने हिन्दुस्तान की जनता का मन कभी परखा नहीं, उन्होंने यह कभी नहीं समझा कि हिन्दुस्तान की जनता क्या चाहती है। अगर हिन्दुस्तान की जनता को उनके मन को कभी परखा होता तो आज उनकी यह स्थिति नहीं होती, जैसे कि यहां पर बैठे हुए हैं···(व्यवधान)···ह्विप का सवाल नहीं है···(व्यवधान)···मैं कहना चाहता हूं कि ह्विप तो सामान्य चीज है। यह पहली बार ह्विप नहीं आया है। लेकिन आप अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए यह बात बार-बार कह रहे हैं, क्योंकि आप दस आदमी हैं, पांच आदमी हैं, छः आदमी हैं—इतनी थोड़ी संख्या में होने के बावजूद भी आप एक मत नहीं हो पाते हैं, लेकिन हमारी 450 की संख्या एक मत है। हम अपने प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में चुनौती देकर कहते हैं कि कांग्रेस के लोग इस बिल के समर्थन में वोट करेंगे। यह बात मैं कहता हूं और अगर तबियत हो तो आप यह भी करके देख लीजिए। यदि ह्विप नहीं होता है, तो भी आप किसी मुद्दे को पछाड़ नहीं पाए हैं। मैंने जिन बातों के बारे में कहा है, वह 125 के बारे में है, जिसका मेरे मित्रों ने जिक्र किया है और श्री सेन जी ने भी संशोधन रखा है। कोई भी चीज पूर्ण नहीं होती है। कांग्रेस ने हमेशा काम किया है और उदारता के साथ काम किया है। आज पहली बार मुस्लिम महिलाओं के लिए इस तरह की चीजें रखी गई है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या इस के पहले कभी मुसलमान पुरुष के लिए एक साल की सजा का कहीं प्रावधान था। अगर एक साल की सजा का कहीं प्रावधान था। अगर एक साल की सजा का प्रावधान किया गया है, तो मुस्लिम महिलाओं को प्रोटेक्शन दिया गया है। उनको खतरे से निकाला गया है। मैं आपसे पूछता हूं, उसकी डाउरी, उसके मेहर उसके प्रेजेन्टस अगर इस सारी सम्पत्ति को देने का अधिकार इस बिल के द्वारा मिल रहा है, तो इससे पहले कहां इतना स्पष्ट था। आज आप बार-बार कहते हैं कि कांग्रेस पीछे जा रही है, इस बिल को लेकर। मैं आपसे पूछता हूं, जब हिन्दी राष्ट्र-भाषा हुई, राजभाषा हुई, तो सन् 1963 में थोड़े से लोगों ने कहा कि हम पर अभी हिन्दी न लादी जाए। तो हमने बहुमत के बल पर कहा कि जब तक तुम नहीं चाहोगे, तब तक हम नहीं लादेंगे। उस वक्त भी हमारा ही बहुमत था और आज भी हमारा ही बहुमत है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप बहुमत और अल्पमत की चर्चा मत करिए, क्योंकि आप बहुमत में कभी नहीं आ पायेंगे। आप अपने चुनाव के बिल में चुनाव के मसौदे में आप चुनाव के मैनिफैस्टों में बार-बार कहते हैं कि हमको मुस्लिम पर्सनल लॉ को टच नहीं करेंगे। जनता पार्टी ने भी किया है और पार्टियों ने भी किया है और जब आज पर्सनल लॉ के अन्तर्गत कोई लॉ आया है, कोई नियम आया है, विधेयक आया है, तो आप उसका विरोध करते हैं। कांग्रेस के नेतृत्व को आप बताते हैं कि उसने मुल्लाराज के सामने घटने टेक दिए हैं। मैंने जो आपको तीन-चार उदाहरण दिए हैं, क्या ये घुटने टेकने के हैं—नहीं। कांग्रेस के सामने समस्या यह है कि 72 करोड़ के इस देश को कैसे एक जुट रखकर हम चला सकते हैं। आपको यह छूट इसलिए है कि आपका बहुमत कभी आना नहीं है, कभी पायेंगे नहीं और जिनको कभी जिम्मेदारी संभालनी नहीं होती है, उनकी कोई बातचीत···(व्यवधान)···

प्रो० मधुदंडवते : आज भी छः प्रान्तों में बहुमत है!

श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी : उनकी कभी कोई बातचीत इतने जिम्मेदारी की नहीं होती है। उदाहरण के लिए मैं एक बात आपसे और कहता हूं। आप जब चाय की कैन्टीन में बैठते हैं, तो आप अलबल जो भी बात करना चाहें कर सकते हैं। देश के बार्डर पर जो सेनायें होती हैं, वे देश की रक्षा के लिए होती है। उनके सामने विकल्प नहीं संकल्प होता है। देश की रक्षा का प्रश्न होता है। ऐसे ही आज जो देश को चलाने वाली सरकार है, देश को रिप्रजेन्ट करने वाली जो संस्था है, आप उसके काम को अपने छोटे पैमाने से उस विशाल रूप को मत नापिए।

कांग्रेस का विशाल स्वरूप आप के छोटे से पैमाने से नपने वाला नहीं है। मैं बहुत देर बोलना नहीं चाहता। केवल एक बात कहना चाहता हूं कि सेक्शन 125 में जो बात कही गई है कि दोनों आदमी राजी हो कर जाएं। अगर सेक्शन 125 के संशोधन के संशोधन में जाएंगे, तो वह तो संभव नहीं है वह जल्दी संभव वहीं है। मैं अपने विधि मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वे इस चीज को देखें क्योंकि कांग्रेस की यह परम्परा रही है कि उसने प्रगति के आन्दोलन को बल दिया है लेकिन उसने वर्तमान को अपने हाथ में संभाल कर रखा है। हम ने साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ी लेकिन जब हम स्वतन्त्र हुए, तो राष्ट्र संघ की सदस्यता हम ने स्वीकार की। आप नीति की बात कहते हैं और आप ने निर्देशक सिद्धान्तों के प्रश्न को उठाया लेकिन सिद्धान्त अकेले कोई चीज नहीं होते हैं अगर उनके अच्छे व्यवहार की कोई शक्ति न हो। कांग्रेस वह राजनीतिक संस्था है इस देश में, जिस ने सिद्धान्त और व्यवहार को एक साथ अपनाया है। आप ने सिद्धान्त की शव साधना की और हम ने व्यवहार की शिव साधना की है। शव और शिव के अन्तर को आप समझ लीजिए। मैं आज उन बातों को नहीं कहना चाहता, जिनको लेकर हिन्दू एक्ट और मुस्लिम एक्ट में बीसियों बातें कहीं जाती हैं। कभी कभी लोग अनजाने में और अज्ञानता में इस्लाम के बारे में और शरीअत के बारे में बहुत-सी गलत बातें कह जाते हैं और हिन्दुओं के बारे में भी कई बातें कही जाती हैं। मैंने सुना है कि किसी ने कन्यादान के बारे में कहा। यह चैरिटी नहीं है। हिन्दुओं में दान नहीं होता। लड़की को दे दिया जाता है और देने से दान शब्द बना। तो यह चैरिटी नहीं है। विवाह में पाणिग्रहण संस्कार होता है। लड़की को ग्रहण किया जाता है और लड़की इस प्रकार से दी जाती है। तो उस दान को उस रूप में समझ लीजिए।

एक माननीय सदस्य : 125 पर बोलिए।

श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी : 125 के बारे में बोल तो चुका हूं, अब बार-बार क्या बोलूं। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि मुस्लिम महिला को इस बिल के माध्यम से, जिस के माता-पिता उसके लिए सक्षम न हो, जिसको हिस्सा पहुंचता है, वह उसके जिम्मेदार हैं। अगर वहां भी ठिकाना न लगे, तो पहली बार वक्फ बोर्ड पर यह जिम्मेदारी डाली जा रही है और इससे मुस्लिम महिलाओं का भविष्य निश्चित और सुरक्षित होना चाहिए। ऐसा इस बिल में प्रावधान किया गया है। जिन लोगों को आज के दिन हमारे साथ मिलकर वोट करना चाहिए था और राष्ट्र के हर मुद्दे पर उन्होंने साथ दिया है, आज क्या बात हो गई जो हम इस विधेयक में मुस्लिम औरतों को संरक्षण देना चाहते हैं, वे आज डिवीजन की बात करते हैं। चन्द साथियों ने तो बड़ी

[श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी]

कटुता की भाषा बोली है। मुझे एक शेर याद आ रहा है और यह कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि कटुता कम से कम न रखें। अगर हो सके, तो साथ दें, सहयोग दें, कुछ लोगों ने जो बात की है, उसने दिल फाड़ दिया है। किसी शायर ने कहा है, जगन्नाथ आजाद ने कहा है :

जुदाई के तेरे गम का नहीं है
मगर दिल का वह आलम नहीं है,
जवां तेगे रवां बनने न पाये
जवां के जख्म का मरहम नहीं है।

इन शब्दों के साथ में आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : आज इस माननीय सदन में जब मैं इस बिल पर सभी पक्षों की बात सुन रहा हूं, उस समय मुझे बड़ा कष्ठ हुआ है। मैं यह बात बहुत दुःख के साथ कहना चाहता हूं। इस तरह की बातें हमारे कुछ विरोधी दलों के नेताओं ने कही हैं।

[9·00 म० प०]

उनसे मुझे ही नहीं, मैं समझता हूं इस माननीय सदन में जितने मुसलमान सदस्य है, या इस सदन के बाहर जो मुसलमान हैं, उनको भी इन बातों को सुनकर काफी तकलीफ होगी। तकलीफ इसलिए होगी कि हमारे उस तरफ के साथियों ने एक ऐसी तस्वीर पेश की है कि मुसलमान तलाकशुदा औरतों के साथ इंसाफ नहीं करते। मुसलमान मां-बाप तलाकशुदा औरतों की देखभाल नहीं करते। मुसलमान तलाकशुदा औरतें सड़कों पर या गलत जगहों पर जा सकती है, या जा रही है। इस तरह की बातें करके मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं किया गया यह बात अपोजिशन को समझ लेनी चाहिए। हमारे फलेरो साहब ने कहा कि मुस्लिम तलाकशुदा औरतों के लिए मुसलमानों के पास हमदर्दी नहीं है, सिर्फ उन लोगों के पास ही हमदर्दी हैं। यह जो सोचने का तरीका है यह मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं है।

सभापति जी, मुसलमान इस देश में लगभग एक हजार साल से रहते आ रहे हैं। हिन्दू भी साथ रहते आ रहे हैं और मुसलमान भी साथ रहते आ रहे हैं। हम दोनों ने एक-दूसरे के रीति-रिवाजों की, एक-दूसरे के रहन-सहन की, एक-दूसरे के तरीकों को बर्दाश्त किया हैं। एक-दूसरे के यहां किस तरह से शादी ब्याह होते हैं, किस तरह से जायदादों का बंटवारा होता है, किस तरह से हम औरतों को तलाक देते हैं, किस तरह से हम औरतों को रखते हैं, यह सब हम एक हजार साल से देखते आ रहे हैं। हम यह भी देखते हैं कि किस तरह से हिन्दू विवाह करते हैं, किस तरह से उनके यहां सम्पत्ति का बंटबारा होता है। हमने कभी भी दूसरे के मामले में दखल देने की कोशिश नहीं की और न कभी हमने दूसरे के मामले में दखल दिया।

हम जानते हैं कि हिन्दू धर्म एक महान धर्म है। चूंकि मैं दर्शन का विद्यार्थी रहा हूं इसलिए मुझे हिन्दू दर्शन पढ़ने का मौका मिला है। मैं हिन्दू दर्शन की बहुत सी बातों से मुतास्सिर हुआ हूं। यह एक महान् धर्म है। धर्म क्या है, जीने का एक तरीका है। हिन्दू धर्म की यह नाम ही

मुसलमानों का दिया हुआ है। पहले हिन्दू धर्म नाम की कोई चीज नहीं मिलती। हम यह भी जानते हैं कि उस धर्म में औरतों के साथ कैसा सुलूक किया जाता था, उस धर्म में अपने ही लोगों को अपने से नीचा समझा जाता था। कैसे बहुत से लोगों को पूजा करने के लिए मन्दिरों में नहीं जाने दिया जाता था। ठीक है, अब कुछ जाने दिया जाता है। लेकिन हमने इसमें कोई दखल नहीं दिया। मुसलमान बादशाहों ने भी इसमें कोई दखल नहीं दिया।

इसके साथ ही हम यह भी जानते हैं कि बहुत सी बातों में इस देश में एक अन्धकार छाया हुआ था और उस वक्त इस्लाम धर्म एक रोशनी लेकर आया था। उस रोशनी को इस देश ने जानबूझ कर, खुशी के साथ ग्रहण किया। शायद यह वर्षा का परिवर्तन था जो क्रांतिकारी संत राजाराम मोहन राय, स्वामी दयानन्द, स्वामी विवेका नन्द और बहुत से दूसरे समाज सुधारक इस देश में पैदा हुए। उन्होंने हिन्दू से मुसलमान से और दूसरी चीजों से लेकर भारत वर्ष में एक नयी चेतना, एक नयी भावना भरी और हिन्दू धर्म ने बहुत से सुधारों को कबूल किया। बहुत से सुधारों को माना। लेकिन हिन्दू धर्म में यह सुधार तभी लाए गये चाहे वह हिन्दू कोड बिल हो, चाहे और दूसरी चीजें हों जब हिन्दू जनता और हिन्दू जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग इनको अपनाने को तयार हुआ। जब उसने यह समझा कि हरजनों को अधिकार देना चाहिए, उन्हें मन्दिरों में जाने देना चाहिए, औरतों को तलाक देना चाहिए, तभी ये सुधार लाये गये।

इस पार्लियामेंट के जरिए लाए गए, लेकिन जहां तक मुसलमानों का सवाल है, मुसलमानों में हो सकता है हमारे मोहतरम दोस्त, हमारे लोग ये समझते हैं कि सुधार की आवश्यकता है, बहुत से मुसलमान दोस्त भी समझते हैं कि सुधार की आवश्यकता है, लेकिन सवाल आज यह है कि क्या यह सुधार आप लाएंगे, दण्डवते साहब या उन्नीकृष्णन साहब या सोभनाथ चटर्जी साहब, आप ये सुधार लाएंगे या ये सुधार हम लाएंगे, कौन लाएगा ? मुसलमान ये सुधार खुद लाएंगे या आप इस सुधार को उसके ऊपर थोपेगे, सवाल यह है। सवाल यह है कामन सिविल कोड का; कामन सिविल कोड आप जबरदस्ती लादना चाहते हैं इस देश में या मुसलमान खुद चाहे तब कामन सिविल कोड आएगा या क्रिश्चियन खुद चाहे या दूसरे चाहें तब कामन सिविल कोड आएगा। जब आप यह नहीं चाहते तो क्यों इस बिल का विरोध कर रहे हैं, इल बिल का विरोध करने की वजह क्या है। यह बिल बहुत सिंपल है। मुसलमान चाहते हैं कि तलाकशुदा औरतों को वही रियाशतें दी जाएं जो शरियत देती है, मुसलमान चाहते हैं कि उनको वही रियायतें मिले, उतनी ही सुविधा मिले जो शरियत उनको देती है, यही बिल में है और क्या है। 125 जो आपका सी० आर० पी० सी० का एक्ट है, वह भी चाहता है कि डायवोर्सी विमन को सहायता मिले, पैसा मिले और यह बिल भी यही चाहता है। फर्क इतना है कि कैसे मिले, कब मिले, कितना मिले, कितने दिन तक मिले तो ये मुस्लिम शरियत के मुताबिक मिले, यही है, इस बात का आप विरोध क्यों कर रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : बिल की जरूरत क्या है ?

श्री जैनुल बशर । इसलिए जरूरत है कि मुसलमान इसको चाहता है, इसलिए कि आप यह कहते हैं कि मुसलमान नहीं चाहता, जैसा बहुत से लोग कहते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : रेफरेंडम करवा लो।

श्री जैनुल बशर : यह खुली हकीकत हैं, सोमनाथ चटर्जी साहब आप इतने अक्लमंद हैं, आप जानते हैं कि मुसलमान क्या चाहता है, मैं आपको इतना अक्लमंद तो जरूर मानता हूं, गुप्ता जी को भी कि वे यहां जो चाहे कह लें, लेकिन अपने दिल के अंदर अच्छी तरह से जानते हैं कि मुसलमान क्या चाहता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं पूछता हूं कि बिल के वगैर क्या असुविधा हो रही थी।

श्री जैनुल बशर : बिल के वगैर असुविधा यह है कि मुसलमान यह समझ रहा है कि उसके पर्सनल अधिकारों में दखल दिया जा रहा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : गलत समझाया जा रहा है।

श्री जैनुल बशर : समझाया तो आप लोगों ने है। अगर आपने इतना शोर न मचाया होता, अगर अखबारवालों ने उनको फंडामेंटलिस्ट कहना शुरू न किया होता, अगर इस बिल के लिए लोगों को देशद्रोही कहना शुरू न किया होता तो शायद मुसलमान इतना सेंसेटिव न हुआ होता, जितना आज है। यह सब आप लोगों ने कराया है।

एक माननीय सदस्य : बनातवाला साहब आपका एलाई है इसमें।

श्री जैनुल बशर : बनातवाला साहब जो कुछ भी हैं, मुसलमान हैं और बनातवाला साहब ने मुसलमानों की भावना को सामने रखा है, ऐसे मामले में बनातवाला साहब या हमारे में कोई फर्क नहीं है।

सभापति जी इस मामले में मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि आज मुझे देखकर हैरत हुई कि विरोधी दल के लोग जिनमें बहुत लोगों की मैं बड़ी इज्जत करता हूं, बहुत अच्छे लोग हैं। (**व्यवधान**)...

सब की बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत से लोगों की मैं बहुत इज्जत करता हूं।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी (हावड़ा) : इज्जत का इद्दत पीरियड खत्म हुआ।

श्री जैनुल बशर : सभापति महोदय, आज मुझे यह डर लगा कि अगर ये लोग सत्ता में आएंगे तो यह देश कैसे चलेगा। यह देश कैसे चलेगा. देश की एकता कैसे कायम रह सकेगी। सभापति जी आज मैं हमेशा से ज्यादा, पहले भी था लेकिन आज मैं हमेशा से ज्यादा इस बात के लिए कन्वीस हूं कि इस देश की एकता और अखडण्डता कांग्रेस के रहने से ही कायम हो सकती है। कांग्रेस के बगैर इस देश में एकता कायम नहीं रह सकती। कांग्रेस और राजीव गांधी की सरकार यह जो बिल लाई है, यह कोई नयी बात नहीं है। मैं विरोधी पक्ष के प्वाइन्ट आफव्यू से नहीं बोल रहा हूं, मैं तो कांग्रेस के दृष्टिकोण से बोल रहा हूं। आप कांग्रेस का हर चुनाव का घोषणा पत्र देख लीजिए। उसमें लिखा है कि कांग्रेस की जो सरकार बनेगी वह मुसलमानों के व्यक्तिगत कानून में दखल नहीं देगी···(**व्यवधान**) कांग्रेस के जितने भी सैशन हुए हैं, उनमें उन्नीकृष्णन साहब ने, माधव रेड्डी जी ने और दिनेश गोस्वामी जी ने भी वोट दिया होगा। कांग्रेस के हर सैशन में कम्युनल सिचुएशन पर एक प्रस्ताव आता है। हर प्रस्ताव में यह लिखा होता है कि

कांग्रेस की सरकार मुसलमानों के व्यक्तिगत कानून में दखल नहीं देगी। उन्नीकृष्णन साहब ने उसमें वोट दिया होगा, लेकिन आज उनकी बात सुनकर बहुत दुःख हुआ। आपने कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र पर खुद चुनाव लड़ा होगा जिसमें यह लिखा है कि मुसलमानों के व्यक्तिगत कानून में दखल नहीं दिया जायेगा लेकिन आज वह बात भूल रहे हैं। कांग्रेस हमेशा इस बात को मेनटेन करती रही है और उसी आधार पर आज यह बिल हमारे सामने लाया गया है।

श्री वी० तुलसीराम : पुराना हो गया, छोड़ दीजिए।...**(व्यवधान)**

श्री जैनुल बशर : सन् 52 से लेकर आज तक का घोषणा पत्र देख लीजिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : राम जन्म भूमि।

श्री जैनुल बशर : यह मामला भी कांग्रेस सुलझा लेगी, आप चिंता मत कीजिए। यह बिल कांग्रेस की नीतियों के अनुकूल है। आज सारे देश का मुसलमान राजीव गांधी का, अशोक सेन साहब और कांग्रेस की सरकार तथा कांग्रेस के सांसदों का आभारी है कि जो खोफ विरोधी दल के लोगों ने और बहुत से समाचार पत्रों ने उनके दिलो-दिमाग में भर दिया था कि उनके व्यक्तिगत कानून में हस्तक्षेप किया जा रहा है, उनके धर्म में हस्तक्षेप किया जा रहा है, वह डर आज इस बिल के पास होने के बाद समाप्त हो जायेगा और कांग्रेस उन आदर्शों तथा परम्पराओं पर चलती रहेगी, जिस पर वह हमेशा से चलती आई है तभी इस देश की एकता और अखण्डता कायम रह सकती है। धर्म एक बड़ा सेन्सीटिव मामला है।...**(व्यवधान)** अगर हम मार्कसीज्म को छेड़ें तो ये लोग भी उत्तेजित हो जायेंगे। इसलिए, मुझे आशा है कि इस बिल से जो लॉ बन जायेगा, इससे मुसलमानों में फैली हुई भ्रांति दूर हो जायेगी और राष्ट्रीय एकता तथा एकता को अखण्डता को मदद मिलेगी।

प्रो० निर्मलाकुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : सभापति जी, मैं मुलिम स्त्री विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण विधेयक, 1986 का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। यह अल्पसंख्यक वग की भावनाओं को संरक्षण देने वाला है और इस बिल के माध्यम से हमें सुरक्षा की भावना की गारन्टी मिली है। मैं इसमें यह भी कह देना चाहती हूं कि बिल की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई कि शाहबानों के मुकद्दमे के बाद मुस्लिम वर्ग यह महसूस करने लगा था कि उनके पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप शुरू हो गया है। हिन्दुस्तान विभिन्न संस्कृति और विभिन्न भाषाओं वाला देश है। इस समाज में विभिन्न फूलों की फुलवाड़ी है जिसमें हर फूल को हर रंग में नियम से खिलने और विकसित होने का अधिकार है। इस प्रकार से जब कभी भी किसी समाज की व्यवस्था के लिए और खास तौर से जो पारिवारिक व्यवस्था है, उसके लिए अलग-अलग नियम और धारायें होती हैं उसी प्रकार उस नजरिये से इस बिल को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आज आप यह दृष्टिकोण लेकर चलें कि यह समाज की कोई संस्कृति के अनुसार विश्व एक धार्मिक और पवित्र संस्कार है, जबकि मुस्लिम लॉ के अनुसार यह एक समझौता है जिस समझौते को कभी भी तोड़ा जा सकता

[प्रो० निर्मलाकुमारी शक्तावत]

है, इसलिए इस दृष्टिकोण से इसको देखना होगा, इसको समझना होगा इसी आधार पर जब हिन्दू विवाह के अन्तर्गत जो धार्मिक संस्कार है तलाक की कोई व्यवस्था नहीं थी, जब कानून बना उसमें 125, 127, 128 के आधार पर उनके अधिकारों की परिभाषा की गई। यह भी सही है कि मोहम्मद पैगम्बर साहब हुए, उससे पहले मुस्लिम समाज में मुताक अर्थात टेम्परेरी मेरिज प्रचलित थी जो कि अस्थाई थी। मोहम्मद साहब ने उसको स्थाई करने का प्रयत्न किया और उसके परिणाम स्वरूप मुस्लिम लॉ सामने आया। कोई भी सामाजिक बुराई है वह कानून से दूर नहीं हो सकती, सामाजिक बुराई दूर करने के लिए विशेष प्रकार के वातावरण, विशेष प्रकार के दृष्टिकोण बनाने की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार का दृष्टिकोण सती प्रथा बन्द करने के समय में और बाल विवाह बन्द करने के समय में बनाया गया। इस बिल में कुछ खास बातें हैं जिसकी वजह से हम इसका समर्थन कर रहे हैं। पहली बात यह है कि यह मुस्लिम स्त्रियों को एक प्रकार का संरक्षण देता है क्योंकि जब तलाक होता था उस समय उसकी जो मेहर होती थी, वह उसको मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसका कितना प्रतिशत हिस्सा मिलेगा यह एक प्रश्नचिन्ह सामने होता था, परन्तु इस कानून के तहत उनको इस प्रकार का अधिकार दे दिया कि एक स्थान पर उनको तीन बातों के बारे में जल्दी से जल्दी उनको इसका समर्थन मिल सकता है जैसे मेहर की राशि कितनी होगी और वह मेहर जो कि सुरक्षा के अधिकार के रूप में उसको मिली है, उससे उनको संरक्षण मिलेगा। मान्यवर मैं यह निवेदन करना चाहती हूं यदि हम शाहबानों के केस से इसकी तुलना करें तो शाहबानो को अपने 189 रुपये 20 पैसे प्राप्त करने में करीब 6-7 साल तक भटकना पड़ा था, परन्तु इस बिल के माध्यम से उनको जल्दी न्याय मिल सकेगा और मेहर जो है वह उन्हें प्राप्त हो सकेगी···

परन्तु आज एक और बात की आवश्यकता है, जिसके ऊपर हमें विशेष तौर से ध्यान देना होगा। हमारे सामने एक प्रैक्टिकल डिफीकल्टी यह आती है कि परम्परागत कुछ मुस्लिम परिवारों में मेहर की राशि एक रुपया तय है, और कई समाज ऐसे भी हैं जहा यह राशि 11 रु० निर्धारित है। ऐसी स्थिति में, इस बिल के माध्यम से एक सोशल चेंज समाज में आयेगी, उसमें सामाजिक परिवर्तन आयेगा ताकि आने वाले समय में विवाह की शर्त के रूप में मेहर की एक निश्चित मात्रा निर्धारित की जा सके।

इस बिल के आलोचक इस विषय में कई तर्क पेश करते हैं, उदाहरण देते हैं परन्तु वे शायद यह भूल जाते हैं कि कई ऐसे देश हैं, जैसे बंगला देश, ईरान, इराक, जोर्डन, मोरक्को, मलेशिया, सऊदी अरब, कुवैत, आदि जहां इद्दत के पीरियड के बाद स्त्रियों को भरण-पोषण के लिए कुछ नहीं दिया जाता। इस बिल में सुझाव के तौर पर मैं यह संशोधन प्रस्तुत करना चाहती हूं कि यदि कोई महिला गर्भवती है, तो इस बिल में किए गए प्रावधान के अनुसार उसका बच्चा दो वर्ष तक मेन्टेनेंस प्राप्त करने का अधिकारी है। मेरा मंत्री जी को सुझाव है कि इस दो वर्ष की अवधि को बढ़ा कर 5 वर्ष कर दिया जाए ताकि उस बच्चे का भरण-पोषण आसानी से हो सके और वह स्त्री इस परेशानी से मुक्ति पा सके।

मान्यवर, आज के प्रावधानों के अनुसार किसी मुस्लिम जोड़े के लिए किसी प्रकार के बन्धन नहीं रखे गये हैं, यदि वे चाहें तो रजिस्टर्ड मैरिज भी कर सकते हैं और उस रजिस्टर्ड मैरिज के माध्यम से भी उन्हें वही अधिकार प्राप्त हो सकते हैं जो कि धारा 125, 127 या 128 के अन्तर्गत मिलते हैं। यहां मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि यदि कोई परम्परागत तरीके से मुस्लिम विवाह किया जाता है तो फिर मुस्लिम परिस्थितियों में हमें इस कानून का पालन करना पड़ेगा। जैसा सेन साहब ने भी बताया, भूतपूर्व पति का पैसा लेना हराम समझा जाता है, ऐसी स्थिति में कोई भी स्त्री इस प्रकार का पैसा लेने को तैयार नहीं होगी, उसके पेरेन्ट या उसके परिवार के सदस्य उसकी सहायता करेंगे। यदि उनमें से भी कोई उसकी सहायता करने की स्थिति में नहीं है तो वक्फ बोर्ड उसकी मेन्टेनेंस की व्यवस्था करेगा, ऐसा इस बिल में प्रावधान किया गया है। लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि ऐसा कौन सा वक्फ बोर्ड है जिसकी माली हालत इतनी अच्छी है जो इस तरह से स्त्रियों का भरण-पोषण आसानी से कर सके। इसलिए मेरा सुझाव है कि हमें तमाम वक्फ बोर्डों के कार्य कलाप में, उसकी व्यवस्था में, आमूलचूल परिवर्तन करना होगा ताकि वहां ऐसी महिलाओं या स्त्रियों को संरक्षण प्राप्त हो सके, उनको प्रोटैक्शन मिल सके।

मान्यवर, यदि हम इस बिल का गहराई से अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि इससे हम स्त्रियों को पूरी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं तथा इससे धर्म-निरपेक्षता एवं अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की भावना भी पैदा होती है। इस तरह के वातावरण में हम देश में एक कौमन सिविल लॉ भी ला सकते हैं, सिर्फ उसके लिए वातावरण तैयार करने की आवश्यकता है। यदि इस प्रकार का वातावरण हम बनाने में सफल हो गए तो वह स्वयं इस देश के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए यही निवेदन करना चाहती हूं कि देश की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, देश की एकता, अखण्डता तथा धर्म-निरपेक्षता को दृष्टि में रख कर यह बिल उचित समय पर और उचित तरीके से लाया गया है। इसका मैं स्वागत करती हूं।

[अनुवाद]

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुर द्वार) : महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं (व्यवधान)।

अगर मुझे ठीक से याद है, जब इस विषय पर संसद में गैर सरकारी सदस्य का विधेयक लाया गया था तो सत्ताधारी दल के सभी सदस्यों ने इसका विरोध किया था और उस पार्टी में केवल एक व्यक्ति ऐसे हैं जो अब भी अपने शब्दों पर कायम हैं, जबकि अन्य लोगों ने इस बारे में अपना रवैया बदल लिया है।·····**···

(व्यवधान)

सभापति महोदय : सदस्यों के लिए जो कुछ कहा गया है वह अपमानजनक है। इसे वाद विवाद से निकाल दिया जाए।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त निकाल दिया गया।

श्री डी० वी० पाटिल : महोदय वह इसे अपमान जनक नहीं मान रहे । अन्यथा उन्होंने इस का विरोध किया होता । वह इसका विरोध नहीं कर रहे । (व्यवधान)

सभापति महोदय : सदस्यों के लिए कहा गया कोई भी अपमानजनक शब्द वाद-विवाद से निकाल दिया जाएगा ।

श्री पीयूष तिरकी : महोदय, समुदाय में "महिलाएं" भी शामिल होती हैं । उनका कहना यह है कि यह मुस्लिम समुदाय की स्वीय विधि है । लेकिन यह तो मुस्लिम समुदाय की ऐसी स्वीय विधि है जिसमें महिलाएं शामिल नहीं है और शायद ऐसा कहना सही भी है, क्योंकि कानून में केवल पुरुषों के फायदे की ही बात कही गयी है । इसमें मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार नहीं दिए गए ।

हमारे देश की संस्कृति ऐसी है कि महिलाओं को देवी माना जाता है । यहां हिन्दू महिला, मुस्लिम महिला और ईसाई महिला जैसा कोई फर्क नहीं है । इस भूमि पर सभी महिलाओं को समान आदर दिया जाता है । लेकिन इस विधेयक में मुस्लिम महिलाओं को विशेष रूप से उनके अधिकारों से वंचित किया गया है और उन्हें सामग्री माना गया है । उन्हें किसी भी समय पति अथवा पुरुष की इच्छा पर निकाल बाहर किया जा सकता है । इस प्रकार, यह विधेयक मानवता भारत की संस्कृति और हमारे संविधान के भी खिलाफ है ।

इस विधेयक के विरोध में बहुत कुछ कहा गया है और माननीय सदस्या श्रीमती गीता मुखर्जी ने जो कुछ कहा है मैं उसका पूरा समर्थन करता हूं और इस विधेयक का विरोध करता हूं, क्योंकि यह भारत विरोधी, महिला विरोधी और मानवता विरोधी भी है ।

[हिन्दी]

श्री तारिक अनवर (कटिहार) : सभापति जी, अभी पिछले छः घण्टों से आज के इस महत्त्वपूर्ण बिल पर बहस चल रही है और बिल के हर मुद्दे पर प्रकाश डाला जा चुका है और इस सारी बहस से कम से कम एक नतीजा तो जरूर निकलता है कि चाहे वह विरोधी पक्ष के साथी हों या इस पक्ष के साथी हों दोनों ने इस बात को कुबूल किया है कि हिन्दुस्तान के जो मुसलमान भाई हैं, उनमें से वे अधिकांश इस बिल के समर्थन में हैं । हमारे विरोधी पक्ष के लोगों ने कहा कि हम कांग्रेस के लोग मुसलमानों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, जो मुसलमान भाई हमारे किसी कारण से हम से दूर हो गए थे, ये बिल लाए हैं । अगर हम उनकी इस बात को मान भी लें, तो उनका यह आर्गूमेंट और उनकी यह बात इस बात को सिद्ध करती है कि हिन्दुस्तान के अधिकांश मुसलमान इस बिल के समर्थन में हैं, तभी इस बिल को हम लाये हैं । अगर हमें दस प्रतिशत मुसलमानों का समर्थन मिलता, तो हम यह बिल नहीं लाते । इसलिए जाहिर है कि 90 प्रतिशत मुसलमान भाई इस बिल के समर्थन में हैं । आज कहा जा रहा है कि इस बिल से जो फिरकापरस्त लोग हैं, जिनको हम जो भी नाम दें, उनको इससे शक्ति मिलती है, उनको इससे

ताकत मिलती है, तो हम यह कहना चाहेंगे कि आज जरूरत इस बात की है कि जिस तरह से हमारे लोगों ने संविधान बनाया, हमारे जिन लोगों ने आइन बनाया, उन्होंने सारी ऊंच नीच को देखने के बाद कोई फैसला लिया था। जब जॉमन कोड, सिविल कोड की बात होती है, तो उस वक्त यह सोचने की जरूरत है कि जिस तबके के लिए, जिस धर्म को मानने वालों के लिए यह बन रहा है, वे चाहते क्या हैं ?

अगर वह सही माने में यह चाहते हैं कि उसमें कोई परिवर्तन हो, उसमें कोई बदलाव आए तो वह उनके जरिए ही आना चाहिए, यह बात यहां कही जा चुकी है। इसकी चर्चा हो चुकी है। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि हमारा मुल्क जब हम कहते हैं कि एक सेक्युलर मुल्क है, हमारे मुल्क की बुनियाद सेक्युलरिज्म पर आधारित है तो सेक्युलरिज्म का मतलब यही है कि हर धर्म को मानने वाले, हर मजहब के मानने वाले, हर भाषा, तहजीव और तमुद्दन को मानने वाले लोगों को बराबर का अवसर मिले। आज जो बिल आया है वह इस बात का सबूत है कि हिन्दुस्तान के मुसलमानों जजबात इस बिल के साथ हैं। जैसा कि मैंने कहा, आज जो हमारे अपोजीशन के लोग कहते हैं कि रिफेंडम होना चाहिए·····(व्यवधान)···एक तरफ हमारे सी० पी० एम० के साथी रेफेन्डम की बात करते हैं, दूसरी तरफ हमारे मधु दंडवते जी कहते हैं कि आप मुसलमानों का वोट चाहते हैं। दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकतीं। लगता है आपको इस बात का भरोसा नहीं हैं क्यों कि हिन्दुस्तान का अधिकांश मुसलमान जब इस बिल के पक्ष में नहीं है तो फिर आप क्यों इस बात को कहते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है ? कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, एक ऐसा दल है जिसका एक बहुत लम्बा इतिहास है और उसने हमेशा जब भी कोई अवसर आया है तो अपना एक स्टेंड लिया है, उसने एक राय बनायी है और हिन्दुस्तान की अक्लियत को, हिन्दुस्तान के जो अल्पसंख्यक हैं उनको इस बात का भरोसा दिलाया है कि जब तक कांग्रेस के हाथों में इस देश का शासन है, तब तक उनका मजहब, उनकी तहजीव, उनका तमुद्दन, उनका कल्चर ये सारी चीजें महफूज हैं। आज से कुछ दिनों पहले यह कहा जाता था कि राजीव गांधी हिन्दुओं को लेकर चल रहे हैं, हिन्दुओं के जज्बात, उनकी भावनाओं को उभाड़कर लेकर चलना चाहते हैं। आज यही विरोधी दल के लोग यह कह कह रहे हैं कि राजीव गांधी हिन्दुस्तान की अक्लियत को खुश करना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि राजीव गांधी न हिन्दुओं को लेकर चल रहे हैं, न मुसलमानों को लेकर चल रहे हैं, वह इस देश की जनता को लेकर चल रहे हैं, इस देश की भावनाओं को लेकर चल रहे हैं और जो भी राजनैनिक दल, जो भी नेता देश की भावनाओं से अलग होकर चलता है उसका परिणाम यह होता है कि वह अपोजीशन में होता है और दूसरा सत्ता में होता है। कांग्रेस न हमेशा चाहे वह कमजोर से कमजोर लोग हों उनके जज्बात का ख्याल रखा है और इसका नतीजा है कि आज कांग्रेस को भरपूर समर्थन प्राप्त है।

जहां तक रिफार्म की बात हम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, रिफार्म होना चाहिए। हनारी व्यक्तिगत बहुत सारी राय हो सकती हैं, आपकी व्यक्तिगत राय कुछ हो सकती है, लेकिन जब किसी खास कम्युनिटी के मामले में दखल देना हो, जब किसी मजहवी मामले में दखल देना हो, उस

[श्री तारिक अनवर]

में कोई तब्दीली लानी हो तो उस कम्युनिटी का समर्थन लेना आवश्यक है। किसी कोर्ट के जजमेंट से कोई रिफार्म नहीं आ सकता है। जजमेंट देने के बाद उसके लिए एक माहौल बनाने की जरूरत होती है। उसके लिए लोगों को तैयार करने की आवश्यकता होती है, तभी हम यह कर सकते हैं। संविधान जिन लोगों के लिए बनाया गया उसकी ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। आज यह सवाल उठता है, आखिर कारण क्या है, शाहबानों केस से पहले भी दो वेसेज ऐसे हुए हैं जिन में मेन्टिनेंस का फैसला हुआ था, लेकिन उस में कोई भी ऐसा शोर नहीं मचा। पहली बार शाहबानों के केस के साथ जिस तरह से हंगामा उठा जाहिर है कि ऐसी बात थी जिससे हिन्दुस्तान के मुसलमानों के जज्वात को ठेस लगी, जाहिर है कि कोई ऐसी बात थी जिससे हिन्दुस्तान का मुसलमान यह सोचने लगा कि उसके मजहबी मामले में कहीं न कहीं दखल दिया जा रहा है। आज जो सबसे बड़ी इस बिल की जरूरत थी और जो इस बिल से सबसे बड़ा फायदा इस देश को हो रहा है वह यह है कि इस मुल्क के मुसलमानों को यह विश्वास हो रहा है, इस बात का भरोसा और यकीन हो रहा है कि हिन्दुस्तान की सरकार या यहां की हुकूमत में, राजीव गांधी के नेतृत्व में उनका मजहब, उनकी तहजीव, उनका तमद्दुन पूरी तरह से महफूज है।

यह आज लोगों का अहसास हो रहा है। आज मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी हमारे साथी जिन्होंने बिरोध किया है इस बिल का, उनके इस बिरोध से, इस बिल की मुखालिफत से उन सब को, उन फिरकापरस्त लोगों को, उन साम्प्रदायिक भावना के लोगों को वे ताकत बख्श रहे हैं, उनको शक्ति दे रहे हैं न कि सेक्युलर फोर्सेज को ताकत दे रहे हैं। आज फंडामेंटलिस्ट जिनको कह रहे हैं उन्हीं को आज सबसे ज्यादा ताकत मिल रही है जिस तरह से कि इसका विरोध हो रहा है और बिल के बारे में जो कहा जा रहा है।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और अपने विरोध पक्ष के लोगों से कहना चाहता हूं कि यह समय है कि देश की अक्लीयत, देश के मुसलमानों की भावनाओं को समझें, उनके जज्वात को समझें और कोई भी ऐसी बात जिससे कि किसी खास कम्युनिटी, किसी खास मजहब को ठेस लगती हो, न करें तो ज्यादा अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी (खजुराहो) : सभापति महोदय, मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) विधेयक जो इस सदन में प्रस्तुत किया गया है उसके समर्थन में मैं अपने विचार रखना चाहती हूं। हमारे युवा प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता है, समझदारी है कि उन्होंने इस विधेयक को ला करके एक बड़ी समस्या जो मुस्लिम महिलाओं के बीच में थी, उसे हल करने की तहैफ एक प्रयास किया है। नारी जाति सदियों से प्रताड़ित होती आ रही है, नारी जो सदियों से अपमानित होती चली आई है उसे कभी धर्म के नाम पर, कभी समाज के नाम पर उसका शोषण हुआ है। आज भी मैं देख रही थी बड़ी देर से भाषण सुन रही थी और मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि आज भी नारी के नाम पर मगरमच्छ के आंसू बहाकर अपनी राजनैतिक रोटियां

पकाने का राजनीतिक प्रयास किया जा रहा है—यह कहां तक सही और उचित है ? आज जरूरत इस बात की है कि हमारी बहिन गीता मुकर्जी ने जो भाषण किया, बड़ा भावुक भाषण दिया, मैं मानती हूं उनके दिल में महिलाओं के प्रति दर्द है, वे महिलाओं का उत्थान चाहती हैं और वे चाहती हैं महिलाओं को इज्जत मिले—एक नारी ही नारी के दर्द को समझ सकती है लेकिन मैं पूछना चाहती हूं गीता जी आप वह दिन भूली नहीं होंगी। जब हमारा दहेज किरोधी संशोधन विधेयक आया था जिसमें हम काफी बहनें एक डेढ़ साल जगह-जगह घूर घूम कर हर तबके और हर वर्ग के लोगों की राय ले लेकर के उस संशोधन विधेयक को लाने की कोशिश की थी और उसमें सख्त से सख्त धारायें रखी थीं लेकिन क्या मैं उनसे पूछूं क्या वह विधेयक परिपूर्ण है, उसमें कहीं कोई खामी नहीं है, कहीं कोई कमी नहीं है, वह पूरी तरह से ठीक है ? अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं साफ कहूंगी अभी उसमें आगे कुछ करने की बहुत जरूरत है। मैं कहूंगी आगे आने वाले समय में उसमें और ज्यादा सुधार लाने की जरूरत पड़ सकती है। और यह विधेयक जो यहां पर लाया गया है मैं नहीं कहती यह परिपूर्ण है। या पूरी तरह से यह मुस्लिम महिलाओं को राहत दे सकता है। परन्तु उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जिसे सराहा जाना चाहिए। मेरा पहला निवेदन तो यह है।

दूसरी बात यह है कि नारी नारी है, न वह हिन्दू है न मुसलमान है, नारी एक स्त्री है, नारी है, एक मां है, एक बहन है एक बेटी है। लेकिन आज धर्म के ठेकेदारों ने, आज समाज के ठेकेदारों ने उसका शोषण किया है, आज पुरुष का वर्चस्व है समाज के ऊपर। भले ही किताबों में कहा गया हो, चाहे मनु ने कहा हो :

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता
तत्रास्तु न पूज्यन्ते तत्रा सर्वा···

लेकिन हुआ क्या है ? मुस्लिम धर्म को भी आप देख लीजिए। इस्लाम ने महिलाओं के लिए कितनी इज्जत बख्शी है, कितनी इज्जत दी है ? पर आज हकीकत क्या है ? हकीकत यह है कि अच्छे-अच्छे घरों में ब्याहने वाली महिलायें, जो महलों में रहती हैं, कारों में घूमती हैं, एशो-आराम से रहती हैं, उन्हें तीन बार तालाक-तालाक-तालाक कह कर चौराहे पर नंगा खड़ा कर दिया जाता है। उनके लिए कोई संरक्षण नहीं होता है। उसकी कोई इज्जत नहीं होती है, कोई उसकी प्रतिष्ठा नहीं होती है। जैसा हमारी बहन आबिदा जी ने कहा जिस आदमी ने उस औरत को निकाल दिया है, तालाक के बाद उसके पास जाकर हाथ फैलाए, इस बात को वह जलालत समझती है। मैं उनसे कहना चाहती हूं—मेरी बहन हकीकत में और कहने में बड़ा फर्क होता है। उस औरत ने अपनी जिन्दगी के हसीन दिन, अच्छे दिन उस मर्द को सौंप दिए, उस परिवार को सौंप दिए, उसके बच्चे को भरण-पोषण में सौंप दिए, उनके बच्चों को पैदा करने में सौंप दिए और कल जब वह किसी काबिल नहीं रही, उम्र बढ़ने लग जाए या उसमें थोड़ी शक्ति कम होने लग जाए। तो उसको चौराहे पर खड़ा कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में वह किससे अपने भरण-पोषण की बात कहे। आज किस विधेयक के द्वारा कम से कम इतना संरक्षण मिल रहा है। हजबेंड की तरफ से उसे रीजनेबिल मैंटिनेंस मिलना चाहिए और वह उसे मिलेगा। बच्चों के लालन-पालन के लिए

[श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी]

उसको मोहताज नहीं होना पड़ेगा। सैक्शन-तीन में चार चीजें रखी गई हैं—एक तो मेंटिनेंस जो भी उचित है, उसे मिलेगा। हैंजबैंड के द्वारा बच्चों के लालन-पालन के लिए सुविधा दी जाएगी। विवाह के समय मेहर की रकम और प्रेजेन्ट्स मां-बाप की तरफ से, या रिश्तेदारों अथवा पति की तरफ से, उसे आप स्त्री धन भी कह सकते हैं; वह उसको मिले, जिस पर कि उसका पूरा हक है। विवाह के समय मेहर की रकम चाहे 50 हजार हो या 25 हजार हो या एक लाख हो, वह उसे फौरन मिलनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने उसको तालाक दिया है, यदि वह तीन महीने के अन्दर मुहैया नहीं कराता है तो मजिस्ट्रेट को अर्जी दे सकती है। मजिस्ट्रेट का यह फर्ज बनता है कि वह उसका फैसला करके एक माह के अन्दर उसके हक को दिलाए। यही नहीं, बल्कि यह भी देखे कि कि वह किस स्थिति में रही है, किस वातावरण में रही है और उस वातावरण के अनुसार अगर उसके पास साधन नहीं है, वह इस बात का सबसे पहले इन्तजार करे। यह अधिकार मैजिस्ट्रेट को दिया गया है।

एक बात मैं और कहना चाहती हूं, जो कि धारा 125 के बारे में है। आपने कहा है कि यदि दोनों आपस में मंजूर करें तो अदालत में इस नियम के तहत फैसला ले सकते हैं। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहती हूं कि न नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी। दोनों कभी कबूल नहीं करेंगे और उसमें हमेशा अड़चन रहेगी। इसलिए जो कमजोर है, जो परेशानी में है, उस को आपको संरक्षण देना चाहिए—यही मेरी आपसे गुजारिश है। मैं एक बात यह भी कहना चाहती हूं कि समाज के लिए कानून बनाए जाते हैं, इन्सान के लिए कानून बनाए जाते हैं। इन्सान के लिए धर्म है, मजहब है लेकिन धर्म और मजहब के लिए इन्सान नहीं है। इसमें हमेशा समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं, संशोधन होते हैं। इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। इसकी मैं हामीकार हूं।

जब हमने धर्म निरपेक्ष राज्य को माना है, तो हम किसी के धर्म पर जबरदस्ती कोई बात क्यों लादें। हमें उनको तैयार करना होगा।

मैं मुसलमान भाइयों को भी एक चेतावनी देना चाहती हूं। आज उन्होंने तलाक को जो साधारण और सस्ता बना रखा है, तीन दफा तलाक कह दिया और औरत को चौराहे पर खड़ा कर दिया, तो उसको उन्हें सस्त बनाना पड़ेगा। यह समय की मांग है। अगर आपने समय को नहीं पहचाना, तो कोई आपको बक्शेगा नहीं। इसलिए समय की मांग को पहचानो, समय को देखो और समय के अनुसार अपने आप में तब्दीली लाओ। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि न हिन्दू, न मुस्लिम और न सिख बल्कि हमारा भारतीय लॉ है। हिन्दू औरत को रोटी चाहिए तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए और सिर छिपाने के लिए मकान चाहिए और मुस्लिम औरत को भी ये चीजें चाहिए। हिन्दू औरत मोती खाएगी और मुसलमान औरत पत्थर खाएगी यह कभी नहीं हो सकता। हर औरत को चाहे वह किसी भी धर्म की या मजहब की हो, ये चीजें मिलनी चाहिए। आपको यह चीज देखनी चाहिए और समझनी चाहिए।

9·46 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैं इस बिल की ताईद करती हूं, मैं इस बिल का समर्थन करती हूं और प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं। इसके साथ साथ अपने मुसलमान भाइयों से पुन: आग्रह करती हूं कि वे समय को परखें, समय की नब्ज को परखे और तलाक को इतना आसान न रखें। जब तक दोनों की मंजूरी न हो, जब तक कोई परिस्थित न हो, इस तरह से औरत को घर से बाहर न निकाला जाए।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एच० आर० भारद्वाज वह बोलेंगे।

प्रो० मधु दंडवते : वह बोलेंगे अथवा हस्तक्षेप करेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह बोलेंगे। आप ऐसा सोच सकते हैं कि वह हस्तक्षेप करेंगे।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : उपाध्यक्ष महोदय, जब यह वाद-विवाद आरम्भ हुआ था, एक माननीय सदस्य ने यह मुद्दा उठाया था कि संशोधन 125 के कानूनी मत के बारे में कुछ मतभेद है।

एक माननीय सदस्य ने मेरे नाम का उल्लेख किया था। महोदय, मेरे ख्याल में माननीय सदस्य को सही जानकारी नहीं दी गई और माननीय सदस्य को अल्पसंख्यकों की स्वीय विधि के सम्बन्ध में सरकार के विचारों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। इस संबंध में बार-बार, स्पष्ट रूप से और साफ-साफ शब्दों में यह कहा गया है कि सरकार कभी भी अल्पसंख्यकों के निजी कानूनों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। अगर उन्हें इसमें कोई शक हो तो अब तक उन्हें यह समझ लेना चाहिए साथ ही साथ, अगर वह मेरे द्वारा व्यक्त मत को समझना चाहते हैं तो मैंने यह कहा है कि यह बहुत ही नाजुक मामला है, हम उस मुकद्दमे में वादी या प्रतिवादी नहीं थे। हम उस फैसले का अध्ययन करना चाहेंगे और उस फैसले का पूरा पाठ पढ़ने के बाद अपनी राय देंगे। मैंने यह कहा है। जब मैंने यह कहा था कि यह बहुत नाजुक मामला है तो ऐसा मैंने कांग्रेसी होने के नाते अपने प्रशिक्षण के आधार पर प्राप्त हुआ है, कहा था ऐसा मैंने मार्क्सवादी अथवा तेलुगुदेशम का सदस्य होने के नाते बिल्कुल नहीं कहा था।

प्रो० मधु दंडवते : इसका कांग्रेस से तो कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री एच० आर० भारद्वाज : प्रोफेसर साहब, अब क्या आप सुनेंगे ? आप अपनी राय बता चुके हैं आपने इस सभा में बड़ी जहरीली बातें कही हैं। संविधान सभा के समय से आज तक हमारे नेता देश के लोगों, भारत की जनता के प्रति वचनबद्ध रहे हैं। जिसे लोगों को सही-सही समझना होगा।

डा० अम्बेडकर ने इस कानून के बारे में जो कुछ था आपको उसे समझना चाहिए। ···(व्यवधान)···यही कठिनाई है। आप ठीक नहीं हो सकते। मैं यह उन्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उन्होंने मुझ पर कुछ आरोप लगाए थे, और इसलिए मुझे सही बात बतानी चाहिए। शुरू से लेकर अन्तिम वाद विवाद तक, जो कि इस सभा में हुआ, हमारा रवैया अल्पसंख्यकों और उनके निजी कानून के प्रति सम्मान प्रदर्शित करता रहा। इसमें हस्तक्षेप करने का सवाल नहीं उठता। कांग्रेस का इस विषय में यही रवैया है। इस प्रकार अल्पसंख्यकों के संबंध में हमने पहले से कुछ धारणा नहीं बनाई है। हमारे नेताओं ने हमें बताया है कि यह एक धर्म निरपेक्ष देश है। धर्म-निरपेक्षता को संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतन्त्रता के रूप में समझना चाहिए। आप संविधान की व्याख्या अपने फायदे के अनुसार कर सकते हैं लेकिन संविधान तो यथा रूप में, भारत की पूरी जनता के लिए है। इसमें यह कहा गया है "हम भारत की जनता" और जब हम यह कहते हैं कि "हम भारत की जनता" इसमें हिन्दू, मुसलमान, ईसाई और पारसी सभी शामिल हैं, कोई एक नहीं—जैसा कि आप इस सभा में कह रहे हैं।

जब हम संविधान के प्रति अपनी वचनबद्धता की बात करते हैं तो मैं एक समान नागरिक संहिता के सम्बन्ध में डा० अम्बेडकर ने जो कुछ कहा था, उसे बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा था "मैं आप को यह आश्वासन देता हूं"। उस आश्वासन का आपके लिए कोई मतलब न होता हो लेकिन, अपने नेताओं से हमें जो मिला है, उसका ध्यान रखते हुए यह हमारा कर्तव्य है कि हम यह ध्यान रखें कि देश में अल्पसंख्यकों की बात भी सुनी जाए। इस वचनबद्धता के कारण ही हमने अल्पसंख्यकों से बातचीत की। हमने उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का अध्ययन किया। मैं प्रो० मधु दंडवते को वह सब बताना चाहता हूं जो न्यायमूर्ति शाहबानो के मामले में टिप्पणी करते समय मुर्तजा फजल अली ने जो कहा था वह बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा था :

> "क्योंकि इस मामले में कानून के बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिनके दूरगामी परिणाम निकलेंगे इसलिए हम समझते हैं कि बाई ताहिरा वनाम अली हुसैन फिदाली चोदिया और अनवर वनाम फुजलुम्बी वी० के खाडे वली और अनवर के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार की आवश्यकता है क्योंकि हमारे विचार में ये निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 127 (3) (ख) की सरल और स्पष्ट भाषा का प्रत्यक्ष उल्लंघन करते हैं जो इस विषय पर मुस्लिम लॉ की अवहेलना तो करते ही नहीं बल्कि ऐसे मामले में सुरक्षा प्रदान करते हैं और ये उन मामलों पर भी लागू होते हैं जिनमें एक पति द्वारा तलाकशुदा पत्नी को निश्चित मेहर की राशि दे दी गई है और इद्दत की अवधि पूरी हो गई है, इससे लगता है कि यह निर्णय तलाक की आधारभूत अवधारणा और मुस्लिम लॉ के अन्तर्गत इसके परिणामों के विपरीत हैं जिन्हें मुस्लिम स्वीय विधि (शरियत) अधिनियम, 1937 की धारा 2 के अन्तर्गत सुरक्षा प्रदान की गई है—उक्त निर्णयों में इस अधिनियम पर ध्यान नहीं दिया गया है। अतः हम निदेश देते हैं कि इस मामले को तीन न्यायाधीशों से अधिक की पीठ में सामने सुनवाई के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।"

क्या आप कहते हैं कि इस मामले का धारा 127 (3) (ख) या अथवा धारा 125 की व्याख्या से कोई संबंध नहीं है, यदि आप धारा 125 उत्पत्ति की जांच करें तो पता लगेगा कि इसे 1973 में अधिनियमित किया गया था इससे पहले पत्नी की परिभाषा वह नहीं थी जो 1973 में की गई है और आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस सरकार ने ही यह संशोधन किया था और हमने धारा 127 (3)(ख) जोड़ी था। श्री मिर्धा ने आपको बताया था कि सरकार अल्पसंख्यकों को यह आश्वासन देना चाहती थी कि हम ऐसा कानून नहीं बनायेंगे जो मुस्लिम स्वीय विधि (पर्सनल लॉ)की अवहेलना करता हो और इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 127 (3) ख शामिल की गई थी। अब इस धारा में पर्सनल लॉ का उल्लेख है। यह पर्सनल लॉ को सुरक्षा प्रदान करता है और यदि पर्सनल लॉ के अन्तर्गत कोई अदायगी की जानी है और वह अदायगी कर दी गई है तो मजिस्ट्रेट धारा 125 के अन्तर्गत दिए गए आदेशों को रद्द कर सकता है। धारा 125 न्यायालय को 500 रुपये तक निर्वाह भत्ता देने का अधिकार प्रदान करती है परन्तु यदि मजिस्ट्रेट के सामने यह सिद्ध कर दिया जाता है कि पर्सनल लॉ के अन्तर्गत कोई वैयक्तिक चीज दे दी गई है तो वह आदेश को रद्द कर सकता है। अब मुसलमान बहुत अधिक उत्तेजित हैं और यदि आप चाहते हैं कि देश में मुसलमानों की कोई आवाज नहीं है तो वह अलग बात है। इस सम्बन्ध में आपने यह निश्चय कर लिया लगता है कि आपकी बात मुसलमानों पर थोपी जानी चाहिए। परन्तु यह कैसे हो सकता है। शादी, तलाक गुजारा राही के बारे में मुसलमानों के पर्सनल लॉ उनके पर्सनल लॉ के अनुसार होने चाहिए क्योंकि शरियत अधिनियम की धारा 2 के अन्तर्गत इसे संरक्षण दिया गया है। यह संवैधानिक कानून है। यह अब भी वैद्य है और इसे अब तक निरस्त नहीं किया गया है। अत: यदि शरियत के अनुसार कुछ किया जाता है तो व्यवहारिक व्यवस्था के अन्तर्गत है और इसके बारे में प्रो मधु दंडवते और उनके साथी जानते हैं। इस संबंध में, हमने कई बार जोर दिया हैं कि धर्म निरपेक्षता का मतलब यह नहीं है कि एक ही प्रकार की बात सब पर लागू करें। यदि धर्म निरपेक्षता यही है तो आप सदैव एक विशिष्ट प्रकार की धर्म निरपेक्षता पर बल दे सकते हैं जैसाकि मार्कसवादी या अन्य लोग अपनी पसन्द के अनुसार करते हैं। परन्तु देश की यह योजना नहीं है परन्तु राजनैतिक जीवन की योजना यह है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना पर्सनल लॉ हो सकता है। हिन्दू, फारसी, और ईसाई के अपने पर्सनल लॉ हैं और यदि मुसलमान अपने पर्सनल लॉ के मुताबिक अपनी पत्नियों का अनुसश्रण करते हैं तो मैं नहीं समझता कि श्री सोम अन्य लोगों को क्यों भड़का देते है, हमें उनकी भावनाओं को देखना है क्योंकि मुसलमानों के पास कुरान है जो इस्लाम का आधार है और यदि यह इस्लाम का आधार है तो इस्लाम या कुरान के विरुद्ध कोई कार्य किया जाता है तो वह पूर्णतया सबके द्वारा स्वीकार्य नहीं होगा आप इसके लिए हो हल्ला मचायें अथवा नहीं क्योंकि उनका आधार झकझोरा गया है। यदि आप उनके आधार का उल्लंघन करते हैं अर्थात् मुस्लिम पर्सनल लॉ के अन्तर्गत विवाह यह एक बिशुद्ध और साधारण समझौता है—तो आप इससे प्रभावित नहीं होंगे क्योंकि हमारे धर्म में यह भिन्न है, यह मरते दम तक का संबंध है, परन्तु इस मामले में ऐसा नहीं है, जब वे दायित्व लेते हैं अर्थात् शादी का समझौता करते हैं तो कुछ मेहर के रूप में दिया जाता है। उनके कुछ दायित्य

[श्री एच० आर० भारद्वाज]

हैं, अधिकार है। परन्तु जैसे ही तलाक पूरा होता है, वे दायित्व, अधिकार और वे कर्त्तव्य समाप्त हो जाते हैं और यदि आप तलाकशुदा महिला के प्रति इन दायित्वों, इन अधिकारों का प्रयोग करते हैं तो यह शारियत और इस्लाम के विरुद्ध है यद्यपि इसके बारे में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए जबकि कानून ऐसा कहता है, इस संबंध में शरियत यही कहता है कि मुस्लिम शरियत के कानून से शारियत होंगे और वही मस्लिम पर्सनल लॉ है, मुस्लिम इस्लामी कानून और शरियत कानून जब तक शरियत अधिनियम की उक्त धारा के अन्तर्गत संरक्षित है तब तक उनमें कोई अन्तर नहीं है अत: यदि यह कानून उस स्थिति को स्पष्ट करता हैं, तो किसी तलाकशुदा महिला विशेष के लिए स्थिति स्पष्ट की गई है और उसे 127 (3)(ख) के अन्तर्गत सुरक्षा प्रदान की गई है और अब इसे व्यापक बनाया गया है। इस कानून में तीन उपबन्ध हैं अब खण्ड 'क' में व्यवस्था और अनुरक्षण और 3 (क) में व्यवस्था और अनुरक्षण प्रदान किया गया है। अब व्यवस्था और अनुरक्षण का निर्णय पार्टी की आवश्यकता, पति की क्षमता और पति-पत्नी के जीवन निर्वाह के स्तर निर्धारण न्यायालय द्वारा कैसे किया जाएगा ? यह एक उचित मानक है और यदि पति का स्तर अच्छा है तो उस महिला को अच्छा अनुरक्षण मिलेगा। 'मेहर' मुस्लिम विवाह का अनिवार्य अंग है। यह पत्नी को विवाह के तुरन्त बाद दिया जाता है या उसे अस्थगित कर दिया जाता है और वैसे ही उसे तलाक मिलता है तो वह न्यायालय में जाकर पूरी मेहर की मांग कर सकती है। अब उसे पृथक मुकदमें के लिए सिविल न्यायालय में जाना पड़ता हैं। अब इन सब बातों कों इकट्ठा करके एक कानून बनाया जा रहा है! यदि इन्हें मिला दिया जाता है और मुसलमान इससे प्रसन्न हैं तो मैं समझता हूँ कि इससे आपको कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। इससे आपके राजनीतिक उद्देश्य पूरे नहीं होते हैं। परन्तु यह मामला पृथक है। आप समझते हैं कि इस अधिनियम के पीछे हमारा कोई उद्देश्य है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके पीछे उद्देश्य बताना आप जैसे संसदविद् को शोभा नहीं देता। अत: इसके बारे में आपको निष्पक्ष होना चाहिए। आप में से प्रत्येक की चिन्ता राजनैतिक है। मैंने विपक्ष का रवैया देखा है। विपक्ष अपने स्तर से गिर गया है। आज चर्चा उच्च स्तर की नहीं हुई है, किसी भी संवैधानिक मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई, किसी भी अपराधिक कानून पर चर्चा नहीं हुई। प्रत्येक व्यक्ति वास्तव में उस राजनीतिक उद्देश्य से ग्रस्त होकर बोल रहा था मानो कि वह यह दिखाना चाहता था कि वे वरिष्ठ व्यक्ति की तरह ताड़ गए हैं जैसा कि इब्राहीम सुलेमान सेल तथा अन्य।

प्रो० मधु दंडवते : हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम आपके मानकों का पूरी तरह अनुकरण करते हैं।

श्री एच० आर० भारद्वाज : यदि आपने मेरे मानकों का सोत्साह अनुकरण किया है तो इस सभा में आप ही ऐसे एकमात्र सदस्य नहीं होते। आप इस सभा में ऐसे अकेले सदस्य हैं और आपके दल के सदस्य सैयद शहाबुद्दीन आपके विचारों से सहमत नहीं हैं। अतएव, आप अपने ही

दल में इस मामले पर वास्तव में एक नहीं हैं। बात केवल इतनी है कि तलाक के बाद भरण-पोषण के एक छोटे से मामले पर, जिसे अल्पसंख्यक चाहते हैं, आप इतने क्षुब्ध हैं। इससे विपक्ष की प्रवृत्ति का पता चलता है।

10.00 म० प०

इससे विपक्ष का आज भण्डाफोड़ हो गया है कि वे किसी भी प्रकार से देश के अल्पसंख्यकों का समर्थन नहीं करते हैं। मैं विपक्ष का बहुत आदर करता हूं। मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं····· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न किया जाए। किसी को भी इस प्रकार बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(व्यवधान)**

(श्री एच० आर० भारद्वाज) : हम उन्हें संरक्षण दे रहे हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि हम ऐसा करें·····(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित करें।

श्री एच० आर० भारद्वाज : जब कभी हम अल्पसंख्यकों के लिए कोई कार्य करते हैं तब हमें विपक्ष की असलियत का पता चल जाता है। इस कानून में महिलाओं के लिए कई बातों की व्यवस्था है, लेकिन वे इन पंक्तियों को नहीं पढ़ते हैं। उनके साथ यही कठिनाई है। यह बात उन्हें सही नहीं जमती, क्योंकि उनके मस्तिष्क में केवल यही प्रश्न घर कर गया है कि तलाकशुदा महिलाओं को भरण-पोषण दिया जाए। वे चाहते हैं कि यह उनकी इच्छा के अनुसार दिया जाए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में यह उपबन्ध है कि किसी भी महिला को कोई भरण-पोषण न दिया जाए। यदि किसी महिला का पति मर जाता है तो वह कहां जाएगी। अब उसके लिए सभी रास्ते खुले हुए हैं। स्वीय विधि के अन्तर्गत यही बात निर्धारित की गई है इसी का प्रतिवाद किया गया है, यही उन्हें दिया गया है।

आज प्रातः जो कुछ कहा गया है वह भाग कांग्रेस (इ) पर आक्रमण करने के उद्देश्य से कहा गया है जिसने हर समय अपने वास्तविक दृष्टिकोण को बनाए रखा है, चाहे उन्होंने चुनाव द्वारा हो अथवा जीता हो। हमारा दृष्टिकोण तथा देश का धर्म-निरपेक्ष सिद्धांत एक जैसा ही रहा है। हमारे सिद्धांत में कभी परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन उनको क्या हो गया है? वे लड़ाई में मार्क्सवादी थे, अंग्रेजों का साथ देकर वे प्रगतिशील बन गए। चीन के साथ हुई लड़ाई में उन्होंने अपना दृष्टिकोण बदल दिया। जब भी देश की अखंडता और एकता का प्रश्न आता है तो हर बार वे अपने रुख को बदल लेते हैं यही उनका वास्तविक स्वरूप है जिसे देश की जनता द्वारा देखा जाना चाहिए।

(व्यवधान)**

**कार्यवाही वृत्तान्त सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान मत डालिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्थान पर बैठिए। कोई व्यक्तिगत टिप्पणी न कीजिए।

श्री एच० आर० भारद्वाज : इस बात में उनके राजनैतिक इरादे झलकते हैं। इस बार उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है। वे अपनी विचारधारा से न तो मार्क्सवादी हैं और न अपने दृष्टिकोण से धर्म निरपेक्ष। कठिनाई यह है कि उनका कोई भी दृष्टिकोण नहीं है···(**व्यवधान**)।

अन्त में, मैं एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। यह हमारा कर्त्तव्य है, यह हमारी इच्छा है कि इस देश में किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय को यह महसूस नहीं करना चाहिए कि उसकी आवाज नहीं सुनी जा रही है। जब तक कांग्रेस (इ) सत्ता में है, हर अल्पसंख्यक समुदाय, चाहे वह मुस्लिम समुदाय हैं अथवा ईसाई, उसकी आवाज का सम्मान होगा।

श्री मोहम्मद महफूज अली खां (एटा) : जनाबे डिप्टी स्पीकर साहब, मैं लोक दल का अकेला सदस्य हूं मुझे पावर है जिसके चाहूं फेवर में बोलूं या विरोध में बोलूं। इसलिए मैं इस बिल के समर्थन में बोल रहा हूं। एक शेर सुन लें। अमीर मिनाई का है।

"खंजर चले किसी पर तड़पते हैं हम अमीर
सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है।"

एक शेर और सुनाता हूं फिराक गोरखपुरी का है

झपक रही हैं लमा जमी की आंखें
मगर है काफिला आमदा-ए सफर में भी।

जनाबे डिप्टी स्पीकर साहब, आज जो बिल हुकूमत की तरफ से मुस्लिम मुतालिका खातून के हुकूक के बारे के जेरे बहस है इस पर इस वक्त मुल्क के तमाम हल्कों में इजहार-ए ख्यालात मुआफत और मुखालफत में किया जा रहा है। जहां तक मैं समझता हूं हुकूमत की तरफ से इस बिल के पेश किए जाने की अहम् वजह सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मोहम्मद अहमद खां और शाहबानों बेगम का केस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में गया था। हिन्दुस्तान के मुसलमानों का शदीद तरीम दरद्दे अमल है चन्द उन नामनिहाद दानिशवों को छोड़कर जिनका अल्लाह और उसके रसूले से बराए नाम ही ताल्लूक है।

(**व्यवधान**)

आप श्री सैफुद्दीन चौधरी जी, आप कुरान की एक आयत भी पढ़ दीजिए तो मैं इस बिल से अपना समर्थन वापिस ले लूंगा। जो गैर इस्लामिक खयालात और नजरेआत के लिए मशहूर जमाना है उम्मते मुस्लिम के तमाम तबकात ने इस फैसले को शरीयत के खिलाफ और अकलियत के मजहबी उमूर में खुली मदाखलत करार दिया है।

हुकूमत ने बर वक्त मुसलमानों के उन शदीद तासूरात का तजजीया किया और वह इस

पर मजबूर हुई कि वह इस मुल्क की सबसे बड़ी अकलियत जिसका दीनी अखूवत का रिश्ता ज्योग्राफिआई हदूद में महदूद नहीं है उसके अहसासात पर कोई मुसबत कदम उठाये। इस तरह हुकुमत ने बालीगन नजरी का सबूत दिया और मुस्लिम नुमाइन्दों के मुखतलिफ वफदों से मुलाकात और तफसीली बहस व तमखीस के बाद मौजूदा बिल को पेश किया।

मुसलमानाने हिन्द इस वक्त बहुत से मसाइल और मुश्किलात से दो-चार हैं। मुल्क में फसादात का सिलसिला जारी है। उनकी कुछ इबादतगाहों पर भी नजरें लगी हुई हैं। गो तालीम तिजारत सनत और दूसरे शोभाएं जिन्दगी में पस्मांदा तबकात से भी पीछे हैं। अब यह बिल मुसलमानाने हिन्द के लिए एक और आजमाइश का सबब बन गया है। ओपीजिशन पार्टियां जिनमें कम्युनिस्ट और कम्युनिलिस्ट दोनों के तरह के अनासिर शाना-बशाना इस बिल की शदीद मुखालफत में एक दूसरे से बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।

कौमी प्रेस भी मुस्लिम मुतल्लिका के गम में घुला जा रहा है। जहां एक तरफ इस बिल की शदीदे मुखालफत की जा रही है, वहां ऐसे मजामीन मुसलसल शाये किए जा रहे हैं जिनसे यह तास्सुर पैदा किया जा रहा है कि इस्लाम में औरतों के साथ ना-इंसाफी रवा रखी गई है। हांलाकि यह नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि आज जो हकूक दूसरे मजाहिद की औरतों ने सैंकड़ों साल और बड़ी जद्दो-जहद के बाद हासिल किए हैं वो इस्लाम ने 1500 साल पहले दिए हैं। आज मुस्लिम मुतल्लिका से हमदर्दी में जो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं मैं उन हजरात से सवाल करता हूं कि जब मुसलमानों पर सख्तियां होती हैं, उनकी जान-माल और नामूस से खिलवाड़ की जाती है, जिनमें जहां मर्द औरतें होती हैं उनमें मुसल्लिका ख्वातीन भी होती हैं। इस वक्त मुस्लिम ख्वातीन के उन हमदर्दों की जबानों पर ताले क्यों पड़ जाते हैं।

जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इस्लाम में तलाक देने का हुक्म नहीं दिया गया है बल्कि जब दो फर्द किसी तरह मिल-जुल कर एक साथ न रह सकें और सुलह और सफाई की तमाम कोशिशें कामयाब न हों तो या तो उम्र भर सरफटोल के लिए छोड़ दिया जाए फिर अलहदगी की कोई सुरत निकाली जाए। जिस तरह जिस्म के किसी उजू के काटने का जब ही एक्सपर्ट मश्वरा देते हैं, जब मर्ज दूर करने की तमाम दूसरी तदाबीर बेअसर हो चुकी हों। इरसादे रसूले पाक है, अलबगदुल लाहिलिन इंदल्लाहित्तलाक जायज चीजों में खुदा को सबसे ज्यादा नापसंदीदा तलाक है। हक्के तलाक का इस्तेमाल इन्तहाई अहितियात से करने की ताकीद की गई है। खुद रसूल-ए-अक्रम शल्लल्लाहु-सलेही-वसल्म के आजादकर्दा गुलाम हजरत जैद ने जिन के निकाह में आपकी फूफीजात् बहन हजरत जैनत थीं, जब जैनत को तलाक देने का ख्याल रसूले अक्रम सल्लल्लाह-अलेही वसल्लम के सामने जाहिर किया तो रहमते आलम ने फरमाया, "उसको अपने साथ रखो और अल्लाह से डरो।" इद्दत गुजरने के बाद और तलाक के नाफिजुल-अमल होने के बाद मुतल्लिका का साबिक शौहर से कोई ताल्लुक नहीं रहता। वो और सड़क की औरत दोनों का दर्जा बराबर हो जाता है सुप्रीमकोर्ट के फाजिल जजों ने इस नुक्ते की तरफ तवज्जह न दी कि कीमत या मुआवजा किसी मुन्फियात और इफादियत के वदले में दिया जाता है और तलाक के बाद मर्द और औरत दोनों में यगानगत खत्म होकर वेगानगी हो जाती है।

[श्री मोहम्मद महफूज अली खा]

बीवी के तमाम जरूरी अखराजात की अदायगी शौहर की माली हैसियत के मुताबिक मर्द की शरई जिम्मेदारी है चाहे वह अपने वक्त की अमीर-तरीन खातून ही क्यों न हो। इसलिए मीराज ने औरत का हिस्सा मर्द से आधार रखा है।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस बिल की ताईद करता हूं। हुकुमत के इस कदम को अच्छी नजर से देखता हूं। इद्दत के बाद शरीयते इसलामिया मर्द के जिम्मे कोई जिम्मेदारी आयद नहीं करती।

न सिर्फ मैं बल्कि हर वो शख्स जो अपने को मुसलमान कहता है, चाहे उसका ताल्लुक इस एवान के किसी ग्रुप या पार्टी से क्यों न हो, ये उस की मजहबी जिम्मेदारी है कि वह इस बिल की हिमायत करे।

(व्यवधान)

यह मुसलमानों का मसला है, कोई मजाक नहीं है।

जनाबे डिप्टी स्पीकर साहेब, मैं साफ अलफाज में वाजे कर देना चाहता हूं कि एक मुसलमान को सिर्फ दुनिया ही में नहीं रहना है, वो अपने हर कॉल और हर अमल का अल्लाह के सामने भी जवाब-देह है·····(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : वो देंगे·····(व्यवधान)

श्री मो० महफूज अली खां : ·····**·····(व्यवधान)

जनाबे डिप्टी स्पीकर साहेब, इस बिल में मुतल्लिका मुस्लिम औरत के अगर वुरसा न हों या मदद करने के अहल न हों, तो उसे औकाफ की तरफ रुजू करने का हक दिया जा रहा है। इस सिलसिले में दो बातों कीं तरफ मैं आपकी वुसातत से हाऊस और वजीरे कानून की तवज्जुह दिलाना चाहता हूं—औकाफ की हालत ये है कि वो उन जिम्मेदारियों के औहदाबर आ होने से कासिर है जो अब तक उसके जिम्मे हैं। औकाफ के अखराजात में रोजअफजूं मेंहगाई से इजाफा होता जाता है और आमदनी के इजाफे में बहुत सी दुश्वारियां हाईल हैं जिनमें कानूनी नोईय्यत की भी हैं।

इसलिए, या तो गवर्नमेंट औकाफ की माली मदद करे जो ये खिदमत अंजाम दे सकें या फिर वो खुद ये जिम्मेदारी कबूल करे कि औकाफ की बजाय वो बराहेरास्त मुस्लिम मुतल्लका की इमदाद करे। बल्कि मैं तो ये अर्ज करने की जुर्रत करूंगा कि न सिर्फ मुस्लिम मुतल्लिका बल्कि हर हिन्दुस्तानी मुतल्लिका, जो माली वसाइल से महरुम हो, उसका नान नफका हुकुमत खुद बर्दाश्त करे। चाहे इस सिलसिले में हुकुमत को कोई मामूली नया टैक्स ही क्यों न लगाना पड़े। अगर कोई तबका इस राय से इख्तलाफ रखता हो, तो उसको मुतल्लिका फंड की इमदाद से

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

मुस्तस्ना कर दिया जाए। हुक्मरां जमात और एवान के तमाम तबकात का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने नाचीज की गुजारिशात को तवज्जुह से सुना और मैं उस पर मुस्बत रद्दे अमल का मुन्तजिर रहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सैफुद्दीन चौधरी के बारे में श्री महफूज अली की टिप्पणी को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाला जायेगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (करवा) : मेरा अनुरोध है कि आप इस टिप्पणी को निकालिए नहीं। और मैं कहूंगा कि यदि मैं सताई हुई महिलाओं को उनका हक दिलाने के पक्ष में हूं और उसके लिए यदि मुझे·····** ·····पड़ता है, तो मैं उसके लिए तैयार हूं।

श्री संतोष मोहन देव : (सिलचर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। संसद के प्रत्येक सत्र से पूर्व बिपक्ष दूरदर्शन पर जाकर कहता है कि वह संसद में तूफान लाएगा। वे संसद में एक छोटा-सा तूफान पाये हैं। तूफान का क्या परिणाम रहा है। आज के बाद-विवाद से यह सिद्ध हो गया है कि समग्र विपक्ष विभिन्न टुकड़ों में बंट गया है। कांग्रेस दल जिसकी सौ सालों से अपनी परम्परा है राजीव गांधी के नेतृत्व में एक जुट है। उनके तूफान का यही परिणाम रहा है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि थोड़ी-सी वास्तविकता बहुत सारे सिद्धांतों से अधिक महत्वपूर्ण होती है। हमने विपक्ष से जो कुछ सुना है वह केवल प्रैस के लिए तथा प्रचार के लिए होता है। और अपने तहेदिल से वे इस विधेयक के खिलाफ कोई मूल बात नहीं कह पाए हैं। प्रो० मधु दण्डवते से असम के चुनावों तथा पंजाब के चुनावों तथा पंजाब के चुनावों का जिक्र किया हैं। मैं प्रो० मधु दण्डवते को यह सूचित करना चाहूंगा कि मैंने उस चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ा जहां 45 प्रतिशत लोग धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। 10 दिसम्बर को प्रधान मंत्री ने विपक्ष के दलों के साथ एक बैठक की थी। उस समय उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की देश की धर्म-निरपेक्षता बनाए रखने के परम्परा है और साथ ही विभिन्न समुदाओं के धर्मों का आदर करने की भी परम्परा है। उन्होंने इसे बनाए रखा तथा यह बात समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुई थी। चुनाव में मेरा मुख्य मुकाबला भारतीय साम्यवादीं दल (मार्क्सवाद) से था। उनके प्रवक्ता ने कहा था कि वे पूरी ताकत से विरोध करेंगे और यह मेरे चुनाव में यह एक मुद्दा बन गया था। मैं प्रधान मंत्री के कथन पर दृढ़ रहा। फलस्वरूप अपने चुनाव में मुझे 40 प्रतिशत मुसलमानों के मत मिले। उच्चतम न्यायालय के इस विशेष निर्णय के बारे में मुसलमानों की यह प्रतिक्रिया है जिसके खिलाफ देश की जनता के बल मुस्लिम समुदाय के लोग बल्कि बिभिन्न अन्न समुदाओं के लोग हैं जिसका हम संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं, ने भी इस विधेयक के हक अपना फैसला दिया है। यह विधेयक इस आशा के साथ लाया गया है कि कांग्रेस, जिसने परम्परागत रूप से इस देश के अल्पसंख्याओं का जिनका संख्या 14 करोड़ है, समर्थन किया है, ने अपनी परम्परागत बनाए रखी है। इसलिए मैं इस विधेयक का पूर्णतया समर्थन करता हूं।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

[श्री संतोष मोहन देव]

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं एक बात कहना चाहूंगा। मैंने देखा है कि जब भी श्री उन्नीकृष्णन बोलते हैं, वह बार-बार अपना पतलून खींचते हैं। इस बात से मुझे श्री विन्स्टिन चर्चिल की याद आती है। एक बार हाउस ऑफ कॉमन्स में एक महिला सदस्य ने कहा प्रधान मंत्री महोदय यह बड़ी परेशानी की बाद है कि जब आप यहां आते हैं तो आप अपनी पतलून खींचते हैं।" श्री चर्चिलन ने कहा, "यदि मैं इसे न खींचूं तो और भी परेशानी की बात होगी। इसलिए मैं यही बात कहना चाहता हूं कि विपक्षी सदस्यों को बोलते समय बार-बार अपनी पतलूनें खींचनी चाहिए अन्यथा भविष्य में उनके लिए यह और भी परेशानी की बात होगी।

[हिन्दी]

श्री राज कुमार राय (घोसी) : उपाध्यक्ष महोदय, यह आज का तवारीखी दिन है जब पार्लियामेंट इतनी रात तक चल रही है और हम सब उसमें हिस्सा ले रहे हैं। जब यह सदन चल रहा है तो पूरे हिन्दुस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के सारे लोगों की आंखें, उनकी निगाहें खास कर मुसलमानों की उनके कान इस पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स पर लगी हुई हैं। इसलिए आज के दिन का विशेष महत्व है और यह बिल जो पेश हुआ है इसका बड़ा महत्व है। मैं इस मुस्लिम वीमेन्स (प्रोटेक्शन आफ राइट्स) बिल का समर्थन करता हूं। इस बिल के तीन चार परिणाम हैं। नम्बर 1-यह कांग्रेस, सौ साल की कांग्रेस जिसने आजादी की लड़ाई से लेकर आजादी पाने के बाद तक, संविदान की रचना के समय से लेकर हुकूमत करने तक यह बार-बार वायदा किया है कि अगर वह हुकूमत में है तो वह अक्लियत के हितों की रक्षा करेगी, शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के हितों की रक्षा करेगी और वह रक्षा करेगी इस देश में रहने वाले तमाम उन लोगों की जो किसी तरह से दबे हैं, पिसे हैं, शोषित और पीड़ित हैं।

आज यह एक ऐतिहासिक दिन है जो कांग्रेस अपने राजीव गांधी के साथ एक कतार में खड़ी होकर एक राय से, एक डिसिप्लिन्ड पार्ट के रूप में अपना वायदा पूरा कर रही है इस बिल के जरिए कि हमारी कांग्रेस को हुकूमत में किसी भी अक्लियत को कोई तकलीफ नहीं है। किसी की भावना को कोई ठेस नहीं पहुंचेगी, किसी के व्यक्तिगत कानून में, किसी के पर्सनल ला में किसी भी किस्म का इन्टरफेरेस नहीं होगा। कल होने वाली सुबह इस बात का फैसला करेगी, इस देश के मुसलमानों के मन की शंका को समाप्त करेगी कि कांग्रेस के राज में कांग्रेस हुकूमत में किसी के वैयक्तिक कानून में कोई मदाखलत नहीं होगी।

दूसरा पहलू है इस बिल के सम्बन्ध में विरोधी दलों में बो० जे०पी० कोकोई महत्व ही नहीं है, इस बिल पर उनका नजरिया एकदम बिल्कुल साफ है और मैं समझता हूं कोई सोच भी नहीं रहा होगा कि वे 'या कहेंगे। इसका कुछ मतलब जनता पार्टी से हो सकता था लेकिन उपाध्यक्ष जी, आप देख रहे हैं जनता पार्टी के उंगलियों पर गिने चुने दो-चार सदस्य हैं इस सदन में और वे जितने भी हैं उतनी ही उनकी रायें हैं। अभी शहाबुद्दीन साहब क्या कहेंगे वह आप सुन लेंगे। कई दिन

से टेक्निकल प्वाइन्ट उठाकर अपनी सारी बुद्धि का, सारे विवेक का, अपनी सारी पढ़ाई-लिखाई का उसमें दुरुपयोग हमारे प्रोफेसर मधु दण्डवते जी कर रहे हैं। उनकी सारी पढ़ाई-लिखाई का, उनके संसदीय अनुभव का लाभ होता इस सदन को अगर वे देश की अक्लियतों के पक्ष में बहस करते और ऐसी लाजिक देते जिससे उनके मन में जो भी आशंका थी वह खत्म होती लेकिन जनता पार्टी क्या कर रही है ? शहाबूद्दीन जी बलिया से अपने सोरा स्थान से भागकर यहां चले आए और जनता पार्टी बेनकाब हुई। (व्यवधान)...पांच मिनट जरूर दें।

(व्यवधान)

मैं लोकदल के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। (व्यवधान)...इस सदन की राय जान करके, अभी एक ही सदस्य चौधरी चरण सिंह के नीचें थे, लेकिन खरबूजे की तरह से वे कैसे रंग बदल गए। उनकी यहम्मत नहीं रह गई। उन्होंने सपोर्ट किया है इस बिल को। अगर समय मिलता तो अपोजीशन के दूसरे लोग भी इस बिल को सपोर्ट करते। (व्यवधान)...

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। आप सभा का समय बर्बाद कर रहे हैं। कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं होगा।

श्री राजकुमार राय...* *...

[अनुवाद]

श्री पी० एम० सईद (लक्ष्द्वीप) : उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक इस सभा के समक्ष है मैं उसका समर्थन करता हूं। महोदय इस सभा के समक्ष जो विधेयक है वह संविधान संशोधन विधेयक नहीं है। लेकिन मैं यह समझता हूं कि स्वतन्त्र भारत में मैंने पिछले 20 वर्ष वर्ष में ऐसा नहीं देखा कि इतने सामान्य विधेयक पर इतना अधिक उत्साह दिखाया गया हो।

महोदयों, इस विधेयक की विषय वस्तु को माननीय विधि मंत्री ने पहले ही काफी स्पष्ट कर दिया है और उनके बाद उनके अपने राज्य मंत्री एवं गृह राज्य मंत्री और श्री पंत ने भी इस पर भी इससे स्पष्ट किया है। सभी ने इसके सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी है। यह कार्यवाही पिछले वर्ष शाहबानो के मामले में हुई गड़बड़ के कारण आवश्यक हो गई थी। महोदय अब यह सारी चर्चा खासतौर पर विपक्ष द्वारा दूसरे नजरिए से राजनीतिक नजरिये से दी जा रही लगती है। उन्होंने एक विधेयक की प्रमुख बातों का उल्लेख नहीं किया है। अपितु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 की चर्चा ही की है जैसे कि सब कुछ धारा 125 के अधीन ही होता हो। और इससे सब कुछ छीन लिया गया है। इस बाद-विवाद से यही धारणा पैदा हुई है। और मैंने मित्र श्री दुबे .. मैं आप से भी अधिक जोर से बोल सकता हूं।

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री नारायण चौबे : बोलते क्यों नहीं ?

श्री पी० एम० सईद : कुल मिलाकर...(**व्यवधान**)...चौबे हो या दुबे बात तो एक ही है। थी सैफुद्दीन सोज चौधरी और चौबे-ये तीनों ही विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के उत्थान के लिए किए जाने वाले विकासात्मक कदमों के प्रति चिन्तत हैं। लेकिन वे होते कौन हैं ? इसकी शुरूआत केरल में की गई। श्री चटर्जी के नेता श्री ई० एम० एस० नबूदरीपाद ने केरल से इसकी शुरूआत की। पिछले 60 वर्षों में वह बस 60 ही सदस्य जुटा पाए। और धर्म अथवा धार्मिक कानूनों में उन का कोई स्थान न ही है, और अब वह इस स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) के मामले में अगुवा बनना चाहते हैं। मेरे माननीय मित्र श्री चटर्जी जिनके पिता यहां पर तब थे जब मैं यहां संसद सदस्य के रूप में आया था, वह संविधान के एक बड़े विशेषज्ञ थे, कम से कम इसे पढ़ने का कष्ट उठा सकते थे यदि उन्होंने इसे नहीं पढ़ा, तो मैं इसका दावा नहीं करता, लेकिन उनके राजनीतिक लाभ के उद्देश्य के लिए शायद उन्होंने जानबूझकर मुख्य बातें नहीं बताई हैं। चौधरी ऐसा कर सकते थे। (**व्यवधान**)...

महोदय, उनके बारे में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। उनके पास उनकी अपनी बाईबल कार्ल मार्क्स की '**दास कैपीटल थ्यौरी**' है। वे सी० पी० आई (एम) तथा सी० पी० आई नहीं है वे रूढ़िवाद के आधार पर भी लड़ रहे हैं। वे एक दूसरे से एक ईंच भी दूर हटने के लिए तैयार नहीं है। वे पास आने की स्थित में नहीं हैं। इसलिए वे हमारे उस प्यारे नेता को चुनौती देकर तथा उनके खिलाफ शिकायत करके रूढ़िवाद के खिलाफ बात कर रहे हैं, जिन्होंने अनुभव किया है कि 49 प्रतिशत मुसलमानों श्री चौधरी ने इस संख्या को 90 प्रतिशत कहा था, मैंने इसमें संशोधन कर दिया है और कहा है कि देश के 99 प्रतिशत मुसलमानों ने इस उपाय (विधेयक) का स्वागत किया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि हमने ऐसा उपाय किया है। प्रारम्भ से ही यहां तक कि स्वतन्त्रता आन्दोलन से लेकर अब तक और संविधान कमाते समय हमने यह कार्य किया है हमने यह आश्वासन दिया है कि किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के किसी भी स्वीय कानून में हस्तक्षेप न किया जाएगा अथवा रुकावट नहीं डाली जाएगी। और इसलिए यह हमारी समृद्ध विरासत और हमारी विरासत है। इस देश में धर्म निरपेक्षता यह विधेयक इस देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा तथा विश्वास की पुष्टि करता है तथा उन्हें पुन: इसका आश्वासन देता है। मुझे याद नहीं आ रहा है कि वह माननीय सदस्य कौन है जिसने विपक्ष की ओर से भाषण दिया है लेकिन उसने कहा है कि यह विधेयक केवल अल्पसंख्यकों के मत बटोरने के लिए ही लाया गया है। महोदय अल्पसंख्यक जानते हैं कि उनके लिए अच्छे काम कौन कर रहा है। इसलिए बात 16 वर्षों से आपको केवल 16 प्रतिशत मत मिले हैं। 10 वर्षों से आपको कम से कम एक प्रतिशत मत मिले हैं। (**व्यवधान**)...

मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मेरा ध्यान बंट गया है। परन्तु मुझे एक बात अवश्य कहनी है कि कांग्रेस दल इस देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए मूलभूत नीतियों में विश्वास रखता है। साथ ही आप मुझे परम्परावादी अथवा कोई तर्क दिए बिना किसी भी चीज में

विश्वास करने वाला व्यक्ति कह सकते हैं। लेकिन एक बात है, जिस रूप में विधि राज्य मंत्री श्री भारद्वाज ने इसे प्रस्तुत किया है, मुस्लिम स्वीय विधि कुरान और हाफिज पर आधारित है। हम विश्वास करते हैं कि यह ईश्वरीय विधि है और यह विधि मूलभूत है। मान लीजिए इस्लामी परम्परावाद के अनुसार जब तक कोई व्यक्ति अपने देश की प्रभुसत्ता तथा राष्ट्रवाद में विश्वास नहीं रखता तब तक उसे मुसलमान नहीं माना जा सकता है। मैं किस स्थिति में हूं? उनकी व्याख्या के अनुसार मैं परम्परावादी नहीं हूं। मैं एक "परम्परावादी" नहीं हो सकता? यदि मैं एक "परम्परावादी" नहीं हो सकता तो मैं एक "राष्ट्रवादी" भी नहीं हो सकता। (व्यवधान)

साथ ही प्रत्येक चुनाव में हम अपने घोषणा पत्रों में यह आश्वासन देते रहे हैं कि हम अल्प संख्यकों की स्वीय विधियों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और इसलिए यदि आप इसे परम्परावाद कहते हैं तो वस्तुत: यह आपकी अपनी मर्जी पर है आप ऐसा कर सकते हैं।

अब जहां तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 का सम्बन्ध है इसमें दो शर्तें दी गई हैं। मान लीजिए, किसी तलाकशुदा पत्नी के पास कुछ नहीं है, केवल तभी वह भरण-पोषण की हकदार है। साथ ही उसका पति, जो उसकी देखभाल करने की स्थिति में है, उसकी अवहेलना करता है केवल तभी यह धारा लागू होती है। मान लीजिए एक तलाकशुदा औरत जिसके पास कुछ नहीं है, यह धारा उसे कोई संरक्षण नहीं देती है। जबकि इस विधेयक में, स्वीय विधि के अनुसार उसे भरण-पोषण की गारन्टी दी गई है।

मेरे पास समय नहीं है। मैं अपने प्रिय नेता श्री राजीव गांधी को बधाई देता हूं जिन्होंने इन सब विरोधों के बावजूद, सब प्रकार के दबावों के बावजूद ऐसा साहसिक कदम उठाया है और यह विधेयक प्रस्तुत किया है। सही दिशा में सोचने वाला इस देश का प्रत्येक नागरिक इस विधेयक का समर्थन करेगा। मेरी अपील से हो सकता है। आय पर कोई असर नहीं पड़े। मैं इस बात को जानता हूं। फिर भी आशा के विपरीत में आशा करता हूं और यह अपील करता हूं कि उन्हें भी इस विधेयक को समर्थन करने की बुद्धिमानी दिखानी चाहिए।

मैं तहेदिल से इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक घोषणा करना चाहता हूं। 11.30 बजे मंत्री महोदय इस बहस का उत्तर देंगे। इसलिए हमारे पास केवल 40 मिनट है।

एक माननीय सदस्य : इसे कल कर लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं। 11.30 बजे रात को मंत्री महोदय इसका उत्तर दे रहे हैं। हमारे पास एक घंटे से कम समय है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि प्रत्येक सदस्य को केवल 4 मिनट दिये जाएंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हम सुबह से ही इस पर चर्चा कर रहे हैं।

मेरा माननीय सदस्यों से विनम्र अनुरोध है कि वे इसमें सहयोग देंगे। जब मैं पहली घंटी बजाऊं तो आप 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करने का प्रयास करना। दूसरी घंटी बजने के बाद यदि माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखता है तो उसे सभा की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोडी) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे बोलने से पहले यहां कई बातें कही जा चुकी है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित करें किसी और को नहीं।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मेरी बात को सुनिये। जितने भी यहां कांग्रेस के मेम्बर है उनकी जेबों में टेप-रिकार्डर लगाया जाना चाहिए। क्योंकि वे सेन्ट्रल हाल में कुछ बोलते हैं और यहां क्या बोलते हैं। सेन्ट्रल हाल में उनका मन इस बिल के पक्ष में नहीं था। अगर टेप रिकार्ड लगा हो तो मालूम पड़ जाए। (व्यवधान)

कई मित्रों ने इस बिल का विरोध किया। आप लोग कानून के साथ खेल रहे हैं। इस खेल को खेलने के लिए आज हमारे भगत साहब और आजाद साहब बड़े-बड़े सेनापतियों को लेकर बैठे हुए हैं। इससे पहले छोटे-छोटे आदमी बात करते थे। आज विरोधी लोगों को मुकाबला करने के लिए बड़े-बड़े केबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर यहां बैठे हैं। आप लोग सेन्ट्रल हाल में अलग बात बोलते हैं और इस हाल में अलग बात बोलते हैं। आपने उन लोगों का रवैया देखकर बड़े-बड़े कैबिनेट मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर को यहां बुलवाया है। यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, यह कोई संवैधानिक संशोधन भी नहीं है फिर भी आप इसको इतना महत्व दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं कि उस कम्युनिटी को आप अपने साथ लाना चाहते है। कांग्रेस वाले सत्ता में रहने के लिए और उस कम्युनिटी को साथ रखने के लिए यह बिल लाये है। उनको खुश करने के लिए बिल लाए है। इस विधेयक से न तो देश की एकता कायम रहेगी, नहीं मुस्लिम महिलाओं की रक्षा होगी। अगर होगा तो कांग्रेस का सत्ता में रहने के लिए उपयोग होगा।

मैं पूछना चाहता हूं कि जब से देश आजाद हुआ है, बीच में दो-तीन साल छोड़कर आप ही सत्ता में है और आप इस देश की एकता और अखंडता के बारे में बात भी करते होते फिर पंजाब में अखंडता क्यों टूट रही है, असम में अखंडता क्यों टूट रही है। आप जब दक्षिण में जाते हैं तो हिन्दी के खिलाफ बात करते हैं और उत्तर में हिन्दी की बात करते हैं। आप दूसरों को संतुष्ट

रख कर सत्ता में बने रहना चाहते हैं। आप दक्षिण में हिन्दी नहीं लाना चाहते और यहां माइनोरिटी के बोट लेने के लिए कोमन सिविल कोड नहीं लाना चाहते।

बहुत से देशों में कामन सिविल कोड है। कम्युनिस्ट कन्ट्रीज में भी कामन सिविल कोड है। मुझे आप बताइये कि अगर कोई हिन्दु इस्लामी मजहब में शादी कर लेता है तो वह किस कानून के तहत जिन्दगी गुजारेगा ? इन्टर कास्ट, इन्टर रिलीजन मेरिज करने वालों के लिए कौन-सा कानून बनता है। अगर कोई महिला जो हिन्दु है और मर्द मुसलमान है तो वे किस कानून के साथ जायेंगे ? इसलिए इस देश की एकता के लिए यह बहुत जरूरी है। आप एक कामन सिविल कोड बनाइये।

हर चीज के लिए कोड होना चाहिए, एक भाषा होनी चाहिए। अगर यह आप लोग नहीं कर सकते है तो फिर देश को खतरा है और देश की एकता और अखंडता को आप लोग काय्म नहीं रख सकते हैं। आप लोगों ने बनातवाला जी को एक साल का समय दिया ताकि वे मुसलमानों को बहका सकें, प्रोत्साहित कर सकें और फिर मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए आए यह बिल लाए हैं। स्वतन्त्रता के बाद मुसलमानों के दो गुरु हुए हैं एक राजनीतिक गुरु और एक धार्मिक गुरु, यह राजनीतिक गुरुओं के प्रभाव में आकर कानून लाया गया है, इससे मुसलमान औरतों का कोई भला होने वाला नहीं है और न ही यह देश के लिए हितकारी है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री मती शीला दीक्षित (कन्नौज) : इस विधेयक के सम्बन्ध में मैं सभा का ध्यान कुछ मुद्दों की ओर दिलाना चाहती हूं। जिन्हें मैंने इस विधेयक के बारे में नोट किए हैं।

कई सप्ताह पहले जब यह विधेयक इस सभा में पुन: स्थापित किया गया था तभी से इस पर पूरे देश में काफी महमागहमी हुई है। प्रेस में, और जहां कहीं भी इस पर चर्चा हो सकती थी, जोर शोर से चर्चा हुई है। हर किसी ने विधेयक की अपने ढंग से व्याख्या भी है। कुछ ने इसे शरीयत के हक में माना है। कुछ ने शरीयत के खिलाफ। कुछ इसे मुसलमान महिलाओं के हक में मानते हैं जबकि कुछ इसे इनका विरोधी और जहां कुछ लोगों ने इसे संविधान समर्थक माना है तो दूसरों ने इसे विरोधी माना है। वातावरण भावनाएं उभर आई है और शायद अब इसलिए संतुलित रवैया नहीं अपना पाए हैं। एक तरफ रूढ़िवादी और पुरातन पंथी है तो दूसरी ओर तथा कथित आधुनिक विचार धारा के लोग हैं जो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं और जो अपने ढंग से इस विधेयक की व्याख्या कर रहे हैं। ये दो पराकास्टाएं हैं। और ऐसा वातावरण संतुलित दृष्टि-कोण अपनाने में सहायक नहीं है। मेरे विचार से सभी भाषणों में जो एक मुद्दा रखा गया है वह यह है कि विधेयक देश के एक ऐसे समुदाय के लोगों की आकांक्षाओं तथा सामाजिक धार्मिक आस्थाओं और रीति रिवाजों को सम्मान देने के लिए लाया गया है जो भारत को अभिन्न मांग है। यदि किसी समुदाय का एक बहुत बड़ा वर्ग यह मानता है कि इनकी महिलाओं को 'मेहर' 'इद्दात' पैत्रिक सम्पत्ति हिस्सा, 'माटा' इत्यादि के रूप में पर्याप्य संरक्षण प्राप्त हैं और तलाकशुदा आदमी से कुछ भी लोग 'गुना' या 'हराम' है तो उनकी इज्जत की जानी चाहिए।

[श्रीमती शीला दीक्षित]

मैं सभा का ध्यान दूरदर्शन पर शाहबानों द्वारा दिए गए साक्षातकार की ओर दिलाना चाहती हूँ जिसमें उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि मैं ऐसा जानती कि धारा 125 के अन्तर्गत भरण-पोषण के लिए खर्चा मांगना उनके धर्म के खिलाफ है तो वह ऐसा करना कभी सोच भी नहीं सकती। यह विधेयक इसी प्रकार की भावनाओं को सम्मान देता है। मुसलमानों को अपना धर्म मानने, अपनी संस्कृति को बनाए रखने का मौलिक अधिकार देने के साथ-साथ उनकी भावनाओं का भी यथोचित आदर हो यही इस विधेयक द्वारा सुनिश्चित किया गया है। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि इस अधिकार का समर्थन न केवल संविधान की प्रस्तावना से ही होता है जिससे भारत को एक धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतन्त्र घोषित किया गया हो अपितु संविधान के अनुच्छेद 25 और 29 के अन्तर्गत प्राप्त मूल अधिकारों की भी गारंटी हो गई है। यह विधेयक मुस्लिम स्वीय विधि साथ ही भी मान्यता देता है जो तलाकशुदा औरत के लिए अपने सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों के मुताबिक उनके संरक्षण और भरण-पोषण की व्यवस्था करता है। यह कहा गया है कि धारा 125 शरियत के खिलाफ नहीं है और ना ही यह मुसलमानों की आस्थाओं के विरोध में है। हो सकता है यह ठीक हो किन्तु शरियत की अनेक ढंग से व्याख्या की गई है लेकिन वह व्याख्या जिसे हमारे चालीस करोड़ बहन-भाई मानते हैं वह यह है कि यदि तलाकशुदा बीबी को अपने तलाकशुदा पति से कुछ भी लेने का हक नहीं है। उनकी इसी आस्था और रिवाज को इस विधेयक में मान्यता दी गई है और सम्मान दिया गया है।

(व्यवधान)

इसकी बात की भी कड़ी आलोचना की जा रही है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत आप दो मापदण्ड नहीं अपना सकते है। दण्ड प्रक्रिया संहिता समूचे देश के नागरिकों पर एक समान रूप से लागू होती है। मैं इस सम्मानीय सभा का ध्यान इस मुद्दे की ओर दिलाना चाहती हूं कि धारा 125 तलाकशुदा औरतों को संरक्षण प्रदान करती है जो सभी नागरिकों के लिए समान हो और न ही यह स्वतन्त्रता अथवा समानता के अधिकार की रक्षा करती है। यह तो केवल एक कल्याण-कारी प्रावधान है—वास्तव में मात्र एक न्यूनतम प्रावधान है। प्रस्तावित विधेयक द्वारा मुस्लिम स्वीय विधि और रीति-रिवाजों के अनुसार तथा उनके अन्तर्गत न्यूनतम प्रावधान की व्यवस्था की गई है। केवल इसमें तलाकशुदा औरत को मासिक खर्चा देने की बात को स्वीकार नहीं किया गया है और ऐसा मुस्लिम समुदाय की भावनाओं के अनुरूप किया गया है क्योंकि वे यह मानते है कि एक बार शादी का बन्धन टूट जाने पर तलाकशुदा पति से भरण-पोषण खर्च लेना गुनाह है।

अन्त में मैं समान सिविल कोड बनाने की बात पर बल देना चाहूंगी जिसका समर्थन देश के महान् नेता डा० अम्बेडकर ने भी किया था। इससे महिलाओं को विशेषकर यह लाभ होगा यदि वे अपने समुदाय विशेष के विद्यमान विवाह कानूनों से सन्तुष्ट नहीं तो उन्हें एक विकल्प और मिल जाएगा। मैं इस बात पर भी जोर देना चाहूंगी कि जिस प्रकार हमारे देश में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है उसी प्रकार विवाह का पंजीकरण भी अनिवार्य किया जाए

और पंजीकरण की वर्तमान प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। निजी धार्मिक और सामाजिक आस्थायों की मर्यादा को बनाए रखा जाना चाहिए। किसी भी राज्य अथवा देश के लिए यह स्थिति एक आदर्श स्थिति होगी जिसमें देश के धर्मों, सम्प्रदाओं तथा समुदाओं को सम्मान करते हुए लोकतन्त्र, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांतों के प्रति वचन वद्धता के साथ ऐसे समान सिविल कोड की व्यवस्था हो।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करती हूं।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (मंजेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अत्यन्त महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक विधेयक, मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 1986 का स्वागत करता हूं। यह विधेयक मुस्लिम समुदाय की आकांक्षाओं को बहुत हद तक पूरा करता है। तथा मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ध्यान में रखता है। साथ ही मैं यह समझता हूं कि जहां तक तलाकशुदा स्त्री के भरण-पोषण का सम्बन्ध है। इसमें शरीयत के निदेशों को भी अन्तर्विष्ट किया गया है। मैं इस विधेयक का दिल से और पूरी जिम्मेदारी से समर्थन करता हूं। यह शरियत में हस्तक्षेप को रोकता है और मुसलमानों में यह विश्वास पैदा करता हैं कि उनके धर्म और उसके आवश्यक पहलुओं में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा और इस देश में उनका धर्म सुरक्षित है। इस विधेयक को पारित करके यह सम्मानीय सभा लोगों के दिल में यही भावना पैदा कर रही है। मैं विधेयक का समर्थन इसलिए भी करता हूं क्योंकि यह संविधान के धर्म निरपेक्ष स्वरूप को बरकरार रखता है इस बात की भी पुष्टि करता है कि संविधान के अनुच्छेद 25 के अन्तर्गत दिए गए मौलिक अधिकार के अन्तर्गत इस देश में हमें जिस भी धर्म में आस्था है उसे अपनाने मानने और उसका प्रचार करने की पूरी स्वतन्त्रता है। मेरा विश्वास है कि यह विधेयक राष्ट्रीय एकता को मजबूत करेगा। किन्तु मेरा यह विचार है कि जैसा श्री पन्त ने कहा है। राष्ट्रीय एकता समीकरण अथवा संसद द्वारा कानून बनाने की प्रवृत्ति से नहीं लाई जा सकती है किन्तु एकता सह अस्तित्व के सिद्धांत तथा उन विभिन्न धार्मिक समुदाओं के पृथक् अस्तित्व को स्वीकार करके की ही लाई जा सकती है जो उसके सभी मूल सिद्धांतों और दैनिक कानून के सहित यह महसूस करें कि उनका धर्म सुरक्षित है और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। मेरे बिचार से हमारे देश में जो अनेक धर्मों वाला, अनेक संस्कृतियों वाला और बहुभासी है, समान सिविल संहिता के माध्यम से राष्ट्रीय एकता प्राप्त करने की बात सोचना मात्र भ्रम है।.....

(व्यवधान)

इसके विपरीत यदि आप समान सिविल संहिता लागू करेगी तो उससे राष्ट्रीय एकता को क्षति पहुंचेगी। अत: हमें विविधता में एकता के सिद्धांत द्वारा ही राष्ट्रीय एकता प्राप्त करनी है अन्यथा यह सम्भव नहीं होगा। इसलिए स्वतन्त्रता संघर्ष के दौरान भी समान सिविल संहिता के बारे में कभी नहीं सोचा गया था। हमारे संविधान में भी समान सिविल संहिता बनाने की बात की सिफारिश ही की गई है इसे अनिवार्य नहीं बनाय गया।

[श्री इब्राहीम सुलेमान सेट]

मुझे एक बात और कहनी है। प्रधान मंत्री ने इस विधेयक के सम्बन्ध में जो सैद्धांतिक दृष्टिकोण अपनाया है और जिस साहस का परिचय दिया है मैं उसकी सराहना करता हूं।

शुरू से ही इस बारे में उनके विचार बिल्कुल स्पष्ट थे और इस बारे में उन्हें कोई पूर्वाग्रह नहीं थे और जब वह हमारे मामले को औचित्य से सहमत हो गए तो वे दृढ़तापूर्वक इसके लिए खड़े हो गए तथा बहुत साहस और दृढ़ता से उदाहरण देकर इसका पक्ष सामने रखा किया। इसके कारण, मुस्लिम अल्पसंख्यक लोग उनके आभारी हैं। इस विधेयक में कुछ कमियां हैं परन्तु मुझे विश्वास है कि मेरे और मेरे साथी श्री बनातबाला द्वारा प्रस्तुत किए गए कुछ संशोधनों को स्वीकार करके इस विधेयक में सुधार किया जा सकता है।

महोदय, इस विधेयक की विस्तृत जांच करने के बाद यह ध्यान दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि उच्चतय न्यायालय के निर्णय के प्रभाव को निष्प्रभावी करना आवश्यक हो गया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की विस्तृत जांच नहीं कर रहा कि किस प्रकार यह संसद के उस दृष्टिकोण के प्रतिकूल है। जो 1973 में प्रदर्शित किया गया जब इस सभा खण्ड 127 तीन (ख) पुरस्थापित किया गया और पारित किया गया। मैं इस बात के विस्तार में भी नहीं जा रहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय में किस प्रकार धार्मिक कुरान की छुटपुट आयतों की गलत व्याख्या की गई है। परन्तु मैं समझता हूं कि इस निर्णय में उस मुस्लिम स्वीय विधि का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है जो कि एक महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ कानून है और जो 1937 के शरीयत विनियोग अधिनियम के अन्तर्गत संरक्षित है।

जब उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अनिष्ट कर दिया गया तो संसद, जो कि सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है, के पास केवल एक ही उपाय था कि दंड प्रक्रिया संहिता के खण्ड 125 में संशोधन करके मुस्लिम स्वीय विधि को संरक्षण करे। केवल संसद ही उच्चतम न्यायालय के निर्णय को रद्द कर सकती है और इस उद्देश्य के लिए यह विधेयक आपके समक्ष है।

शाहबानो के मामले में दिए गए निर्णय के बाद मुसलमानों में काफी रोष उत्पन्न हो गया और वास्तव में यह सम्पूर्ण देश में इस निर्णय के विरुद्ध मुसलमानों द्वारा किया गया एक व्यापक आन्दोलन था। मुस्लिम स्वीय विधि के संरक्षण के लिए मुस्लिम समुदाय की इस मांग को समझने के बाद यहां यह विधेयक लाया गया है।

अत: यह विधेयक इस देश में मुसलमानों की धार्मिक संघर्ष की पराकाष्ठा है जो वास्तव में धार्मिक और लोकतन्त्रिक संघर्ष है। मैं जानता हूं धर्म निरपेक्षवाद क्या है—इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुरूप रहने की पूर्णस्वतन्त्रता प्रदान की जाती है और किसी धर्म में हस्तक्षेप नहीं किया जाता। इसलिए इस देश में मुसलमानों को अपने धर्म के एक अंग के रूप में शरीयत का अनुपालन करने की पूर्ण स्वतन्त्रता है। आज इस अधिकार को संरक्षण दिया गया है और इसलिए हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं।

इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं एक दो बातें कहूंगा। जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, यह विधेयक मुसलमानों केवल मुसलमानों में सम्बन्धित है। जब इस विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया तब इस देश के प्रधान मंत्री ने मुस्लिम उलेमास, मुस्लिम विद्वानों, मुस्लिम संसद सदस्यों, मुस्लिम वकीलों और मुस्लिम महिलाओं से परामर्श किया जिन्हें इस विषय की जानकारी थी। उन लोगों से विचार विमर्श करने के बाद यह विधेयक प्रस्तुत किया गया।

जहां तक मेरे दल का सम्बन्ध है, मुझे गर्व है कि मेरे दल ने इस विधेयक को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और मेरे मित्र श्री बनातवाला ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद पिछले वर्ष 10 मई को इस सभा में एक गैर सरकारी विधेयक पुरस्थापिक किया। इससे न केवल इस सभा में इस विषय पर विस्तृत चर्चा करने के लिए सदस्यों को सुअवसर प्राप्त हुआ अपितु सम्पूर्ण देश में भी इस विषय पर विस्तृत चर्चा की गई। मैंने स्वयं प्रधान मंत्री जी के साथ मुस्लिम विद्वानों और नेताओं की एक संकट कालीन बैठक का आयोजन करने का दायित्व निभाया मैं अपने बायों ओर बैठे अपने मित्रों को यह समझाने का प्रयास करने के लिए बल दे रहा हूं कि शरीयत कुरान के आदेशों और पैगम्बर द्वारा स्थापित परम्पराओं पर आधारित है और हमारे मित्रों को यहां इसके अवमूल्यन नहीं करना चाहिए। वह शरीयत के मेरे समर्थन को एक अधोमुखी कदम मानते हैं जबकि शरीयत एक ईश्वरीय विधान है जो सभी समय और स्थितियों के लिए हैं इस तथ्य को समझना होगा।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे मित्र माता और भरण-पोषण खर्च के अन्तर को समझने में असमर्थ हैं। 'माता' इससे अलग परिस्थितियों में दिया जाता हैं। यह केवल एक अस्थाई प्राप्त है और वह भी केवल विशेष परिस्थितियो में प्रदान की जाती है। अध्याय दो की आयत 241 और 242 को उसी अध्याय की आयत 228 और 236 तथा अध्याय 65 की आयत 4 और 6 के साथ रखकर विचार करना होगा। तब माता और भरण-पोषण के बीच अन्तर स्पष्ट होगा। निश्चय ही शरीयत मुस्लिम महिलाओं को दंड प्रक्रिया संहिता के खण्ड की तुलना में 125 अधिक संरक्षण प्रदान करती है। दंड प्रक्रिया संहिता के खण्ड 125 के अन्तर्गत यदि पति गरीब है तो इसका कोई और उपाय नहीं है जबकि शरीयत के अनुसार यदि महिला अपने पहले परिवार के पास वापस चली जाती है तो उसके पिता, बेटे, भाई और अन्य सम्बन्धियों पर उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी निभानी होगीं।

अन्त में मैं संविधान सभा में डा० अम्बेडकर द्वारा की गई चर्चा का उल्लेख करना चाहता हूं जब उन्होंने कहा था :

> "कोई भी सरकार अपनी शक्तियों का इस प्रकार प्रयोग नहीं कर सकती जिससे मुस्लिम समुदाय विद्रोह के लिए भड़के हों। मैं समझता हूं कि यदि सरकार ऐसा करती है तो वह बुरी सरकार होगी।"

मौजूदा सन्दर्भ में मैं सरकार के विरोध में हूं। फिर यह मामला स्पष्ट होगा। विरोधी पक्ष को इस प्रकार से व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे यह प्रभाव पड़े कि वह धार्मिक स्वतन्त्रता को समाप्त कर रहे हैं और धर्म निरपेक्षता की जड़े काटना चाहता है। इसलिए मैं विरोधी पक्ष से अपील करूंगा कि वे अंधा विरोध करना बंद करें और अन्य समुदाओं के साथ समान बने रहने और अल्पसंख्यकों को अपनी अलग पहचान बनाए रखने के लिए अल्पसंख्यकों का समर्थन करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अजीज कुरेशी कृपया अपनी सीट पर बैठिए। कोई तर्क-वितर्क नहीं कीजिए। मैंने अगले वक्ता को बुलाया है। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री अजीज कुरेशी (सतना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजनीति शास्त्र के एक बहुत बड़े विद्वान श्री सी० एम० जोड़ ने कहा था कि :

[अनुवाद]

"समाजवाद एक टोप के समान है जिसकी शक्ल बदल गई है क्योंकि इसे सभी लोग इस्तेमाल करते हैं।"

[हिन्दी]

यदि श्री सी० एम० जोड़ आज जिन्दा होते, तो आज के हालात को ध्यान में रखते हुए, वे कहते कि :

[अनुवाद]

"धर्म निरपेक्षया एक टोप के समान है जिसकी शक्ल बदल गई है क्योंकि इसे सभी लोग इस्तेमाल करते हैं।"

(व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब से शाह बानों का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया···

(व्यवधान)

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : लगता है कि सारी पार्टियां सैक्यूलर हो गई हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांति बनायें रखें।

[हिन्दी]

श्री अजीज कुरेशी : जब से शाहबानों का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया है···(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्री उपाध्यक्ष महोदय, सदस्यों द्वारा दिया गया भाषण कौन सुन रहा है ? (**व्यवधान**)

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण मामयों के विवरण को लिखने के लिए यहां कोई नहीं है (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठिए। कुछ माननीय मन्त्री जी यहां बैठे हैं और वह आपका भाषण सुन रहे हैं।

श्री अमल दत्त : महोदय, यहां हम जिस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं वह बहुत ही महत्व-पूर्ण है और सरकारी पक्ष में मामलों के विवरण को नोट करने के लिए यहां कोई नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है। माननीय मंत्री जी यहां हैं।

(**व्यवधान**)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब से शाहबानों का फैसला हुआ है, लगता है कि देश की सारी पार्टियों सबसे बड़ी सैकुलर हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी सैकुलर, मुस्लिम लीग सैकुलर जमायते इस्लामी सैकुलर और लगता ऐसा है कि इन सारी पार्टियों के लिए मुस्लिम तलाकशुदा औरतों के अलावा कोई मसला बाकी नहीं रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, किसी ने कभी कोशिश नही की कि इनकी एजूकेशनल, सोश्यल बैकवर्ड-नेस को देखतीं, किसी ने कोशिश नहीं की कि इनके जले हुए घर, मकबूल शहीद, लुटे हुए सुहाग यतीम बच्चे और लुटे हुए घरों को देखे। किसी ने ये जो चीजें देखने की तकलीफ गवारा नहीं की लगता है कि सारे लोगों को एक काम यही रह गया है कि मुसलमान तलाकशुदा औरतों को किस तरह राहत मिले और मामला सिर्फ इतना है कि उनको राहत देने के लिए सैक्शन 125 तहत आप संरक्षण देना चाहते हैं या एक वह कानून जो 1460 से पहले लागू किया गया था जिसको दुनियां के करोड़ों लोग मानते हैं और वह अपनी आइडेंटिटी को कायम रखते हुए उसके अन्दर किसी किस्म की दखलंदाजी पसंद नहीं करते हैं, बर्दाशत नहीं करतेहैं, सिर्फ इतना मामला है। सैक्शन 125 में अगर हस्बैंड मर जाए, या भाग या गायब हो जाए, या उसकी हालत न रहे मेंनटेनस देने के लिए, तो हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि तलाकशुदा औरत को रिलीफ दिला सके। उसके बाद इल्जाम हम पर है। हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के ऊपर है कि उन्होंने अपने आपको फण्डमेंटलिज्म के आगे सरेण्डर कर दिया है, फण्डमेंटलिज्म के हवाले कर दिया है। मिसाल दी जाती है बनातवाला साहब के बिल की। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि बनातवाला

साहब का बिल कुछ नहीं था। यह थामस रोयूगोपिया जैस्त था इसके अन्दर मुसलमानों को सैक्शन 125 के अन्दर एग्जम्पूट करने के अलावा कोई आल्टरनेट नहीं था, इनके पास इस मसले का कोई हल नहीं था, इन्होंने मसले का कोई हल नहीं दिया था। यह बिल जो हम आज लेकर के आए हैं इसके अन्दर कुरान की हिदायत के मुताबिक, कायदे के मुताबिक पूरा जो सिस्टम है, वह पूरा सिस्टम दिया गया है और पूरे मसाइल को हल करने की बात की गई है।

उपाध्यक्ष जी, मुझे याद है किताब थी बड़ी मशहूर रस्किन की "अन-टू-द ग्रास्ट" रस्किन ने जब यह किताब लिखी तो बाइबिल से होसला मांगा अपने आपको, अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए। किताब की थीम थी कि समाज की कितनी ही कम से कम माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी क्यों न हो, बड़ी से बड़ी बूट मेजारिटी अपने ख्यालात को माइनारिटी पर नहीं थोप सकती और अन-टू-दि लास्ट का यह कांसेप्ट था जिससे महात्मा गांधी ने सर्वोदय का आइडिया लिया था और सर्वोदय का सारा फलस्फा प्राप्त किया। वह सर्वोदय की सारी फिलास्फी इस अन-टू-दि लास्ट की बुनियाद पर रखी हुई है। मैं यह कहना चाहूंगा कि इस बिल के अंदर आज सैकुयुलरिज्म की एक नयी तारीख लिखी जा रही है जिस को महात्मा गांधी के नेतृत्व में, पंडित मोती लाल नेहरू, जवाहर लाल नेहरू और श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपना खून देकर सींचा है, उस तारीख में एक नया बाब आज खोला है राजीव गांधी ने और उसका नतीजा यह हुआ है कि आज हमारे उन लोगों को, इन पिरकापरस्तों को आज हिन्दुस्तान का मुसलमान यह तय कर चुका है कि उन पिरकापरस्तों को अब मुसलमान गमुराह नहीं करने देंगे और इनका हम चौराह-चौराह पर मुकाबिला करेंगे। इस बिल के द्वारा आज हम एक नयी तारीख बनायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

11.10 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : महोदय, मैं इस प्रतिक्रियावादी, महिला-विरोधी और पुरुष प्रधान काले विधेयक का विरोध करता हूं। कुछ घंटे पहले हमने इस सभा में श्री अरुण नेहरू के विचार सुने। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस विधेयक पर चर्चा द्वारा इस सभा में और उसके बाहर तनाव और उत्तेजना पैदा हो रही है। क्या आप बाहर गये हैं? यदि आप बाहर जाएं तो आप देखेंगे कि सभा के बाहर कांग्रेसी लोग हाथों में कुदाल लिए हैं और न केवल मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं के लिए अपितु धर्म निरपेक्षता और देश की अखंडता के लिए कब्रें खोद रहे हैं।

हमारा देश बहुत ही गम्भीर स्थिति से गुजर रहा है और आप इसे अस्वीकार नहीं कर सकते। अभी कुछ मिनट पहले। एक कांग्रेस (इ) सदस्य ने कहा कि वह पहले परम्परावादी हैं

और उसके बाद राष्ट्रवादी हैं। यहां सभा में यह कहा गया है। क्या इससे साम्प्रदायिकता को प्रवृत्ति का संकेत नहीं मिलता ?

हम सभी को राम जन्मभूमि और बाबर मस्जिद के विवाद की तथा वहां जो हो रहा है उसकी जानकारी है बराबंक में हाल ही में हुए दंगों में मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय 15 लोग मारे गए। यह 15 मुसलमानों के मारे जाने का प्रश्न नहीं है, इसकी संख्या का अनुमान इस तरीके से नहीं लगाया जा सकता। यदि कोई मां अपना इकलौता बेटा खो दे तो मां के लिए वह केवल एक नहीं हो सकता। यदि कोई स्त्री अपना पति खो दे तो उसका अनुमान इस प्रकार से नहीं लगाया जा सकता।

उनके लिए समस्त संसार अंधकारमय हो गया है और उनका भविष्य भी अंधकारमय है। आप इसके लिए मगरमच्छी आंसू बहा सकते हैं। आपका विशाल बहुमत है और आप उसका इस्तेमाल केवल अपने स्वार्थों के लिए कर रहे हैं। आप यह कहते रहते हैं कि हमेशा से कांग्रेस (आई) ही एक ऐसा दल रहा है जो अल्पसंख्यकों की रक्षा कर सकता है। किन्तु क्या यह सत्य है ?

प्रो० रंगा यहां हैं मैं सभा को 1930 से 1947 के दौरान के कांग्रेस के इतिहास के बारे में याद दिलाना चाहूंगा। आप जानते हैं कि कांग्रेस धर्म निरपेक्षता के लिए, एकता के लिए लड़ी और उसने साम्प्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वह 1935 में पृथक निर्वाचन के प्रश्न पर इण्डिया रेगुलेशन एक्ट, मुस्लिम शरीयत एक्ट, 1937 के प्रश्न पर कैसे लड़ी। उस समय देश एक था और उसने एक होकर देश की स्वतन्त्रता के लिए लड़ाई लड़ी। मैं इन्हें चेतावनी देता हूं कि इतने अधिक बहुमत से मुसलमानों की रक्षा नहीं कर पाएंगे।

महोदय, सीमान्त गांधी अभी जिन्दा हैं। उनका क्या हुआ ? क्या वे मुसलमान नहीं है ? आप सीमान्त गांधी को मत भूलिए। जुलाई 1947 में, उन्हें भी आंसू बनाने पड़े थे। आप उन्हें यहां नहीं रख पाये। (व्यवधान)

आप कांग्रेस का इतिहास नहीं जानते। आप महात्मा गांधी का इतिहास नहीं जानते। आप केवल राजीव गांधी के इतिहास के बारे में जानते हैं। बहुत से मुसलमानों को आंसू बहाने पड़े थे, उन्हें पाकिस्तान या बांग्लादेश जाना पड़ा था। वे अन्य स्थानों पर गए होंगे। (व्यवधान) अत:, आप इस प्रकार की शेखी मत बघारिए।

आप यह कहेंगे कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 शरीयत विरोधी है। इस विधेयक के इस संशोधन, जो कि माननीय विधि मंत्री आज लाए हैं, के अनुसार यदि पति और पत्नी सहमत हों तो वे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 का सहारा ले सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप यदि कोई न्यायाधीश निर्णय देता है तो वह निर्णय पुन: विवादास्पद बन आएगा। तो फिर क्या होगा ? क्या यह शरीयत विरोधी कानून हो जाएगा ? इसके अलावा यह विधेयक मुस्लिम महिलाओं के लिए अपमानजनक है क्योंकि इसके लिए पति को अनुमति देनी होगी।

अत: यह काला विधेयक है और मैं इसका विरोध करता हूं।

सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं ज्यादा सुखद स्थिति में नहीं हूं इसलिए मैं इस सभा का तथा आपका सहयोग चाहता हूं ताकि मैं उस विषय पर अपना मत स्पष्ट कर सकूं जिससे मैं इस विषय पर हो रहे राष्ट्रीय वाद-विवाद के साथ मैं सम्बद्ध रहा हूं।

मैं इस विधेयक को परिपूर्ण नहीं मानता। मनुष्य द्वारा बनाए गए कानून की तरह इसमें भी त्रुटियां तथा असंगतियां हैं। फिर भी मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं चाहे इसके लिए लोग मुझे रूढ़िवादी, दकियानूसी कहें, चाहे प्रतिक्रियावादी कहें, चाहे सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ या मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ कहें।

महोदय, मुझे अफसोस के साथ आपको तथा आपके माध्यम से सभा को सूचित करना पड़ता रहा है और मैं इसके लिए अपनी असफलता स्वीकार कर रही हूं कि मैं इस विधेयक के पक्ष में अपने दल को समझाने में सफल नहीं रहा। (**व्यवधान**)मेरे दल की क्या नीति है ? हम यह नहीं मानते कि यह विधेयक इस मामले का अंत है। यह तो वाद-विवाद की शुरूआत है, मुस्लिम समाज में सुधार की शुरूआत है, हमारे राष्ट्रीय जीवन में नये अध्याय खोलने की शुरूआत है। वाद-विवाद का यह सिलसिला एक सभा से दूसरी सभा में एक विधेयक से दूसरे विधेयक पर और एक स्तर से दूसरे स्तर पर चलता रहेगा। इसमें हमारा योगदान यह होगा कि हम अपने सभी सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने की हमेशा स्वतन्त्रता दें।

प्रारम्भ से ही जब से मुस्लिम स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) बोर्ड ने जब यह मामला उठाया था सरकार से मिलने गये प्रतिनिधियों में मैं भी शामिल रहा हूं और मैं बहुत से विमर्शों में पार्टी भी रहा हूं। वहां जो हुआ यहां वह सब बताना उचित नहीं है किन्तु मैं उलेमास को जिन्होंने इस लड़ाई का नेतृत्व किया, और देश भर के मुस्लिम समुदाय को जिसने अपनी सभी प्रकार की भौगोलिक सीमाओं को भूलकर भारत में मुसलमानों के रूप में रहने के लिए प्रयास किया, उन सबको बधाई देता हूं। (**व्यवधान**) मैं यह नहीं कहूंगा कि यहां हमसे कोई इस मामले में राजनीति से प्रेरित हैं।

एक माननीय सदस्य : आपके दल की क्या राय है ?

सैयद शहाबुद्दीन : मेरे दल ने सदाशय पूर्वक यह निर्णय लिया है कि वह इस विधेयक पर निष्पक्ष रहेगा जैसाकि मैंने अभी-अभी स्पष्ट किया है। (**व्यवधान**)

श्री अियाउर्रहमान अंसारी : ऐसा नहीं है। आपके दल ने निर्णय ले लिया है। (**व्यवधान**)

सैयद शहाबुद्दीन : यह विधेयक वाद विवाद में ही न रह जाए, यह विधेयक भावनाएं व्यक्त करने में ही नहीं रह जाना चाहिए। हम यहां एक महत्वपूर्ण उद्देश्य से एकत्र हुए हैं यह विधेयक, चाहे इसमें कुछ भी हो आज एक प्रतीक बन गया है, यह यह हमारे देश में एक ओर राष्ट्रीय एकता की ताकतों दूसरी ओर तथा सह-अस्तित्व आत्मसात्करण और समावेशन करने की ताकतों के बीच संघर्ष का प्रतीक है। यह एक ओर विविधता में एकता के सिद्धांत का और दूसरी

ओर एकरूपता के सिद्धांत का प्रतीक है; यह विधेयक एक ओर मुस्लिम समुदाय के लिए अपनी धार्मिक पहचाने स्थापित करने और उस पहचान को नष्ट करने या धीरे-धीरे समाप्त करने वाले सरुचिपूर्ण साधनों और साम्प्रदायिक स्रोतों दोनों से आने वाले दबावों का, में उसे बनाये रखने की प्रेरणा का प्रतीक है। यही कारण है कि आज इस विधेयक का विरोध किया जा रहा है और इसका बड़े जोरदार ढंग से समर्थन किया जा रहा है। अत: आज यह विधेयक सहनशीलता, मानवता धर्मनिरपेक्ष समाज की ओर बढ़ने का एक अध्याय है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा। मैं आशा करता हूं कि इसके लिए मुझे सभी की अनुमति मिलेगी।

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : नहीं।

सैयद शाहबुद्दीन : इस्लाम, शरीयत और स्वीय विधि के बारे में कुछ भ्रांति है। बहुत से मुस्लिम देशों में मुस्लिम स्वीय विधि को संहिताबद्ध किया गया है किन्तु टर्की को छोड़कर किसी भी अन्य देश में शरीयत से बाहर स्वीयविधि को संहिताबद्ध नहीं किया गया। आप शरीयत से अपनी आत्मा की आवाज से कुछ चुन भी नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते। शरीयत का एकीकृत रूप है, यह विश्वव्यापी है, यह शाश्वत है तथा सभी समाजों पर लागू होता है। अत: आप यह सवाल करें कि धर्म की मूल बातें क्या हैं, यहां तक कि उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि किसी भी धर्म की मूल बातें उस धर्म के आंतरिक साक्ष्य के संदर्भ में निर्धारित की जानी चाहिए। न कि समय के गुजरने के साथ वह अथवा समय गुजरने के साथ-साथ उस धर्म की परम्पराएं अथवा जिस युग में हम रह रहे हैं उस युग की विचारधारा के आधार पर नहीं।

हमारे दिमाग में एक और भ्रांति है और मैं उसे भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि भरण पोषण, विदाई के समय दिए जाने वाले तोहफे और शास्ति (जुर्माने) में अन्तर है। यहां शास्ति शब्द इस लिए नहीं माना जा सकता क्योंकि न तो धारा 125 और ही यह विधेयक तलाक की परिस्थितियों को ध्यान में रखता है। अत: हमारे पास केवल भरण-पोषण और विदाई के समय दी गई भेंट की अवधारणा रह जाती है, और भेंट को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता और शाहबानों के मामले में हुए वाद-विवाद का यही सार था शरीयत मुल्ला के साथ पैदा नहीं हुई थी और शरीयत को शरीयत अधिनियम 1937 द्वारा नहीं बनाया गया था। मैं जानता हूं कि शरीयत विधि इस देश का कानून है और उच्चतम न्यायालय ने इस बात से इन्कार नहीं किया है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय से हो-हल्ला इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें इस्लाम के खिलाफ कुछ गलत टिप्पणियां की गई हैं और इसके कारण समान सिविल संहिता तत्काल लागू करने के लिए सरकार के नीति सम्बन्धी वक्तव्य का सहारा लिया गया है जिसकी कि आवश्यकता नहीं थी और जो कि उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर था, इससे हो-हल्ला हुआ क्योंकि न्यायालय की धारा 125 और 127 (3) के बीच के सम्बन्ध की व्याख्या में विधान मंडल की भावना को ध्यान में नहीं रखा गया।

[सैयद शहाबुद्दीन]

अन्त में, क्योंकि जजों ने इस्लाम के पवित्र ग्रन्थ की व्याख्या करने की जिम्मेदारी ली जैसे कि उच्चतम न्यायालय के जजों को कोई नया रहस्योदघाटन हुआ हो और इसलिए मुस्लिम समुदाय ने अपनी धार्मिक पहचान पर इसे हमले के रूप में माना और उनके मन में एक डर और आशंका थी। आज इस विधेयक में मुसलमानों के मन में डर तथा असुरक्षा की भावना को दूर करने का प्रयास किया गया है।

यह कोई बात नहीं है कि मुस्लिम समाज को सुधार की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सुधार मुस्लिम समुदाय के सामाजिक लोकाचार के अनुसार होना चाहिए और इसमें सामाजिक गतिशीलता के नियमों का पालन किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में अनुरोध तथा पहल समाज के अन्दर से ही की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, वाद-विवाद को अनावश्यक रूप से बढ़ाया गया है। तलाक के मामले में न तो धारा 125 और न ही यह विधेयक ही कोई कानून है। यह तो केवल एक बहुत ही छोटे से मामले—एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला के भरण-पोषण के अधिकार की सीमाओं से सम्बन्धित है। तब आप वाद-विवाद को इतना बड़ा क्यों बनाते हैं तथा क्यों भ्रम पैदा करते हैं?

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि यह असंवैधानिक नहीं है; यदि आप उल्लिखित धाराओं के साथ धारा 125 को पढ़ें तो पाएंगे कि यह विधेयक धर्म निरपेक्षता के विरुद्ध नहीं है। यदि आप धर्म निरपेक्षता की परिभाषा इस रूप में करें कि राष्ट्र किसी भी धर्म के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, राष्ट्र सभी धर्मों से आदर के साथ समान व्यवहार करता है; यदि प्रत्येक समुदाय की स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत को ध्यान में रखा जाए तो मेरे विचार में यह विधेयक धारा 125 की तुलना में काफी अधिक प्रगतिशील है, काफी अधिक सुविस्तृत है, अधिक व्यापक है। सबसे बढ़कर यह विधेयक संहिताकरण के चिर-प्रतीक्षित लक्ष्य, जिसकी हम सब आशा कर रहे हैं, की ओर बढ़ाया गया एक कदम है, तथा इस विधेयक को न्याययुक्तता' कानूनी सर्वोत्कृष्टता, भारत की संसद की एक धार्मिक समुदाय के रूप में मुस्लिम समुदाय की चिन्ता के मामलों के सम्बन्ध में कानून बनाने की संवैधानिक सर्वोत्कृष्टता की चुनौती सभी संभव संदेह से परे देने से परे रखा गया है। इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

अन्त में महोदय, मैं आपके माध्यम से सभा से अनुरोध करता हूं कि यदि संभव हो तो हमें इस विधेयक को सर्व सम्मति से पारित करना चाहिए जिससे कि मुस्लिम समुदाय के दिमाग से इस डर तथा आशंका को हटाया जा सके कि इस देश में उनका धर्म सुरक्षित नहीं है और उन्हें यह आश्वासन दिया जा सके कि उन्हें किसी भी व्यक्ति के कार्यों में मामूली-सा भी हस्तक्षेप किए बिना मुसलमानों के रूप में, अच्छे मुसलमानों के रूप में, सदाशयी मुसलमानों के रूप में इस देश में रहने का अधिकार है।

[हिन्दी]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : स्पीकर साहब, सैयद शहाबुद्दीन की तकरीर सुनने के बाद और मधु दंडवते जी की तकरीर सुनने के बाद एक उर्दू का शेर मुझे याद आ रहा है :

"दिल को थामा उनका दामन थाम कर
मेरे दोनों हाथ निकले काम के।"

सैयद शहाबुद्दीन : मैं भी एक शेर सुना दूं :

"खैरत का नाम जनूं रख दिया जनूं का खैरत।
जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे ॥"

अध्यक्ष महोदय : तो फिर मुशायरा हो जाए। वैरागी जी आप क्या कहना चाहते हैं।

श्री बाल कवि बैरागी (मंदसौर) : मेरा शेर तो बहुत आसान सा है। दंडवते साहब और शहाबुद्दीन साहब की तकरीर सुनने के बाद मैं यह शेर सुनाना चाहता हूं :

"यार ने कुछ इस तरह चूमा मेरी तस्वीर को
मेरे रकीब रात भर बदलेंगे करवटें।

अध्यक्ष महोदय : आप को तो रकाफत न हुई न।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजनदास मुन्शी (हावड़ा) : मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए इसलिए खड़ा हुआ हूं, इसलिए नहीं कि मैं सैयद शहाबुद्दीन अथवा श्री बनातवाला अथवा श्री सुलेमान सेट के भाषणों से प्रभावित हुआ हूं बल्कि कांग्रेस की उस राजनीतिक विचारधारा के प्रति अपने दृढ़ विश्वास के आधार पर, जो विभिन्न परिस्थितियों में लोकतन्त्र की कसौटी पर खरी उतरी हैं, इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

मुझे विपक्ष के एक वर्ग द्वारा आज हमारे दल तथा सरकार के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जानकारी है। मैं इन्हें बहुत हल्के से अथवा सरलता से नहीं लेना चाहता। मैं सभा में बैठे पक्ष-विपक्ष दोनों की भावनाओं को जानता हूं। चूंकि श्रीमती गीता मुखर्जी अपने चुनाव क्षेत्र के इर्द-गिर्द मुसलमानों के बीच घूमती हैं, हम भी ऐसा ही करते हैं। क्या सही है और क्या गलत है मैं वाद-विवाद के गुणावगुणों की गहराई में नहीं जाना चाहता। लेकिन मेरा माननीय सभा से यह नम्र निवेदन है कि हमें दलगत भावना से ऊपर उठकर केवल एक ही बात को समझने का प्रयास किया करना चाहिए और उससे अधिक कुछ नहीं। बहुत से लोग यह बात कर रहे हैं कि क्या हमें इस चर्चा को राजनैतिक मुद्दा समझना चाहिए। कुछ लोग यह कह रहे हैं कि यह आम विधान है। मैं इसे ऐसा नहीं समझता। यह ऐसा महत्वपूर्ण विधान है जिससे भारतीय लोकतन्त्र के इतिहास में

[श्री प्रियरंजन दास मुंशी]

एक ऐसी घटना घटेगी जिसके बारे में आने वाले कल में लोग यह बताएंगे कि क्या कांग्रेस सरकार ने देश के इतिहास में ठीक समय ठीक कदम उठाया अथवा नहीं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे समक्ष केवल एक ही विकल्प है और वह यह कि क्या हमें इस मामले का विरोध करना चाहिए अथवा हमें इस मामले से समझौता कर लेना चाहिए। यदि इसका विरोध करने से फूट पड़ती हो तो क्या हमारे देश के लोग इसे स्वीकार करेंगे अथवा नहीं? अथवा क्या हमें प्रजातन्त्र में सभी विचारों से सामन्जस्य स्थापित करना चाहिए चाहे वह हमें पसन्द हो अथवा नहीं? सभी समझौते जिन पर हम हस्ताक्षर करते हैं चाहे असम में हो अथवा पंजाब में, सभी कानून जो हमने बनाए हैं चाहे वह हिन्दू धर्म के लिए हों अथवा मुस्लिम धर्म के लिए हों केवल हमारी मूल भावनाओं के अनुरूप होते हैं, चाहे वे आपको पसन्द हों अथवा नापसन्द हों। यदि सरकार उचित समय पर भावनाओं से सामंजस्य स्थापित करने में असफल रहती है और विवाद का मार्ग अपनाती है, तो बुद्धिजीवी ऐसा कह सकते हैं कि सरकार क्रांतिकारी है और यदि देश में फूट पड़ती है तो सम्पूर्ण विश्व कहता है कि सरकार असफल हो गई है। इस परिप्रेक्ष्य से मैं इस चर्चा में भाग लेना चाहता हूं इस चर्चा से कानून और धर्म, प्रजातन्त्र और धर्म, समाज और धर्म के बीच के सम्बन्धों पर तर्क की आशा दिखाई देती है। कानून कभी धर्म में परिवर्तन नहीं करता, वह धर्म की रक्षा करता है और धर्म समय-समय पर स्थिति के अनुसार कानून को निदेश देता है कि किस प्रकार कानून कार्य करे। भगवान रामचन्द्र सीता की परीक्षा लेना चाहते थे। हम सब हिन्दू भगवान रामचन्द्र की पूजा करते हैं। मुझे यह कहने के लिए आप क्षमा करें कि अपने विद्यार्थी जीवन के दिनों से लेकर आज तक मैं भगवान रामचन्द्र की इस बात को गलत मानता आया हूं। यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता और फिर उसे परीक्षा देने के लिए भी कहता है, तो मैं नहीं समझता कि हमारे समाज में ऐसा आदर्श बना रहना चाहिए। परन्तु फिर भी जब आप हिन्दुओं की भावनाओं के बारे में बात करते हैं आप सार्वजनिक रूप से इस पर चर्चा नहीं कर सकते, आपको इन भावनाओं से सामंजस्य स्थापित करना होगा। लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण की हजारों पत्नियां थीं··· **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : सोलह हजार।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : भगवान कृष्ण के उपासक मन्दिर जाते समय अपनी पत्नी को छूकर कहते हैं "मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम ही मेरी एक मात्र पत्नी होगी और मेरी एक हजारों पत्नियां नहीं होंगी।" समय समय पर समाज की विचार धारा और विश्वास और वास्तविकता बदलती रहती है। जब अंग्रेज इस देश में आए और उन्होंने सबसे पहले नोट छापे तो मुसलमानों ने इसका विरोध किया, क्योंकि उन नोटों पर फोटो छपी होती थी और उन नोटों को लेकर कोई भी व्यक्ति मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जा सकता था। फिर मुसलमानों से ही दिशा निर्देश प्राप्त हुआ कि यह गलत है और उन्होंने अबु बक्कर के कहने पर मदीना में हजरत मोहम्मद द्वारा की गई सन्धि का पालन किया। हजरत मोहम्मद ने सभी धर्मों के साथ समझौता किया।

हम सबने महिलाओं और उनकी प्रतिष्ठा के बारे में चर्चा की। हम सब स्वयं अपने आप से ईमानदारी से, ढोंग छोड़कर, इस कानून को भूलकर, यह मानकर कि इस सभा में यह कानून नहीं है, यह भूलकर कि धारा 125 की स्थिति में परिवर्तन के लिए कोई उपबन्ध किया जा रहा है, यह पूछे कि क्या इस देश की महिलाएं सुरक्षित हैं। क्या हम समझते हैं कि पुरुषों की नजरों में महिलाओं को प्रतिष्ठा प्रदान की जाती है ? महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार अशिक्षित नहीं बल्कि शिक्षित लोग करते हैं। प्रत्येक न्यायालय में तलाक के सभी मामले पढ़े लिखे लोगों के होते हैं जो अपने को अधिक बुद्धिमान और निष्कपट समझते हैं न कि अशिक्षित लोगों के यह तथ्य है। आप अशिक्षित लोगों को दोष क्यों देते हैं ? यह हम शिक्षित लोगों का दोष है। शिक्षित लोग महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। उनके जीवन का 90% समय रसोई में व्यतीत होता है और केवल 10% समय ही घर के अन्य कामों में लगता है और फिर आप महिलाओं की प्रतिष्ठा की बात करते हैं। मैं अपने साम्यवादी मित्र को बुरा भला नहीं कहना चाहता। मैं राजनीति की चर्चा नहीं करना चाहता।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : क्यों ?

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : आप महिलाओं की प्रतिष्ठा की बात करते हैं ? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : महोदय, यदि आपका कोई उद्देश्य है, तो मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : अध्यक्ष महोदय, इस चर्चा में भाग लेने वाला अकेला अविवाहित सदस्य हूं, अतः मुझे अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति प्रदान करें। मेरा अपना दृष्टिकोण है। मैं आपको नादिया कामानि का एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि सब लोग उसका नाम जानते होंगे—वह जर्मन जनवादी गणराज्य की ओलम्पिक की प्रसिद्ध जिमनास्ट और साम्यवादी देश रूमानिया की रहने वाली है। नादिया कामानिची ने देश का प्रतिनिधित्व नहीं किया और किसी अन्य खिलाड़ी को सिखाने में सहायता प्रदान की। साम्यवादी देशों में यह बहुत ही अशिष्ट पद्धति है। नादिया कामानिची के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया। आप इस प्रथा को समाप्त क्यों नहीं करते ? हुआ यह (**व्यवधान**) श्री सैफुद्दीन चौधरी कृपया सुनें। साम्यवादी प्रणाली महिलाओं के साथ व्यवहार करने के मामले में जार की अपेक्षा अधिक खराब है। आप यह जानते हैं। (**व्यवधान**) गीता जी कृपया सुनें। मैं चाहता हूं कि गीता जी एक मिनट के लिए सोचें। चीन की मैडम माओ के बारे में कुछ क्षण सोचें। शिष्टाचार आदि के बारे में बातें न करें। (**व्यवधान**) जब आपकी व्यवस्था इस प्रकार की है तब आप इस व्यवस्था में अपराधी हैं। यह तथ्य है।

श्री नारायण चौबे : अप्रासंगिक बात कह रहे हैं।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : मैं अप्रासंगिक बात नहीं कह रहे है। यदि आप महिलाओं की प्रतिष्ठा की बात करते हैं, तो भारतीय दृष्टि से नहीं अपने विचारों के अनुसार बोलिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में श्रीमती गीता मुखर्जी से पूछूंगा···।'

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : मैं समझता हूं कि सैफुद्दीन चौधरी ने डाक्टर जिवागो पढ़ा होगा। वे इस किताब को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि लारा एन्डरयू के साथ कैसा व्यवहार किया गया। अत: क्या यह तथ्य नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : श्री मुन्शी, मैं चाहता हूं कि आप विधेयक पर बोलें।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : मैं विधेयक पर आ रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि, इसमें कोई संशय नहीं कि इस विधेयक के द्वारा धर्मनिरपेक्षता में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा। क्योंकि यह विधेयक धर्म में हस्तक्षेप किए बिना धर्म को संरक्षण प्रदान करता है। परन्तु महिलाओं के सम्बन्ध में मुझे कुछ कहना है। मुझे यह विश्वास नहीं है कि यदि हम इस विधेयक को पारित कर दें तो सभी महिलाओं को संरक्षण मिल जाएगा। यह मेरा दावा नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : अविवाहित महिलाओं के बारे में अधिकार के साथ नहीं कह सकते।

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं कि कम से कम कुछ अविवाहित सदस्य मेरे कार्यकाल में हों। पिछली बार अटल जी थे; अब मुंशी जी हैं।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : अध्यक्ष महोदय, मैं दोबारा वही बात दोहराना नहीं चाहता। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक द्वारा अथवा पहले उपबन्ध द्वारा सामाजिक सुधारों और महिलाओं की सुरक्षा की गारन्टी नहीं दी जा सकती। सम्पूर्ण राष्ट्र को, सम्पूर्ण समाज को इस पूरे ढांचे को बदलना होगा। बंगाल के पूर्वी भाग में कोई साम्प्रदायिक दंगे क्यों नहीं होते ? भारत के उत्तरी भाग में अधिक साम्प्रदायिक दंगे क्यों होते हैं ? क्या आप इस अन्तर को नहीं समझते ? यह सामाजिक और सांस्कृतिक दासता समाज में परिवर्तन को प्रेरित करती है। हमें इसे समझना है। हमेशा कानून द्वारा ही सब ठीक नहीं किया जाता। क्या यह तथ्य नहीं है ? अध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो मिनट का समय लूंगा। आज विरोधी पक्ष के मित्रों द्वारा हमारे दल पर एक बहुत बड़ा आरोप यह लगाया गया है कि इस विधेयक के द्वारा हम साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। (व्यवधान) मैं उस राज्य का उल्लेख नहीं करना चाहता। परन्तु देश में ऐसी अनेक राज्य सरकारें हैं जो विशिष्ट ढंग से कार्य करती हैं। गुरुदेव रविन्द्र नाथ टैगोर की पुस्तक को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया। (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : आपने आपातकाल में क्या किया था ?

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मेरे प्रिय मित्र मैं चाहता हूं कि अब आप लोगों से बात कर। एक सदस्य इस विधेयक पर कुछ ऐसा बोल रहे हैं, जिसका उससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : में अब राज्य की राजनीति में नहीं पड़ना चाहता।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैं माननीय विधिमंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि

इस विधेयक को पारित करने के बाद कृपया वे महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था के लिए राज्य सरकार के साथ सम्पर्क करें कि देश में जो प्रचलित है उसे इस समय हिन्दू समुदाय अथवा मुस्लिम समुदाय द्वारा किस प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा। यदि यह सुनिश्चित हो जाता है तो केवल विधेयक द्वारा नहीं, इससे ही यह स्वत: ही ठीक हो जागगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री के० एन० प्रधान (भोपाल) : जनाब, स्पीकर साहब, मैं इस बिल की ताईद करता और इसको तारीखी बिल इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि कम से कम मुस्लिम पर्सनल लॉ के कोडिफिकेशन की शुरूआत इस बिल के साथ हो जाती है। अभी तक हाऊस में जो बहस हुई है, वह दो मुद्दों तक महदूद रही है। एक तो यह कि ख्याली हौवा खड़ा किया गया कि उस मुस्लिम औरत को तलाक दिया जायेगा और उसके इद्दत की पीरियड के बाद अगर मेन्टीनेंस नहीं दिया गया तो उस औरत का क्या हाल होगा। उसके नॉन-नुक्फे पर क्या असर पड़ेगा और दूसरे इस बात पर जोर दिया गया है कि कामन सिविल को बनाया जाए। जहां तक कॉमन सिविल कोड की बात है, हर आदमी इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि जब तक इस मुल्क में रहने वाले चाहे हिन्दू मुस्लिम, ईसाई या किसी भी मजहब को मानने वाले लोग हों और जब तक सभी लोग इस पर तैयार नहीं होते तब तक कामन सिविल कोड नहीं हो सकता। मैं वह बात सामने रखना चाहता हूं जो आमतौर से मुस्लिम मासेज के बारे में सोचते और समझते हैं। यहां यह एक जहन दिया गया चूंकि अभी हम इसमें इसला नहीं कर सकते, इसलिए इस बिल को लाया गया है। लेकिन मैं वह बताना चाहता हूं जो मुस्लिम मासेज यह सोचते हैं कि कुरान शरीफ आसमानी किताब है। उसमें उसके जो अहकामात है, वह अहकामाते इलाही है। उसको इन्सान नहीं बदल सकता। दूसरे उनका यह कहना है कि उनके यहा तलाक के बाद किसी भी औरत को नान-नुफ्का न मिलमे की वजह से परेशानी में नहीं पड़ता पड़े इसलिए कि लोगों को इस बात का कन्सेप्शन नहीं है कि यह जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, शरीयत की जो व्यवस्थाएं हैं, उनमें सबसे पहले अगर एक हस्बैन्ड अपनी वाइफ को तलाक देता हैं तो पहले खुद सोसायटी और शरीयत यह चाहती है कि वह दूसरा निकाह कर ले। चुनावें किसी भी औरत को इस बात से कोई नहीं रोकता। अगर एक हसबैण्ड तलाक देता है तो उसके बाद दूसरे निकाह के बाद तलाक भी देता है और फिर तीसरा निकाह कर सकती है। यह जो मसला दर पेश आता है, वह उन औरतों के लिए आता है—जिनको बुढ़ापे में तलाक दिया जाता है। उस वक्त उनका सवाल पैदा होता है कि उनका किस तरीके से मेन्टीनेंस होगा। इस्लाम की जो इक्तसादी व्यवस्था है, इक्तसादी जो उन्होंने इन्तजाम किया है, उसमें उन्होंने इस बात का प्रोविजन किया है कि जो तलाकशुदा औरत है और वह लड़की जिसकी शादी नहीं हुई, उनमें कोई फर्क नहीं होता है। तलाक हो जाने के बाद औरत की पोजीशन वही हो जाती है अपने घर में जो एक लड़की की पोजीशन होती है। अगर वह बुजुर्ग है, बुढ़ापे में उसको तलाक मिला है तो सबसे पहले उसके लड़के लड़की उसकी मेन्टीनेंस के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे उसकी पूर्ति करते

[श्री के० एन० प्रधान]

हैं और दूसरी सबसे बड़ी चीज जो इस्लाम में है जिस पर उन लोगों को फक्र है, वह यह है कि चौदह सौ साल पहले जबकि इस दुनियां में सबसे पहले इंगलैंड में जो डेमोक्रेसी की मां कहलाती है, उसने भी सौ साल पहले राइट टू प्रापर्टी लेडीज को दिया है, लेकिन इस्लाम ने चौदह सौ साल पहले राइट टू प्रापर्टी दिया है, चाहे लड़की की शादी हो जाए, उसके बाद जो एनसेस्ट्रल प्रापर्टी है, मां बाप की प्रापर्टी है, उसमें हिस्सा बरकरार रहता है।

इसी तरीके से जो उसका अपना स्त्री धन है वह बना रहता है। सबसे बड़ी चीज जो इस्लाम में वह समझते हैं वह यह है कि हमारे यहां मेनटेनेंस का खर्च सिर्फ रिश्तेदारी और रिश्तेदारों की बुनियाद पर नहीं होता, बल्कि इंसानियत की बुनियाद पर होता है, इस मेनटेनेंस को इन्होंने कबूल किया है इसलिए यह कहा गया है कि किसी भी मुसलमान की यह जिम्मेदारी है कि खास एरिया के अन्दर वह देखे कि कोई भूखा तो नहीं है। इसी तरह उनकी जो तह आमदनी है यह उसमें जकात का हिस्सा होता है जितने केस सेसन कोर्ट में जाते हैं, कभी उन औरतों के नहीं आए जिनको नाम-नुक्के की मुशीबत में मुकतिला होता है बल्कि उनके आए हैं।

जिनको कोई परेशानी नहीं है। जिनको परेशानी है वह गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली औरतें हैं चाहे वह हिन्दू औरत हो, चाहे मुसलमान औरत हो, चाहे बेटी हो, चाहे मां हो, चाहे बहन हो अगर उनका इन्तजाम नहीं होता है तो वह मुसलमान जो गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं उनकी औरतों की पोजीशन चाहे वह पति के घर रहे, चाहे अपने पिता के घर रहें उनकी हालत खस्ता रहेगी। इसलिए सरकार ने यह इन्तजाम किया है कि चाहे हिन्दू औरत हो, चाहे मुस्लिम औरत हो, निराश्रित हो उसके मेनटेनेंस की व्यवस्था है। इन्हीं अलफाज के साथ में इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

डा० वसा सामंत (बम्बई दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदय, मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा।

हिन्दू, मुस्लिम, ईसाईयों और पारसी सभी धर्मों की भावनाओं का आदर करते हुए, मैं इन धर्मों की विवाह सम्बन्धी रस्मों और अन्य बातों से कभी असहमत नहीं हुआ। वे मस्जिद अथवा मन्दिर और अन्य किसी स्थान पर जहां वे चाहें, परन्तु मुस्लिम स्वीय विधि' शरीयत अधिनियम में विवाह के बाद के प्रश्न अलग है। किसी की अनुपस्थिति में भी तीन बार 'तलाक' शब्द कहने के बाद आप विवाह विच्छेद कर सकते है। परन्तु कानून में, क्या चर्चा की जाती है, मैं मंत्री महोदय ने मेहर, दहेज अथवा विवाह के समय दिए गए उपहारों के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है उसका उल्लेख कर रहा हूँ, यह सब विवाद के मुद्दे हैं। परन्तु तलाकशुदा स्त्री का स्थायी रूप से भरण पोषण उसके माता-पिता पर छोड़ दिया गया है। स्थायी रूप से भरण-पोषण के लिए उसमें कोई प्रावधान नहीं है। यह तलाकशुदा महिला के माता-पिता की जिम्मेदारी है। इस प्रकार कानून द्वारा

आप मुस्लिम औरतों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। हजारों औरतें इससे पीड़ित हो रही है। पुरुषों का स्वभाव बहु-विवाह करने का है। एक वर्ष बाद, पुरुष उस पत्नी को छोड़ सकता है और शीघ्र ही वह दूसरी लड़की से शादी कर सकता है। परन्तु कितनी तलाकशुदा औरतों का पुन: विवाह होता है ? 10% औरतों का भी दोबारा विवाह नहीं हो पाता क्योंकि उन्हें भावानात्मक लगाव हो जाता है। इसलिए उन्हें जीवन भर भरण पोषण खर्च दिया जाना चाहिए। 20-22 वर्ष की तलाकशुदा औरत को अपना पूर्ण जीवन दोबारा शादी किए बिना व्यतीत करना होता है। उन्हें इसी प्रकार अपना जीवन बिताना पड़ता है। आखिरकर, यह औरतें भी मानव प्राणी हैं। वह शादी नहीं करती। मैं कह सकता हूं कि चिड़ियाघर में जानवरों में भी 'पति और पत्नी' के संदर्भ में भावानात्मक लगाव होता है। परन्तु इस प्रकार का कानून बना देने से आप इन हजारों, लाखों मुस्लिम महिलाओं को सड़कों पर छोड़ रहे हैं। इसलिए मैं आपसे पूर्णत: असहमत हूं। अत: मैं इस विधेयक का पूर्ण रूप से विरोध करता हूं। (व्यवधान)

उन्होंने यूनियनों की चर्चा की। हमारी यूनियन का एक कर्मचारी अपने बेटे के लिए लड़की देखने गया। मैं शादी में गया था। जब मैंने पूछा तो पता चला कि वह स्वयं शादी कर रहा है।

[हिन्दी]

अच्छी छोकरी थी मैंने डिसीजन लिया, बच्चे को बोला तुम्हारे लिए दूसरी औरत देखेंगे।

[अनुवाद]

उस प्रकार की घटनाएं हो रही है। आप इन घटनाओं की जांच नहीं करते। यह समस्या है। आपको इन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। मैं मुस्लिमों की भावनाओं, उनके धर्म अथवा कुरान के विरुद्ध नहीं हूं।

आप उनके लिए धारा 125 को समाप्त कर रहे हैं। अब जो संशोधन किया गया है उसके न्यायालयों में लम्बित पड़े मामलों वहां से हटा दिए जायेंगे और अब शरीयत अधिनियम के अन्तर्गत इन मामलों का निर्णय किया जाएगा। इसलिए, यह बहुत गंभीर गलती है।

इस विधेयक में बच्चों को केवल दो वर्ष तक भरण-पोषण खर्च दिया जाने की व्यवस्था है। परन्तु मुस्लिम स्वीम विधि के अन्तर्गत बच्चों के भरण-पोषण का उपबन्ध है और उन बच्चों की तब तक देख-भाल की जाएगी जब तक उनकी शादी नहीं होती अथवा जब तक वह स्वयं धन कमाने नही लग जाते। यहां आप यह कर रहे हैं कि आप मुस्लिम स्वीय विधि में जो सुझाव दिया गया है आप उसके विपरीत कर रहे हैं। इसलिए मैं सरकार को इस विधेयक को वापिस लेने के लिए कहता हूं। इस विधेयक द्वारा आप पंजाब की तरह एक और समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। देश में सभी अल्प संख्यक वर्गों में प्रान्तीय और धार्मिक दृष्टि से अशान्ति हो रही है। बहुत सी समस्यांएं उत्पन्न हो रही है और हमारे माननीय मंत्री जी ने यहां जो कुछ कहा है उससे और अधिक समस्याएं पैदा होंगी और धार्मिक अशान्ति बढ़ेगी।

[हिन्दी]

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : स्पीकर साहब, जो बिल एवान में पेश किया गया है, मैं उसकी ताईद करता हूं। उसमें जो चन्द चीजें छूट गई हैं, उसके लिए मैंने अमैंडमैंट पेश की हैं और मैं चाहता हूं कि उसको कबूल किया जाए। बहुत अच्छी बात हैं, आपने इस बिल को पेश किया वरना आप लोग नहीं जानते कि इससे सारे हिन्दुस्तान के ऊपर क्या असरात होने वाले हैं। आपकी तकरीरों के बाद मुसलमानों में यह अहसास पैदा हो रहा है कि मेरे मजहब के ताल्लुक से आप बोलने वाले कौन हैं। मैं क्या करता हूं और मुझे क्या करना चाहिए, इसका हक आपको नहीं है। मैंने कभी आपसे यह नहीं कहा कि आपको दिन में कितनीं तरतबा मार्क्स का नाम लेना चाहिए या कितनी दफा लेनिन का नाम लेना चाहिए। मैं नमाज तीन बार पढ़नी चाहिए या पांच बार पढ़नी चाहिए। आपको कुछ भी बोलने का हक नहीं है क्यों कि यह मेरे मजहब का मामला है। आपके किसी भी मामले में हम कभी नहीं बोलते। दूसरी तरफ औरतों के साथ हमदर्दी की बात कही जाती है। क्या मैं पूछ सकता हूं उन औरतों के साथ हमदर्दी रखने वालों से कि आज आन्ध्र प्रदेश में जो फसादात हुए, 400 दुकानें जलाई गई, क्या अभी तक एक भी चालान हुआ या किसी को गिरफ्तार किया गया। उसकी वजह क्या है। इन फसादात में जितनी औरतें परेशान हुई, जिनके घरों में चूल्हे तक नहीं जले, क्या औरतों के साथ हमदर्दी रखने वालों का उनकी तरफ कभी ध्यान गया है। मैं आज आपको बताता हूं कि पूरा आन्ध्र प्रदेश बन्द है, वहां सभी दुकानें, बाजार, रिक्षा, बसें आदि सब बन्द है।...(**व्यवधान**)...पहले आन्ध्र प्रदेश की गवर्नमैंट की तरफ से कहा गया कि हम किसी भी मजहब के मामले में मदाखलत नहीं करेंगे, फिर आज ऐसा क्यों हो रहा है। एक बात यह भी कही गयी तेलुगुदेशम् के एक सदस्य की तरफ से, कि एक मिनिस्टर साहब ने फाइल पर इस बिल के खिलाफ नोट लिखा परन्तु आज वे यहां उस बिल की ताईद कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अर्ज करूं कि आप सिर्फ इस बिल की बात ही करिए, आप स्टेट पोलिटिक्स की बात मत करिए।

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : मैं जनाब इस बिल के ऊपर ही बात कर रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बिल के मुताल्लिक मार्क्सवादी पार्टी का अपना स्टैंड है हर पोलिटिकल पार्टी का अपना स्टैंड होता है लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं कि जिनको अब ऐतराज है, उनका स्टैंड बदल क्यों गया। महानाडु कान्फरेंस में उनकी पार्टी की तरफ से कहा गया कि हम किसी के सरसंल लॉ में मदाखलत नहीं चाहते, लेकिन जब कार्पोरेशन के इलैक्शन्स हो गए तो उन्होंने अपना स्टैंड बदल क्यों दिया और आज उसी बिल की मुखालफत कर रहे हैं। क्या आप बतायेंगे कि आपके किस स्टैंड को सही माना जाए, आप कौन सी पौलिसी पर अमल करने जा रहे हैं।

यहां पर जिक्र आया कि इस्लामी मुमालिक में सब जगह शरीयत के मुताबिक पर्सनल लॉ में तबदीलिया हुई हैं। कहीं हवाला दिया जाता हैं कि फलां इस्लामी मुमालिक में ऐसा किया गया, हालांकि यह गलत है, किसी भी इस्लामी मुमालिक में ऐसा नहीं हुआ।

अगर हुआ है, तो शरियत के ताबे हुआ है और एक मजहब है। इस्लाम में शराब पीना मना है, लेकिन अगर कोई शराब पीता है, तो क्या आप यह कहेंगे कि सब को शराब पीनी चाहिए। अगर कोई गलती करता है, तो हम उसकी मिसाल नहीं ले सकते। मजहब एक चीज है। मजहब अयूब खां और जिया-उल-हक और किसी का नहीं है। मजहब अल्लाह का लाया हुआ है और कुरान उसकी बुनियाद है और उसके अन्दर अगर कोई बात करता है, तो हम उसको कुबूल करने के लिए तैयार नहीं है।

यकीनन मैं हुकूमते हिन्द का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने वाकई वक्त की चीज को महसूस किया और महसूस कर मजहब का तहाफुज किया। लेकिन आप तो यह चाहते हैं कि मुलक के अन्दर इस्तिलाक पैदा किया जाए और इन्तशार से फायदा उठाकर आप अपने नजरिये को फैलना चाहते हैं, लेकिन इसको मुस्तरद कर दिया।

समय देने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

विधि और न्याय मंत्री (श्री ए० के० सेन) : जबकि हम काफी देर से बहुत लम्बी चर्चा कर रहे हैं और सभा के सभी वर्गों के सदस्यों को मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं के प्रति रुचि दिखाने के लिए मैं उनका बहुत आभारी हूं। यदि हमें अभी भी कुछ हासिल हुआ है तो इससे निश्चित रूप से उन क्षेत्रों का ध्यान आकृष्ट हुआ है जिसके मुस्लिम तलाकशुदा महिलाएं पिछले जमाने में अपरिचित थीं। इनकी आरन्यानो में मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं और मुस्लिम महिलाएं की दुख भरी कहानियां कहीं थी देखने को भी नहीं मिलेगी परन्तु अब गरीब मुस्लिम महिलाओं अथवा मुस्लिम-तलाकशुदा महिलाओं के लिए जो रुचि दिखाई गई है वह इस सम्बन्ध में उनके रुचि लेने का अच्छा संकेत है।

हमें बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। यदि इसमें सब सदस्यों को वास्तव में रुचि है तो बहुत अच्छी बात है। परन्तु यदि राजनैतिक कारणों से इसमें रुचि है तो मैं अवश्य कहूंगा कि मुस्लिम महिलाओं के प्रति दिखाई गई सहानुभूति इतनी स्पष्ट और पूर्णरूप से नहीं है।

हम बिधेयक के विरुद्ध उठाई गई आपत्तियों पर एक-एक विचार करते हैं। पहली आपत्ति यह उठाई गई कि इस विधेयक का मुस्लिम महिलाओं के हितों पर विपरीति प्रभाव पड़ता है। किसी सदस्य ने कहा कि यह विधेयक विधेयक मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं को सड़कों पर लाचार छोड़ देता है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य, जिन्होंने ऐसी टिप्पणियां की है, यह देखना भूल गये हैं···(**व्यवधान**) मुझे तालियां बजाने से बहुत अधिक प्रेरणा मिली है।···

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मंत्री महोदय सोच रहे हैं कि उनके लिए बिना बात तालियां क्यों बजाई गई हैं।

श्री ए० के सेन : कई बार हम दूसरे लोगों की प्रशंसा करते हैं।

मैंने यह कहा है। पहले हम इस आपत्ति पर विचार करते हैं कि हमने मुस्लिम महिलाओं को कुछ नहीं दिया है। और हमने उन्हें ऐसे ही फेंक दिया है···(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी : आहिस्ता आहिस्ता बोलिए।

[अनुवाद]

श्री ए० के० सेन : मैं अपना ध्यान स्वयं रख सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद:

अब यह हुआ है कि पुराना कानून धारा 125 ने जो अभी भी लाईक है – मुस्लिम तलाक शुदा महिलाओं को क्या दिया है ? यदि पति उसका भरण-पोषण करने में समर्थ हो तो उसे भरण-पोषण खर्च देना पड़ता है परन्तु यह 500 रुपए से अधिक राशि देने के लिए उत्तरदायी नहीं होता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : क्या इद्दत की अवधि के बाद भी ?

श्री ए० के० सेन : यहां इद्धत की कोई बात नहीं है। यदि आदमी तलाक देता है और यदि बाद में कल वह आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है अथवा यदि आदमी दिवालिया हो जाता है और भरण-पोषण खर्च नहीं दे पाता तो धारा 125 में इसके लिए कोई उपाय नहीं है, जबकि इस विधेयक द्वारा तलाकशुदा महिला को अपने दिवालिया अथवा आर्थिक रूप से कमजोर पति अथवा जो लापता हो गए पति के कारण सड़कों पर नहीं जाना पड़ेगा। मुस्लिम कानून में इसका ध्यान रखा गया है अर्थात् उस तलाकशुदा लड़की के भरण-पोषण की जिम्मेदारी उसके पिता को प्रदान की गई है। मुस्लिम अब धारणा के अनुसार, विवाह विच्छेद के बाद लड़की अपने परिवार में आ जाती है। वह उसका दोबारा विवाह होने तक अविवाहित समझी जाती है। जैसा कि मैंने कहा है कि पति के लिए भी आवश्यक होता है कि पत्नी का विवाह विच्छेद के बाद दोबारा विवाह होने तक भरण-पोषण राशि दे।

(व्यवधान)

12·00 अर्द्धरात्रि

इसलिए यह आरोप कि हमारा विधेयक मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं को सड़कों पर छोड़ रहा है, पूर्णरूप से निराधार है। इस विधेयक द्वारा पति पर पत्नी के भरण-पोषण की पूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है चाहे पत्नी अपना भरण-पोषण स्वयं कर सके अथवा न कर सके पति को उसका भरण-पोषण करना है। भरण-पोषण के समर्थ होने अथना भरण-पोषण में असहर्थ होने का इसमें कोई प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

मैं इस बात पर आ रहा हूं। आप अच्छी तरह जानते हैं···(व्यवधान) परन्तु मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार भरण-पोषण की जिम्मेदारी एक विशिष्ट अवधि तक ही है जिसे इद्धत कहा जाता है। श्री गुप्ता, यह मुस्लिम अवधारणा है। इसलिए यह मेरे द्वारा निर्धारित नहीं अपितु यह शरीयत के अनुसार निर्धारित अवधि है। सभी मुस्लिम लोगों द्वारा इसका पालन किया जाता है।

हम सबने एक के बाद एक कहा है कि यह दैवी कानून है। मैंने कहा है कि जब यह कहा जाता है कि धारा 127 (3) यहां बिल्कुल लागू नहीं होती वह बहुत चौकस और आशंकित हो गए। उन्होंने शीघ्र ही आशंका व्यक्त की कि यह परम्परागत स्वीय विधि पर प्रहार है। इसलिए इसकी यह व्याख्या भी हो सकती है कि हम स्वीय विधि को बनाए रखने का अधिकार प्रदान नहीं कर सकते जो संविधान के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित है। बार बार दिए गए आश्वासनों के अलावा संविधान में धर्म निरपेक्ष प्रजातन्त्र की स्थापना की गई जिसके बारे में कल और आज काफी कुछ कहा गया है। इसमें धर्मनिरपेक्ष प्रजातन्त्र की स्थापना की गई है जिसमें एकरूपता नहीं है। इसमें एक सुन्दर मोजक (पच्चीकारी) स्थापित किया गई है जहां प्रत्येक समुदाय को अपनी भूमिका निभानी है उसकी अपनी संस्कृति है प्रत्येक समुदाय की अपनी इद्दत है और अपना दर्शन जिसे उन्हें समृद्ध करना है। यह भारतीय धर्मनिरपेक्षता है। जैसाकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मुझे याद है, मैं अपनी धर्मनिरपेक्षता के प्रतिपादन से अत्यधिक प्रभावित हूं। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा और इससे वही प्रतिध्वनित होता है जो पंडित जवाहर लाल नेहरू ने बहुत वर्ष पहले इस सम्मानीय सभा में कहा था कि हमारा धर्मनिरपेक्षता नीरस नहीं है। यह विभिन्न समुदाओं और धर्मों की विभिन्न संस्कृतियों का समृद्ध रूप है जो इस देश में स्थाई रूप से बने रहने के लिए आई हैं। यह एक संयुक्त शक्ति है जिसने भारतीय प्रजातन्त्र, संस्कृति और सभ्यता को अतीत में, आजकल और हमेशा के लिए इतना महान बनाया है। यदि हम एक अच्छी पच्चीकारी शुरू करें और सम्पूर्ण देश में एक ही प्रणाली अपनाने का प्रयास करें, तो यह बात हमारे दर्शन शास्त्र की आधारशिला के पूर्णतया विपरीत होगी।

मैं केरल शिक्षा विधेयक जिसमें तत्कालीन केरल की साम्यवादी सरकार द्वारा कैथोलिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों को प्रभावित करने का प्रस्ताव किया गया था, के बारे में उच्चतम न्यायालय के फैसले को पढ़ूंगा। हम सबको गर्व है कि केरल ने शंकराचार्य पैदा किया। आप शंकराचार्य के सिद्धान्तों में विश्वास नहीं करते। हम शंकराचार्य के सिद्धांतों में विश्वास करते हैं, अन्तर यही है। आप कार्ल मार्क्स में विश्वास करते हैं। हम शंकराचार्य में विश्वास करते हैं। केरल ने एक महान व्यक्ति महान शंकराचार्य को पैदा किया।

प्रो० मधु दण्डवते : कार्ल मार्क्स भी शंकराचार्य के सिद्धांतों में विश्वास रखते थे।

श्री ए० के० सेन : कार्ल मार्क्स भारत की बहुत सी बातों में विश्वास करते थे। भारतीय सम्बन्धी उनके कुछ लेख बहुत अच्छी भविष्यवाणी के हैं। जिन लोगों ने उन्हें पढ़ा है वे ही जान पाएंगे।

क्या मुझे उच्चतम न्यायालय के तथाकथित समानता तथा धर्म निरपेक्षता के बारे में कथन को पढ़ने की अनुमति देंगे? प्रो० दण्डवते ने कुछ क्षणों के लिए विधि रूपी आकाश में एक बड़ा सितारा बनने का प्रयास किया है। मुझे आशा है कि उनका यह प्रयास भविष्य में सफल होगा; किन्तु इस संस्थान में निश्चित रूप से नहीं सफल होगा।

[श्री ए० के० सेन]

मेरा नम्र निवेदन है कि अनुच्छेद 14 में भी पूर्ण एकरूपता तथा समानता की व्यवस्था नहीं की गई है। केरल के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अनुच्छेद 14 में वर्ग के आधार पर विधान बनाने का निषेध है, किन्तु तर्कसंगत आधार पर वर्गीकरण का ही निषेध नहीं किया गया है यदि आप हिंदुओं के लिए कानून जैसे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, हिन्दू विवाह अधिनियम कानून पारित करते हैं तो इसमें अनुच्छेद 14, 15, 16, या 17 या अन्य अनुच्छेद आड़े नहीं आते। यह पूर्णतः वैध वर्गीकरण है। यदि हम मुसलमानों के लिए कोई कानून पारित करते हैं तो यह पूर्णतया वैध वर्गीकरण है। इसमें अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने की कोई बात नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने इसी प्रकार कहा है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने केवल कानून के सामने समानता की ही बात कही थी।

श्री ए० के० सेन : यह बात अनुच्छेद 14 में कही गई है। इसीलिए हिंदुओं के लिए बने विधान में कहा गया है कि प्रत्येक हिन्दू बालिका को उतना हिस्सा मिलेगा जितना हिन्दू बालक को यह बात मुसलमानों के लिए भिन्न हो सकती है क्योंकि मुस्लिम महिला को कम हिस्सा मिलता है। इसका यह मतलब नहीं है कि समानता नहीं है। यह बहुत ही वैध वर्गीकरण है। क्या मैं वह पढ़ सकता हूं जो उच्चतम न्यायालय ने केरल शिक्षा विधेयक के मामले में कहा है :

> "अनुच्छेद 14, जो कि हमारे संविधान का समान संरक्षण खंड है, का अर्थ परिधि और प्रभाव की उच्चतम न्यायालय द्वारा चिरंजीलाल बनाम भारत संघ से शुरू होने वाले बहुत से मामलों में व्याख्या की गई है। यह बात अब अच्छी तरह से स्थापित हो चुकी है कि यद्यपि अनुच्छेद 14 में वर्ग विधान की मनाही की गई है किन्तु इसमें विधान के अभिप्राय से उचित वर्गीकरण का निषेध नहीं किया गया है और अनुमेय वर्गीकरण की परीक्षा की पूर्ति के लिए दो शर्त अवश्य पूरी की जानी चाहिए अर्थात (एक) इस वर्गीकरण का आधार ऐसा बोधगम्य भेद होना चाहिए जो एक समूह के व्यक्तियों अथवा वस्तुओं को उस समूह के शेष अन्य लोगों में विभेद और (दो) ऐसे भेद का उस संविधि द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य के साथ तर्क संगत संबंध होना चाहिए।"

धर्म निरपेक्षता के हमारे सिद्धांत के बारे में, उच्चतम न्यायालय का यह बहुत महत्वपूर्ण फैसला है जिसमें उच्चतम न्यायालय ने हमारी राष्ट्र भाषा को उद्धृत किया है। क्या मैं उसे पढ़ूं ? यह बताया गया है।

प्रो० मधु दंडवते : कृपया क्षमा कीजिए मैंने केवल यह बताने का प्रयास किया था। कि ऐसा नहीं हो सकता है कि उसी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 को एक समुदाय पर तो लागू किया जाए तथा दूसरे पर लागू न किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कहा था कि कानून के सामने समानता नहीं है। मैंने यही कहा था। मैंने अलग-अलग समुदायों के लिए अलग-अलग स्वीय विधियों के लिए नहीं कहा था।

श्री ए० के० सेन : प्रो० साहब सादर निवेदन है कि कानून का अधिकार क्षेत्र इतना ही है हम ऐसे नहीं कर रहे हैं कि धारा 125 को एक समुदाय पर लागू किया जाए तथा दूसरे पर न किया जाए। हम एक समुदाय को बिल्कुल अलग कर रहे हैं ताकि तलाकशुदा महिलाओं का भरण-पोषण उनकी देयताओं को उनकी अपने सिद्धांतों, उनकी अपनी स्वीय विधियों के आधार पर बनाया जा सके।

क्या अब मैं उस भाग को पढ़ सकता हूं जिसमें हमारी धर्मनिरपेक्षता के बारे में साफ-साफ कहा गया है। इसमें कहा गया है। श्री उन्नीकृष्णन के राज्य जिसने ऐसी समस्या को उत्पन्न किया है जिसका हल उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया था :

"केरल राज्य के विद्वान वकील ने हमें अनुच्छेद 45 में अन्तर्दिष्ट निदेशक सिद्धांत भेजे जिनमें राज्य से संविधान के प्रवृत्त होने से 10 वर्ष की अवधि के अन्तर्गत बच्चों के लिए तब तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करने की अपेक्षा की गयी है जब तक वे 14 वर्ष की आयु के न हो जाएं और.....और बहुत संवेदना और रोष के साथ यह कहा है कि देश के बच्चों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के राज्य के पुनीत कर्त्तव्य के क्रियान्वयन के रास्ते में किसी अल्पसंख्यक समुदाय को आड़े नहीं आने दिया जाना चाहिए ताकि उनका उचित रूप से पालन-पोषण किया जा सके और उन्हें अच्छे नागरिकों के रूप में अपने कर्त्तव्यों तथा जिम्मेदारियों का निर्वहन करने योग्य बनाया जा सके। विद्वान वकील के अनुसार इन अल्पसंख्यकों के स्वार्थी दावों को मानना प्रगति को रोकना है। विद्वान वकील ने प्रश्न किया है कि क्या इन अल्पसंख्यकों के लोगों को साम्प्रदायिक विखण्डन और उन्हें लगातार एक अलग तथा एकाकी सांस्कृतिक कूपों में रहने दिया जाए और राष्ट्र की एकता की प्रगति अवरुद्ध करने दिया जाए? अल्पसंख्यक समुदाय विद्वान वकील भी अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति राज्य की जिम्मेदारी के प्रति समान रूप से सजग था। इस देश के कानून के प्रति उंगली उठाना इस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं है। हम भारत के लोग एतद द्वारा इस संविधान को आत्मार्पित करते हैं जो किसी विशेष सम्प्रदाय या वर्ग के लिए नहीं है बल्कि सभी के लिए है। इसके उपबन्धों का आशय, अल्पसंख्यकों तथा बहुसंख्यकों सभी की रक्षा करना है। इसमें कोई आशंका नहीं है कि हमारे संविधान ने अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा संस्कृति और धर्म से सम्बन्धित कुछ अधिकारों की गारंटी दी है। ये रियायतें उन्हें किसी खास और उचित कारणों से दी गई हैं। अनुच्छेद 45 में निस्संदेह राज्य से सभी बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की अपेक्षा की गई है किन्तु इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं कही गई है जो राज्य को सरकारी तथा सहायता प्राप्त स्कूलों के माध्यम से इस जिम्मेदारी को निभाने से रोके और अनुच्छेद 45 में इस बात की अपेक्षा नहीं की गई कि इस जिम्मेदारी का निर्वहन अल्पसंख्यक समुदायों की कीमत पर किया जाए। जहां तक संविधान का वर्तमान स्वरूप है और उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाता है, हम इस न्यायालय का यह कर्तव्य मानते हैं कि वह मूल अधिकारों को बनाए रखे और अल्पसंख्यक

[श्री ए० के० सेन]

समुदायों के प्रति जो कि हमारे अपने ही हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाए। युगों से भिन्न-भिन्न धर्मों, संस्कृतियों और जातियों जिनमें आर्य और अनार्य, द्रविड़ तथा चीनी सभी शामिल हैं सकाइशियन, हूण, पठान और मुगल दूर-दूर के देशों तथा क्षेत्रों से इस प्राचीन देश में आए।"

भारत ने उन सबका स्वागत किया है। वे आपस में मिले हैं और इकट्ठे हुए है, उन्होंने आपस में एक दूसरे में समाकर एकाकार हो गए हैं। अतएव, भारत की परम्परा का सार निम्न-लिखित पंक्तियों में दिया गया है :

किसी को भी अस्वीकार नहीं किया जाएगा, मानवता के इस अपार समुद्र के किनारे से वह भारत ही है।

वास्तव में भारत ने हमारे राष्ट्रीय गान में उल्लिखित सद्भावना के संदेश को विश्व भर में पहुंचाया है।

दिन और रात, उनकी आवाज एक देश से दूसरे देश में जाती है,

विश्व भर में फैले हिन्दुओं, बौद्धों, सिखों तथा जैनियों और पारसियों, मुसलमानों तथा ईसाइयों का आह्वान किया जाता है पूर्व तथा पश्चिम से उनके पूजाघरों पर भेंटें चढ़ाई जाती हैं, उन्हें प्यार के हार में गूंथने के लिए। जिससे कि सभी लोगों के दिलों को मिलाया जा सके।

यह मेल है.....

श्री सोमनाथ चटर्जी : शाहबानो के मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा है ? उसी उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है।

श्री ए० के० सेन : बंगाली में एक कहावत है जिसमें कहा गया है कि यदि रामायण के सभी अध्यायों का अध्ययन करने के बाद यह प्रश्न पूछा जाता है कि सीता का बाप कौन है ? तो मैं इस प्रश्न का उत्तर कैसे दे सकता हूं ? यदि इतने सारे वाद-विवाद के बाद मेरे विद्वान मित्र को यह पता नहीं चला है कि हम यह विधेयक क्यों लाए हैं और हम यह सब मेल मिलाप तथा अन्य बातों का उल्लेख क्यों कर रहे हैं.....?

महोदय, कारण बहुत सरल है। इसीलिए इसे पढ़ा गया है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय में कहा गया है कि धारा 127 की कोई अहमियत नहीं है और धारा 125 के द्वारा मुसलमान पति पर यह दायित्व सौंपा गया है कि वह 'इद्दत' के बाद भी पत्नी का भरण पोषण करे जिसे इस्लाम के उसूल के अनुरूप नहीं समझा गया है। यही एक मामूली-सा कारण है। मुझे आशा है कि मैंने इसे काफी स्पष्ट कर दिया है। (व्यवधान)

महोदय, अब मैं नहीं समझता कि मुझे सभा को और कष्ट देने की आवश्यकता है क्योंकि माननीय सदस्य ने कहा है कि वह हमारी बात नहीं सुनेंगे।

श्री थम्पन थामस (मवेलिकरा) : इस कानून से मौलिक न्यायशास्त्र को दाण्डिक कानून से उठाकर नागरिक कानून में स्थानान्तिरत कर दिया है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में आदेशों का पालन करने के लिए दण्ड देने की व्यवस्था है। दण्ड देने सम्बन्धी खण्ड उसमें है। लेकिन नया विधेयक सिविल किस्म का है और दायित्व संविदात्मक है। धारा 125 का उल्लंघन समाज के प्रति अपराध है। इसके बारे में आपका क्या स्पष्टीकरण है ?

श्री ए० के० सेन : इस पर तर्क-वितर्क किया जा चुका है। अब महोदय, केवल एक मुद्दा रहता है। एक समान नागरिक संहिता बनाने की आवश्यकता पर काफी चर्चा की गई है।

एक माननीय सदस्य : 13 (2) के बारे में आपके क्या विचार हैं ?

श्री ए० के० सेन : 13 (2) केवल तभी लागू होती है जब 14 का उल्लंघन किया जाता है। यदि 14 का उल्लंघन नहीं होता है तो 13 (2) लागू नहीं होगा। अब एक समान नागरिकता संहिता के प्रश्न पर मुक्त रूप से चर्चा की गई है। निर्देशक सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट हैं और मैंने उस अनुच्छेद पर डा० अम्बेडकर ने जो कुछ कहा है उसे प्रारम्भ में ही पढ़ दिया है अर्थात्, एक समान नागरिक संहिता तैयार करने के प्रयास का तात्पर्य यह नहीं है कि नागरिक संहिता को सभी समुदायों के सम्बन्धित व्यक्तियों से सलाह किए बिना लागू किया जाए। संभव है कि हम अन्य सिविल विवाह अधिनियम, जिसके अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति, चाहे वह हिन्दू कानून, मुस्लिम कानून अथवा ईसाई कानून के अनुसार विवाहित हो, उस अधिनियम के आदेशों के द्वारा बाध्य होने के लिए विकल्प दे सकता है, जैसी नागरिक संहिता के लिए इस सभा द्वारा विकल्प देने से पूर्व शीघ्र ही एक समान नागरिक संहिता ला सकेंगे। (**व्यवधान**)

श्री दिनेश गोस्वामी (गुवाहाटी) : आप नई आशंकाएं उत्पन्न न करें। पिछली बार लोग उच्चतम न्यायालय चले गए थे। अब आप नई आशंकाएं उत्पन्न कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि वे खतरनाक होंगी।

श्री ए० के० सेन : हमारे पास युवा छोटी लड़की कुमारी ममता बनर्जी के रूप में श्री गोस्वामी तथा श्री सैफुद्दीन चौधरी के लिए एक अच्छा जोड़ है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : कृपया उनके सम्बन्ध में मेरा उल्लेख न करें। इस इस बात को पसन्द नहीं करता। यदि आप मुझे कहें तो मैं संसद में नहीं आऊंगा। परन्तु इस तरह मेरे नाम का उल्लेख न कीजिए।

श्री ए० के० सेन० : इस बात से महिलाओं के प्रति भारी आदर भाव का होना दिखाई देता है। अब मैं समझता हूं कि हम अपनी चर्चा को समाप्त करें और अल्पसंख्यक समुदाय की सहायता करने के प्रयोजन के लिए एक अति आवश्यक उपाय है, जैसा कि श्री फ्रैंक एन्थनी ने आज कहा था कि यह देश धर्म निरपेक्षता के ढांचे पर खड़ा है जो सभी प्रतिकूल संस्कृतियों की विद्यमानता तथा अनवरतता को स्वीकारता है। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : मेरी जानकारी में यह बात लाई गई है कि विचारार्थ प्रस्ताव पर निम्नलिखित संशोधनों को राय जानने के लिए एक साथ रखा जाए। ये संशोधन जनता की राय जानने के लिए विधेयक को परिचालित करने हेतु हैं और संशोधन की संख्या में हैं :

8
45
47
48
49
50
57
58
196
209

इन सभी संशोधनों को सभा में मतदान के लिए एक साथ रखा जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 8, 45, 47, 48, 49, 50, 57, 58, 196 तथा 209 पर राय जानने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार करने के प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को 16 मई, 1986 तक राय जानने के प्रयोजनार्थ परिचालित किया जाए।" (8)

"कि विधेयक को 12 नवम्बर, 1986 तक उस पर राय जानने के प्रयोजनार्थ परिचालित किया जाए।" (45)

"कि विधेयक को 31 जुलाई, 1986 तक उस पर राय जानने के प्रयोजनार्थ परिचालित किया जाए।" (47)

"कि विधेयक को 11 अगस्त, 1986 तक उस पर राय जानने के प्रयोजनार्थ परिचालित किया जाए।" (48)

"कि विधेयक को 25 नवम्बर, 1986 तक उस पर राय जानने के प्रयोजनार्थ परिचालित किया जाए।" (49)

"कि विधेयक को 16 जून, 1986 तक उस पर राय जानने के प्रयोजनार्थ परिचालित किया जाए।" (50)

"कि विधेयक को 28 जुलाई, 1986 तक उस पर राय जानने के प्रयोजनार्थ परिचालित किया जाए।" (57)

"कि विधेयक को 14 अगस्त, 1986 तक उस पर राय जानने के प्रयोजनार्थ परिचालित किया जाए।" (58)

"कि विधेयक को 4 अगस्त, 1986 तक उस पर राय जानने के प्रयोजनार्थ परिचालित किया जाए और यह मुस्लिम स्त्रियों में मत-संग्रह द्वारा किया जाए।" (196)

"कि विधेयक को 5 जुलाई, 1986 तक उस पर राय जानने के प्रयोजनार्थ परिचालित किया जाए।" (209)

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

290. म० प०

मत विभाजन संख्या 3

पक्ष में

अ

अब्दुल हमीद, श्री

अय्यर, श्री वी० एस० कृष्ण

आ

आचार्य, श्री वसुदेव

उ

उन्नीकृष्णन, श्री के० पी०

क

कल्पना देवी, डा० टी०

कुरुप, श्री सुरेश

ग

गुप्त, श्री इन्द्रजीत

गोस्वामी, श्री दिनेश

घ

घोष गोस्वामी, श्रीमती विभा

च

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चालिहा, श्री पराग

चिन्ता मोहन, डा०

चौधरी, श्री सैफुद्दीन

ज

जायनल, अबेदिन श्री

जैनुल बशर, श्री (गाजीपुर)

ड

डोरा, श्री एच० ए०

त

तांती, श्री भद्रेश्वर

तिरकी, श्री पीयूस

तुलसीराम, श्री वी०

थ

थोटा, श्री गोपाल कृष्ण

द

दंडवते, श्री मधु

दत्त, श्री अमल

दास, श्री रेणुपद

देव, श्री वी० किशोर चन्द्र एस०

देव, श्री शरत

प

पटेल, डा० ए० के०

पाटिल, श्री डी० बी०

पाठक, श्री आनन्द

पेंचालैया, श्री पी०

ब

बसु, श्री अनिल

बिश्वास, श्री अजय

भ

भट्टम, श्री श्रीराम मूर्ति

भुपति, श्री जी०

म

मण्डल, श्री सनत कुमार

मलिक, श्री पूर्णचन्द्र

मसुदल हुसैन, श्री सैयद

महाता, श्री चित्त

मिश्र श्री सत्यगोपाल

मुखर्जी, श्रीमती गीता

य

यादव, श्री विजय कुमार

र

राजू, श्री आनन्द गजपति

राय, श्री डा० सुधीर

रायप्रधान, श्री अमर

राव, श्री ए० जे० वी० वी० महेश्वर

राव, डा० जी० विजयरामा

रेड्डी, श्री के० रामचन्द्र

रेड्डी, श्री सी० जंगा

रेड्डी, श्री डी० एन०

रेड्डी, श्री बैजावाड़ा पपी

रेड्डी, श्री मानिक

रेड्डी, श्री बी० एन०

रेड्डी, श्री एम० रघुमा

रेड्डी, श्री सी० माधवे

स

सईद, श्री पी० एम०*

सान्याल, श्री मानिक

साहा, श्री अजित कुमार

साहा, श्री गदाधर

सैकिया, श्री गाकुल

स्वामी, श्री कटूरी नारायण

स्वामी, श्री डी० नारायण

ह

हंसदा, श्री मतिलाल

हन्नान मोल्लाह, श्री

* गलती से पक्ष में मतदान किया।

मत विभाजन संख्या 3

0·29 म० प०

(विपक्ष में)

अ

अंजैया, श्री टी०

अंसारी, श्री जियाउर्रहमान

अंसारी, श्री अब्दुल हन्नान

अख्तर हसन, श्री

अग्रवाल, श्री जय प्रकाश

अडईकलराज, श्री एल०

अतीतन, श्री आर० धनुषकोडी

अदियोडी, डा० के० जी०

अण्णानम्बी, श्री आर०

अब्दुल गफूर, श्री

अब्बासी, श्री के० जे०

अर्जुनसिंह, श्री

अरुणाचलम, श्री एम०

अलखाराम, श्री

अवस्थी, श्री जगदीश

अहमद, श्रीमती आबिदा

अहमद, श्री सरफराज

आ

आजाद, श्री गुलाम नबी

आजाद, श्री भगवत झा

आनन्द सिंह, श्री

उ

उरांव, श्रीमती सुमति

ए

एन्टनी, श्री पी० ए०

ऐ

ऐंगती श्री बीरेन सिंह

ओ

ओडेयार, श्री चनंया

ओवेसी, श्री सुल्तान सलाउद्दीन

क

कमलनाथ, श्री

कमला कुमारी, कुमारी

कामत, श्री गुरुदास

कामसन, प्रो० मिजिनलंग

किन्दर लाल, श्री

किस्कू, श्री पृथ्वीचन्द

कुंवर राम, श्री

कुंचन, श्री गंगाधर एस०

कुप्पुस्वामी, श्री सी० के०

कुमारमंगलम, श्री पी० आर०

कुरियन, प्रो० पी० जे०

कुरेशी, श्री अजीज

कुलनदईवेलु, श्री पी०
केन, श्री लालाराम
केयुर भूषण, श्री
कोनयक, श्री चिगवांग
कौल, श्रीमती शीला
कौशल, श्री जगन्नाथ
कृष्णकुमार, श्री एस०
कृष्णसिंह, श्री

ख

खत्री, श्री निर्मल
खां, श्री असलम शेर
खां, श्री आरिफ मोहम्मद
खां, श्री खुर्शीद आलम
खां, श्री जुल्फिकार अली
खां, श्री मोहम्मद अयूब
खां, श्री रहीम
खिरहर, श्री राम श्रेष्ठ

ग

गढ़वी, श्री बी० के०
गहलौत, श्री अशोक
गांधी, श्री राजीव
गाडगिल, श्री बी० एन०
गामित श्री सी० डी०
गायकवाड़, श्री उदयसिंहराव
गायकवाड़, श्री रणजीत सिंह
गावीत, श्री मानिकराव होडल्या
गुप्त, श्री जनक राज
गुप्त, श्रीमती प्रभावती
गुहा, डा० फूलरेणु
गोपेश्वर, श्री
गोमांगो, श्री गिरिधर
गौडा, श्री एच० एन० नन्जे

घ

घोष, श्री तरुण कांति
घोष, श्री विमल कांति
घोषाल, श्री देवी

च

चतुर्वेदी, श्री नरेश चन्द्र
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चन्द्रशेखर, श्रीमती एम०
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चन्द्रशेखरप्पा श्री टी० बी०
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल
चन्द्रेशकुमारी, श्रीमती
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई
चार्ल्स, श्री ए०
चिदम्बरम, श्री पी०
चौधरी, श्रीमती ऊषा
चौधरी, श्री कमल
चौधरी, श्री नम्बराम
चौधरी, श्री मनफूल सिंह
चौबे, श्री नारायण

ज

जगतरक्षकन, डा० एस०
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जदेजा, श्री डी० पी०
जनार्दनन, श्री कादम्बुर
जयदीपसिंह, श्री
जयमोहन, श्री ए०
जांगड़े, श्री खेलनराम

जाफर शरीफ, श्री सी० के०
जितेन्द्र प्रसाद, श्री
जितेन्द्र सिंह, श्री
जीवरत्नम, श्री आर०
जेना, श्री चिन्तामणि
जेन, श्री डालचन्द्र
जैन, श्री निहाल सिंह
जैन, श्री बुद्धि चन्द्र
जैनल, बशर श्री

झ

*झांसी लक्ष्मी, श्रीमती एन० पी०
झिकराम, श्री एम० एल०

ट

टाइटलर, श्री जगदीश

ठ

ठक्कर, श्रीमती ऊषा
ठाकुर, श्री सी० पी०

ड

डागा, श्री मूल चन्द
डामर, श्री सोमजी भाई
डिमाल, श्री राधाकांत
डेनिस, श्री एन०
डोगरा, श्री गिरधारी लाल

ढ

ढिल्सन, डा० जी० एस०

त

तपेश्वरसिंह, श्री
तम्बिदुराई, श्री एम०
तारादेवी, कुमारी डी० के०
तारिक अनवर, श्री
तिग्गा, श्री साइमन
तिलकधारीसिंह, श्री
तिवारी, प्रो० के० के०
तोमर, श्रीमती ऊषा रानी
त्यागी, श्री धर्मवीर सिंह
त्रिपाठी, डा० चन्द्र शेखर
त्रिपाठी, श्रीमती चन्द्रा

थ

थामस, प्रो० के० वी०
थुंगन, श्री पी० के०
थोरट, श्री भाऊसाहिब

द

दलबीरसिंह, श्री
दलबीरसिंह, चौधरी
दाभी, श्री अजीत सिंह
दास, श्री अनादि चरण
दास, श्री बिपिनलाल
दास मुन्शी, श्री प्रिय रंजन
दिग्विजय सिंह, श्री (राजगढ़)
दिग्विजय सिंह श्री (सुरेन्द्र नगर)
दिघे, श्री शरद
दिनेशसिंह, श्री
दुबे, श्री भीष्म देव
देव, श्री सन्तोष मोहन
देवरा, श्री मुरली
देवराजन, श्री बी०
देवी, प्रो० चन्द्र भानु

ध

धारीवाल, श्री शांति

न

नटवरसिंह, श्री के०
नवल प्रभाकर, श्रीमती सुन्दरवती

* गलती से विपक्ष में मतदान किया ।

नामग्याल, श्री पी०
नायक, श्री शांताराम
नायकर, श्री डी० के०
नारायणन, श्री के० आर०
नीखरा, श्री रामेश्वर
नेताम, श्री अरविन्द
नेहरू, श्री अरुण कुमार

प

पंजा, श्री ए० के०
पंत, श्री कृष्ण चन्द्र
पकीर मोहम्मद, श्री ई० एस० एम०
पटनायक, श्री जगन्नाथ
पटनायक, श्रीमती जयन्ती
पटेल, श्री अहमद एम०
पटेल, श्री यू० एच०
पटेल, श्री जी० आई०
पटेल, श्री मोहन भाई
पटल, श्री राम पूजन
पटेल, श्री सी० डी०
पनिका, श्री राम प्यारे
पराशर, प्रो० नारायण चन्द्र
पवार, श्री बालासाहिब (जालना)
पवार, श्री सत्यनारायण
पांडे, श्री दामोदर
पांडे, श्री मदन
पांडे, श्री मनोज
पांडे, श्री राज मंगल
पाइलट, श्री राजेश
पाटिल, श्री उत्तमराव
पाटिल, श्री प्रकाश बी०
पाटिल, श्री बालासाहेब बिखे
पाटिल, श्री यशवंतराव गडाख
पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पाटिल, श्री शिवराज बी०
पाठक, श्री चन्द्र किशोर
पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ
पारधी, श्री केशवराव
पुजारी, श्री जनार्दन
पुरुषोत्तमन, श्री बक्कम
पुरोहित, श्री बनवारी लाल
पूष्पादेवी, कुमारी
पूरनचन्द, श्री
पेरुमान, डा० पी० बल्लल
पोतदुखे, श्री शांताराम
प्रधान, श्री के० एन०
प्रधान, श्री के०
प्रभु, श्री आर०

फ

फैलीरो, श्री एडुआर्डो

ब

बंसीलाल, श्री
बच्चन, श्री अमिताभ
बनर्जी, कुमारी ममता
बनातवाला, श्री जी० एम०
बशीर, श्री टी०
बसवराजु, श्री जी० एस०
बसवराजेश्वरी, श्रीमती
बाजपेयी, डा० राजेन्द्रकुमारी
बीरबल, श्री
बीरेन्द्रसिंह, राव
बीरेन्द्रसिंह, श्री
बुदानिया, श्री नरेन्द्र
बुन्देला, श्री सुजानसिंह
बूटासिंह, सरदार

बैरवा, श्री बनवारी लाल
बैठा, श्री डूमरलाल
बैरागी, श्री बालकवि

भ

भक्त, श्री मनोरंजन
भगत, श्री एच० के० एल०
भगत, श्री बी० आर०
भट्टाचार्य, श्रीमती इन्दुमती (हुगली)
भरतसिंह, श्री
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल
भारद्वाज, श्री परसराम
भूमिज, श्री हरेन
भुरिया, श्री दिलीप सिंह
भोई, डा० कृपा सिंधु
भोय, श्री आर० एम०
भोये, श्री एस० एस०
भोसले, श्री प्रतापराव बी०

म

मकवाना, श्री नरसिंह
मलिक, श्री धर्मपाल सिंह
मलिक, श्री लक्ष्मण
महन्ती, श्री बृजमोहन
महावीर प्रसाद, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
माधुरीसिंह, श्रीमती
मानवेन्द्रसिंह, श्री
माने, श्री मुरलीधर
मार्तण्ड सिंह, श्री
मालवीय, श्री बापूलाल
मावणि, श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई
मिर्धा, श्री राम निवास
मिश्र, श्री उमाकान्त
मिश्र, श्री जी० एस०
मिश्र, श्री नित्यानन्द
मिश्र, श्री राम नगीना
मिश्र, श्री श्रीपति
मिश्र, डा० प्रभात कुमार
मीरा कुमार, श्रीमती
मुखोपाध्याय, श्री आनन्द गोपाल
मुत्तेमवार, श्री विलास
मुरमू, श्री सिद्धलाल
मुशराम, श्री अजय
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर
मेहता, श्री हरुभाई
मोतीलाल सिंह, श्री
मोदी, श्री विष्णु
मोरे, प्रो० रामकृष्ण

य

यशपाल सिंह, श्री
याज्ञदानी, डा० गुलाम
यादव, श्री कैलाश
यादव, श्री डी० पी०
यादव, श्री बलराम सिंह
यादव, श्री राम सिंह
यादव, श्री श्यामलाल
यादव, श्री सुभाष
योगेश, श्री योगेश्वर प्रसाद

र

रंगनाथ, श्री के० एच०
रंगा, प्रो० एन० जी०
रघुराजसिंह, चौधरी
रणवीर सिंह, श्री
रथ, श्री सोमनाथ
राउत, श्री भोला
राजकरन सिंह, श्री
राजहंस, डा० गौरीशंकर

राजश्वरन, डा० वी०
राठवा, श्री अमरसिंह
राठौड़, श्री उत्तम
राम, श्री रामस्वरूप
राम अवधप्रसाद, श्री
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली
राम समुझावन, श्री
रामधन, श्री
रामपालसिंह, श्री
राम प्रकाश, चौधरी
राममूर्ति, श्री के०
रामलू, श्री एच० जी०
राय, श्री आई० रामा
राय, श्री राजकुमार
राव, श्री के० एस०
राव, श्री जे० चोक्का
राव, श्री जे० वेंगल
राव, श्री पी० वी० नरसिंह
राव, श्री वी० कृष्ण
रावणी, श्री नवीन
रावत, श्री प्रभुलाल
रावत, श्री हरीश

ल

लच्छीराम, चौधरी
लाहा, श्री आशुतोष
लोवांग, श्री वांगफा

व

वन, श्री दीप नारायण
वनकर, श्री पूनमचन्द मीठाभाई
वर्मा, श्रीमती ऊषा
वर्मा, डा० सी० एस०
वासनिक, श्री मुकुल
विजयराघवन, श्री वी० एस०
वीरसेन, श्री
वेंकटेशन, श्री पी० आर० एस०
वैराले, श्री मधुसूदन
व्यास, श्री गिरधारीलाल

श

शंकरानन्द, श्री वी०
शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी
शर्मा, श्री चिरंजीलाल
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शर्मा, श्री नवल किशोर
शर्मा, श्री प्रताप भानु
शांति देवी, श्रीमती
शास्त्री, श्री हरिकृष्ण
शाह, श्री अनूपचन्द
शाहबुद्दीन, सैयद
शिमडा, श्री डी० वी०
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
शेरवानी, श्री सलीम आई०
श्री निवास प्रसाद, श्री वी०

स

संकटा प्रसाद, डा०
संखवार, श्री आशकरण
संगमा, श्री पी० ए०
सुकरागयम, श्री कालीचरण
सत्येन्द्र चन्द्र, श्री
साठे, श्री बसंत
साही, श्रीमती कृष्णा

सिंगरावडीवेल, श्री एस०
सिंह, श्री अतीशचन्द्र
सिंह, श्रीमती किशोरी
सिंह, श्री कमला प्रसाद
सिंह, श्री कृष्ण प्रताप
सिंह, श्री के० एन०
सिंह, श्री चन्द्रप्रताप नारायण
सिंह, श्री डी० जी०
सिंह, श्री भानुप्रताप
सिंह, श्री लाल विजय प्रताप
सिंह, श्री एस० डी०
सिंह, सत्येन्द्र नारायण
सिंहदेव, श्री के० पी०
सिदनाल, श्री एस० बी०
सिद्दीक, श्री हाफिज मोहम्मद
सिन्धिया, श्री माधवराव
सिन्हा, श्रीमती रारदुलारी
सुन्दरलाल, श्री
सुन्दरसिंह, चौधरी
सुखराम, श्री
सुखाड़िया, श्रीमती इन्दुबाला
सुखवन्स कौर, श्रीमती
सुनीलदत्त, श्री
सुन्दरराज, श्री एन०
सुन्दरराजन, श्री एन०
सुब्बूरमन, श्री ए० जी०
सुमन, श्री रामप्यारे
सुरेन्द्रपालसिंह, श्री
सुल्तानपुरी, श्री के० डी०
सूर्यवंशी, श्री नरसिंह
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान
सेठी, श्री अनन्त प्रसाद
सेठो, श्री प्रकाश चन्द्र
सेन, श्री भोलानाथ
सेन, श्री ए० के०
सेल्वेन्द्रन, श्री पी०
सोज, प्रो० सैफुद्दीन
सोडी, श्री मनकूराय
सोलंकी, श्री कल्याण सिंह
सोलंकी, श्री नटवरसिंह
स्वामीप्रसाद सिंह, श्री
स्पैरो, श्री आर० एस०
स्वेल, श्री जी० जी०

ष

षण्मुख, श्री ए० सी०
षण्मुख, श्री पी०

ह

हरपाल सिंह, श्री
हाल्दर, प्रो० एम० आर०
हेम ब्रम, श्री सेत

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत-विभाजन का परिणाम*इस प्रकार है :

पक्ष में : 61, विपक्ष में 370

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

श्री वसुदेव आचार्य : हन विरोध में बहिर्गमन करते हैं।

तत्पश्चात् श्री वसुदेव आचार्य और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए

अध्यक्ष महोदय : अब मैं शेष संशोधनों को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 9, 36, 54, 96, 132, और 210 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उन मुस्लिम स्त्रियों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए जिनका उनके पति द्वारा विवाह-विच्छेद हो गया है या जिन्होंने अपने पति से विवाह-विच्छेद प्राप्त कर लिया है और उससे सम्बद्ध और उसके अनुबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

अब खंड 2

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपना मत दर्ज कराया।

पक्ष में : श्री के०आर० नटराजन, श्री के० मोहनदास, श्री दत्ता सामंत, श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव, श्री विजय कुमार राजू और श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी।

विपक्ष में : श्री सलाउद्दीन, श्री कमोदी लाल जाटव, श्री ब्रह्मदत्त, श्री चितामणि पाणिग्रही, श्रीमति केशरबाई क्षीरसागर, श्री एच० बी० पाटिल, श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री टी० बाला गौड, श्री कमला प्रसाद रावत, श्री जुझार सिंह, श्री ए० आर० मुरुगई, श्री गंगा राम, श्री जगन्नाथ चौधरी, श्री संतोष कुमार सिंह, श्री एस० तंगराजु, श्री मोहम्मद महफूज अली खां, श्री अब्दुल रशीद काबुली, श्रीमती शीला दीक्षित और श्री पी० एम० सईद।

खण्ड 2 (परिभाषा)

श्री जी० एम० बनातवाला : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1 : पंक्ति 8—

"अनुसार" के पश्चात् "इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से पूर्व या पश्चात्" अन्तः स्थापित किया जाए। (15)

संयद शहाबुद्दीन : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 1 से 9 के स्थान पर निम्नलिखित

अन्तः स्थापित किया जाये :—

"(ख) "इद्दत की अवधि" से किसी विच्छिन्न विवाह, स्त्री की दशा में अभिप्रत है, वह अवधि, जिसमें मुस्लिम विधि के अन्तर्गत विवाह विच्छेद के पश्चात पुनर्विवाह निषिद्ध है; ।" (105)

श्री ए० के० सेन : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2, —

पंक्ति 12 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाए :

(घ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।" (211)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 2—

पंक्ति 12 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाए—

(घ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। (211)

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : अब मैं अन्य सभी संशोधनों की सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 15 और 105 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3—(मुस्लिम महिला को तलाक के समय उसे दी जाने वाली मेहर अथवा अन्य सम्पत्ति)

अध्यक्ष महोदय : श्री सोज क्या आप अपना संशोधन पेश कर रहे हैं ?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं पेश नहीं कर रहा हूं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2 पंक्ति 20 और 21—

"ऐसी संतान के जन्म की सम्बन्धित तारीखों से दो वर्ष की अवधि के लिए" के स्थान पर "उस सन्तान के व्यवस्थ होने तक" प्रतिस्थापित किया जाए। (4)

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 28 के पश्चात निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाए :—

"परन्तु यदि विच्छन्न विवाह स्त्री मजिस्ट्रेट के समक्ष यह सिद्ध कर देती है कि उसे बिना किसी कसूर के तलाक दिया गया था, तो मजिस्ट्रेट उसके पूर्व पति से सम्यक् और उचित प्रतिकर का संदाय किए जाने का आदेश देगा।" (5)

अध्यक्ष महोदय : श्री शांताराम नायक, क्या आप अपना संशोधन पेश कर रहे हैं ?

श्री शांताराम नायक (पणजी) : जी, नहीं।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ट 2,—

पंक्ति 15-17 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए अर्थात :—

(ख) कोई युक्तियुक्त और ऋतु भरण पोषण जो उसके पूर्व पति द्वारा इद्दत की अवधि के लिए इसे संदत्त किए जाने हैं;" (16)

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 18-22 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए अर्थात :—

"(ख) कोई युक्तियुक्त और ऋजु उपबन्ध जो उसके पूर्व पति द्वारा उससे जन्मी सन्तान का भरणपोषण करने के लिए ऐसी सन्तान के जन्म की सम्बन्धित तारीखों से दो वर्ष की अवधि के लिए उसके पूर्व पति द्वारा किए जाते हैं।" (17)

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 22 के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए :—

"स्पष्टीकरण : उपरोक्त खंड (ख) में विनिर्दिष्ट कोई बात मां की अभिरक्षा के अधीन किसी अल्पवयस्क सन्तान की, मुस्लिम स्वीय विधि (शरीमत) के अनुसार, अपने पिता से भरणपोषण प्राप्त करने की हकदारी पर प्रभाव नहीं डालेगी।" (18)

पृष्ठ 2,—

पंक्तियों 23 से 25 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात—

(ग) मेहर या उसका असंदत्त अंश जो मुस्लिम स्वीय विधि (शरीमत) के अनुसार, उसके पूर्व पति द्वारा उसे संदत्त किये जाने के लिए करार की गई थी; (19)

पृष्ठ 2 पंक्ति 28,—

"दी गई सभी सम्पत्ति" के स्थान पर "उसकी सभी सम्पत्ति" तथा उसे दिए गए सभी उपहार" प्रतिस्थापित किया जाए। (20)

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 29-30 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(2) जहां कोई युक्तियुक्त या ऋजु भरणपोषण या उपबन्ध अथवा शोध्य मेहर उसके विवाह विच्छेद पर किसी विच्छिन्न विवाह स्त्री के लिए नहीं किया गया है या उसको संदत्त नही की गई है अथवा उपधारा (1) के खंड (घ) में निर्दिष्ट सम्पत्ति या दान का उसके विवाह विच्छेद पर किसी विच्छिन्न विवाह स्त्री को परिदान नहीं किया गया है वहां वह या उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति उसकी ओर से, यथास्थिति, ऐसे भरणपोषण, मेहर, या सम्पतियों के परिदान के आदेश के लिए किसी मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकेगी।" (21)

पृष्ठ 2, पंक्ति 48,—

"उपप्रबन्ध करने तथा" का लोप किया जाए। (22)

पृष्ठ 3, पंक्ति 3,—

"रखते हुए" के पश्चात् :—

"उप-धारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट ऐसे युक्तियुक्त और ऋजु उपबन्ध करने के लिए, जैसा वह उचित समझे, या" अंत: स्थापित किया जाए। (23)

पृष्ठ 3, पंक्ति 4,—

"या डावर" का लोप किया जाए। (24)

पृष्ठ 2, पंक्ति 40 से 43 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात :—

"(क) उसका पति यथास्थिति, उसके लिए युक्तियुक्त और ऋजु भरणपोषण अथवा

उपबन्ध करने में असफल रहा है या उसने ऐसा संदाय करने की उपेक्षा की है, जैसाकि उपखंड (1) के खंड (क) या (ख) में निर्दिष्ट है; या" (26)

पृष्ठ 2, पंक्ति 44,—

"मेहर या डाबर की राशि के बराबर रकम" के स्थान पर "मेहर या उसका असंदत्त भाग" प्रतिस्थापित किया जाए। (27)

पृष्ठ 2, पंक्ति 45,—

"सम्पत्ति" के पश्चात् "अथवा उपहार" अंत:स्थापित किया जाये। (28)

पृष्ठ 3, पंक्ति 12,—

"या डाबर" का लोप किया जाये। (30)

पृष्ट 3, पंक्ति 13,—

"लिए" के पश्चात्

"अथवा किसी सम्पत्तियां उपहार के न दिये जाने पर" अन्त:स्थापित किया जाये। (31)

पृष्ठ 3, पंक्ति 15,—

'लिए' के पश्चात्

"अथवा किसी सम्पत्ति या उपहार के न दिये जाने पर"

अन्त:स्थापित किया जाये। (32)

पृष्ठ 3, पंक्ति 17,—

"संदाय" के पश्चात् "अथवा परिदान" अन्त:स्थापित किया जाये। (33)

अध्यक्ष महोदय : श्री अनूपचन्द शाह, क्या आप अपने संशोधन वेश कर रहे हैं ?

श्री अनूपचन्द शाह (बम्बई उत्तर) : जी, नहीं।

श्री हम्माम मोल्लाह (उलूबेरिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं

पृष्ठ 2 पंक्ति 13 और 14,—

"तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी कोई विच्छिन्न विवाह स्त्री निम्नलिखित की हकदार होगी, अर्थात्—" के स्थान पर

"प्रवृत्त विद्यमान विधियों के उपबन्धों के अध्यधीन, कोई विच्छिन्न विवाह स्त्री अपने पसंद पर निम्नलिखित की हकदार होगी, अर्थात्" **प्रतिस्थापित किया जाये ।** (37)

श्री वसुदेव आचार्य :मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2,—

'पंक्ति 28 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अन्तःस्थापित किया जाये**—

"(1क) जहां कोई विच्छिन्न विवाह स्त्री मजिस्ट्रेट के समक्ष यह सिद्ध कर देती है कि उसका विवाह-विच्छेद उसके पूर्व पति द्वारा किया गया है तो मजिस्ट्रेट आदेश देगा कि पूर्व पति सम्यक् और उचित प्रतिकर तथा भरण-पोषण का संदाय करे।" (39)

श्री मनिक सान्याल : मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 3, पंक्ति 16,—

"एक वर्ष **के स्थान पर**

"पन्द्रह वर्ष" **प्रतिस्थापित किया जाये ।** (40)

पृष्ठ 3, पंक्ति 18 से 20,—

"किन्तु ऐसा दण्डादेश ऐसे व्यक्ति को प्रतिरक्षा में सुने जाने के अधीन होगा और ऐसा दण्डादेश उक्त संहिता के उपबन्धों के अनुसार अधिरोपित किया जायेगा" **का लोप किया जाये ।** (41)

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2, पंक्ति 13,—

"तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में" **के स्थान पर** "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 में" **प्रतिस्थापित किया जाये ।** (52)

श्री सोमनाथ चटर्जी : में प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2, पंक्ति 13-14—

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी" **के स्थान पर** "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्यधीन," **प्रतिस्थापित किया जाये ।** (55)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2, पंक्ति 14,—

"स्त्री" के पश्चात् "अपनी पसन्द के अनुसार" **अन्तःस्थापित किया जाये ।** (56)

श्री अमरराय प्रधान : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2, पंक्ति 20 और 21,—

"ऐसी सन्तान के जन्म की सम्बन्धित तारीखों से दो वर्ष की अवधि के लिए" **के स्थान पर**

"उस सन्तान के वयस्क होने और आत्मनिर्भर होने तक" **प्रतिस्थापित किया जाये ।** (59)

श्री डी० बी० पाटिल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 15 से 17 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाये** :—

"(क) विच्छिन्न विवाह स्त्री की आवश्यकताओं, उसके विवाह के दौरान उसके द्वारा उपभोग किए गए जीवन स्तर और उसके पूर्वपति के साधनों को दृष्टि में रखते हुए निर्वाह-व्यय;" (63)

पृष्ठ 2, पंक्ति 20 और 21,—

"ऐसी सन्तान के जन्म की सम्बन्धित तारीखों से दो वर्ष की अवधि के लिए" **के स्थान पर** "लड़के या लड़कों की दशा में उसके या उनके वयस्क हो जाने तक और लड़की या लड़कियों की दशा उसके या उनके वयस्क हो जाने तक या उसके या उनके विवाह हो जाने तक, जो भी पहले हो;"

प्रतिस्थापित किया जाये । (64)

पृष्ट 2, पंक्ति 29,—

"कोई युक्तियुक्त या ऋजु उपबन्ध और भरणपोषण" **के स्थान पर** "निर्वाह-व्यय" **प्रतिस्थापित किया जाये ।** (66)

पृष्ठ 2, पंक्ति 34,—

"ऐसे उपबन्ध और भरणपोषण" **के स्थान पर** "निर्वाह-व्यय" **प्रतिस्थापित किया जाये ।** (67)

पृष्ठ 2, पंक्ति 40,—

"अपने पास पर्याप्त साधन होते हुए," का **लोप किया जाये ।** (68)

पृष्ठ 2, पंक्ति 40 से 42,—

"इद्दत की अवधि के भीतर उसके और उसकी सन्तान के लिए युक्तियुक्त और ऋजु उपबन्ध करने और भरणपोषण" **के स्थान पर** "उसके और उसकी सन्तान के लिए निर्वाह-व्यय" **प्रतिस्थापित किया जाये ।** (69)

पृष्ठ 2-3, क्रमशः पंक्ति 48 और 1,—

"युक्तियुक्त और ऋजु उपबन्ध करने तथा भरणपोषण" **केस्थान पर** "निर्वाह-व्यय" **प्रतिस्थापित किया जाये ।** (70)

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 18-22 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाये,** अर्थात् :—

"(ख) कोई युक्तियुक्त और ऋजु उपबन्ध जो उसके पूर्व पति द्वारा उससे जन्मी सन्तान का भरणपोषण करने के लिए ऐसी सन्तान के जन्म की सम्बन्धित तारीखों से दी गई वर्ष की अवधि के लिए उसके पूर्व पति द्वारा किये जाने हैं;" (78)

पृष्ट 2, पंक्ति 28,—

"दी गई सभी सम्पत्ति" **के स्थान पर** "उसकी सभी सम्पत्ति तथा उसे दिये गये सभी उपहार" **प्रतिस्थापित किया जाये ।** (81)

श्री जी० एम० बनातवाला :महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2,—

पंक्तियों 23 से 25 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाये,** अर्थात् :—

"(ग) मेहर या उसका असंदत्त अंश जो मुस्लिम विधि के अनुसार उसके विवह के समय या उसके पश्चात् किसी समय उसे संदत्त किये जाने के जाने के लिये करार की गयी थी, तथा जहां ऐसी मेहर का करार नहीं किया गया था, वहां वह राशि जो मुस्लिम कानून के अनुसार युक्तियुक्त और ऋजु मेहर माना जाये; और" (97)

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 28 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अन्तःस्थापित किया जाये,** अर्थात् :—

":परन्तु जहां विवाहोत्तर संभोग नहीं किया गया हो, वहां विच्छिन विवाह स्त्री को, उपर्युक्त (क) और (ग) के बदले में यदि कोई मेहर करार नहीं की गई थी, तो युक्तियुक्त जुदाई उपहार का हक होगा, या जिस मामले में मेहर करार की गयी थी, वहाँ मुस्लिम विधि के अनुसार ऐसी मेहर की यदि असंदत्त हो आधी राशि;

परन्तु यह और कि जहां विवाह विच्छेद स्त्री की ओर से प्राप्त किया गया है, वहां विवाह विच्छेद के समय मुस्लिम विधि के अनुसार करार की गयी शर्तें इस उप-खंड के उपबन्धों पर सदैव प्रभावी होंगी।" (98)

श्री सैयद शहाबुद्दीन : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2, पंक्ति 13,—

"तत्समय" से पूर्व "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में और" **अन्त:स्थापित किया जाये।** (106)

पृष्ठ 2, पंक्ति 15,—

"उपबन्ध और"

का लोप किया जाये। (107)

पृष्ठ 2, पंक्ति 16,—

"उसके लिये किये जाने और"

का लोप किया जाये। (108)

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 18 से 22 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाये**—

"(ख) उसके विवाह विच्छेद से पूर्व अथवा पश्चात कोई युक्तियुक्त और ऋजु उपबन्ध उसके पूर्व पति द्वारा उससे जन्मी सन्तान का भरण और/अथवा देखभाल करने हेतु के लिए ऐसी सन्तान के जन्म की तारीखों से दो वर्ष की अवधि के लिये किये जाने है; (109)

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 22 के पश्चात् निम्नलिखित

अन्त:स्थापित किया जाये—

"(ग) मुस्लिम विधि के अधीन विहित अभिरक्षा संबंधी उसके विकल्प का प्रयोग करते हुए उसके पूर्व पति की सन्तान की देखभाल हेतु युक्तियुक्त तथा ऋजु उपबन्ध;" (110)

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 26 से 28 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाये**—

"(घ) मेहर के उस अंश के बराबर रकम, जो विवाह विच्छेद की तारीख को असंदत्त हो; और" (111)

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 29 से 36 के स्थान पर निम्नलिखित

प्रतिस्थापित किया जाये ।

"(2) जहां कोई देय युक्तियुक्त और अजु भरणपोषण अथवा देय मेहर संदत्त नहीं की गई है अथवा कोई युक्तियुक्त और अजु उपबन्ध नहीं किया गया है अथवा उप-धारा (1) में निर्दिष्ट सम्पत्ति विच्छिन्न-विवाह स्त्री को नहीं सौंपी गई है, वहां वह या उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति उसकी ओर से, यथास्थिति ऐसे भरण-पोषण, मेहर या उपबन्ध के संदाय या सम्पत्तियों के परिदान के आदेश के किए किसी मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकेगी ।" (113)

पृष्ठ 2, पंक्ति 37 से 46 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

"(3) जहां किसी विच्छिन्न विवाह स्त्री द्वारा उपधारा (2) के अधीन कोई आवेदन किया गया है । वहां मजिस्ट्रेट, यदि उसका समाधान हो जाता है कि उसका पूर्व पति इद्दत की अवधि के लिए मेहर की राशि या उसके किसी भाग या भरणपोषण के लिए युक्तियुक्त और उचित राशि का संदाय या उसकी सन्तान के भरणपोषण के लिए कोई उपबन्ध करने या सम्पत्तियों के परिदान करने में असफल रहता है," (114)

पृष्ठ 2, पंक्ति 48,—

"स्त्री" के पश्चात् "और उनकी सन्तान के लिए ऐसा उपबन्ध करने" अन्तःस्थापित किया जाये । (116)

पृष्ठ 3, पंक्ति 1,—

"स्त्री," के पश्चात" ओर ऐसे बच्चों" अन्तःस्थापित किया जाये । (117)

पृष्ठ 3, पंक्ति 2,—

"उसके द्वारा" के स्थान पर, उनके द्वारा" प्रतिस्थापित किया जाये । (118)

पृष्ठ 3, पंक्ति 4,—

"विच्छिन्न विवाह स्त्री को ऐसे मेहर या डावर के संदाय या उपधारा (1) के खण्ड (घ) में निर्दिष्ट सम्पत्ति" के स्थान पर "ऐसे मेहर या डावर संदाय" प्रतिस्थापित किया जाये । (120)

पृष्ठ 3, पंक्ति 14,—

"कर सकेगा" के स्थान पर "करेगा" प्रतिस्थापित किया जाये। (121)

पृष्ठ 3, पंक्ति 12 और 13,—

"या डावर की रकम के उद्ग्राहण" के स्थान पर" "या सम्पति के परिदान" प्रतिस्थापन किया जाये । (122)

पृष्ठ, पंक्ति1 5,—

"लिए" के पश्चात् "अथवा सन्पति का परिदान न किये जाने पर" अन्तःस्थापित किया जाये ।

श्री हन्नान मोंल्लाह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3,

पंक्ति 20 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये :—

(5) जिस व्यक्ति द्वारा तलाक-उल-बिद्दत का उच्चारित किया जाना तात्पर्यित है, उसे छः मास के कठोर कारावास से अथवा जुर्माने की उतनी रकम से जितनी न्यायालय द्वारा विनिश्चत की जाये अथवा दोनों से दंडाविष्ट किया जायेगा और इस प्रकार वसूल की गई जुर्मानें की रकम व्यक्ति स्त्री को दी जायेगी और यह उसके अतिरिक्त होगी जो कुछ उसे देय था।" (135)

श्री विजय कुमार यादव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2, पंक्ति 20 और 21—

"ऐसी संतान के जन्म की संबंधित तरीखों से दो वर्ष की अवधि के लिये" के स्थान पर

"ऐसी संतान वयस्क होने और नियोजित होने तक" प्रतिस्थापित किया जाये। (140)

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 25 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये । :—

(गग) उसके लिए तथा सन्तान के जीवन-निर्वाह के लिए युक्तियुक्त रकम का मासिक संदाय; और"। (141)

पृष्ठ 2, पंक्ति 28

"दी गई" के पश्चात् "अथवा पति या पति के नातेदारों या उसके मित्रों द्वारा उसे दिये जाने हेतु प्रतिज्ञात" अन्तःस्थापित किया जाये। (142)

पृष्ठ 2, पंक्ति 29,—

"अथवा के स्थान पर "और" प्रतिस्थापित किया जाये। (143)

पृष्ठ 2, पंक्ति 31,—

"अथवा के स्थान पर ,'और" प्रतिस्थापित किया जाये। (144)

पृष्ठ 2, पंक्ति 35,—

"अथवा" के स्थान पर "और" प्रतिस्थापित किया जाये। (145)

पृष्ठ 2, पंक्ति 38,—

यदि उसका यह समाधान हो जाता है" के स्थान पर "इसे साबित हुआ मानेगा" प्रतिस्थापित किया जाये। (146)

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 6 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये :—

"बशर्ते कि प्रत्यार्थी इसे अन्यथा साबित कर देता है।" (147)

श्री सुल्तान सलाउदीन ओवेसी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2, पंक्ति 13—

"में" के स्थान पर "के लिए" प्रतिस्थापित किया जाये। (171)

श्री विजय कुमार यादव : महोदय, में प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 17 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये—

"(कक) यदि वह मजिट्रेट के समक्ष यह साबित कर देती है कि उसके पति ने अपनी असामान्य या अमानवीय कामवासना के कारण उसे विवाह-विच्छेद किया है, तो कोई युक्तियुक्त और ऋजु उपबन्ध और भरणपोषण, जो उसके पूर्व पति द्वारा इद्दत की अवधि के पश्चात् भी ओर उसके पुन-विवाह करने तक उसके लिए किये जाने और उसको संदत्त किये जाने है;"। (175)

पृष्ठ 2, पंक्ति 34,—

"भरणपोषण" के लिए पश्चात "के साथ-साथ" अन्तःस्थापित किया जाये। (176)

पृष्ठ 3, पंक्ति 4,—

"या" के स्थान पर "और" प्रतिस्थापित किया जाये। (177)

पृष्ठ 3, पंक्ति11,—

"पर्याप्त कारण के बिना" **का लोप किया जाये ।** (178)

पृष्ठ 3, पंक्ति 12,—

"या मेहर" **के स्थान पर** "'और मेहर" **प्रतिस्थापित किया जाये** ।(180)

पृष्ठ 3, पंक्ति 16;—

"एक वर्ष" **के स्थान पर** "तीन वर्ष" **प्रतिस्थापित किया जाये ।** (181)

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3—

पंक्ति 20 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये—

"(5) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी विच्छिन्न विवाह स्त्री ऐसी डिग्री के लिए हकदार होगी जिसमें विवाह- विच्छेद जो कुरान की प्रक्रिया और निर्देशाज्ञा के विपरीत उच्चारित की गई हो, को अप्रमाणी घोषित किया गया हो ।"

(6) विच्छिन्न विवाह स्त्री निकाहनामा में तयशुदा तथा उल्लिखित सभी मतों की हकदार होगी ।" (187)

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहम्मद महफूज अली खां, क्या आप अपना संशोधन संख्या 202 प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री मोहम्मद महफूज अली खां (एटा) जी नहीं,महोदय, मैं प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय पृष्ठ 2, पर पंक्ति 20 और 21 जहां पर संतान के भरण-पोषण के बारे में कहा गया है, वहां यह कहा गया है कि "ऐसी संतान को जन्म की सम्बन्धित तारीखों से दो वर्ष की अवधि के लिए," मैंने इसके स्थान पर "ऐसी संतान के वयस्क होने तक" प्रतिस्थापित करने हेतु संशोधन प्रस्तुत किया हैं । यह बिल्कुल युक्तियुक्त है और मेरा विश्वास है कि इस संशोधन का विरोध नहीं होना···

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : क्योंकि यह युक्तियुक्त है, इसलिए इसकी स्वीकृत किये जाने की सम्भावना नहीं है ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, दूसरी बात यह है कि मैंने पंक्ति के पश्चात् "परन्तु तलाकशुदा महिला मजिट्रेट के समक्ष यह साबित कर देती है कि उसे बिना किसी गल्ती के ही तलाक दिया गया है तो मजिट्रेट उसके पति देय और उचित प्रतिपूर्ति के भुगतान का आदेश

देगा।" मैं भरण-पोषण के लिए दावा नहीं कर रहा हूं। विवाहविच्छेद होने पर कुछ लोग इस विषय पर नैतिकता का मामला उठाते हैं उस समय वे दोनों अजनबी हो जाते हैं। यह एक समझौता है। किन्तु मैं उस पत्नी जिसके उसकी किसी गल्ती के बिना तलाक दिया गया है और जिसकी जवानी, घर और दिल सब बरबाद हो जाते हैं,की प्रतिपूर्ति हेतु यह संशोधनप्रस्तुत करता हूं। बहुत से मुस्लिम देशों में ऐसा है। यह पूर्णतया मानदीय है तथा मेरा यह विश्वास है कि यदि उनके अन्दर थोड़े सेभी मानवीय गुण है तो उन्हें यह संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिए।

इसके पश्चात, अन्य संशोधन भी हैं। सरकार ने एक आश्चर्यजनक संशोधन प्रस्तुतकिया है। पति-पत्नी को धारा 125 को विकल्प के रूप चुनने के लिए सहमत होना पड़ेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि इस तथा कथित प्रतिभासम्पन्न सरकार की इसके पीछे क्या मावना है। "इस विधेयक में कहा गया हैकि "इस समय किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी"। मैं इसके स्थान पर "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1975 की धारा 125 में अंतर्विष्ट उपबन्धों के अदाधीन" प्रतिस्थापित करना चाहता हूं। इसका अभिप्राय यह है कि यदि पत्नी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 का विकल्प चुनती है तो उसे ऐसा अवसर लेने का अधिकार होगा। इसके लिए धारा 56 मौजूदा है और यह सब उसकी मर्जी पर है। यदि वह इसे स्वीकार करती है तो वह स्वीकार कर सकती है और यदि वह इसे स्वीकार नहीं करती है तो वह अस्वीकार कर सकती है। हमें यह देखना है कि वे कितने धर्मनिरपेक्ष हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला: अध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन बहुत सरल हैं। उनका मंतव्य विधान के आशय को स्पष्ट करना है उद्देश्यों तथा कारणों सम्बन्धी विवरण में यह आशय दिया जाता है, किन्तु दुर्भाग्य से कुछ स्थानों पर भाषा अस्पष्ट है और उसकी कई तरह से व्याख्या की जा सकती है। उदाहरणार्थ, खण्ड 3 (1) (क) में हमें कोइ युक्तियुक्य और ऋजु उपबन्ध और भरण-पोषण बताया गया है इसमें दो अलग-अलग बातें हैं। इसका क्या तात्पर्य है? क्या इसका तात्पर्य दो भिन्न-भिन्न बातें है एक उपबन्ध और दूसरा भरण-पोषण वास्तव में सूर 165, आयत के 6 के अनुसार इसका अभिप्राय केवल एक बात-भरण-पोषण से ही है। परन्तु यहां इसका अर्थ कुछ भी हो सकता है और इसीलिए धारा 125 के अभिप्राय की पुन: इस प्रकार व्याख्या की जा सकती है कि ये दो अलग-अलग बातें हैं।

फिर, कुछ समस्याएं होना निश्चित है। इद्दत की अवधि के बारे में, जब आपका तात्पर्य होता है कि इद्दत की अवधि में महिलाएं भरण-पोषण की अधिकारी हैं, परन्तु आप कहते हैं कि इद्दत की अवधि में महिलाओं को अधिकार है 'एक, स्पष्ट प्रावधान, दो भरण-पोषण का उसके बाद भिन्न-भिन्न व्याख्याएं की जा सकती है तथा विधान का उद्देश्य निष्फल किया जा सकता है। इसलिए मैंने इसे स्पष्ट किया है। उद्देश्य यह है कि इद्दत की अवधि के दौरान तलाकशुदा महिलाओं कोभरण-पोषण का अधिकार होगा। इसी प्रकार 3 (1) (ग) में कृपया भाषा पर गौर करें। और मैं इसकी बहुत-सी व्याख्याएं कर सकता हूं। 3(1) (ग) की भाषा के अनुसार महिला मेहर की राशि के बराबर राशि पाने की हकदार है। महोदय इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि महिला, (एक) मेहर की राशि, दो मेहर की राशि के बराबर राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। इस प्रकार यह

दुगुनी धनराशि बन जाती है। पहले तो महिला मेहर की राशि, चाहे वह कुछ भी हो, पाने की हकदार है; और दूसरे, वह मेहर की राशि के बराबर की राशि पाने की भी अधिकारी है। उद्देश्यों और कारणों सम्बन्धी विवरण में यह विचार प्रतिपादित नहीं किया गया है। इसके बाद, महोदय, एक तीसरी व्याख्या भी की जा सकती है। और वह यह व्याख्या है कि महिला को मेहरकी राशि के बरावर की राशि का अधिकारी बनाया जा सकता है। विवाह के समय तय की गई मेहर की धनराशि के बराबर की राशि से आपका क्या तात्पर्य है? विवाह के समय मान लो 25, 000 रुपए तय हुए थे। दसवर्षों के बाद तलाक होता है अब कोई भी व्यक्ति बैठकर यह कह सकता हैकि महिला 10 वर्षों के बाद मेहर की राशि के बराबर राशि पाने की अधिकारी है। इसका मतलब है कि 10 वर्ष पहले यह धनराशि 25,000 रुपए थी और अब यह राशि कितनी होगी। अब दी जाने वाली यह वराबर की राशि मूल्य सूचकांक और इन सभी बातों से जुड़ी हुई है। इसलिए, महोदय, ये सभी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं।

एक चौथी समस्या भी खड़ी हो सकती है कि महिला क्या पाने की अधिकारी है? भाषा के अनुसार महिला विवाह के समय तय हुई मेहर की धनराशि पाने की अधिकारी है। परन्तु मान लो कि विवह के समय मेहर की कोई राशि निर्धारित नहीं की गई थी और बाद में दोनों के बीच मेहर की कुछ राशि निर्धारित होती है। तलाक के समय पति आकर कह सकता है कि वह विवाह के समय निर्धारित की गई मेहर की राशि पाने की हकदार है। और इस प्रकार उसे कुछ नहीं मिलेगा। यह बात गलत है। उसे मेहर की वह राशि मिलतीहै जो भले ही विवाह के बाद परन्तु तलाक दिए जाने से पूर्व निर्धारित की गई थी।

अगला मुद्दा यह है। मान लो कि विवाह के समय मेहर की कोई राशि तय नहीं हुई। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि विवाह टूटने पर उसे कुछ नहीं मिलेगा। शरीयत में कहा गया है कि विवाह के समय कोई भी राशि तय न होने पर भी महिला **मेहरुल मिसल** अथवा न्यायोचित और पर्याप्त राशि, जिसे मेहर कहा जा सकता है, पाने की हकदार है। यहां भी उसका अहित किया जा रहा है। यहां लिखी गई भाषा के कारण महिला का अहित हो रहा है।

महोदय, एक बात और पैदा हो सकती है, जैसाकि श्री चौधरी जी ने निष्कर्ष निकाला है। यह विधेयक तलाकशुदा महिलाओं के भरण-पोषण के बारे में है। यह बच्चे के भरण-पोषण के सम्बन्ध में नहीं है और इसलिऐ इसमें एक स्पष्टीकरण जोड़ा जाना चाहिए कि तलाकशुदा महिला को दो वर्षों की अवधि के लिए, जिसमें वह बच्चे को अपना दूध पिलाती है, भरण-पोषण के अतिरिक्त बच्चे को भी शरियत कानून कुछ दिया जाना चाहिए जैसाकि निर्धारित किया गया है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो बच्चे का भरण-पोषण गड़बड़ा जाएगा और महिला का अहित होगी ये कुछ कमियां हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिए, इन खामियों को दूर किया जाना चाहिए और उपबन्धों को ठीक किया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री मानिक सान्याल (जलपाईगुड़ी) : महोदय, जहां यह लिखा गया है कि 'कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून में किसी अन्य उपबन्ध के होते हुए भी, एक तलाशुदा महिला इस

बात की अधिकारी होगी—" में यह प्रतिस्थापित करना चाहता हुं :

"इस समय प्रवर्तित कानूनों के उपबन्धों के अनुसार एक तलाकशुदा महिला, अपनी मर्जी से, इस बात की हकदार होगी—"

मेरे संशोधन का आशय यह है कि तलाक शुदा महिला को अपने पति से भरण-पोषण के लिए राशि मिलनी चाहिए और उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अतर्गत न्यायालय में जाने का अवसर दिया जाना चाहिए ।

श्री वसुदेव आचार्य : (बांकुरा) महोदय मेरा संशोधन बहुत साधारण है । मैं प्रस्ताव करता हूं कि पंक्ति 21 के बाद निम्नलिखित पंक्ति जोड़ी जानी चाहिए :

"जब कोई तलाकशुदा महिला मजिस्ट्रेट के सम्मुख यह प्रमाणित करती है कि उसके पूर्व पति ने उसे तलाक दे दिया हैं, तो मजिस्ट्रेट पूर्व पति को देय और उचित मुआवजा देने तथा भरण-पोषण की व्यवस्था करने के आदेश देगा ।"

इसमें यह उपबन्ध नहीं है इसमें यह उपबन्ध होना चाहिए कि यदि मजिस्ट्रेट के सम्मुख यह प्रमाणित हो जाता है कि किसी महिला को तलाक दिया गया है, तो पूर्व पति द्वारा देय और उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए तथा भरण-पोषण किया जाना चाहिए । इस कमी को दूर करने के लिए वहां यह उपबन्ध होना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री सोमनाथ चटर्जी ।

व्यवधान

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मुझे पता नहीं कि क्या ये आवाजें मनुष्यों की हैं ?

व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : आप समय बरबाद करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, प्रश्न यह है कि हम देख रहे हैं कि सरकार एक संशोधन लाने की सोच रही है जिससे सम्पत्ति को, यद्यपि वे तलाक द्वारा अलग हो गए है, धारा 125 का विकल्प चुनने का कुछ अवसर मिल सके । महोदय, हमारे संशोधन का उद्देश्य यह विकल्प पत्नी को देने का है क्योंकि वह कमजोर है ।

व्यवधान

तुलनात्मक दृष्टि से पत्नी की स्थिति कमजोर है । यदि इसका यह तात्पर्य है कि उसे थोड़ा बेहतर अवसर मिलेगा, भरण-पोषण बेहतर होगा, तो यह अवसर उसे दिया जाना चाहिए ताकि वह विकल्प चुन सके । धारा 125 के उपबन्ध के अनुसार अधिकतम धनराशि 500 रुपए है । उनके

पास इतनी राशि आसानी से उपलब्ध नहीं होगी है । इसलिए यदि पत्नी चाहे तो वह इस विकल्प को चुन सकती है ।

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार) महोदय मेरा संशोधन बहुत साधारण है । मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इसे स्वीकार कर लेंगे । मेरा संशोधन है कि निम्नलिखित शब्दों को प्रतिस्थापित कर दिया जाए :

"जब तक कि बच्चे वयस्क हो जाए और स्वयं पर निर्भर हो जाएं ।"

अध्यक्ष महोदय : आपने पहले ही चर्चा में भाग ले लिया है इसलिए विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री अमर राय प्रधान : केवल 2 वर्षों के बाद बच्चा कहां जाएगा ? क्या वह जहन्नुम में जाएगा ?

(व्यवधान)

श्री डी० बी० पाटिल (कोलाबा) : महोदय मैंने अपने संशोधन इसलिए पेश किए हैं क्योंकि मैं उपबन्धों से सहमत नहीं हूं विधेयक में कहा गया है कि पति अपनी तलाकशुदा पत्नी का भरण-पोषण केवल इद्दत की अवधि के लिए करेगा । इसलिए मैंने अपना संशोधन प्रस्तुत किया है कि पति पर अपनी तलाकशुदा पत्नी के भरण-पोषण की जिम्मेदारी उसके पुनर्विवाह होने तक की अवधि के लिए बढ़ा दी जाए ।

फिर, बच्चों के मामले में, लड़के के मामले में, उसका भरण-पोषण उसके वयस्क होने तक किया जाना चाहिए तथा लड़की के मामले में भरण-पोषण उसका विवाह होने तक किया जाना चाहिए ।

(व्यवधान)

सैयद शाहबुद्दीन : महोदय, मेरा पहला संशोधन इसके बारे में है । विधेयक में कहा गया है :

"कुछ समय के लिए लागू किसी भी कानून में शामिल किसी भी बात के होते हुए भी....."

यह शरियत अधिनियम, 1937 के बारे में है । इसलिए हमें उपबन्धों का प्रावधान करते हुए बहुत सुस्पष्ट होना चाहिए । इसलिए मैंने कहा है :

"दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में सम्मिलित किसी भी बात के होते हुए भी....." प्रस्तावक की भी यही इच्छा है ।

अब, दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि "उपबन्ध" और "भरण-पोषण" में जो भ्रांति है उसे दूर किया जाना चाहिए ।

तीसरे, राजयक के प्रश्न यानि बच्चे का पालन-पोषण और बच्चे की देख-रेख करने के अतिरिक्त बच्चों के भरण-पोषण के साथ माता का भरण-पोषण का मामला वास्तव में शरियत अधिनियम के दो भागों में आता है। पहला भाग है बच्चों की देख-रेख, अर्थात राजयक। दूसरा भाग बच्चे की परिरक्षा के बारे में है अर्थात हजनात। या तो आपको बच्चों के अधिकार के बारे में कोई उपबन्ध नहीं करना चाहिए अथवा कोई एक उपबन्ध करना और दूसरा न करना तर्क हीन है। इसलिए एक अन्य खंड होना चाहिए। परिरक्षा में बच्चे के अधिकार के संबंध में मैंने यही सुझाव दिया है तथा माता बच्चे के भरण-पोषण की देख-रेख करती है।

तीसरे, दंड प्रक्रिया संहिता है। केवल दहेज की गैर-अदायगी पर ही दंड का उपबन्ध है। यह सम्पत्ति जब्त करने के लिए क्यों लागू होना चाहिए ? इसका भी मैंने सुझाव दिया है कि पति द्वारा सम्पत्ति रखे जाने की स्थिति में मजिस्ट्रेट को आवेदन किया जा सकता है। विधेयक के प्रस्तावक की यही आशय है। परन्तु यह बात वहां जोड़ी जानी चाहिए।

इसी प्रकार, उस स्थिति में एक वर्ष का दंड लागू किया जाना चाहिए जब मजिस्ट्रेड के आदेश का पालन न किया गया हो, जब पति सम्पत्ति न दे रहा हो।

वे उसे दहेज नहीं मानते। इसलिए यह सब उस बात को गलत रूप से देना है जो प्रस्तावक ने कही है और सदन के सम्मुख रखी है।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : मेरा एक अमेन्डमेन्ट है। इस्लाम के ला में भी तलाक को कोई बहुत ज्यादा एनकोज करने की बात कही गई हो, ऐसी बात नहीं है और इसीलिए इसमें थोड़ी सी बंदिश लगाई गई है। मैंने अपने इस अमेन्डमेन्ट में इस बात का जिक्र किया है कि अगर कोई शौहर एग्रामेल और इनहयुमन सेवसुअलिडी की वजह से अपनी पत्नी को तलाक देता हो तो ऐसी स्थिति में इद्द पीरियड के बाद भी उसको मैंटिनेन्स का अधिकार होना चाहिए अगर्चे तलाकशुदा औरत इस बात को पूर्व करती हो। मैं समझता हूं यह काफी रीजनेबल अमेन्डमेन्ट है और इसको आप स्वीकार करेंगे।

दूसरी बात मैंने चिल्ड्रेन के सम्बन्ध में कही है कि जब तक वे मेजर नहीं होते हैं और उन्हें नौकरी नहीं मिल जातों है तब तक उनको मिलना चाहिए।

सजा के बारे में, जो एक साल का जिक्र किया गया है उसको बढ़ाकर तीन वर्ष करने की की बात मैंने कही है।

मैं इन तीनों संशोधनों को प्रेस करता हूं।

01.00 म० पू०

विधि न्याय मंत्री (श्री ए० के० सेन) : अध्यक्ष महोदय, मैं शादी के बाद मेहर में परिवर्तन किए जाने के बारे में श्री बनातवाला के सुझाव को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं और मैं

सरकार का पृष्ठ 2, पंक्ति 18 पर यह संशोधन अर्थात् "उसकी शादी" शब्दों के बाद "अथवा उसके पश्चात् किसी समय" शब्द अन्तःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव करूंगा। अतः मेहर.....

श्री जी० एम० बनातवाला : यह बहुत अच्छा है। परन्तु एक और बात है। (**व्यवधान**) महिलाओं के साथ न्याय किया जाना चाहिए। यह बिल्कुल ठीक है। इससे यह बात पूरी हो जाती है। मान लीजिए कि विवाह के समय कोई मेहर' निर्धारित नहीं किया जाता है और तलाक हो जाता है उस स्थिति में, महिला फिर भी उचित और पर्याप्त मेहर पाने की हकदार है, जिसे न्यायधीश द्वारा निश्चित किया जा सकता है। (**व्यवधान**)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : यह बहुत अच्छा सुझाव है। आप इसे अवश्य स्वीकार करें। आप इसमें संशोधन कर सकते हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : कृपया संख्या 57 से इसकी जांच करें।

श्री ए० के० सेन :—चूंकि हमने पहले इस मामले पर चर्चा नहीं की है और जहां तलाक से पहले मेहर निश्चित नहीं किया जाता है उस स्थिति में कानून क्या है यह पता लगाने का प्रयास किया है कि क्या तलाक के बाद भी किसी प्राधिकारी द्वारा मेहर की राशि निर्धारित की जा सकती है, यदि हां तो किसी प्राधिकारी द्वारा यह 'मेहर' निर्धारित किया जा सकता है। यह एक बात है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) :—क्यों नहीं ?

श्री जी० एम० बनातवाला :—मेहर निर्धारित करने की बात तो हैं। (**व्यवधान**)

श्री सोम नाथ चटर्जी :—यदि मेहर की धनराशि पर्याप्त नहीं होती है तो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा यह धनराशि निश्चित की जानी होती है।

श्री जी० एम० बनातवाला :—संशोधन संख्या 97 .

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय :—आप अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं ? जो भी किया जा सकता है उन्हें वह करना है।

श्री ऐ० के० सेन :—क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जहां कोई मेहर निर्धारित नहीं किया गया है तो किसी भी समय अथवा शादी के बाद और तलाक से पहले भी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को उचित 'मेहर' करने का अधिकार है।

श्री जी० एम० बनातवाला :—मुस्लिम कानून के अनुसार उचितमेहर

प्रो० सैफुद्दीन सोज़:—यह एक अच्छा सुझाव है।

श्री ऐ० के० सेन :—हमें साथ ही मुस्लिम कानून की व्याख्या करने में काफी कठिनाई होती है और चूंकि धारा 125 और 127 है अतः न्यायालय के लिए निर्णय देने कुछ ऐसा निर्णय

देना बहुत कठिन होता है जिसके बारे में विवाह होगा। मुस्लिम कानून के अनुसार कहने के बजाय, यह कहें कि मुस्लिम कानून के अनुसार शादी के समय अथवा उसके बाद किसी भी समय मेहर की धनराशि के बराबर उचित धनराशि अथवा जितना दहेज देने के लिए सहमति व्यक्त की गई थी, महिला को प्रदान की जाए।

(व्यवधान)

सैयद शहाबुद्दीन (किशन गंज) :—अब सभा को स्थगित किया जाए। वे सुविधानुसार अपना संशोधन प्रस्तुत करें। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय :— आप इतने बेचैन क्यों हैं ?

श्री ऐ० के० सेन : – 'मेहर' की धनराशि शादी के समय अथवा उसके बाद किसी भी समय निर्धारित' की जानी चाहिए। भविष्य में यदि कोई समस्या हुई तो आप द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार संशोधन लाएंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी :—श्री बनातवाला ने ठीक ही कहा है कि ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें मेहर की धनराशि निर्धारित नहीं की जाती है। अतः इसके लिए कोई उपबन्ध होना चाहिए। जब आप इस कानून को पारित कर रहे हैं तो इसे जितना सम्भव हो सके कम कठोर बनाएं।

श्री ए० के० सेन :—हम कानून को देखने के बाद ऐसा करेंगे।

अध्यक्ष सहोदय :—यदि सभा सहमत है तो मैं अब सभी संशोधनों को सभा संशोधनों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

(व्यवधान)

श्री ए० के० सेन :—मैं अन्य कोई संशोधन स्वीकार, नहीं कर रहा हूं। मेरा संशोधन यह है। मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 2, पंक्ति 23—

"उसके विवाह" **के पश्चात्** " अथवा तत्पश्चात किसी समय' **अन्तःस्थापित किया जाये।**"

प्रो० मधु दण्डवते :—क्या आप अपना संशोधन स्वीकार कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :—अब प्रश्न यह है:—

पृष्ठ 2, पंक्ति 23,—

'उसको विवाह' **के पश्चात्** "अथवा तत्पश्चात किसी समय" **अन्तःस्थापित किया जाए।**"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :—क्या मैं शेष संशोधनों को सभा में मतदाद के लिए प्रस्तुत कर दूं ?

कुछ माननीय सदस्य :—जी, नहीं, ।

अध्यक्ष महोदय :—आपको उत्तेजित नहीं चाहिए । मुझे एक-एक करके संशोधनों की जानकारी दें और मैं उन्हें अलग-अलग रखूंगा ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी :—महोदय, मेरे संशोधन संख्या 5 और 55 को मतदान हेतु अलग-अलग रखा जाए ।

अध्यक्ष महोदय :—मैं अब श्री सैफुद्दीन चौधरी द्वारा पेश किए गए संशोधन संख्या 5 को सभा में मतदाद के लिए रखता हुं ।

प्रश्न यह है :—

पृष्ठ 2—

पंक्ति 28 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :—

परन्तु यदि विछिन्न विवाह स्त्री मजिट्रेट के समक्ष यह सिद्ध कर देती है कि उसे बिना किसी कसूर के तलाक दिया गया था तो मजिट्रेट उसके पूर्व पति से सम्यक ओर उचित प्रतिकर का संदाय किए जाने का आदेश देगा ।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ ।

मत-विभाजन संख्या-4

1.21 म० पू०

पक्ष में

अ

अब्दुल हमीद, श्री

अय्यर, श्री वी० एस० कृष्ण

आ

आचार्य, श्री वसुदेव

उ

उन्नीकृष्णन, श्री के० पी०

क

कुरूप, श्री सुरेश

ग

गुप्त, श्री इन्द्रजीत

गोस्वामी, श्री दिनेश

घ

घोष गोस्वामी, श्रीमती विभा

च

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चिन्ता मोहन, डा०

चौधरी, श्री सैफुद्दीन

चौबे, श्री नारायण

ज

जायनल अबेदिन, श्री

त

तांती श्री भद्रेश्वर

तिखनीश्री पीयूष

तुलसीराम, श्री वी०

थ

थामस, श्री थम्पन

द

दण्डवते, प्रो० मधु

दत्त, श्री अमल

देव, श्री वीं० किशोरचन्द्र एस०

प

पटेल, डा० ए० के०

पाटिल, श्री डी० बी०

पाठक, श्री आनन्द

पेंचालैया, श्री पी०

ब

बसु, श्री अनिल

बिश्वास, श्री अजय

भ

भट्टम, श्री श्रीराम मूर्ति

भुपति, श्री जी०

म

मण्डल, श्री सनत कुमार

मलिक, श्री पूर्णचन्द्र

मसुदल हुसैन श्री सैयद

महाता, श्री चित्त

मिश्र, श्री सत्यगोपाल

मुखर्जी, श्रीमति गीता

य

यादव, श्री विजय कुमार

र

*रंगनाथ, श्री के० एच०

रमैया, श्री सोडे

राजू, श्री आनन्द गजपति

राजू, श्री विजय कुमार

राय, श्री डा० सुधीर

रायप्रधान, श्री अमर

राव, श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर

राव, श्री वी० शोभनाद्रीश्वर

राव, श्री श्रीहरि

रेड्डी, श्री के० रामचन्द्र

रेड्डी, श्री सी० जंगा

रेड्डी, श्री बैजावाड़ा पपी

रेड्डी श्री बी० एन०

रेड्डी, श्री एम० रघुमा

रेड्डी, श्री सी० माधव

स

सान्याल, श्री मानिक

साहा, श्री अजित कुमार

साहा, श्री गदाधर

सैकिया, श्री गाकुल

ह

हंसदा, श्री मतिलाल

हन्नान मोल्लाह, श्री

*गलती से पक्ष में मतदान कर दिया गया

मत-विभाजन संख्या 4

अ

अंसारी, श्री जियाउर्रहमान
अंसारी, श्री अब्दुल हन्नान
अग्रवाल, श्री जय प्रकाश
अडईकलराज, श्री एल०
अतीतन, श्री आर० धनुषकोडी
अदियोडी, डा० के० जी०
अण्णानम्वी, श्री आर०
अब्दुल गपूर, श्री
अब्बासी, श्री के० जे०
अरुणाचलम, श्री एम०
अलखाराम, श्री
अवस्थी, श्री जगदीश
अहमद, श्रीमती आबिदा
अहमद, श्री सरफराज

आ

आजाद, श्री गुलाम नबी
आनन्द सिंह, श्री

उ

उरांव, श्रीमती सुमति

ए

एन्टनी, श्री पी० ए०

ऐ

ऐंगती, श्री बीरेन सिंह

ओ

ओडेयार, श्री चनैया
ओवेसी, श्री सुल्तान सलाउद्दीन

क

कमलनाथ, श्री

विपक्ष में

कमला कुमारी, कुमारी
कामत, श्री गुरुदास
कामसन, प्रो० मिजिनलंग
किन्दरलाल, श्री
किस्कू, श्री पृथ्वी चन्द
कुंवर राम, श्री
कुचन, श्री गंगाधर एस०
कुप्पुस्वामी, श्री सी० के०
कुमारमंगलम, श्री पी० आर०
कुरियन, प्रो० पी० जे०
कुरेशी, श्री अजीज
कुलनदईवेलु, श्री पी०
केन, श्री लालाराम
केयुर भूषण, श्री
कोनयक, श्री चिंगबांग
कौल, श्रीमती शीला
कौशल, श्री जगन्नाथ
कृष्णकुमार, श्री एस०
कृष्णसिंह, श्री
क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई

ख

खत्री, श्री निर्मल
खां, श्री असलम शेर
खां, श्री आरिफ मोहम्मद
खां, श्री खुर्शीद आलम
खां, श्री जुल्फिकार अली
खां, श्री मोहम्मद महफूज अली
खां, श्री मोदम्मद अयूब
खो, श्री रहीम
खिरह, श्री राम श्रेष्ठ

ग

गंगा राम, श्री
गढ़वी, श्री बी० के०
गहलौत, श्री अशोक
गांधी, श्री राजीव
गडगिल, श्री वी० एन०
गामित, श्री सी० डी०
गिल, श्री मेवा सिंह
गायकवाड़, श्री उदय सिंह राव
गायकवाड़, श्री रणजीत सिंह
गावीत, श्री मानिकराव होडल्या
गुप्त, श्री जनकराज
गुप्त, श्रीमती प्रभावती
गुहा, डा० फूलरेणु
गोपेश्वर, श्री
गोमांगो, श्री गिरिधर
गौडा, श्री एच० एन० नन्जे (हसन)

घ

घोष, श्री तरुण कान्ति
घोष, श्री विमल कान्ति
घोषाल, श्री देवी

च

चतुर्वेदी, श्री नरेश चन्द्र
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चन्द्रशेखर, श्रीमती एम०
चन्द्रशेखर सिंह,
चन्द्रशेखरप्पा श्री टी० वी०
चन्द्राकर, श्री चन्दू लाल
चन्द्रेश कुमारी, श्रीमती
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई
चार्ल्स, श्री ए०
चालिहा, श्री पराग
चिदम्बरम, श्री पी०
चौधरी, श्रीमती ऊषा
चौधरी, श्री कमल
चौधरी, श्री जगन्नाथ
चौधरी, श्री नन्दलाल
चौधरी, श्री मनफूलसिंह

ज

जगतरक्षकन, डा० एस
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जदेजा श्री डी० पी०
जनार्दनन, श्री कादम्बुर
जयदीप सिंह, श्री
जयमोहन, श्री ए०
जीगड़ श्री खेलन राम
जाफर शरीफ, श्री सी० के०
जितेन्द्र प्रसाद, श्री
जितेन्द्र सिंह, श्री
जीवारथिनम, श्री आर०
जुझार सिंह, श्री
जैना, श्री चिन्तामणि
जेना, श्री डाल चन्द्र
जैन, श्री निहाल सिंह
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
जैनुल बशर, श्री

झ

झिकराम, श्री एम० एल०

ट

टाइटलर,श्री जगदीश

ठ

ठक्कर, श्रीमती ऊषा

ठाकुर, श्री सी० पी०

ड

डागा, श्री मूल चन्द

डामर, श्री सोमजी भाई

डिगाल, श्री राधाकांत

डेनिस, श्री एन०

डोगरा, श्री गिरधारी लाल

ढ

ढिल्लन, डा० जी० एस०

त

तंगराजु, श्री एस०

तपेश्वर सिंह, श्री

तम्बिदूराई, श्री एम०

तारादेवी, कुमारी डी० के०

तारिक अनवर, श्री

तिग्गा, श्री साइमन

तिलकधारी सिंह, श्री

तिवारी, प्रो० के० के०

तोमर, श्रीमती ऊषा रानी

त्यागी, श्री धर्मबीर सिंह

त्रिपाठी, डा० चन्द्र शेखर

त्रिपाठी, श्रीमती चन्द्रा

थ

थामस, प्रो० के० वी०

थुंगन, श्री पी० के०

थोरट, श्री भाऊसाहिब

द

दलबीर सिंह, श्री

दलबीर सिंह चौधरी

दास, श्री अनादि चरण

दास, श्री विपिनपाल

दास मुन्शी, श्री प्रिय रंजन

दिग्वजय सिंह, श्री

दिग्विजय सिंह, श्री

दिघे, श्री शरद

दिनेश सिंह, श्री

दीक्षित, श्रीमती शीला

दूबे, श्री भीष्म देव

देव, श्री सन्तोष मोहन

देवराजन, श्री वी०

देवी प्रो० चन्द्र भानु

ध

धारीवाल, श्री शान्ति

न

नटराजन, श्री के० आर०

नटवर सिंह, श्री के०

नवल प्रभाकर, श्रीमती सुन्दरवती

नामग्याल, श्री पी०

नायक, श्री शांताराम

नायकर, श्री डी० के०

नारायणन श्री के० आर

नीखरा, श्री रामेश्वर

नेगी, श्री चन्द्र मोहन सिंह

नेताम, श्री अरविन्द

नेहरू, श्री अरुण कुमार

प

पंजा, श्री ए० के०

पंत, श्री कृष्ण चन्द्र

पकीर मोहम्मद, श्री ई० एस० एम०

पटनायक, श्री जगन्नाथ

पटनायक, श्रीमति जयन्ती
पटेल, श्री अहमद एम०
पटेल श्री यू० एच०
पटेल, श्री जी० आई०
पटेल, श्री मोहन भाई
पटेल, श्री राम पूजन
पटेल, श्री सी० डी०
पनिका, श्री राम प्यारे
पराशर, प्रो० नारायण चन्द
पवार, श्री बालासाहिब
पवार, श्री सत्यनारायण
पांडे, श्री दामोदर
पांडे श्री मनोज
पाईलट, श्री राजेश
पाटिल, श्री उत्तमराव
पाटिल, श्री एच० बी०
पाटिल, श्री प्रकाश बी०
पाटिल, श्री बालासाहेब बिखे
पाटिल, श्री यशवंतराव गडाख
पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पाटिल, श्री शिवराज बी०
पाठक, श्री चन्द्र किशोर
पाणिग्रही, श्री चिन्ता मणि
पाणिग्रही, श्री बल्लभ
पारधी, श्री केशवराव
पुजारी, श्री जनार्दन
पुरषोत्तमन, श्री बक्कम
पुरोहित, श्री बनवारी लाल
पुष्पा देवी, कुमारी
पूरनचन्द्र, श्री
पेरूमान, डा० पी० बल्लल
पोतदुखे, श्री शांताराम
प्रधान, श्री के० एन०
प्रधान, श्री के०

फ

फैलोरो, श्री एडुआर्डो

ब

बंसीलाल, श्री
बनर्जी, कुमारी ममता
बनातवाला, श्री जी० एम०
बलरामन, श्री एल०
बशीर, श्री टी०
बलवराजु, श्री जी० एस०
बलवराजेश्वरी, श्रीमती
बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी
बालगौड़, श्री टी०
बीरबल, श्री
बीरेन्द्र सिंह, राव
बीरेन्द्र सिंह, श्री
बुदानियां, श्री नरेन्द्र
बुन्देला, श्री सुजान सिंह
बूटासिंह सरदार
बैखा, श्री बनवारी लाल
बैठा, श्री डूमर लाल
बैरागी, श्री बालकवि
ब्रहमदत्त, श्री

भ

भक्त, श्री मनोरंजन
भगत, श्री बी० आर०
भरत सिंह, श्री
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल
भारद्वाज, श्री परसराम

भूमिज, श्री हरेन
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
भोई, डा० कृपा सिंधु
भोप, श्री आर० एम०
भोये, श्री एस० एस०
भोसले, श्री प्रतापराव बी०

म

मकवाना, श्री नरसिंह
मलिक, श्री धर्मपाल सिंह
मलिक, श्री लक्ष्मण
महन्ती, श्री बृजमोहन
महावीर प्रसाद, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री
माधुरी सिंह, श्रीमती
मानवेन्द्र सिंह, श्री
माने, श्री मुरलीधर
मालवीय, श्री बापूलाल
मावणि, श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई
मिश्र, श्री उमाकान्त
मिश्र, श्री जी० एस०
मिश्र, श्री नित्यानन्द
मिश्र, श्री राम नगीना
मिश्र, श्री श्रीपति
मिश्र, डा० प्रभात कुमार
मीरा कुमार, श्रीमती
मुखोपाध्याय, श्री आनन्द गोपाल
मुत्तेमवार, श्री विलास
मुरमू, श्री सिद्धलाल
मूरुगई, श्री ए० आर०
मुशरान, श्री अजय
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर
मोतीलाल सिंह, श्री
मोदी, श्री विष्णु
मोरे, प्रो० रामकृष्ण

य

यशपाल सिंह, श्री
याजदानी, डा० गुलाम
यादव, श्री कैलाश
यादव, श्री डी० पी०
यादव, श्री बलराम सिंह
यादव, श्री राम सिंह
यादव, श्री श्याम लाल
यादव, श्री सुभाष
योगेश, श्री योगेश्वर प्रसाद

र

रंगा, प्रो० एन० जी०
रघुराजसिंह, चौधरी
रणबीर सिंह, श्री
रथ, श्री सोमनाथ
राउत, श्री भोला
राज करनसिंह, श्री
राजहंस, डा० गौरी शंकर
राजेश्वरन, डा० वी०
राठवा, श्री अमर सिंह
राम, श्री रामस्वरूप
राम अवध प्रसाद, श्री
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली
रामसमुझावन, श्री
रामधन, श्री
रामपाल सिंह, श्री
राम प्रकाश, चौधरी
राममूर्ति, श्री के०

रामुलू, श्री एच० जी०
रामूवालिया, श्री बलवन्त सिंह
राय, श्री आई० रामा
राय, श्री राज कुमार
राव, श्री के० एस०
राव, श्री जे० वेंगल
राव, श्री पी० वी० नरसिंह
राव, श्री वी० कृष्ण
रावणी, श्री नवीन
रावत श्री कमला प्रसाद
रावत, श्री प्रभुलाल
रावत, श्री हरीश

ल

लच्छीराम, चौधरी
लाहा, श्री अशुतोष
लोवांग, श्री वांगफा

व

वन, श्री द्वीप नारायण
बनकर, श्री पूनमचन्द मीठाभाई
बर्मा, श्रीमती ऊषा
वापनिक, श्री मुकुल
विजयराघन, श्री वी० एस०
वीरसेन, श्री
वेंकटेशन, श्री पी० आर० एस०
बैराले, श्री मधुसूदन
व्यास, श्री गिरधारी लाल

श

शंकरानन्द, श्री बी०
शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी
शर्मा, श्री चिरंजीलाल
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शर्मा, श्री नवल किशोर
शर्मा, श्री प्रताप भानु
शांति देवी, श्रीमती
शास्त्री, श्री हरिकृष्ण
शाह, श्री अनूपचन्द
शिगडा, श्री डी० बी०
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
शेरवानी, श्री सलीम आई०
शी निवास प्रसाद, श्री वी०

स

संकटा प्रसाद, डा०
संखवार, श्री आशकरण
संगमा, श्री पी० ए०
संतोष कुमार सिंह, श्री
सईद, श्री पी० एम०
सकरगयम, श्री कालीचरण
सत्येन्द्र चन्द्र, श्री
सलाउद्दीन, श्री
साठे, श्रीबसंत
साही, श्रीमती कृष्णा
सिंगरावडीवेल, श्री एस०
सिंह, श्री अतीश चन्द्र
सिंह, श्रीमती किशोरी
सिंह, श्री कमला प्रसाद
सिंह, श्री कृष्ण प्रताप
सिंह, श्री के० एन०
सिंह, श्री चन्द्रप्रताप नारायण
सिंह, श्री डी० जी०
सिंह, श्री भानुप्रताप
सिंह, श्री लाल विजय प्रताप
सिंह, श्री एस० डी०
सिंह, सत्येन्द्र नारायण

सिंहदेव, श्री के० पी०
सिद्दनाल, श्री एस० बी०
सिद्दीक, श्री हाफिज मोहम्मद
सिन्धिया, श्री माधवराव
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी
सुन्दरलाल, श्री
सुन्दर सिंह, चौधरी
सुखराम, श्री
सुखाड़िया श्रीमती इन्दुबाला
सुखवन्सकौर, श्रीमती
सुनीय दत्त, श्री
सुन्दरराज, श्री एन०
सुन्दरराजन, श्री एन०
सुब्बूरमन, श्री ए० जी०
सुमन, श्री रामप्यारे
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री
सुल्तानपुरी, श्री के० डी०
सूर्यवंशी, श्री नरसिंह
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान
सेठी, श्री अनन्त प्रसाद
सेठी, श्री प्रकाश एम्द्र
सेन, श्री भोला नाथ
सेन, श्री ए० के०
सेल्वेन्द्रन, श्री पी०
सोज, प्रो० सैफुद्दीन
सोढी, श्री मनकूराम
सोलंकी, श्री कल्याण सिंह
सोलंकी, नटरव सिंह
स्वामीप्रताप सिंह, श्री
स्पैरो, श्री आर० एस०
स्वैल, श्री जी० जी०

ष

षण्मूख, श्री ए० सी०
षण्मुख, श्री पी०

ह

हरपाल सिंह, श्री
हाल्दर, प्रो० एम० आर०
हेम ब्रम, श्री सेत

अध्यक्ष महोदय :—शुद्धि के अध्यधीन, मत—विभाजन का परिणाम*इस प्रकार है :—

पक्ष में :—56, विपक्ष में :—371

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपना मत दर्ज कराया :—

पक्ष में :—श्री रेणुपद दास, श्री डी० नारायण स्वामी, सैयद शहाबुद्दीन, श्री अब्दुल रशीद काबुली और श्री कटूरी नारायण स्वामी।

विपक्ष में :—श्री एच० के० एल० भगत, श्री अजीत सिंह दाभी, श्री जे० चोक्का राव, श्री कमोदी लाल जाखू, श्री राम निवास मिर्धा, श्री अर्जुन सिंह, श्री अमिताभ बच्चन, श्री उत्तम राठौड़, श्री हरू भाई मेहता, श्री अख्तर हसन, श्री आर प्रभु, श्री मदन पांडे, श्री प्रकाश चन्द्र, डा० सी०एस० वर्मा, श्री टी० अंजैया, श्री मुरली देवरा, श्री के० मोहनदास और श्री के० एच० रंगनाथ

अध्यक्ष महोदय :—दीर्घाएं खाली कर दी गई है। मैं अब श्री सैफुद्दीन चौधरी द्वारा पेश किए गए संशोधन संख्या 55 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं :—

प्रश्न यह है—

पृष्ठ 2, पंक्ति 12-14

"तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी" **के स्थान पर** "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्यधीन" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (55)

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ

मत-विभाजन संख्या 5

1.24 म. पू.

पक्ष में

अ

अय्यर, श्री वी० एस० कृष्ण

आ

आचार्य, श्री वसुदेव

उ

उन्नी कृष्णन, श्री के० पी०

क

काबुली, श्री अब्दुल रशीद
कुरूप, श्री सुरेश

ग

गुप्त श्री इन्द्रजीत
गोस्वामी, श्री दिनेश

घ

घोष गोस्वामी, श्रीमती विभा

च

चटर्जी, श्री सोमनाथ
चिन्ता मोहन, डा०
चौधरी सैफुद्दीन
चौबे, श्री नारायण

ज

जायनल अबेदिन, श्री

त

तांती, श्री भद्रेश्वर
तिरकी, श्री पीयूष
तुलसीराम, श्री वी०

थ

थामस, श्री थम्पन

द

दण्डवते, प्रो० मधु
दत्त, श्री अमल
दास, श्री रेणुपद
देव, श्री वी० किशोरचन्द्र एस०

प

पाटिल, श्री० डी० बी०
पाठक, श्री आनन्द
पेंचालैया, श्री पी०

ब

बसु, श्री अनिल
बिश्वास, श्री अजय

भ

भट्टम, श्री श्री राम मूर्ति
भूपति, श्री जी०

म

मण्डल, श्री सनत कुमार
मलिक, श्री पूर्णचन्द्र
मसुदलहुसैन श्री सैयद
महन्ता श्री चित्त
मिश्र, श्री सत्य गोपाल
मुखर्जी, श्रीमती गीता

य

यादव, श्री विजय कुमार

र

राजू, श्री आनन्द गजपति
राजू, श्री विजय कुमार
रामू वालिया, श्री बलवन्त सिंह
राय, श्री ड़ा० सुधीर
रायप्रधान, श्री अमर
राव, श्री० ए० जे० बी० महेश्वर
राव, श्री वी० शोभनाद्रीश्वर
रेड्डी, श्री के० राम चन्द्र
रेड्डी, श्री बैजावाड़ा पपी
रेड्डी, श्री बी० एन०
रेड्डी श्री एम० रघुमा
रेड्डी, श्री सी० माधव

स

सान्याल, भी मानिक
साहा, श्री अजित कुमार
साहा, श्री गदाधर
स्वामी, श्री कटूरी नारायण

ह

हंसदा, श्री मतिलाल

मत विभाजन संख्या 5

1.24 म० पू०

विपक्ष में

अ

अंजैया, श्री टी०
अंसारी, श्री जियाउर्रहमान
अंसारी श्री अब्दुल हन्नान
अग्रवाल, श्री जय प्रकाश
अडईकलराज, श्री एल०
असीतन, श्री आर० धनुषकोडी
अदियोडी, डा० के० जी०
अण्णानम्बी, श्री, आर०
अब्दुल गफूर, श्री
अब्बासी, श्री के०जे०
अर्जुन सिंह श्री

अरुणाचलम, श्री एम०
अलखाराम, श्री
अवस्थी, श्री जगदीश
अहमद, श्री मती आविदा
अहमद श्री सरफराज

आ

अहमद, श्री गुलाम नवी
आनन्द सिंह, श्री

उ

उरांव, श्रीमती सुमति

ए

एन्टनी, श्री पी० ए०

ऐ

ऐंगती, श्री बीरेन सिंह

ओ

ओडेयार, श्री चनैया
ओवेसी, श्री सुल्तान सलाउद्दीन

क

ककलनाथ, श्री
कमला कुमारी, कुमारी
कामत, श्री गुरुदास
कामसन, प्रो० मिजिनलंग
किन्दर लाल, भी
किस्कू, भी पृथ्वी चन्द्र
कुंवर राम, श्री
कुचन, भी गंगाधर एस०
कुप्पुस्वामी, श्री सी० के०
कुमार मंगलम, पी० आर०
कुरियन, प्रो० पी० जे०
कुरेशी, श्री अजीज
कुलनदईवेलु, श्री पी०
केन, श्री लाला राम
केयुर भूषण, श्री
कोयनक , श्री चिंगबांग
कौल, श्री मती शीला
कौशल, श्री जगन्नाथ
कृष्ण कुमार, श्री एस०
कृष्ण सिंह श्री
क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई

ख

खत्री, श्री निर्मल
खां, असलम शेर
खां श्री आरिफ मोहम्द
खां, खुर्शीद आलम
खां, श्री जुल्फिकाकार अली
खां, श्री मोहम्मद महफूज अली
खां, श्री मोहम्मद अयूब
खां, श्री रहीम
खिरहर, श्री रामश्रेष्ठ

ग

गंगाराम, श्री
गढ़वी, श्री बी० के०
गहलौत, श्री अशोक
गांधी, श्री राजीव
गाडगिल, श्री वी० एन०
गामित, श्री सी० डी०
गिल, श्री मेवा सिंह
गायकवाड़, श्री उदय सिंहराव
गायकवाड़, श्री रणजीत सिंह
गावीत, श्री मानिकराव होडल्या
गुप्त, श्री जनक राज

गुप्त, श्रीमती प्रभावती
गुहा, डा० फूलरुणु
गोपेश्वर, श्री
गोमांगों, श्री गिरिधर
गौडा, श्री एच० एन० नन्जे

घ

घोष, तरूणकान्ति
घोषाल, श्री देवी

च

चतेर्वेदी, श्री नरेश चन्द्र
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चन्द्रशेखर, श्री मती एम०
चन्द्रशेखर सिंह,
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी०
चन्दाकर, श्री घन्दू लाल
चन्द्रेश कुमारी, श्रीमती
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई
चार्ल्स, श्री ए०
चिदम्बरम, श्री पी०
चौधरी, श्री मती उषा
चौधरी, श्री कमल
चौधरी, श्री जगन्नाथ
चौधरी, श्री नन्दलाल
चौधरी श्री मनफूल सिंह

ज

जमतरक्षकन, डा० एस०
जदेजा, श्री डी० पी०
जनार्दनन, श्री कादम्बुर
जयदीप सिंह, श्री
जय मोहन, श्री ए०
जागड़ें, श्री खेलन राम
जाफर शरीफ, श्री सी० के०
जितेन्द्र प्रसाद, श्री
जितेन्द्र सिंह, श्री
जीवारनिथम, श्री आर०
जुझार सिंह, श्री
जैना, श्री चिन्तामणि
जैन, श्री निहाल सिंह
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
जैनुल बशर, श्री

झ

झिकराम, श्री एम० एल०

ट

टाइटलर, श्री जगदीश

ठ

ठक्कर, श्री मती उषा
ठाकुर, श्री सी० पी०

ड

डागा, श्री मूलचन्द्र
डामर, श्री सोमजी भाई
डिगाल, श्री राधाकांत
डेनिस, श्री एन०
डोंगरा, श्री गिरधारी लाल

ढ

ढिल्लन, डा० जी० एस०

त

तंगराजु, श्री एस०
तपेश्वर सिंह, श्री
तम्बिदूराई, श्री एम०
तारा देवी, कुमारी डी० के०

तारिक अनवर, श्री
तिग्गा, श्री साइमन
तिलकधारी सिंह, श्री
तोमर, श्रीमती ऊषा रानी
त्यागी, श्री धर्मवीर सिंह
त्रिपाठी, डा० चन्द्र शेखर
त्रिपाठी, श्रीमती चन्द्रा

थ

थामस, प्रो० के० वी०
थुंगन, श्री पी० के०
थोरट, श्री भाऊसाहिब

द

दलबीरसिंह, श्री
दलबीरसिंह, चौधरी
दाभी, श्री अजीत सिंह
दास, श्री अनादि चरण
दास, श्री विपिनलाल
दास मुन्शी, श्री प्रियरंजन
दिग्विजय सिंह, श्री
दिग्विजय सिंह, श्री
दिघे, श्री शरद
दिनेश सिंह, श्री
दीक्षित, श्रीमती शीला
दूबे, श्री भीष्म देव
देव, श्री सन्तोष मोहन
देवरा, श्री मुरली
देवराजन, श्री बी०
देवी प्रो० चन्द्र भानु

ध

धारीवाल, श्री शांति

न

नटराजन, श्री के० आर०
नटवर सिंह, श्री के०
नामध्यान, श्री पी०
नायक, श्री शांताराम
नायकर, श्री डी० के०
नारायणन, श्री के० आर०
नीखरा, श्री रामेश्वर
नेगी, श्री चन्द्रमोहन सिंह
नेताम, श्री अरविन्द
नेहरू, श्री अरुण कुमार

प

पंजा, श्री ए० के०
पंत, श्री कृष्ण चन्द्र
पकीर मोहम्मद, श्री ई० एस० एम०
पटनायक, श्री जगन्नाथ
पटनायक, श्रीमती जयन्ती
पटेल, श्री अहमद एम०
पटेल, श्री यू० एच०
पटेल, श्री राम पूजन
पटेल, श्री सी० डी०
पनिका, श्री राम प्यारे
पराशर, प्रो० नारायण चन्द्र
पवार, श्री बाला साहिब
पवार, श्री सत्यनारायण
पांडे, श्री दामोदर
पांडे श्री मदन
पांडे, श्री मनोज
पांडे, श्री राजमंगल
पाइलट, श्री राजेश
पाटिल, श्री उत्तम राव
पाटिल श्री एच० बी०

पाटिल, श्री प्रकाश बी०
पाटिल, श्री बालासाहेब बिखे
पाटिल, श्री यशवंतराव गडाख
पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पाटिल, श्री शिवराज बी०
पाठक, श्री चन्द्र किशोर
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ
पारधी, श्री केशवराव
पुजारी, श्री जनार्दन
पुरुषोत्तमन, श्री बक्कम
पुरोहित, श्री बनवारी लाल
पुष्पा देवी, कुमारी
पूरन चन्द्र, श्री
पेरुमन, डा० पी० वल्लल
पोतदुखे, श्री शांताराम
प्रकाश चन्द्र, श्री
प्रधान, श्री के० एन०
प्रधान, श्री के०
प्रभु, श्री आर०

फ

फैलोरो, श्री एडुआर्डो

ब

बंसीलाल, श्री
बच्चन, श्री अमिताभ
बनर्जी, कुमारी ममता
बनातवाला, श्री जी० एम०
बसीर, श्री ० टी०
बसवराजु, श्री, जी० एस०
बलवराजेश्वरी, श्रीमती
बाजपेयी, डा० राजेन्द्रकुमारी
बालगौड़, श्री टी०
बीरबल, श्री
वीरेन्द्र सिंह, राव
वीरेन्द्र सिंह, श्री
बुदानिया, श्री नरेन्द्र
बुन्देला श्री सुजान सिंह
बूटा सिंह सरदार
बैरवा, श्री बनवारी लाल
बैठा, श्री डूमर लाल
बैरागी, श्री बालाकवि
ब्रहमदत्त, श्री

भ

भक्त, श्री मनोरंजन
भगत, श्री एच० के० एल०
शगत, श्री बी आर०
भरत सिंह, श्री
भाटिया रघुनन्दन लाल
भारद्वाज, श्री परसराम
भूमिज, श्री हरेन
भुरिया, श्री दिलीप सिंह
भोई, डा० कृपा सिंधु
भो,य श्री आर० एस०
भोय, श्री एस० एस०
भोसले, श्री प्रतापराव बी०

म

मकवाना, श्री नरसिंस
मलिक, धर्म पाल सिंह
मलिक, श्री लक्ष्मण
महावीर प्रसाद, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री
माधुरी सिंह, श्रीमती
मानवेन्द्र सिंह, श्री

माने, श्री मुरलीधर
मालवीय, श्री बापूलाल,
मावणि, श्रीमती पटेल रमाबेत रामजीभाई
मिर्धा, श्री राम निवास
मिश्र, श्री उमाकान्त
मिश्र, श्री जी० एस०
मिश्र, श्री नित्यानन्द
मिश्र, श्री राम नगीना
मिश्र, श्रीविजयकुमार
मिश्र, श्री श्रीपति
मिश्र, श्री प्रभात कुमार
मुखोध्याय, श्री आन्नद गोहाल
मुत्तेमवार श्री बिलास
मुरमु श्री सिद्ध लाल
मूरगई, श्री ए० आर०
मुशरान, श्री अजय
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर
मेहता, श्री हरुभाई
मोतीलाल सिंह, श्री
मोदी, श्री विष्णु
मोरे, प्रो० रामकृष्ण

य

यशपाल सिंह, श्री
याजदानी, डा० गुलाम
यादव, श्री कैलाश
यादव, श्री डी० पी०
यादव, श्री रामसिंह
यादव, श्री श्याम लाल
यादव, श्री सुभाष
योगेश, श्री योगेश्वर प्रसाद

र

रंगनाथ, श्री के० एच०
रंगा, प्रो० एन० जी०
रघुराज सिंह, चौधरी
रणवीर सिंह, श्री
रथ, श्री सोमनाथ
राउत, श्री भोला
राज करन सिंह, श्री
राजहंस, डा० गौरी शंकर
राजेश्वरन, डा० वी०
राठवा, श्री अमर सिंह
राठौड़, श्री उत्तम
राम, श्री रामस्वरूप
राम अवध प्रसाद श्री
राम चन्द्रन, श्री मुल्ला पल्ली
राम समुझावन, श्री
राम धन, श्री
रामपाल सिंह, श्री
राम प्रकाश, चौधरी
रायमूर्ति, श्री के०
रामुलू, श्री एच० जी०
राय, श्री आई० रामा
राय, श्री राजकुमार
राव, श्री के० एस०
राव, श्री जे० चोक्का
राव, श्री जे०वेंगल
राव श्री पी० वी० नरसिंह
राव, श्री वी० कृष्ण
रावणी, श्री नवीन
रावत, श्री कमला प्रसाद
रावत, श्री प्रभुलाल
रावत, श्री हरीश

ल

लच्छी राम, चौधरी
लाहा, श्री आशुतोष

लोवांग, श्री वांगफा

व

वन, श्री दीप नरायन
वनकर, श्री पूनमचन्द्र मीठाभाई
वर्मा, श्रीमती ऊषा
बर्मा: डा० सी० एस०
वासनिक, श्री मुकुल
विजयराघवन, श्री वी० एस०
वीरसेन, श्री
वेंकटेशन, श्री पी० आर० एस०
वराले, श्री मधुसूदन
व्यास, श्री गिरधारीलाल

श

शंकरानन्द, श्री बी०
शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी
शर्मा, श्री चिरंजीलाल
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शर्मा, श्री नवल किशोर
शर्मा, श्री प्रताप भानु
शांति देवी, श्री मती
शास्त्री, श्री हरिकृष्ण
शाह, श्री अनूपचन्द्र
शाहबुद्दीन, सैयद
शिमडा, श्री डी० बी०
शिवेन्द्र बहादुर सिंह श्री
शेरवामी, श्री सलीम आई०
की निवास प्रसाद, श्री वी०

स

संकटा प्रसाद, डा०
संखवार, श्री आशाकरण
संगमा, श्री पी० ए०
संतोष कुमार सिंह, श्री
सईद, श्री पी० एम०
सकरगयम, कालीचरण
सत्येद्र चन्द्र, श्री
सलाउद्दीन, श्री
साठे, श्री वसंत
साहा, श्री अजित कुमार
साही, श्रीमती कृष्णा
सिगरावडीवेल, श्री एस०
सिंह, श्री अतीशचन्द्र
सिंह, श्रीमती किशोरी
सिंह, श्री कमला प्रसाद
सिंह, श्री कृष्ण प्रताप
सिंह, श्री के० एन०
सिंह, श्री चन्द्र प्रताप नारायण
सिंह, श्री डी० जी०
सिंह, श्री भानुप्रताप
सिंह, श्री लाल विजय प्रताप
सिंह, श्री एस० डी०
सिंह, सत्येन्द्र नारायण
सिंहदेव, श्री के० पी०
सिद्दनाल, श्री एस० बी०
सिद्दीक, श्री हाफिज मोहम्मद
सिन्धिया, श्री माधवराम
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी
सुन्दरलाल, श्री
सुन्दर सिंह, चौधरी
सुखराम, श्री
सुखाड़िया, श्रीमती इन्दुला
सुखवंश कौर, श्रीमती
सुनील दत्त, श्री
सुन्दरराज, श्री एन०

सुब्बुरमन, श्री ए० जी०
सुमन, श्री राम प्यारे
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री
सुल्तानपुरी, के० डी०
सूर्यवंशी, श्री नरसिंह
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान
सेठी, श्री अन्नत प्रसाद
सेठी, श्री प्रकाश चन्द्र
सेन, श्री भोंला नाथ
सेन, श्री ए० के०
सेत्वेन्द्रम, श्री पी०
सोज, प्रो० सैफुद्दीन
सोढ़ी, श्री मनकू राम
सोलंकी, श्री नटवर सिंह
स्पैरो, श्री आर० एस०
स्वैल, श्री जी० जी०

ष

षण्मूख, की ए० सी०
षण्मुख, की पी०

ह

हरपाल सिंह, श्री कैरुक्षेत्र
हाल्दर, प्रो० एम० आर०
हेम ब्रम, श्री सेत

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :

पक्ष में—52; **विपक्ष में**—374 संशोधन अस्वीकृत हो गया है।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

*निम्नलिखित सदस्य ने भी अपना मत दर्ज कराया।

पक्ष में : श्री के० मोहनदास, श्री दत्ता सामंत, श्री हन्नान योल्लह, श्री डी० नारायण स्वामी श्री श्रीहरि राव, श्री अब्दुल रसीद काबुली, श्री सी० जंगा रेड्डी, श्री पराग चालिहा, श्री ए० के० पटेल और श्री महोम्मद महफूज अली खां,

विपक्ष में : श्री एल० बलरामन, श्री अनूपचन्द शाह, श्री जगन्नाथ प्रसाद, श्री कमोदीलाल जाटव, श्री बलराम सिंह यादव, श्री कल्याण सिंह सोलंकी, श्री विमल कान्ति घोष, श्री जी० आई० पटेल, श्री बृजमोहन महन्ती, प्रो० के० के० तिवारी, श्रीमती सुन्दरबती नवल प्रभाकर, श्री अख्तर हसन, श्री एम० एल० भिकराम, और श्री डालचन्द्र जैन।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं की हन्नान मोल्लाह द्वारा पेश किए गए संशोधन संख्या 37 को सभा में मतदान हेतु रखता हूं।

संशोधन संख्या 37 मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री डी० बी० पाटिल द्वारा पेश किए गए सभी संशोधनों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 63, 64 और 66 से 70 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं सैयद शहाबुद्दीन द्वारा रखे गए संशोधन संख्या 106 को सभा में मतदान हेतु रखता हूं ।

संशोधन संख्या 106 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं सैयद शहाबुद्दीन द्वारा रखे गए संशोधन संख्या 110 को सभा में मतदान हेतु रखता हूं ।

संशोधन संख्या 110 सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री विजय कुमार यादव द्वारा पेश किए गए संशोधन संख्या 175 को सभा में मतदान हेतु रखता हूं ।

संशोधन संख्या 175 सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री हन्नान मोल्लाह द्वारा पेश किए सशोधन संख्या 187 को सभा में मतदान हेतु रखता हूं ।

संशोधन संख्या 187 सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 3 में पेश किए गए अन्य सभी संशोधनों को एक साथ सभा में मतदान के लिये रखता हूं ।

संशोधन संख्या 4, 16 से 24, 26 से 28, 30 से 33, 39 से 41, 52, 56, 59, 78, 81, 97, 98, 107, से 109, 111, 113, 114, 116 से 118, 120, से 123, 135, 140 से 147, 176, 177, 178, 180 तथा 181 सभा में मतदान के लिए रखे गए तथा सस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड 3 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

खंड 3 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 4 (भरण-पोषण के भुगतान के लिए आदेश)

सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3,—

अन्तिम पंक्ति **के पश्चात्** निम्नलिखित **अन्त:स्थापित किया जाये**,—

"(3) जहां राज्य वक्फ बोर्ड विच्छिन्न विवाह स्त्री के भरण-पोषण की स्थिति में नहीं है, वहां मजिस्ट्रेट केन्द्रीय सरकार को आदेश देगा कि वह विच्छिन्न विवाह स्त्री को ऐसा भरण-पोषण पहले करें ।" (7)

श्री जी० एम० बनातवाला : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3,—

"(2)" **के पश्चात्** "वक्फों के प्रशासन से संबंधित वक्फ अधिनियम, 1954 अथवा किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी" **अन्त:स्थापित किया जाये ।** (34)

श्री हम्माद मोल्लाह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं ।

पृष्ठ 3,—

(एक) पंक्ति 25 और 26—

"उसके ऐसे नातेदारों को, जो उसकी मृत्यु पर मुस्लिम विधि के अनुसार उसकी सम्पत्ति के उत्तराधिकारी होने के हकदार होंगे," **के स्थान पर** "केन्द्रीय सरकार" **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

(दो) पंक्ति 28 से 32,—

"और ऐसे नातेदारों के साधनों को ध्यान में रखते हुए यह निदेश देते हुए आदेश कर सकेगा कि वे ऐसे युक्तियुक्त और ऋजु भरण-पोषण का जो वे ठीक और उचित अवधारित करे, उसको संदाय करें और ऐसा भरण-पोषण ऐसे नातेदारों द्वारा उसी अनुपात में, जिसमें वे उसकी सम्पत्ति के उत्तराधिकारी होंगे और ऐसी अवधियों पर संदत्त किया जायेगा" **के स्थान पर** "को ध्यान में रखते हुए, यह निदेश देते

हुए आदेश कर सकेगा कि वे ऐसे युक्तियुक्त और ऋजु भरण-पोषण का, जो वह ठीक और उचित अवधारित करे उसको संदाय ऐसी अवधियों पर करे" प्रतिस्थापित किया जाये ।

(तीन) पंक्ति 34 से 40 का लोप किया जाये । (42)

श्री हन्नान मोल्लाह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 41 से 54 के स्थान पर—

निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

"(2) जहां कोई विच्छिन्न विवाह स्त्री अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है और उसके ऐसे कोई नातेदार नहीं हैं अथवा उनमें से कोई ऐसा नहीं है, जिसके पास उसके पोषण के लिए पर्याप्त साधन हों, मजिस्ट्रेट, केन्द्रीय सरकार को आदेश देगा कि वह यथावधारित भरण-पोषण ऐसी अवधियों पर संदत्त करे जैसा वह अपने आदेश में विनिर्दिष्ट करे ." (43)

श्री आयनस अबेबिन : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3,—

अन्तिम पंक्ति के पश्चात निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये—

"(3) यदि वक्फ बोर्ड विच्छिन्न विवाह स्त्री का भरण-पोषण करने की स्थिति में नही है, तो मजिस्ट्रेट केन्द्रीय सरकार को आदेश देगा कि वह ऐसा भरण-पोषण विच्छिन्न विवाह स्त्री को संदत्त करे ।" (44)

श्री जी० एम० बनातवाला : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3, पंक्ति 21-22,—

"तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में" के स्थान पर "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 में" प्रतिस्थापित किया जाये । (53)

श्री अमर रायप्रधान : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3, अन्तिम पंक्ति के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये—

"(3) यदि वक्फ बोर्ड विच्छिन्न विवाह स्त्री का भरण-पोषण करने की स्थिति में नहीं

हैं, तो मजिस्ट्रेट केन्द्रीय सरकार को आदेश देगा कि वह ऐसा भरण-पोषण विच्छिन्न विवाह स्त्री को संदत्त करे ।" (60)

श्री डी० बी० पाटिल : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3—

अन्तिम पंक्ति के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात्—

"**स्पष्टीकरण** : ऐसे भरणपोषण के लिए संदय रकम राज्य वक्फ बोर्ड की आय पर प्रथम भार होगी ।" (71)

पृष्ठ 3,—

अन्तिम पंक्ति के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात्—

"(3) किसी भी दशा में पूर्वगामी उपबन्धों से उत्पन्न होने वाली किसी भी सम्भाव्यता को पूरा करने के लिए लोकधन का उपयोग नहीं किया जाएगा ।" (72)

श्री सुरेश कुरुप : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3,—

अन्तिम पंक्ति के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये—

"(3) राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा इस धारा की उप-धारा 2 में यथावर्णित किसी संदाय की प्रतिपूर्ति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार की निधि में से अथवा किसी राज्य अथवा केन्द्रीय प्राधिकरण की निधि में से अनुदान राज सहायता के रूप में अथवा अन्यथा नहीं की जायेगी ।" (101)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3,—

अन्तिम पंक्ति के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये—

"(3) इस अधिनियम के पूर्वगाली उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी विच्छिन्न विवाह मुस्लिम स्त्री के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 125 का आश्रय लेने का विकल्प बना रहेगा ।" (102)

श्री सैयद शहाबुद्दीन : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 21 से 40 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्—

"4. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, जहां मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि विच्छिन्न विवाह स्त्री ने पुनर्विवाह नहीं किया है और इद्दत की अवधि के पश्चात् अपना भरण-पोषण करने में समर्थ नहीं है वहां वह उसके रक्त नातेदारों को उसका भरणपोषण करने हेतु निम्न क्रम में आदेश देगा—

(क) उसकी सन्तान यदि कोई हो;

(ख) यदि सन्तान उसका भरणपोषण करने में समर्थ नहीं है तो उसके माता-पिता;

(ग) यदि माता-पिता जीवित नहीं हैं अथवा उसका भरण-पोषण करने में समर्थ नही हैं, तो उसके भाई और बहिनें; और

(घ) यदि इनमें से कोई भी उसका भरणपोषण करने में समर्थ नहीं है तो उसका सबसे नजदीकी जीवित रक्त नातेदार जो मजिस्ट्रेट की राय में उसका भरणपोषण करने में समर्थ है।" (125)

पृष्ठ 3, पंक्ति 43 तथा 44,—

"मजिस्ट्रेट द्वारा आदिस्ट भरणपोषण का संदाय" के स्थान पर "उसका भरणपोषण" प्रतिस्थापित किया जाये। (126)

पृष्ठ 3, पंक्ति 44 से 47,—

निम्नलिखित का लोप किया जाये, अर्थात्—

"या अन्य नातेदारों के पास उन नातेदारों के अंशों का संदाय करने के साधन नहीं हैं जिनके अंशों का ऐसे अन्य नातेदारों द्वारा संदाय किये जाने के लिये मजिस्ट्रेट द्वारा उहधारा (1) के परन्तुक के अधीन आदेश किया गया है।" (127)

पृष्ठ 3, पंक्ति 50,—

"क्षेत्र" के स्थान पर "राज्य" प्रतिस्थापित किया जाये। (128)

पृष्ठ 3, पंक्ति 51,—

"यथास्थिति" के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्—

"इस प्रयोजन हेतु अपनी निधि में से "जिसमें विशेष दान यदि कोई हों, शामिल है।" (129)

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3,—

अन्तिम पंक्ति के पश्चात निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए—

"3. इस अधिनियम के उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी विच्छिन्न विवाह मुस्लिम स्त्री को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 का आश्राय लेने का विकल्प लेने का अधिकार होगा।" (136)

श्री विजय कुमार यादव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3,—

खण्ड 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"4. इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबन्धों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी विच्छिन्न विवाह स्त्री, उसकी आवश्यकताओं, उसके विवाह के दौरान उसके द्वारा उपभोग किए गए जीवन स्तर को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार से युक्ति-युक्त और ऋजु भरणपोषण प्राप्त करेगी यदि मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि उसने पुनर्विवाह नहीं किया है और वह इद्दत की अवधि के पश्चात् अपना भरणपोषण करने में समर्थ नहीं है और वह इस प्रभाव का आदेश करेगा।" (182)

पृष्ठ 3,—

अन्तित पंक्ति के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये—

"(3) यदि उप-धारा (2) में उल्लिखित वक्फ बोर्ड, उप-धारा 1 के अन्तर्गत आदिष्ट ऐसे प्रतिकर का संदाय करने की वित्तीय स्थिति में नहीं है, तो इस धारा की उप-धारा (1) के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट के आदेश से उत्पन्न वित्तीय भार का वहन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जायेगा।" (183)

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3,—

अन्तिम पंक्ति के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये—

"इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबन्धों या तत्समय प्रदत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, बिना पत्नी की सलाह लिए तथा बिना उसके किसी कारण के पति द्वारा विवाह विच्छिन्न स्त्री, जिसने पुनर्विवाह नहीं किया है और इद्दत अवधि के बाद अपना भरणपोषण करने में असमर्थ है, यदि वह चाहे तो, दंड प्रक्रिया संहिता के उपबन्धों के अधीन अपने भरणपोषण के बारे में आवेदन कर सकती है और ऐसे सभी आवेदनों पर दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंध लागू होंगे।" (189)

श्री जी० एम० बनातवाला : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 21 से 40 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्—

"4. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, जहां मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि—

(क) विच्छिन्न विवाह स्त्री ने पुनर्विवाह नहीं किया है और इद्दत की अवधि के पश्चात् अपना भरणपोषण करने में समर्थ नहीं है; और

(ख) उसके ऐसे नातेदार, जिनके पास पर्याप्त साधन हैं और जिनपर मुस्लिम विधि के अनुसार उसका भरणपोषण करने का दायित्व आता है, उसका भरणपोषण करने में असफल रहे हैं अथवा उसकी उपेक्षा की है;

वहां वह, विच्छिन्न विवाह स्त्री की आवश्यकताओं, उसके विवाह के दौरान उसके द्वारा उपभोग किये गए जीवन स्तर और ऐसे नातेदार या नातेदारों के साधनों को ध्यान में रखते हुए; उपयुक्त (ख) में उल्लिखित नातेदार या नातेदारों को यह निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा कि वह या वे ऐसे युक्तियुक्त और ऋजु भरणपोषण के, जो वह ठीक और उचित अवधारित करे, उसको संदाय करे या करें।" (190)

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 21 से 40 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

"4. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि विच्छिन्न विवाह स्त्री ने

पुनर्विवाह नहीं किया है और इद्दत की अवधि के पश्चात् अपना भरणपोषण करने में समर्थ नहीं है, वहां वह ऐसे नातेदारों को, जिन पर मुस्लिम विधि के अनुसार उसके भरणपोषण बाध्यता है, विच्छिन्न विवाह, स्त्री की आवश्यकताओं, उसके विवाह के दौरान उसके द्वारा उपभोग किये गये जीवन स्तर और ऐसे नातेदारों के साधनों को ध्यान में रखते हुए, यह निदेश देते हुए आदेश कर सकेगा कि वे ऐसे युक्तियुक्त और ऋजु भरणपोषण का, जो वह ठीक और उचित अवधारित करे, उसको संदाय करे।" (194)

श्री अशोक कुमार सेन : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 40 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"परन्तु जहां ऐसी विच्छिन्न विवाह स्त्री के संतान है, वहां मजिस्ट्रेट केवल ऐसी संतान को ही भरणपोषण संदाय करने का आदेश देगा, और संतान भरणपोषण का संदाय करने में असमर्थ होने की दशा में, मजिस्ट्रेट विवाह विच्छिन्न स्त्री के मातापिता को उसके भरणपोषण का संदाय करने का आदेश देगा।" (216)

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 41 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"परन्तु यह और कि यदि माता-पिता में से कोई मजिस्ट्रेट द्वारा आदिष्ट भरणपोषण के।" (217)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : इस संशोधन में मैंने यह देखने का प्रयास किया है कि तलाकशुदा महिलाओं के प्रति केन्द्र सरकार की कितनी सहानुभूति है। मैंने यह प्रस्ताव किया है कि यदि वक्फ बोर्ड तलाकशुदा को निर्वाह राशि देने में असफल होता है तो मजिस्ट्रेट केन्द्र सरकार को ऐसी महिलाओं को गुजारा राशि देने के आदेश देगा और उसे यह आदेश स्वीकार करना चाहिए।

श्री जी० एम० बनातवाला : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक ऐसा सरकारी संशोधन पेश किया है जो काफी हद तक मेरे संशोधन के प्रयोजन को पूरा कर देता है। किन्तु फिर भी मैं आग्रह करूंगा कि शरीयत में निर्वाह राशि सम्बन्धी कानून बहुत व्यापक है जिसे कुछ वाक्यों में नहीं बांधा जा सकता। अतः यह बेहतर है कि निर्वाह राशि सम्बन्धी पूर्ण

कानून जैसाकि शरीयत में दिया गया है, संक्षिप्त तरीके से जोकि यहां बनाया गया है, लागू किया जाना चाहिए।

अत: मैं अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक को मुस्लिम विधि को संहितावद्ध करने की दिशा में एक कदम के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। इसके विपरीत, इसे पहले से विद्यमान शरीयत विधि को जैसाकि यहां उपबन्ध किया गया है, संक्षिप्त रूप में प्रवृत्त किया जाना माना जाए। तथापि काफी हद तक यह उद्देश्य सरकारी संशोधन द्वारा पूरा हो रहा है, किन्तु अभी भी मेरा यह आग्रह है कि मेरे द्वारा पेश किए गए संशोधन की शब्दावली बेहतर तथा व्यापक हैं।

श्री हन्नान मोल्लाह : यदि तलाकशुदा महिला को अपनी निर्वाह राशि नहीं मिल पाती और वे अपना निर्वाह नहीं कर पातीं और उनके सम्बन्धी उनके निर्वाह चलाने में समर्थ नही है तब मजिस्ट्रेट केन्द्र सरकार को निर्वाह राशि देने का आदेश देगा। मेरे पहले वाले संशोधन का यही आशय है।

निर्वाह राशि के मामले में सरकार संयुक्त राय की वात कर रही है, किन्तु यदि संयुक्त राय शरीयत के विरुद्ध नहीं है तो फिर महिलाओं का विकल्प शरीयत के विरुद्ध क्यों होगा? इसलिए महिलाओं के लिए विकल्प का भी इसमें उल्लेख होना चाहिए।

अन्त में, कृपया मेरा संशोधन संख्या 138 देखिये। इसमें क्या कहा गया हैं? मैं आपको बताऊंगा कि होता क्या है। बहुत से लोग अरब तथा अन्य देशों से आते हैं। वे महिलाओं को खरीदते हैं, उनसे विवाह करते हैं और उसके बाद उन्हें तलाक दे देते हैं और वापस अपने देश चले जाते हैं ऐसी महिलाओं को वेश्यालयों में जाना पड़ता है। इसीलिए मैंने यह संशोधन पेश किया है कि यह अधिनियम ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए गए तलाक पर लागू नहीं होना चाहिए जो भारत का नागरिक नहीं है।

श्री जायनल अबेदिन : इस विधेयक के अनुसार यदि तलाक शुदा महिला के संबन्धी उस महिला का गुजारा चलाने की जिम्मेदारी लेने की स्थति में नहीं है, तो वक्फ बोर्ड यह जिम्मेदारी उठाएगा। किन्तु यदि वक्फ बोर्ड भी उस महिला को गुजारा राशि देने की स्थति में नहीं है तो तब क्या होगा? बहुत से सदस्यों ने कहा है कि वक्फ बोर्डों की वित्तीय स्थति अच्छी नहीं है और उन्होने केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता मांगी हैं। मेरे संशोधन में यह बात कही गई है कि जब वक्फ बोर्ड निर्वाह राशि न दे पाए तो केंद्र सरकार को तलाकशुदा महिला को निर्वाह राशि देनी चाहिए।

श्री अमर राय प्रधान : यदि वक्फ बोर्ड तलाकशुदा महिलाओं का भरण-पोषण नहीं कर पाता तो उन महिलाओं के लोगों की दया पर रहना होगा। मेरा संशोधन यह है कि यह केन्द्र सरकार को यह राहत जिस तरीके से भी वह उचित समझे देनी चाहिए। केन्द्र सरकार इन महिलाओं को ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में अथवा जिस प्रकार वह चाहे, इन्हें शामिल कर सकती है।

श्री डी० बी० पाटिल : वाद-विवाद के दौरान, बहुत से माननीय सदस्यों द्वारा आशंका व्यक्त की गई थी कि क्या वक्फ बोर्डों के पास पर्याप्त धनराशि होगी। यदि वक्फ बोर्ड के पास पर्याप्त धन नहीं है तो वह उपलब्ध कारकर नहीं होगा और इसे लागू नहीं किया जा सकेगा। यदि वक्फ बोर्ड के पास धन नहीं है तो तलाकशुदा महिला वक्फ बोर्ड से कोई सहायता नहीं ले पायेगी। इसलिए मैंने व्याख्या के रूप में एक संशोधन पेश किया हैं कि इस प्रकार के निर्वाह हेतु देय राशि को वक्फ बोर्ड की आय से प्रथम प्रभार के रूप में लिया जाना चाहिए ताकि तलाकशुदा महिला को सहायता देने के आशय का क्रियान्वयन किया जा सके।

श्री सुरेश कुरुप : (कोहायम) : खण्ड 4 का उपखण्ड 2 सरकार को इस बात के लिए बाध्य करेगा कि वह इन तलाकशुदा महिलाओं के भरण-पोषण के लिए वक्फ बोर्डों को उदार अनुदान दे। वक्फ बोर्ड उनके आध्यात्मिक लाभ हेतु विशिष्ट कार्यों के लिए धर्मार्थ न्यासों के रूप में बनाए गए हैं। वक्फ बोर्ड के धन को केवल इस विशिष्ट प्रयोजन हेतु उपयोग किया जा सकता है। हर व्यक्ति यह जानता है कि वक्फ बोर्ड के पास इतना कम धन होता हैं कि वे तलाकशुदा महिलाओं के निर्वाह के लिए धन दे सकें। इसलिए यह संशोधन यह स्पष्ट करता है कि सरकार कभी भी इस प्रयोजन हेतु वक्फ बोर्डों को कोई अनुदान नहीं देगी। सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्धारित सरकारी पैसे का किसी धार्मिक विश्वास को प्रोत्साहन देने हेतु उपयोग करना गलत है। यह संविधान के अनुच्छेद 27 के विरुद्ध हैं। इसीलिए मैंने यह संशोधन पेश किया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरे संशोधन का आशय खण्ड 4 में यह अन्त: स्थापित करने का है।

> "इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी विच्छिन्न विवाह मुस्लिम स्त्री के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 का आश्रय लेने का विकल्प बना रहेगा।"

भूतपूर्व जस्टिस श्री कृष्णा अय्यर द्वारा प्रधान मंत्री को लिखे गए पत्र में यह बात पहले ही कही गई है। उन्होंने हमें दिखाया है कि वे इस बात को बिल्कुल अस्वीकार्य मानते हैं कि इसकी पूर्व शर्त यह होनी चाहिए कि पति भी इसके लिए राजी हो। अन्यथा पत्नी धारा 125 का आश्रय नहीं ले सकती। विधि मंत्री द्वारा पेश किए गए संशोधन के अनुसार इसका संयुक्त उल्लेख होना चाहिए। इसलिए मैं इसके उल्टा संशोधन अर्थात यदि वह ऐसा करना चाहती है तो पत्नी के लिए इस बात की छूट होनी चाहिए, और उसे धारा 125 का आश्रय लेने का विकल्प होगा, पेश कर रहा है।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैंने सिर्फ दो बात कही हैं। कम्यूनिटी मेन्टिनेंस के कासेप्ट को मैंने कहा हैं कि नहीं होना चाहिए और हमारे लॉ-मिनिस्टर साहब ने भी एक अमेंडमेंट दी है उसके बारे में जो कि बहुत हद् तक हमारे प्वांइट को मीट करता है एक वक्त में सिर्फ एक अजीज की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह अपने अजीज का जो मुतालिका है उसका गुजारा बर्दाश्त करे।

लेकिन दूसरी बात में कहना चाहता था। वक्फ बोर्ड के बारे में कि वक्फ बोर्ड के क्लाज में आगे एक बात जोड़नी चाहिए कि वक्फ बोर्ड अपने फंट से यह काम करेगा और उस फंड में जो कम्यूनिटी की तरफ से स्पेशल डोनेशंस आएगी और आ सकती हैं खास इस काम के लिए, वह भी इसमें शामिल है। मैं यह साफ-साफ करना चाहता हूं कि इसके बारे में मुस्लिम कम्यूनिटी स्टेट अगर यह काम करे तो सारे डिवोसीज के लिए करे, सिर्फ मुस्लिम डिवोसीज के लिए करें? इसके लिए कम्यूनिटी को स्पेशल एफर्ट करनी होगी। वक्फ बोर्ड को स्पेशल डोनेशन देने होंगे अगर वक्फ बोर्ड के पास अपना पैसा न हो और अपना पैसा उनके पास तीन सोसज से आता है जैसा कि आप को मालूम है।

श्री विजय कुमार यादव : मैं अपना अमेंडमेंट मूव करता हूं।

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी (गुहावटी) : मेरा संशोधन इन्द्रजीत गुप्त के संशोधन से मिलता-जुलता है। इसमें केवल थोड़ा सा फर्क है और यह एक तरफ से श्री अशोक सेन द्वारा दिए गए संशोधन में थोड़ा सा सुधार है।

मुझे यह जानकार आश्चर्य है कि श्री सेन ने अपने भाषण में यह कहा है कि यह विधेयक 8 मास की सुविचारित योजना के बाद लाया गया है। 8 मास की सुविचारित योजना के बाद भी यदि आपने यही विधेयक पेश किया है और चर्चा के दौरान एकाएक करके आपको तीन संशोधन पेश करने पड़े हैं तो कोई भी व्यक्ति यह समझ सकता है कि आपने इस विधेयक के पेश करने के लिए आपने कितनी सावधानी बरती है और विचार विमर्श किया है। अत: मेरा यह कहना है कि यदि सरकार यह समझती है कि पति तथा पत्नी संयुक्त रूप से अथवा अलग-अलग रूप से धारा 125 के अन्तर्गत एक मत से आवेदन करेंगे, तो सरकार ख्याली प्लाव बना रही है, क्योंकि ऐसे मामले में दोनों पक्षों को धारा 125 के अन्तर्गत निर्वाह राशि के लिए दावा नहीं करते।

सरकार तथा सत्ताधारी दल के प्रवक्ताओं ने कहा है कि 99 प्रतिशत मुसलमान इस विधेयक के पक्ष में है। अत: मैंने यह कहा है कि आप 99 प्रतिशत को भूल जाइए। शेष में से 50 प्रतिशत पुरुष इसके लिए राजी नहीं होंगे। शेष 50 प्रतिशत में से 11·5 प्रतिशत महिलाएं धारा 125 का आश्रय नहीं लेंगी। राशि 0·5 प्रतिशत मुस्लिम महिलाएं यदि धारा 125 का विकल्प चुनती हैं,

उन्हें ऐसा इन दो शर्तों के अन्तर्गत करना होगा, (1) महिला की अनुमति के बिरा तलाक हुआ है, (2) उस महिला की किसी गलती के बिना तलाक हुआ है। कृपया इन मुस्लिम महिलाओं को धारा 125 का विकल्प चुनने दें।

श्री ए० के० सेन : इस संशोधन से विधेयक का उद्देश्य ही निष्फल हो जाएगा, क्योंकि पति पर निर्वाह राशि देने की जिम्मेदारी आ जाएगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

पृष्ठ 3, पंक्ति 40 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अतः स्थापित किया जाए** :

"परन्तु जहां ऐसी विच्छिन्न विवाह स्त्री के संतान है, वहां मजिस्ट्रेट केवल ऐसी संतान को ही भरण-पोषण संदाय करने का आदेश देगा, और ऐसी संतान के भरण-पोषण का संदाय करने में असमर्थ होने की दशा में, मजिस्ट्रेट विवाह विच्छिन्न स्त्री के माता पिता को उसके भरण-पोषण का संदाय करने का आदेश देगा।"

पृष्ठ 3, पंक्ति 41 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए** :

"परन्तु यह और कि यदि माता-पिता में से कोई मजिस्ट्रेट द्वारा आदिष्ट भरण-पोषण के"

(217)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

अध्यक्ष महोदय : मैं भी सैफुद्दीन द्वारा पेश किए गए संशोधन को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 7 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री जी० एम० बनातवाला द्वारा पेश किए गए संशोधन को सभ में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सं 34 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री हन्नान मोल्लाह द्वारा पेश किए गए संशोधन सं० 42 और 43 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सं० 42 और 43 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री जायनल आवेदन द्वारा पेश किए गए संशोधन को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सं० 44 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकार हुआ।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री जी० एम० बनातवाला द्वारा पेश किए गए संशोधन सं 53 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सं० 53 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृति हुआ।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री अमर राय प्रधान द्वारा पेश किए गए संशोधन सं० 60 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सं० 60 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री डी० बी० पाटिल द्वारा पेश किए गए संशोधन सं० 71 और 72 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सं० 71 और 72 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री सुरेश कुरूप द्वारा पेश किए गए संशोधन सं० 101 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सं० 101 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा पेश किए गए संशोधन सं० 102 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सं० 102 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सैयद शहाबुद्दीन द्वारा पेश किए गए संशोधन सं० 125 से 129 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सं० 125 से 129 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री हन्नान मोल्लाह द्वारा पेश किया गए संशोधन सं० 136 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

श्री हन्नाह मोल्लाह : महोदय मैं मत-विभाजन करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। दीर्घाएं खाली की जाएं और घंटी बन रहा है।

श्री हन्नाह मोल्लाह : मैं मत-विभाजन नहीं चाहता।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री हन्नाह मोल्लाह द्वारा पेश तिए गए संशोधन सं० 136 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सं० 136 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री विजय कुमार यादव द्वारा पेश किए गए संशोधन सं० 182 और 183 को मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सं०183 और 183 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री दिनेश गोस्वामी द्वारा पेश किए गए संशोधन को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सं० 189 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री जी० एम० बनातवाला द्वारा पेश किए गए संशोधन सं० 190 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सं० 190 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री इब्राहिम सुलेमान सेट द्वारा पेश किए गए संशोधन सं० 194 को सभा में मतदान के लिए करता हूं।

संशोधन सं० 194 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

"कि खंड 4, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4 क (नया)

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 3—

पंक्ति 54 के पश्चात् निम्नलिखित : **अत: स्थापित किया जाए—**

1974 के अधिनियम 2 की धारा 125 से धारा 122 तक के उपबन्धों द्वारा शासित होने का विकल्प।	"4 क यदि धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन की पहली सुनवाई की तारीख को विछिन्न विवाह स्त्री और उसका पूर्व पति शपथ-पत्र या किसी अन्य लिखित घोषणा द्वारा ऐसे प्रारूप में, जो विहित किया जाए, या तो संयुक्त रूप से या पृथकत: यह घोषित करते हैं कि वे दंड
1974 क2	प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 से धारा 128 के उपबन्धों द्वारा शामिल होना चाहते हैं और वे आवेदन की सुनवाई करने वाले न्यायालय

में ऐसा शपथपत्र या घोषणा फाईल करते हैं, तो मजिस्ट्रेट ऐसे आवेदन को तदनुसार निपटाएगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए, "आवेदन की पहली सुनवाई की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जो आवेदन के प्रत्यार्थी की हाजिरी के लिए समन में नियत की गई।"

(212)

(श्री ए० के० सेन)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 क (नया) विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 4क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5—(नियम बनाने की शक्ति)

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 4, पंक्ति 2 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाये :

"(2) विशिष्टतया और पूर्णगामी शक्ति पर प्रतिकल प्रभाव डाले बिना, नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा :

(क) धारा 4क के अधीन फाइल किए जाने वाले शपथपत्र या अन्य लिखित घोषणा का प्ररूप :

(ख) इस अधिनियम के अधीन आवेदनों का निपटारा करने में मजिस्ट्रेट द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया जिसके अन्तर्गत ऐसे आवेदनों के पक्षकारों को सूचना की तामील ऐसे आवेदनों की तारीखें और अन्य विषय है।

(ग) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए।" (213)

पृष्ठ 4, पंक्ति "(2)" के स्थान पर "(3)" रखें। (214)

(श्री ए० के० सेन)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 5, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 6 (नया)

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं प्रस्ताव करता हूँ ।

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 13,—**के पश्चात** निम्नलिखित **अन्त: स्थापित किया जाए,**

"6. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 की कोई भी बात विछिन्न विवाह स्त्री पर लागू नहीं होगी ।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्धों के अन्तर्गत किसी विच्छिन्न विवाह स्त्री के भरण-पोषण संबंधीं प्रश्न के बारे में किसी आवेदन, अपील अथवा कार्यवाही, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व निलम्बित हो, का निपटारा तथा निर्णय इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा ।

(3) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्धों के अधीन विच्छिन्न विवाह स्त्री के संबंध में दिए गये सभी आदेश, निर्णय अथवा डिक्रियां इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से निष्प्रभावी हो जायेंगी ।"

(35)

सैयद शहाबुद्दीन : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

पृष्ठ,—

पंक्ति 13.—**के पश्चात** निम्नलिखित अन्त: **स्थापित किया जाए** :

निरसन और व्यावृत्ति "6. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 की, कोई भी बात विच्छिन्न विवाह स्त्री पर लागू नहीं होगी ।

(2) पहली सुनवाई पर विच्छिन्न विवाह स्त्री और उसका पूर्व पति, एक संयुक्त शपथ पत्र द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन विकल्प ले सकते हैं ;

(3) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्धों के अन्तर्गत किसी विच्छिन्न विवाह स्त्री के भरण-पोषण संबंधी प्रश्न के बारे में किसी अपील, आवेदन अथवा कार्यवाही, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख को निलम्बित हो, का **निपटारा सुनवाई अथवा निर्णय** इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किया जायेगा ; और

(4) दंड प्रक्रिया संहिता, 1873 की धारा 125 के अधीन विच्छिन्न विवाह स्त्री के भरण पोषण के सम्बन्ध में दिया गया आदेश, निर्णय अथवा डिक्री इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से निष्प्रभावी हो जायेगी ।" (130)

श्री हम्माद मोल्लाह : मैं प्रस्ताव करता हूं।

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 13 के पश्चात निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाए :

"6. इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों में अथवा इस समय लागू किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम की कोई बात उस व्यक्ति द्वारा उच्चारित तलाक पर लागू नहीं होगी, जो भारत का नागरिक नहीं है।" (138)

श्री ए० के० सेन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4,

पंक्ति 13, के पश्चात निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाए :

अंतिम उपबन्ध :

"6. विच्छिन्न विवाह स्त्री द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के अधीन या धारा 127 के अधीन प्रत्येक आवेदन, जो इस अधिनियम के प्रारंभ पर किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित है, उक्त संहिता में किसी बात के होते हुए भी और इस अधिनियम की धारा 4क के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निपटाया जाएगा।" (215)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 4, पंक्ति 13 के पश्चात निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाए :

अंतिम उपबंध :

"6. विच्छिन्न विवाह स्त्री द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के अधीन या धारा 127 के अधीन प्रत्येक आवेदन, जो इस अधिनियम के प्रारंभ पर किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित है, उक्त संहिता में किसी बात के होते हुए भी और इस अधिनियम की धारा 4क के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निपटाया जायेगा।" (215)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

02·00 म० पू०

अध्यक्ष महोदय : शेष संशोधन को मैं समझता हूं, मैं उन्हें एक साथ रख सकता हूं।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या 35, 130 तथा 138 का मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 (नया) विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 6 (नया) विधेयक में जोड़ा गया।

खण्ड—1 (संक्षिप्त नाम और विस्तार)

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं प्रस्ताव करता हूं।

पृष्ठ 1,—

पंक्ति 5 के पश्चात निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाए।

अर्थात् :—

"(3) यह तुरन्त लागू होगा।"

श्री हम्माद मोल्लाह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1,

पंक्ति 5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"(2) इसका विस्तार, जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाए, ऐसे राज्यों पर है, जहां राज्य की विधान सभा ऐसे विस्तार को दो—तिहाई बहुमत से स्वीकार करती है।" (133)

श्री विजय कुमार यादव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1,

पंक्ति 5 के पश्चात निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाए।

"(3) यह एक अप्रैल, 1987 को लागू होगा।" (139)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं सभी संशोधनों को मतदान के लिए एक साथ रखता हूं।

संशोधन संख्या 14, 133 और 139 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव किया गया।

खण्ड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियम सूत्र

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधिनियम न सूत्र विधेयक में जोड़ दिया गया ।

विधेयक का नाम

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि विधेयक के वृहत नाम के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए ।

अर्थात् :—

"मुस्लिय स्वीय विधि (शरीयत) के अन्तर्गत विच्छिन विवाह स्त्रियों के अधिकारों को स्पष्ट करने तथा उनके अधिकारों को प्रवर्तित कराने और उससे सम्बद्ध और उसके अनुषंगी विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक" (13)

कि वृहत् नाम में,—

"स्त्रियों के" **के पश्चात्** "मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) के अन्तर्गत" **अन्तः स्थापित किया जाए ।** (13)

श्री शाहबुद्दीन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

श्री सैयद शाहबुद्दीन :

कि वृहत् नाम में,—

"उन" से पूर्व "**शरीयत के अधीन**"

"**अन्तः स्थापित किया जाये ।** (103)

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री बनातवाला तथा श्री शहाबुद्दीन द्वारा रखे गए संशोधनों को मतदान के लिए रखूंगा ।

संशोधन संख्या 12, 13, तथा 103 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है :

"कि विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

श्री ए० के० सेन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

अब श्री, सोमनाथ चटर्जी बोलें।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, यह बड़े दुःख का दिन है·····(व्यवधान)। इस संसद में जबकि हमने संविधान के धर्म-निरपेक्ष गुण के बारे में चर्चा के दौरान इतना ज्यादा सुना है, इस देश तथा संविधान के धर्म-निरपेक्ष गुण को बनाए रखने के लिए सरकार के तथा कथित प्रयासों बावजूद एक ऐसा विधेयक पारित किया जा रहा है जो धर्म के नाम पर महिलाओं पर किए जाने वाले अत्याचार को जारी रखेगा। हमें सिद्धांत के आधार पर इस विधेयक का विरोध कर रहे है। हमने यह महसूस किया है और किसी भी व्यक्ति ने इस अति महत्वपूर्ण तथ्य से इन्कार नहीं किया गया है, दूसरी तरफ से बोल अनेक वक्ताओं से भी किसी सदस्य ने यह बात नहीं कही है कि इन महिलाओं को तथा उन अधिकांश मुस्लिम माहेलाओं को जो तलाकशुदा हैं, जीवन निर्वाह और भरण-पोषण की आवश्यकता नहीं है। उन्हें यह देना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि उनमें से अधिकांश निर्धन हैं। वे अपना भरण-पोषण नहीं कर सकती हैं।

महोदय उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया है.....

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : और हमारे लिए ये सब परेशानी पैदा कर दी।

श्री सोभनाथ चटर्जी : मैं जानती हूं कि जब निर्णय उनके अनुकूल होता है तो वे उच्चतम न्यायालय की प्रशंसा करते हैं और जब निर्णय उनके नियित राजनीतिक उद्देश्य के अनुकूल नहीं होता है, वे उस न्यायालय का तिरस्कार करते हैं।

महोदय, मैं माननीय विधि मंत्री महोदय से एक बात जानना चाहूंगा। उनके कानूनी पाण्डित्य के बारे में किसी भी व्यक्ति कोई सन्देह नहीं है। मैं जानना हूं कि वे एक ऐसे गुट में हैं जहां वे इतनी आजादी से नहीं बोल सके जितना कि वह बोलना चाहते थे।

महोदय, उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि मुस्लिम स्वीय विधि क्या है। यदि यह प्रश्न पुनः उठता है, यह इस देश में अन्तिम न्यायालय है। श्री बनातवाला की व्याख्या अथवा श्री सुलेमान सेठ की व्याख्या इस देश का कानून नहीं होगा। फिर केवल उच्चतम न्यायालय ही अंतिम तथा प्रमाणिक घोषणा कर सकता है कि इस समय मुस्लिम स्वीय विधि क्या है। उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा था? इसने कहा था :

"मुस्लिम स्वीय विधि के उपबन्ध ऐसे मामलों का अनुमोदन नहीं कर सकते हैं जिनमें पत्नि तलाक के बाद अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है।"

अतएव, इसमें कोई मतभेद नहीं है, मतभेद आपके द्वारा रूढ़िवादी तथा दकियानूसी ताकतों के समक्ष आत्म-समर्पण के रवैये ने पैदा किया है। इस बारे में कोई सन्देह नहीं है। कानून के बारे

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

में इस देश के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जहां तक एक तलाकशुदा पत्नि, जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, कि भरण-पोषण का सम्बन्ध है मुस्लिम स्वीय विधि तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के बीच कोई मतभेद नहीं है। अब आप सन्देह करते हैं, आप उच्चतम न्यायालय पर सभी प्रकार के अभियोग लगाते हैं, आप बेंच के गठन को लेकर मुसलमानों के बीच उच्चतम न्यायालय के बारे में भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि मैंने आज यह सुना, यहां तक कि उस तरफ से किसी व्यक्ति ने मुसलम न न्यायाधीश अथवा विशेष पीठ का उल्लेख किया है जिसने मामले बड़ी पीठ को सौंपा जिसमें कोई मुसलमान न्यायधीश नहीं था, और उसने मामले पर निर्णय दिया। इस प्रकार आप देश को बांट रहे हैं। महोदय, इस कानून से·····(व्यवधान)

कहोदय, इस विधेयक के बारे में मैं चेतावनी देता हूं कि यह विधेयक हमारे राष्ट्रीय साम्प्रदायित्व गठन को छिन्न-भिन्न कर देगा। आप कुछ भी करने का प्रयास करें आप आत्मसमर्पण करके और तुष्टिकरण की नीति से साम्प्रदायित्व और रूढ़िवादी ताकतों से नहीं निपट सकते और आज आप यही शर्मनाक कार्य कर रहे हैं और हम इसका अन्तिम क्षण तक विरोध करते रहेंगे, और महोदय·····

(व्यवधान)

हमें जिस बात का डर है वह है मुस्लिम रूढ़िवादी ताकतों के सामने आत्मसमर्पण करना और उनके साथ समझौता करना। इससे इसीप्रकार की दूसरी बात पैदा हो जाएगी अर्थात् इससे इस देश में हिन्दू रूढ़िवादियों को भी मौका मिल जाएगा। राम जन्म भूमि के नाम पर जो हो रहा है वह इसी प्रकार की प्रतिक्रिया है। वह इस प्रकार के खेल की प्रतिक्रिया है। आज विभिन्न समुदायों के बीच झगड़ा-फसाद शुरू हो गए हैं। हम चाहते हैं कि देश से इन विघटनकारी ताकतों का सफाया किया जाए। हम प्रतिदिन अलगाववादी के विरुद्ध बोल रहे हैं। हम इस देश में विघटनकारी ताकतों के विरुद्ध बोल रहे हैं। और इस प्रकार आप मुस्लिम स्वीय विधि के बारे में अपनी व्याख्या कर रहे हैं तथा आप इस बारे में उच्चतम न्यायालय के प्राकृतिक निर्णय की पूरी तरह से अवहेलना कर रहे हैं। आप इस प्रकार का विधान लाते हैं। आपके प्रेरक कौन है ? आप मुस्लिम लोग के हमारे मित्रों से प्रेरित हैं। हमें बताया गया है कि आपको कुछ उलेमाओं ने प्रेरित किया है। आपने किससे परामर्श किया था ? अब हमें बताया गया है कि 90% मुसलमान इस विधेयक के पक्ष में हैं। किसी ने कहा है कि 99% मुसलमान इस विधेयक के पक्ष में हैं। परन्तु हमारे मित्र श्री सैफुद्दीन चौधरी द्वारा दिया गया जनमत संग्रह का प्रस्ताव स्वीकार करने का साहस आप में नहीं है। आपने इस प्रतिशत का पता कैसे लगाया ? क्या अपने कम्प्यूटरों से इन आकड़ों का पता लगाया है ? क्या यह कम्प्यूटर द्वारा किया गया आकलन है ? आप इस देश को विभाजन के कगार पर ले जा रहे हैं। आज वह परिणाम है। इसलिए इस देश में आर्थिक कठिनाई और घोर गरीबी के अतिरिक्त हमारे सामने सबसे बड़ा खतरा विघटनकारी, साम्प्रदायिक और अलगाववादी ताकतों

का उभरना है। इसलिए हम इस विधेयक का विरोध करते हैं। क्योंकि इस देश में एक बहुत बड़े वर्ग को, हमारी मुस्लिम बहनों को मुस्लिम महिलाओं को जिन्हें भरण-पोषण की, सहायता की आवश्यकता है, को मूलभूत अधिकार से वंचित कर दिया गया है। और जो व्यक्ति अपनी पत्नियों के भरण-पोषण के लिए जिम्मेदार है, वे ही उन्हें बिना किसी कारण के तलाक दे रहे हैं। यहां तक कि उन्हें यह स्पष्टीकरण भी नहीं देना होता कि वे अपनी पत्नियों को क्यों तलाक दे रहे हैं। ये महिलाएं बेघर हो जाएंगी। इनके भरण-पोषण का कोई प्रावधान नहीं है। जो व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है उससे खर्चा नहीं दिलाया जाता और उन्हें उन अनेकों रिश्तेदारों के यहां भटकना पड़ता है जिनके पास खर्चा देने का कोई स:धन नहीं है। वक्फ बोर्ड के इन मामलों को सुलझाने के लिए कहा गया है। यह एक प्रतिगामी विधेयक है और मैं पुन: यह अपील करता हूं कि कृपया इस देश को साम्प्रदायिक आधार पर मत बांटिए।

श्री हन्नान मोल्लाह : वे दूसरे पाकिस्तान की आधारशिला रख रहे है। (व्यवधान)

डा० एस० जगतरक्षकन (चेंगलपट्ट) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में पेश किए गए मुस्लिम स्त्री (विवाह-विच्छेद अधिकार संरक्षण) विधेयक का समर्थन करता हूं।

मेरा दल, अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक दल संबन्धित धर्मों के अन्तर्गत महिलाओं की समानता और उनके अधिकारों के संरक्षण की पक्ष हैं। शाहबानों मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण इस विधेयक की आवश्यकता पड़ी। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतन्त्रता की गारंटी देता है। इसलिए इसका तात्पर्य है कि सम्बन्धि नागरिक सभी धार्मिक गतिविधियों का सम्मान करेंगे तथा व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षक होने के नाते राज्य का यह कर्तव्य है कि वह उनके धार्मिक अधिकारों की रक्षा करे। अल्पसंख्यकों के मामले में यह कर्तव्य विशेषतौर पर और बढ़ जाता हैं ताकि उनमें यह भावना पैदा न हो कि उनके अधिकारों को किसी अन्य समुदाय द्वारा छीना जा रहा है। ऐसी स्थिति में राज्य की भूमिका होती है। मेरा यह विचार है कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के बारे में असुरक्षा की भावना, केवल उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण ही पैदा हुई है तथा वर्तमान विधान मुस्लिम समुदाय को इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए एक कदम है कि उनके अधिकारों का संरक्षण और नियमन उनकी अपनी धार्मिक प्रथानों के अनुसार ही होगा। राज्य की भूमिका यही है। फिर स्वयं मुस्लिम समुदाय और मुस्लिम महिलाओं को ही अपने अधिकारों और धार्मिक प्रथाओं की रक्षा करनी चूंकि हमारा दल एक लोकतांत्रिक दल है इसलिए हमने यह निर्णय किया है कि स्वयं मुस्लिम स्वीय विधि और शरीयत के अन्तर्गत अपने धार्मिक विश्वासों की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए हम इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं।

प्रधान मंत्री ने इस विधेयक को पेश करके एक साहसिक कदम उठाया है।

हम इस विधेयक का हार्दिक समर्थन करते हैं।

श्री दिनेश गोस्वामी (गुहावटी) : महोदय, यदि हमने आज इस विधेयक का विरोध करने का निर्णय किया है, तो वह बहुत सोच समझकर किया है, क्योंकि हम यह अनुभव करते हैं कि यह विधेयक न केवल अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के विरूद्ध है परन्तु अल्पसंख्यक महिलाओं के विरुद्ध भी है और हम इसका इसलिए भी विरोध करते हैं क्योंकि हमने सदा कहा है कि इस देश में महिलाएं सबसे अधिक उत्पीड़ित है । कल नई शिक्षा नीति पर चर्चा होगी और मैंने देखा है कि नई शिक्षा नीति के पैरा 4.2 में कहा गया है कि "महिलाओं के स्तर में मूलभूत परिवर्तन करने के लिए शिक्षा का एक साधन के रूप में उपयोग किया जाएगा।"

क्या मैं श्री नरसिंह राव की सुविधा के लिए यह पैरा पढ़ सकता हूं ?

"विगत की विकृतियों को दूर करने के लिए महिलाओं के नाम के लिए एक सुक्विचारित प्रयास किया जाएगा । महिलाओं को शक्ति प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली एक सकारात्मक हस्तक्षेप की भूमिका निभायेगी ।"

और जब हम व्यवहार में इस नई शिक्षा नीति पर चर्चा करते हैं तो पाते हैं कि सरकार ने एक बिल्कुल प्रतिगामी कानून बनाकर विगत की विसंगतियों को दूर करने की बात से पल्ला झाड़ लिया है ।

मैं विधि मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा । विधि मंत्री ने कहा है कि यह विधेयक मुस्लिम स्वीय विधि का प्रतिरूप है । प्रारम्भ में जब आपने यह विधेयक पेश किया था तो उसमें यह कहा गया था कि तलाकशुदा महिला को अभिभावकों द्वारा अथवा जिन्हें उत्तराधिकार में सम्पत्ति प्राप्त होती है उनके द्वारा अथवा बच्चों द्वारा खर्चा दिया जाएगा। कल, आपकी यह परिकल्पना थी। परन्तु अचानक, चर्चा के दौरान इस मामले पर विचार किया गया और कुछ परिवर्तन किए गए और आपने चार संशोधन पेश कर दिए। हमने ऐसा पहली बार देखा है कि किसी विधेयक पर, मंत्री परिषद के 6-7 सदस्यों ने जल्दबाजी में चर्चा की जिन्हें यह नहीं पता कि क्या करना है। (व्यवधान)। ...

मुसलमानों की भावनाओं के छूने वाला विधेयक पेश किया गया है और यह कहा गया है कि भविष्य में वे पूरे मामले पर विचार करते रहेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो संशोधन किए जाएंगे ।

आपके संशोधन संख्या 216 के अनुसार मजिस्ट्रेट बच्चों को तलाकशुदा महिला को गुजारा भत्ता देने के आदेश देगा और इस उपबन्ध के अन्तर्गत अभिभावकों को खर्चा देने की जिम्मेदारी से छूट दे दी गई है ।

मैं एक अनभिज्ञ व्यक्ति हूं जिसे मुस्लिम स्वीय विधि के बारे में कोई जानकारी नहीं है । परन्तु कौन सी मुस्लिम स्वीय विधि में यह प्रावधान है कि बच्चे और अभिभावक तलाकशुदा महिला का भरण-पोषण करेंगे ? मुस्लिम स्वीय विधि की यह एक नई परिकल्पना देखने में आई है ।

मैं विधि मंत्री से पूछता हूँ कि क्या उन्हें यह पता है कि वे मुस्लिम महिलाओं को कहाँ ले जाकर डाल रहे हैं ? आज एक मुस्लिम महिला एक तलाकशुदा महिला अपने पति की सहानुभूति और समर्थन गंवा देगी। (व्यवधान) और फिर उसे अपने बच्चों से एक तलाकशुदा महिला, जो अपने पति की सहानुभूति और समर्थन खो देती है, भरण-पोषण के लिए पुन: अपने परिवार के पास आती है तथा इस संशोधन से सरकार ने उससे उसकी रोटी छीन रही है और वह किसी का पारिवारिक जीवन नष्ट कर रही है और इसीलिए हम इस विधेयक का विरोध करने के लिए मजबूर हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बशीरहाट) : इस वाद-विवाद में भाग लेने वाले विपक्ष के कुछ सदस्यों में भी साम्यवाद विरोधी इस प्रकार के ओहो प्रचार में शामिल होने से अपने आपको नहीं रोक पाए और उन्होंने धर्म तथा स्वीय विधि के प्रश्न का प्रचार के लिए इस्तेमाल किया।

जब हमने इस विधेयक का इसकी पुर:स्थापना के समय विरोध किया था, इस समय मैंने स्पष्ट की थी कि हम इस बात में विश्वास नहीं करते कि समान सिविल संहिता जबरदस्ती लागू करना सम्भव है अथवा किसी समुदाय चाहे वह मुस्लिम समुदाय हो या कोई अन्य की स्वीय विधि में किसी प्रकार का परिवर्तन करना सम्भव है विशेषकर ऐसे देश में जैसाकि हमारा है। मैंने इसे पूर्णत: स्पष्ट किया है और हम समुदाय के भीतर से ही आने वाले सुधारों में विश्वास करते हैं। अत: यह सुझाव देना पूर्णत: गलत तथा शरारतपूर्ण है कि हम ऐसा कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे मुस्लिम स्वीय विधि में हस्तक्षेप होता है। हम इस देश के सभी समुदाओं का बड़ा आदर करते है। इस देश का स्वरूप ही ऐसा है। आप इसे इतनी जल्दी नहीं बदल सकते। किन्तु मेरा यह कहना है कि हमारे यहां एक मुस्लिम स्वीय विधि ऐसी है जो सैंकड़ों वर्षों तक लागू रही और हमारे यहां धारा 125 है जो पिछले 13 वर्षों से लागू है। किन्तु उच्चतम न्यायालय के फैसले के कारण कौन सी नई बात आ गई है ? क्या मैं जान सकता हूं ? उच्चतम न्यायालय का फैसला स्वीय विधि का उल्लंघन कैसे करता है, केवल इसलिए उल्लंघन करता है कि उच्चतम न्यायालय ने कुछ टिप्पणियां की हैं ? आप इस टिप्पणी पर खेद व्यक्ति कर सकते हैं। इस मामले पर मैं आपकी भावनाएं समझ सकता हूं। उच्चतम न्यायालय ने एक टिप्पणी की है जो उसे मुस्लिम समुदाय में महिलाओं की स्थिति के बारे में नहीं करनी चाहिए थी। उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की है कि यह खेद की बात है कि संविधान के अनुच्छेद 44 का पालन करने की दिशा में पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए हैं। न्यायालय ने ये टिप्पणियां की हैं। किन्तु वे दिया गया शाहबानों के मामले में हुए फैसले के क्रियात्मक भाग है। किन्तु क्योंकि ये टिप्पणियां की गई है इसलिए इतना हो हल्ला किया गया कि हमारी स्वीय विधि को नष्ट किया जा रहा है इसलिए तत्काल कुछ किया जाना चाहिए। यह बात मेरी समझ में नहीं आती। इसके अलावा, हमने इस विधेयक का इसलिए भी विरोध किया है क्योंकि यह संविधान के बहुत से मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। कोई व्यक्ति ऐसे विधेयक का कैसे समर्थन कर सकता है।

पहली बात तो यह है कि मंत्री जी ने सभा को एक बार भी यह नहीं बताया है कि तलाक

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

हर प्रकार के होते हैं। यह विधेयक किस तलाक के बारे में है ? मैं यह सब जानना चाहता हूं। यहां ऐसे बहुत से विद्वान मुस्लिम सदस्य इस बारे में बोले हैं। एक तलाक उलविदत के नाम से जाना जाता है जिसके अन्तर्गत तीन बार तलाक-तलाक-तलाक पुकारा जाता है। यह तलाक महिला की अनुपस्थित में भी दिया जा सकता है और इस तलाक का शिया समुदाय विरोध करता है। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या वे मुसलमान हैं या नहीं ? इसके बाद तलाक 'अहसान' भी है जिसमें केवल एक बार तलाक शब्द का उच्चारण करना पड़ता है। इसमें पत्नी को इद्दत की अवधि के दौरान पति के साथ रहना पड़ता है। इस अवधि को ऐसी अवधि माना जाता है जिसमें मेल मिलाप सम्भव है और मेल मिलाप हो सकता है। एक तलाक 'मोहब्बत' है जो आपसी सहमति से होता है। एक तलाक खुल्ला है, ऐसा तलाक हैं जो महिला के अनुरोध पर दिया जा सकता है। एक तलाक फसक है, जिसका आदेश न्यायालय द्वारा किन्हीं विशेष कारणों के आधार पर दिया जाता है। इसके बाद एक तलाक का नाम तफुवं है जिसमें पति तलाक के अपने अधिकार अपनी पत्नी को दे देता है। प्रत्येक मामले के बिभिन्न परिस्थितियों के अन्तर्गत कई किस्म के तलाक आते है। किन्तु इस विधेयक में किस तलाक का उल्लेख किया गया है। मंत्री महोदय ने इसमें एक भी तलाक का उल्लेख नहीं किया है। इस बिधेयक का क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता। अंसारी जी, अब इस प्रश्न पर कुछ कहने के लिए मंत्री जी को उकसाने का कोई फायदा नहीं है।

मेरा यह कहना है कि उन्होंने ये संशोधन भी इस अंतिम क्षण में पेश किये हैं जिसमें से एक संशोधन का मैंने पहले उल्लेख किया है। जस्टिस श्री कृष्णा अय्यर ने यह टिप्पणी की है कि महिला के लिए धारा 125 का फायदा उठाने का विकल्प चुनने से पहले पति की स्वीकृति लेने की शर्त लगाना एक खतरनाक शर्त है। दोनों को साथ-साथ जादा पड़ता है। अब धारा 216 में यह कहा गया है कि बच्चों को निर्वाह राशि देनी होगी। जो पहला बच्चा होगा, उसे वह निर्वाह राशि देनी होगी। यदि वे निर्वाह राशि नहीं दे सकते, तो इसके बाद माता-पिता की जिम्मेदारी होगी अन्यथा नहीं। उन्होंने इसे स्पष्ट नहीं किया। क्या आप धारा 216 का अर्थ स्पष्ट करेंगे ?

अंत में, मैं एक बात कहूंगा कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने कुछ दिन पहले हमें पक्षी दलों के प्रतिनिधियों को यह बताया था कि सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय के दिलों में कुछ भावनाएं उठीं हैं चाहे वे सही हैं या गलत हैं, और उनमें से 90 या 95 प्रतिशत यह महसूस करते हैं कि उनका धर्म संकट में है और इसके लिए हमें अवश्य कुछ करना चाहिए।

महोदय ठीक है। इसलिए, मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने प्रतिशत मुसलमानों— मेरे विचार से 99 प्रतिशत मुसलमानों की भावनाएं बाबरी मस्जिद के बारे में उभरी हैं। क्या वे बाबरी मस्जिद के बारे में उत्तेजित नहीं हुए हैं ? उसके बाद क्या हो रहा है ? आपको मालूम नहीं है, मुझे पता है कि क्या हो रहा है। यहां तक कि मेरे राज्य में भी, जहां ऐसी बातें नहीं होती हैं, हो रही है। मुझे पता चला है कि इस बाबरी मस्जिद के बारे में मुसलमानों पर प्रभाव डाला जा रहा है। यदि आप उनकी भावनाओं के बारे में इतने चिंतित हैं, तो आपने उनके लिए क्या किया है ?

हमने सुझाव दिया था कि सरकार उस पूरे स्थान का अधिग्रहण कर ले और उसे एक राष्ट्रीय स्मारक बना दे – न तो यह बाबरी मस्जिद रहे और न ही राम जन्म भूमि। यह एक राष्ट्रीय स्मारक बन जाना चाहिए। इस सुझाव की आपने कोई परवाह नहीं की। आपने वहां इस तरह बातें घटित होने दीं। इसके बहुत गंभीर परिणाम निकलेंगे। मुस्लिम भावनाओं के नाम पर यह विधेयक लाया गया है। यह बिल्कुल अनावश्यक है और पुरावशेष है। वास्तव में इससे कुछ होने-जाने वाला नहीं है।

(व्यवधान)

महोदय, आप सदस्यों को केवल अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में ही बोलते चले जाने की अनुमति मत दीजिए। समुदाय में केवल पुरुष ही नहीं होते हैं। इसमें महिलाएं भी होती हैं। पुरुष और महिला दोनों मिलकर समुदाय बनाते हैं। इसलिए हमारी आपत्ति यह है कि इस विधेयक में महिलाओं के लिए क्या प्रस्ताव किया गया है जो पहले ही समुदाय में दबी हुई और उत्पीड़ित हैं। उनकी स्थिति और भी बदतर बनाई जा रही है, उसमें बिल्कुल भी कोई सुधार नहीं होगा। बेचारी महिला से यह अपेक्षा की गई है कि वह न्यायालयों और वक्फ बोर्डों के चक्कर काटे। उनकी किसको चिन्ता है? इससे केवल कुछ वकीलों को ही आमदनी होगी। यही होगा। महिलाएं अन्त में दीनहीन होंगी और उन्हें सड़कों पर फेंक दिया जाएगा। इसीलिए, हम इस विधेयक का विरोध करते हैं।

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम) : महोदय, आज का दिन हमारे देश के विधायी इतिहास में सबसे काला दिन है। इस सम्मानित सदन के सामने पेश किया गया यह अब तक का सबसे अधिक प्रतिक्रिया विधान है। मुझे यह कहने का दुःख है कि हमारे प्रधान मंत्री ने जिनसे हमारे देश को 21वीं शताब्दी में पहुंचाने की आशा है, रूढ़िवादियों की धमकियों के सामने घुटने टेक दिए हैं। यह इतिहास की एक दुखद विडम्बना है कि यह हानिकर विधेयक उस व्यक्ति के नेतृत्व में पारित किया जा रहा है, जो उन पंडित जवाहरलाल नेहरू का पोता है जिन्होंने रूढ़िवादियों और सवर्ण हिन्दुओं द्वारा दी गई हर प्रकार की धमकियों के बावजूद बड़ी बहादुरी के साथ हिन्दू कोड बिल पारित कराया।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : तत्कालीन राष्ट्रपति भी इसमें शामिल थे।

श्री सुरेश कुरुप : जी हां, इस देश के तत्कालीन राष्ट्रपति भी इसमें शामिल थे।

प्रो० मधु दंडवते : उनका नाम मत लीजिए।

श्री सुरेश कुरुप : उस समय सवर्ण हिन्दुओं ने पूरे भारत में कुछ प्रदर्शन किए थे। आपको शायद इसकी जानकारी नहीं है। यह विधेयक तलाक देने वाले का सम्मान बढ़ाता है और तलाक देने के कार्य को न्यायोचित ठहराता है, यह विधेयक मुस्लिम महिलाओं को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत भरण-पोषण के लिए आवेदन करने से वंचित करता है जबकि अन्य सभी समुदायों की महिलाएं यह विकल्प चुन सकती हैं।

]श्री सुरेश कुरूप]

इस विधेयक को तो "तलाक विधेयक में मुस्लिम पुरुषों का संरक्षण" कहा जाना चाहिए और न कि "मुस्लिम स्त्री (तलाक विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) विधेयक।" यह एक अनूठा विधान है क्योंकि विश्व में कहीं भी कहीं हो, यहां तक कि तथाकथित मुस्लिम देशों में भी ऐसा कानून नहीं है जिसके द्वारा तलाकशुदा महिलाओं के भरण पोषण की जिम्मेदारी समुदाय अथवा अंतत: सरकार पर डाली जाती है। मैं इस विधेयक की वकालत करने वालों से अनुरोध करता हूं कि वे पवित्र कुरान अथवा आज तक की परम्पराओं में से ऐसा एक भी उदाहरण बता दें। इस विधेयक से एक विशेष समुदाय के पुरुषों को स्वतन्त्र रूप से कितनी ही भी महिलाओं के साथ सम्बन्ध स्थापित करने तथा कोई जिम्मेदारी लिए बिना अपनी इच्छा से उन्हें त्यागने का लाइसेंस मिल जाएगा। इससे परिवारों के अन्दर विवाद पनपेगा जिससे महिलाओं को नुकसान होगा। यदि दंड प्रक्रिया संहिता का उद्देश्य आवारागर्दी और अभावग्रस्तता को रोकना है, तो यह विधेयक मुस्लिम महिलाओं के लिए आवारागर्दी और अभावग्रस्तता का प्रावधान करता है।

श्री सी० के० जाफर शरीफ (बंगलौर उत्तर) : महोदय, क्या इस प्रकार की बातें करना अच्छा लगता है ?

अध्यक्ष महोदय : इसमें असंसदीय कुछ भी नहीं है।

श्री सुरेश कुरूप : इस विधेयक से मुस्लिम महिलाओं को निश्चित रूप से अत्यधिक हानि होगी और वे अत्यधिक परेशानी और गरीबी के दलदल में फंस जाएगी (व्यवधान) जो कि अत्यन्त दयनीय स्थिति होगी।

इस विधेयक से हमारे देश की दंड विधि में मुस्लिम और गैर मुस्लिम की धारणा पैदा होती है। यदि हमारे देश में प्रत्येक समुदाय इस प्रकार मांग करता है तो हमारे देश की क्या दशा होगी ? हमारे प्रधान मंत्री ने हमें आश्वासन दिया कि वह हमारे देश को 21वीं सदी में ले जाएंगे। लेकिन अब वह देश को छठी सदी की ओर ले जा रहे हैं। उन्होंने विकासशील उपायों का आश्वासन दिया है लेकिन मुझे खेद है कि अब वह रूढ़िवादियों के आगे झुक रहे हैं। वह आधुनिकीकरण की बात करते हैं। अब वह पुरातनपंथियों के आगे घुटने टेक रहे हैं।

महोदय, एक बार फिर मैं उन सबसे अनुरोध करता हूं जो इस विधेयक से संबंधित हैं कि यह विधेयक हमारे देश को जलीय सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करेगा इसलिए यहां उपस्थित सभी से मेरा निवेदन है कि वह अपने विवेक से मत दें।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। मैं सम्पूर्ण देश के मुसलमानों की भावनाओं, विचारों, उमंगों, आकांक्षाओं और मांगों को समझने और उनके प्रति अनुकूल रुख के लिए सरकार का हृदय से कृतज्ञ हूं और धन्यवाद करता हूं।

हम सरकार के आभारी हैं और मैं विश्वासपूर्वक चाहता हूं कि यह विधेयक भविष्य में धर्म-

निरपेक्षता संबंधी विचारों में जीवन्तता और शक्ति प्रदान करेगा जो कि भारत के संविधान द्वारा कायम किए गए हैं।

23 अप्रैल, 1985 को उच्चतम न्यायालय ने शाहबानों के मामले में निर्णय दिया था। निर्णय के बाद सत्रह दिनों के भीतर ही मैंने आवश्यक संशोधन लाने की दृष्टि से एक गैर सरकारी विधेयक रखा था ताकि उस निर्णय के कारण कोई हस्तक्षेप न हो।

अब, यहां सरकारी विधेयक रखा गया है। मैं विशेष रूप से अपनी ओर से और सब की ओर से सरकार का धन्यवाद करने के लिए सदन में खड़ा हुआ हूं। एक, दो बातें स्पष्टकरण आवश्यक है। यहां लोगों ने रूढ़िवाद, देश की एकता और अखण्डता के लिए खतरे के बारे में बात की है। उन्होंने विघटनकारी शक्तियों के बारे में बात की है। वह समझते हैं कि यह विधेयक भविष्य में इन शक्तियों को बढ़ावा देगा। मैं कहना चाहता हूं कि वे स्वयं उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं।

मुझे इस बात को पूर्णतया स्पष्ट कर देना चाहिए कि यह विधेयक····· ये बातें जो उन्होंने कही हैं वह मात्र विकृत विभाग का भ्रम है। उन्होंने लेनिन को भी भुला दिया है। लेनिन ने यही तो कहा है। हमें यही बात तो देखनी है। यदि हम रूढ़िवादी हैं तो लेनिन ने काफी पहले रूढ़िवाद स्वीकार कर लिया था।

मैं खुद असगर अली इंजीनियर द्वारा लिखी गई एक पुस्तक से पढ़ता हूं। उन्होंने कहा है :

"अक्तूबर क्रान्ति के तुरन्त बाद 20 नवम्बर, 1917 को लेनिन के नेतृत्व में प्रथम सोवियत सरकार ने रूस और पूर्व की मुस्लिम कामगार जनता के नाम एक अपील प्रकाशित की थी। मुस्लिम कामगार जनता को जिनकी मस्जिदों तथा प्रार्थना घरों को ध्वंस्त कर दिया गया था, उनके धर्मों तथा रीति-रिवाजों को पैरों के नीचे रौंद दिया गया था, को सम्बोधित करते हुए सरकार ने सत्यनिष्ठा से यह घोषणा की थी :

अब इसके पश्चात से आपके धर्मों तथा रीति-रिवाजों आपके राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक संस्थानों को मुक्त तथा अनुल्लंघनीय घोषित किया जाता है। अपने राष्ट्रीय जीवन को मुक्त तथा बाधारहित ढंग से बनाएं। तुम्हें उसका अधिकार है।"

लेकिन आज वे खुद धर्म निरपेक्षता के नाम पर धर्म-निरपेक्षता से दूर भागना चाहते हैं।

महोदय, वे जनमत संग्रह की बात कर रहे हैं। उन्हें यह जानना चाहिए कि शेरियात उपयोजन अधिनियम, 1937 जनता की राय जानने के बाद वर्ष 1937 में लागू किया गया था। यह बात रिकार्ड रखने की है।

अध्यक्ष महोदय : बस अपना भाषण यहीं समाप्त करें। अब श्री सेन बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री ए० के० सेन : अध्यक्ष महोदय, हमें पहले ही काफी विलम्ब हो गया है। हमने पर्याप्त श्रम किया है। अन्तिम बौछारें श्री सोमनाथ चटर्जी, श्री दिनेश गोस्वामी, श्री इन्द्रजीत गुप्त तथा अन्त में, लेकिन अत्यल्प नहीं, श्री बनातवाला ने की हैं। श्री चटर्जी ने यह कहकर कि हम अब सम्प्रदायवाद की ओर बढ़ रहे है, एक बहुत ही सही तस्वीर खींची है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी भी निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कोई व्यक्ति कहीं पहुंचना चाहता है लेकिन उसे आरोप की अभिपुष्टि करने के लिए तर्क-शास्त्र के नियमों से संतुष्ट होना पड़ता है। अब, यदि हम मुस्लिम तलाकशुदा औरत के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, यदि हम उन्हें भरण-पोषण दिए जाने की अनुमति देते हैं जिसे उनका शरियत कानून उन्हें प्रदान करता है तो इससे सम्प्रदायवाद को कैसे प्रोत्साहन मिल रहा है ? इससे यह बात कैसे मानी जाएगी कि सारा देश सम्प्रदाय के संकट, लड़ाई तथा संहार की ओर बढ़ रहा है। मैं यह बात नहीं समझ पाया हूं कि इस बात को छोड़कर कि यह बात युक्तिसंगत है कि जब आप यह कहते हैं कि अब आप सम्प्रदायवाद की ओर बढ़ रहे हैं। यह बात अच्छी तरह युक्तिसंगत है लेकिन तर्क-संगत नहीं है। (व्यवधान) आरोप यह है कि सरकार साम्प्रदायिकतावाद और रूढ़िवाद के आगे झुक रही है। हमने इसके बारे में सुना है। रूढ़िवाद क्या है ? साम्प्रदायिकता क्या है ? यदि हम हर समय अल्पसंख्यकों की मांगों को सुनते रहे; यदि आप उनके अपने स्वीय कानून की रक्षा के लिए उनकी भावनाओं पर ध्यान देते रहे; यदि आप गारंटी देते रहे·····

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मेरा कहना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य ·· उनकी उचित मांग है।

श्री ए० के० सेन : महोदय, श्री सैफुद्दीन चौधरी अपनी गलती को नहीं सुधारेंगे। नर्सरी गीत में दो पंक्तियां हैं जिसका अर्थ है "कि वह व्यक्ति बहुत-बहुत शरारती है।" यह यहां मैं अपने युवा मित्र के लिए कहना चाहता हूं। मैं उन्हें बहुत चाहता हूं। उनका उत्साह बहुत प्रशंसनीय है लेकिन मैं समझता हूं कि उन्हें सीखना चाहिए कि ऐसे मंच पर कैसे पेश आना चाहिए।

महोदय, प्रश्न बहुत साधारण है। यह कैसे हो सकता है कि सरकार साम्प्रदायिकता और रूढ़िवाद के सामने झुक रही है, जब सरकार कहती है कि आप यह देखने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं कि संविधान में जो गारण्टी दी गई और पुनः जिसे पंडित जी से लेकर बाद के सभी प्रधान मंत्रियों द्वारा दोहराया गया है, कि अल्पसंख्यकों के लिए स्वीय विधि उनकी अपनी सहमति के बिना परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यह साम्प्रदायिकता के सामने कैसे आत्म-समर्पण हो सकता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : परिवर्तन के लिए किसने कहा है ?

श्री ए० के० सेन : मुझे मालूम है कि आपने नहीं कहा है। उन्होंने परिवर्तन के लिए नहीं कहा है। उन्हें यह जानकर खुशी होगी यदि हम भद्दी भावुकता और संवेदना को जारी रखने की अनुमति देते हैं तो इस से एक अन्य असम की स्थिति बन सकती है। मुझे उस समय बड़ी खुशी हुई जब श्री गोस्वामी मुस्लिम भागों, मुस्लिम स्त्री और इस सम्बन्ध में अन्य बातों के बारे में बोल रहे थे।

मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि हें मुस्लिम महिला और मुस्लिम मांगों के काफी करीब हैं और विवाह के सम्बन्ध में मुस्लिम करार और मुस्लिम सामीप्य सम्बन्धी अनुभव प्राप्त करने में मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी ।

श्री दिनेश गोस्वामी : एक मुस्लिम सदस्य और पार्टी द्वारा भी इस सम्बन्ध में कहा गया है ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : इन्द्रजीत बाबू और सुरैया के बीच निकटता के बारे में आप क्या कहेंगे ? क्या इसे पसंद नहीं किया जाएगा ?

श्री ए० के० सेन : ये तो उन्हीं की खास खूबी है और इस बारे में मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता । जब वे तलाक पर इतना कुछ बोल रहे थे तो मैं तो हैरान था कि क्या वही वह सब कह रहे हैं । जब वह तलाक के बारे में इतना कुछ कह रहे थे तो मुझे तो श्रीमती सुरैया को लेकर शंका हो रही थी । मैं उदको आश्वासन दे सकता हूं कि एह तलाक नहीं है । तलाक एक ही प्रकार का होता है; तलाक कोई अन्य प्रकार का नहीं होता ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इससे आपका क्या तात्पर्य है।

श्री ए० के० सेन : यही कि वह तलाक नहीं है । अगर वह तलाक हैं तो यह परिभाषा उन पर लागू होगी । आप उस परिभाषा को पढ़िए । इसमें यह कहा गया है कि अगर मुस्लिम कानून के अनुसार तलाक दिया जाता है, तभी यह लागू होगी । तलाकशुदा मुस्लिम महिला की परिभाषा वह है जिसे मुस्लिम कानून के अनुसार तलाक दिया गया है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : लेकिन प्रत्येक मामले में परिस्थितियां अलग-अलग होती हैं ।

श्री ए० के० सेन : ठीक है, मैं अपने माननीय मित्र के तलाक सम्बन्धी ज्ञान की कद्र करता हूं । मेरे विचार में कुरान में भी तलाक के बारे में जल्दी करने की बात कही गई है । उसमें कहा गया है कि अगर यह बहुत ही आवश्यक है तो यह जल्दी से जल्दी किया जाना चाहिए । कितना अच्छा मौका दिया गया है । इस प्रकार, इसे मानने वालों को यह देखना चाहिए कि विवाह संबंध समाप्त हो जाए न कि उन में तोड़ा जाये ।

इस प्रकार यह सब आम बातें हैं और हम इस मामले में ज्यादा विस्तार तक नहीं जाना चाहते ।

हमने इस मामले को अल्पसंख्यक समुदायों की इच्छा के अनुसार ही हल किया है और हमने उनकी भावनाओं को, श्री दिनेश गोस्वामी और उनके दोस्तों से कहीं अच्छी तरह लिया है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक संशोधित रूप पारित किया जाए ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

मत-विभाजन संख्या 6

02·50 म०पू०

पक्ष में

अ

अंजैया, श्री टी०
अंसारी, श्री जियाउर्रहमान
अंसारी, श्री अब्दुल हन्नान
अख्तर हसन, श्री
अग्रवाल, श्री जय प्रकाश
अडईकलराज, श्री एल०
अतीतन, श्री आर० धनुषकोडी
अण्णानम्बी, श्री आर०
अर्जुन सिंह, श्री
अरुणाचलक, श्री एम०
अलखाराम, श्री
अवस्थी, श्री जगदीश
अहमद, श्रीमती आबिदा
अहमद, श्री सरफराज

आ

आजाद, श्री गुलाम नबी
आनन्द सिंह, श्री

उ

उरांव, श्रीमती सुमति

ऐ

ऐंगती, श्री बीरेन सिंह

ओ

ओडेयार, श्री चनैया

क

कमलनाथ, श्री
कमला कुमारी, कुमारी
काबुली, श्री अब्दुल रशीद
कामत, श्री गुरुदास
कामसन, प्रो० मिजिनलंग
किन्दर लाल, श्री
किस्कू, श्री पृथ्वी चन्द
कुचन, श्री गंगाधर एस०
कुप्पुस्वामी. श्री सी० के०
कुमारमंगलम, श्री पी० आर०
कुरियन, प्रो० पी० जे०
कुरेशी, श्री अजीज
कूलनदईवेलु, श्री पी०
केन, श्री लालाराम
केयुर भूषण, श्री
कोनयक, श्री चिंगवांग
कौले, श्रीमती शीला
कौशल, श्री जगन्नाथ
कृष्ण कुमार, श्री एस०
कृष्ण सिंह, श्री
क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई

ख

खत्री, श्री निर्मल
खां, श्री असलम शेर
खां, श्री आरिफ मोहम्मद
खाँ, श्री खुर्शीद आलम
खा, श्री जुल्फिकार अली
खां, श्री मोहम्मद महफूज अली
खां, श्री मोहम्मद अयूब
खां, श्री रहीम
श्री, राम श्रेष्ठ

ग

गंगाराम, श्री
गड़वी, श्री बी० के०
गहलौत, श्री अशोक

गांधी, श्री राजीव
गाडगिल, श्री वी० एन०
गामित, श्री सी० डी०
गिल, श्री मेवा सिंह
नायकवाड़, श्री उदयसिंहराव
गायकवाड़, श्री रणजीत सिंह
गवांत श्री मानिकराव होडल्या
गुप्त, श्री जनक राज
गुप्त, श्री मती प्रभावती
गुहा, डा० फूलरेणु
गोमांगों श्री गिरिधर
गौडा, श्री एच० एन० नन्जे

घ

घोष' श्री तरुण कान्ति'
घोष, श्री बिमल कान्ति
घोषाल, श्री देवी

च

चटर्जी, श्री सोमनाथ
चतुर्वेदी, श्री नरेश चन्द्र
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चन्द्रशेखर, श्रीमती एम०
चन्द्रशेखर सिंह,
चन्द्रशेखरप्पा श्री टी० वी०
चन्द्राकर, श्री चन्दू लाल
चन्द्रेश कुमार, श्रीमती
चव्हाण, श्री प्रेमलाबाई
चार्ल्स, श्री ए०
चिदम्बरम, श्री पी०
चौधरी, श्रीमती ऊषा
चौधरी, श्री जगन्नाथ
चौधरी, श्री नन्दलाल
चौधरी, श्री मनफूल सिंह

ज

जगतरक्षकन, डा० एस०
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जदेजा, श्री डी० पी०
जनार्दनन, श्री कदाम्बुर
जय मोहन, श्री ए०
जांगड़ें, श्री खेलन राम
जाफर शरीफ, श्री सी० के०
जितेन्द्र प्रसाद, श्री
जितेन्द्र सिंह, श्री
जीवारथिनम, श्री आर०
जुझार सिंह, श्री
जैना, श्री चिन्तामणि
जेना, श्री डाल चन्द्र
जैन, श्री निहाल सिंह
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
जैनुल बशर, श्री

झ

झिकराम, श्री एम० एल०

ट

टाइटलर, श्री जगदीश

ठ

ठक्कर, श्रीमती ऊषा
ठाकुर' श्री सी० पी०

ड

डागा, श्री मूल चन्द

डामक, श्री सोमजी भाई

डिगाल, श्री राधाकांत

डेनिस, श्री एम०

डोगरा, श्री गिरधारी लाल

ढ

ढिल्लन, डा० जी० एस०

त

तंगराजु, श्री एस०

तपेश्वर सिंह, श्री

तम्बिदूराई, श्री एम०

तारादेवी, कुमारी डी० के०

तारिक अनवर, श्री

तिलकधारी सिंह, श्री

तिवारी, प्रो० के० के०

तोमर, श्रीमती ऊषा रानी

त्यागी, श्री धर्मवीर सिंह

त्रिपाठी, डा० चन्द्र शेखर

त्रिपाठी, श्रीमती चन्द्रा

थ

थारस, प्रो० के० वी०

थुंगन, श्री पी० के०

थोरट, श्री भाऊसाहिब

द

दलबीर सिंह, श्री

दलबीरसिंह, चौधरी

दामी, श्री अजीतसिंह

दास, श्री अनादि चरण

दास, श्री बिपिनपाल

दास मुन्शी, श्री प्रिय रंजन

दिग्विजय सिंह, श्री

दिग्विजयसिंह, श्री

दिघे, श्री शरद

दिनेश सिंह, श्री

दीक्षित, श्रीमती शीला

दुबे, श्री भाष्म देव

देव, श्री सन्तोष मोहन

देवरा, श्री मुरली

देवी, प्रो० चन्द्रभानु

ध

धारीवाल, श्री शांति

न

नटराजन, श्री के० आर०

नटवरसिंह, श्री के०

नवल प्रभाकर, श्रीमती सुन्दरवती

नामग्याल, श्री पी०

नायक, श्री शांताराम

नायकर, श्री डी० के०

नारायणन, श्री के० आरO

नीखरा, श्री रामेश्वर

नेगी, श्री चन्द्रमोहन सिंह

नेताम, श्री अरविन्द

नेहरू, श्री अरुण कुमार

प

पंजा, श्री ए० के०

पंत, श्री कृष्ण चन्द्र
पकीर मोहम्मद, श्री ई० एस० एम०
पटनायक, श्री जगन्नाथ
पटनायक, श्रीमती जयन्ती
पटेल, श्री अहमद एम०
पटेल, श्री यू० एच०
पटेल, श्री मोहन भाई
पटेल, श्री राम पूजन
पटेल, श्री सी० डी०
पनिका, श्री राम प्यारे
पराशर, प्रो० दारायण चन्द
पवार, श्री बालासाहिब
पवार, श्री सत्यनारायण
पांडे, श्री दामोदर
पांडे, श्री मदन
पांडे, श्री मनोज
पांडे, श्री राज मंगल
पाइलट, श्री राजेश
पाटिल, श्री उत्तमराव
पाटिल, श्री एच० वी०
पाटिल, श्री प्रकाश बी०
पारिल, श्री बालासाहेब विखे
पाटिल, श्री यशवंतराव गडाख
पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पाटिल, श्री शिवराज बी०
पाठक, श्री चन्द्र किशोर
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पाणिग्रही, श्री श्रीवल्लभ
पारधी, श्री केशवराव
पुजारी, श्री जनार्दन
पुरुषोत्तम, श्री बक्कम
पुरोहित, श्री बनवारी लाल
पुष्पादेवी, कुमारी
पूरनचन्द, श्री
पेरुमान, डा० पी० वल्लल
पोतदुखे, श्री शांताराम
प्रकाशचन्द्र, श्री
प्रधान, श्री के० एन०
प्रधानी, श्री के०
प्रभु, श्री आर०

फ

फैलीरो, श्री एडुआर्डो

ब

बंसी लाल, श्री
बच्चन, श्री अमिताभ
बनर्जी, पुमारी ममता
बनातवाला, श्री जी० एम०
बलरामन, श्री एल०
बशीर, श्री टी०
बसवराजु, श्री जी० एस०
बसवराजेश्वरी, श्रीमती
बाजपेयी, डा० राजेन्द्रकुमारी
बालगौड़, श्री टी०
बीरबल, श्री
बीरेन्द्रसिंह, राव
बीरेन्द्रसिंह, श्री

बदानिया, श्री नरेन्द्र
बुन्देला, श्री सुजानसिंह
बूटासिंह, सरदार
बैरवा, श्री बनवारीलाल
बैठा, श्री डूमर लाल
बैरागी, श्री बालकवि
ब्रह्मदत्त, श्री

भ

भक्त, श्री मनोरंजन
भगत, श्री एच० के० एल०
भगत, श्री बी० आर०
भरतसिंह, श्री
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल
भायद्वाज, श्री परसराम
भूमिज, श्री हरेन
भूरिया, श्री दिलीपसिंह
भोई, डा० कृपासिंधु
भोय, श्री आर० एम०
भोय, श्री एस० एस०
भोसले, श्री प्रतापराव बी०

म

मकवाना, श्री नरसिंह
मलिक, श्री धर्मपालसिंह
मलिक, श्री लक्ष्मण
महन्ती, श्री बृजमोहन
महावीर प्रसाद, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
माधुरी सिंह, श्रीमती
माने, श्री मुरलीधर
मालवीय, श्री बापूलाल
मावणि, श्रीमती पटेल रामबेन रामजीभाई
मिर्धा, श्री रामनिवास
मिश्र, श्री उमाकांत
मिश्र, श्री जी० एस०
मिश्र, श्री नित्यानन्द
मिश्र, श्री राम नगीना
मिश्र, श्री श्रीपति
मिश्र, डा० प्रभातकुमार
मीराकुमार, श्रीमती
मुखोपाध्याय, श्री आनन्द गोपाल
मुत्तेमवार, श्री विलास
मुरमू, श्री सिद्धलाल
मूरुगई, श्री ए० आर०
मुशरान, श्री अजय
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर
मेहता, श्री हरुभाई
मोतीलाल सिंह श्री
मोदी, श्री विष्णु
मोरे, प्रो० रामकृष्ण

य

यशपालसिंह, श्री
याजदानी, डा० गुलाम
यादव, श्री कैलाश
यादव, श्री डी० पी०
यादव, श्री बलरामसिंह
यादव, श्री रामसिंह

यादव, श्री श्यामलाल

यादव, श्री सुभाष

योगेश, श्री योगेश्वर प्रसाद

र

रंगनाथ, श्री के० एच०

रंगा, प्रो० एन० जी०

रघुराजसिंह, चौधरी

रणवीरसिंह, श्री

रथ, श्री सोमनाथ

राउत, श्री भोला

राजकरन सिंह, श्री

राजहंस, डा० गौरी शंकर

राजेश्वरन, डा० वी०

राठवा, श्री अमर सिंह

राठौड़, श्री उत्तम

राम, श्री रामस्वरूप

राम अवध प्रसाद, श्री

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली

रामसमुझावन, श्री

रामधन, श्री

रामपालसिंह, श्री

राम प्रकाश, चौधरी

राममूर्ति, श्री के०

रामलू, श्री एच० जी०

रामूवालिया, श्री बलवन्तसिंह

राय, श्री आई० रामा

राय, श्री राजकुमार

राव, श्री के० एस०

राव, श्री जे० चोक्का

राव, श्री पी० वी० नरसिंह

राव, श्री वी० कृष्ण

रावणी, श्री नवीन

रावत, श्री कमला प्रसाद

रावत, श्री प्रभुलाल

रावत, श्री हरीश

ल

लच्छीराम, चौधरी

लाहा, श्री आशुतोष

लोवांग, श्री वांगफा

व

वन, श्री दीप नारायण

वनकर, श्री पूनमचन्द मीठाभाई

वर्मा, डा० सी० एस०

वासनिक, श्री मुकुल

विजयराघवन, श्री वी० एस०

वीरसेन, श्री

वेंकटेशन, श्री पी० आर० एस०

वैराले, श्री मधुसूदन

व्यास, श्री गिरधारीलाल

श

शंकरानन्द, श्री बी०

शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी

शर्मा, श्री चिरंजीलाल

शर्मा, श्री नन्दकिशोर

शर्मा, श्री नवलकिशोर

शर्मा, श्री प्रताप भानु

शास्त्री, श्री हरिकृष्ण
शाह, श्री अनूपचन्द
शाहबुद्दीन, सैयद
शिगडा, श्री डी० बी०
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
शेरवानी, श्री सलीम आई०
श्री निवास प्रसाद, श्री वी०

स

संकटा प्रसाद, डा०
संखवार, श्री आशकरण
संगमा, श्री पी० ए०
संतोषकुमार सिंह, श्री
सईद, श्री पी० एम०
सकरगयम, श्री कालीचरण
सत्येन्द्र चन्द्र, श्री
सलाउद्दीन, श्री
साठे, श्री वसंत
साही, श्रीमती कृष्णा
सिंगरावडीवेल, श्री एस०
सिंह, श्री अतीशचन्द्र
सिंह, श्रीमती किशोरी
सिंह, श्री कमला प्रसाद
सिंह, श्री कृष्ण प्रताप
सिंह, श्री के० एन०
सिंह, श्री चन्द्रप्रताप नारायण
सिंह, श्री डी० जी०
सिंह, श्री भानू प्रताप
सिंह, श्री लाल विजय प्रताप
सिंह, श्री एस० डी०
सिंह, सत्येन्द्र नारायण
सिंहदेव, श्री के० पी०
सिद्दनाल, श्री एस० बी०
सिद्दीक, श्री हाफिज मोहम्मद
सिन्धिया, श्री माधवराव
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी
सुन्दरलाल, श्री
सुखराम, श्री
सुखाड़िया, श्रीमती इन्दुबाला
सुखवन्स कौर, श्रीमती
सुनीलदत्त, श्री
सुन्दरराज, श्री एन०
सुन्दरराजन, श्री एन०
सुब्बूरमन, श्री ए० जी०
सुमन, श्री रामप्यारे
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री
सुल्तानपुरी, श्री के० डी०
सूर्यवंशी, श्री नरसिंह
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान
सेठी श्री अनन्त प्रसाद
सेठी, श्री प्रकाश चन्द्र
सेन, श्री भोला नाथ
सेन, श्री ए० के०
सेल्वेन्द्रन, श्री पी०
सोज, प्रो० सैफुद्दीन
सोढ़ी, श्री मनकूराम
*स्वामी, श्री कटूरी नारायण

*गलती से पक्ष में मतदान हुआ

स्वामी, श्री डी० नारायण
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
स्पैरो, श्री आर० एस०
स्वैल, श्री जी० जी०

ष

षण्मूख, श्री ए० सी०
षण्मुख, श्री पी०

ह

हाल्दर, प्र० एम० आर०
हेमब्रम, श्री सेत

मत विभाजन संख्या 6

02·50 म० प०

विपक्ष में

अ

*अब्दुल गफूर, श्री
*अल्बासी श्री के० जी०

आ

आचार्य, श्री वसुदेव

उ

उन्नीकृष्णन, श्री के० पी०

क

कुरूप, श्री सुरेश

ग

गुप्त, श्री इन्द्रजीत
गोस्वामी, श्री दिनेश

घ

घोष गोस्वामी, श्रीमती विभा

च

चटर्जी, श्री सोमनाथ
चालिहा, श्री पराग
चिन्तामोहन, डा०
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
चौबे, श्री नारायण

ज

जायनल अबेदिन, श्री

त

तांती, श्री भद्रेश्वर
तिरकी, श्री पीयूष
तुलसीराम, श्री वी०

द

दण्डवते, प्रो० मधु
दत्त, श्री अमल
दास, श्री रेणुपद

प

पटेल, डा० ए० के०
पाटिल, श्री डी० वी०
पाठक, श्री आनन्द
पेंचालैया, श्री पी०

* गलती से विपक्ष में मतदान हुआ।

ब

बसु, श्री अनिल
विश्वास, श्री अजय

भ

भट्टम, श्री श्रीराम मूर्ति
भूपति, श्री जी०

म

मण्डल, श्री सनतकुमार
मलिक, श्री पूर्णचन्द्र
मसुदल हुसैन, श्री सैयद
महन्ता, श्री चित्त
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मुखर्जी, श्रीमती गीता

र

रमैया, श्री सोडे
राजू, श्री आनन्द गजपति
राजू, श्री विजय कुमार
राय, श्री डा० सुधीर
रायप्रधान, श्री अमर
राव, श्री ए० जी० वी० बी० महेश्वर
राव, श्री वी० शोभनाद्रीश्वर
राव, श्री श्रीहरि
रियान, श्री बाजूबन
रेड्डी, श्री के० रामचन्द्र
रेड्डी, श्री सी० जंगा
रेड्डी, श्री बैजवाड़ा परी
रेड्डी, श्री बी० एन०
रेड्डी, श्री एम० रघुमा
रेड्डी, श्री सी० माधव

ल

सान्याल, श्री मानिक
साहा, श्री अजित कुमार
साहा, श्री गदाधर

ह

हंसदा, श्री मतिलाल
हन्नान मोल्लाह, श्री

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत-विभाजन का परिणाम * इस प्रकार है :

पक्ष में : 372

विपक्ष में : 54

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : सभा अब कल 11 : 00 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है

तत्पश्चात लोक सभा 6 मई, 1986/15 वैशाख, 1908 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

---

* निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपना मत दर्ज कराया :

पक्ष में—श्रीमति इन्दुबाला सुखाड़िया, श्री कमोदीलाल जाटव, श्री मानवेन्द्र सिंह, श्री जी० आई० पटेल, श्री जयदीप सिंह, श्री कुंवर राम, श्री नटवर सिंह सोलंकी, श्री बी० देवराजन, श्री गोपेश्वर, श्री साइमन तिग्गा, डा० के० जी० आदियोडी, श्री पी० ए० एन्टनी, श्री के० मोहनदास, श्री सुल्तान, सलाउद्दीन ओवेसी, श्री अब्दुल गफूर, श्री के० जे० अब्बासी,

विपक्ष में : श्री विजयकुमार यादव श्री कटूरी नारायण स्वामी ।

पी०एल०एस० 48/17/45/86(एम०)
185

© 1986 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (छठा संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और
प्रबंधक, सनलाईट प्रिंटर्स, 2265, डा० सेन मार्ग, दिल्ली-6 द्वारा मुद्रित ।